राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] बारहवीं विधान सभा के नवम् सत्र का बाईसवां दिवस [संख्या : 13

सोमवार;

10 मार्च, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा बीकानेर शहर के निर्मित रिजरवायर की गुणवत्ता

193. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1 जनवरी, 2002 से अब तक आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा जिला बीकानेर के शोभासर में पेयजल सम्बन्धी निर्माण कार्य करवाया गया था ? यदि हां, तो कब व कितनी लागत से तथा इस कार्य को कितने भागों/चरणों में कब-कब, किस-किस एजेन्सी के माध्यम से पूरा करवाया गया तथा इनमें से किस-किस एजेन्सी को किस-किस कार्य हेतु कब कब कितना भुगतान कर दिया गया तथा कितना भुगतान करना बकाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शोभासर में जल भण्डारण हेतु नवनिर्मित रिजरवायर के भरे जाने पर प्रथम बार में ही इसमें दरारें आ गयी थीं ? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार निर्माण कार्य में कोताही बरतने के सम्बन्ध में जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सम्बन्धित फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त रिजरवायर के निर्माण के दौरान विभिन्न अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता/उपयोगिता आदि से सम्बन्धित जांचें की गयी थीं ? यदि हां, तो किस-किस विभाग के किन-किन

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

अधिकारियों द्वारा ? क्या उक्त रिजरवायर के निर्माण में रही कमी से आई दरारों के लिए सरकार दायित्व निर्धारित करते हुए दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त नवनिर्मित रिजरवायर को भर कर चैक करने से पूर्व ही सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को इसका पूर्ण भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो किसके द्वारा एवं क्यों? क्या उक्त नवनिर्मित रिजरवायर में आयी उक्त दरारों की मरम्मत का कार्य 15 फरवरी, 2008 तक पूर्ण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितनी लागत से एवं इस खर्चे का वहन किस मद से एवं किनके द्वारा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त नवनिर्मित रिजरवायर में पूर्व/वर्तमान में हो रहे पानी के रिसाव के बावजूद भी यह रिजरवायर भविष्य के लिए सुरक्षित है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो सरकार इस हेतु क्या एहतियात बरतने का विचार रखती है ?

(6) क्या यह सही है कि आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा बीकानेर शहर में पानी की टंकियों का निर्माण कर उन्हें पाइप लाइन द्वारा जोड़ा जाना था ? यदि हां, तो कहां-कहां पर, कब-कब, कितनी-कितनी लागत से इस टंकी का निर्माण कर किस-किस क्षेत्र को पाइप लाइन द्वारा जोड़ा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या टंकियों के निर्माण के बाद योजना में निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप अंतिम छोर के प्रत्येक उपभोक्ता को समुचित दबाव से जल प्राप्त हो रहा है एवं क्या इस सम्बन्ध में जांच कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस हेतु सरकार भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(नगरीय विकास मंत्री) श्री सुरेन्द्र गोयल : (1) जी हां। 1 जनवरी, 2002 से माह मार्च, 2008 की अवधि में बीकानेर के शोभासर में पेयजल के 5 पैकेजों के माध्यम से पेयजल सम्बन्धी निर्माण कार्य करवाये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं :-

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

क्रम संख्या	पैकेज संख्या	ठेकेदार फर्म	कार्यादेश दिनांक	भुगतान (लाखों में)	बकाया भुगतान (लाखों में)
1	बी/जल/04	मैं. ड्रिपलेक्स, नयी दिल्ली।	21.08.03	467.89	20.90
2	बी/जल/05	मैं. एक्वा प्रीस्ट्रेस, पूना।	19.03.03	330.94	40.74
3	बी/जल/06	मैं. आर.एस.बी. प्रोजेक्टस, नयी दिल्ली।	31.03.03	660.42	*
4	बी/जल/07	मैं .डब्ल्यू.पी.आई . एल., गाजियाबाद।	13.10.03	731.31	88.67
5	बी/जल/12	मै. ई.पी.आई.एल., नयी दिल्ली।	03.03.03	1002.68	शून्य

* अंतिम भुगतान के समय रु. 7.32 लाख डिपोजिट मद में रख लिया गया है।

संदर्भित फर्मों को वर्षवार किये भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। नवनिर्मित रिजरवायर में प्रथम बार 6 मी. ऊंचाई तक पानी भरने पर, जलाशय के बाहरी हिस्से में इमबैकमेंट के कुछ हिस्से में मामूली प्राकृतिक रूप से एक सैटलमेंट हुआ जो मिट्टी से निर्मित बांधों डिग्गियों में टैस्टिंग के समय होने वाली एक स्वाभाविक तकनीकी प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही किसी भी स्तर पर प्रकट नहीं हुई है एवं किसी भी अधिकारी/फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही का प्रकरण नहीं बनता है।

(3) जी हां। शोभासर में स्थित नवनिर्मित रिजरवायर के निर्माण में प्रयोग होने वाले सामान की गुणवत्ता की जांच 'बिड्-डाक्यूमेंट' में दिये गये

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मापदण्डों के अनुसार सरकार द्वारा सुपरवीजन हेतु नियुक्त सलाहकार फर्म 'मै. टाटा कंसलटिंग' के इंजीनियरों द्वारा लगातार एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियरों एवं जोधपुर इंजीनियरिंग कालेज के इंजीनियरों एवं थर्ड पार्टी फर्म मै. सी.ई.आई.एल., नयी दिल्ली की टीम के द्वारा समय-समय पर आवश्यकता अनुसार की जाती रही है। इसके अलावा विभागीय अभियन्ताओं के द्वारा भी निर्धारित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान जांच की जाती रही है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही किसी भी स्तर पर प्रकट नहीं हुई है एवं किसी भी इंजीनियर/फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही का प्रकरण नहीं बनता है।

(4) जी नहीं। शोभासर में स्थित नवनिर्मित रिजरवायर को पानी से भरने से पूर्व सम्बन्धित फर्म को पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। शोभासर रिजरवायर की टैस्टिंग दिनांक मई, 07 तक पूर्ण कर ली गयी थी। फर्म के अंतिक बिल का भुगतान वाउचर संख्या 59 दिनांक 09.10.2007 द्वारा राशि रुपये 7,23,003 डिपोजिट में जमा कर भुगतान किया जा चुका है। उक्त रिजरवायर में टैस्टिंग के दौरान हुए मामूली सैटलमेंट की मरम्मत दिनांक 15.02.08 तक पूर्ण कर ली गयी है। मरम्मत कार्य हेतु व्यय की गयी राशि रुपये 4.71 लाख की वसूली मै. आर.एस.बी. प्रोजेक्ट लि. नयी दिल्ली की जमा राशि में से की जा चुकी है।

(5) शोभासर में स्थित नवनिर्मित रिजरवायर तकनीकी मापदण्डों के अनुसार उच्च स्तर का निर्मित है तथा इसमें पूर्व में आयी बाहरी सतही सैटलमेंट के कारण इसकी सुरक्षा/क्वालिटी के सम्बन्ध में तनिक भी समस्या नहीं है तथा तकनीकी मापदण्डों के अनुसार इस प्रकार के निर्मित जलाशयों में बाहरी सतही सैटलमेंट होना स्वाभाविक/प्राकृतिक प्रक्रिया है इससे जलाशय की सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है तथा भविष्य में इसकी सुरक्षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मई, 2007 से जलाशय को नियमित रूप से पानी के स्टोरेज हेतु कार्य में लिया जा रहा है एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पूर्ण टैस्टिंग उपरान्त टेक ओवर भी किया जा चुका है एवं लगातार पानी से भरा जा रहा है एवं प्रयोग में आ रहा है।

(6) जी हां। बीकानेर शहर में 13 उच्च जलाशयों व 2 भू-तल जलाशयों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है तथा उक्त निर्मित 13

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

उच्च जलाशयों को बीकानेर जोन में स्थित राइजिंग लाइनों से जोड़ा जा चुका है तथा जलदाय विभाग सम्बन्धित जोनों में उक्त जलाशयों के माध्यम से लगभग 6 माह से बीकानेर की जनता को नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति भी कर रहा है (विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है)

(7) उक्त 13 उच्च जलाशयों एवं 2 भूतल जलाशयों को पाइप लाइन से जोड़ा जा चुका है। 2 उच्च जलाशयों को छोड़कर शेष जलाशयों से उपभोक्ताओं को समुचित दवाब से जल प्राप्त हो रहा है परन्तु चौधरी कालोनी एवं लक्ष्मीनाथजी उच्च जलाशय के राइजिंग मेन एवं डिस्ट्रीब्यूशन से सम्बन्धित समस्त कार्य भौतिक रूप से पूर्ण किये जा चुके हैं, उक्त दोनों उच्च जलाशय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तान्तरण की प्रक्रिया में हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उक्त कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लिये गये हैं ? यदि निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं किये गये तो उसकी जिम्मेवारी किनकी है ?

नम्बर दो, आपने अपने जवाब में बार-बार यह बताया है कि कार्य निर्धारित गुणवत्ता के हैं तो क्या यह सही है कि वर्तमान समय में जलाशय के बीकानेर से छतरगढ़ जाने वाले मुख्य मार्ग पर बहुत अधिक सीलन आने के कारण जलाशय से रिसाव की स्थिति वहां पर स्पष्ट नजर आ रही है। यदि हां, तो उसका जिम्मेवार कौन है ?

क्या यह सही है कि उक्त जलाशय के निर्माण के समय इस जलाशय के एम्बैंकमेंट के काम्पेक्शन के लिए जो जांच करवायी जानी थी वह जांच नहीं हो पायी और इस पर जो एअर वैक्यूम रह गया है उसको मिटाने के लिए जिस क्षमता के रोलर चलाये जाने चाहिये थे वह रोलर नहीं चलाये जाने के कारण यह थोथ रहने से आज वहां पर पानी का रिसाव हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ। यह बात सही है कि कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ। समय पर पूरा नहीं होने का कारण यह रहा कि फर्म को 31.3.2003 को वर्क आर्डर दे दिया गया था और वर्क आर्डर देने के बाद में 31 जनवरी, 2005 को यह पूरा हुआ परन्तु इसको कार्य रूप में परिणीत करने में दो साल का समय लगा। वह समय लगने के पीछे

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

कारण यह रहा था कि कानासर जो नहर इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू कार्य करवाया जा रहा था वह कार्य करने में काश्तकारों की अड़चन आ गयी थी। काश्तकारों ने रोक दिया था इस कारण दो साल उसमें डिले हुआ और यह जो पम्पिंग स्टेशन है आर.डब्ल्यू.आर., वह तो बन गया था परन्तु उसमें पानी दो साल बाद डाला गया था इस कारण थोड़ा सा डिले हुआ है।

दूसरा, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि बीकानेर से छतरगढ़ जाने वाले उसमें कोई लीकेज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं है। उसमें सीपेज है और उस ठेकेदार का 40 लाख 29 हजार रुपया रोका गया है और जब तक वह लीकेज, सीपेज पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर देंगे, पूरा पानी सही ढंग से नहीं पहुंचेगा तब तक उसका भुगतान नहीं किया जायेगा।

तीसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि यह कौन-कौनसी फर्मों से जांच की गयी तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि इसमें सी.ई.आई.एल., दिल्ली को थर्ड पार्टी जांच के लिए जिम्मा दिया गया था और टाटा कंसलटिंग सर्विस, बम्बई वह डिजाइन को बनाने का, डिजाइन अप्रूव करने का, कार्य की सुपुर्दगी करने का काम करती थी और जोधपुर इंजीनियरिंग कालेज के इंजीनियर्स यह देखते थे कि जो कार्य हो रहा है उसकी क्वालिटी सही है या नहीं है।

चौथा, पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा भी यह जो टाइलें और ईंटें लगी हुई थी, उनकी गुणवत्ता की जांच इनके द्वारा की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि इन चारों के द्वारा समय-समय पर जांच की जाती थी और दस हजार मिट्टी के नमूने लेकर के पर-डे यह जांच करते थे कि इसमें कोई क्वालिटी की खराबी तो नहीं है। क्वालिटी में कोई इस प्रकार की बात तो नहीं है जिससे आने वाले समय में यह खराब हो जाये और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जो पैरामीटर्स सीपेज के तहत दिये हुए हैं, दूसरी जगह 48 एम.एम. पर डे सीपेज का है और जो आप इस आर.डब्ल्यू.आर. के बारे में बात कर रहे हैं उसका 30 एम.एम. पर डे सीपेज है। इसलिए यह कहना कि यह बिलकुल खराब हो गये हैं यह सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो तकनीकी मापदंड हैं उनके अनुसार यह आर.डब्ल्यू.आर. सही बने हुए हैं और इनसे पिछले मई से लेकर के आज दिन तक पानी बीकानेर की जनता को दिया जा रहा है और किसी प्रकार का सीपेज या लीकेज इस आर.डब्ल्यू.आर. में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: नेकस्ट क्वेश्चन, बैठिये-बैठिये, बहुत डिटेल में आ गया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य बिन्दु नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत ही डिटेल में दे दिया है ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य बिन्दु नहीं आया है। अगर आप इजाजत दें, क्योंकि यह पूरे जिले से जुड़ा हुआ मसला है, करोड़ों रुपयों की लागत इस पर लग चुकी है और यह अनुपयोगी श्रेणी में है ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कार्य की इतनी अच्छी गुणवत्ता होने के बावजूद इसमें जो तिरपाल बिछाया गया है, क्या यह सही है कि वह निर्धारित रिक्वायर्ड 250 माइक्रोन के स्थान पर 210 माइक्रोन का है, जो कि निर्धारित क्षमता से 15 प्रतिशत कम है। क्या यह भी सही है कि इसके अंदर लाइनिंग के लिये जो टाइलें लगायी गयी हैं उन टाइलों की क्षमता 16.66 प्रतिशत ना होकर के 23 प्रतिशत पायी गयी है और इसी के कारण सीपेज वहां पर पाया जा रहा है और क्या यह भी सही है कि एम्पेरमेंट का जो घनत्व है इसका प्रति लीटर सैम्पल जो सूची में मिट्टी का घनत्व पाया गया है, वह निर्धारित घनत्व से 15 प्रतिशत कम है, इस कारण वहां पर सीपेज की स्थिति बन गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है जिस फर्म ने कार्य किया उसके कार्य में विलम्ब होने के बावजूद भी उसकी जवाबदेही तय नहीं की, आपको उस फर्म पर जो पेनल्टी इम्पोज की जानी चाहिए थी उसको बचाकर के लाखों रुपयों का उसको फायदा पहुंचाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात, आप बैठिये ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): उपाध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बन्धित मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे हैं कि मोटाई फिल्टर की सही नहीं है, मेरा निवेदन है कि यह 250 माइक्रोन है और इसमें जो चारों फर्मों के नाम मैंने बताये ना तो उसमें नीचे जो बिछाते हैं, आपने नाम बताया तिरपाल, ना तो वह 15 प्रतिशत कम है, वह बिलकुल गुणवत्ता के अनुसार जैसे

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

150 करोड़ एम.एम. पानी का स्टोरेज होता है, अगर उसमें थोड़ी सी भी तकनीकी गलती रह जाती तो वह आज फूट भी जाता ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय मंत्री महोदय, जिस दिन पूरा पानी भरवायेंगे उस दिन निश्चित रूप से टूटेगा। आज दिन तक उसमें पूरा पानी नहीं भरा गया है, खानापूर्ति की जा रही है ...(व्यवधान) कानासर वितरिका के निर्माण के पूर्ण नहीं होने की आड़ में उस जगह पर उन फर्मों को सीधा लाभ दिया जा रहा है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसमें स्वयं रूचि लेकर के अगर मौके पर देखेंगे, अगर आप इसकी जांच करायेंगे तो आप पायेंगे कि इसके अंदर भारी गड़बड़ियां हैं, भारी अनियमितताएं हुई हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि यह प्रकरण आपने कई बार उठाया है। अगर आप मेरी बात से संतुष्ट नहीं हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोई चीफ इंजीनियर लेवल का आदमी चाहे वह इर्रिगेशन का हो, चाहे पीएचईडी का हो, उसको भेजकर के मैं जांच करवा लूंगा और उस जांच के बाद जो भी आयेगा वह मैं आपको अवगत करा दूंगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, उस जांच की समिति बनायी जाये क्योंकि अधिकारी विशेष दूसरे अधिकारी को बचाने के लिए कार्य करता है। आप इसकी एक समिति बनाकर के जांच करायें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): किसी की भी मंशा किसी अधिकारी को बचाने की नहीं है और ना किसी को बचाना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर इसकी गुणवत्ता में कोई कमी होगी तो मैं उसकी जांच चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारी से करवा लूंगा और जो उस रिपोर्ट में आयेगा उससे मैं आपको अवगत करा दूंगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): धन्यवाद।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): इसी प्रश्न से सम्बन्धित मेरा सप्लीमेंट्री है, मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नन्दलाल बंशीवाल, माननीय सदस्य, नैक्स्ट क्वेश्चन नन्दलाल बंशीवाल ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं, अलाऊ क्यों नहीं करते हो आप ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह बीकानेर का मामला है, श्री नन्दलाल बंशीवाल, आप का प्रश्न पूछें।

दौसा विधान सभा क्षेत्र के वन क्षेत्र में खनन पश्चात् वृक्षारोपण

194. श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दौसा के वन क्षेत्रों में खनन कार्य हो रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां व किन-किन क्षेत्रों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खनन कार्य के बाद गड्ढों को पुनः भरकर उन पर वृक्षारोपण की बाध्यता खनन मालिकों पर है? यदि हां, तो वृक्षारोपण नहीं करने वाले पट्टाधारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन) : (1) दौसा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत रेंज दौसा के नाका खवारावजी के अधीन वन खंड गौलमैन में 22.0963 हैक्टेयर प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र में सोप स्टोन हेतु एल.एल. नं. 1/71 व 3/82 सर्व श्री प्रकाश चन्द जैन व श्री पदम चन्द जैन के पक्ष में स्वीकृत हैं, जो चल रही हैं।

(2) खनन कार्य के पश्चात् गड्ढों को पुनः भरकर उन पर वृक्षारोपण की बाध्यता खान मालिकों पर है। ऊपर वर्णित दोनों खानों में से एक खान के पिट में खनिज समाप्त होने से मलबा भर दिया गया है। दूसरी खान के पिट में खनन कार्य चालू है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र दौसा में कितना तो आरक्षित और कितना रक्षित वन क्षेत्र है और पूरी दौसा तहसील में कितना वन क्षेत्रफल है, नम्बर एक और दूसरी मैं बात पूछना चाहता हूं कि वन खंड गौलमैन में कितनी खनिज की लीजें स्वीकृत हैं जो चालू हैं और तीसरा मेरा है कि दौसा विधान सभा क्षेत्र में वन क्षेत्रों में पिछले चार वर्षों में आपने अवैध खनिज के कितने प्रकरण दर्ज किये और उन पर क्या कार्यवाही की है, इसका जवाब दे दें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि दौसा विधान सभा क्षेत्र में वन भूमि, आरक्षित वन 1074.80 हैक्टेयर और रक्षित है 3402.45 हेक्टेयर, जहां तक दौसा तहसील में कुल फोरेस्ट का आपने पूछा है वह है 90788 हैक्टेयर, माइन्स के बारे में पूछा है वह गौलमैन वन खंड में 2 खनिज लीज 3/82 तथा 1/71 स्वीकृत हैं, इनकी स्वीकृति दिनांक 1.5.2000 से 30.04.2010 है और यह स्वीकृति भारत सरकार ने दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक विधान सभा क्षेत्र में पिछले चार वर्षों में अवैध खनन में दर्ज प्रकरण एवं उन पर कार्यवाही के विवरण के बारे में पूछा है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान) पूछा है ना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): पूछा है, मैंने पूछा है, बोलें, आप जवाब दें ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): वर्ष 2004 05 में 17 प्रकरण दर्ज हुए, 2005-06 में 29 प्रकरण दर्ज हुए, 2006-07 में 37 प्रकरण दर्ज हुए और 2007-08 में अभी फरवरी तक 34 प्रकरण दर्ज करके 90900 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न संख्या 193 काल किया था और 194 का जवाब आ रहा है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): 193 का।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): 193 काल किया है ना आपने।

श्री उपाध्यक्ष: ना, ना, 194 है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): 194 है, 193 आपका था।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): आपने लेकिन 193 काल किया था।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): वह आपका था, वह आपका था।

श्री उपाध्यक्ष: यह 194 है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने एक तो मुझे पूरी राशि नहीं बतायी है कि आपने कितना टोटल जुर्माना राशि इन चार वर्षों में वसूल की है। आपने केवल 2007-08 में फरवरी तक की 90900 रुपये की राशि बतायी है जब कि पूरे चार साल की राशि आपने नहीं बतायी है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अभी राजगढ़ से सिकन्दरा तक की रोड बन रही है जो कि कंपनी आईवीआरसीएल बना रही है, उसने उपरेडा के अंदर जो आपका वन क्षेत्र है उसमें अवैध खनन करके पूरी रोड का निर्माण कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जो आप अवैध खनन रोकना चाहते हैं उसके अंदर क्या कार्यवाही करना चाहते हैं।

दौसा के अंदर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना लीज के बहुत सारे अवैध क्रेशर चल रहे हैं और उन अवैध क्रेशरों पर कहां से पत्थर आ रहे हैं? वन विभाग इनको देखने की कुछ मंशा रखता है क्या, इसका जवाब दे दीजिए। जिनके पास लीज नहीं है, क्या आप उन अवैध क्रेशरों को जब्त करने का मानस रखते हैं? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार वर्षों का माननीय सदस्य ने पूछा कि कुल कितना जुर्माना वसूल किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2,52,480 रुपये जर्माना वसूल किया है। दूसरा आपने अभी पूछा कि दौसा क्षेत्र और दौसा जिले के कुछ क्षेत्रों में अवैध माइनिंग और अवैध क्रेशर का मामला यहां पर उठाया कि कई क्रेशर मालिक बिना लीज के या बिना किसी रेवेन्यू का रवन्ना लिए हुए क्रेशर चला रहे हैं और पत्थर जो भी सम्बन्धित आदमी हैं वे पत्थर लाकर वहां पर सप्लाई कर रहे हैं। मैं इस पूरे मामले को दिखवा लूंगा और निश्चित रूप से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो क्रेशर अवैध रूप से चल रहे हैं उनको मैं बंद भी करवाऊंगा और जिनकी लापरवाही से इस प्रकार का काम हो रहा है उनके खिलाफ भी कार्यवाही करवाऊंगा, इस प्रकार का आश्वासन मैं आपको देता हूं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि आई.वी.सी.आर.सी.एल. ने वहां पर अवैध खनन करके रोडों का निर्माण किया है, क्या आप उस कम्पनी के खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं क्या, इसका जवाब दीजिए माननीय मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: करेंगे कार्यवाही।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अगर फोरेस्ट एक्ट में इस कम्पनी के खिलाफ भी किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रावधान है तो निश्चित रूप से उस फर्म के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): ठीक है।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): माननीय मंत्रीजी, हम भी एक बात और पूछना चाहते हैं कि बंद करवाने की यह कार्यवाही आप दौसा विधान सभा क्षेत्र में ही करवाएंगे या पूरे राजस्थान में करवाएंगे?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल दौसा तहसील से सम्बन्धित है, माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र से ही सम्बन्धित है पर फिर भी मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां पर अवैध माइनिंग और फोरेस्ट कटान की किसी प्रकार की भी कोई सूचना आप मुझे देंगे निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करवाऊंगा।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): अवैध जो क्रेशर चल रहे हैं पूरे राजस्थान में जिनके पास लीज नहीं है उनको बंद करवाएंगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष: आप दे देना सूचना मंत्रीजी को।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आपके पास इसकी स्पेसीफिक जानकारी हो तो आप मुझे दे दें, निश्चित रूप से मैं उस पर कार्यवाही करवाऊंगा।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाईमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि कई लोग गैर वानिकी क्षेत्र से पत्थर निकाल कर लाते हैं और उन्होंने कुछ ऐसे स्थान तय कर रखे हैं, वन विभाग वालों ने उनको वहीं पकड़ कर बता देते हैं कि फोरेस्ट एरिये से पत्थर निकला हुआ है, उनको परेशान करके उन पर पेनेल्टी लगाते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मौके पर जहां वानिकी क्षेत्र से पत्थर निकल रहा हो वहां पर कार्यवाही करने के निर्देश वन विभाग को देंगे।

क्रेशर का मामला भी उठा है, क्रेशर लगा हुआ कहीं और माइनिंग लीज है कहीं और पत्थर कहीं और से, फोरेस्ट से निकल कर आ रहा है तो क्या मंत्रीजी कष्ट करेंगे कि जहां की लीज अब तक इन्होंने ले रखी है, उसकी फीट को दिखवाया है, अब तक चार या पांच साल में कुल कितने पत्थर माइनिंग के नाम से निकल कर आए, माइन्स ज्यों की त्यों है, छोटी सी है, सौ वर्ग मीटर की है, इससे ज्यादा नहीं है और चार साल से दर्जनों क्रेशर चल रहे हैं, पत्थर निकल-निकल कर फोरेस्ट एरिया से आ रहे हैं, क्या मंत्री महोदय, इस पर प्रभावी कार्यवाही करवाएंगे।

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

क्या भारत सरकार ने अभी रिजर्व फोरेस्ट से घरेलू उपयोग के लिए पत्थर खोदे जाने की अनुमति प्रदान की है, यदि हां तो कब और कैसे?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का कोई मामला है स्पेसीफिक माननीय सदस्य बता देंगे, वैसे भी मैं फोरेस्ट के अधिकारियों को इस प्रकार का निर्देश दे रहा हूं कि जहां पर इस प्रकार की कोई शिकायत है या उन्होंने कोई लीज तो ले ली है और उस लीज को काम में नहीं लिया है और पत्थर इधर-उधर से लगाकर अपना क्रेशर चलाया है तो निश्चित रूप से उसकी जांच करे और उस पर प्रभावी कार्यवाही करें।

आपने निवेदन किया है कि रिजर्व फोरेस्ट में से पत्थर खोदकर अपने घरेलू यूज के लिए लाने का, इस प्रकार का प्रावधान भारत सरकार ने किया है, मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रकार का प्रावधान भारत सरकार ने नहीं किया है, मात्र जो फोरेस्ट इलाके में पत्थर ऊपर पड़ा हुआ है, जो लकड़ी सूखी ऊपर पड़ी हुई है उसके लिए उन्होंने जरूर अलाऊ किया है कि इस पत्थर को आप अपने घरेलू उपयोग के लिए ले सकते हैं, फिर भी अगर ...(व्यवधान) ले सकते हैं, अगर इस प्रकार का कोई पत्थर लाया गया है तो उस पर किसी ने...

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाईमाधोपुर): मंत्रीजी, क्या निर्देश हैं, एक बार पढ़ कर बता दो कि ऊपर पत्थर कैसे पड़ा हुआ है, कौनसा उखाड़ें, कौनसा नहीं उखाड़ें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): जहां तक भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की बात है, वह अभी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है पर मैं माननीय सदस्य को जरूर उपलब्ध करवा दूंगा कि किस प्रकार के निर्देश भारत सरकार ने दिए हुए हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिए।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वन्य क्षेत्र में एन.ओ.सी. देते हैं उसके मानदण्ड क्या हैं? क्या वहां का वनपाल या रेंजर अपनी इच्छा से एन.ओ.सी. दे देते हैं या वहां के जनप्रतिनिधियों से भी उसमें राय ली जाती है। चाहे जहां आजकल एन.ओ.सी. दे देते हैं और पत्थर खोदने लग जाते हैं, मेरे विधान

(श्री राकेश मेघवाल)

सभा क्षेत्र में पूरे अरावली पर्वतों को खोद लिया गया और पूरी सड़कें बना दी गई। क्या उसके खिलाफ भी कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: यह एक जनरल क्वेश्चन है परबतसर का।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इससे सम्बन्धित प्रश्न ही है। पहाड़ी क्षेत्रों में खानें होती हैं, जहां पानी की भारी कमी होती है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न दौसा से सम्बन्धित है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): इसी से सम्बन्धित बोल रहा हूं। पानी नहीं होने से पेड़ों का लगाया जाना एक तरह से असम्भव है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी, कृपया ध्यान दें, पानी नहीं होने से जंगल में जहां कि बिलकुल पानी नहीं है, सूखा स्थान है, पेड़ लगाना बहुत असम्भव है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन यह है कि जहां मिनरल निकल चुका है और खड्डे बन गए हैं तो वहां पर बरसात का पानी इकट्ठा होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बरसात आ रही है तो उन कुण्डों में जहां खड्डे हो गए हैं, बरसाती पानी इकट्ठा हो और उस पानी से वहां पेड़ उगाए जाने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, ठीक है। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न से सम्बन्धित नहीं पूछ रहे हैं। आप अपना सुझाव अलग से मंत्रीजी को दे देना। यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। माननीय सदस्य, मैं नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार रहा हूं। श्री हेमराज मीणा, नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मतलब की बात कह रहा हूं, मैं डवलपमेंट की बात कह रहा हूं, पेड़ तभी डवलप होंगे जब पानी होगा, इन कुण्डों में पानी रहने दीजिए और बरसात के पानी से पेड़ लगवाइए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री बहादुर सिंह गोदारा।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): प्रश्न संख्या 198.

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप मंत्रीजी को कह देना।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बता देना मंत्रीजी को, अपना सुझाव अलग से दे देना मंत्रीजी को।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा):×××

श्री निर्भय लाल (रूपवास):×××

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप मंत्रीजी को स्पेसीफिक बता देना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप नोटिस में ला देना कार्यवाही कर देंगे मंत्रीजी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपका जवाब आ गया। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा):×××

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप मिल लेना मंत्रीजी से, आपका जवाब आ गया, आ गया जवाब।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): दौसा जिले में जो भी अवैध क्रेशर चल रहे हैं उनके खिलाफ 15 दिन में कार्यवाही करवा देंगे।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): प्रश्न संख्या 196.

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए।

श्री निर्भय लाल (रूपवास):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए आप। आपका कुछ अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली):×××

श्री निर्भय लाल (रूपवास):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कुछ अंकित नहीं होगा। बीच में नहीं, स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली):×××

श्री निर्भय लाल (रूपवास):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना समय फालतू खराब कर रहे हैं। बैठिए आप।

श्री निर्भय लाल (रूपवास):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। दूसरा प्रश्न पुकार लिया, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बता देना कोई स्पेसिफिक हो तो।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कुछ भी अंकित नहीं होगा। ..(व्यवधान)..

श्री निर्भय लाल (रूपवास):×××

श्री उपाध्यक्ष: भाषणबाजी नहीं होगी बीच में। माननीय सदस्य .. (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जनरल बात हो गई। हो गई।

श्री निर्भय लाल (रूपवास):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गई बात।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न दौसा तहसील से सम्बन्धित था, परन्तु मैं माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए सब माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन-जिन के क्षेत्र में भी अवैध क्रेशर चल रहे हैं कृपया मुझे मिलकर या लिखकर दे दें, मैं निश्चित रूप से कार्यवाही कराऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: कोई शिकायत नहीं करेगा, एक भी, सब मिले हुए काम हो रहे हैं। कोई शिकायत नहीं करेगा। (व्यवधान) कोई शिकायत नहीं कर रहा (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री निर्भय लाल (रूपवास):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई शिकायत करेगा तो कार्यवाही होगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री उपाध्यक्ष: मेरी यह मंशा नहीं है। कोई शिकायत करेगा उसकी होगी। (व्यवधान) कोई शिकायत नहीं (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई जनरल शिकायत हो ..(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली):×××

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान) कोई शिकायत की है क्या आपने आज तक? आपने कोई शिकायत की? (व्यवधान) कोई स्पेसिफिक शिकायत की हो तो बताएं आप। माननीय सदस्य ..(व्यवधान) माननीय सदस्य ...

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: किसी भी व्यक्ति की शिकायत होगी तो उस पर कार्यवाही होगी।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री उपाध्यक्ष: आपके प्रति थोड़े ही कहा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री निर्भय लाल (रूपवास):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप व्यक्तिगत अपनी बताना।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: वो खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: सरकार की जिम्मेदारी है, कर रहे हैं। नोटिस में आएगा ..(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। कुछ भी अंकित नहीं करें।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा):×××

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़):×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं हो। आपका कोई प्रश्न होगा तो जवाब देंगे, बैठिए आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि अवैध खनन रोकना ...(व्यवधान) फोरेस्ट में अगर कहीं अवैध खनन हो रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी फोरेस्ट विभाग की है। समय-समय पर फोरेस्ट विभाग कार्यवाही भी करता है, पर फिर भी मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि फोरेस्ट विभाग तो अपनी तरफ से कार्यवाही करता ही है, अगर कहीं इस प्रकार का आपको नजर आता है कि फोरेस्ट विभाग वाले जान-बूझकर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कार्यवाही में लेप्सेज हैं तो मुझे निश्चित रूप से लिखकर बताएं, मैं निश्चित रूप से उन पर कार्यवाही कराने के लिए चेष्टा करूंगा। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण):×××

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली):×××

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: जवाब दे दिया। (व्यवधान) आपका अंकित नहीं होगा। जो जवाब ..(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण):×××

श्री उपाध्यक्ष: बता दिया।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, फिर आप पता कर लेना।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी शिकायत ...(व्यवधान) कर लेना। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा(गुढा): ×××

(तारांकित प्रश्न संख्या-195 अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्री उपाध्यक्ष: आप अलग से प्रश्न पूछ रहे हैं। सहकारिता मंत्रीजी।

सहकारी बैंकों में कृषकों की जमा हिस्सा राशि पर ब्याज

196. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

(1) क्या सरकार सहकारी समितियों में किसानों की जमा हिस्सा राशि पर ब्याज देने का विचार रखती है? यदि हो, तो कब तक कितना व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों व भूमि विकास बैंकों को मर्ज करके गांव से राज्य स्तर तक नेशनल या वाणिज्यिक बैंक की तर्ज पर चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक कैसे व नहीं, तो क्यों?

श्री एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री) : (1) जी नहीं। सहकारी समितियों में किसान सदस्यों की जमा हिस्सा राशि पर राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को लाभांश वितरित किये जाने का ही प्रावधान है।

(2) जी नहीं। ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों के पंजीकरण, नियंत्रण व कार्यप्रणाली में भिन्नता के कारण उक्त बैंकों को मर्ज कर गांव से राज्य स्तर तक नेशनल या वाणिज्यिक बैंक की तर्ज पर चलाने का विचार व्यावहारिक नहीं है।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि किसान की हिस्सा राशि निरन्तर बैंक में जमा रहती है और न तो उतनी पूंजी का ब्याज कम किया जाता है और न उनको कोई ब्याज दिया जाता है, बल्कि किसान की जमा पूंजी पर किसान वक्त के ऊपर ऋण अदा नहीं कर पाता इसलिए बार-बार उनसे पैनल ब्याज लिया जाता है, उसी रकम का पैनल ब्याज किसान से लिया जाता है। इसलिए मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि आप इस ब्याज को या तो कटौती करें या किसान को उसकी निरन्तर जमा रकम पर ब्याज दें। और उनसे यह आप पैनल ब्याज तो कम से कम न लें, जितनी उसकी हिस्सा राशि जमा है । दूसरा मेरा निवेदन है कि ग्रामीण बैंक आपकी सोसाइटियां तो बिलकुल फैल हैं, काम कर नहीं रही हैं, घपलों का सेंटर बनी हुई हैं इसलिए किसान को कोई भी बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अब आपके भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक यह भी गड़बड़ घोटालों के शिकार हो रहे हैं और किसान को पूरी बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि क्या आप इस पर पुनर्विचार करेंगे कि इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक अच्छी बैंकिंग सुविधा गांव वालों को दें। आज गांव भी यह सुविधा चाहते हैं क्योंकि गांव में बिजली पानी सड़क मिलने के बाद

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

रोजगार के अवसर खुले हैं, गांव वाले भी बैंकिंग सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं लेकिन गांव वालों को कोई भी बैंकिंग सुविधा नहीं मिल पा रही है। शहर के बैंक उनको कर्जा नहीं दे रहे हैं, कर्जा देते हैं तो एनओसी मांगने की उनसे हर बैंक से एनओसी लाकर के दो, किसान को बार-बार चक्कर काटने के बावजूद भी एनओसी नहीं मिलती इसलिए बैंकिंग सेवा का फायदा किसान नहीं उठा पा रहा है तो इसके ऊपर पुनर्विचार करके आप गांव वालों को सही बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की क्या मंशा रखते हैं ?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछे हैं, वह दो अलग-अलग सवाल हैं। जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है जिसमें इन्होंने कहा है कि क्या ब्याज पर जो उसकी हिस्सा राशि जमा है उस पर इंटरेस्ट देंगे। पहली बात तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर दूं कि जमा राशि जितनी भी हिस्सा राशि होती है वह बहुत कम होती है इसलिए नियमों के अन्दर और रूल्स में और एक्ट में इसका कोई प्राविजन नहीं है। हमारे यहां सैक्शन 48 जो काआपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसमें सैक्शन 48 डिस्पोजल आफ नेट प्रोफिट है, इसमें इंटरेस्ट पे करने का कहीं प्राविजन नहीं है। इसमें लिखा है, उसके सैक्शन 48 का क्लाज 1 इसका डी "A dividend….members on their paid up share capital at such rates as may be prescribed…." और उसके बाद यह जितनी प्रेस्क्राइब होगी उतना ही डिवीडेंड उनको देने का, लाभांश देने का उनको प्राविजन है। उसको रूल्स के अन्दर और अच्छी तरह से क्लियर कर दिया गया है और रूल नम्बर 17 इसमें इसका जो थर्ड पार्ट है इसलिए लिखा है, "The payment of dividend on shares to members by a society shall not exceed 10% per annum on the paid up value of each share; provided that Govt. or a person authorised by the Government in that behalf may, by general or special order, permit any society or class of societies to pay dividend at a rate exceeding 10%." उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यदि सोसाइटी फायदे में रहती है, पहली चीज तो डिवीडेंड इसलिए दिया जाता है, लाभांश इनके स्ट्रक्चर में ही फर्क है। दूसरे जो वाणिज्यिक बैंक हैं जो इंटरेस्ट पे करते हैं, उनमें और इन बैंक्स में इनका जो उद्देश्य है वही अलग है। उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी हमारे सीसीबीज हैं या पीएलडीबीज हैं यह बैंक्स किसानों को खेती की उपज बढ़ाने के लिए, उनको औजार उपलब्ध कराने के लिए, किसानों को लाभ के लिए बनाये गये हैं और

(डा. एन. एस. गुर्जर)

ज्यादातर जो सीसीबीज हैं उनमें तो जीएसएस जो ग्रामीण सहकारी समिति हैं उसमें और स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सा राशि उसमें जमा रहती है और जो पीएलडीबीज हैं उसमें डाइरेक्ट किसान की और स्टेट की हिस्सा राशि जमा होती है इसलिए इनका उद्देश्य अलग-अलग है। सीसीबीज शार्टटर्म लोन देती हैं, जो फसली ऋण जिसको हम बोलते हैं और उसकी इंटरेस्ट रेट केवल 7 परसेंट है। इसी तरह से जो पीएलडीबीज हैं, वह भी उनसे भी हम इंटरेस्ट रेट आधा परसेंट से एक परसेंट कम हो गया है तो यह केवल किसान के हितों के लिए है जब कि कामर्शियल बैंक अपना फायदा लाभ कमाने के लिए हैं इसलिए इन दोनों को आपको अलग-अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हम किसान को लाभ देते हैं, लाभांश देते हैं। अगर उसका पैसा है और वह इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो कामर्शियल बैंक में पैसा जमा कराएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वह इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, उसके पास पैसा एक्स्ट्रा है तो इस पर चूंकि वह सदस्य बनता है, उसकी शेयर केपिटल भी इसमें होती है और इसके लिए समय-समय पर सस्ती रेट पर उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। अब इनका यह कहना है कि आप इनको मर्ज कर दीजिए, मर्ज वह इसलिए नहीं कर सकते कि इनका रजिस्ट्रेशन अलग-अलग है। इसका उद्देश्य अलग-अलग है ओर, उपाध्यक्ष महोदय, वैद्यनाथन कमेटी ने जो पैकेज दिया है, वह भी अलग अलग पैकेज दिया है, पैकेज वन, पैकेज टू, पैकेज वन शार्टटर्म लोन के लिए दिया है जो कृषि सीसीबीज के सम्बन्ध में है, पैकेज टू पीएलडीबीज के लिए दिया गया है इसलिए पूरे देश में कहीं भी इस पर कई बार विचार हुआ कि इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए या नहीं किया जाए। (व्यवधान) एक मिनट, हां, हुआ है न? आप पूरे देश में ...(व्यवधान) आप पहले सुन लीजिए ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अब यह क्या है ? पूरा जवाब नहीं सुन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: पहले जवाब तो सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): भाषण हो रहा है, जवाब नहीं आ रहा है ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): बात यह कहने की है, आप उसको घुमा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले जवाब सुन लीजिए।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): पर यह जो कह रहे हैं कि हिस्सा राशि पर ब्याज क्यों नहीं मिलता। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष: पहले जवाब सुनिए फिर पूछना हो तो वह पूछ लें। ... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मूल हिस्सा राशि पर ब्याज नहीं मिलता उसका कारण यह नहीं होता, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि हिस्सा राशि छोटी होती है, उनकी हिस्सा राशि हजारों में होती है और वर्षों तक रहती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप सुन करके फिर प्रश्न पूछ लें। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): इसका जवाब क्या दे रहे हैं, प्रश्न क्या है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सप्लीमेंटरी पूछ लें।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): प्रश्न क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: सप्लीमेंटरी पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): हां, सुन रहे हैं बराबर उनको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, सप्लीमेंटरी पूछ लेना। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसान को ब्याज लेना है, इंटरेस्ट लेना है तो कामर्शियल बैंक में पैसा जमा कराएं।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): वह अलग बात है, यह क्या जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप सुन लीजिए, बिलकुल सही है। क्योंकि किसान को कई तरह की इसमें सुविधाएं होती हैं वह उसका मेम्बर होता है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): हिस्सा राशि के ब्याज का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, और की बात नहीं है, हिस्सा राशि पर ब्याज लेने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है

(श्री रामचन्द्र सराधना)

कि मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न भी यही था कि जो काश्तकारों की हिस्सा राशि हजारों में जमा रहती है बैंक में और वह कई वर्षों तक रहती है, निकालते नहीं हैं हिस्सा राशि को, और मंत्रीजी यह कह दें कि वह छोटी-सी राशि होती है इसलिए ब्याज नहीं मिलता। काश्तकार की दस-दस हजार रुपये की राशि जमा है कई वर्षों तक, उस पर ब्याज देने के लिए आपके कानून में प्रावधान नहीं है तो करने की कोशिश करते हैं, क्या? आपकी मंशा है क्या करने की यह बता दें आप। सारा चैप्टर पढ़ दिया हिन्दी अंग्रेजी में। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): लाभांश और ब्याज दोनों मिलेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): क्यों, अगर लाभांश है तो दो। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): दोनों देने का प्रावधान है क्या? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): पीएलडीबी में जितनी हिस्सा राशि 15 प्रतिशत अगर कोई किसान डाइरेक्ट लेता है तो 30 हजार, 45 हजार रुपये हिस्सा राशि उसका जमा होती है, उसका ब्याज देने की बजाय उसका पूरा चैक हिस्सा राशि और लोन मिला कर चैक देते हैं उस पर पूरे पर उसका हिस्सा राशि पर भी ब्याज लेते हैं, उसी की हिस्सा राशि है, उसी से ब्याज लेते हैं। मंत्री महोदय संशोधन करके उसके हिस्सा पर ब्याज नहीं लिया जाए और उसकी जमा पूंजी पर ब्याज उसका एडजस्ट किया जाए, क्या उसके लिए संशोधन करने के लिए तैयार हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): हां, मैं भी यही कह रहा हूं, यह जवाब दो।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रश्न के दो भाग हैं और माननीय जो मूल प्रश्नकर्ता हैं उन्होंने दूसरे भाग में यह पूछा था मर्ज करने का इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा था। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): पहले भाग की बात करो पहले।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं जवाब दे रहा हूं आपका। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): पहले का बोलो पहले।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं पहले का उनका जवाब दे रहा था, बीच में माननीय सदस्य खड़े हो गये, इनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि जब एक्ट में ही प्राविजन नहीं है अब आप डिवीडेंड, यह कांग्रेस ने। (व्यवधान) आप सुन लीजिए अब आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): यह कांग्रेस बीजेपी नहीं है, किसान लुट रहा है। (व्यवधान) कांग्रेस ने कह दिया, बी.जे.पी. ने कह दिया, आप यहां कानून में संशोधन करने के लिए बैठे हो संशोधन करने के लिए, आप तो हिमायती हो किसानों के। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): यदि काश्तकारों के हित में आपकी मंशा नहीं है तो मना कर दो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, with your kind permission...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): काश्तकारों का लाभ नहीं चाहते हो तो मना कर दो कि नहीं चाहते प्रावधान।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब तो सुन लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि राजस्थान के अन्दर सीसीबीज और पीएलडीबीज के अन्दर हार्डली किसी बैंक ने कभी लाभांश किसानों को दिया है इसीलिए मूल प्रश्नकर्ता का यह सवाल आया कि जो आप ब्याज का उनकी हिस्सा राशि है उस पर आप ब्याज देना चाहते हैं या नहीं। आप यह बता दें कितनी पीएलडीबीज और सीसीबीज ने कितने सालों में कितना लाभांश दिया है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): नहीं दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नगण्य है, बिलकुल नगण्य है इसीलिए यह प्रश्न पैदा हुआ है।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एक्ट है, एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि डिवीडेंड ही दिया जाएगा और किसानों को छूट है मेम्बर बनने की वह मेम्बर बनते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं वही बैंक। (व्यवधान) आप सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: बात सुन लीजिए।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): और यह 2001 एक्ट जो बना है यह जो लोग आज मांग कर रहे हैं, इन्होंने ही इस एक्ट को बनाया है उपलब्ध समय इन्होंने किसानों के हित क्यों नहीं सोचा? (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदयजी, यह और हम क्या होते हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उस समय किसानों का हित क्यों नहीं सोचा? (व्यवधान) क्यों नहीं सोचा उस समय किसानों का हित? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ..... बैक ग्राउंड नहीं है, किसान के पैसे पर किसान को ही ब्याज देना पड़ रहा है इससे ज्यादा लूट और क्या होगी? (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): हमारी वाली लाइन पर ही चल रहे हो क्या? आपके मन में किसानों के प्रति थोड़ी बहुत मंशा है, आपकी थोड़ी बहुत सद्भावना है तो हिस्सा राशि पर ब्याज देने का प्रावधान लाओ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जवाब सुनिये। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक्ट आपकी सरकार ने बनाया है और हमको एक्ट के हिसाब से ही करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): यह मत कहें कि इन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक्ट कोई रोज-रोज नहीं दिला जाता। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): एक वर्ष में 3-3 बार बदल रहे हो। चाहे पंचायती राज की बात कर लो, चाहे और दूसरे कोई प्रावधान की बात कर लो, 3-3 बार किया है आपने।

श्री उपाध्यक्ष: पहले आप सुनिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, लाभांश दिया गया है। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है पैक्स और लैम्प्स यानि पैक्स तो जी एस एस है, ग्रामीण सहकारी समिति है, उनको जो लाभांश दिया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, यह जी एस एस किसकी है?

श्री अमराराम (धोद): जी.एस.एस. किसान की है, यह संस्था है।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): किसान की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं। एक मिनट। लाभांश जो दिया गया है वह राज्य सरकार को 122.37 लाख और अन्य कृषकों को 420.64 लाख दिया गया है जो कुल 543.01 लाख दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सहकारी बैंक, सी.सी.बी... (व्यवधान) आप सुन लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह बताने से क्या होगा? आप हर साल का दीजिये इसके अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आने दीजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो वित्त मंत्री रहे हैं, डिविडेंड और म्युचअल फण्ड में अन्तर भी जानते हैं.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सब जानते हैं। आप मेरे क्वेश्चन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं चिकित्सा मंत्रीजी। आप मेरे क्वेश्चन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ डिविडेंड की बात चल रही है। आपने कहा कि इनको देते हैं, आप कम्युलेटिव कितने सालों का है, एक डिटेल फीगर यहां पढ़ने से क्या होगा, आप ईयरवाइज दीजिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ईयरवाइज दे रहा हूं, ईयरवाइज बता रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ईयरवाइज और जिला वाइज। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यह है कि आपकी अधिकांश सी सी बीज और पी एल डी बीज घाटे में चल रही हैं, रोज अखबारों के अन्दर पढ़ते हैं। उनको उबारने के लिए कभी वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट आती है, चाहे किसी की रिपोर्ट आती है, आप उसकी डिटेल दें। मेरा बड़ा सिम्पल सा सवाल है कि क्या आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं या नहीं एक्ट में? यह बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब सुनिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको ईयरवाइज आंकड़े दे रहा हूं। 2004-05 लोन वितरण, अर्जित लाभ बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आप तो एक्ट में संशोधन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं यह बता दीजिये मंत्रीजी।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): लाभांश बता रहा हूं न, आप सुन ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): लाभांश क्या वितरण किया किसानों को? (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्रीजी, आप एक्ट में संशोधन करने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनो तो सही।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, लाभांश बता रहा हूं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): लाभांश की आवश्यकता नहीं है, आप इस एक्ट में संशोधन करने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): .... आप वितरण कर रहे हैं, एक सवाल यह है कि जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के मैम्बर हैं... (व्यवधान) आपने सी सी बीज को दिया होगा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप उनकी हिस्सा राशि पर जो ब्याज ले रहे हो उसको दे रहे हो या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब सुनें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरा यह कहना है कि सोसाइटी के इंडिविजुअल मैम्बर हैं उनकी बात करो। आपके अपेक्स बैंक ने बैंक को दिया होगा, सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक को दिया होगा। यहां सवाल यह है कि इंडिविजुअल जो हजारों रुपया है व्यक्तिगत नामजद, मैं सोसाइटी का सदस्य हूं और आज से नहीं हूं 25-30 सालों से हूं पर मुझे 5 नया पैसा आपकी ग्राम सेवा सहकारी समिति ने नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मंत्रीजी, आप नियमों में संशोधन करना चाहते हो या नहीं कि किसानों को ब्याज मिलना चाहिए? आप किसान के बेटे हैं। पहले वाले मंत्रीजी ने तो को-आपरेटिव को ही डूबो दिया मगर अब आप तो कुछ करो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): .....आप इंडिविजुअल को नहीं दे रहे हो। (व्यवधान) समाज कल्याण मंत्री को 10-20 रुपये तो दे दो, मिस लीड कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मंत्रीजी, आप तैयार नहीं हो, आप तैयार नहीं हो तो समय ले लीजिये आसन से और दुबारा से आप तैयारी कीजियेगा। इंडिविजुअल को नहीं दिया। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं तैयार हूं, आप सुनिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मंत्रीजी, आप इन अधिकारियों के चक्कर में मत आइये। पूर्व मंत्रीजी ने तो डूबो दिया, आपको भी कर देंगे। वसुंधराजी ने इनको हटा दिया। आप फेस कर रहे हो।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह डूबा हुआ विभाग आपको थमा दिया। आप तो यह बतायें कि संशोधन करना चाहते हो या नहीं? एक लाइन की बात है। यह डूबा हुआ विभाग आपने पकड़ लिया। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आप पब्लिक के इंटरेस्ट में सशोधन की बात करिये न। पब्लिक के इंटरेस्ट में संशोधन की बात करिये आप तो।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कभी ब्याज और डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। यह ब्याज और डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। मैंने पहले ही कहा कि इनकी संरचनाएं अलग हैं कॉमर्शियल बैंक से। पी एल डी बी के अन्दर किसान डायरेक्ट मैम्बर बनता है, अपनी हिस्सा राशि जमा कराता है और राज्य सरकार की भी हिस्सा राशि उसमें होती है, उसका डिविडेंड दिया जाता है। सी सी बीज में व्यक्ति जी.एस.एस. का मैम्बर बनता है। जी.एस.एस. का हिस्सा सी सी बी में होता है और स्टेट गवर्नमेंट का उसमें होता है। उसका डिविडेंड इनको मिलता है। जहां तक ये कहते हैं कि कभी लाभ में ही नहीं आते और उनको कभी डिविडेंड मिलता ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक हुआ है कि कई जगह, इसमें रूल्स में जो प्रोविजन डाला गया है कि 10 प्रतिशत से ज्यादा भी डिविडेंड दिया जाएगा, यह इस बात को देखकर के डाला गया है कि कई बार कई जगह 10 प्रतिशत से ज्यादा भी डिविडेंड दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास राजस्थान के फीगर्स हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हम यह जानना चाहते हैं कि आप संशोधन करना चाहते हो या नहीं? आप डिविडेंड को जाने दीजिये, मान लिया कि आपने डिविडेंड दिया, हमने मान लिया कि आपने डिविडेंड दिया। (व्यवधान) आप नियमों में संशोधन करें। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ...... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कानून के हितैषी होते तो उस समय आपने...... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): यह काश्तकारों को हजारों रुपये का ब्याज मिले..... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ये कह रहे हैं कि इन्होंने कानून बनाया, किसानों के खिलाफ बनाया तो ये तो डूब गये, ये भी डूबने के लिए तैयार हैं क्या? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 3-3 मंत्रियों ने कोशिश कर ली पर सवाल का जवाब नहीं आया इसलिए आप स्थगित कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ...... क्या आप संशोधन करने के लिए तैयार हैं? उसी के पैसे पर उसी को ब्याज देना पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले जवाब सुनिये। (व्यवधान) आप पूरा जवाब सुनने से पहले ही खड़े हो जाते हैं, यह गलत बात है। आप पहले जवाब सुनिये। (व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मंत्रीजी ने कोशिश कर ली पर जवाब नहीं बन रहा है इसलिए आप स्थगित कर दीजिये और ये तैयार होकर के आयें। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्षजी, जवाब सही नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) ये जवाब जो मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं। काश्तकारों की हिस्सा राशि पर ब्याज देंगे या नहीं देंगे यह पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आप कानून को बदल रहे हो या नहीं बदल रहे हो? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): जवाब दे रहा हूं न। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे समझ में नहीं आता कि ये कभी क्या पूछते हैं, कभी क्या पूछते हैं। इन माननीय सदस्यों को हो क्या गया है कि सवाल पूछते हैं और उसका जवाब सुनना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में ही खड़े हो रहे हैं, जवाब चाहते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): इन्होंने एक सवाल पूछा, एक खड़ा होता है और कुछ सवाल पूछ लेता है, दूसरा खड़ा होकर दूसरा सवाल पूछता है, तीसरा खड़ा होकर तीसरा पूछ लेता है और जवाब सुनते ही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई तरीका नहीं है। मर्जी आये जब खड़े हो जाते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि लाभांश कहां-कहां दिया, आप बताइये। उन्होंने पूछा है कि लाभांश कहां-कहां दिया है, आप बताइये। उसका मैं यह बता रहा हूं पर ये सुनना ही नहीं चाहते।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की करोड़ों रुपया हिस्सा राशि जमा होती है उसका कोई ब्याज नहीं मिलता है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय मंत्रीजी, लाभांश नहीं पूछ रहे हैं। हम तो यह पूछना चाहते हैं कि किसानों की हिस्सा राशि पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा? यह बात पूछ रहे हैं। आप बताना चाह रहे हैं तो आप खड़े होकर बताइये कि प्रावधान करना चाहते हैं क्या?

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि करोड़ों रुपये जो किसानों की हिस्सा राशि होती है उस पर एक पैसा भी ब्याज नहीं देते हैं। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): सांवर लालजी, आप बता दो कि किसानों को ब्याज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): किसानों को ब्याज दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजवी साहब, आप बता दो, राठौड़ साहब, आप बोल दो कि आप नीतिगत फैसला करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो? पूरी कैबिनेट इस प्रश्न पर इधर से उधर हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह क्या मतलब है? आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। जवाब आयेगा हर चीज का। पहले इनको जवाब तो देने दीजिये। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ये सुनना ही नहीं चाहते, यह कौनसा तरीका है? यह कौनसा तरीका है सवाल पूछने का? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पूरी की पूरी केबिनेट इन-काम्पीटेंट साबित हो रही है। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): नहीं हो रही है। आप बहुत काम्पीटेंट हैं? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप निर्णय ही नहीं कर पा रहे हो। (व्यवधान) आप निर्णय ही नहीं कर पा रहे हो। हर मंत्री खड़ा हो रहा है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से पूरा मंत्रिमण्डल निरुत्तर है, पूरा मंत्रिमण्डल निरुत्तर है।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप सुनना ही नहीं चाहते हो। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप सबको सुनना पड़ेगा। सुनना चाहिए। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय मंत्री महोदय, आप तो बताइये कि किसानों को हिस्सा राशि पर ब्याज देने के लिए एक्ट में संशोधन करने का विचार रखते हैं या नहीं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हिस्सा राशि पर ब्याज कहां से आ गया यह तो बताइये। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं पूरे प्रतिपक्ष को चैलेंज देना चाहता हूं कि आप सवाल पूछिये, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, पूरा मंत्रिमण्डल निरुत्तर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जवाब सुन लें। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मैं ढंग की चीज पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, पूरा मंत्रिमण्डल निरुत्तर है। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): यदि किसान को हम ब्याज देने लग जायेंगे तो वह जो उसका मेम्बर है, जिसको डिविडेंड मिलता है, वह उसका मालिक होता है। उपाध्यक्ष महोदय, ज्यों ही हम उसको इंट्रेस्ट देने लग जायेंगे, जिसको डिविडेंड देते हैं वह मालिक होता है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार होता है और ज्योंही यदि हम डिविडेंड देना खतम कर देंगे, उसका अधिकार जो चुनाव लड़ने का है, उसका चुनाव लड़ने का अधिकार खतम हो जायेगा और

(डा. एन.एस. गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, यदि वह डिविडेंड लेता है तो वह मालिक है, सोसायटी का किसान मालिक है, बैंक का किसान मालिक है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थिति में डिविडेंड दिया जाता है और इसलिए जब यह एक्ट बनाया गया, उस समय सारे हाउस ने इस एक्ट को पास किया, मैंने पास नहीं किया, इनके समय में पास किया गया है इसलिए यह व्यवस्था रखी गई कि इन सहकारी संस्थाओं में यह जो अधिकार मिल गया कि किसान को डिविडेंड दिया जायेगा... (व्यवधान) यह व्यवस्था इसलिए की गई... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय मंत्रीजी, जिस दिन मेम्बर बना, वोट का अधिकार मिल गया। डिविडेंड और वोट का कोई कानून नहीं है इस एक्ट के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इस एक्ट में डिविडेंड और वोट का कोई कानून नहीं है। आप तो ब्याज समाप्त करो... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): वह हिस्सा राशि है, वह तो अलग है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। अब प्रश्नकाल समाप्त माननीय सदस्य। (व्यवधान) अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी। माननीय सदस्य, बात पूरी आ गई है। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त माननीय सदस्य।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त माननीय सदस्य। प्रश्नकाल समाप्त।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):×××

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):×××

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान) शोकाभिव्यक्ति।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए आगे देखें)

शोकाभिव्यक्ति

श्री हरिसिंह , सदस्य, राजस्थान विधान सभा

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री हरि सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व विधायक श्री हरि सिंह का जन्म 21 जनवरी, 1922 को जालौर जिले के नीमला ग्राम में हुआ। आपने जसवंत कालेज तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन कर बी.ए. एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री हरि सिंह पहली राजस्थान विधान सभा के लिए जालौर "बी" निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे।

सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री हरि सिंह जालौर राजपूत सभा के सचिव, सोशल अपलिफ्ट क्लब, जालौर तथा अनूप क्लब, जोधपुर के सदस्य रहे। अधिवक्ता रहे श्री हरि सिंह ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे। अध्ययन, खेलकूद और घुड़सवारी में रुचि रखने वाले श्री हरि सिंह राजपूताना के श्रेष्ठ फुटबाल खिलाड़ी रहे।

श्री हरि सिंह का दिनांक 5 मार्च, 2008 को निधन हो गया।

मैं, अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री हरि सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत की आत्मा को शान्ति के लिए प्रार्थना की गई)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री सी. डी. देवल, सदस्य की ओर से मैरिज गार्डनों में देर रात तक तेज आवाज में बजते डीजी सैट्स से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से चम्बल सिंचाई परियोजना की बायीं मुख्य नहर, वितरिकाओं एवं माइनरों की स्थिति अत्यन्त जर्जर होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। वैसे भी पुलिस एवं सिंचाई विभाग की मांग पर चर्चा के समय माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर मौजूद है। अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से जिला अलवर के आस्था के प्रतीक भृतहरि बाबा का स्थल एवं पाण्डुपोल मंदिर के रास्ते को रोकने की कार्यवाही से लोगों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

(4) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा, 2005 में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(5) श्री रणवीर सिंह गुढ़ा, सदस्य की ओर से सूरजगढ़ क्षेत्र में प्रभावशाली लोगों द्वारा दलित वर्ग की जमीनें खरीदने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(6) श्री खुशवीर सिंह एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के जन्तुआलयों/चिड़ियाघरों में वन्य प्राणियों के रखरखाव एवं उपचार के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(7) डा. बुलाकीदास कल्ला एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से गंगानगर शुगर मिल द्वारा अनुबन्ध के अनुसार गन्ने की पिराई नहीं किये जाने से किसानों को हुए भारी नुकसान के सम्बन्ध में।

(8) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के पेपर आउट होने से विद्यार्थियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य श्री खुशवीर सिंह, डा. बुलाकीदास कल्ला एवं श्री अमराराम धोद को अपने-अपने प्रस्ताव पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से पुलिस विभाग सीकर में कार्मिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से सैनिकों के शहीद स्मारक सांसद/विधायक कोष से निर्मित करवाने का प्रावधान करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री एमादुद्दीन अहमद खान, सदस्य की ओर से तहसील तिजारा के मुख्यालय पर फायर स्टेशन नहीं होने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से राज्य में पोलीथिन पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री दाताराम गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम चुन्दाड़ा में खनन पट्टे निरस्त करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र परबतसर में नवीन सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में।

(7) श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पुलिस थाना काछोला के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से नगर परिषद, अजमेर के विज्ञापन बाइलाज को संशोधित करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से सिरोही के चिकित्सालय में ट्रोमा सेन्टर खोलने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(10) श्री रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कीर की चौकी से खैरवाड़ा तक सड़क को राज्यमार्ग घोषित करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री हीरालाल निवाई, सदस्य की ओर से निवाई नगरपालिका क्षेत्र स्थित शिवाजी कालोनी चरागाह भूमि को आबादी भूमि में बदलने के सम्बन्ध में।

(12) श्री टीकमचन्द कांत, सदस्य की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अनुबन्धित अंशकालीन वार्ड बॉय, धोबी, कूक, स्वीपर आदि को नियमित करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति दी जाकर मेरा निवेदन है कि 295 के अन्तर्गत प्राप्त सारी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जायेंगी।

(नियम 295के तहत प्राप्त सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री खुशवीर सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की आपको सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मेरा निवेदन है कि यह इतना इम्पोर्टेण्ट मामला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाखों विद्यार्थियों का जीवन खतरे में है, एक तरफ परीक्षा हो रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को समय नहीं मिलता है, चारों तरफ इस तरह से मैरिज लोन बने हुए हैं सड़कों पर ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में, जयपुर में कोई भी ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): कई सड़कें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेण्ट है ...(व्यवधान) यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं तो स्थगन प्रस्ताव देता ही नहीं हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह मामला आप पुलिस की डिमाण्ड के ऊपर ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): जब हम मुख्य मंत्रीजी के पास चले गये, गृह मंत्रीजी के पास चले गये, कलक्टर के पास चले गये ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मेरी बात सुनिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर यह कब, कहां उठाया जाए, जिस मसले पर उठाया जाए? कोई बोलने की नहीं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी व्यवस्था का ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): गृह मंत्रीजी से हम मिल चुके हैं, उनको लिखित में दे चुके, कलक्टर को कह चुके, आई.जी. को कह चुके, मुख्य मंत्रीजी को कह चुके लेकिन यह जो मैरिज लोन हैं इन पर कोई ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आई.जी. और ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह राजस्थान पत्रिका के अन्दर लिखा है, आखिर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाखों विद्यार्थियों की परीक्षा चल रही है, इस परीक्षा में भी अगर यह मैरिज लोन के बंद नहीं होंगे तो फिर कब होंगे1 ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज गृह विभाग के ऊपर, गृह विभाग के बारे में चर्चा है उसमें आप यह कहने को आपको मौका मिलेगा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप इनको यह निर्देश दीजिए गृह मंत्रीजी को कि इनको रोकें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान) आज पुलिस विभाग की मांग के समय आप ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सदन का समय जाया कर रहे हैं, माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन बोल रहे हैं, कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये आप।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: बात सुनिये, जनहित का मुद्दा है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप खुद ही नहीं सुन रहे हैं। माननीय सदस्य, आप ही नहीं सुन रहे हैं आसन की। मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि पुलिस से सम्बन्धित मामला है, आप पुलिस पर ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: मौका मिलेगा आपको ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: जिस किसी को मौका मिलेगा ...(व्यवधान) आप दे देना सूची में नाम, मिल जायेगा मौका। बैठिये आप।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये। पुलिस विभाग की मांग के समय ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। श्री खुशवीर सिंहजी।

सूचना

गुर्जर समाज का आन्दोलन

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में गुर्जर समाज के हजारों आन्दोलनकारी वहां पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हजारों नेताओं को पुलिस पकड़-पकड़ कर के अन्दर डाल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से कि उनको किस कानून के तहत बंद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश को बचाया जाए।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कमेटी बनायी ...(व्यवधान) बार-बार उनको आश्वासन दिया ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। कोई अंकित नहीं होगा इनका।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रशासन के पास इस बात की जानकारी ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। प्रशासन को जानकारी है ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): XXX

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, पूरी जानकारी है ...(व्यवधान) नियमानुसार कार्यवाही हो रही है, माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है आपका। ...(व्यवधान)... कुछ अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए आप।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

माननीय सदस्य, आप सुनना नहीं चाहते हैं, गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। गृह मंत्रीजी कहना चाहते हैं कुछ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको ज्यादा चिंता होगी ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी दे रहा हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि हम एक दिन की रैली करना चाहते हैं तो हमने उनको विद्याधर नगर में स्वीकृति दी है। एक भी व्यक्ति, कोई गिरफ्तार इसके पहले नहीं हुआ, पहले दिन हमने किया था और उनके कहने के आधार पर हमने उन सबको छोड़ा है। आज वो अपनी यहां आराम से मीटिंग करें।

अगर कोई कानून को तोड़ने का काम करेंगे तो पुलिस को बाकी की जनता की सुरक्षा के लिए कदम उठाना पड़ेगा। अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं है, दस मिनट पहले मैं बात करके हाउस में आया हूं, अति सामान्य स्थिति में है, अभी तो मीटिंग भी शुरू नहीं हुई।

केवल एक विषय बनाना था इसलिए विषय बनाया। मैं सोचता हूं इसको उलझाएं नहीं, शांति, अमन चैन के लिए सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें। उनके जो वाजिब हक होंगे, अगर कोई है तो नियम के तहत होंगे, मैं सोचता हूं कि वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और शांतिपूर्वक अपना कार्यक्रम वो कर रहे हैं।

हमने उनको स्वीकृति दी है, हमने उनको स्वीकृति से मना नहीं किया है। केवल विषय को, किसी भी तरह से उसको गरमाहट करना, जहां इसका न अभी कहीं हाथ है न पैर है, न कोई चीज है, अगर चाहें तो यह स्वयं जाकर के मैदान में वहां देखकर के आ जाएं और भाषण देना हो तो आप वहां देकर आ जाएं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा(गुढा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको इस तरह से कोई ... (व्यवधान) आप बिना परमिशन के, आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। आप स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रणवीर सिंह गुढा(गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, मैं आपका नाम पुकार रहा हूं। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। गृह मंत्रीजी ने जवाब दे दिया और आप फालतू उसमें चला रहे हैं बिना मतलब की बात, इस तरह से ठीक नहीं है आपका यह।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुनिये आप। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। नहीं, आप फिर खड़े हो गये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा(गुढा):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये। माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें। आपका कुछ अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य श्री खुशवीर सिंह। बीच में टोकाटाकी नहीं। माननीय सदस्य बिना परमिशन के नहीं बोलें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जयपुर जंतुआलय में वन्य प्राणियों का रख-रखाव

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हमारे जंगल और जंगली जानवर, वन्य जीव इस सरकार की लापरवाही से पिछले वर्षों से लगभग समाप्ति के कगार पर हैं और राजस्थान सरकार ने स्वयं ने माना है कि सरिस्का में बाघ समाप्त हो चुका है, उपाध्यक्ष

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

महोदय, जिसकी वजह से इस प्रदेश को बहुत बड़ी आर्थिक हानि हुई है, यहां के टूरिज्म पर, पर्यटन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उसके बावजूद मेरे एक लिखित जवाब में बहुत ही गलत जवाब दिया गया है प्रश्न में। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार और हमारे वन मंत्रीजी को यह जानकारी देना चाहूंगा और उनसे उत्तर भी चाहूंगा कि आप जंगलों में तो हमारे जानवरों की रक्षा नहीं कर सकते, असक्षम हैं आप, आपके अधिकारी, आपके जितने भी आईएफएस अधिकारी हैं वह मात्र अपनी सुख-सुविधाओं के लिए ध्यान रखते हैं, उनके कमरों में ए.सी. कैसा काम करना चाहिए, उनकी गाड़ियां परफेक्ट होनी चाहिए, उनके मोबाइल सुविधा होनी चाहिए और जंगल के अंदर जिनके पीछे आज यह इतना बड़ा आपका महकमा काम कर रहा है उन वन्य प्राणियों के लिए कोई देखरेख नहीं हो रही है। जंगल में तो मुझे मालूम है कि जितना भी आपका विभाग है यह सक्षम नहीं है कि उनकी देखरेख कर सके और उसी की बदौलत आज बाघ समाप्त हो चुके हैं सरिस्का में और रणथम्भौर में भी, उपाध्यक्ष महोदय, बाघ समाप्ति के कगार पर हैं। उसके अलावा भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा मंत्रीजी, आप मुझे जवाब दें, कि कुछ ऐसे जंगली जानवर हैं जो समाप्ति के कगार पर हैं, जैसे बाघ तो समाप्त हो गया, पैंथर समाप्तिि के कगार पर है और फोर होर्न डियर, चौसिंगा और कैरेकल, जो सिगोश है, यह भी समाप्ति के कगार पर है। अगर यह जंगल में रक्षा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, यह विभाग सक्षम नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहूंगा कि राज्य में जितने भी चिड़ियाघर हैं, देखरेख के अभाव के अंदर आज वह भी समाप्ति के कगार पर हैं। उनको बहुत बुरी हालत के अंदर रख रखा है, मैं हाल ही में स्वयं जयपुर के चिड़िया घर में देख कर आया हूं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ई.टी.वी. को कि उन्होंने मेरा साथ दिया, उसकी पूरी वीडियोग्राफी की है और उन्होंने प्रसारण भी किया है उपाध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय, मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि वहां पर सांभर, जो बारहसिंगा है, उनको किस तरह की हालत में रख रखा है, खाने के लिए पूर्ण मात्रा में उनको चारा उपलब्ध नहीं हो रहा है और उनकी इतनी बुरी हालत है कि उनको जगह-जगह से कौवे नोच रहे हैं, चीलें नोच रही हैं उनको और उनको इस बेरहमी के साथ रख रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि मंत्रीजी, आज यह सदन के समाप्ति समय से पूर्व आप भेजकर इसकी रिपोर्ट मंगवा कर सदन के अंदर अगर प्रस्तुत करेंगे तो मैं

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

आपको धन्यवाद दूंगा मंत्री महोदय। इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के अन्य चिड़ियाघर हैं उनमें भी उनकी हालत बहुत ही दयनीय हालत है। इन्होंने पुष्कर में डियर पार्क कर रखा है, वहां पर चारे के लिए इनके पास में बजट नहीं है। मैं जब गया जयपुर के चिड़ियाघर में, उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े चार बजे रहे थे उस वक्त, और जब मैं डीएफओ के आफिस और एसीएफ के आफिस में पहुंचा तो न तो डीएफओ साहब थे और न एसीएफ साहब थे लेकिन एक बात जरूर थी कि उनके दोनों के कार्यालयों में एसी जरूर काम कर रहे थे, चालू हालत में एसी थे, लेकिन दोनों अधिकारी नदारद थे वहां से और न वहां सुपरिन्टेंडेंट साहब थे। केयर टेकर से जब मैंने बात की तो उन्होंने अपनी गाथा सुनाई। मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन केयर टेकर से जाकर बात करें, न कि उन एसी वाले अधिकारियों से जो चले तो जाते हैं कार्यालय से समय से पूर्व लेकिन उनके एसी तक बंद करने की फुर्सत नहीं है, वह क्या देखरेख करेंगे उन मूक प्राणियों की जो विलुप्त होने के कगार पर हैं और उन्होंने आपको इस बेरहमी से रख रखा है बंदी बनाकर, तो मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसी तरह पुष्कर में डियर पार्क है, वहां पर दानदाता पैसा इकट्ठा करके, लोग भीख मांग कर सड़कों पर, अजमेर की सड़कों पर और पुष्कर आने वाले जो दर्शनार्थी हैं उनसे भीख मांग-मांग कर उस डियर पार्क के लिए चारा उपलब्ध करवा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी हाथ पर हाथ देकर बैठे हैं। इसलिए मंत्री महोदय, आप आज की तारीख में जयपुर चिड़ियाघर की क्या स्थिति है, उन सांभरों के साथ, कितनी बेरहमी से उनको कौवे नोच रहे हैं, उनके लिए आप रेस्क्यू सेंटर नहीं बनवा सके, आप वहां जाली उपलब्ध नहीं करवा सके, जिस विभाग से, आप एक बार स्वयं अभी आप वहां जाकर देख कर आयें मंत्री महोदय और फिर आप इस सदन के अंदर अपना जवाब दें। मुझे मालूम है कि आपका टाइगर नहीं बचा है सरिस्का, आपका टाइगर खतम होने वाला है रणथम्भौर में, लेकिन आपने जिनको कैप्टेविटी में रखा है, उनको बंदी बनाकर रखा है, उन मूक प्राणियों के लिए भी अगर आप नहीं करेंगे देखभाल तो इससे ज्यादा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि आज मेरे इस प्रश्न का जवाब जो उन मूक प्राणियों की दुर्दशा हो रही है उनके बारे में आपको क्या जानकारी है, नहीं है तो अभी आप स्वयं वहां जाकर

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

देख कर आयें और वहां से आने के बाद में आप हमें अवगत करवायें कि क्या स्थिति है आज की। धन्यवाद।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय खुशवीर सिंहजी ने राजस्थान के चिड़ियाघरों में जंगली जानवरों के रखरखाव के बारे में यहां जिक्र किया और उन्होंने वहां पर जिस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं उसके बारे में भी सदन को जानकारी दी। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में पांच चिड़ियाघर हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। जयपुर के चिड़ियाघर की स्थापना 1876 में हुई, जोधपुर की 1936 में हुई...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, स्थापना, धन्यवाद आपको, आपने जानकारी दी। मैं तो यह चाहता हूं उनकी जो दुर्दशा है उनके सुधार के लिए और जो अधिकारी हैं जिनकी रेस्पांसिबिलिटी बनती है, वह अधिकारी क्या कर रहे हैं, आप उनके, मैं स्वयं जाकर देख कर आया हूं, चार बजे वह नदारद थे आफिस से, न तो डीएफओ वहां था, न एसीएफ था और न उनके नम्बर उपलब्ध मिले मुझे वहां पर और उनके एसी चालू थे बाकायदा। उनके एसी तो चालू रहने चाहिए लेकिन उनको जो कौवे नोच रहे हैं, उनको रेस्क्यू सेंटर में क्यों नहीं पहुंचाया, उसके बारे में आप बतायें कि आज की वर्तमान परिस्थिति में इनकी क्या स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उसके बारे में हमें जानकारी दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जंतुआलय के बारे में पूछा है आपने, चिड़ियाघर के बारे में पूछा है और चिडियाघर के बारे में ही बता रहे हैं कि व्यवस्था वगैरह वहां कैसी है, ठीक है कि नहीं है। (व्यवधान) अब बता रहे हैं वह। आप बीच में बोलने लग गए ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थापना वर्ष बताने के पीछे मकसद यही था अगर इतने लम्बे समय तक हमने इन चिड़ियाघरों का और जू की जो स्थापना की है राजस्थान के निवासियों ने, पूर्व राजाओं ने निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि अगर उनकी देखरेख में किसी प्रकार की लेट-लतीफी होती या किसी प्रकार की कोई खामी होती तो इतने लम्बे समय तक यह चिड़ियाघर और अजायबघर नहीं रह सकते थे। निश्चित रूप से इनमें किसी न किसी

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

कारण से यह बंद होने के कगार पर आ जाते हैं और बंद हो चुके होते हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि जो-जो भी राजस्थान के चिड़ियाघर हैं और जहां पर भी हमने जंगली जानवर रखे हुए हैं इनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था रखी गई है, इनकी समय-समय पर देखभाल हो इसके लिए हमने डाक्टरों का प्रबंध किया है। जहां पर भी इस प्रकार की सूचना मिलती है कि फलां जानवर में किसी प्रकार की बीमारी है उसको तुरन्त उसके ऊपर कार्यवाही करके उसके इलाज करवाने की कोशिश करते हैं और जो भी सम्भव बन सकता है वह प्रयास करते हैं।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का अभी माननीय सदस्य ने कहा कि सरिस्का में टाइगर खतम हो चुके हैं, यह बात सही है कि सरिस्का में पिछले कुछ समय से टाइगर समाप्त हो चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं और कल परसों ही दिल्ली में मीटिंग है, हम भारत सरकार से परमिशन लेने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइगर की जो संख्या है वह रणथम्भौर में बढ़ गई है और जितना उनको क्षेत्रफल चाहिए एक टाइगर को उससे ज्यादा टाइगर वहां हो चुके हैं हमारे पास वहां रणथम्भौर में भी एरिया जिस प्रकार के टाइगर हैं, जितने टाइगर हैं, उस हिसाब से कम पड़ रहा है। इसलिए हम खुद चिंतित हैं, जल्दी से जल्दी इन टाइगर्स को जितना हमको परमिशन मिले भारत सरकार अनुमति दे इन टाइगर्स को सरिस्का में शिफ्ट कर दें ताकि सरिस्का भी जो हमारे एक ट्यूरिस्ट का बहुत बड़ा पाइंट है और बहुत अच्छा वहां पर जंगल है, उस जंगल में अपने यह जो टाइगर हैं यह वहां पर ढंग से विचरण कर सकें, ढंग से रह सकें। इस प्रकार की व्यवस्था भी मैं समझता हूं निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हो जाएगी। हम सब प्रयासरत हैं, राजस्थान की जितनी भी सेंचुरिज हैं उनमें जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी जानवर हैं ...(व्यवधान) वहां पर बाउंड्रीवाल बने, जहां पर बाड़ा बंदी करने की स्थिति है, बाड़ा बंदी बने। आपने जहां तक चौसिंगे मामले का कहा, साँभर के मामले का बताया कि राजस्थान में साँभर खतम हो चुके हैं यह बात कतई सही नहीं है कि राजस्थान में साँभर खतम हो चुके हैं...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ...(व्यवधान) फोरओनडियर के लिए कहा है मंत्री महोदय सांभर के लिए नहीं कहा, फोरओनडियर के लिए कहा है और केरेकल के लिए कहा है, सांभर के लिए नहीं कहा मैंने, चौसिंगा

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

और एक सिगोस ...(व्यवधान) मंत्रीजी आप अगर जू में चलें मैं चलने के लिए तैयार हूं और उनकी दुर्दशा आपके साथ चलकर आपको दिखाना चाहता हूं। अभी आप चलें मैं आपके साथ तैयार हूं जिस तरह से उनको बेरहमी के साथ ...(व्यवधान)....

श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मामला सरिस्का का है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य पहले बैठिए बीच में टोका-टाकी नहीं, माननीय सदस्य पहले जवाब सुन लीजिए...

श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह मामला सरिस्का का है, मैं भी मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सरिस्का के अंदर...

श्री उपाध्यक्ष: उनकी बात तो पूरी सुन लें, पहले उनकी बात तो पूरी सुन लें, माननीय सदस्य आपका कोई अंकित नहीं होगा।

श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी): ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको तो निश्चित रूप से टाइगर्स की भी चिंता है और आदमी की भी चिंता है इसलिए मैंने निवेदन किया है कि हमारे पास टाइगर जिस संख्या में रणथम्भौर में बढ़ रहे हैं और उनको हम सरिस्का में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर हम उनको शिफ्ट नहीं करते हैं या किसी प्रकार से सेंचुरी से उनको शिफ्ट नहीं करते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि इतना ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले आप बैठिए, बीच में नहीं माननीय सदस्य बीच में नहीं मैं अलाऊ नहीं करुंगा, पहले आप बैठिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इसके बाद में इजाजत दे देंगे आप, मेरा यह कहना है कि...

श्री उपाध्यक्ष: पहले बैठिए माननीय सदस्य कोई अंकित नहीं होगा, कोई अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा(नैनवां): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, आप जू में चलें मैं चलने के लिए तैयार हूं आपके साथ और मैं उनकी दुर्दशा आपको दिखाऊंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि आप चलकर एक बार वहां देखो तो चलकर आप आये ही क्यों यह बताइए मुझे?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ...(व्यवधान) देखो आप वहां के पशुओं की और पक्षियों की हालत कितनी खराब हैं? मैंने कहा मंत्रीजी से ज्यादा खराब है क्या उनकी हालत?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप तो माहिर साहब रोज एक दो कम कर देते हो...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब आप देखो बाहर की बात यहां मत करो, बाहर की बात मत करो कि क्या होता है, क्या नहीं होता है? राज को राज ही रहने दो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की निश्चित रूप से इस प्रकार की व्यवस्था में कहीं कमी है तो हम सबका कर्तव्य है कि उन मूक प्राणियों की रक्षा हम सब मिलकर करें। कहीं भी जिस प्रकार इन्होंने बताया कि चार बजे के बाद वहां अधिकारी नहीं रहते, उनके खाने-पीने की पूरी व्यवस्था नहीं है...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अधिकारी तो नहीं रहते हैं लेकिन उनके एसी ऑन रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: एसी से क्या दिक्कत है आपको? यह तो सुविधा है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, फिजूल बिजली को बचाओ यह नारा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैं उनको दिखवा लूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं और बढ़कर एक बात आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तीन अधिकारियों की एक कमेटी अपोइंट कर रहा हूं कि जितने भी यह राजस्थान के जू हैं, इनका एक बार निरीक्षण कर ले, उनको देख लें और विदिन ए मंथ रिपोर्ट प्रेषित करें कि इनमें ...(व्यवधान)....

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): इनमें जन-प्रतिनिधियों को भी अगर आप साथ रखेंगे। मंत्री महोदय, यह मेरा सुझाव है कुछ विधायकों को इसमें आप रखें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उसके अनुसार कार्यवाही करवा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: डा. बुलाकीदास कल्ला।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपने आदेश दिया, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि टाइगर...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य यह बहस का विषय नहीं है, माननीय सदस्य को दो मिनट का ...(व्यवधान) टाइगर का मामला नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मारने में सांस्यां, मौंगिया को तो गिरफ्तार कर रहे हैं मंत्रीजी यह इसलिए खतम हुए हैं कि आप असली जो शिकारी हैं...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य यह चिड़ियाघरों का मामला है, इसको दो मिनट का समय दिया था मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, इस पर बहस नहीं होगी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सवाल यह है कि जब गरीब आदमी को तो आप गिरफ्तार कर रहे हैं, एक प्रश्न...

श्री उपाध्यक्ष: आपका प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है, माननीय सदस्य कोई अंकित नहीं होगा आपका। डा. बुलाकीदास कल्ला।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): xxx

गंगानगर शुगर मिल द्वारा अनुबन्ध के अनुसार गन्ने की पिराई

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर शुगर मिल्स ने किसानों से अनुबंध के आधार पर दस हजार बीघा में गन्ने की खेती करवाई वहां करीब 18 लाख क्विंटल गन्ना पैदा हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, दो लाख क्विंटल अगले साल की बीजों के लिए वह गन्ना सुरक्षित रखना पड़ता है लेकिन 16 लाख क्विंटल गन्ना अनुबंध के आधार पर गंगानगर शुगर मिल को लेना था और 1 नवम्बर, 2007 से उसकी पिराई शुरू की जानी चाहिए थी यह पिराई गंगानगर शुगर मिल द्वारा दो महीने बाद शुरू की गई और उसके बाद दस-दस दिन का दो बार ब्रेक डाउन हुआ जिसके कारण किसानों को केवल मात्र 5 लाख क्विंटल गन्ना पिराई के लिए काम आ सका और 31 मार्च, 2008 को पिराई बंद करने का आदेश जारी हो चुका है। ऐसी परिस्थितियों में लगभग 11 लाख क्विंटल गन्ना जो है वह पिराई के बिना रह जाएगा। आप जानते हैं, आप स्वयं किसान परिवार से आते हैं उपाध्यक्ष

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

महोदय, किसान बड़ी मुश्किल से इनपुट्स लगाकर खेती करता है, खेती बड़ी महंगी है गन्ने की, उसको कीटाणुओं से बचाने के लिए इनसेक्टिसाइट्स, पेस्टीसाइट्स का उपयोग करना पड़ता है, हज़ारों रुपये खेती करने में लगते हैं, इसके बाद उसका गन्ना अनुबंध के आधार पर खेती करवाने के बाद भी पिराई के काम नहीं आये, उसको खरीदा नहीं जाए तो किसान की हालत क्या होगी? आज गंगानगर शुगर मिल के बाहर ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, हज़ारों ट्रैक्टर खड़े हुए है और गन्ना ट्रोली में पड़ा-पड़ा सूख रहा है लेकिन उसकी पिराई समय पर नहीं होने के कारण से किसान को मजबूर होकर उसकी छाती पर पत्थर रखकर उस खेत में खड़े गन्ने को जलाना पड़ेगा ताकि आगे से उसकी फसल के लिए जमीन काम में आ सके। ऐसी परिस्थिति में मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह तत्काल किसानों का जो अनुबंध के आधार पर जो गन्ना था उसको खरीदे, उसकी पिराई करवाएं और यदि किसी कारण पिराई कोई तकनीकी कारण से नहीं कराई जा सके तो उनको पर बीघा उचित मुआवजा दिया जाए नहीं तो किसान एक तरफ आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं और दूसरा गंगानगर में यह धारणा बन गई है कि गंगानगर शुगर मिल की मशीनें इतनी पुरानी हो गई हैं उनको जब तक बदला नहीं जाएगा, उसका आधुनिकीकरण नहीं किया जाएगा, मार्डनाइजेशन नहीं किया जाएगा तब तक यह मिल किसानों के लिए जो पहले वरदान थी वो अभिशाप की तरह साबित हो रही है। यहां पर कृषि मंत्रीजी हैं नहीं, जो भी सीनियर मिनिस्टर बताना चाहें बतायें कि यह जो 11 लाख क्विंटल गन्ना पड़ा हुआ है उसका आप क्या करने जा रहे हैं, उसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? और यदि नहीं खरीदेंगे तो क्या उनको उचित मुआवजा देंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है वो वास्तविक चिंता है। मैं आपको सही स्थिति का विश्लेषण बता दूं इस वर्ष 9699 बीघा का किसानों से अनुबंध हुआ था और 10781.50 बीघा में गन्ने की बुआई हुई थी। कुल अनुमानित जो गन्ने का उत्पादन है वो 13.89 लाख क्विंटल गन्ना इस साल उत्पन्न होगा इसलिए 9.3.08 तक पाँच लाख क्विंटल जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि अब तक पिराई हो चुकी है और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिनांक 31.3.2008 तक 7 लाख क्विंटल की पिराई हो जाएगी। शेष 6.89 लाख क्विंटल के लिए राज्य सरकार निम्न प्रकार, गंगानगर शुगर मिल इस प्रकार से कार्यवाही कर रही है। एक लाख क्विंटल किसानों से बात होकर गुड़ के उपयोग के लिए होगा जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी हो चुकी है और दो लाख क्विंटल है वो आगामी साल बीज के लिए इस गन्ने को रखा जाएगा। एक माह पिराई सत्र बढ़ाने का निर्णय ले लिया है सरकार ने इस प्रकार से तीन लाख क्विंटल की पिराई उसमें और हो सकेगी और डेढ़ लाख क्विंटल गन्ना वहां से फाजिल्का के लिए जा चुका है जिसकी सरकार के पास जानकारी है इस प्रकार से किसानों का जितना गन्ना है 13.89 लाख उस गन्ने का ठीक प्रकार से होगा और फिर भी अगर गन्ना बचेगा तो राज्य सरकार इन किसानों को किसी भी प्रकार से, अनुबंध जिन किसानों से है उनको नुकसान नहीं होने देगी। यह हमने तय किया है।

दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो भी आपने सही बताया उपाध्यक्ष महोदय, ये जो मिल है ये मिल बहुत पुरानी हो गयी है और इसका कभी भी रिकार्ड नहीं रहा है कि नौ लाख क्विंटल से ज्यादा इसने पिराई नहीं की हो इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है कि एक नयी शुगर मिल लगायी जाए। पिछली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसकी घोषणा कर दी थी और उसके आधार पर हमने फूसियावाला में 36 हैक्टेयर जमीन एक्वायर भी कर ली उसकी कार्यवाही भी कर ली और भारत सरकार के सहयोग से शुगर टेक्नॉलॉजी मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हमने तैयार कर ली है और इसके लिए पैसे की स्वीकृति भी हो गयी है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा भी कर दी थी। भूमि हमारे पास आ गयी है और हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी नयी मशीनों से युक्त एक गंगानगर शुगर मिल लग जाए वो भी इससे तीस किलोमीटर दूर है तो वहां पर लगने के बाद उसकी पिराई की क्षमता ज्यादा बढ़ जाएगी और आप जो बता रहे हैं कि ये अभिशाप हो जाएगी, राज्य सरकार यह कोशिश करेगी कि यह अभिशाप न होकर किसानों के लिए वरदान हो, आपने जो चिंता व्यक्त की है उस चिंता के आधार पर राज्य सरकार स्वयं भी इस काम को पूर्ण करने की स्थिति में है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमराराम धोद।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे और मंत्रीजी के जवाब में करीब-करीब चार लाख और ग्यारह हजार क्विंटल का फर्क है आप बता रहे हो...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): 13.89

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 13.89 क्विंटल और मेरे पास किसानों की जो जानकारी दी है उसके अनुसार 18 लाख क्विंटल वहां पर गन्ना पैदा हुआ है तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो भी आंकड़ों का फर्क है उसको आप दिखवा लें लेकिन यह आश्वस्त करें कि जितना भी गन्ना अनुबंध के आधार पर पैदा हुआ है उस गन्ने की खरीद आप कर लेंगे और गंगानगर शुगर मिल एक किलो गन्ना भी बिना लिये हुए नहीं रहेगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मेरे क्षेत्र का मामला है इसलिए मैं इसमें रखना चाहता हूं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आंकड़े बताये हैं वो बिलकुल सही बताये हैं आपको कि गन्ने का उत्पादन इतना ही है और अभी मंत्री महोदय ने जो अपने जवाब में सफाई दी है कि इतने क्विंटल फाजिल्का जा चुका है, जाने की सम्भावना है तो फाजिल्का जाने के लिए आपकी क्या उसमें पंचायती है राज्य सरकार की? वो तो खुद ही अपने आप जब यहां मिल नहीं खरीद रही है तो बेचारे किसान दूर जाकर और वहां सस्ते दामों में बेच रहे हैं अपना गन्ना तो उसमें आपकी तो कोई पंचायती नहीं है और न ही आगे भविष्य में वहां जाएंगे उसमें भी आपकी कोई पंचायती है न आप किसानों को सुविधा दे रहे हो। आप तो यह बताओ कि यह आप उस गन्ने का क्या करने जा रहे हैं और आपने यहां तक कि गन्ने की जो शुगर मिल है उसको बंद करने का तो निर्णय ले लिया लेकिन उसकी डिस्टिलरी का क्या करने जा रहे हो? क्योंकि हमने जहां तक सुना है उसकी डिस्टिलरी है वो यह तो सुना हुआ है खुद को मालूम है डिस्टिलरी बहुत फायदे में जा रही है और शुगर मिल जरूर घाटे में जा रही है, रिकवरी कम आ रही है और अन्य कारणों से लीकेज ज्यादा हो रहा है लेकिन डिस्टिलरी जो कि बहुत ही ज्यादा मुनाफे में जा रही है वो सुना है कि प्राइवेट सेक्टर में किसी को दी जा रही है और शुगर मिल को आप जरूर स्थानांतरित कर रहे हो कि वहां चली जाएगी वो जाकर अपने कमिनपुरा के पास जा रही है तो वहां के जो माननीय सदस्य हैं और यहां सदन के, सदन के तो क्या कहूं भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्य सचेतक हैं इनके करकमलों से वो सारा हुआ जा रहा है और उस जमीन को भी ये ठिकाने जल्दी ही लगा देंगे, उस सरकारी जमीन को तो इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछ रहा हूं कि आप इसके बारे में जरूर बतायें कि पंजाब में जो गन्ना जाएगा वो तो कोई आपकी अनुकम्पा से नहीं जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी आपकी बात।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अभी घोषणा की है नयी शुगर मिल लगाने की ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब यह वाद-विवाद का विषय नहीं है। माननीय सदस्य, इस पर वाद-विवाद थोड़े ही होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, नहीं, वाद-विवाद नहीं, मैं तो जानकारी कर रहा हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चुनाव के समय केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल को वापस चलाने का वादा किया था ...

श्री उपाध्यक्ष:...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: यह गंगानगर से सम्बन्धित है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) यह जनरल मामला नहीं है मेवाड़ शुगर मिल का इसमें मामला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत माननीय सदस्यों की चिन्ता से अवगत हूं। दो बातें प्रमुख आयी हैं एक तो सर्वे 18 लाख क्विंटल आया यह 13.89 लाख क्विंटल है जो सर्वे जीएसएम के आधार पर लगातार करते हैं उसके आधार 13.89 लाख क्विंटल का ही उत्पादन है इससे ज्यादा भी उत्पादन होगा तो राज्य सरकार उसकी व्यवस्था करेगी इसलिए उससे चिन्ता करने की बात नहीं है।

दूसरी बात माननीय गंगानगर से आने वाले सदस्य ने कहा कि फाजिल्का जा रहा है उसमें आपका क्या लेना-देना है, थोड़ा बहुत हमारा लेना-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

देना है। पंजाब की सरकार से बात की उसका एक पत्र है उसके आधार पर हमने डेढ़ लाख क्विंटल वहां पर भेजा है और जो डिस्टिलरी ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): कोई भी मिल है पंजाब सरकार से बात करके हमने उसको भिजवाया है और किसानों को लाभ दिया है चाहे वो प्राइवेट मिल से मिले, चाहे सरकारी मिल से मिले।

श्री उपाध्यक्ष: पंजाब सरकार से बात करके परमीशन ली है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): वो कोपरेटिव सेक्टर में है लेकिन किसी भी प्रकार की मिल हो हमारे किसानों का गन्ना उसके मूल्य पर जाकर उसको लाभ मिल जाए यह राज्य सरकार की मंशा है और डिस्टिलरी की स्थापना के बारे में कहा है तो आपको सारा पता है मैं इस पर बहस में भाग नहीं ले रहा हूं कि कितना प्रोफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, इतना ही मैं कह सकता हूं कि राज्य सरकार ने इसका सारा का किया है और किसी भी प्रकार से किसानों का गन्ना है उसको खराब नहीं होने दिया जाएगा और हरिमोहनजी आप जो ये सपना संजो रहे हो न ... (व्यवधान) एक मिनट सुन लें आप। वो गन्ना जला दिया था और हम वापस आ गये थे अब यह सपना ही रहेगा। वो शरद पंवारजी तो कहते हैं कि मैंने किया और कम्युनिस्ट कहते हैं कि मैंने किया है किसानों के लिए आपने कुछ किया नहीं। इतनी आत्महत्याएं करने के बाद जो ढिंढोरा पीट रहे हो न जनता आने वाले समय में इसका माकूल जवाब देगी यह नारों से काम नहीं चलेगा मैं आपको यह बता दूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ अंकित नहीं होगा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: आ गई आपकी बात । कुछ अंकित नहीं होगा ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य यह गंगानगर से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य आपका अंकित नहीं हो रहा है । आपके जिले से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप उसकी चिंता मत कीजिए उसका जवाब दे दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): न तो कोई बेच रहा है, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी उस घोषणा के हिसाब से नई शुगर मिल लोग रहे हैं। इसकी पिराई क्षमता सिर्फ 9 लाख टन है इसलिए किसानों को लाभ देने के लिये वह काम हम कर रहे हैं ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य कोई आरोप नहीं है । माननीय सदस्य गवर्नमेंट ने जवाब दे दिया आप उनके आरोप की चिंता मत कीजिए ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपका कोई अंकित नहीं होगा । कोई आरोप नहीं है जैसा उन्होंने कहा सारा जवाब आ गया । श्री अमराराम धोद ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के पेपर आउट होने से विद्यार्थियों को परेशानी

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अभी 8वीं बोर्ड के राजस्थान में एग्जाम शुरू हुए हैं और शुरुआत ही इस तरह से हुई है कला विज्ञान, सीकर, अजमेर, जोधपुर, 8वीं बोर्ड में जहां सबसे ज्यादा विद्यार्थी बैठते हैं और उसी के प्रश्न पत्र लीक हो और प्रश्न पत्र लीक होने में सबसे महत्वपूर्ण रोल उन लोगों का है और विभाग पूर्ण रूप से उन लोगों के अधीन हो गया है। सबसे ज्यादा संख्या 8वीं बोर्ड के छात्रों की है और हालत यह है कि बाजार में 30-30 रुपये में प्रश्न पत्र बिक रहे हैं । मैं समझता हूं यह विभाग की पूर्ण

(श्री अमराराम)

असफलता है । सालभर जो विद्यार्थी मेहनत करता है उसकी मेहनत का कोई महत्व नहीं रह जाता । इस तरह से प्रश्न पत्र लीक होकर 30-30 रुपये में मिले और जो तैयारी करता है उसका क्या हाल होगा । निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर गिर रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा शिक्षा विभाग की यह हालत हो गई, प्रश्न पत्र लीक न हो इसलिए हमारे विभाग के अधिकारियों पर, हमारी स्कूलों पर विश्वास नहीं रहा और प्रश्न पत्र थानों में जमा कराने की स्थिति पैदा हो गई। मतलब थाने तो सक्षम है और विभाग असक्षम है । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा राजस्थान में जो प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा हो, विभाग उनके अधीन नहीं हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि जिस तरह से मैन्युप्लेशन किया जाता है, एग्जाम शुरू होने से 15 मिनट पहले प्रश्न पत्र विद्यालय में खोलते हैं लेकिन व्यवस्था यह कर रखी है जो निजी विद्यालय है, जो शिक्षा माफिया डवलप हुए हैं वह अपनी घड़ी को बाकी घड़ियों से 15 मिनट आगे करके आधे घंटे पहले प्रश्न पत्र खोलते हैं, उसको सोल्व करते हैं और आज जिस तरह से मोबाइल की व्यवस्था है अपने विद्यालय के तमाम विद्यार्थियों को वह पूरा का पूरा प्रश्न पत्र पहले बता देते हैं । अपनी तरफ से सोल्व करने का, अपनी तरफ से इन्वीजिलेटर लगाने का यह सिस्टम शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से असफल हुआ है, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से की जाये । अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम होगी, विश्व विद्यालय की एग्जाम होगी इस तरह से प्रश्न पत्रों को लीक होने से रोकने के लिये विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है या इसी तरह से विभाग में प्रश्न पत्र आउट होते रहेंगे और सालभर मेहनत करने वालों के बजाय जो शिक्षा माफिया है वह विभाग को कंट्रोल करेंगे अपने विद्यालयों का नाम चमका कर अभिभावकों को लूटने के लिये जो सक्षम हो रहे हैं क्या इस पर रोक लगाने के लिये तैयार हैं। मंत्रीजी का विभाग पर कंट्रोल नहीं होकर जिस तरह से माफिया डवलप हुआ है, तिवाड़ी कमेटी उच्च न्यायालय ने बनाई आपने उत्तर दिया हम इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे । राजस्थान का उच्च न्यायालय चिंतित हो सकता है, राजस्थान के अभिभावक चिंतित हो सकते हैं लेकिन हमारी सरकार चिंतित नहीं है । जिस तरह से अभिभावकों को, शिक्षकों को लूटने का

(श्री अमराराम)

काम कर रहे हैं और एक व्यवसाय और माफिया पैदा हो रहा है निश्चित रूप से उन पर रोक लगाई जानी चाहिये । निश्चित रूप से प्रश्न पत्र लीक नहीं हो और इस बोर्ड में जो लीक हुए हैं उन पर आपने क्या कार्यवाही की है । आगे आने वाले बोर्ड और विश्वविद्यालय के एग्जाम के प्रश्न पत्र लीक नहीं हो और इन माफिया को कंट्रोल करने के लिये आपकी क्या व्यवस्था है ।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है वह बिलकुल स्वाभाविक है । पेपर आउट होते हैं तो चिंता निश्चित रूप से होनी चाहिये । जहां लाखों विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं वहां एक-दो जगह गड़बड़ हो सकती है । सारी व्यवस्था फुलप्रुफ होने के बाद भी दो-चार जगह व्यवस्था में कहीं न कहीं लीकेज होती और उसके कारण यह गड़बड़ होती है । अभी मसूदा-अजमेर, भोपालगढ-जोधपुर और सीकर तीन जगह पेपर आउट होने की घटनाएं हुई हैं । विभाग ने हाथोंहाथ जो डाइट के प्रिंसिपल थे उनको एपीओ कर दिया है और सम्बन्धित व्यक्ति प्रथम दृष्टया जो आरोपी मिले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है और उनको निलम्बित कर दिया है और तीनों जगह पर बच्चों को परेशानी न हो हाथोंहाथ नये पेपर छपवा कर निर्धारित समय पर परीक्षाएं होंगी और 3 तारीख से 13 तारीख तक के शिड्युल्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह सारे पेपर होंगे ।

जहां तक अजमेर का सवाल है वहां एडीएम को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है उसकी आज कल में रिपोर्ट आ जायेगी । जांच में जो जो भी अधिकारी दोषी पाये जायेंगे चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी हो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होगी । इसी प्रकार से जोधपुर में डिप्टी डाइरेक्टर को जांच अधिकारी नियुक्त किया है और सीकर में भी डिप्टी डाइरेक्टर को जांच अधिकारी नियुक्त किया है । फिर भी क्योंकि जब इतना बड़ा काम होता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश सदैव रहती है। मैं माननीय सदस्य को आमंत्रित करूंगा कि आपके दिमाग में यदि कोई सुझाव हो जिससे कि इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हो आप मुझे बतायें तो निश्चित रूप से उन पर भी अमल किया जायेगा, धन्यवाद ।

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सुझाव की जरूरत नहीं है सीकर में चार साल से जिला शिक्षा अधिकारी नहीं है। उन माफियाओं का इतना है कि वह अपने विद्यालय के छात्र, जहां उनका परीक्षा केन्द्र होता है वहां

(श्री अमराराम)

कौन इन्वीजिलेटर होगा, कौन परीक्षा कंट्रोलर होगा यह सब उनके इशारे पर हो रहा है । चार साल में शिक्षा अधिकारी नहीं लगना इस बात का द्योतक है और यह माफिया उसको व्यवसाय से जोड़ कर जिस तरह से विभाग को भ्रष्ट कर रहे हैं अगर आपने इस पर नियंत्रण नहीं किया तो मेरे सुझाव या आपके सुझाव काम नहीं करने हैं। जो इन्वीजिलेटर लगते हैं शिक्षा अधिकारी उनके अधीन रहते हैं मैं नहीं समझता कि इससे हो जायेगा । आइंदा से इसको फुलप्रूफ बनावें और हमारा तो सुझाव यह है कि ....

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): इसमें विभाग पूरा सजग है, परीक्षाएं समय पर हो, पेपर आउट नहीं हो फिर भी कहीं न कहीं कोई गड़बड़ होती है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। आप भी सुझाव दीजिए बाकी माननीय सदस्य भी सुझाव दें, उन सुझावों पर अमल करके कम से कम लीकेज हो इस बात का ध्यान रखेंगे ।

श्री अमराराम (धोद): बोर्ड के तो नहीं, आगे अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तो नहीं हो, इसके लिए तो आप सचेत हैं और इन्वीजिलेटर... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बिलकुल फुलप्रूफ व्यवस्था बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं फिर भी कहीं पर कोई न कोई हो जाए तो उसके लिए हम कार्य कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत लम्बा चौड़ा काम है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आ गया सवाल तो।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): उपाध्यक्ष महोदय, सूरजगढ़ में स्कूलों पर छापे पड़े हैं, एक करोड़ से ज्यादा अघोषित सम्पत्ति और अनियमितताएं पाई गई।

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई (व्यवधान) आप लिखित में दे देना। लिखित में देना।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): आपके माध्यम से, परीक्षा केन्द्र.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह सब ध्यान में है, आप लिखित में दे देना।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ध्यान में तो है, सरकार क्या स्टेप ले रही है, क्या कार्यवाही कर रही है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री कन्हैयालाल पाटीदार, राज्य में जनता जल योजना पर कार्यरत श्रमिक को पारिश्रमिक 500 रुपये से 1500 रुपये प्रतिमाह किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री नरेन्द्र नागर विधान सभा क्षेत्र खानपुर, झालावाड़ में कृषि व पीने के पानी की व्यवस्था हेतु बाँध बनाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

श्री रामनारायण मीणा तहसील नैनवा, बूंदी क्षेत्र में पाले से हुये नुकसान का आंकलन पटवारियों द्वारा घर बैठे मर्जी से कम लिख देने से किसानों में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद भरतपुर सम्भाग की उपेक्षा व अनदेखी करने के सम्बन्ध में। श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुददे

राज्य में जनता जल योजना के श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ाने विषयक

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के कितने ही गांवों में जनता जल योजनाएं संचालित हैं और इन जनता जल योजनाओं को चलाने वाले श्रमिक को पारिश्रमिक के तौर पर मात्र 500 रुपये प्रति महीना दिया जाता है और जनता जल योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के लिए पेयजल की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। एक जनता जल योजना के निर्माण में लगभग 5-6 लाख रुपये का खर्चा होता है। वर्तमान में सबसे कम मजदूरी यदि किसी श्रम की मिल रही है तो जनता जल योजना के कर्मियों को मिल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जब सरकार ने 5-5, 6-6 लाख रुपये की एक-एक जनता जल योजना गांव में बनाई और जिसके माध्यम से ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध होता है उस श्रमिक को मात्र 500 रुपये प्रति महीना देना उचित नहीं है।

(समय : 13.02 बजे)

(श्री शांतिलाल चपलोत, सभापति, पदासीन)

साथ ही जो श्रमिक 500 रुपये प्रति महीना प्राप्त करता है वह श्रमिक इस योजना को चलाने के प्रति भी पूरी तरह से गम्भीर नहीं है। आज हमारे

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चल रही है जिसमें श्रमिक को 73 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और आज बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हो गया है और ऐसे वातावरण में जनता जल योजना के श्रमिक को मात्र 500 रुपये महीना यानि साढे सौलह रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उस श्रमिक को मिलता है तो निश्चित रूप से हम यह समझ सकते हैं कि वह श्रमिक इस योजना को चलाने में कतई गम्भीर नहीं होगा और यदि कोई श्रमिक इस योजना को चलाने के लिए तैयार भी हो जाए तो नियमित रूप से नहीं चला पायेगा। इस योजना को चलाने के लिए उस श्रमिक को दिन भर उसी योजना को चलाने के लिए निर्भर रहना पड़ेगा क्योंकि बिजली रोटेशन से आती है और यह योजना बिजली के बिना संचालित नहीं हो सकती। बिजली से मीटर चलाएगा टयूबवैल में और टंकी में पानी जाएगा, तो उस श्रमिक को बिजली आने के लिए दिन भर इंतजार करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी जनता जल योजना को चलाने के लिए उस गांव का रोटेशन दिन में है, 12 बजे बिजली आती है तो दूसरे श्रम पर भी वह नहीं जा सकता। दूसरी मजदूरी भी उसकी मारी जाएगी। इसलिए जनता जल योजना को चलाने के लिए उसे दिन भर बैठे रहना पड़ेगा और ऐसी अवस्था में 16 रुपये रोज में कोई भी श्रमिक इस योजना को चलाने के लिए तैयार नहीं है।

अधिकांश योजनाएं इसी वजह से फेल चल रही हैं, सारी सफर कर रही हैं और माननीय सभापति महोदय, ज्यादा लागत की योजनाओं का लाभ जनता को, ग्रामवासियों को मिलना चाहिए पेयजल के रूप में वह नहीं मिल रहा है। सरकार ने इतना पैसा इन योजनाओं के ऊपर खर्च किया है उसका समुचित पूरा लाभ ग्रामवासियों को नहीं मिल पा रहा है। माननीय सभापति महोदय जिन बड़े गांवों में जनता जल योजना संचालित है उस गांव की पेयजल की आपूर्ति उसी जनता जल योजना के माध्यम से होती है वहां हैण्डपम्प भी कम लगाये जाते हैं क्योंकि यह कहा जाता है कि आपके गांव में जनता जल योजना संचालित है इसलिए आपके गांव में हैण्डपम्प अब नहीं दिये जाएंगे। ऐसी अवस्था में उन ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और जो श्रमिक वहां काम कर रहे हैं उन श्रमिकों को भी उनकी पूरी मेहनत है उसके अनुरूप उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि एक तो मोटर चलाता है फिर टंकी भरने के बाद मोटर बंद करने जाता है, कभी लाइन टूट जाती है, लाइन को जोड़ने का काम भी उसी के ऊपर निर्भर करता है, ऐसी

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

अवस्था में माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से और जल संसाधन मंत्री महोदय से (व्यवधान) अनुरोध है कि इन श्रमिक का पारिश्रमिक लगभग 1500 रुपये प्रति महीना किया जाए तो यह योजना संचालित हो। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय हमारा निवेदन है कि हमारी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं भी जनता जल योजना पर निर्भर हैं अभी बेरोजगारी भत्ता भी 400 रुपये मिल रहा है (व्यवधान) यह हालत पूरे राजस्थान प्रदेश की है, हमारी 90 प्रतिशत योजनाएं जनता जल योजना पर चल रही हैं....

श्री सभापति: पीने के पानी की डिमांड हो उस दिन बात कर लेना। नरेन्द्र नागरजी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, इनका मानदेय 500 से बढ़ाकर 1500 (व्यवधान) राशि बढाई जानी चाहिए।

श्री सभापति: बैठिये आप।

खानपुर विधान सभा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): मेरे विधान सभा क्षेत्र और पास ही अटरू विधान सभा क्षेत्र और नई परिसीमन के आधार पर सांगोद बारां विधान सभा क्षेत्र में लगभग 95 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं और उनकी आजीविका का साधन मात्र खेती है और जिस प्रकार दिनोदिन भूजल स्तर गिरता जा रहा है पानी का दोहन होता जा रहा है किसानों पर एक चिंता की लकीर है। हर साल लगभग 50 फीट पानी गहराई में जाता जा रहा है और बहुत सी जगह पर इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है कि वहां पर टयूबवैल लगाने के बाद भी कोई भरोसा नहीं कि टयूबवैल, पानी वहां पर आयेगा। साथ ही बहुत कम जगह पर जहां टयूबवैल से सिंचाई है, टयूबवैल से सिंचाई किसानों को बहुत मंहगी पड़ती है, क्योंकि वहां पर कनेक्शन नहीं होने के बावजूद किसानों को डीजल से उसको चलाना पड़ता है, जनरेटर से उसको चलाना पड़ता है और लगभग 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से डीजल की खपत होती है। किसान को लगभग 200 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से खर्चा भुगतना पड़ता है और सारा खर्च करने के बावजूद किसान जब साल भर बाद खेती का हिसाब लगता है तो उसमें किसान को बचत नहीं होती है और उसमें मार्जन नहीं निकलता है। किसान की अपनी माली हालत ठीक नहीं हो पा रही ।

श्री सभापति: मूल बिन्दु पर आइये ना कि आप क्या चाहते हैं, यह नहीं हो रही, आपने तो इसमें लिखा है कृषि व पीने के पानी की व्यवस्था हेतु बाँध बनाने की व्यवस्था हेतु।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं सारी बात बाँध बनाने के लिए ही आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। इस प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिस प्रकार से पानी का दोहन हो रहा है इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है तो मैं अंत में जाकर यही कहूंगा वहां बांध बनाया जाए पर उसके पहले मेरे को भूमिका तो बांधनी पड़ेगी कि किस लिए मैं बांध बनावाना चाह रहा हूं। आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान तो आकर्षित करूंगा। साथ ही पीने के पानी की भी स्थिति यह हो रही है कि हमारे ज्यादातर गांवों में हैण्डपम्पों से पीने का पानी मुहैय्या कराया जाता है। माननीय सभापति महोदय, हैण्डपम्प का स्तर अब लगभग 250 फीट पर पहुंच चुका है वहां पर आप सब समझते हैं कि 250 फीट पर पानी पहुंचने के बाद वहां की जनता हैण्डपम्प से पानी निकाल सकती है। इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई कि हमने कभी सपने में यह नहीं सोचा था कि हमारे यहां टैंकरों से पानी पहुंचेगा, पर अब मेरे को लग रहा है कि टैंकरों से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे बहुत सारे हमारे यहां हैण्डपम्प भी लगे हैं, सिंगल फेज सबमर्सिबल लगी है उससे पानी का अभाव कम है। बहुत से गांवों में ऐसी विकट स्थिति पैदा हो गई है कि वहां टैंकर से पानी पहुंचाया जाएगा। माननीय सभापति महोदय मुख्य मंत्रीजी द्वारा सभी किसानों की मांग के आधार पर 2006-07 में वृहत सिंचाई योजना परवण में मांग के आधार पर बजट में 650 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था और राज्य सरकार ने दो करोड़ रूपये सर्वे के लिए दिया और सर्वे का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और सब लोग इस आस में बैठे हैं कि यह योजना केन्द्र सरकार के पास है। केन्द्र सरकार द्वारा कब इस योजना को मंजूरी दी जाएगी और कब इस बांध का शिलान्यास होगा ताकि लगभग 500 गांव इसी की आस लगाकर बैठे हैं कि इसका तुरन्त शिलान्यास हो और भविष्य में विकास हो, अगर यह कर सके और नहीं तो...

श्री सभापति: विराजिये, बहुत अच्छा कहा आपने।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि मंत्रीजी आप जानकारी दें कि यह योजना कहां

(श्री नरेन्द्र नागर)

लम्बित है और हम कब तक यह मानें कि इसका शिलान्यास हो जाएगा। ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा वहां की जनता को मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री रामनारायणजी मीणा।

नैनवां (बूंदी) क्षेत्र में पाले से हुए नुकसान विषयक

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय सभापति महोदय, मैं पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा 126 करोड़ का किसानों को पैकेज देने की पालामारी की बात की गई है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि बूंदी जिले में भी रिपोर्ट थी कि पालामारी हुई है, फसलें खराब हुई हैं। लेकिन यह कहते हुए मुझे बहुत खेद है, दुःख है कि और सरकार का जो कारनामा है पटवारियों के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने किया है कि कहीं भी 50 प्रतिशत से अधिक खराबा नहीं दिखाया गया है।

सभापति महोदय, राजस्थान में यह हालात हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, आप कालानला ले लीजिये, मानपुरा लीजिये, भजनेरी लीजिये, पूरी तहसील के कम से कम 50 गांवों में 70-80 प्रतिशत खराबा हुआ है। लेकिन पटवारी ने, चूंकि फसल तो हरी दिख रही है, सभापति महोदय, उस हरी फसल की पट्टी को भी आप दबाओगे तो एक दाना सरसों का नहीं रहा। यही हालत गेहूं, चने की है। सरसों बिलकुल खत्म हो चुकी है लेकिन खराबा नहीं हुआ तो सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से अर्ज करना है सरकार से कि पटवारी चूंकि एक्सपर्ट नहीं होते हैं, यहां बात हुई थी कि किसानों के 5 व्यक्तियों को लेकर के पटवारी खसरा गिरदावरी दुबारा करें। ऐसी स्थिति में 5 आदमियों को लेकर के कहीं भी दुबारा गिरदावरी नहीं की गई है। सरकार अपना दायित्व समझे। जो यहां सदन में बातचीत हुई है उसके माध्यम से जहां-कहीं भी ऐसी शिकायतें हैं, नैनवां तहसील क्षेत्र में शिकायत है तो, 5 व्यक्तियों को लेकर के या एक्सपर्ट कृषि विभाग के लेकर के पटवारी के माध्यम से यदि दुबारा गिरदावरी होगी तो किसान को कहीं मन समझाने के लिये राहत मिल सकेगी। नहीं तो एक नया पैसा, एक पाई किसानों को मिलने वाली नहीं है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से अर्ज करना है कि सरकार सदन में हुई भावनाओं को देखते हुए ऐसे इलाकों में दुबारा जांच करे अपने स्तर से। किसानों को साथ लेकर के, वहां के जन-प्रतिनिधियों को साथ लेकर के दुबारा से जांच करेंगे तो किसानों का कहीं न कहीं हित होगा। मेरा आपके माध्यम से यह कहना है और सरकार से भी अनुरोध करना है कि इस बात की दुबारा से जांच करे, सदन को

(श्री रामनारायण मीणा)

आश्वस्त करे कि आज यहां सदन चल रहा है, फिर भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, वह सही काम नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हैं। मैं आरोप की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन यहां सदन में आरोप लगे हैं कि सरकार ने ऐसे निर्देश दिये हैं कलक्टर्स के माध्यम से पटवारियों को कि खराबा नहीं लिखें। तो क्या यह सत्य है कि इस तरह के आरोप लगे हैं तो सरकार अपनी जिम्मेदारी समझकर के दुबारा से खसरा-गिरादावरी कराये और उसकी जांच करे। सरकार की मंशा है क्या...

श्री सभापति: माननीय मोहम्मद माहिर आजाद। (व्यवधान) अब विराजो आप, हो गई, साहब, आपकी बात पूरी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): नहीं, मेरी बात पूरी हो गई, लेकिन सरकार चाहती क्या है आखिर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, इस प्रकार के कोई भी निर्देश किसी भी जिला कलक्टर को नहीं दिये गये हैं कि खराबा कम लिखा जाए। वस्तु-स्थिति यह है कि जिस आधार पर हर साल गिरदावरी होती है, उसी आधार पर चल रही है। जहां कहीं शिकायत है तो माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो उसको दिखवा लेंगे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): पूरे राजस्थान में है। आप एक जगह की करवा लीजिये, नैनवां तहसील की करवा लीजिये। (व्यवधान) मैं आपको नाम दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां तो लिख करके दें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सदन में कहकर दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चलो, हम नोट कर लेते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप नोट कर लीजिये और करवा लीजिये।

श्री सभापति: मोहम्मद माहिर आजाद साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान राजस्थान के पूर्वी जिलों...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बार-बार यही बात कहते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): करा क्या कुछ, उसके ऊपर आज तक। इतनी बहरी हो रही है, इतनी गूंगी सरकार हो रही है, इतने चिकने घड़े हो रहे हो कि कोई उसके ऊपर कार्यवाही आज तक नहीं हुई। क्या कर दिया आपने। इसलिये बार-बार कहना पड़ता है कि कभी तो सरकार के दिमाग में कोई बात आये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अब तो यहां की बात करो, जयपुर की बात करो।

राज्य के पूर्वी जिलों में सिंचाई व्यवस्था

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अभी तो वहां की बजा लेने दो, साहब।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करोली, सवाईमाधोपुर और दौसा, ये जिले ऐसे हैं कि एक तरह से राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर, भाखड़ा, माही, चम्बल और गंग-कैनाल, बड़ी-बड़ी नदी और नहरे हैं और दूसरी तरफ इस पूर्वी राजस्थान में या तो जमवारामगढ़ है या जयसमन्द, अलवर या बंध-बरेठा, भरतपुर जो भी रियासतकाल के बने हुए हैं। आजादी के बाद कोई विशेष प्रयास सिंचाई के क्षेत्र में इन जिलों के लिये नहीं हुए। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जिले हैं जो तिलहन, सरसों, गेहूं, कपास, मूंगफली, तिल, ग्वार, मसूर, अरहड़ और प्याज, आलू की भी अच्छी पैदावार राजस्थान को देते हैं। इन जिलों के लिये मैं यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राजस्थान को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक शुष्क, जिसमें पश्चिमी राजस्थान आता है। एक आद्र, जिसमें मेवाड़ और हाड़ौती का क्षेत्र आता है। और एक अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र जिसमें हमारे राजस्थान के ये पूर्वी राजस्थान के सात जिले आते हैं। आप किसी भी दृष्टि से देख लीजिये, कृषि से, जलवायु से, यहां तक कि इसमें पर्यटन का स्तर भी देखें तो केवलादेव घना पक्षी विहार इसमें, सरिस्का-अलवर इसमें, वन-विहार, धौलपुर, रणथम्भौर-सवाई माधोपुर, कैला देवी-करोली, मेहन्दीपुर बालाजी-दौसा, महावीरजी-करौली, ब्रज चौरासी ये सब इसमें आ रहे हैं। यहां पर खनिज प्रचुर मात्रा में हैं। कृषि की पैदावार अच्छी देते हैं। सैल-टैक्स अच्छा देते हें, रेवेन्यू अच्छा आता है। इसमें मेवाड़ का क्षेत्र भी है और इसमें डांग का क्षेत्र भी है, सारा क्षेत्र इसमें होने के बावजूद, इसकी स्थिति यह हो रही है कि सिमको, भरतपुर बंद पड़ी हुई है। सीमेण्ट फैक्ट्री, सवाईमाधोपुर, तत्कालीन खाद्य और नागरिक आपूर्ति

(मोहम्मद माहिर आजाद)
मंत्रीजी ने कहा था कि अगर इस फैक्ट्री का धुंआ नहीं निकलेगा तो आप समझ लेना मेरा धुआं निकल गया, मैं सवाई माधोपुर दुबारा नहीं आऊंगा। उनका धुआं भले ही निकल गया, लेकिन आज तक सीमेण्ट फैक्ट्री का धुआं चालू नहीं हुआ। तेल मिल, गंगापुर बंद पड़ी हुई है। आपके हाइटेक ग्लासेज फैक्ट्री, धौलपुर बंद पड़ी हुई है। भिवाड़ी बर्बाद हो रहा है। कुल मिलाकर, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो खनिज सम्पदा है, उस खनिज सम्पदा के लिये इसका ब्रज चौरासी का क्षेत्र आ गया, इसमें उनको बंद कर दिया। आज भी वहां स्थिति यह है कि प्रचुर मात्रा में इन जिलों में खनिज सम्पदा है लेकिन डकैतों के आतंक के कारण, वन विभाग के कारण, सेंक्चुअरियों के कारण, धार्मिक कारणों से वह सब-कुछ तहस-नहस हो गया और आज हजारों लोग बेरोजगार हो गये।

माननीय तत्कालीन वन मंत्री और खनिज मंत्रीजी ने एक मीटिंग ली थी और उसमें सारे सांसद और सारे विधायक, सबको लिया था और यह कहा था कि हम इनको यहां से जब दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, पुनर्वासित कर देंगे, तब हम इनको बंद करेंगे। लेकिन आज उसको बंद तो कर दिया, उनको दूसरी जगह पुनर्वासित नहीं किया। आज हालत यह हो रही है कि इनकी रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा और हजारों लोग बेरोजगार हो गये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने एक तरफ पश्चिमी राजस्थान के एक-एक जिले में 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटीज बना रखी हैं, कोटा में, जोधपुर में, बीकानेर में, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस पूर्वी राजस्थान में, एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। आज अगर अलवर के, भरतपुर के, धौलपुर के, करौली के और सवाई माधोपुर के विद्यार्थी हैं तो उनको यूनिवर्सिटी के लिये कहां जाना पड़ेगा। इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि एक गाड़ी के दो पहिये हैं और उसमें एक में हवा ज्यादा होगी और एक में कम होगी तो वह नहीं चल सकता है। अगर राजस्थान का समग्र विकास करना है, सम्पूर्ण विकास करना है, चहुंमुखी विकास करना है तो पूर्वी राजस्थान को भी राजस्थान का एक अंग मानो। एक तरफ उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली लगे हुए हैं और दूसरी तरफ पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो आप पूर्वी राजस्थान के अन्दर विश्वविद्यालय खोलें। इंजीनियरिंग कालेज की आपने घोषणा की है, मेडिकल कॉलेज खोलिये, और जो भी घोषणाएं, जब तक आप

(मोहम्मद माहिर आजाद)

विशेष पैकेज नहीं देंगे तब तक इस पूर्वी राजस्थान का भला होने वाला नहीं है। पहले यह मत्स्य प्रदेश था। आज लोग कई पछताते हैं। दुःख में यह कहते हैं कि अगर हम पहले की उसी स्थिति में रहते तो हमारा ज्यादा विकास हो सकता था। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कुछ न कुछ कीजिये। मुझे उम्मीद है कि सरकार की अगर नीयत सही है तो सरकार इसके ऊपर कुछ न कुछ आश्वासन देगी।

श्री सभापति: याचिकाओं का उप-स्थापन। श्री नवनीत लालजी नीनामा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुख्य मंत्रीजी भी वहां की हैं, हमारे उद्योग मंत्रीजी भी वहां के हैं, हमारे और भी संसदीय सचिव, धर्मपालजी को बनाया है। इसके बाद भी अगर दिया तले अंधेरा रहे और वहां का विकास न हो तो मैं समझता हूं कि इस तरह की डूबने की स्थिति दूसरी हो नहीं सकती है।

श्री सभापति: नवनीतलालजी नीनामा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, सरकार कुछ तो कहे, सारी पर्चियों पर आपने आश्वासन दिया है। आपने कुछ न कुछ बातें कही हैं, आप कहिये इस पर। क्या आपकी नीयत ही नहीं है पूर्वी राजस्थान के लिये कुछ भी करने की।

श्री सभापति: आपका तो माहिरजी, आल-राउंड प्रश्न है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या?

श्री सभापति: ऑल-राउंड प्रश्न है। आल-राउंड। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जी।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, यह पूर्वी राजस्थान के साथ ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह भूल जाते हैं कि डिवीजनल कमिश्नर का आफिस अगर किसी ने खोला तो इस सरकार ने खोला। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या खोला?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेडिकल कालेज अगर किसी ने खोला तो उसे यह सरकार खोल रही है। इंजीनियरिंग कालेज खोल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रही है तो यह सरकार खोल रही है। इन्होंने नाइंसाफी तो सामने बैठे लोगों ने भरतपुर सम्भाग के साथ की। हमने तो सम्भाग मुख्यालय बनाकर उसको आदर्श अगर, उसका मान बढ़ाया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोल रहे हैं आप? इतना बड़ा आन्दोलन वहां पर हो रहा है। एक पूरे सम्भाग के अन्दर भी विश्वविद्यालय नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह तो आन्दोलन आप करवा रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वह राजस्थान का हिस्सा नहीं है क्या?

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, एक भी जिले में विश्वविद्यालय नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये1

श्री महीपाल यादव (बानसूर): इतना बड़ा प्रदेश, मत्स्य प्रदेश की मांग उठ जाएगी, यही चलती रही तो। यही हालात रहे तो माननीय सभापति महोदय,...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री रणवीर गुढा (गुढा): झुन्झुनूं में क्या खोला? आपने शेखावाटी के लिए क्या खोला? झुन्झुनूं में क्या खोला आपने? वह भी बता दें। आप तो झुन्झुनूं के प्रभारी हो। प्रभारी मंत्री हो। झुन्झुनूं में क्या, शेखावाटी विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोला आपने? (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): पूर्वी राजस्थान के लोगों को मत्स्य राज्य बनाने की मांग उठानी पड़ेगी, यही शोषण होता रहा तो...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये अब आप।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह तो आपकी विचारधारा रही है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यही शोषण होता रहा पूर्वी राजस्थान का...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। माननीय श्री नवनीतजी नीनामा। नीनामा साहब। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): 60 साल से शोषण होता रहा है। वहां एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी नहर नहीं है। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): वहां आप सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री क्यों नहीं चालू करते? आप बता दें, माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप। अब। (अंकित नहीं करने के निर्देश) माहिर साहब, आपकी सब बात आ गयी है।

मोहम्मद माहिर आजाद(नगर): ×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर):×××

श्री सभापति: आपकी सारी बात रिकार्ड कर ली गयी है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री सभापति: आप विराजिये न अब। विराजिये। माहिर आजाद साहब, विराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री सभापति: अब हो गया आपका, विराजिये। अब विराजिये आप। विराजिये। अंकित नहीं होगा।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अगर आप विराज जाएं तो मैं दो मिनट ... (व्यवधान) नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि भरतपुर की अनदेखी, भरतपुर सम्भाग की अनदेखी, पूर्वी राजस्थान, अब मैं कह रहा हूं तो मेरी सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भरतपुर को आज आप सम्भाग दे रहे हो, सम्भाग कह रहे हो, यह किसने दिया? यह किसने किया? बताओ आप? भरतपुर को सम्भाग किसने बनाया? इस सरकार ने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और 30 साल बाद धौलपुर में गैस से बिजली पैदा किसने की? इस सरकार ने। (व्यवधान) 30 साल तक...(व्यवधान) आप यहां बैठे रहे। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): 30 साल से हम कह रहे थे कि धौलपुर के अन्दर बिजली ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): धौलपुर में... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): धौलपुर में क्या किया?

श्री सभापति: धीरे-धीरे। धीरे-धीरे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री सभापति: मंत्रीजी को बोलने दीजिए अब आप। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, चाहे कोई सम्भाग हो, चाहे कोई जिला हो, चाहे कोई क्षेत्र हो एक साथ सारे काम नहीं हो जाते हैं। इन चार साल के अन्दर भरतपुर सम्भाग बना, भरतपुर के अन्दर इंजीनियरिंग कालेज खुला, भरतपुर के अन्दर मेडिकल कालेज खुला और भरतपुर की पुरानी जितनी भी बिल्डिंग्स थीं, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलते थे, चाहे आफिसेज थे, सबका कितने करोड़ लगाकर रिपेयरिंग का काम भरतपुर के अन्दर हुआ है? भरतपुर का सर्किट हाउस आपने देखा होगा और आज सर्किट हाउस भरतपुर का जाकर देखिये इन चार साल के अन्दर भरतपुर सम्भाग के अन्दर जो परिवर्तन हुआ है वह अपने आपमें रिकार्ड है। (व्यवधान) हां, यह बात सही है कि ... (व्यवधान)

श्री सभापति: हां, सुनो एक बार। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बात तो सुनें। एक बार बात सुन लो आप। सुनें तो सही। (व्यवधान) महिपालजी, माननीय सदस्य, बात तो सुनिये आप। मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं और आप बार-बार, पहले इनकी बात तो सुन लो आप पूरी। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): बात भरतपुर सम्भाग की चल रही है और जहां अलवर में खोलने की बात है न तो अलवर में भी इतने काम हुए हैं जो आज तक कभी जिन्दगी में आपकी सरकार के टाइम में नहीं हुए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): × × ×

श्री महीपाल यादव (बानसूर): × × ×

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज अलवर हिन्दुस्तान के मैप पर, आज इण्डस्ट्रियल डवलपमैंट अलवर के अन्दर इतना हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज अलवर में लोग आने को आतुर हो रहे हैं। आज अलवर का नाम कहां से कहां पहुंच गया है, श्रीमान् जी। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): × × ×

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): × × ×

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): × × ×

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आपके आज तक है न, मैं आपको ... (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, देखिये ... (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): × × ×

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): × × ×

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): × × ×

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): ... (व्यवधान) हमने अलाट किये हैं, आप काम तो करो। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब विराज जाएं आप। बहुत हो गया। यह पर्ची के माध्यम से मामला उठाया है। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री सभापति: विराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री सभापति: अब विराजिये। डिबेट शुरू हो गयी यह तो। माननीय आजाद साहब। माननीय आजाद साहब। नहीं-नहीं। आपने पर्ची के माध्यम से मामला उठाया है। मंत्रीजी ने उत्तर दे दिया, इस पर डिबेट नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री सभापति: नो डिबेट। कोई नहीं होगा अंकित। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): ... (व्यवधान) हमने खानें अलाट की हैं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जहां तक बंद उद्योगों का सवाल है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय श्री नवनीतजी नीनामा। कोई अंकित नहीं होगा।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): मेरे ख्याल से ... (व्यवधान) सबसे बड़ा उद्योग सिमको लिमिटेड को भी हम शुरू करवाने जा रहे हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये। विराजिये आप। माननीय सदस्य, विराजिये। अब आप ... (व्यवधान) माननीय रणवीर सिंहजी, विराजिये। नीनामा साहब, आप शुरू करिये। आप शुरू करिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): अलाटमैंट की है हमने खानें, उनको आप ... (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री सभापति: विराजिये

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री सभापति: विराजिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री सभापति: माननीय, विराजिये। कोई अंकित नहीं हो रहा है अब। आजाद साहब, विराजिये-विराजिये। महीपालजी, विराजिये आप। अब इसमें कोई डिबेटिंग नहीं होगी। कोई डिबेटिंग नहीं होगी। माननीय विराजिये आप। विराजिये आप ... (व्यवधान) दुर्गा प्रसादजी, माननीय विराजिये अब आप। यह डिबेटिंग नहीं ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये अब आप। हो गयी, यह कोई डिबेटिंग का विषय नहीं है। 15 मिनट इसमें लगा दिये। पर्ची तीन मिनट की होती है। विराजिये आप। माननीय, विराजिये आप। संसदीय काम और भी बहुत हैं। विराजिये आप।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री सभापति: विराजिये आप। माननीय सदस्य, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप विराजिये। माननीय नीनामाजी, आप शुरू करिये न। बोलिये आप तो, नीनामाजी, बोलिये न। ऐसे तो कोई भी कह सकता है। मैं अनुमति नहीं दूंगा किसी को भी, विराजिये आप। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

याचिका का उपस्थापन

मिसिंग लिंक सड़कों का डामरीकरण करवाने बाबत

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जिला बांसवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र घाटोल में विभिन्न मिसिंग लिंक सड़कों का डामरीकरण करवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्री बाबूसिंह राठौड़।

33 के.वी. के 14 नये ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृति विषयक

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं 33 के.वी. के 14 नये सब ग्रिड स्टेशन स्वीकृत कराने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2007-2008 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन

श्री सभापति: वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन। माननीय श्री घनश्यामजी तिवाड़ी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनुपूरक अनुदान की मांग वर्ष 2007-2008 का उपस्थापन करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2007-2008 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2008-2009

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

श्री सभापति: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2008-2009 (द्वितीय अवस्था) अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। माननीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया, गृह मंत्री अनुदान की मांग संख्या-16 एवं अनुदान की मांग संख्या-17 को विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-16 पुलिस एवं मांग संख्या-17 कारागार की प्रस्तुति

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12 अरब 72 करोड़ 87 लाख 56 हजार तक की राशि प्रदान की जाये। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45 करोड़ 40 लाख 37 हजार तक की राशि प्रदान की जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति: 295 पढ़े हुए मान लिये गये। वाद-विवाद। माननीय देवीशंकरजी भूतड़ा।

(मांगों पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

मांग संख्या-16 एवं 17 पर विचार

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 16 व 17...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आज तक की परम्परा रही है कि जब भी पुलिस के ऊपर वाद-विवाद शुरू होता है तो विपक्ष की तरफ से शुरू होता है।

श्री सभापति: नहीं, आपको भी बतायेंगे ना, अभी आपका अधिकार थोड़े खतम हो गया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, शुरूआत तो हमेशा इधर से रही है। पिछली बार मैंने की थी। अब यह परम्परा तोड़कर सत्ता पक्ष से पहले गुणगान करवाना चाहते हो तो बात दूसरी है।

श्री सभापति: उपाध्यक्षजी, जो निर्देश देकर गये हैं, उसी अनुसार है। अभी आपका भी नम्बर आयेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हो गया न, यह व्यवस्था हो गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, मुझे आसन की व्यवस्था पर कोई एतराज नहीं है। मैंने तो आपका ध्यान आकर्षित किया है कि आज तक पहले ऐसा होता रहा है।

श्री सभापति: बिराजें। बहुत हंस-हंसकर लिया करो। इतना ज्यादा आप टेंशन क्यों ले रहे हो? माननीय भूतड़ा साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कोई बात नहीं।

एक माननीय सदस्य: जो चीज पहले होती रही, अब नहीं होती है।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय सभापतिजी, अनुदान की मांग संख्या 16 व 17 की चर्चा की शुरूआत करते हुए आदरणीय गृह मंत्रीजी ने जो मांग रखी है, उनका मैं समर्थन करता हूं और चर्चा की शुरूआत करते हुए यह आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि सवा चार साल पहले जिस हालत में शासन मिला था, वह मैं समझता हूं किसी से छिपा नहीं है, जनता की नजरों में है। अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जब मैंने बोलने की शुरूआत ही नहीं की तो इन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को जो पहले मौका दिया है, वह इनका गुणगान करेंगे। गुणगान तो जब निश्चित रूप से अच्छा कार्य होता है तो उस अच्छे कार्य का गुणगान तो होना चाहिये और जो काम करते हैं उनको शाबाशी भी मिलनी चाहिये क्योंकि यदि अच्छे कार्य करने वाले को उत्साहित नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कोई भी अच्छा कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। सवा चार साल पहले जिस हालत में शासन था, अपराधियों के हौंसले बुलन्द थे, कानून-व्यवस्था की स्थिति चौपट थी और पुलिस का मनोबल गिर चुका था। हालत बड़ी दयनीय थी। अनेक लोग और अनेक संस्थाएं जब अपना जुलूस या कोई जलसे निकालते थे तो कहते थे कि कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। स्वयं सरकार और प्रशासन कहता था कि आप मत निकालें, हम आपकी व्यवस्था नहीं कर सकते। हम आपको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन आज इन सवा चार साल बाद हम दावे के साथ कह सकते हैं और तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ कह सकते हैं कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और इस सदन के बहुत अनुभवी और हमारे यशस्वी नेता माननीय गृह मंत्रीजी गुलाबचन्दजी कटारिया के निर्देशन में राजस्थान की जनता को जो खुशहाल और भयमुक्त शासन देने का जो हमने वादा किया था और पुलिस के मनोबल को ऊंचा उठाने की जो बात कही थी, आज हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि आज हम इस वायदे पर बिलकुल सौ टका खरे उतरे हैं।

माननीय सभापति महोदय, कानून-व्यवस्था के ऊपर स्थिति ठीक है या नहीं, इसकी जब विवेचना करते हैं तो आंकड़ों पर भी ध्यान देते हैं कि पूर्व शासन में आंकड़े क्या रहे और वर्तमान के शासन में आंकड़े क्या हैं? अगर एफ आई आर दर्ज होना या मुदकमों की संख्या का बढ़ना उसका आंकलन नहीं हो सकता। मुकदमों की संख्या बढ़ना एक सुशासन की व्यवस्था भी हो सकती है कि जब थाने के अंदर कोई व्यक्ति तकलीफ लेकर जाता है तो उसकी

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

सुनवाई होती है या नहीं होती है? हमारा शासन भी कहता है कोई व्यक्ति आता है, मुकदमा दर्ज कराता है चोरी का, डकैती का, या पीड़ित का तो उसका दर्ज होना चाहिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप तो हमेशा ही बात काटते रहते हो। आज तो मत काटो, आप तो वैसे ही बहुत वरिष्ठ सदस्य हो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): जो आप कह रहे हो ना बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आपकी सरकार नहीं मान रही। (व्यवधान)

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): हमारी सरकार तो सब आदेश मान रही है। आप मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, मुझे नहीं मालूम। आप सभापतिजी का आदेश मान लो। अपन जिस जगह बैठे हुए हैं यहां कानून-व्यवस्था सभापतिजी की लागू होती है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): सभापति जो कहेंगे, वह मान्य है।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): तो बस वही कानून मान लो आप कि अभी उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है और मेरी बात सुन लो आप।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): आप असत्य बोल रहे हो .. (व्यवधान)

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): आप कोई सत्यवादी नहीं हो।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): हां, मैं बिलकुल हूं। (व्यवधान)

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): आप सत्यवादी नहीं हो। मैं असत्य बोल रहा हूं तो आप कोई सत्यवादी नहीं हो।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): बिलकुल सत्यवादी हूं।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): आपके सर्टिफिकेट की मुझे आवश्यकता नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): नहीं, तो मुझे भी सर्टिफिकेट की तो आवश्यकता नहीं है।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): तो फिर क्यों बीच में व्यवधान डाल रहे हो। माननीय आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हो, क्यों व्यवधान डालते हो आप? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): आप जो गप्प मार रहे हो न, गप्प ही गप्प हांके जा रहे हो। (व्यवधान)

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): तो आप विरोध कर लेना। आप अच्छी बात बता देना। जब आप खड़े हो तो आपके पास जो बात है वह आप बताना।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): मैं तो यही पूछ रहा हूं कि अभी बताऊं कि बाद में बताऊं। (व्यवधान)

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): जब आपका मौका आये तब ही बताना। जब सभापतिजी आदेश देवें तभी बताना।

श्री सभापति: आप तो अपनी बात कहें।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, कर्इयों को यह तकलीफ होती है कि जब मैंने बात सही कही है न, तब तकलीफ होती है। जब मौका मिले तो आप भी अपनी बात रखिये। इस सदन में तो सबको कहने का मौका मिलेगा। तो निश्‍चित रूप से जिस तीव्र गति से जब मुकदमों दर्ज होते हैं उन मुदकमों का निस्तारण भी होता है तो निश्‍चित रूप से लगता है कि राज्य में कानून-व्यवस्था चल रही है। आज हम दावे के साथ कहते हैं कि कानून-व्यवस्था का काम करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता थी कि अपराधियों में भय हो और आमजन के अंदर विश्वास हो और जो कार्य करने वाला पुलिस बल है, उसका ऊंचा मनोबल हो। आज हम यह कह सकते हैं कि यह कार्य हमारे आदरणीय गृह मंत्रीजी ने बड़ी ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा, संवेदनशीलता के साथ और निष्पक्षता से करने की जो जिम्मेदारी है, वह बड़ी बखूबी और निष्ठा से निभाई है।

इस सदन में माननीय गुलाबचन्दजी कटारिया, जो गृह मंत्री हैं, आज हमें इस बात का गर्व होता है कि राजस्थान के ऐसे गृह मंत्री हैं, जिसने सवा चार साल के अंदर इस प्रतिपक्ष के सदस्यों में से भी किसी माई के लाल ने, जनता की तो हिम्मत नहीं हुई, इनमें से किसी भी की हिम्मत नहीं कि अंगुली उठाकर बता दे कि हमारे गृह मंत्रीजी के अंदर कोई कमी है। (व्यवधान) यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह एक ऐसे डिपार्टमेंट की, जिस डिपार्टमेंट के ऊपर सारी जनता और हर व्यक्ति अंगुली उठाता है और उस डिपार्टमेंट को, उस मंत्रालय का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, मैं समझता हूं कि इतने उच्च धनी व्यक्तित्व का हो तो निश्‍चित रूप से अपने विभाग पर असर करे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि यदि नेतृत्व करने वाला ठीक नहीं है तो सारी स्थिति विपरीत हो जायेगी।

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसे विभाग की जिम्मेदारी ऐसे अनुभवी व्यक्ति को सौंपी है, और माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि जब शासन व्यवस्था मिली तब कानून-व्यवस्था चौपट थी, जनता में असुरक्षा की भावना थी, पुलिस का मनोबल टूट चुका था, रिक्त पदों की संख्या बढ़ रही थी और अपराधों को रोकने हेतु साधनों की कमी थी और हमेशा यह कहा गया कि हमारे पास वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं है। अपराधी तत्व पुलिस पर हावी था और हालत उस समय ऐसे तत्वों को, क्योंकि अभी प्रतिपक्ष में बैठे हुए हमारे लोगों को तकलीफ होगी । क्योंकि उस समय जिस पुलिस बल से हम यह अपेक्षा करते हैं कि वह हमें अच्छी व्यवस्थाएं दे, वह कानून व्यवस्था को ठीक रखे लेकिन आज दावे के साथ कह सकता हूं कि उस वक्त के शासन के अन्दर आपराधिक तत्वों को संरक्षण मिलता था। संरक्षण मिलने के कारण हमारा जो पुलिस बल था, हमारे जो अधिकारी थे वह असहाय स्थिति के अन्दर थे। वह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि जब भरी मीटिंग के अन्दर एक एस पी के ऊपर झापट मार देवें, चुने हुए जन प्रतिनिधि हाथ उठा लें तो इससे बड़ी उस वक्त की स्थिति क्या हो सकती है। एक छोटा-सा मैंने उदाहरण दिया है। पेश किया है कि जब राज का संरक्षण मिलेगा तब पुलिस बल क्या करेगा।

आज मैं कह सकता हूं पहली बार किसी गृह मंत्री ने इन सारी चीजों को बड़ी बारीकी से समझा। बारीकी से क्या-क्या कमियां थीं, क्या-क्या दिक्कतें पुलिस को आ रही थी और यह नहीं कि आदेश चलाया पुलिस पर कि हमें यह मुकदमे निपटाने हैं। यह कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये या क्या होना चाहिये लेकिन पहली बार बहुत बारीकी से समझा कि वास्तव में हम जिस विभाग से, जिस तंत्र से काम लेना चाहते हैं उसमें क्या कमियां हैं, उनको क्या तकलीफें हैं, उनको क्या दुविधाएं सामने आ रही हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। उन सारी समस्याओं को न केवल समझा बल्कि जनता की भावनाओं के अनुरूप शासन देने के सार्थक प्रयास भी उन्होंने किये।

पहली बार जनता और पुलिस के बीच में जो दूरी होती है। पुलिस थानों के अन्दर आम आदमी घुसने में भयभीत महसूस करता है। आम आदमी को लगता है कि थाने में जाऊं या नहीं जाऊं ? जाऊंगा तो मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा ? मेरा मुकदमा दर्ज होगा कि नहीं ? पुलिस का व्यवहार कैसा होगा ? लेकिन आज हम यह कह सकते हैं कि आम जनता और पुलिस के बीच में जो दूरी थी

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

उस दूरी को कम करने का एक सार्थक प्रयास किया और पुलिस के प्रति जो नजरिया था उसको भी बदलने का प्रयास किया। उसी कारण यह बदलाव आया है जनता और पुलिस के बीच में आज एक संवाद कायम हुआ।

आदरणीय गृह मंत्रीजी के निर्देशन में जन सहभागिता की जो पहल हुई, जो शुरूआत हुई और जिसके अन्दर मैं समझता हूं कि हमारे निचले स्तर तक हैड कांस्टेबल तक जो कमेटीज बनी हैं और निचले वार्ड स्तर तक भी बनी हैं। उनके अन्दर अच्छे-अच्छे लोगों का समावेश किया गया है। अच्छे समाजसेवी लोगों की सेवाएं ली हैं उसके रचनात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। जनता को भी लगने लगा है और समाजसेवी व्यक्तियों को भी लगने लगा है कि सरकार को हमने जो मार्गदर्शन दिया है, हमने जो उनको बात बतायी है उसको सुनकर अपनी कार्य पद्धति के अन्दर शामिल किया है। आज उसी का परिणाम है कि अच्छे रिजल्टस सामने आ रहे हैं।

माननीय गृह मंत्रीजी ने न केवल यह समितियां बनाईं या जिला स्तर पर बना दीं, प्रदेश स्तर पर बना दीं, इन समितियों में क्या कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है और समय-समय पर सम्भाग स्तर पर पहली बार स्वयं गृह मंत्रीजी ने जाकर विभाग की बैठकें लीं, स्वयं गृह मंत्रीजी ने जन प्रतिनिधियों को साथ बैठाकर पुलिस प्रशासन और जनता के बीच जो दूरी होती है उसको भी कम किया। जन प्रतिनिधियों की बात भी सुनी, विभाग की भी सुनी और बीच में तालमेल स्थापित करके जो जन प्रतिनिधियों का काम है, जो पुलिस का काम है सुव्यवस्थित ढंग से कैसे चले, उन्होंने एक ऐसा इतिहास बनाया है कि आज सब जगह कह सकते हैं सम्भाग स्तर और जिला स्तर पर एक अच्छा संवाद कायम हुआ है। उसके भी मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे परिणाम सामने आये।

उसके साथ-साथ आज के इस आधुनिक युग के अन्दर अपराधियों के पास में आधुनिक तकनीकी के साधन बढ़ रहे हैं उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय गृह मंत्रीजी ने एक पहल की कि इस आधुनिक युग के अन्दर इन पुलिसकर्मियों को अच्छे वाहन, अच्छे हथियार, यह सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

इसके साथ-साथ मुकदमों का तीव्र गति से निस्तारण हो इसके लिए पहली बार यह प्रयास किया गया कि अपराध और अपराधियों के इस बदलते परिवेश में इन सारी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सार्थक, सफलतापूर्वक निपटने के लिए जयपुर में एफ.एस.एल. की राज्य की शीर्ष

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

प्रयोगशाला भी विकसित की। उसके परिणाम सामने आये कि तीव्र गति से मुकदमों का निपटारा हुआ। कम्प्यूटर और इंटरनेट से किये जाने वाले अपराधों के परीक्षण के लिए भी साइबर की स्थापना की गयी। यह इस युग के साथ कदम से कदम मिलाकर, मैं समझता हूं पुलिस को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि अपराधी जिस तीव्र गति से काम कर रहे हैं, उनसे मुकाबले के लिए जो भी सुविधाएं पुलिस बल को उपलब्ध करायी जा सकती हैं माननीय गृह मंत्रीजी ने वह उपलब्ध करा कर एक सराहनीय कार्य किया। माननीय सभापति महोदय, इस कारण पुलिस और ... (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया समाप्ति की और करें दो मिनट में।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): जनता के बीच में जो विश्वास कायम हुआ है मैं समझता हूं पुलिस के प्रति भी जन आस्था बढ़ी है।

माननीय सभापति महोदय, इन वर्षों में जो पुलिस का मनोबल बढ़ा है उसके कई कारण हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। न कोई मैं आंकड़े बता रहा हूं। केवल मोटी-मोटी बात बता रहा हूं कि जो वर्षों से पद रिक्त पड़े थे। हैड कांस्टेबल से उच्च स्तर तक जो पदोन्नतियां नहीं हो रही थीं उससे पुलिस का मनोबल टूटा था। पहली बार मैं बता रहा हूं कि पदोन्नतियां शुरू हुई। रिक्त पदों की भर्ती शुरू हुई। विशेष पदोन्नति हुई। प्रशिक्षण के कार्यक्रम हुए। पुलिस के कल्याण की योजनाएं बनायी गयी। ग्यारह हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गयी। पुलिसकर्मियों हेतु दस हजार नये आवास बनाये गये। पुलिस बल का बहुत विस्तार किया गया जिससे पुलिस को एक बहुत बड़ा सम्बल मिला। यह जो पूरा विषय हुआ है उससे मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो दिक्कत थी पुलिस बल के अन्दर कि जब शासन चेंज होता है, शासन चेंज होते ही जिस तरीके से प्रदेशों के अन्दर सरकार चेंज हुई और सरकार चेंज होते ही पूरा डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट चेंज। नीचे से लेकर हैड कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक स्थानान्तरण का जो रोग है वह मैं समझता हूं माननीय गृह मंत्रीजी ने जो राजनीतिक स्थानान्तरण से जो भय था, पुलिस को इस भय से मुक्ति दिलाकर पुलिस को बल प्रदान किया।

निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जब नेतृत्व करने वाला लीडर अनुशासन में होकर कार्य करता है तो एक बहुत बड़ा संदेश नीचे तक जाता है। माननीय सभापति महोदय, पुलिस को ऐसा मान और सम्मान आज से पहले कभी नहीं मिला जैसा माननीय गृह मंत्री गुलाबचन्दजी कटारिया के सानिध्य

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

में सवा चार साल के कार्यकाल में मिला। हर जगह और हर विभाग के अन्दर अच्छे, बुरे दोनों लोग होते हैं लेकिन फर्क इतना है कि उन बुरे लोगों को कार्य करने का वातावरण कैसा मिलता है? उनको दिशा-निर्देश कैसे मिलते हैं? उनका नेतृत्व करने वाले लीडर के अन्दर गुण हैं या नहीं हैं? उनका लीडर कैसा है? लेकिन पहली बार कह सकता हूं पुलिस बल को भी ऐसा लीडर मिला ईमानदार, अनुशासन प्रिय और निष्पक्ष, निश्चित रूप से जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो कहते हैं वह पहले अपने ऊपर लागू करते हैं फिर उसके बाद में अपने निचले अधिकारियों के ऊपर लागू करते हैं तो मैं समझता हूं कि एक मैसेज गया ऊपर से। जब गृह मंत्रीजी से जाता है ठेठ नीचे तक हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल तक यह मैसेज गया कि हमारा गृह मंत्री ईमानदार है। उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है तो निश्चित रूप से पुलिस बल को बहुत बड़ा सम्बल मिला और इससे इस विभाग की जो खराब छवि भी थी उसमें भी सुधार आना शुरू हुआ है ... (व्यवधान)

श्री सभापतिः बिराजें आप। अब हो गया पूरा।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में बात कहता हूं।

पुलिस के उच्च पदों व इस कार्य पद्धति के कारण बहुत बड़ा निखार आया है। कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनी हुई है। अपराधों का भी तीव्र गति से अनुसंधान व अपराधियों को दण्ड दिलवाने की दिशा में मैं समझता हूं बहुत अच्छे परिणाम सामने आये हैं। सार्थक परिणाम सामने आये हैं और इसीलिए आज मैं कह सकता हूं राजस्थान प्रदेश अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ। यह हमारे सदन के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारी राजस्थान पुलिस का नाम अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ। नहीं तो हालत, अन्य प्रदेशों के यदि आंकड़े और उसका इतिहास उठाकर देखें तो क्या हालत है जो आप सबके सामने है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार का यह संकल्प था कि प्रदेश का आम नागरिक, ग्रामीण और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला गरीब व्यक्ति असुरक्षा की भावना से बाहर निकले और विश्वास के साथ भयमुक्त होकर थाने में जा सके। हम आज दावे के साथ कह सकते हैं कि इस संकल्प को पूर्ण करने में हम कामयाब हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, यही कारण है कि आमजन का आज कानून में विश्वास बढ़ा है। अपराधी और असामाजिक तत्वों में पुलिस के प्रति भय है, अन्यथा पिछले शासन में बैठे लोगों की हालत के

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

कारण मनोबल गिरा था। आज उच्च मनोबल के कारण अपराधों में कमी आयी है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें आप।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): प्रत्येक धर्म का आदर और सम्मान होने लगा है।

पहली बार सभी क्षेत्रों में भाईचारा बढ़ा है।

श्री सभापति: बिराजिये। दूसरों के लिए भी रखें ना फिर। कई माननीय सदस्य बोलने हैं ।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): कानून तोड़ने वालों में, मैं दो मिनट में मेरी बात कह दूंगा।

श्री सभापति: आज तीस से ज्यादा माननीय सदस्य बोलने हैं, रात को एक बजे तक भी खतम नहीं हो सकता है।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): मैं दो मिनट में मेरी बात कहकर बात खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें प्लीज।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): इन सबके बावजूद भी इस विभाग में अनेक कमियां हैं और कमियां हो सकती हैं लेकिन इनको चिन्हित करके दूर करने का प्रयास किया जाता है। मैं यह कह सकता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उसे घुमाते ही सारी व्यवस्थाएं या बुराइयां खतम हो जाएंगी लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनके करामाती व्यक्तित्व और निष्पक्ष छवि के कारण आने वाले समय में यह जो प्रक्रिया शुरु हुई है उसको आगे भी गति मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, अजमेर जिले की बात कहकर मैं अपनी बात खतम कर रहा हूं। मैं जिस जिले से आता हूं, अजमेर जिला हमारे अन्तिम हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी है और वह स्थान हिन्दुओं और मुसलमानों का मैं समझता हूं कि विश्व प्रसिद्ध है, जैन समाज का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, ज्ञान देवी, नारेली तीर्थ स्थल, ख्वाजा साहब की दरगाह, तीर्थराज पुष्कर और विश्व के पर्यटकों का यहां आने का तांता लगा रहता है। सभापति महोदय, मैंने इसलिए कहा कि यहां पर घटी जो घटनाएं होती हैं उसके ऊपर समूचे विश्व का ध्यान आकर्षित होता है। यहां छोटी-सी

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

घटना भी घट जाती है और उसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही नहीं हो तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी छवि इस देश की खराब होती है। पिछले शासन के अन्दर जो घटनाएं घटित हुई थीं उससे अजमेर की छवि बहुत खराब हुई थी, अजमेर कलंकित हुआ था उस शासन के अन्दर लेकिन इस सवा चार साल के शासन में कह सकता हूं कि हमारे इस कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण भाईचारे की एक नई मिसाल कायम हुई है, जिसने हमारे अजमेर के गौरवशाली इतिहास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा कि अजमेर जिला अत्यन्त संवेदनशील है, चार सालों में जब-जब भी कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हुई उस समय वहां के पुलिस प्रशासन ने बहुत सूझबूझ के साथ काम लिया, आपस में तालमेल के साथ काम लिया जिससे वहां भाईचारे की स्थिति नहीं बिगड़ी। इसके लिए तो मैं पुलिस प्रशासन को और गृह मंत्रीजी को बधाई देता हूं लेकिन एक विशेष बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अन्दर अवैध रुप से बांग्लादेश के लोगों का आना जाना बहुत बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वहां का हिन्दू मुसलमान कभी झगड़ा नहीं चाहता है, वह भाईचारे से रह रहा है लेकिन जो बाहरी तत्व पाकिस्तानी एजेण्ट, सिमी के एजेण्ट पूरे अजमेर जिले में और विशेष तौर से अजमेर, ब्यावर और मसूदा की बैल्ट में जो सक्रिय हुए हैं इसके कारण यदाकदा स्थिति विकट होती जा रही है ।

मेरा माननीय गृह मंत्रीजी से विशेष आग्रह है कि इस बारे में कोई ऐसे विशेष पुलिस बल का गठन किया जाए, विशेष वहां पर एक विभाग का गठन किया जाय। जो इसकी छानबीन करके अवैध रुप से रहने वाले बांग्लादेशियों को और सिमी के इन कार्यकर्ताओं को जो धर्म परिवर्तन करने का वहां पर योजनाबद्ध ढंग से काम कर रहा है इनको छानबीन कर बाहर निकालें। क्योंकि वहां झगड़ा हिन्दू मुसलमान का नहीं है, जब-जब झगड़ा होता है इनकी वजह से होता है तो इसके लिए तीव्र गति से कार्यवाही की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, ब्यावर विधान सभा क्षेत्र पिछले अनेक वर्षो से उसका क्षेत्रफल बहुत बढ़ रहा है और थानें वो ही हैं दो सदर और ब्यावर सिटी और न कोई नई चौकी खुली है । मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से आग्रह है कि जो सदर का थाना है वह पहले तो शहर के अन्दर था लेकिन अब वह सदर का थाना ब्यावर से दस किलोमीटर बाहर चला गया।

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

उसके अन्दर मसूदा विधान सभा क्षेत्र का सारा बैल्ट लगता है उस वजह से ब्यावर का जो हाऊसिंग बोर्ड और बाहर की सारी कालोनियां लगती हैं उसके अन्दर पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती है। अनेक दिक्कतें पुलिस के सामने आती हैं और साधन कम होते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सदर की जो छावनी के अन्दर बिल्डिंग थी जहां पर सदर थाना था उस थाने के अन्दर एक नया थाना खोल दिया जाय और जो बाहर की नई कालोनियां बसी हैं, बाहर के जो मसूदा की बैल्ट के पैराफेरी के गांव हैं उन सबके लिए वह दे दिया जाय तो मैं समझता हूं कोई नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नई कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और शहर के लोगों को और साकेत नगर और बाहरी कालोनी के लोगों को भी थाना मिल जाएगा और यहां जो अपराधी तत्व बढ़ रहे हैं तो वह जो मेन थाना है ग्रामीण क्षेत्र का वह और अच्छे ढंग से काम कर सकेगा।

विशेष तौर पर एक आग्रह और है राजियावास भी हमारा बहुत संवेदनशील क्षेत्र है।

श्री सभापति: बहुत समय ले लिया आपने।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): यहां कोई न कोई पुलिस चौकी की स्थापना की जाय क्योंकि राजियावास के अन्दर आगे भी बहुत बार बड़े-बड़े झगड़े हो चुके हैं।

श्री सभापति: विराजिये, अब समाप्त करें।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): वहां हत्याएं हो चुकी हैं इसलिए वहां स्थाई रूप से कोई चौकी स्थापित की जाय और वहां वित्तीय साधन उपलब्ध कराये जाएं। माननीय सभापति महोदय, मैंने इसलिए ध्यान आकर्षित किया कि ...

श्री सभापति: हो गया, बस बहुत हो गया।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): यह क्षेत्र बहुत संवेदनशील है और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इतना समय दिया और मैं माननीय गृह मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी सुंदर कानून व्यवस्था मिली। बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित। आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है दस बारह मिनट में अपना कथन समाप्त करें। तीस पैंतीस नाम हैं कुल, फिर रात को बारह एक बजेगा, फिर न तो किसी को इन्ट्रेस्ट आता है, न मंत्री की बात सुनने की इच्छा होती है आपकी। इसलिए थोड़े में, शार्ट में अपनी बात कहें, मुद्दे की बात हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शंकरसिंहजी बोलें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आज कारागृह और होम पर आपने मुझे बोलने के लिए आदेश दिया है। कानून व्यवस्था के मामले में राजस्थान में एक आम चर्चा है कि कभी कोई ऐसा मुद्दा चाहे वह हाउस या हाउस के बाहर ऐसा नहीं हुआ जब कभी मंत्री महोदय ने जवाब बराबर नहीं दिया हो। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य मुस्कुरा रहे हैं। कई बार इन्होंने गलत मुद्दे उठाये हैं और ऐसे मुद्दे उठाये हैं संगीन अपराधियों के लिए यह क्या कर दिया और उनका भी इनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिला है कि किस प्रकार से हमें मुद्दे उठाने चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले ...

श्री सभापति: आपकी जानकारी नहीं हो तो रख लो आप, मैं उपाध्यक्ष नहीं हूं अभी और रहा भी नहीं, आप तो सभापति कहा करो।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): बन जाओगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इनको पता नहीं है कि आप यहां अध्यक्ष के रूप में इस आसन को विभूषित कर चुके हो, उपाध्यक्ष के रूप में भी कर चुके हो और अब सभापति के रूप में भी कर रहे हो और इसके अलावा चौथी जगह कोई है नहीं इस आसन के लिए। सभापति, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, इसके अलावा आप किसको विभूषित करोगे, यह बताओ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अब तो सरकार इनसे कुछ काम नहीं लेना चाहती है ऐसा लगता है आखिरी सीढ़ी कर दी आपने।

श्री रामनारायण मीणा(नैनवां): इनको तो यह भी पता नहीं है माननीय सदस्य को तो कि सबसे ज्यादा स्मैक झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में बनती है और न गृह मंत्रीजी उसको रोक पाये, न मुख्य मंत्री रोक पाई।

श्री सभापति: विराजें, विराजें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप तो एक काम करवा दीजिए सरकार से ...

श्री सभापति: आपने नाम दिया है, माननीय विराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): जो हमारे लोग स्मैक पीने लग गये हैं, बर्बाद हो रहे हैं लोग ।

श्री सभापति: आपने स्वयं ने नाम दिया है रामनारायणजी मीणा, डिप्टी लीडर कांग्रेस विधायक दल, श्री संयमजी लोढ़ा बोलेंगे उसके बाद लास्ट में आपका नाम है यह। आप बोल लेना।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप तो एक काम करवा दीजिए।

श्री सभापति: आप विराजें। आप प्लीज स्टार्ट।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): माननीय सभापति महोदय, मेरा भी नाम है।

श्री सभापति: हां, आ जाएगा।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के बंधु बोल रहे हैं स्मैक जो बन रही है या बनाई जा रही है आज बड़ी दबंगता से इस बात को कहेंगे +++

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं इसका खंडन करता हूं सभी लोग, निकालिये आप इसमें से बाहर।

श्री सभापति: विलोपित करो इसको, एक्सपंज इट।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं झालावाड़ में उनको गिरफ्तार किया है, आपको याद नहीं होगा।

श्री सभापति: एक्सपंज कर दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको याद नहीं होगा उनके अध्यक्षों को गिरफ्तार किया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपसे अनुरोध है आप मुद्दे की बात पर बात करें, इधर उधर की बात करके किसी को दोषारोपण नहीं करें, अनावश्यक समय जाया नहीं करें। आपके पास मैटर नहीं है तो आप चार मिनट में समाप्त करें।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): माननीय सभापतिजी, ऐसे बेबुनियादी आरोप शोभा नहीं देते हैं।

श्री सभापति: एक्सपंज कर दिया है विराजिये आप।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मैं जो कहने जा रहा हूं कानून व्यवस्था के मामले में आज राजस्थान की यहीं नहीं पूरे देश भर में इतनी भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है, एक नहीं अनेकों उदाहरण देख लीजिए, अभी बीच में मैं कुछ मुख्य ऐसे प्रमुख केसों को उजागर करना चाहूंगा जिसमें राजस्थान पुलिस ने इतनी त्वरित गति से उन अपराधियों को पकड़ने में जो अंजाम दिया है और जितनी तारीफ करनी चाहिए, अजमेर दरगाह का ले लीजिए, राजस्थान की कांग्रेस ने कई तरह के आरोप लगाये होंगे लेकिन केन्द्र में सरकार कांग्रेस की है, वहां के गृह मंत्री महोदय ने, शिवराज

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

पाटील ने यहां आकर कहा कि अजमेर दरगाह के मामले में जैसा काम राजस्थान की पुलिस को करना चाहिए था वैसा हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। यह उदाहरण है। माननीय सभापति महोदय, हमारे पास बोलने के लिए सारा कुछ है। एक-एक बात का हम जवाब दे सकते हैं। इतने संगीन केस, मेड़ता में बैंक कैशियर और पच्चीस लाख रुपये की जो लूटपाट हुई उसमें बीस लाख रुपये पकड़े गये।

श्री सभापति: उधर नहीं दृष्टि सामने।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मतलब, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा केस है, इतने कैश रुपये की बरामदगी हो गयी, यह अपने आपमें राजस्थान पुलिस की एक तारीफ ही करनी चाहिए। (व्यवधान) पांच लाख रुपये के लिए अभी आरोपी बाकी है न, माननीय सभापति महोदय, अभी आरोपी बाकी हैं और वो आरोपी कहीं न कहीं, बोलूं क्या?

श्री सभापति: सामने देखें और आसन को मुखातिब होकर के आसन को एड्रैस करें, आपस में बात नहीं।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, सवाई माधोपुर में चोथ का बरवाड़ा, गंगानगर में अन्तरराज्जीय गिरोह का पर्दाफाश, मतलब कितना संगीन से संगीन केस है ...(व्यवधान)

आप बिराजिये, बाद में जवाब दे दूंगा मैं, अभी बताता हूं, बाहर अपन मिल लेंगे, बाद में बात कर लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से प्रभावी कानून व्यवस्था इस प्रदेश के अन्दर कायम की है, अजमेर दरगाह की जो बात चली है, देश के गृह मंत्री ने जिस प्रकार से प्रशंसा की है, महत्वपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक खास बात पर सदन का ध्यान चाहूंगा, आज, अभी, माननीय सदस्य, अजमेर वास्तव में संवेदनशील जिला है, बांग्लादेशियों की भी समस्या है, आज की तारीख में अजमेर दरगाह सेण्ट्रल गवर्नमेंट के आधिपत्य में है, पुलिस वहां पर कोई कारगर व्यवस्था कर नहीं सकती, कोई न कोई ऐसी व्यवस्था निकालें पूरा सदन मिल कर सेण्ट्रल गवर्नमेंट को कहे कहीं न कहीं राज्य सरकार के हाथ में इसकी व्यवस्था हो सके, ऐसा कोई रास्ता सबको मिल कर निकालना चाहिए क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा है।

माननीय सभापति महोदय, आज जैसा गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता में राज्य सरकार में राज्य स्तरीय पुलिस समुदाय वाला विषय है मतलब, आज

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

पुलिस थाने में जाने से जो आम जन भयभीत होता था उसके भय को निकालने के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था सी.एल.जी. के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से भी कई मुकदमों को निपटाया जा सके और निपटाने की हम कोशिश कर सकें, इस ओर हमने प्रयास किया है और पूरे प्रदेश भर में यह प्रयास तारीफ के काबिल हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, आज हमने थानों में कम्प्यूटराइजेशन कर दिया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो पुराने थाने हैं आपने कम्प्यूटर तो दिलवा दिये लेकिन वहां पर कम्प्यूटर कक्ष नहीं है, स्वागत कक्ष नहीं है, इसके लिए भी कोई न कोई बजट की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके माध्यम से यह सुचारू रूप से कम्प्यूटर का तालमेल बना सकें और हम ... (माननीय सदस्य के मोबाइल की घंटी बजने लगी) माननीय सभापति महोदय, क्षमा करना, वो बंद है या चालू ...

श्री सभापतिः नहीं, आपकी तो रोज की आदत है Nothing new in it. चलिये, आप तो प्रारम्भ करें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, मोबाइल बजता है तो जब्त किया जाए ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): करवा देंगे।

श्री सभापतिः यहां ले आओ, यहां जमा करा दो आप। आप यहां भेज दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, आप मंगवा लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पहले आप उसको मंगवाइये यहां पर।

श्री सभापतिः वो देंगे तो एक मिनट और जाया होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप मंगवाइये इसको।

श्री सभापतिः I don't want to waste even a single minutes of this legislature.

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): दे दिया।

श्री सभापतिः लेजिस्लेचर का एक मिनट भी जाया नहीं कर सकते, आप ले आओ। आप बोलें, आप पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): हां, कर देंगे।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

जासूसी, घुसपैठ और बांग्लादेशियों का विषय है, पहली बार किसी गृह मंत्री ने अपने आपमें सीमा पर, बॉर्डर पर अपना दौरा बना कर और देशभर में इस प्रकार की जागृति लायी गयी कि सीमा से जासूसी, घुसपैठ को रोकने के लिए कैसे-कैसे तरीके अपनाये जाएं और किस तरह से किया जाए। आपके माध्यम से इतना ही एक निवेदन करूंगा कि यह जो बांग्लादेशियों की समस्या है इसको और गहन तरीके से स्टैडी करके कहीं न कहीं निपटारा इस प्रकार से करना पड़ेगा, इसके कारण वास्तव में प्रदेश में अपराधों की गति बढ़ने में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। बांग्लादेशियों का विषय कई वर्षों से सदन में उठता आ रहा है, पिछले चार वर्षों से लेकिन इसका निराकरण किया है और इसको बहुत बारीकी तक हम ले जाएं, इसके लिए कोई न कोई ऐसा तरीका ढूंढे कि जिससे इसका निराकरण निकल सके।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो कानून अभी एक संवेदनशील मुद्दा है, चारों तरफ, कहीं न कहीं गौ-वंश की तस्करी में गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, दस लोग पहुंच जाते हैं, हाउ होता है, पूरा जिला गर्म हो जाता है और कहीं न कहीं टेन्शन क्रियेट होता है, इसके निपटारे के लिए भी एक ऐसा प्रभावी कानून गृह विभाग और पशुपालन विभाग मिल कर बनाये कि जो गौ-वंश की तस्करी होती है, जो कटने के लिए जाता है उसको जैसे मादक पदार्थों के वाहन उपयोग में आते हैं, उसको जब्त करने का अधिकार होता है वैसे के वैसे इसमें ऐसा कानून बना करके जिसमें इन ट्रकों को जब्त कर दिया जाए जिससे हमेशा-हमेशा के लिए उनको डर पैदा हो जायेगा और यह गौ-वंश की तस्करी रोक दी जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, यह जो भी तुलनात्मक स्टैडी करें इसमें डकैती है, 1999-03 में 351 हुई प्रदेश में 2004-07 में 199 केस हुए, हत्या में 6830 हुए और 2004-07 में 4824 हुए। इस प्रकार की यह सारी लिस्ट है जिसमें हमने हर जगह पर कहीं न कहीं एक पकड़ की है और जैसा अभी बताया, उसका कारण एक है कि पुलिस का मनोबल ऊंचा कैसे हो, पुलिस का मनोबल बढ़े कैसे इसकी चिंता की गयी। वर्षों से डी.पी.सी. रुकी हुई थी, आज यह तारीफ करनी पड़ेगी कि कोई भी पद के अनुरूप जो डी.पी.सी. बाकी नहीं रखी हमने एक अभी जो डी.पी.सी. सी.आई. से डिप्टी वाली किसी कारणों से आर.पी.एस.सी. में रुकी हुई है, जहां कहीं न कहीं जो भी कमी है उसको दूर करके उसको तुरन्त कराएं और सबसे बड़ा जो एस.आई. से सी.आई. के

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

बैकलॉग हैं, मतलब कोर्टों में लिटिगेशन चल रहे थे और उन लिटिगेशन के लिए लड़े और उन लिटिगेशन को सबको क्लीयर करके और यह हमने किया कि सारी डी.पी.सी. फुल करके सारे पदों को भर दिया गया लेकिन आज, माननीय सभापति महोदय, पूरे देशभर की स्थिति लें, पुलिस की नफरी देश का औसतन 5 प्रतिशत है मतलब 500 पर एक पुलिस वाला है और राजस्थान में क्या है, 1150 पर एक पुलिस वाला मतलब नफरी बहुत कम है। माननीय गृह मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी इस बात की गुजारिश करेंगे कि अगर वास्तव में पुलिस को सुधारना है, नहीं तो पुलिस के नीचे के कांस्टेबल क्या होता है कि 24-24 घंटे की ड्यूटी, 48 घंटे की ड्यूटी, 72 घंटे की ड्यूटी करते हैं और उनका मानसिक तनाव होता है और मानसिक तनाव के अन्दर कहीं न कहीं उनसे उल्टा-सीधा काम हो जाता है इसलिए पुलिस की नफरी बढ़ाने के लिए यह बहुत जरूरी है। देशभर के आंकलन में आज हम देश के अन्य राज्यों के बराबर में राजस्थान पुलिस को खड़ा करना चाहते हैं ...

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें अब।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): आज कम से कम 38 आई.पी.एस. हमारे पास बाकी हैं तो यह कहीं न कहीं बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे इनको भरा जाए।

माननीय सभापति महोदय, कई बार छोटी-छोटी बातें अन्दर रह जाती हैं। थानों में, मतलब एक सरकारी विभाग में भी अननैसेसरी ऐसा बजट खर्च हो जाता है, थानों में पानी केबिल, गृह मंत्रीजी, इस पर आपका ध्यान चाहूंगा, इण्डस्ट्री में जो चार्ज लगता है वो आज पानी का भी थानों में लगता है। यह अननैसेसरी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसकी कहीं न कहीं व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हम पैसे को बाकी काम में खर्च कर सकें।

श्री सभापति: बिराजें आप।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। अब नये थानों की जगह पर चौकियों पर अपन ज्यादा ध्यान दें, चौकियां ज्यादा से ज्यादा खोलें नहीं तो एक थाना खोलते हैं 20 से 25 का स्टाफ वहां पर रिजर्व हो जाता है और उसकी बनिस्बत दस चौकियां खोल सकते हैं।

इन चौकियों और थानों को आनलाइन करने की व्यवस्था करिये जिससे जो आज चौकियों में हमें तकलीफ होती है केस रजिस्टर्ड करने वाली

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

बात में, अगर चौकियां ज्यादा खुलें तथा उन्हें आनलाइन कर दिया जाये तो केस वहां पर रजिस्टर्ड हो जायेंगे और वह सीधे थानों में लिस्टेड हो जायेंगे। यह कोई न कोई व्यवस्था भी करें जिससे काम आगे बढ़ सके।

माननीय गृह मंत्री महोदय, मैंने खवारानी में एक चौकी मांगी है, जो आप दिलवायें क्योंकि खवारानी बाड़मेर के बार्डर पर है और इसके साथ में आपको और आपके पूरे डिपार्टमेंट को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय संयमजी लोढ़ा।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): सभापति महोदय, एक मिनट, एक मिनट, मैं पूरे विभाग को इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि साम्प्रदायिक दंगे या चाहे इधर-उधर के दंगे हों वह पूरे प्रदेश में कम हुए हैं। साम्प्रदायिक दंगों को जो भड़काने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ करता था वह आज इतने साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें, बिराजें आप। आप मत भड़क जायें, बिराजें आप ...(व्यवधान) बिराजें आप, हो गया ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): सभापति महोदय, साम्प्रदायिक झगड़े भी हुए सोजत में, यह माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं वहां पर उस समय कांग्रेस के बी.डी. कल्लाजी विपक्ष के नेता थे।

श्री सभापति: बिराजें, बिराजें माननीय सदस्य, हो गया, संयमजी लोढ़ा ...(व्यवधान) बिराजें आप।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): वह दंगाइयों के घर पर गये, हमेशा कांग्रेस ने दंगों को भड़काने का काम किया है।

श्री सभापति: बिराजें माननीय सदस्य, हो गयी आपकी बात ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): हमने दंगाइयों को शांत करके, उनमें समन्वय करके राज्य में शांति कायम की है। इसलिए गृह मंत्री महोदय आपको और आपके पूरे विभाग को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने आधा-पौन मिनट ऊपर ले लिया है ...(व्यवधान) ऐसा नहीं करें ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): सभापति महोदय, मुझे थोड़ा-सा आश्वस्त तो कर दें कि कब तक समय दे देंगे।

श्री सभापति: जरूर बोलेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है ...(व्यवधान) आप भी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): जरूर बुलवायेंगे ना ...(व्यवधान)

श्री सभापति: जरूर ...(व्यवधान) बिराजें आप ...(व्यवधान) अभी संयमजी बोल रहे हैं, हां बोलें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं ...(व्यवधान) कि आपने मुझे पुलिस और कारागार की मांगों पर अपनी बात कहने का अवसर दिया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरा आपसे अनुरोध है कि 15-20 मिनट में आप समाप्त करने का कष्ट करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, जितना भी मैं समय लूंगा, मेरी पार्टी के कोटे से ही लूंगा।

श्री सभापति: पार्टी के समय का सवाल नहीं है। बोलने वाले माननीय सदस्य काफी हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, होम की डिमांड पर 12-12 बजे तक बहस चली है और प्रतिपक्ष के हम लोग अपनी बात नहीं कह पायें, अभी तो खड़ा ही नहीं हुआ उससे पहले ही आप राइडर लगा दें तो फिर बोलना ही व्यर्थ है।

श्री सभापति: यह सभी के लिये है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं अपनी पार्टी के लीडर की आज्ञा से बोल रहा हूं।

श्री सभापति: एक के लिए कोई अलग बात नहीं है ...(व्यवधान) आप तो प्रारम्भ करें ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारी पार्टी को जब एतराज नहीं है तो फिर आसन को तो जेनरस होना चाहिए।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आप तो बोलने दें।

श्री सभापति: आप प्रारम्भ तो करें ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के हमारे साथी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: किनका मोबाइल बोल रहा है यह ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंत्री महोदय का, मंत्री महोदय का ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जब्त कर लें ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जो ब्यावर से आते हैं और जो माननीय सदस्य आहोर से आते हैं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह अशोकजी का खुद का बजा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया आप अपना मोबाइल स्विच आफ कर दें नहीं तो आप बाहर चले जायें, सदन को डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इन्होंने सदन में जो विचार व्यक्त किये हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री महोदय के प्रति ना केवल इस सदन के सदस्यों के मन में बल्कि पूरे राजस्थान की अवाम के मन में गहरा सम्मान है। उनकी सद्‌भावना, उनकी सदाशयता और उनके सदाचरण पर कोई प्रश्न चिन्ह ना तो सत्ता पक्ष का आदमी लगा सकता है और ना प्रतिपक्ष का लगा सकता है। लेकिन सिर्फ अच्छे व्यक्ति होने से राज्य की व्यवस्था ठीक हो जायेगी यह पिछले सवा चार साल में साबित नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डा. पी. के. सेठी जो जयपुर फुट के माध्यम से हिन्दुस्तान के मशहूर डाक्टर साबित हुए और देश की सरकार ने जिनका पद्मश्री के पुरूस्कार से सम्मानित किया। मरने से पहले वह चैन की नींद नहीं सो पाये। उनके घर के आसपास जो बुलडोजरों का रात को चलाने का उपक्रम रहा, जो ट्रेक्टरों को चलाने का उपक्रम रहा। उस महान चिकित्सक ने अपनी रातों की नींद के लिए राजस्थान सरकार के होम मिनिस्टर से लेकर के, निगम से लेकर के थानेदार स्तर तक के हर व्यक्ति को पत्र लिखे, पर हमारी सरकार का आलम यह था कि उस महान चिकित्सक की प्रार्थना पर भी कोई विचार नहीं किया और मुझे बहुत दु:ख के साथ राज्य के सर्वोच्च सदन में कहना पड़ रहा है कि 7 नवम्बर, 2007 को उस महान चिकित्सक को, पद्मश्री से सम्मानित चिकित्सक को राजस्थान सरकार के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी पड़ी। मैं इस घटना के माध्यम से सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि सरकार के प्रशासन का हाल क्या है।

सभापति महोदय, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने सवा चार साल में इस सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन

(श्री संयम लोढ़ा)

करना चाहता हूं कि इस सरकार ने पिछले सालों की तुलना में आबकारी के मुकदमे कम क्यों बनाये हैं और यह सरकार पुलिस के अधिकारियों को शराब की दुकानों पर जांच करने से रोकने का काम क्यों कर रही है। उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही की धमकी देकर के राजस्थान की गली-गली और मौहल्ले-मौहल्ले में यह शराब के बार क्यों खुलवा रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आबकारी कानून की धारा 20/54 शराब की दुकानों पर शराब पिलाने का निषेध करती है और आज आप किसी शहर में चले जायें शराब की दुकानों के आधे खोखे में बार खुले हुए हैं। जमघट लगा हुआ है और राजस्थान सरकार के शासन सचिव, वित्त पुलिस महानिदेशक को क्या आदेश देते हैं, मदिरा दुकानों के संचालन में अनावश्यक पुलिस हस्तक्षेप, यह 1 अगस्त, 2006 का आदेश है। इन निर्देशों के उपरांत भी किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का मामला पाया जाता है तो उसके इस प्रकार के कृत्यों को सरकार राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना मानकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी शहर की दुकान देख लें, क्या हालात बने हुए हैं।

सभापति महोदय, हमारे पूर्व वक्ताओं ने यह बताने की चेष्टा की है कि जैसे राजस्थान में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर स्थिति में आ रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के अंदर आईपीसी क्राइम में आपकी क्या स्थिति है, देश में आपका पांचवां स्थान है और जो ऑल इंडिया एवरेज 160 का है उसके मुकाबले राजस्थान का एवरेज 226.1 है। एवरेज के लेवल पर भी आप देश में सातवें स्थान पर हैं। अगर फीगर लेंगे तो आप आईपीसी क्राइम में देश में पांचवें स्थान पर हैं, क्राइम अगेंस्ट बाडी उसमें देश में आप चौथे स्थान पर हैं और आल इंडिया एवरेज 38.45 है और आपका एवरेज 51.72 है।

सभापति महोदय, इसी तरीके से इकानामिक क्राइम जिसमें देश में आपका पहला स्थान है और अगर आप एवरेज लेंगे तो आल इंडिया एवरेज जो 6.6 है, राजस्थान का 17.42 है, इसी तरीके से क्राइम अगेंस्ट वूमेन आल इंडिया एवरेज 14.7 है और राजस्थान का एवरेज 2.06 है। क्राइम अगेंस्ट शिड्युल कास्ट, इसमें देश में आपका दूसरा स्थान है, राजस्थान का और अगर आप आल इंडिया एवरेज लें तो वह 2.4 है और राजस्थान का एवरेज 6.2 है।

(श्री संयम लोढ़ा)

क्राइम अगेंस्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स में देश में आपका दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर भी अरुणाचल प्रदेश है जहां ट्राइबल्स पापूलेशन ज्यादा है वरना आप देश में शीर्ष स्थल पर होते और नेशनल एवरेज जो 0.5 है, राजस्थान का 1.5 है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से जो पुलिसकर्मियों की संख्या का मामला है, पुलिस मैन पर लेक्स पापूलेशन, आल इण्डिया एवरेज 126 है, राजस्थान में 104 है। डेंसिटी आफ पुलिस पर्सनेल, ऑल इण्डिया एवरेज है 44.4 और राजस्थान में 19.1 है। इसके अलावा आपकी अपनी इस पुस्तक के अंदर जो राजस्थान की आपने जारी की है उसमें जो आपने किलोमीटर वाइज फीगर बताए हैं उसमें भी आप देश में दूसरे नम्बर पर आ रहे हैं, आपका एवरेज 4.80 किलोमीटर पर पुलिस पर्सनेल आ रहा है। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, जिन शहरों की आबादी दस लाख से ज्यादा हो गई है, जिन्हें मेगा सिटी शीर्षक से भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने लिस्टेड किया है, उन 35 शहरों के अंदर, देश के अंदर क्राइम के मामले में इन्दौर पहले नम्बर पर है, जहां 769.1 तक केसेज हैं, भोपाल दूसरे नम्बर पर है, 719.5 केस और राजस्थान के इस मशहूर गुलाबी शहर का इस सरकार के एहतराम से तीसरा स्थान मिला है, 597.7, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के पास ऐसा कोई अवसर नहीं है कि वह गर्व कर सके कि उसने राजस्थान में स्थिति बेहतर करने का काम किया है। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, अगर मैं इस सरकार के कार्यकाल में अपराधों का विवेचन करने लगूं तो राजस्थान के अंदर पिछले तीन सालों में क्राइम की जो स्थिति रही है, लगातार क्राइम बढ़े हैं। आप हत्या की तुलना करें, पिछले दो सालों की तुलना करें तो 94 हत्याएं ज्यादा हुई हैं, डकैती की तुलना करें तो 34 डकैती ज्यादा हुई हैं, लूट की तुलना करें तो 147 लूट ज्यादा हुई हैं, बलात्कार की तुलना करें तो 153 बलात्कार ज्यादा हुए हैं और कुल अपराधों की तुलना करें तो कुल अपराध भी ज्यादा हुए हैं।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसमें कांग्रेसी ज्यादा हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हो सकता है, आपको रोका किसने है, आप सरकार लेकर बैठे हैं, अगर कांग्रेसी शामिल हैं तो बंद करो उठाकर।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, किन्हीं का जवाब न दें, आप अपनी बात कहें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, खाली अपराधों के मामले में ही नहीं, चालानी का जो प्रतिशत है उसमें भी गिरावट आई है, अब लूट का लें, पिछले 2006 में जो 73 का एवरेज था अब 63 पर आ गया है। नकबजनी का 35 था, वह 33 पर आ गया है, चोरी का 29 था वह 28 पर आ गया है, अदमवकु का पर्सेण्टेज भी माननीय सभापति महोदय, घटा है और इसी तरह से डकैती और लूट के अंदर बरामदगी का प्रतिशत भी घटा है। महिला अत्याचार 10 प्रतिशत महिलाओं पर अत्याचारों के मुकदमे माननीय सभापति महोदय, पिछले साल की तुलना में बढ़े हैं, 13491 की तुलना में इस साल 14970 मामले हुए हैं और इसी तरह से दहेज मृत्यु को लें, दहेज आत्महत्या और दुष्प्रेरण को लें, महिला उत्पीड़न को लें, बलात्कार को लें, अपहरण को लें, हर मामले में महिलाओं के ऊपर अपराध राजस्थान के अन्दर बढ़े हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर राजस्थान के अन्दर अत्याचार बढ़े हैं, पिछले साल 4877 जो मामले दर्ज हुए थे इस साल 3.55 प्रतिशत के इजाफे के साथ 5284 मुकदमे दर्ज हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर लगातार कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपने इस वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 4 पर कहा है, अतिरिक्त पुलिस, दूरसंचार में 19 उप निरीक्षक के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने की कार्यवाही की गई है। अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह सीधी भर्ती से करने का आदेश आपने किसको दिया। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी, जी एल शर्मा ने 24.8.2006 को जो यह स्वीकृति जारी की है उसमें यह बहुत स्पष्ट लिखा है – "However, in view of current requirement, the Finance Department agrees for regular recruitment of 309 Sub-Inspector of Police through R.P.S.C." यह आर पी एस सी के जरिये भर्ती करने का आदेश दिया, यह स्वीकृति दी. "This bears the approval of the Principal Secretary, Finance." अब उसके बाद में यही स्वीकृति कार्मिक विभाग से भी प्राप्त हुई, यही वित्त विभाग से भी प्राप्त हुई, अब आपके गृह विभाग का एक डिप्टी सेक्रेटरी कौन होता है इस स्वीकृति को बदलने वाला? किसके आदेश से उस डिप्टी सेक्रेटरी ने उस स्वीकृति को बदला और पुलिस मुख्यालय का एडिशनल डी जी किसके

(श्री संयम लोढ़ा)

आदेश से उस मूल स्वीकृति के विपरीत जाकर के भर्ती करने का काम करता है। इसमें माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपको कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं लेकिन कोई व्यवस्था होती है, कोई नियम होते हैं, कोई मानदण्ड होते हैं, क्या उन मानदण्डों और नियमों के पालन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर इस मनमाने ढंग से नियुक्तियां चलती रही और फिर उसके बाद में यह 7.7 पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो यह लिखा हुआ है, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, इसी मामले में, विभाग के द्वारा सक्षम स्वीकृति के बिना विभागीय स्तर पर परीक्षा आयोजित कर सीधी भर्ती की कार्यवाही की है, अतः प्रशासनिक विभाग को निर्देश दिया जाता है कि वह दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप अपना उत्तर दें, बहुत अच्छा होगा कि आप यह सुनिश्चित करें ताकि आने वाले भविष्य के अंदर, एक आपका यह फैसला जो भी आप आज कहें, वह एक दृष्टांत बने कि कोई अधिकारी इस तरीके की हिमाकत नहीं करे कि मनमाने ढंग से आदेशों की खुद ही, तो फिर सरकार की जरूरत किसलिए है, अगर आपने, गवर्नमेंट ने एक बार कह दिया कि आर पी एस सी के थ्रू अपोइंटमेंट होंगे तो डिप्टी सेक्रेटरी कौन होता है, एडीशनल डी जी पुलिस का कौन होता है, सरकार के उस फैसले को बदलने वाला? क्या राजस्थान की जनता ने उस डिप्टी सेक्रेटरी को मेंडेंट दिया है, क्या राजस्थान की जनता ने उस एडीशनल डी जी, पुलिस को मेंडेट दिया है? इसलिए यह सवाल प्रशासनिक अधिकारों का सवाल है, यह सरकार पब्लिक मेंडेंट का सवाल है इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सब पर ठोस कार्यवाही करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले चार-पांच सालों के अंदर करीब चार सौ नाबालिग लड़कियों से बलात्कार हुए हैं और आई पी सी के अंदर बलात्कार के क्राइम, चाइल्ड के साथ रेप के मामले में सभी अपराधियों के लिए एक ही सज़ा की व्यवस्था है। कई लड़कियां इस बलात्कार की वजह से मर भी गई। राजस्थान के इसी सर्वोच्च सदन में मैंने आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था कि राजस्थान सरकार ने मात्र 15 लड़कियों को दस हजार, बीस हजार, पच्चीस हजार और दो-तीन लड़कियों को 3.75 लाख और 7.75

(श्री संयम लोढ़ा)

लाख की सहायता दी है। राजस्थान की उन चार सौ नाबालिग बच्चियों ने राजस्थान सरकार का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने उस अमानवीय पीड़ा को भुगता है और उसमें वे बच्चियां भी शामिल हैं जिनको उन राक्षसों के बलात्कार की वजह से अपने प्राण गंवाने पड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, जब राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में सरकार की संवेदना मुझे दिखाई नहीं दी और मामला उठाने के बाद भी आज महिला सशक्तीकरण के बड़े-बड़े बिगुल बजाने वाली राजस्थान की मुख्य मंत्री का दिल नहीं पसीजा, उन गरीब और निर्धन बच्चियों के लिए उसके दामन से जब नोट नहीं निकले तो इसी मसले को लेकर मुझे राजस्थान हाई कोर्ट में जाना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, दो साल तक हाई कोर्ट में इस सरकार के खिलाफ हमने मुकदमा लड़ा उसके बाद भी यह महिला सशक्तीकरण का दावा करने वाली सरकार अपनी जेब से उन पीड़ित बच्चियों के लिए पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं हुई।

(समय : 14.30 बजे)

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शिवकुमार शर्मा और जस्टिस महेशचंद्र शर्मा की डबल बैंच ने यह कहा कि मुख्य मंत्री भेदभाव नहीं करें। माननीय सभापति महोदय, जिस रूल को हाई कोर्ट के सामने पेश करके अपने गलत एक्ट को सरकार ने जस्टिफाई करने की कोशिश की थी माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस दिया कि उस रूल को अमेंड करिए।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इतना सब होने के बाद भी अभी तक सरकार ने उन पीड़ित बच्चियों को कोई सहायता उपलब्ध नहीं करायी जबकि हाई कोर्ट ने बहुत साफ लिखा है, मैं थोड़ा-सा अंश आपको सुनाना चाहता हूं। ''For these reasons, we allow the writ petition in the following terms: … This fund shall be under the Hon'ble Chief Minister so that she may utilize equitably and without discrimination for grant of financial help." मेहरबानी करके अब आप समानता के आधार पर उन बच्चियों की सहायता करने की व्यवस्था करें वरना हमें फिर अवमानना के लिए जाना पड़े वह किसी भी रूप में उचित नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं अभी हमारे ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वक्त में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने एक

(श्री संयम लोढ़ा)

पुलिस अधिकारी के चांटा रसीद कर दिया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने उस एक्ट को जस्टीफाई नहीं किया। जिस दिन इस घटना की जानकारी मिली उसी दिन हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री अशोकजी गहलोत ने उस विधायक को जिसने आईपीएस के चांटा मारा था पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। लेकिन आपके राज में क्या हुआ? अजमेर के अंदर जिस वजह से लाठीचार्ज की नौबत आयी और अजमेर की कलेक्ट्रेट के अंदर आपकी पार्टी के चेयरमैन ने एक महिला पुलिस अधिकारी के प्रति क्या अपशब्द नहीं कहे, क्या-क्या गंदी बातें नहीं कहीं, पूरे राजस्थान की जनता को शर्मसार करने का जिस आदमी ने काम किया, मैं पूछ सकता हूं आपकी पार्टी ने क्या कार्यवाही की? आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, 22 नवम्बर और 27 नवम्बर के मैं दो वाकये याद दिलाना चाहता हूं कि जब धारा 144 लगी हुई थी और सरकार के मंत्री जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कानून का शासन कायम रखने की, धारा 144 का उल्लंघन करके सरकार के मंत्री जिलाधिकारियों की मौजूदगी के अंदर हजारों लोगों की सभा में भाषण करके आये। क्या कर लिया आपने? आपने अपनी जवाबदेही का परिचय दिया कि हम कानून का शासन कायम करना चाहते हैं? सरकार के एक मंत्री वजीरपुर थाने के एक इलाके के प्रोग्राम में गये, वहां पर तोपें चल गईं। क्या आपकी सरकार ने कोई उदाहरण पेश किया कि हम कानून के प्रति सम्मान रखते हैं, हम कानून का शासन कायम रखना चाहते हैं, हम यह चाहते हैं राजस्थान का हर नागरिक कानून का सम्मान करे। उन तोपों से कितने लोग मरे? पहले दो लोग मरे, उसके बाद एक आदमी और मरा, तीन लोग मरे। रस्म अदायगी के लिए आपने दो मुकदमे दर्ज कर लिये, कार्यवाही क्या की? मैं चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, चूंकि गृह मंत्री महोदय, पूरा राजस्थान आपको एक अलग नजर से देखता है, राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन के अंदर आप पार्टी के नजरिये से काम नहीं करें, उस नजरिये से काम करें जो राजस्थान की जनता ने एक मजबूत नेता के रूप में राजस्थान के गृह मंत्री की आपको बागडोर, कमान सौंपी हुई है। आज सदन में इस बात का एलान करेंगे कि उस मामले के अंदर आपने क्या कार्यवाही की? वहां एसडीएम मौजूद है, डीवाईएसपी मौजूद है और दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा अपराध कारित होने के बाद भी जिनमें तीन लोगों की जानें चली गईं आज ये वहीं बैठे हुए हैं, इस सरकार की कोई सोच नहीं है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कोई व्यक्ति हो कानून से बड़ा नहीं है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं जब आप गृह मंत्रीजी, सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को इस तरह की छूट देते हैं तो हमारे अफसर क्यों पीछे रहेंगे? आपने पढ़ा होगा उसी सवाई माधोपुर जिले के अंदर वहां का कलक्टर और एसपी ट्रेन में चढ़ गए, एसी में बगैर टिकट बैठ गये और जो दो गनमैन थे, शायद हो सकता है उन गनमैन के नाम पर आर्डिनरी टिकट ली हो। जब रेलवे के मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि टिकट बताइए तो पहले तो उनसे बहस की, अपनी एरोगेंसी दिखाई, हम तो आईएएस हैं, हम तो आईपीएस हैं, we are above the law, और उन दोनों के सेकण्ड क्लास के टिकट गनमैन के मंगवाकर उन्होंने पैनल्टी काट दी। अगर कानून के प्रति उनके मन में सम्मान होता, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि या तो कलक्टर, एसपी बिना टिकट थे या उनके गनमैन बिना टिकट थे और जब रेलवे मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि मैं आपको अरेस्ट करता हूं, आपके कलक्टर, एसपी की हिमाकत देखिए, कानून के प्रति उनके सम्मान का सोच देखिए उन दोनों को भगाकर साथ में ले गये। यह सम्मान करती है आपकी सरकार। कलक्टर, एसपी जिले में सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, आपका चेहरा होते हैं, कानून-व्यवस्था के प्रति जवाबदेह होते हैं, लेकिन वे दोनों भगाकर लेकर गये। बाद में मजिस्ट्रेट साहब को वहां जाकर मुकदमा दर्ज करना पड़ा। वहां फिर वारंट भेजा तो उस वारंट की तामील नहीं हुई। उन्होंने फिर अगली पेशी दी और बाद में जाकर एडीजे कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया। माननीय सभापति महोदय, मामला सब ज्युडिस है, जो कोर्ट का होना होगा उनके वारंट का होगा, पर सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वो एक एग्जाम्पल पेश करती राजस्थान के नागरिकों के सामने कि हमारे राज के अंदर कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी पद पर बैठा हुआ है कानून का उसको सम्मान करना पड़ेगा। एक ज्युडिशियरी के आदमी को इस तरह से ह्यूमेलेट करते हो जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। गृह मंत्रीजी, मैं चाहूंगा आज आप जब सदन में अपना वक्तव्य दें तो इस पर भी सरकार की स्थिति साफ करें जिससे राजस्थान के लोगों को भरोसा हो सके कि आने वाले वक्त के अंदर यह सरकार कानून का शासन कायम रखेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इस सरकार ने मूलचंद जैन, जो एनडीपीएस एक्ट के अंदर

(श्री संयम लोढ़ा)

सजायाफ्ता था उसको छोड़ने का काम किया। क्या गृह मंत्रीजी, मैं पूछ सकता हूं बिना प्रोसीक्यूशन डिपार्टमेंट की राय के, बिना एडिशनल एडवोकेट जनरल की राय के वो कौन लोग हैं जो कानून के प्रावधान के विपरीत जाकर आपकी सरकार से यह काम करवा रहे हैं। क्या यह सब आपकी जानकारी में था? माननीय सभापति महोदय, मैं सेक्शन 32(ए), जो एनडीपीएस एक्ट का है वह कोट करना चाहता हूं – "No suspension, remission or commutation in any sentence awarded under this Act. – Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or any other law for the time being in force but subject to the provisions of section 33, no sentence awarded under this Act … shall be suspended or remitted or commuted." अन्तरराष्ट्रीय संधि के आधार पर दुनिया के सभी मुल्कों के बीच में जो एक अन्तरराष्ट्रीय संधि हुई उसके आधार पर यह सेक्शन एड किया गया था। कोई प्रावधान नहीं होने के बाद किसके दबाव से एसपी ने नीचे से रिपोर्ट भेज दी, किसके दबाव से कलक्टर ने रिपोर्ट भेज दी, किसके दबाव से असिस्टेंट डाइरेक्टर-प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डाइरेक्टर सोशल वेलफेयर ने रिपोर्ट भेज दी और यही नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सज़ा हुई, हाई कोर्ट से सज़ा हुई ऐसे आदमी को बचाने के लिए सरकार में कौनसी ताकतें लगी हुई थीं? माननीय सभापति महोदय, हम समझ सकते हैं ऐसे अपराधी को बचाने के लिए कलक्टर और एसपी व होम डिपार्टमेंट त्वरित गति से चल रहा है यह बिना मुख्य मंत्री कार्यालय की सहमति के नहीं हो सकता। आप सदन को यह बताइए कि उस अपराधी को छोड़ने के बाद कितनी फाइलें एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों को छोड़ने की आपके कार्यालय में, डिपार्टमेंट में चली हैं? अगर इस सरकार का दामन साफ है, अगर यह सरकार राजस्थान की जनता के सामने सच्चाई रखना चाहती है तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं बिलकुल गैर कानूनी तरीके से एनडीपीएस एक्ट में जिस आरोपी को छोड़ने के लिए जो-जो अधिकारी जिम्मेदार हैं और यह भूल महामहिम राज्यपाल महोदय की जानकारी में नहीं लाना कि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। आज गृह मंत्रीजी, आप सदन में वक्तव्य दें, मैं चाहूंगा कि मेहरबानी करके इस पूरे प्रकरण के अन्दर दूध का दूध और पानी का पानी आप करें जिससे राजस्थान की जनता को मालूम पड़ सके कि झालावाड़ जिले के इन आरोपियों को बचाने के लिए यह गंदा खेल खेला गया है, कानून का

(श्री संयम लोढ़ा)

मखौल उड़ाया गया है और एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ महामहिम राज्यपाल तक का दुरुपयोग करने की चेष्टा राजस्थान की सरकार ने की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, हमें पीड़ा है इस बात की, आज राजस्थान पुलिस के ऐसे बहुत से अधिकारी जो योग्य हैं, कर्मठ हैं लेकिन सिर्फ इस वजह से उनको उनका वास्तविक हक नहीं मिला है, एक राइडर की वजह से, राजस्थान पुलिस से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए 54 साल आयु का एक राइडर लगाया हुआ है कि जिनकी उम्र एक जनवरी को 54 साल है वही लोग आईपीएस में पदोन्नति के पात्र होंगे। यह लिखा है राजस्थान पुलिस सर्विस रेग्युलेशन, 1955 के अन्दर अमेंडमेंट होने के बाद में "Provided further that a member of the State Police Service who has attained the age of 54 years on the first day of January of the year in which the Committee meets shall be considered by the Committee if he was eligible for consideration on the first day of January of the year or of any of the years immediately preceding the year in which such a meet is held but could not be considered as no meeting of the Committee was held." तो माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अलग-अलग राज्यों के अन्दर सेवानिवृति की आयु भिन्न है। केरल में 55 साल है और यह 30 साल पहले जब यह 54 साल का प्रावधान आरपीएस से आईपीएस के प्रमोशन के लिए लाया गया था तब रिटायरमेंट की एज राजस्थान में भी 55 हुआ करती थी उसके बाद में वह 58 हुई, फिर 60 हुई फिर हमारी कांग्रेस राज में फिर 58 हुई, अब फिर 60 हुई, राजस्थान में पुलिस अधिकारियों को आने वाले वक्त में नुकसान नहीं हो। आज स्थिति क्या हो गई है प्रतापगढ़ के अन्दर आपका प्रमोटी एसपी लगा हुआ है जोशी और वहीं पर एडिशल एसपी लगा है भट्ट वह उससे तीन साल सीनियर है। यह प्रमोशन होने के पहले वह जोशी इसको सर कह रहा था और प्रमोशन होने के बाद उस भट्ट को सर कहना पड़ेगा। कितना बड़ा ह्यूमिलिएशन है इसलिए मैं चाहूंगा कि यह सदन और आप गृह मंत्रीजी सर्वसम्मति से भारत सरकार को इस बात का प्रस्ताव भेजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह बदल कौन सकता है ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): भारत सरकार।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): तो हमने यहां से भेजा हुआ है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): थैंक यू। आप कापी देना हमको भी, अगर आपने भेजी है तो आप उसकी प्रति हमको भी उपलब्ध करवाएं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अब हमारा काम थोड़े ही है यह उपलब्ध करवाना। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): कोई जानता है क्या आपको दिल्ली में? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मुझे नहीं जानता है तो आपको ले जाऊंगा साथ में कि राजस्थान के यशस्वी महान नेता श्री नन्दलालजी मीणा को मैं सिफारिश के लिए साथ लेकर आया हूं, मुझे तो कोई दिल्ली में जानता नहीं, आपको तो बच्चा-बच्चा जानता है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं मेरी बात कब कह रहा हूं, आप अपनी बात कह रहे हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपको ले जाऊंगा साथ में सिफारिश के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): दाढ़ी उतार कर जाना। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, यह जो भर्तियां आप राजस्थान में कर रहे हैं, डूंगरपुर में गड़बड़ी हुई, जयपुर में गड़बड़ी हुई, सिरोही में गड़बड़ी हुई इसलिए मेहरबानी करके अगर आपका डिपार्टमेंट ढंग से इन एक्जामिनेशन को कंडक्ट करने में सक्षम नहीं रहा है तो मेहरबानी करके आप यह करिए कि यह भी आर.पी.एस.सी. को सौंप दीजिए जिससे कम से कम एक भरोसेमंद तरीके से यह भर्ती का काम हो सके और आखिर में गृह मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह जो पंच पटेलों के मामले हैं जिसके अन्दर यह पंच पटेल परिवारों को बहिष्कृत कर देते हैं, ऐसा ही मामला यह 2002 का एफआईआर 37/2002 पुलिस थाना झंवर का मेरे पास में है। आपने इसमें चालान गृह मंत्रीजी रोक के रखा और तीन साल की जब अवधि पूरी हो रही थी, 4 मई, 2005 को आपने उसके चालान की इजाजत दी, उन लोगों को ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह मुकदमा दर्ज कब हुआ ? 2002 में। यह माननीय सदस्य की दाढ़ी में तिनका है, साहब। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपसे राय नहीं मांगी है, काहे को बोल रहे हैं ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, ऐसा नहीं है। 2002 में मुकदमा दर्ज हुआ, वह गलत जानकारी दे रहे हैं।

श्री सभापति: आपका सूची में नाम है, आपका नम्बर आए तब बोलना आप। सूची में नाम है आपका।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वह ठीक है लेकिन यह गलत जानकारी दे रहे हैं इसलिए मैंने बताया है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, ...(व्यवधान) करेक्ट कर रहे हैं वह।

श्री सभापति: नहीं, मैं आपकी सब की राय से सहमत हूं, धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सही है। मुकदमा 2002 का दर्ज है, मैं कोई राजनीतिक आधार पर थोड़े ही आरोप लगा रहा हूं, 2002 में मुकदमा दर्ज हुआ, वह व्यक्ति इतने प्रभावशाली हैं, समाज से बहिष्कृत करने का काम कौन करते हैं, वही लोग करते हैं जो प्रभावशाली होते हैं और वह चाहे यह हुकूमत हो, चाहे वह हुकूमत हो, हर हुकूमत को प्रभावित करने की वह क्षमता रखते हैं लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि ...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह तो बोलो कि आपकी हुकूमत को प्रभावित किया, यह तो बोल दो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब इसमें मैं ज्यादा बोलूंगा न तो बहुत-सी परतें उधड़ जाएंगी, नहीं बोलूं वही ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): उधड़ने दो, आने दो पूरा बाहर।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जस्टिस होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, 2002 में दर्ज मुकदमे का चालान हुआ तीन साल बाद, 4 मई, 2005 को क्योंकि तीन साल की न्यूनतम अवधि की बाध्यता है, लास्ट डेट पर उसका चालान हुआ और उसके 20 दिन बाद 4 मई को चालान हुआ और 25 मई, 2005 को, मात्र 20 दिन बाद समाज से बहिष्कृत करने वाले उन लोगों के खिलाफ चालान हुए मुकदमे को वापस लेने के लिए गृह मंत्रीजी, आपने सिफारिश कर दी और अब आज वह कोर्ट के अन्दर पेश हो गया कि मुकदमा वापस लेंगे। आपकी जानकारी में होना चाहिए कि विभाग ने इस तरह के मामलों में क्या-क्या आदेश निकाले हैं? 2003 के अन्दर हाई कोर्ट की डबल बैंच का फैसला है और उस डबल बैंच के फैसले के आधार पर आपके गृह विभाग ने आदेश निकाला हुआ है, आप तो खुद अपने आदेश की खुली अवहेलना करते हैं और उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हो जिससे कम से कम 40 नौजवान उस परिवार के इसमें लड़कियां भी हैं,

(श्री संयम लोढ़ा)

लड़के भी हैं, उनकी आज 4 साल, 5 साल से जिंदगी हराम कर रखी है, लाखों रुपये पेनल्टी के नाम पर उस परिवार से वसूल कर लिए और वसूल करने के बाद भी उन बच्चियों के और उन बच्चों की कहीं पर शादियां नहीं हो रही हैं लेकिन यह आपकी पीड़ा का विषय नहीं है इसलिए मैं गृह मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने लोगों के इस तरह के दबाव में आकर काम करने के बजाय कम से कम पीड़ित पक्ष का पक्ष सुनें और आज ही इस बात को वापस यह कहें कि हम इस मुकदमे को वापस नहीं लेंगे और हम न्यायालय पर भरोसा करते हुए न्यायालय इस मामले में जो भी व्यवस्था देगा उसके अकार्डिंग सरकार एक्ट करेगी, उसके अकार्डिंग आपका डिपार्टमेंट एक्ट करेगा। सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आज जमा नहीं मामला पूरा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, हरिसिंहजी रावत।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16-17 के सम्बन्ध में कटौती प्रस्तावों पर हमारी सरकार की पुलिस की क्या रीति नीति रही है उसके बारे में थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। भारतवर्ष में कई राज्यों की गिनती की जाए, अगर तुलना की जाए तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान हमारा नम्बर वन है। यहां की शासन व्यवस्था, यहां का पुलिस प्रशासन और यहां की जनता, इतने शांतिप्रिय लोग हैं कि वह यहां कभी इस टाइप के उत्पात नहीं मचाते और इसी अनुरूप हमारा पुलिस प्रशासन ... (व्यवधान) उत्पात आप लोग मचाते हो और हम पर थोपते हो। हमारा पुलिस प्रशासन भी इतना सक्रिय है और सचेत होने की वजह से आपको ध्यान होना चाहिए कुछ दिन पहले हमारे ही पुलिस प्रशासन को हमारी कार्य शैली इतनी अच्छी थी, जयपुर में हमारा शिप्रा पथ पुलिस स्टेशन उसको विश्व में नम्बर वन माना है और उसके साथ-साथ ही अमेरिका की एक कम्पनी है उसने वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एनीमल वेलफेयर इंस्टीट्यूट, अमेरिका द्वारा वर्ष, 2007 के लिए क्लर्क ऑर बोवाइन ला एन्फोर्समेंट अवार्ड से नवाजा।

दूसरा सिंगापुर में एशिया पैसेफिक रिस्क कान्फ्रेंस में राजस्थान पुलिस को क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए भी पुरस्कृत किया। इसका मतलब हमारी पुलिस की कार्य शैली यह है कि विश्व में भी हमारे राजस्थान का नाम हुआ है।

(श्री हरीसिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, आज हमें राजस्थान पुलिस में कुछ आमूलचूल परिवर्तन की भी जरूरत पड़ेगी। आज का युग इतना द्रुतगति से चल रहा है, उससे हम कैसे निपटें उसके लिए हमें पुलिस प्रशासन में सबसे पहले तो पुलिस की भर्ती कर पुलिस नफरी बढ़ानी पड़ेगी। पुलिस प्रशासन के अनुसार जितना हमारा आबादी का कैल्कुलेशन है उस दृष्टि से हमारा जो पुलिस बल है वह कम है इसलिए सर्वप्रथम तो हमें पुलिस में भर्ती की आवश्यकता है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी से और हमारे गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि नफरी के लिए भी विशेष ध्यान दें ताकि हमारा पुलिस बल सशक्त हो सके।

सभापति महोदय, हमारे जैसे नये सोपान कायम हुए हैं उसमें 11 हजार पुलिसकर्मियों की जो भर्ती हुई है वह तो है ही लेकिन हमें और भी इसमें जरूरत है। इसके साथ ही 451 करोड़ रुपये की लागत से 10 हजार आवासीय भवनों का निर्माण किया, राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 पारित किया। प्रत्येक थाने को कम्प्यूटराइज किया जिसकी वजह से हमें विदिन सैकण्ड जो भी इन्फार्मेशन चाहिए वह जयपुर में बैठे हुए मिल सकती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार ने जो द्रुतगति से विकास किया है यह शायद आपके 57 साल काउंट करें तो हमारे सवा चार साल भारी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे क्यों बोल रहे हैं? आप तो अलवर के नरेश हैं। आपका वहां बड़ा मान-सम्मान है। आपके क्षेत्र में आपकी बड़ी गुडविल है उस गुडविल को आप विधान सभा में बनाये रखें, यही आपसे रिक्वैस्ट है। बैठिये आप।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय सभापतिजी, मैं माफी चाहता हूं, हमारे मित्र हैं इनके इतने मुकदमे अटका रखे हैं कि गृह मंत्रीजी ने अभी तक हल ही नहीं किये।

श्री सभापति: बैठिये-बैठिये। आपको अपनी गुडविल को बनाये रखना चाहिए विधान सभा के अन्दर।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): आप क्या चाहते हो इसका पता चल रहा है कि आप 6 जने बैठे हो। आप सारे ही 6 जने हो, कितना अमनचैन है इस प्रदेश के अन्दर, देखो आप।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, जो व्हीकल्स में कमी है वह भी हमें पूरी करनी पड़ेगी। आज दो नम्बरी या चोर-उचक्के हैं उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलाजी की गाड़ियां हैं और हमारी पुलिस उस दौड़ में कहीं पीछे रह जाती है इसलिए मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि गाड़ियां भी विशेष योग्यता के अनुसार रखी जाए। वेपन्स के बारे में भी यह निवेदन है कि पुलिस के पास वेपन्स बाबा आदम के जमाने की राइफल्स है और 7-7 किलो की राइफल्स लेकर के वे घूमते हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वेपन्स भी लेटेस्ट टेक्नोलाजी के उपलब्ध कराये जाएं। आज के युग में, हाई टेक्नोलाजी के युग में हमारी पुलिस बहुत ही असहाय महसूस करती है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें भी हमें तब्दीली करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, अब मैं अन्य विषयों पर न बोलकर मेरी ही डिमांड पर जाना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो मेरे पुलिस के डीवाई एस पी आफिस को अपग्रेड किया जाए। इसका कारण यह है कि राजसमन्द जिले में सबसे अंतिम छोर पर मेरा क्षेत्र पड़ता है जिसकी 115 किलोमीटर दूरी है। पुलिस प्रशासन को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा भीम उप अधीक्षक कार्यालय है उसको एडिशनल एस पी कार्यालय में तब्दील किया जाए। दूसरा, देवगढ़ पुलिस स्टेशन भी एक नगरपालिका क्षेत्र है और 19 पंचायतें उसके अन्तर्गत आती हैं तो मेरा यह निवेदन है कि उसको भी अपग्रेड करके सी.आई. सर्किल बनाया जाए। इसके अतिरिक्त कामलीघाट है जो हाई-वे पर स्थित है और वहां पर पुलिस चौकी में केवल दो सिपाही ही रहते हैं। मेरा निवेदन है कि उसको भी अपग्रेड करके ए.एस.आई. की पोस्ट करके कम से कम 4-5 पुलिसकर्मियों की वहां व्यवस्था की जाए क्योंकि वहां पर आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं या कोई भी उपद्रव या घटना होती है तो अगर वहां पर पुलिस फोर्स रहेगी तो हमें सहूलियत मिलेगी।

दूसरा, मेरे क्षेत्र की बार पुलिस चौकी है। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि लास्ट टाइम पर भी आपने बर और बार में डिफरेंस नहीं समझा और जो वहां पर पैसे सैंक्शन होने थे वो नहीं हुए जिसकी वजह से हमारी 5 बीघा जमीन अलॉट है लेकिन उसमें भवन निर्माण नहीं हो सकता। मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि इस बजट में वहां पर पुलिस चौकी और वहां पुलिस कर्मियों के रहने के लिए व्यवस्था कर दी जाए तो आने वाले पुलिस वालों की व्यवस्था सही हो जाएगी। इसके अलावा वहां पर केवल एक मोटर साइकिल दे रखी है इसलिए गृह मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि उस पुलिस चौकी

(श्री हरीसिंह रावत)

पर कम से कम एक जीप दी जाए। यह मेरे क्षेत्र से 65 किलोमीटर दूर पड़ता है और 7 पंचायतें उस क्षेत्र में आती हैं और वहां पर आना-जाना बहुत मुश्किल होता है इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो पुलिस नफरी बढ़ाई जाए और एक जीप की व्यवस्था की जाए। वहां पर इस वक्त केवल एक ही मोटर साइकिल दे रखी है और साथ में केवल 15 लीटर उसको पैट्रोल दिया जाता है। अगर मान लो कभी क्षेत्र में जाना चाहे तो वह अपना सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर एक जीप उपलब्ध कराई जाए ताकि वहां पर व्यवस्था अच्छी हो सके।

माननीय सभापति महोदय, भीम में जो जेल है वह पुरानी तहसील में ही चल रही है। अगर आज 4-5 कैदी से ज्यादा हो जाएं तो पूरी व्यवस्था खराब हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां जमीन भी अलाट हो चुकी है और उस जमीन पर बाहर यह जेल बन जाए तो मैं सोचता हूं कि कैदियों की व्यवस्था में थोड़ा सुधार हो जाएगा।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि अभी संयमजी बता रहे थे कि आपके राज में यह हुआ, वह हुआ। मैं भी थोड़ा इसमें प्रकाश डालना चाहूंगा कि 29.4.1994 की बात है, तब 12 लाख रुपये का पंचायत समिति में घोटाला हुआ था। उस घोटाले में सी.बी.आई. जांच भी हुई थी जिसमें वो व्यक्ति दोषी पाया गया और उसको टर्मिनेट किया गया। टर्मिनेट होने के बाद भी उसको वापस कैसे बहाल किया और बहाल होने के बाद उसको कैसे प्रमोशन दिया और उसके बाद फिर उसने 60240 रुपये का घपला किया। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस तथ्य को भी गहराई से जांचा जाए और जिसने गलती की है उसको सज़ा मिले। पहले इसने 12 लाख का घपला किया और अभी फिर 60240 रुपये का घपला किया। वो उसने एक्सैप्ट कर लिया और एक्सैप्ट करने के बाद उसने कहा कि मैं वापस जमा करा दूंगा तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे दोषी व्यक्तियों को जो एक्सैप्ट कर लेता है कि मैंने पैसे लिये हैं, मैंने चुराये हैं या मैं इसमें दोषी हूं तो क्या ऐसे व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। पैसे जमा कराने के बाद भी उस व्यक्ति को अभी तक सस्पैंड नहीं किया। कारण क्या है इसका लेकिन यह भी एक जांच का विषय है, इस पर भी गौर किया जाए।

सभापति महोदय, एक केस और है। हमारे क्षेत्र में एक कांग्रेस का महामंत्री है और उस भाई ने, "पत्नी को मौत को भुनाने का प्रयास", यह

(श्री हरीसिंह रावत)

अख़बार की कटिंग है, अख़बार में भी आया है यह केस। यह बड़ी विचित्र घटना है कि उनकी पत्नी तो कैंसर से मरी थी, उसके कैंसर था और जब एस एम एस में एडमिट कराया तो डाक्टरों ने मना किया कि इसका इलाज नहीं हो सकता। उस व्यक्ति ने वापस भीम जाकर इंश्योरेंस कम्पनी से कांटेक्ट किया और 4 कम्पनियों से कांटेक्ट करके 4 कम्पनियों में इंश्योरेंस क्लेम के लिए फार्म भरे। उसके बाद उस व्यक्ति की जो पत्नी थी उसकी मौत हो जाती है उससे फिर भी उसको तसल्ली नहीं हुई और उसने क्या किया कि वह वापस गया ज्ञानगढ़ किसी डाक्टर से व पुलिस स्टेशन करेड़ा में गया और पुलिस स्टेशन करेड़ा में जाकर के पुलिस एस.एच.ओ. से सांठ-गांठ करके यह बताया कि मैं किसी गुर्जर के यहां जा रहा था और मेरी मिसेज पेशाब करने उतरी और उतरने के बाद सांप काटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को पुलिस वालों ने सब ने मिलीभगत करके घटना बनाया और उसके बाद ज्ञानगढ़ PHC का जो डाक्टर है उसने उसका पोस्टमार्टम किया कि मैंने पोस्टमार्टम किया और हकीकत यह है कि वह औरत कैंसर से मरी थी और वह भीम में मरी थी। न तो वह ज्ञानगढ़ गई और न उसका पोस्टमार्टम ज्ञानगढ़ में हुआ, न करेड़ा पुलिस स्टेशन में। लेकिन उन्होंने पूरे तथ्य ऐसे किये कि जैसे वास्तव में सत्य हो और हकीकत यह है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि एक पुलिस प्रशासन एस. एच. ओ. करेड़ा...

श्री सभापति: इस प्रकरण की एफ.आई.आर. दर्ज है क्या? मुकदमा नम्बर है क्या?

श्री हरीसिंह रावत (भीम): एफ.आई.आर. दर्ज है, मैं आपको बताता हूं।

श्री सभापति: आप अलग से बता देना गृह मंत्रीजी को।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): यह एफ.आई.आर. है इसमें टाइम है 9.15 ए.एम., दिनांक 21.7.2007 और जिला भीलवाड़ा करेड़ा पुलिस स्टेशन है जिसकी एफ. आई. आर. नम्बर...

श्री सभापति: अभी ध्यान में नहीं है तो बाद में गृह मंत्रीजी को बता देना।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, तारीख मैं बता देता हूं।

(श्री हरीसिंह रावत)

दूसरा सभापति महोदय, डाक्टर्स ने झूठा सर्टिफिकेट दिया उनको और जब कि वापस उसमें फिर जो उन्होंने गवाह दिये हैं, वे गवाह वहां से 50 किलोमीटर दूर रहते हैं तो यह भी जांच का विषय है कि 50 किलोमीटर का वह व्यक्ति वहां कैसे पहुंच गया कि उन्होंने बोला कि हमारे सामने हां साहब, मर गयी, यह भी जांच का विषय है, इसका तत्काल निवारण किया जाये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): सदन की मेज पर रख दो।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): यह मैं सदन की मेज पर रखूंगा। दूसरा, हमारे व्यक्ति के साथ में बड़ा धोखा हुआ है। भीम के हमारे मित्र हैं, मित्र समझिये या हमारे क्षेत्र के एक व्यक्ति हैं। उनके यहां, एक हमारे यहां पर भोमादेही पाइप लाइन का काम चालू हुआ। उसके अन्तर्गत पाइप लाइन टूट गई तो एक जे.सी.बी. वाला काम कर रहा था। वह जे.सी.बी. का काम करते समय पाइप टूट गई उसके घर से जो लाइन निकल रही थी तो वह रिपेयरिंग करने गया तो उस समय क्या हुआ कि वह जे.सी.बी. का ड्राइवर, जिस व्यक्ति के साथ में चोट हुई, उसके साथ में एक चीटिंग हुई है। उसके घर में गया मुझे पानी पिलाइये। पानी पिलाने के बाद में वहां बातचीत हुई, पानी पीया उसने और कहा कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, कभी काम पड़े तो कहना, उसने टेलीफोन नम्बर लिये और टेलीफोन नम्बर लेने के बाद करीब एक महीने बाद...

श्री सभापति: यह कुछ ऐसा विषय है आप इसको व्यक्तिगत गृह मंत्रीजी को बता सकते हैं। आप अपनी विधान सभा की डिमांड बताइये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): वह भी बता रहा हूं। यह भी एक बहुत संवेदनशील मामला है। सभापति महोदय, इसमें यह सब संवेदनशील मामला है और इसमें एक पप्पू सिंह नाम का एक आदमी है, उसने एक सोने का बिस्कुट...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): कृषि मण्डी से उसने सांप काटने पर पैसा ले लिया क्या 50,000 रुपये?

श्री हरीसिंह रावत (भीम): नहीं, पता तो किया। भीलवाड़ा में इन्वेस्टीगेशन चल रहा है, वह बच गया। दूसरा, एक बड़ा सनसनीखेज मामला...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): कृषि मण्डी से उसने सांप काटने पर 50,000 रुपये ले लिये क्या?

श्री सभापति: परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): वह वहां पर उसने डिमांड कर दिये हैं लेकिन कृषि उपज मण्डी में उसको मालूम पड़ने से वह बच गया। दूसरा, एक बड़ा सनसनीखेज मामला आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। एक सोने का बिस्कुट...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): यह सोने का बिस्कुट है, इसमें छह लाख रुपये लेकर ठगी की गई है और यह व्यक्ति भरतपुर का रहने वाला है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह असली है या नकली है? यह असली है या नकली है?

श्री हरीसिंह रावत (भीम): जिसके टेलीफोन के नम्बर, मोबाइल के नम्बर भी हैं और यह सोने का बिस्कुट...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह असली है या नकली है?

श्री हरीसिंह रावत (भीम): यह नकली है और वह असली बोलकर हमारे आदमी के साथ चीट किया है और इसी के साथ चीट नहीं किया, उसने पहले भी एक व्यक्ति के साथ चीट किया है। वह पाली जिले का है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह सदन की मेज पर रखो कि यह बिस्कुट असली है या नकली है, इसकी जांच हो जाये। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): श्रीमान्जी, यह भरतपुर में कोई काम नहीं करता है।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): यह भरतपुर एरिया का ही है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं नहीं, ये लालच में आये होंगे। ये भी लालच में आये होंगे कि साहब, छह लाख रुपये का सोने का बिस्कुट दो लाख में मिल रहा है, ये खुद भी दोषी हैं। (व्यवधान) यह भी लालच में आ गये होंगे।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): वह नकली देने वाले मेवात के ही लोग हैं और वह व्यक्ति उधर का ही है। यह आप ही का व्यक्ति हो सकता है, आप ही लोगों का होगा क्योंकि यह मेवात का है और यह...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसका मतलब मेरे आदमी पूरे राजस्थान में तो हैं, यह तो मानो आप। आप किसके हो, कुछ अता-पता ही नहीं चला आपका।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): यह रहने वाला मेवात का ही है और इस तरह का कांड करने वालों में एक पाली का भी था और पाली में एक दीपाराम बंजारा नाम का एक आदमी है, सरपंच रूपावास, उसके साथ में भी, उसके भी दस लाख रुपये की चोट की लेकिन वह डर के मारे सामने केस नहीं लाया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ये सारे ऐसे ही हैं।

एक माननीय सदस्य: सबको निपटा देंगे यहां से।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): चिंता ही मत करो आप तो।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): और उसका भी यह केस है। तो सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह तथ्यों की गहराई में जायें। जिसके साथ चोट हुई है, उसको न्याय दिलाया जाये और इस टाइप की घटना कहीं होती है, जब उसकी खिंचाई हुई तो उसने कहा कि मैं जे.सी.बी. लगा रहा था रात को और जे.सी.बी. खोदते समय मुझे ईंटों का... तो इसलिए यह तथ्यों को देखो, यह जांच का विषय है और इसमें करके इनको न्याय दिलायें। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, यह अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य बहुत धाराप्रवाह बोल रहे थे...

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): सभापति महोदय, हमारा भी नाम है।

श्री सभापति: हां, बिलकुल आपकी पर्ची है, लिस्ट में आपका नाम है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य अपना भाषण करें, लेकिन मेरा तो आपसे निवेदन है कि यह सदन पर्सनल मामलों या पर्सनल केसेज की पैरवी का केन्द्र नहीं होना चाहिए।

श्री सभापति: मैंने यह राय दी है सदस्यों को।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने भी निर्देश दिये हैं, मैं भी यही कह रहा हूं कि हम यहां बात करें जो जनरल लोगों की जान-माल की सुरक्षा से सम्बन्धित हो, नीति से हो या और कोई से हो, हम एक-एक एफ.आई.आर. की और एक-एक केस की यहां पैरवी करें और केस पेंडिंग हो तो फिर उसकी जांच पर और उसकी निष्पक्षता पर फर्क पड़ता है, इसलिए आप उनको यह निर्देश दें कि पर्सनल मामले नहीं उठायें। आपने निर्देश दिये हैं लेकिन इनकी पालना होनी चाहिए।

श्री सभापति: मैंने आपकी भावना से सदस्यों को पहले अवगत करा दिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद(नगर): धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य मदन राठौड़जी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, अब आपने निर्देश दिये हैं कि मैं इनकी पर्सनल बात, भरतपुर नगर के जो माननीय सदस्य हैं, मैं उनकी पर्सनल बात नहीं रखूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, मेरी तो खूब बोलो ना।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, मैं नहीं कहूंगा, नहीं बोलूंगा अब मेरे पड़ोसी हैं, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन किसी भी विषय को इतना सनसनीखेज तरीके से रखते हैं। अभी चार दिन पहले की बात है। सिरोही में कोई एक बच्ची मिली, जिसकी लाश मिली बता रहे थे, उस पर कुंकुम, रोली वगैरह क्या-क्या लगाकर नारी बलि की गई और यहां सदन में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से लेकर आये थे लेकिन सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि जिस बच्ची की यह नर बलि बता रहे थे, वह बच्ची जिन्दा मिल गई, यह भी आप देखिये यानी मतलब इतना सनसनीखेज...

व्यक्त‍िगत स्पष्टीकरण

श्री संयम लोढ़ा, सदस्य विधान सभा का व्यक्त‍िगत स्पष्टीकरण

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): on a point of explanation. माननीय सभापति महोदय, मैंने जो भी बात कही, वहां के थानाधिकारी के स्टेट पब्लिक स्टेटमेंट, वहां के मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन के पब्लिक स्टेटमेंट और उन्होंने खुद ने यह राय व्यक्त की। मैं तो यह आपकी राय से सहमति व्यक्त करते हुए माननीय गृह मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपके जिस पुलिस अधिकारी ने इस तरीके से बयान देकर अखबारों में दिया, पूरे क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राजस्थान के अन्दर राजस्थान को कलंकित करने का काम किया है, आप उसके खिलाफ कार्यवाही की घोषणा करो... (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ...और आपने इस सर्वोच्च सदन में स्त्री की सनसनीखेज घटना पर जो बोला, उसका क्या करोगे? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपका एस.एच.ओ. पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा है, हम क्यों नहीं कोट करेंगे उसको? (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): वहां पर हकीकत क्या है, उसका पता तो करना चाहिए था। वह खुद देख लेते, इसके बाद में यहां रखते अपनी बात। (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं नहीं, माननीय गृह मंत्रीजी से कह रहा हूं...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...और सभापति महोदय, सारे अखबारों ने उस पुलिस के स्टेटमेंट को माना, पुलिस के उच्चाधिकारियों ने माना, मेडिकल बोर्ड ने माना कि यह नर बलि का मामला है और इसके बाद में मैंने सदन के अन्दर मामला उठाया है।

श्री सभापति: चलो, आपका विषय आ गया, एक विषय को बार-बार रिपीट नहीं करें। आपने अपनी बात रख दी। आपने अपनी बात रख दी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि कौन सच है कौन गलत है लेकिन नर बलि के बारे में आपने कहा था, तब मैंने एक बात यहां सदन में कही थी कि कभी भी महिला की यानी कहीं भी मतलब नर की तो हमेशा बलि होती है, लेकिन मादा की बलि नहीं होती है। यह विषय मैंने उस समय भी कहा था लेकिन आपको पुलिस की इस अच्छाई पर भी ध्यान देना चाहिए था और आज जब आपने भाषण शुरू किया तो आपको धन्यवाद देना चाहिए था उस एस.ओ.जी. की टीम को और वहां की टीम को कि उन्होंने उस बच्ची को ढूंढकर केवल इतने समय में ढूंढ लिया और उस सच्चाई में पहुंच कर, उस बच्ची को बरामद करके उसके माता-पिता को सुपुर्द कर दिया पर आपके मुंह से ऐसे अच्छे शब्द निकल ही नहीं सकते (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आज निकलेंगे, आज निकलेंगे सभापति महोदय। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): और सभापति महोदय, उस गलतबयानी के लिए इनको सदन में माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास(जोधपुर): सदन में इनसे माफी मंगवाओ। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): इन्होंने पहले भी एक ऐसा विषय उठाया था। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): धन्यवाद तो हमारे को दो, मैंने उस मामले को सदन में उठाया, तब यह मामला खुला नहीं तो राजस्थान के अन्दर हजारों बलियां होती हैं, उनके मां-बाप फिरते हैं, आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): नहीं नहीं, सदन में इनसे माफी मंगवाओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...दिन-दहाड़े लड़कियां लूटी जा रही हैं और... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): सदन में माफी मांगनी चाहिए आपको।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। मैंने इस मामले को यहां पर उठाया, तब यह सदन में खुला।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी राय दे दी है। अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आपको माफी मांगनी चाहिए।

श्री सभापति: अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): सभापति महोदय, इनसे माफी मंगवाओ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माफी की क्या बात है? वहां पर पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है। माफी मांगे तो सरकार माफी मांगे उस गलत बात के लिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कीजिये। सबने अपनी-अपनी राय दे दी है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप तो गलत बोल रहे हो, इस विधान सभा में आप कैसे बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इस विधान सभा में यह शपथ ली जाती है कि कोई झूठ नहीं बोलेगा (व्यवधान) मगर उसके आधार पर ही यह मामला उठाया है। अगर माफी मांगे तो आपका एस.एच.ओ. मांगे जिसने गलतबयानी की है।

श्री धर्मपाल चौधरी(संसदीय सचिव): आप अख़बार को पढ़कर कह रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माफी सरकार क्यों मांगे? माफी इनको मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आपको सदन में माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आप अखबारों को लेकर यहां पर पढ़ना छोड़ दो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप यह कैसे कह सकते हो कि आपके एस.एच.ओ. ने स्टेटमेंट नहीं दिया? (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, सदन में किसने बोला है? सदन में इनको माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आप बिना तथ्यों की जानकारी के सदन में बोलते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आप धरातल पर रहना सीखो, अख़बार के आधार पर मत बोलो। अख़बार में आ गया, अख़बार में पढ़ लिया और यहां पर बोल जाते हो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी सरकार माफी मांगे। आपके अधिकारी माफी मांगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): धन्यवाद तो हमको दो कि हमने इस सदन में यह मामला उठाया है, तब यह मामला खुला है।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): जिस बात को आपने यहां पर उठाया है, आपने अख़बार के आधार पर यहां पर मामले को उठाया है। धन्यवाद किस बात का मांग रहे हो। +++ आनी चाहिए आपको कि अख़बार के आधार पर कोई बात आ गई और आपने यहां पर कह दी जैसे आप वहां पर जाकर आये हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): माफी मंगवाओ इनसे। ऐसी गलत बात यहां पर कह देते हो। ऐसे लोगों को माफी मंगानी चाहिए। +++ आनी चाहिए इनको। एक बच्ची के साथ में इस तरह से, सदन में इस मामले को उठाया है... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जिस समय इन्होंने मामला उठाया, गृह मंत्रीजी को ही पता नहीं था कि क्या मामला है। इनको पता था क्या कि वह लड़की जिन्दा है, इनको पता था क्या कि वह जिन्दा है। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): नहीं तो फिर ऐसा कहा क्यों?

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): जो गृह मंत्रीजी ने सदन में... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इनके अधिकारियों से पूछते।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): सिर्फ अख़बार के पढ़ने से ही कह दिया..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इनके अधिकारियों को ही पता नहीं था, इनके अधिकारियों को भी पता नहीं था।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, यह गृह मंत्रीजी को ध्यान था या नहीं...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, फिर कहा क्यों, कितनी बड़ी बात कर दी इन्होंने।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): काहे को बोल दिया अख़बार में पढ़कर, कल और कुछ भी बोल देंगे अख़बार में पढ़कर।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तुम्हारी सरकार ने तो दस हजार रुपये भिजवा दिये उसके घर पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यहां पर प्रत्येक माननीय सदस्य यहां अपनी पर्सनल नालेज के आधार पर ही...

श्री संयम लोढ़ा(सिरोही): तुम्हारी सरकार ने तो दस हजार रुपये भिजवा दिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अधिकारियों ने स्टेटमेंट दिया था...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जिंदा को मरा हुआ बताकर के दस हजार रुपये तुम्हारी सरकार ने भिजवा दिये। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): उसको मरा हुआ बता दिया, सभापति महोदय, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, यहां पर कहना अपराध नहीं है। यहां प्रत्येक माननीय सदस्य को विशेषाधिकार है कि वह कुछ भी बात यहां पर कह सकता है लेकिन अपने यहां नियमों में व्यवस्था है कि वह पर्सनल नालेज के आधार पर ही अपनी बात को यहां पर कहे, न कोई पत्र के आधार पर, न किसी दूसरी चीजों के आधार पर... (व्यवधान)

श्री सभापति: इनको बोलने दें। एक मिनट, इनको बोलने दो। आप बीच में नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): बोलने दो न पहले। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरी बात सुनिये। बच्ची के, मरी हुई बच्ची के घर पर सरकार ने दस हजार रुपये भिजवा दिये और वह बच्ची जिंदा निकली तो गलती सरकार की है कि मेरी है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आपकी गलती है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने क्यों भिजवाये दस हजार रुपये। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): आपकी गलती है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव) गलती आपकी है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार आप लेकर के बैठे हुए हो...

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): गलत बात करी है आपने। आपने पुलिस पर आरोप लगाया था, अखबारों के माध्यम से...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): सभापति महोदय, सरकार ने दस हजार रुपये उस बच्ची के परिवार को दे दिये तो इसमें सरासर सरकार की गलती है। दस हजार रुपये, यदि सरकार के खजाने से दस हजार रुपये दिये तो सरकार की गलती है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव) : सभापति महोदय, यह कह देंगे यहां पर कि महीपालजी मर गये और वह जिम्मेदारी के लिए...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दस हजार रुपये क्यों भिजवा दिये। यह बताओ दस हजार रुपये क्यों दिये...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): महीपालजी, दस हजार रुपये आपने भेजे थे क्या। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दस हजार रुपये क्यों दिये आपने।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव) यह तो कल कह देंगे, महीपालजी मर गये और वह...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): खुद तो मेहनत करते नहीं हैं, मेहनत तो करते नहीं है, मेहनत करते नहीं है और बिना जानकारी के...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार माफी मांगे। दस हजार रुपये उस बच्ची के मां के घर पर क्यों भिजवाये। (व्यवधान) यह सरकार माफी मांगे।

श्री सभापति: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, एक ही बात को आप सौ बार कह चुके हैं, एक बात को बार-बार रिपीट न करें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पर उन्होंने यह समझा है कि एक माननीय सदस्य ने...

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): अख़बार में पढ़ा और यहां आकर कह दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और आपके बीजेपी के एमएलए ने तो स्टेटमेंट दिया था कि अगर वह तांत्रिक मिल गया तो जिंदा जला देंगे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): +++ आनी चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इससे गैर जिम्मेदार कोई सदस्य हो सकता है...

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): +++ तो है नहीं, मन में आये जो कह दिया...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह भी कल्पना के बाहर है। दस हजार रुपये की सहायता दी...

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): यह अख़बार देखा और कह दिया आकर, बोलने के अलावा, आपको माफी मांगनी चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): लेकिन सदन का दुरूपयोग करते हैं, किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं और उससे सनसनीखेज सारे राज्य में जाता है। हम अपने जिम्मेदार सदस्य हैं इस विधान सभा में।

श्री सभापति: भविष्य में सभी माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखें। माननीय मदनजी राठौड़, बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप, सभापति महोदय, यह व्यवस्था दें, अपने यहां पर पहले भी यह व्यवस्था हुई है, बिना जानकारी के केवल अखबारों के आधार पर केवल अतिरंजित शब्दों का यहां पर कोई प्रयोग नहीं करेगा।

श्री सभापति: कुछ माननीय सदस्य सदन का दुरूपयोग नहीं करें। बोलिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): माफी मंगवाइये, माफी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उनको कहो, कुछ क्या है, उन्होंने किया है और फिर अड़े हुए और हैं...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): वह तो मृतक मान रहे थे। यह तो किडनेप मान रहे हैं उसको। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अब आप बिराजो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप मुख्य सचेतक की कुर्सी पर बैठे हो, किस नियम के अंतर्गत आपने यह मामला उठाया, किस नियम के अंतर्गत उठाया और आपने...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वहां का बच्चा-बच्चा कह रहा है, अगर हमने यह सदन में मामला नहीं उठाया होता तो वह बच्ची नहीं मिलती। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): प्वाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप तो वहां +++ कुछ नहीं है आपके पास में। वहां की जनता आपको वोट नहीं दे रही है, कुछ नहीं है आपके पास में, हमारे यहां कभी बलि नहीं होती है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 272 पढ़िये। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव) +++ को छिपाने के लिए कुछ भी बोलो, कुछ नहीं है। केवल सिरोही को बदनाम करने की बात है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 272 तो खोला हुआ है मेरे।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव) कोई धन्यवाद नहीं दे रहे हैं... (व्यवधान) सदन का गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, यह तरीका सही नहीं है, यह आपने कह दिया कि बच्ची मर गई...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव) हमारे यहां कोई बलि कभी नहीं होती, माननीय सदस्य ने उठा करके सिरोही को बदनाम करने के लिए...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हां, तो पूरे राजस्थान में नाम कर दिया। (व्यवधान) यह कह रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रक्रिया के नियम 269 । 269 ।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): माफी मांगनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कल्ला साहब, अब आप बिराजो।

श्री सभापति: बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बोलो, बोलो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, हालांकि अब मैं यह वापिस नहीं दोहराऊंगा कि कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति ने जो बात कही उसका भण्डाफोड़ राजस्थान की पुलिस ने किया और वह बच्ची सही सलामत मिली। वह बच्ची सही सलामत मिली इसके लिए निश्चित रूप से राज्य की पुलिस को बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): और बताऊं आपको? 265 पढ़िये, 265 । प्रथम खण्ड, ग, अध्यक्षीय व्यवस्था। 265 पृष्ठ पर पढ़िये अध्यक्षीय व्यवस्था।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नियमों को आप मानते नहीं हो और नियम की दुहाई दे रहे हो बिना काम ही।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां, नियम में है तो पढ़ दिया न और उसी नियम के अन्तर्गत...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर नियमों की अवहेलना करते हैं तो मुख्य सचेतक करते हैं पूरे इस सदन में।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप करते हो, बीच में खड़े हो जाते हो हर टाइम।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सदन में कोई भी विवेचन यहां कोई समाचार पत्र के आधार पर न उठाकर व्यक्तिगत सूचना के आधार पर ही उठाया जाना चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और दूसरे नम्बर पर उप मुख्य सचेतक करते हैं।

श्री सभापति: यह बात मैं पिछले चार साल से सुन रहा हूं आपके किसी के भी समझ में नहीं आ रही है। सब बधाई के पात्र हो आप लोग। बोलिये, मदनजी राठौड़।

मांग संख्या-16 एवं 17 पर विचार

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, सिरोही के माननीय सदस्य ने अभी कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये थे। पता नहीं यह कहां से आंकड़े

(श्री मदन राठौड़)

लेकर आये, मेरे पास भी आंकड़े हैं उनके आधार पर राजस्थान पुलिस की जो छवि निखरी है उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की जानी चाहिए। जहां पर डकैती के 2000 के अंदर 109 प्रकरण थे वहीं पर 2007 में केवल 63 और 2006 में 37 थे। केवल 37 । अब किसकी तुलना करना चाहते हैं, कहां से आंकड़े लेकर के आ गये आप। हत्या के मामले जहां पर 1999-2000 में 1520 थे वहां पर अभी 1115...

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह कौन से अख़बार से ले आये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह अख़बार नहीं है। यह जो आपने पुलिस, यह किताब मिली है इस किताब में यह आंकड़े हैं, जरा पढ़ने का प्रयास करो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): अनपढ़ हैं, पढ़ाई ही नहीं आती है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): और वहां मैं आपके वाक्य नहीं दोहराऊंगा क्योंकि आपने सदन में क्या बोला था कि कौन पढ़ा-लिखा होता है और कौन क्या होता है, मैं उसमें नहीं पड़ता लेकिन थोड़ा अध्ययन कर लेते तो शायद आप टोकाटाकी भी नहीं करते। सभापति महोदय, लूट के प्रकरण थे 1999-2000 में 1209 थे जो अभी 684 हैं। कितनी उपलब्धियां गिनाना चाहेंगे आप। (व्यवधान) यह दस साल पुरानी नहीं कर रहा हूं, मैं आपके राज की तुलना हमारे राज से कर रहा हूं जबकि जनसंख्या बढ़ी है, अपराधों के करने के तरीके बढ़े हैं, अधिकारी तरीके ईजाद कर रहे है...(व्यवधान) टीवी के माध्यम से, और कई माध्यमों से अपराधियों को...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): की गई है। सरकारी लूट की भी है लेकिन वह शामिल नहीं है इसलिए कम हैं आंकड़े।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नये-नये तरीके ईजाद करने के अवसर मिल गये हैं लेकिन इन सबके बावजूद...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव) सरकारी लूट में तो तीन मंत्री सस्पैण्ड हुए थे। याद है या नहीं? सरकारी लूट में तीन मंत्री सस्पैण्ड हुए थे, याद है कि नहीं? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमें तो बंगारू लक्ष्मण की बात याद है, आपको याद है कि नहीं है? आपकी पार्टी के अध्यक्ष थे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): सदन के तीन मंत्री पकड़े गये थे याद करो वह समय।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बंगारू लक्ष्मण की ही याद नहीं है क्या आपको।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): वह याद करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमारे में भी गड़बड़ी हुई है पर...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वह तो खैर आपके तो गिनाना चाहूंगा तो सभापति महोदय मुझे टोकते ही जायेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो बोलो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, आपके उदाहरण सुना दूंगा यहां सदन में कि आपने कितने-कितने घोटाले किये तो अभी सभापतिजी मुझे एक वाक्य भी नहीं बोलने देंगे, वह मुझे टोक देंगे इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, आप बोलो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): लेकिन यह गोपनीय रहने दो, यह बातें ज्यादा उजागर नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। बलवा के मामले में, सभापति महोदय...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके पास है ही नहीं, बोलोगे क्या, बोलो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): है। यदि इजाजत दें सभापति महोदय। इजाजत दें तो मेरे पास में है, पूरे तथ्यों के साथ आया हूं मैं मैदान में। (व्यवधान)

श्री सभापति: राज को राज ही रहने दो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां।

श्री सभापति: मेरे को, माननीय सदस्यों, एक बात समझ में नहीं आ रही है, 1998 से लेकर 2003 तक सारे के सारे पुलिस अधिकारी यहीं थे, मुश्किल से पन्द्रह-बीस रिटायर हुए हों, इन्होंने बड़ी तारीफ की, अब 2003-04 में भी वही सेम अधिकारी, तो चक्कर क्या है यह, असत्य कौन बोल रहा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं यह भी बताऊंगा सभापति महोदय, मैं यह बात आपके सामने...

श्री सभापति: सेम अधिकारी, सेम कर्मचारी, सेम एस.पी., तो आप तथ्यात्मक जानकारी दें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं आपके सामने यह भी बताऊंगा।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री) सभापति महोदय, काम लेने में फर्क होता है, काम कराने में फर्क होता है।

श्री सभापतिः अच्छा, यह बात है। थेंक यू। बैठिये।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री) मशीनरी तो वही रहती है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): सभापति महोदय, नीयत का फर्क होता है, नीयत का।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): घोड़े सवार से दबते हैं, सवार को भी पहचानता है वह। नहीं तो गिरा भी देता है। इसलिए आपको गिरा दिया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इन्होंने क्या-क्या योजनाएं, नई-नई स्कीम्स राजस्थान की सरकार ने बनाई हैं जिसके कारण से अपराधों पर अंकुश आया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसीलिए आपको चीफ व्हिप बनाया है। इसीलिए आपको यहां बैठाया है। अभी नवम्बर में आ जायेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसलिए आपको गिरा दिया। आप कुछ भी बनो, चमचागिरी करके, आप चमचागिरी करके कुछ भी बनो और आपको गिरा दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वह तो ऐसा है...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको इस लायक ही नहीं रखा। आप तो प्रतिपक्ष के नेता के लायक नहीं रहे, अध्यक्ष के नाते नहीं रहे... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप ऐसा है, आपको यहां बैठाने की तैयारी है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मुझे तो बोलने दो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यहां बैठाने की तैयारी है, चिंता मत करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कैसे सवार हो आप, कैसे सवार हो, हमने आपको यहां बैठाया, आपको हटा दिया कांग्रेस वालों ने।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने नहीं बैठाया।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाकर भेजा, आप वहां पर...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप कौन बनाने वाले हुए हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप इतने कमजोर रहे, हमको तो शर्म आने लग गई।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अच्छा-अच्छा, सुनो, हम इतने सजोर हैं कि आपको यहां बैठा कर रहेंगे। हम तो यहां रहेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): वह तो ख्वाब है, ख्वाब। ओनली ख्वाब है और नींद लेने के लिए अच्छा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, कल्ला साहब से सहानुभूति है...

श्री सभापति: अभी तो सब लोग अपनी-अपनी टिकटों की चिंता करें, इनको बोलने दें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, बलवे के प्रकरण 1999 में 16598 थे, 2000 में 15687

जो अभी हमारे समय केवल 1426, कितना? यानी 16598 इनके समय में और हमारे समय में केवल 1426, आप कहां से आंकड़े लाए हो? आश्चर्य की बात है यह प्रशासनिक व्यवस्था, मैनेजमेंट और इसके लिए इन्होंने जो तरीके इजाद किए हैं कि किसी प्रकार अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके? इसके लिए राजस्थान की पुलिस की प्रशंसा करना चाहता हूं। सभापति महोदय, नकबजनी इनके समय में 8971 और 2000 में 8065, 2001 में 7284 वहीं पर हमारी सरकार के समय में 4522 आधे से कम यानी कितने देखिए नकबजनी के मामले हमने रोके हैं। अन्य मैं सारा तो नहीं रख रहा हूं, अन्य भारतीय दण्ड संहिता में इनके समय में 1 लाख 20 हजार 854 प्रकरण और हमारे समय में केवल 1 लाख 3 हजार यानी अपराधों पर अंकुश लगाने के बहुत प्रयास हुए हैं। सभापति महोदय, जो गम्भीर अपराध हैं यह औसत निकाल कर मैंने बताए हैं वार्षिक औसत चार वर्ष का जो रहा है हमारे समय में 10454 और इनके पांच वर्ष का वार्षिक औसत 20720, क्या तुलना करना चाहते हो आप? किस प्रकार से आप प्रतिस्पर्द्धा में आना चाहते हो? यही नहीं लोक व्यवस्था सम्बन्धी अपराध चार वर्ष में 2873 केवल और इनके पांच वर्ष में 12 हजार से भी अधिक यानी ये हैं आंकड़े। सभापति महोदय, ये चालानी का प्रतिशत की बात कर रहे थे, पता नहीं कहां से आंकड़े लाए हैं? माननीय

(श्री मदन राठौड़)

सदस्य यदि मैं गलत हूं, आपको पूरा अधिकार है कि आप बीच में टोकिए मुझे यदि गलत हूं तो मैं चुनौती देता हूं आपको, हत्या के प्रकरण 2003 के अंदर 89.78 प्रतिशत था जो चालानी का प्रतिशत अभी 94.3 प्रतिशत है, यह चालानी का प्रतिशत हत्या का और हत्या के प्रयास का प्रतिशत, हत्या के प्रयास का प्रतिशत भी जो पहले हैं इनका 96 था अभी 97.62 है, डकैती का जो इनके समय में डकैती के प्रकरण खुलते नहीं थे 84.6 प्रतिशत और अभी 100 प्रतिशत केवल इसी वर्ष नहीं, गत वर्ष में भी 100 प्रतिशत था, डकैती के प्रकरण खुले हैं, सारे ही डकैत गिरफ्तार करवाए गए हैं। यही नहीं सभापति महोदय, बलात्कार के प्रकरणों में भी और चालानी का प्रतिशत बढ़ा है। नकबजनी के प्रकरणों में भी, इनके समय में 28.29 प्रतिशत था जो अभी 34.4 प्रतिशत है।

आपको जानकारी होगी कि थार लिंक एक्सप्रेस के माध्यम से यह नगर के सदस्य जरा कूदना मत, आप जरा शांति से सुनना, पाकिस्तान से नागरिकों के आने की वृद्धि हुई है और यही नहीं पाकिस्तान से नकली नोट हिन्दुस्तान में आने की प्रक्रिया बढ़ी हैं लेकिन उन सब पर भी अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया है। उसके माध्यम से आ रहे लोग यहां पर नकली नोट चलाना चाहते हैं पाकिस्तान परस्ती लोग उनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उनको रोकने में कामयाबी हासिल की है। इसके लिए राजस्थान पुलिस को बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने सुना होगा कितने अपहरण के प्रकरण हुए? लेकिन धन्यवाद राजस्थान पुलिस को और यहां के मिनिस्टर को भी और राजस्थान की सरकार को भी कि सारे अपहरण काण्ड खुले, अपहर्ता सारे बरामद हुए और सारे मुलजिम पकड़े गए। आपके समय में क्या हुआ था? वह कई मामले ऐसे हैं, हां यह बात बिलकुल सही कह रहे हैं आप, एक तो व्यक्ति मिला कांग्रेस पार्टी में जो स्वीकार कर रहा है कि छोड़ दिया अपराधियों को, ठीक बात है। सभापति महोदय इसके लिए क्या किया? मैं यह आपके सामने थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की पुलिस ने केस आफिसर स्कीम लागू की, पहली बार राजस्थान में केस आफिसर स्कीम लागू की है, जिसमें अपराधियों को पकड़ा गया, पकड़ने के बाद में उनको जेलों में भेजा गया, मुक़दमे का चालान होता है, उसके बाद में उस मुक़दमे की निगरानी करने के लिए एक आफिसर लगाया जाता है, जो आफिसर पूरी निगरानी रखता है कि

(श्री मदन राठौड़)

कहीं गवाहों को बदलने का प्रयास नहीं करें, कोई अपराधी गवाहों को खरीदने का प्रयास नहीं करें, गवाह सही समय पर जाकर बयान दे ताकि अपराधी को सज़ा हो सके। अपराधियों को सज़ा जब होने लगी है तब अपराधों पर अंकुश आने लगा है। केवल यूं कपोल-कल्पित बातें करने से नहीं होता। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए योजनाएं बनानी पड़ती हैं, टीम बनानी पड़ती है और पूरी टीम जब एक राय होकर के काम पर लगती है तब जाकर के अपराधों पर अंकुश लगता है। केवल थोथी बात करने से नहीं होता।

सभापति महोदय, हमारी राजस्थान की सरकार ने और राजस्थान के पुलिस विभाग ने एक स्पेशल आपरेशन ग्रुप तैयार किया है जो डिवीजनल सेंटर पर जितने भी इनके रेंज है, डीआईजी को उसका मुखिया बनाया गया है ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार का अपराध हो चाहे कबूतरबाजी का हो, विदेशियों के क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग का, धोखाधड़ी का हो या कोई किसी प्रकार का ऐसा प्रकरण हो, उसको खोलने के लिए यह टीम जाती है, वह प्रशिक्षित टीम है, वह अपराध खोलती है तब जाकर के अपराध खुलते हैं। यही नहीं इन्होंने एक इमरजेंसी रेस्पोंस टीम बनाई है, वह भी डिवीजनल सेंटर पर और उसमें भी भरतपुर में ज्यादा अपराध हो रहे हैं उसके लिए भी रखा है, अलवर का भी नाम उसमें रखा है, डिवीजनल सेंटर के अलावा भरतपुर और गंगानगर वहां पर भी इस प्रकार की टीम लगाई है, ज्यादा अपराध उधर होते हैं, अलवर में। इसी प्रकार से क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट बनाई है इन्होंने। ठीक इसी प्रकार से सीएलजी का इन्होंने पूरा उपयोग किया है लगभग 52 हजार लोग आज पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। पुलिस के पास कोई जादू का डण्डा नहीं है कि जिससे कोई अपराधी पकड़ में आ जाए, इसके लिए जन सहयोग भी लेना पड़ता है और जनता भी सहयोग तभी देती है जब मित्रवत् व्यवहार कायम रहे। पुलिस और जनता का मित्रवत् व्यवहार रहे और जन सेवक बन करके पुलिस काम करें तब जाकर के जब किसी को जानकारी कोई मिले और वह जानकारी पुलिस तक पहुंचाए, नहीं तो भय रहता है। आपके समय में केवल लिखा हुआ रहता था ''मेरे योग्य सेवा'' लेकिन इतना लिखने मात्र से नहीं है, व्यवहार में करना पड़ता है तब जाकर के और अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा अभी कुछ सुझाव एक दो निवेदन और करना चाहूंगा कि असत्य मुक़दमे बहुत दर्ज होते हैं, जैसा

(श्री मदन राठौड़)

अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात यहां पर रखी ठीक इसी प्रकार से कई झूठे मुक़दमे हो जाते हैं और पुलिस का अधिकतम समय उस असत्य को असत्य साबित करने में लग जाता है। यह बहुत बड़ी समस्या पुलिस के सामने हैं। इसके लिए धारा 182 और 211 जो है इसको और सुदृढ करने की आवश्यकता है ताकि कोई झूठे मुक़दमे दर्ज करवाने का और कुत्सित षड्यंत्र नहीं करे, असत्य मुक़दमों पर अंकुश लगाया जा सकेगा तब जाकर के और असत्य मुक़दमे दर्ज नहीं होंगे और पुलिस को व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। यह बात बिलकुल सही है कि उसमें सज़ा कम हुई है 182 और 211 के जो प्रकरण असत्य मुकदमा दर्ज करवाने पर सभापति महोदय, वास्तव में आपने घंटी बजा ही दी....

श्री महीपाल यादव (बानसूर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य और पूर्व सदस्य ने भी भरतपुर पर ही उंगली उठाई है हर मामले में चाहे सोने की ईंट वाला चाहे ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय एक निवेदन करुंगा, मैं एक बात बताऊं मुझे इन्होंने कहा था कि आप पर्सनल पर नहीं जाए, मैंने शुरू किया तभी तो मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, एक निवेदन करके मेरी बात को समाप्त करुंगा। सभापति महोदय, एक पुलिस कानून था 1860-61 में बना हुआ और उसको ये लोग भोगते रहे, 1861 यानी कितना वर्ष हो गया? डेढ़ सौ से भी अधिक लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के होम मिनिस्टर साहब को, राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को और राजस्थान की इस पुलिस की टीम को इन्होंने सभी का सहयोग लेकर के सभी से और इसमें राय-मशविरा करके जिसमें कांग्रेस के भी, भारतीय जनता पार्टी के और अन्य सभी सदस्यों को साथ में बिठाकर एक ऐसा माडल एक्ट बनाया है अभी जो पुलिस अधिनियम, 2007 के नाम से यानी डेढ़ सौ वर्षों से केवल अंग्रेज़ों के जमाने का कानून आप भोगते रहे, किसी के दिमाग में कभी भी यह उपज आई नहीं है लेकिन यह राजस्थान की और वर्तमान सरकार ने यह काम किया है, अनुकरणीय काम किया है। हां, निश्चित रूप से यह उपलब्धि है, इसको उपलब्धि के रूप में माना जाना चाहिए। कई ऐसे थाने हैं जिनको आईएसओ 9001-2000 का सर्टिफ़िकेट मिला है, 41 थाने तो हो गये और सभी थानों को इस प्रकार से यानी सभी ज़िलों में इस प्रकार का थाना निश्चित रूप से करने की योजना है। अभी हमारे पाली में भी इस प्रकार का आंकलन हुआ,

(श्री मदन राठौड़)

इस प्रकार के आंकलन करके सभी ज़िलों में एक आदर्श थाने किस प्रकार से हम और बना सकते हैं? इसके लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं कई ऐसे थाने हैं जो विश्व में प्रसिद्ध है अपने यहां का शिप्रापथ थाना भी है, विश्व में जिसको सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। सभापति महोदय इसके लिए भी धन की व्यवस्था होती है लेकिन पहले सरकारों ने कभी चिंता नहीं की, पुलिस को भी पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। इन्होंने अभी फोरेंसिक लेबोरेट्रीज और विकसित की है, कई ऐसे ज़िले स्तर तक भी यानी पहले तो भेजा करते थे कोई भी विसरा वगैरह भेजना पड़ता था जिसकी रिपोर्ट कई महीनों बाद में आती थी जिसको न्याय दिलाना पड़ता है वह व्यक्ति कई बार मर भी जाता था, मरने के बाद उसको न्याय मिलता था। मैं एक निवेदन करुंगा कि न्याय यदि समय पर दिया जाए तब तो उसका महत्व है, यदि न्याय में विलम्ब हो जाता है तो उसका महत्व कम हो जाता है, लोगों के मन में इस प्रकार की धारणा बन जाती है कि न्याय तो मिलने वाला है नहीं इसलिए क्यों संघर्ष करें । इस प्रकार की धारणा भी ठीक नहीं है। न्याय पाने की लालसा भी जनता में बनी रहे इसलिए त्वरित न्याय मिलना चाहिए इसके लिए पुलिस त्वरित काम करे यह बहुत जरूरी है और इसके लिए इनको साधन सम्पन्न बनाया जाना चाहिए।

अभी हमारे माननीय सदस्यों ने भी कई बातें रखी हैं। पदोन्नति के मामले में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक सिपाही की पदोन्नति में 18-20 वर्ष लग जाते हैं सभापति महोदय, लेकिन एक बहुत बढ़िया योजना बनायी है राजस्थान सरकार ने कि उसकी परफोर्मेंस कैसी है, परफोर्मेंस यदि बढ़िया है तो उसको पहले पदोन्नति दी जानी चाहिए। परफोर्मेंस के आधार पर यह एक बहुत अच्छी बात है और इसके लिए इन्होंने डेढ़ सौ पुलिसकर्मियों को पदोन्नत किया है परफोर्मेंस के आधार पर। इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। ठीक इसी प्रकार से कई पदोन्नतियां की हैं। कई आरपीएस, आईपीएस में हुए हैं, आईपीएस 34 पदों पर, आरपीएस 116 पदों पर, सीआई 222 पदों पर, सब इंस्पेक्टर 514 पदों पर, एएसआई 1637 पदों पर, हैडकांस्टेबल 2159 पदों पर पदोन्नत किये गये हैं और इसके लिए वर्तमान सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। यही नहीं सभापति महोदय, 5 सीआई को राजस्थान पुलिस सेवा अधिनियम, 1889 के नियम 38 अ, ब का लाभ देकर पदोन्नत किया गया है।

(श्री मदन राठौड़)

इसी प्रकार से 86 सिपाहियों को और 15 कांस्टेबल्स को एएसआई बनाया, 11 एएसआई को सब इंस्पेक्टर बनाया ठीक इसी प्रकार से 5 सब इंस्पेक्टर को सर्किल इंस्पेक्टर बनाया गया है। इसी प्रकार से ये इन्होंने जो पदोन्नति की है इससे निश्चित रूप से उनका एक मनोबल बढ़ा है। पुलिस में भी मनोबल बढ़ना चाहिए और इस प्रकार का जो सार्थक प्रयास किया है इसके लिए इनको निश्चित रूप से धन्यवाद दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह प्रयोगशालाओं की बात कर रहा था इन्होंने विधि विज्ञान प्रयोगशाला को सुदृढ़ीकृत किया है। पहले भी कई ऐसे प्रकरण आये कि लाइम पाउडर को भी कई बार ब्राउन शुगर मान करके चालान कर देते थे लेकिन अब ऐसा सम्भव नहीं है इन्होंने जिला स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था की है कि उसकी जांच हो सके और ऊपर भी उसको मजबूत किया है जो प्रयोगशालाएं हैं उनको भी मजबूत किया है यही नहीं जो सड़क दुर्घटनाएं हो जाती थीं, पहले सड़क दुर्घटना कोई व्यक्ति देखकर के चुपचाप निकल जाता था वो सोचता था कि यदि पुलिस को सूचना देंगे तो पुलिस सबसे पहले उसे ही पकड़ेगी कि तुम कहां से यह सूचना लाये या तुमने क्या किया, कहीं तुमने तो दुर्घटना नहीं की लेकिन अब इन्होंने ऐसा नहीं किया । ऐसी व्यवस्था कर दी है कि सूचना देना बहुत आवश्यक है जो सूचना नहीं देगा तो वो अपराधी माना जाएगा उसके खिलाफ में भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यह बहुत सराहनीय काम किया है ताकि घायल को सही समय पर और प्राथमिक चिकित्सा के लिए सही स्थान पर पहुंचाया जा सके। इस प्रकार का सार्थक प्रयास किया है। यही नहीं दुर्घटनाओं में जो कोई व्यक्ति मर जाता है उसके पोस्टमार्टम की जो अनिवार्यता थी उस अनिवार्यता को भी इन्होंने ऐच्छिक कर दिया है कि यदि उसकी इच्छा हो तो वो पोस्टमार्टम कराये, नहीं इच्छा हो तो न कराये क्योंकि दुर्घटना में मृत्यु हुई है और यह सामने दिख रहा है कि कुचल दिया गया है तो उसको फिर पोस्टमार्टम के लिए उसके परिजनों को क्यों और वहां पर खड़ा रहना पड़े, रात्रि में पोस्टमार्टम होता नहीं है तो कई बार परिजन तकलीफ तो सहन करते ही करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री टीकम चन्द कांत (सिवाना): वो बीमा के लिए जरूरी है यह भी कह दो यह मैं कह रहा हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां वो बीमा के लिए जरूरी है लेकिन पुलिस के लिए जरूरी नहीं है। यह आप ठीक कह रहे हैं। बीमा कम्पनी और

(श्री मदन राठौड़)

पुलिस विभाग दोनों में थोड़ा फर्क है । पुलिस विभाग के मुकदमे के मामले में उसकी अनिवार्यता को इन्होंने समाप्त कर दिया इसके लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए।

श्री टीकम चन्द कांत (सिवाना): ...(व्यवधान) एक बात यह भी कह दो कि हमारे गृह मंत्रीजी ने यह नहीं कहा जिस प्रकार केन्द्र के गृह मंत्री ने कहा कि एक-एक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी सकती, यह कितनी असुरक्षा की बात कही है उन्होंने।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हमारे गृह मंत्रीजी ने तो यह कहा है कि जिसको सुरक्षा की आवश्यकता है वो तुरन्त सूचित करे निश्चित रूप से उसको सुरक्षा दी जाएगी और इसके लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ...(व्यवधान) दूषित पानी के लिए यह कहा गया कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा यह कहा गया मंत्री द्वारा ...(व्यवधान)...

श्री टीकम चन्द कांत (सिवाना): यह तो सत्य है यह तो पूर्ण सत्य है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अब आप पुलिस की डिमाण्ड पर बोल रहे हैं कि काहे पर बोल रहे हो? आप देखिये पुलिस की मांग पर बोल रहे हैं और आपको पानी की बात याद आ रही है। पता नहीं आपको पानी मिलता है कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं लेकिन कारागृह के मामले में मैं आपसे निवेदन करूंगा सभापति महोदय, कि इन्होंने 1458 लाख रुपये लगा करके 429 आवासगृह कारागृहकर्मियों के लिए निर्माण किये हैं। निश्चित रूप से इसके लिए भी और राजस्थान की इस सरकार को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। दो प्रहरी बैरकों का निर्माण किया। यही नहीं सभापति महोदय, 67 लाख रुपये लगा करके जेल सुरक्षा के लिए सूचना सही समय पर कैसे पहुंचायी जा सकती है इसकी व्यवस्था को भी सुदृढ किया। यही नहीं कई तो कैदियों के रिमाण्ड के लिए और वहां ले जाना पड़ता है इसमें बहुत नफरी की आवश्यकता पड़ती है केवल टाइम बढ़ाने के लिए पेशी तारीख बढ़ाने के लिए इसके लिए केवल कचहरी में ले जाना पड़ता है और उसमें पुलिसकर्मियों को लगाना पड़ता है लेकिन इन्होंने वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जिसमें इलेक्टोनिक सिस्टम से उसका उपयोग लिया जा सके। कई कोर्टस को जेल से जैसे जोधपुर में किया है सबसे पहले एक्सपेरीमेंट और वो एक्सपेरीमेंट सफल भी रहा है कि

(श्री मदन राठौड़)

वहीं से उसको रिमाण्ड दिलवाया जा सकता है, समयावधि बढ़ायी जा सकती है। ठीक इसी प्रकार से दस खुली जेलें इन्होंने बनायी हैं। यही नहीं इन्होंने कई महिला सुधारगृह भी निर्माण किये हैं । महिला पुलिस गठित की है हाड़ा रानी आर्म्स बटालियन यह भी महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती भी की है। यही नहीं राजस्थान पुलिस की कई उपलब्धियां हैं सभापति महोदय, अब मैं उपलब्धियों की यदि कहूंगा तो ये कहेंगे कि आप ये उपलब्धियों मत गिनाओ। सभापति महोदय, कई ऐसे अपराधी जो कानूनी गिरफ्त से बचते रहे हैं जो कई वर्षों से बचते रहे हैं ...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 241 ऐसे अपराधियों को राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार करके ...

श्री सभापति: यहां से जो बोला जाता है आपको सुनाई नहीं देता क्या? समाप्त करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, इतना कठोर मत हों आप देखिये सुना नहीं जाता है तो मैं सुनता हूं लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तब आप बोलते हैं तो नहीं सुना जाएगा।

श्री सभापति: हं जी?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अब आप बोलिये।

श्री सभापति: आप समाप्त करें अब। माननीय सदस्य, श्री दुर्गाप्रसाद जी अग्रवाल।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): सम्माननीय सभापति महोदय, इस समय इस सदन में पुलिस एवं कारागृह की मांगों पर विचार हो रहा है इस विचार-विमर्श में भाग लेते हुए मैं यह कहना चाहूंगा जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि किसी भी सरकार या राज्य सरकार चाहे वह केन्द्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग मेरे विचार से पुलिस विभाग होता है यदि इस पुलिस विभाग को चुस्त-दुरुस्त कर दीजिएगा, संवेदनशील कर दीजिएगा, भ्रष्टाचार से रहित कर दीजिएगा तो मैं सोचता हूं कि सब विभाग सही हो जाएंगे और एक तरह से राज्य में राम राज्य हो जाएगा।

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

सभापति महोदय, मेरा ऐसा भी सोच है कि यदि इस विभाग को राज्य सरकार से खतम कर दीजिएगा तो शासन प्रशासन चलना एक तरह से मुश्किल हो जाएगा। चारों तरफ असामाजिक तत्व, गुंडे पनप जाएंगे और आम आदमी का जीना हराम कर देंगे। इस तरह से एक तरह से प्रशासन व्यवस्था भंग हो जाएगी।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरा ऐसा सोच भी है कि पुलिस विभाग का काम चहुंमुखी है हर क्षेत्र में, हर विभाग में, हर मौके पर पुलिस की आवश्यकता होती है। आदरणीय सभापति महोदय, चाहे 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस हो, चाहे किसी पार्टी की रैली हो अथवा सभा हो, चाहे दशहरे का रावण दहन का प्रोग्राम हो, चाहे दीपावली पर राम रथ यात्रा हो, चाहे ईद मिलन का त्यौंहार हो अथवा ईद की नमाज हो, चाहे ताजियों का जुलूस हो, चाहे मुख्य मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अथवा अन्य महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा की बात हो, चोर, नकबजन, डाकू, असामाजिक तत्वों को पकड़ने की जिम्मेदारी हो, चाहे कर चोरों पर इन्कम टैक्स, सैल्स टैक्स की या एक्साइज ड्यूटी की रेड्स हो, चाहे भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी एवं नेताओं को पकड़ने की बात हो इनके बारे में मेरे विचार से पुलिस की बिना सहायता के कोई भी कार्य मुस्तैदी से सम्पन्न नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, मेरा ऐसा भी सोच है कि जीवन के हर क्षेत्र में पुलिस की आवश्यकता तो होती ही है पर आज के जमाने में जब कि आतंकवाद चरम सीमा पर है बम बलास्टर्स, सुसाइड बमर्स, आत्मघाती बम फोड़ने वाले जो लोग आजकल पैदा हो गये हैं ऐसी स्थिति में पुलिस की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है । सभापति महोदय, एक तरफ तो पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ी है दूसरी तरफ कुछ सामाजिक संगठन है, कुछ हमारे मानव अधिकार आयोग के कार्यकर्ता हैं, कुछ एनजीओ हैं वह इस बात में लगे हुए हैं कि पुलिस की पर काटे जायें। उन्हें हर बात में उनकी आलोचना नजर आती है, पुलिस के खराबी नजर आती है और हमेशा यहीं कहते हैं कि पुलिस वालों ने यह कर दिया, वह कर दिया, पुलिस वालों ने कुछ अच्छा काम किया उसकी वह कभी प्रशंसा नहीं करते हैं । सभापति महोदय, मैंने तो यहां तक देखा है कि यदि चोर किसी की चैन स्नेच करके बाजार में भागता हुआ जा रहा है और यदि कोई पुलिस कर्मी उसको पकड ले और उसके दो झापड़ दे दे तो मानव अधिकार आयोग के व्यक्ति आ जायेंगे और कहेंगे कि इसने बड़ा जुल्म किया

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

है, इसने कानून को हाथ में लिया है इसको ज्यादा से ज्यादा सज़ा मिलनी चाहिये, इसको सस्पेंड कर देना चाहिये । सभापति महोदय, जिस प्रकार की बातें हमारे मानव अधिकार आयोग के लोग कर रहे हैं, एनजीओ कर रहे हैं, कुछ सामाजिक संगठन कर रहे हैं इससे हमारी पुलिस का मनोबल गिरा है । सभापति महोदय, मेरा तो ऐसा सोच है कि मानव अधिकार आयोग के इन कार्यकर्ताओं को यदि तरजीह दे दी जाये और इनकी हर बात को मान लिया जाये तो यह एक ऐसा कानून भी बना देंगे कि आपको अपराधी को, चोर को, डकैत को, असामाजिक तत्व को और एक आतंककारी को जिसने दर्जनों लोगों की हत्या की है, बेगुनाह लोगों को मारा है उसको पकड़ने से पहले पुलिस को फूल माला पहनानी होगी, उसको साफा पहनाना पड़ेगा और उसको बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ कर यह कहना पड़ेगा कि भाई साहब आप पर आरोप लगा है आप क्या हमारे साथ पुलिस थाने चलोगे आपकी इन्क्वायरी करना चाहते हैं । सभापति महोदय, यदि इसी तरह की बातें होती रहीं तो मैं सोचता हूं कि पुलिस का मनोबल गिरेगा । मैं किसी राज्य की पुलिस विशेष की प्रशंसा नहीं कर रहा मैं जनरल बात कर रहा हूं । पुलिस को हमें अधिकार देने होंगे, पुलिस को तरजीह देनी होगी ।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आतंककारियों का मुकाबला करते हैं, भयंकर दुर्दांत असामाजिक तत्व को पकडते हैं उनको केवल मात्र एक प्रशंसा पत्र दिया जाता है कागज के टुकड़े पर लिख कर कि फलां आदमी ने बड़ा अच्छा काम किया इसलिए प्रशंसा पत्र दिया जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि केवल प्रशंसा पत्र के साथ-साथ यदि कुछ नकदी इनाम भी दिया जाये तो क्या बुरा हो जायेगा । हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जैसे अभी इस बजट भाषण में कहा कि राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिये 75 हजार रुपये देंगी और राष्ट्रपति फायर सर्वश्रेष्ठ पदक के लिये 50 हजार रुपये देंगी। मैं समझता हूं कि जान को जोखिम में डालकर किसी आतंककारी को पकड़ने वाले को केवल 50 हजार रुपये ही दिये जायेंगे और हमारे क्रिकेट का बल्ला घुमाने वाले को 58 लाख रुपये दिये जायेंगे । जैसा कि आपने अभी अख़बार में पढ़ा होगा एक खिलाड़ी को 58 लाख रुपये दिये जा रहे हैं और 58 लाख तो एक मैच के दिये जा रहे हैं जबकि सालभर में तो वह पचासों मैच खेलते हैं, यह कौन से न्याय की बात है। मेरा सोच ऐसा है कि यदि पुलिस का मनोबल बढ़ाना है, पुलिस को कर्मठ बनाना है,

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

जुझारू बनाना है तो हमको, राज्य सरकार को, स्वयंसेवी संस्थान के लोगों को पुलिस की इमदाद करनी होगी । जो अपनी जान को जोखिम में डाल कर शहीद भी होते हैं उन लोगों के लिये केवल 50 हजार रुपये देना मैं समझता हूं इनके साथ अन्याय है । मेरी एक मांग है कि ऐसे व्यक्ति जो कि दुर्दांत डाकुओं को पकड़ते हैं, असामाजिक तत्वों को पकड़ते है, आतंककारियों को पकड़ते हैं पकड़ने वाले को कम से कम 10 लाख और शहीद होने वाले को 20 लाख रुपये इनाम मिलनी चाहिये ।

सभापति महोदय, एक तरफ तो यह बात है दूसरी यह भी बात है हमारे जो जुझारू पुलिस आफिसर हैं उनके साथ भी अन्याय होता है । एक जमाना ऐसा था जब पुलिस के नाम से बड़े से बड़ा दुष्प्रकृति का बदमाश भी कांप जाता था, उसकी रूह कांप जाती थी । सभापति महोदय, किसी गांव में यदि पुलिस इन्क्वायरी करने के लिये जाती थी तो गांव वाले भयभीत हो जाते थे, उनके सांप सूंघ जाता था । किसी मोहल्ले में किसी घर में पुलिस घुस जाये तो मोहल्ले वाले यह समझते थे कि आवश्यक रूप से पुलिस इसके घर में आई है तो वास्तव में यहां कोई गुनाह हुआ होगा या कोई गुनाहगार व्यक्ति इस घर में रहता होगा । पर आज पूरी स्थिति पलट गई है, आज कोई भी पुलिस से नहीं डरता । हमारे जो बदमाश लोग हैं वह तो कारागार को ससुराल कहते हैं, कहते हैं कि ससुराल से निकल कर आ रहा हूं । ससुराल कहते हैं आम जनता जानती है इस बात को और थानेदार को कहते हैं श्वसुरजी से मिल कर आ रहा हूं । वह इसलिए कहते हैं कि जब जेल में कोई अपराधी जाता है तो पैसे के बल पर वह सब को खरीद लेता है । उसको वही सुविधाएं मिलती हैं जो घर में मिलती हैं। टीवी भी मिलेगा, मोबाइल भी मिलेगा, पीने को शराब भी मिलेगी और थाने में जैसे ही कोई छोटा-मोटा बदमाश आ जाये तो दो तमाचे भी मिल जायेंगे पर कोई भयंकर दुर्दांत डकैत आ जाये या बदमाश आ जाये तो थानेदार जी उठ कर पहले तो उससे हाथ मिलायेंगे आ भाई आ बैठ चाय लाओ इसके लिये, मैं यह हकीकत बयान कर रहा हूं । यह केवल इसलिए होता है क्योंकि थानेदार भी जनता है कि मैं अगर इसको पकड़ कर कोर्ट में ले गया तो दो दिन बाद में इसकी जमानत हो जायेगी, यह खांसता हुआ बाहर आयेगा और कहेगा थानेदारजी देख लूंगा । तो हमारी व्यवस्था भी ऐसी हो गई है और इस व्यवस्था को सुधारने के लिये हमें पुलिस को चहुंमुखी संरक्षण देना होगा । सभापति महोदय, मैं यह जनरल बात कह

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

रहा हूं । हमारे जो गृह मंत्रीजी हैं मैं इनसे कहूंगा कि आप मेरी इन बातों पर विचार करें, पुलिस का मनोबल बढ़ाइए और जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो अच्छे अधिकारी हैं उनको हम सम्मान देवें । अगर सम्मान देते हैं, उनको इज्जत देते हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं एम. एन. दिनेश साहब का, एसपी होते थे, हमारे करौली में भी रहे और सवाई माधोपुर में भी रहे । सवाई माधोपुर में काफी गुंडागर्दी थी, करौली में भी काफी गुंडागर्दी थी । जब एमएन दिनेश एसपी वहां आये तो गुंडे जमीन में घुस गये, सब भाग गये

उनके नाम से ही भाग गये क्योंकि उसने एक को नहीं छोड़ा, एक का लिहाज नहीं किया, अच्छे आदमियों को सम्मान दिया । आम जनता उसके पक्ष में हो गई और उसका नतीजा क्या निकला उसने केवल यही तो किया था कि एक बदमाश आदमी को जिसने 10-5 कत्ल किये थे और जो फिरौती मांगता था एनकाउंटर में वह मारा गया उसका नाम आ गया, क्या गुनाह कर दिया, किसी शरीफ आदमी को तो नहीं मारा, किसी बेगुनाह को तो नहीं मारा .... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): ... (व्यवधान) अब तो पुलिस की प्रशंसा करो .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वही तो कर रहे हैं ।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): तो कर दो फटाफट प्रशंसा, अब तो आप सुखी हो ।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): मंत्रीजी मैं पुलिस का मनोबल बढ़ा रहा हूं, मैं असत्य बात नहीं कहता । मेरी आदत में नहीं है कि आलोचना केवल आलोचना के लिये की जाये । अब मैं दूसरी बात कहता हूं, यह तो तस्वीर का एक हिस्सा है अब आप दूसरा हिस्सा देखिए । सभापति महोदय, पुलिस का दूसरा हिस्सा यह है कि राज्य सरकार के जितने भी विभाग हैं उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग पुलिस विभाग है ।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): इतनी प्रशंसा करते-करते गाड़ी एकदम रिवर्स कैसे कर दी ।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): सभापति महोदय, सबसे ज्यादा शराब अगर किसी विभाग में पी जाती है तो पुलिस विभाग में पी जाती है । मैं यह हकीकत बयान कर रहा हूं । हमारे यहां गंगापुर में जो एसएचओ आया है वह तो वास्तव में ईमानदार है और उसने सट्टा, जुआ को भी बंद किया है।

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

हालांकि बीजेपी का थानेदार आया है परन्तु अच्छा आदमी है तो उसकी प्रंशसा की जायेगी । हमारे होम मिनिस्टर साहब भी अच्छे हैं मैं इनकी भी प्रशंसा करता हूं । मैं तो यह भी कहूंगा अब कांग्रेस का राज आने वाला है आप अच्छे आदमी हो हमारे साथ आ जाओ हम आपको सम्मान देंगे । सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि फाइलों में जो हेराफेरी होती है गुनाहगार को बेगुनाह और बेगुनाह को गुनाहगार बनाने की बातें जितनी पुलिस विभाग में होती हैं किसी अन्य विभाग में नहीं होती। वहां पर तो पैसा चलता है। सभापति महोदय, एक पुलिस का सिपाही जिसको ज्यादा से ज्यादा सात हजार पांच सौ रुपये महीना मिलता है एक थानेदार को नियमित रूप से ज्यादा से ज्यादा साढ़े आठ हजार रुपये महीना मिलता है। अपनी नौकरी पाने के लिए सिपाही दो लाख रुपये रिश्वत देने को तैयार है और एसएचओ पांच लाख रुपये रिश्वत देने को तैयार है। आप सोचिए, शुरूआत से ही भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है क्योंकि उनसे पूछा जाता है, मैंने पूछा, एक लड़का था उसका बाप आया मेरे पास, एमएलए साहब कोई जानकारी हो तो मेरे लड़के का इंटरव्यू है उसमें एसएचओ बनवा दीजिए, मैंने कहा भईया क्या बात है, कि साहब पांच लाख रुपये दे देंगे। मैंने कहा पांच लाख का तो ब्याज ही दुगना होता है, कि साहब समझते नहीं हो सब कमा लेगा, वहां पर आमदनी कितनी है। तो भ्रष्टाचार शुरू से ही शुरू हो जाता है, केवल इसलिए होता है कि तनख्वाह कम है, सुविधाएं कम हैं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): भ्रष्टाचार करना कौनसी पार्टी ने सिखाया ?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): भाईसाहब, यदि किसी ने सिखाया तो वह भी गुनाह का है जो नहीं सिखा रहा है वह प्रशंसा का पात्र है।

श्री सभापति: किसी भी पार्टी ने नहीं सिखाया। राम रावण साथ-साथ चलेंगे, कंस और कृष्ण भी साथ चलेंगे।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): सभापति महोदय, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह का अन्याय होता है। मेरे गंगापुर में एक व्यक्ति है दुर्गालाल, मेरा नाम दुर्गाप्रसाद है, उसका नाम दुर्गालाल है, कुली है। वह चार साल से यह कहता फिर रहा है मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं मैं मरा नहीं। उसने एफआईआर भी दर्ज कराई कि मेरे भतीजे मेरी जमीन को हड़पना चाहते हैं, उसका नाम दुर्गा भी था और गुर्जा भी था गुर्जा फुर्जा जो कुछ भी था, निक

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

नेम। बिना पढ़ा लिखा आदमी था। रेलवे में नौकरी मिल गई, गुर्जा फुर्जा के स्थान पर, रेल वालों ने कहा गुर्जा फुर्जा क्या होता है आपका नाम दुर्गालाल रखते हैं, दुर्गालाल नाम रख दिया। रेलवे में उसका नाम वह ही चला। उधर उसके भतीजों का बाप मर गया, बाप के मरते ही वह उसकी अस्थियां लेकर हरिद्वार गये, हरिद्वार में जाकर बाप के संग-संग चाचा को भी लिखा दिया कि गुर्जा फुर्जा, कि यह भी मर गया, दोनों की अस्थियां लाये हैं और डाल दी। वहां पर रिकार्ड में आ गया पंडों के भी कि दो आदमी मरे उनकी अस्थियां थी। उन लोगों ने षडयंत्र रचकर, बिना पढ़ा लिखा आदमी था, जमीन के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गये, हमारे यहां बाइपास हुआ, बाइपास की वजह से 11 बीघा जमीन थी उसकी कीमत करोड़ों की हो गई। भतीजों ने चाल चलकर उसका डैथ सर्टिफिकेट भी ले लिया और लेकर उस जमीन को अपने नाम करने की योजना बनाई। इसी बीच उसको पता लगा कि मुझे तो मरा हुआ घोषित कर दिया है, वह भगा-भगा पुलिस में गया, एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस वालों ने समझा बात सही है, पर जब पैसे मिले तो पुलिस वाले पलट गए। एफआर लगा दी, कि नहीं आप तो मर गए। मैंने कहा साहब, मैंने खुद थानेदार और इंक्वायरी आफिसर से कहा, अब वह हमारे सीआईडी, सीबी में, जैन साहब आईजी हैं, उनसे मैं खुद मिला, उनका भी यही था कि नहीं-नहीं यह असत्य है, बकवास है, यह मर गया। मैंने कहा साहब जिंदा है, जिंदा आदमी को कह रहे हैं मर गया। अरे भाई, रिकार्ड में ऐसा आता है। मैंने कहा साहब इससे पूछो यह कहता है कि अगर मैं मरा तो कौन मेरी मुर्दनी में गये, गांव के 10-5 आदमी, मौहल्ले के तो गये होंगे, कोई कंधा लगाने वाले तो गये होंगे। उन्होंने कहा कि भई इंक्वायरी का विषय है। दर्द यह है चार साल से वह भटकता फिर रहा है । पैसा ऐसा काम कर रहा है उन लोगों का कि उसकी एक बात नहीं सुनी जा रही है। आप कहते हो, बेसिक बात पर ही चले जाइये, लम्बी चौड़ी बातें क्यों करते हो। यही पता लगा लीजिए उसे घसीट कर तो कहीं जलाया नहीं होगा, चार आदमी तो गये होंगे मौहल्ले के, वो ही इंक्वायरी कर ली जाए। चार आदमी कौन गुर्जा फुर्जा, दुर्गा की मुर्दनी में गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं मुख्य बातें कहने जा रहा हूं। दो-चार बातें कहूंगा, मैं आसन की व्यवस्था का सम्मान करता हूं इसलिए दो-चार मिनिट और बोलने दिया जाए। वह आदमी मारा-मारा फिर रहा है उसे कोई न्याय नहीं मिल रहा। गृह मंत्री महोदय, आपने एक दफा मेरी सुनी थी, आपने शायद सुना

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

भी था, उन लोगों को गिरफ्तार भी कराया था, फिर वह दे लेकर छूट गए, आज वह मजा ले रहे हैं वह बेचारा मारा-मारा फिर रहा है। उसे लोग बाग़ कहते हैं भूत आ गया, भूत आ गया, तो इस प्रकरण को आप देंखे और निष्पक्ष जांच करा लें। हर बिन्दु पर जांच करें, एक बात।

दूसरी बात यह कि आजकल डीलर्स बड़े सक्रिय हो गए हैं1 हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी यह कहती हैं कि गरीब को तरजीह मिलनी चाहिए, गरीबों को उनके लिए जो विभिन्न विकास की योजनाएं हैं उनका पैसा फौरन मिलना चाहिए, तुरन्त मिलना चाहिए और पूरा मिलना चाहिए। पर मिलता है क्या ? बिलकुल नहीं मिलता । मोटी सी बात तो यह है कि डीलर्स जो गांव गांव में शहर-शहर में नियुक्त कर रखे हैं वह 80 परसेंट सामान वहां का सरेआम बेचते हैं। रंगे हाथों पकड़े जाते हैं जब भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। मैं एक प्रकरण का उदाहरण देना चाहता हूं कि वजीरपुर थाना जो गंगापुर तहसील के अंदर है, वहां पर एक वारदात हुई, जैसे ही डीलर तीन ड्रमों को भरकर, मिट्टी के ड्रमों को भरकर ले जा रहा था अन्यत्र बेचने के लिए, सरपंच को पता लगा, सरपंच ने जाकर पकड़ लिया उसे, इसको कहां ले जा रहा है, मौका देखकर डीलर भाग गया, ठेली वाला रह गया। थाने में जब रिपोर्ट कराई, थानेदारजी आए, थानेदार ने कहा गलत बात हुई, गलत बात है, पकड़ना चाहिए, खैर साहब यह बात कहकर वह तीनों ड्रम को लेकर गये। बाद में नतीजा यह निकला कि उन्होंने उन ड्रमों को लावारिस घोषित किया और धारा 102 सीआरपी में यह बताया कि लावारिस ड्रम पाये गये। सरपंच कहते रह गया साहब लावारिस क्या है मैंने देखा है, ठेली वाले से पूछ लीजिए कि कहां से लाया और कहां ले जा रहा था। नहीं-नहीं बकवास करते हो और एक नहीं सुनी, उसे लावारिस बना दिया तीनों ड्रमों को लावारिस बना दिया, यह प्रकरण 15.11.07 का है और आज तक उस डीलर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब जनता बहुत ज्यादा चिल्लाई तो हमारे रसद अधिकारी ने, एक एक, दो-दो हजार रुपये हर डीलर से मिलते हैं उन्होंने मिल मिलाकर उसके भाई को हटा दिया और दूसरे भाई को लगा दिया। नागराज को हटाकर सांपनाथ को बैठा दिया। यह कौनसा न्याय है, क्या सज़ा दी गई? एक परिवार के दूसरे व्यक्ति को लगा दिया गया। यह और बता दूं, यह भी सही है बीजेपी का ब्लाक अध्यक्ष है उसका भाई, इसलिए उसकी कोई सुनवाई नहीं है, जनता की कोई सुनवाई नहीं हुई। वजीरपुर का प्रकरण है। आदरणीय गृह मंत्री

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

महोदय, थाने से पूछा जाए कि क्यों आपने लावारिस घोषित किया? क्या पुलिस इतनी भी कार्यवाही नहीं कर सकती, पुलिस किस लिए है? पुलिस गुमनाम अपराधियों को पकड़ती है, सरेआम सरपंच ने देखा है, सरेआम तीन ड्रम पकड़े हैं, ठेली वाला कह रहा है, एक नहीं सुनी। पैसे ने ऐसा जाल बिछाया कि एक बात नहीं सुनी गई। आज तक अपराधी पकड़े नहीं गये। तीनों ड्रम वहां पर हैं।

सभापति महोदय, मैं एक प्रकरण और कहना चाहता हूं अक्सर जब कोई वारदात हो जाती है तो, हमारे गृह मंत्रीजी भी यह कहेंगे और पुलिस के अधिकारी भी कहते हैं कि हमने पुलिस को और भी चुस्त दुरूस्त कर दिया है, अब कोई वारदात होने की गुंजाइश नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैंने एक प्रश्न भी रखा था, आपने उत्तर भी दिया है गृह मंत्रीजी, मैंने यह रखा था कि अक्सर हमारे शहर के अंदर गांव में नौजवान बच्चे, यह तो पता है शक्ल पर किसी के लिखा नहीं है यह शरीफ है या बेइमान या अपराधी, चश्मा लगाकर, मुंह ढककर सड़क पर घूमते हैं। यह पता नहीं पड़ता कि पढ़ने जा रहे हैं या नौकरी पर जा रहे हैं, यह परम्परा अभी चली है, दो-चार साल से, पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता था। अब ये ही लोग कोई वारदात कर दें तो कैसे पकड़ में आएंगे, कैसे पहचान होगी। मेरा आपसे निवेदन है, पुलिस अधिकारियों से भी निवेदन है और गृह मंत्रीजी आपसे भी निवेदन है कि इस परम्परा को खतम करें और लोग इस तरह से डकैती नहीं डालेंगे, अपराधी घटनाएं नहीं करेंगे। फिर आप सोचेंगे और यह कहेंगे कि मुंह खोलकर चलो। अरे भईया पढ़ने जा रहे हो या डकैती डालने जा रहे हो, मुंह ढककर तो वह लोग जाते हैं जो अपराध करने जाते हैं। इसके लिए भी सोचिए आप। आपने जरूर एक काम किया है शीशे पर, ब्लैक फिल्म लगी हुई गाड़ियां थी उनको बंद कराया है वह घटना घटी है तो कर दिया। कभी कोई संगीन घटना हो जाएगी तो इसे भी करेंगे, समय से पहले ही कर दीजिए ना Precaution is better than cure. सभापति महोदय आदरणीय गृह मंत्रीजी, मैं एक आपसे निवेदन कर रहा हूं, लास्ट ही कर रहा हूं, अपनी समस्या लेकर के आपके यहां लोग-बाग़ बड़ी तादाद में आये, झुण्ड बनाकर आये और आपसे यह निवेदन करना चाहा कि हमारी यह समस्याएं हैं, उनको सुनिये। आपने उन समस्याओं को सुना नहीं और अपनी पुलिस से खूब पिटवाया, हाथ-पैर तुड़वा दिये। गोली भी चलवा दी, डण्डे भी बरसवाये। आपने हमारे बनियों को पिटवाया, ब्राह्मणों को पिटवाया, आपने किसानों को पिटवाया, आपने गुर्जरों को पिटवाया। उन पर तो गोली भी चलवा दी। तो आप संवेदनशील बनियेगा।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): बनिये नहीं पिटे।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): बनिये पिटे। भाई साहब, बच गये, आप भी पिटेंगे कभी। अपनी समस्या लेकर तो आओ। यह कहो कि शराब ठेकेदारी में गड़बड़ी हो रही है, तो उसमें भी पिटेंगे। सुनेगा कोई नहीं। यह संवेदनहीन सरकार हो गई है।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हम तो कभी पिटे नहीं। हमने 6 साल तक आरक्षण मांगा, बड़ी गरिमा से मांगा। 93 से मांगने लगे, 99 में मिला। उसके बाद रैली की। तो यह पिटने का सिलसिला, यह सब छोड़कर अपनी बात कहिये। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आपकी सरकार करवा रही है, संवेदनशील बनियेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें, काफी टाइम हो गया है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): गृह मंत्रीजी, आप एक संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं आपसे निवेदन करुंगा कि संवेदनशील बनियेगा। आप भी बनियेगा और पुलिस वालों को भी बनाइयेगा। एक काम जरुर कर दीजिएगा कि पुलिस का कोई व्यक्ति ड्यूटी पर शराब पीकर के काम करते हुए पाया जाए तो उसको सस्पेंड कर दीजिएगा और उसको कह दीजिएगा कि उसे नौकरी से बाहर कर देंगे। दूसरी बात यह भी कर दीजिएगा, स्टेट हाई-वेज पर जो शराब की दुकानें मिलती हैं, इनको बंद कराइयेगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि शराब पीकर के ड्राइवर्स को ड्राइवरी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ आप हाइ्-वेज पर शराब की दुकानें खुलवाते हैं तो क्या बाहर के आदमी आकर शराब पियेंगे वहां पर? वहां पर तो वही पियेंगे। ड्राइवर्स ही पियेंगे, क्लीनर पियेंगे। (व्यवधान) इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करुंगा। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, वर्तमान सरकार, सरकार का नेतृत्व करने वाली हमारी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधरा राजेजी, डिपार्टमेंट आफ होम के गृह मंत्री गुलाबचन्दजी कटारिया और राजस्थान सरकार के उन समस्त अधिकारियों का, जिन्होंने डेड़ सौ वर्ष पूर्व का जो पुलिस कानून था, उसको पुनः 2007 में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की अनुपालना के स्वरूप में अपने विवेक को और

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

हमारे यहां की व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए एक नया पुलिस एक्ट राजस्थान की जनता को दिया। मैं पुनः इस सदन के द्वारा उनको साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, बड़ी अजब सी बात है कि डिपार्टमेंट आफ पुलिस का जब-जब जिक्र आता है, आलोचना के व्याकरण के अन्दर अनेक ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है और पुलिस के तमाम महकमे को एक कैटेगिरी में लाकर हम खड़ा कर देते हैं। मैं आप सब लोगों से यह बात पूछना चाहूंगा कि जिस पुलिस एक्ट का निर्माण करने के लिये राजस्थान सरकार ने सलेक्ट कमेटी को निर्धारित किया था, जब डेढ़ सौ वर्ष पुराने कानून को नया जामा पहनाने के लिये इस सदन में लाया गया तो आज वहां से खड़े लोग-बाग़ जिस कानून की और जिस डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उस पर अंगुली उठा रहे हैं, उन्होंने उस डेढ़ सौ वर्ष के कानून को, जब दुबारा अमली जामा पहनाया गया तो 15 सैकण्ड भी नहीं लगाये उस पर चर्चा करने में और आज हम यहां खड़े रहकर यह कहें कि जिस व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं, जिस कानून-व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, हमको यह अधिकार प्राप्त है कि हम इनकी आलोचना करें। जिस कानून की पालना कराने का दायित्व और जिस कानून के निर्माण का दायित्व इस सदन का था, सदन के पास में 15 सैकण्ड का वक्त भी नहीं था। हम सब लोग-बाग यहां पर उपस्थित थे। विपक्ष की हठ-धर्मी की वजह से जो कानून यहां सदन में आना चाहिए था, जिस पर हम सब चर्चा करते और चर्चा करने के उपरान्त एक सार्थक बहस के माध्यम से वह राजस्थान की जनता को समर्पित होता, उस एक्ट को एक विपक्षी ढकोसला मानते हुए 15 सैकण्ड का उस पर ध्यान देने की इन्होंने चेष्टा नहीं की। आज अगर वहां से कोई व्यक्ति खड़ा होकर यह कहता है कि इस डिपार्टमेंट में या इस विभाग के अन्दर यह दोषी हैं तो कम से कम वह स्वयं यह चिन्तन करे कि जिस जनता ने उनको निर्वाचित करके इस सदन में भेजा था और उनका प्रथम कर्तव्य यह था, इस सदन के सदस्य का प्रथम कर्तव्य यह होता है कि जनता के लिये नियम बनाये, जनता की खुशहाली के लिये नियम बनाये। जनता में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, उसके लिये नियम बनाये। हमारा काम विधायिकी का है। हम कानून के स्वरूप को, उस मसौदे को कानून का रूप देते हैं और अगर हमारे पास 15 सैकण्ड का वक्त भी कानून के लिये नहीं है तो हमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि हम

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

किसी पर अंगुली उठायें। (व्यवधान) मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, पूरे विवेचन के दौरान बहुत से ऐसे एन.जी.ओज. हैं, इण्टरनेशनल ग्रुप्स हैं जिन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर टिप्पणी की है। मैं एक उदाहरण के स्वरूप में आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहूंगा 2005-06 में एक सर्वे हुआ। सर्वे करने वाली एजेंसी ट्रांसपरेंसी इण्टरनेशनल थी। क्योंकि जब बार बार अंगुली उठकर राजस्थान सरकार और राजस्थान के गृह विभाग पर आती है, तो आल इण्डिया बेसिस पर जब सर्वे हुआ और सर्वे की जो सैम्पलिंग आई, उसमें यह माना गया कि जिस प्रकार की कानून-व्यवस्था है इस कानून व्यवस्था के अन्दर अगर सबसे ज्यादा बड़ी कमी थी तो 1861 के उस कानून में कमी थी जिसको हमें दुरुस्त करना चाहिए था और यह हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान ऐसा तीसरा राज्य है, और मैं तो कहूंगा कि यह तीसरा राज्य नहीं है, प्रथम राज्य है जिसने 50 बैठकों के बाद में हर-एक पंक्ति, हर-एक बात का निरीक्षण करते हुए इस कानून को वास्तविक अमली जामा पहनाया है। बाकी दोनों राज्यों ने तो जैसा आया था, वैसा ही भेज दिया। अगर विश्लेषण करके समस्त पार्टियों के लोगों का समावेश सलेक्ट कमेटी में होने के बाद में जो कानून का स्वरूप हमारे बीच में आया, आखिर हमने जनता को 21वीं शताब्दी का नया कानून-व्यवस्था का कानून बनाकर दिया है। हमें फख्र है, और सरकार में हम हैं, इसलिये इस बात पर और भी फख्र करता हूं कि हमने अपना दायित्व निभाया। आप लोगों के साथ में बैठकर हमने कानून को वास्तविक स्वरूप दिया। लेकिन विपक्ष में रहने के बावजूद भी आपने, सदन की जो गरिमा होनी चाहिए थी और आपका कर्तव्य जो होना चाहिए था, उसकी आपने बगैर परवाह किये हुए, बिना 15 सैकण्ड का वक्त भी लगाये, उस कानून के बारे में चर्चा करने का, एक ऐसे ही विषय को लेकर आपने पूरे के पूरे समय को गंवा दिया।

लेकिन एक सत्यता से मैं भी अनभिज्ञ नहीं रहना चाहूंगा और मैं सदन को यह बात निवेदन करता हूं कि कानून बनाना और कानून को लागू करना और स्याही के अक्षरों को कानून के स्वरूप में जनता को प्रस्तुत करना, अपने आपमें सम्पूर्ण नहीं है। वास्तविकता तो वह है कि जिन लोगों को हमने इस कानून को प्रतिपादित करने के लिये और इस सभ्यता का संरक्षण करने के लिये उत्तरदायित्व स्वरूप में विभाग के कर्मचारी और अफसरों के नाम से हमने उनको ओहदे दे रखे हैं, जो उनकी सक्षमता और क्षमता के अनुरूप हमने

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

उनको व्यवस्था दे रखी है या नहीं दे रखी? और जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो एक बात साफ होती है कि सबसे ज्यादा आम जनता के साथ गृह विभाग के किसी कर्मचारी का परामर्श होता है या उनके साथ जिनसे परामर्श होता है वह वहां का एक सबसे नीचे दर्जे का कर्मचारी है जिसको हम कांस्टेबल कहते हैं। अब कांस्टेबल की तनख्वाह या वेतन क्या है। वह भी आखिर में एक इन्सान है। उसका दायित्व अपने विभाग के अनुरूप आपके और हमारे बीच में कानून व्यवस्था को बनाये रखना, क्राइम कमिट नहीं हो, इसके लिये सजग रहना और आपकी और हमारी सभ्यता को बराबर बरकरार रखना और संरक्षण प्रदान करने का है। लेकिन आप यह देखिये कि जिस वक्त कांस्टेबल के रूप में जब भर्ती होती है और जिस वेतन श्रृंखला में वह आता है उसके अनुरूप राजस्व विभाग का पटवारी है, उसको भी 3050 रुपये मिलते हैं। 3050 रुपये मंत्रालयिक कर्मचारी, एल.डी.सी. को भी मिलते हैं। अब 9 वर्ष के बाद के अन्दर हैड कांस्टेबल आ जाता है 3200-4900 की श्रृंखला में जबकि राजस्व विभाग का पटवारी आ जाता है 5000-8000 की श्रृंखला में। और मंत्रालयिक कर्मचारी का जो एल.डी.सी. है वह आ जाता है 4000 से 6000 की श्रृंखला में। इस हैड-कांस्टेबल की तो कोई ड्यूटी आवर भी नहीं है। पटवारी और कर्मचारी तो साढ़े नौ बजे, नौ बजे आते हैं और चार बजे चले जाते हैं अगर बहुत ही कर्तव्य निष्ठ हो तो वरना कब आते हैं और कब जाते हैं उनका कोई टाइम शिड्यूल नहीं है। यह 24 घंटे आदमी अवेलेबल रहता है। जब चाहो जब आप उसका उपयोग करो। जब आवश्यकता पड़े तब आप उसको बुला लो। नौ साल बाद में फिर भी उसका वेतन पटवारी से और एक मंत्रालयिक कर्मचारी के एल.डी.सी. से कम। 24 घंटे जो काम करने के लिए तैयार रहता हो, फिर भी उसका वेतन कम और जब 27 साल हो जाते हैं तो उसकी वेतन श्रृंखला आती है 5500 से 9000 में, पटवारी चला जाता है 6500 से 10500 में और एल.डी.सी. चला जाता है 5500 से 9000 में, फिर हम अपेक्षा करते हैं कि यह आदमी भ्रष्टाचार जैसी किसी चीज में लिप्त नहीं हो? इसका खुद का परिवार नहीं है? इसके खुद के बच्चे नहीं हैं? यह कांस्टेबल रहकर आपकी और हमारी और हमारी सभ्यता का संरक्षण तो करना चाहता है लेकिन इसका दायित्व है, इसके परिवार के प्रति नहीं है? तो क्या इतने संवेदनशील यह सदन नहीं बन सकता कि वेतनमान के अन्दर कम से कम इस आदमी को पटवारी के बराबर तो लाकर खड़ा किया जाए। उसका ओहदा और उसका कर्तव्य उस पटवारी से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आदरणीय, सरहद पर सेना दुश्मनों से सामना करती है। उसको मालूम है कि दुश्मन कौन है क्योंकि सरहद पार है लेकिन यह विभाग, हमारी सभ्यता का संरक्षण करता है। अगर इसमें कोई जयचंद है तो हमारे इर्द-गिर्द ही है और उसको ढूंढना और उसको निश्चित अंजाम तक पहुंचाना बहुत कठिन कार्य है। जहां दुश्मन का पता नहीं पड़ता है। दुश्मन हमारे ही लिबास में होता है। हमारे ही पड़ौस में होता है। हमारे ही देश का होता है। हमारे ही प्रदेश का होता है। इसका काम बहुत ज्यादा कठिन है और इस कठिन कार्य को करने के लिए इसको आज अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो एक हौंसले की आवश्यकता है। आपके और हमारे इस सद्-विचार से हौंसला, खुद पूरे तरीके से अगर इसका हम चरित्र का निर्माण करने के लिए, इसको हम अपेक्षित महसूस करते हैं तो हमें किसी न किसी तरीके से इस आदमी के मोरेल स्टैण्र्डस को भी वापस पुनः लागू करना पड़ेगा। बगैर नैतिक स्टैण्डर्ड के यह व्यक्ति उस अंजाम तक हमको नहीं पहुंचा पाएगा जिसकी आप और हम कल्पना करना चाहते हैं। एक किसी मंत्री के या किसी एक डी.जी.पी. के हाथ में यह नहीं है कि पूरी कानून वह व्यवस्था सम्भाल लें। आप आकड़े निकाल लीजिए। हर साल आपको आकड़ों के अन्दर यह नजर आएगा कि कभी क्राइम बढ़ा है और कभी क्राइम घटा है। आप 21वीं शताब्दी के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, जी रहे हैं। यहां क्राइम की डेफिनेशन चेंज हो गयी। यहां हत्या तक क्राइम सीमित नहीं रहा है। यहां डकैती तक क्राइम सीमित नहीं रहा है। साइबर क्राइम ऐसे-ऐसे आ गये, आपके और हमारे कम्प्यूटर्स को हैंग करके चले जाते हैं और हमको यही नहीं पता पड़ता कि हमने क्या तो लिखा था और क्या आया था और आज क्या मैमोरी के अन्दर है। आप क्राइम की बात करते हैं। जब आप यह कहते हैं कि क्राइम, तब क्राइम की डेफिनेशन को आप भूल जाते हैं कि आज से सौ वर्ष पहले जो इसकी डेफिनेशन थी, वह आज चेंज हो गयी है। आकड़े तो क्राइम बताएंगे। अब आप इसी सैम्पल सर्वे की बात कर लीजिए। बड़ी एक हास्यास्पद चीज आयी कि साहब, जब सैम्प्ल सर्वे किया गया तो कुछ ऐसे प्रदेशों के नाम सामने आये जहां कि सबसे कम क्राइम साहब, रजिस्टर थे। उसमें यू.पी. और बिहार भी था। वहां का अगर आप मोनेटरी देखें, अगर वह रजिस्टर ही नहीं होंगे तो क्राइम के रिकार्ड के स्टेटिक्स में कहां से आएंगे और जब वास्तविकता पता लगी तो उनको यह पाया गया कि जो ज्यादा संवेदनशील राज्य हैं, जो इस बात के लिए हरदम तत्पर रहते हैं कि अगर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

क्राइम कमिट हुआ है तो क्राइम रिकार्ड के रजिस्टर में भी आना चाहिए। किसी की कम्पलेंट है तो रिकार्ड के रजिस्टर में भी आनी चाहिए तो जो सरकार जितनी ज्यादा संवेदनशील है, हो सकता है कि कुछ समय के लिए उसका ग्राफ आपको मिले, जो जितना ज्यादा असंवेदनशील है, जो क्राइम कमिट हो जाता है लेकिन रिकार्ड पर नहीं लाने देते अगर उनके स्टेटिक्स से आपको अपनी तुलना करनी है तो मेरे ख्याल से राजस्थान का सदन और यह सर्वोच्च सदन इस बात की इजाजत न तो आपको देता है और न मुझे देता है।

माननीय सभापति महोदय, एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि किसी ने ठीक कहा है कि "Democracy does not guarantee equality of conditions, democracy only guarantee equality of opportunities." इस विभाग को ऑपर्चूनिटी दीजिए। यह विभाग आज भी आम आदमी के दिमाग में ऐसा तंत्र है कि जिसमें वह अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करता। एक हमने मानसिकता अपने मन में बना ली है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा होगा। पुलिस विभाग में जाएंगे तो बात बिगड़ेगी ज्यादा, बनेगी कम। इस तरीके की लिगेसीज जो ब्रिटिश राज से हमको मिल गयी है, इनकी वेशभूषा क्योंकि वैसी की वैसी है, हो सकता है कि वह भी खाकी वर्दी पहनते थे और यह भी खाकी वर्दी पहनते हैं लेकिन आम इंसान शायद यह बात भूल गया है कि वह गोरी चमड़ी वाला था। उस वक्त उसका डंडा चलता था। यह प्रजातंत्र की धरोहर है। प्रजातंत्र ने इसका निर्माण किया है। चाहे वर्दी का रंग इसका वही क्यों न हो लेकिन इनका मस्तिष्क और इनका चरित्र हिन्दुस्तानी है, हिन्दुस्तान की सरकार और सभ्यता के संरक्षण करने का दायित्व इनके ऊपर है इसलिए हमें अपने विश्वास से इनको संरक्षित करना पड़ेगा, हमें अपने विश्वास से इनको सुरक्षित करना पड़ेगा। हमें अपने विश्वास से इनको अलंकृत करना पड़ेगा। कोई पदक इस बात का नहीं कह सकता, कोई मोनेटरिंग गेन, इस बात की इजाजत नहीं देता अगर विश्वास जैसा पदक पुलिस डिपार्टमैंट ने हमसे ले लिया तो आप मानकर चलिये कि यह भी आखिर इंसान हैं, यह भी अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो इंडियन ब्यूरो आफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन पुलिस डिपार्टमैंट की, अपने रिसर्च पेपर्स से आयी हुई हैं। 1999 से लगाकर 2006-2007 तक के यह रिसर्च पेपर्स हैं। इसमें जो एक बात सामने उन्होंने बतायी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

है वह ठीक उसी पर केन्द्रित है कि अगर हम लिविंग कंडीशंस इनकी ठीक नहीं करेंगे, इनके बच्चों के बारे में आप और हम नहीं सोचेंगे, जिस अधिकारी के, जिस कांस्टेबल के, जिस थानेदार के बच्चों के बारे में आप और हम नहीं सोचेंगे, उससे आप यह अपेक्षा करें कि हमारे बच्चों के बारे में वह सोचे, हमारे बच्चों को संरक्षण वह प्रदान करे, हमें वह संरक्षण प्रदान करे, यह इस कलियुग के अन्दर आधिक्य है। हमें इस बात के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा कि यह कर्मचारी जो रात-दिन हमारे लिए तैयार रहते हैं, इनको भरोसे के चरित्र से, इनके बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करते हुए इनको सिंचित करें। इनके लिए, इनके बच्चों के लिए स्कूलों की आवश्यकता है। कांस्टेबल हो, हैड कांस्टेबल हो, पुलिस स्टेशन इंचार्ज हो, हर व्यक्ति चाहेगा कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छे पद पर जाए और उन्नति करे लेकिन इनके लिए व्यवस्था करना आपका और हमारा कर्तव्य है। इस व्यवस्था के अभाव में उस आदमी को अपनी मानसिक पीड़ा और सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने में कठिनाई आती है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, आदरणीय, इस विभाग का एक बहुत बड़ा सैक्शन वह है जिसको हम राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पुलिस आफिसर्स कहते हैं या आर.पी.एस. कहते हैं। अब आर.पी.एस. का और आर.जे.एस. का तुलनात्मक आप कर लीजिए। आर.पी.एस. जिस तरीके से काम करता है और आर.जे.एस. में बैठा हुआ अफसर जिस तरीके से काम करता है, यहां तक कि जो वर्दी का भत्ता होता है उसमें भी आर.जे.एस. को तो 700 रुपये मिलते हैं। इसको तो वह भी नहीं मिलते जबकि वर्दी का वास्तव में अगर कोई सदुपयोग है तो वह पुलिस डिपार्टमैंट में है। इस वर्दी के पीछे और वर्दी के कारण ही तो सारी की सारी बात चलती है। मानव शरीर पर अगर वह वर्दी नहीं हो तो कोई यह ही नहीं समझ पाये कि इसके पास में कितना पावर है और उसको उस वर्दी को सही करने में और सही तरीके से पहनने में जो उसको भत्ता चाहिए वह तक उसका कम है। जिस आदमी से आप मोरेल स्टेण्डर्ड मेनटेन करने की बात करते हैं, उस आदमी के लिए अगर हमने मोनेटरी स्टेण्डर्डस ढंग से नहीं लागू कर रखे तो हमारा और आपका दुर्भाग्य है।

आदरणीय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। एक बात जो सामने आयी कि आखिर यह जो करप्शन फैक्टर है, जिसके बारे में इतना सारा बार

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बार कहा जाता है, इस करेप्शन फैक्टर के जो रिसर्च हुआ, उसमें उन्होंने क्या कारण दिये हैं? उन्होंने कहा है, इसमें एग्जाम्प्ल दिया है- "Adverse working living conditions; low scale of pay, remunerations were also found being responsible for the poor image of the lower ranks." यह 1999, 2005 का पुलिस रिसर्च पेपर का एक पैरा है और उसमें उन्होंने यह बात कही कि जब तक आम पुलिस आदमी का, जिसका रोज आम आदमी के साथ में किसी न किसी प्रकार से ताल्लुक होता है, चाहे ट्रैफिक का पुलिस मैन हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे पुलिस स्टेशन आफिसर हो, जब तक उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के अन्दर हम लोग उसके विश्वास का निवेश नहीं कर पाएंगे जब तक वह स्वाभिमानी चरित्र से, स्वावलम्बी होकर इस देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा का आचरण नहीं करेगा। तब तक हमारी कानून व्यवस्था नहीं सुधर सकती। आंकड़े देकर और आंकड़े यह बता कर, दोनों पहलू हैं। कुछ ने आकड़े दिये कि व्यवस्था कितनी खराब हो गयी है और कुछ सज्जन ने आंकड़े दिये कि व्यवस्था कितनी अच्छी है लेकिन व्यवस्था तो वह है जो आम आदमी के दिल में है। क्या आम आदमी यह महसूस करता है कि आज मुझे कम खौफ है। क्या आम आदमी यह महसूस करता है कि मुझे डिपार्टमैंट आफ पुलिस पर ज्यादा विश्वास है। क्या आम आदमी यह बात महसूस करता है कि एक ऐसा डिपार्टमैंट है जिसमें आमूलचूल परिवर्तन आ गया है और क्या आप और हम यह महसूस करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस को हमने एक नया स्वरूप प्रदान कर दिया है। अगर यह विश्वास हममें है और आम आदमी में है तो यह आंकड़े धरे के धरे रह जायेंगे। आमूल-चूल परिवर्तन होकर एक क्रान्तिकारी निवेश हो जायेगा। मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय सभापति महोदय, मैं इन अधिकारियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि 2007 की जो सी.ए.जी. की रिपोर्ट आई है, कृपा करके आप इसको जरूर पढ़ें। इसमें जितना हमें करना चाहिये था, पैसा होने के उपरान्त भी हम नहीं कर पाये। हालांकि इस रिपोर्ट में 2000 से लगाकर 2007 तक के आंकड़े हैं और 2007 तक के आंकड़ों के अंदर जो हमारा कार्यकाल रहा है अगर उसमें हमसे कहीं त्रुटि हुई है तो उसको सुधार का दायित्व रखते हैं और उस दायित्व के लिए जो भी परिश्रम करना पड़े, हम आगे करेंगे, लेकिन जितनी त्रुटियां हुई हैं, उन त्रुटियों को हमें साफ दिल से और सही मन से उपचार करना चाहिये, क्योंकि वह त्रुटि अगर कहीं रह जाये या वह कमी रह जाये तो पूरे डिपार्टमेंट को उसका जोखिम झेलना पड़ता है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आदरणीय सभापति महोदय, मैं एक बात निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जिस व्यक्तित्व के कारण हम आज यह दिन देख रहे हैं महात्मा गांधी ने यह बात कही थी कि डिपार्टमेंट आफ पुलिस या इंटरनल लॉ एण्ड फोर्सिंग एजेन्सी के अंदर आम आदमी का बहुत कम दखल रहना चाहिये। राजनीति और राजनेता का तो बिलकुल नहीं रहना चाहिये, लेकिन राजनीति और राजनेता का दायित्व और उसका उत्तरदायित्व सदन के प्रति रहता है और जवाबदेही उसकी रहती है, उसका दखल रहना चाहिये, लेकिन दखल इतना ही रहे कि शरबत को मीठा कर दे, इतना भी न रहे कि डायबिटीज हो जाये और शरबत बिलकुल फीका हो जाये। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ चरित्र का निवेश एक राजनेता को करना चाहिये कि पुलिस विभाग को उसकी आवश्यकता पड़ जाये, उससे पुलिस विभाग की आवश्यकता न पड़े। अगर इस पूरी चीज को इस कठोर प्रिंसिपल को हम अख्तियार कर लें तो यह पुलिस डिपार्टमेंट उतना गंदा नहीं है, क्योंकि हमारे और आपके स्वयं के भाई और परिवार वाले भी इसमें हैं। यह भी ह्यूमन का नेचर नहीं है, यह भी ह्यूमन बिंइग्स है, आखिर इसका ह्यूमन फेस देखने के लिए भी आपको और हमको आज लालसा है और उनके इस सौहार्दपूर्ण चरित्र को देखने के लिए और पारदर्शिता आपमें और हममें रहे और यह सदन और यहां का जनप्रतिनिधि इस पुलिस डिपार्टमेंट को वह हौंसला दे जिसे आज की तारीख में 21वीं शताब्दी में हमारी सभ्यता को आवश्यकता है। इस बात के लिए पूरा मुझे विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब करप्शन और चीटिंग जैसे मामलों के ऊपर इस डिपार्टमेंट पर कोई अंगुली उठायेगा। यह आखिर वह डिपार्टमेंट है जिससे आपका और हमारा कल का सूर्य सुरक्षित रहेगा, हमारा भविष्य बिलकुल सुरक्षित रहेगा। अगर सेना का मनोबल ऊंचा है तो साथ में आवश्यक यह भी है कि पुलिस का मनोबल भी ऊँचा रहे। आज आपने मुझे कहने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री रामप्रताप कासनिया। पांच से सात मिनट में आपको अपनी पूरी बात कहनी है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं तो कभी बोला ही नहीं डिमाण्ड पर।

श्री सभापति: नहीं, मैंने आपको सूचना दी है कि पांच से सात मिनट में आपको अपना पूरा कथन कहना है। गागर में सागर भर दो आप।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): पांच-सात मिनट में तो बोला ही नहीं जायेगा। माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस डिपार्टमेंट पर चर्चा हो रही है। मैं तो पुलिस के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले चार वर्षों के अंदर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाये तो हर तरफ सुधार हुआ है। चाहे प्रयोगशाला का मामला हो, चाहे तस्करों को पकड़ने की बात हो, चाहे हत्या का मामला हो, चोरी का हो, डकैती का हो, काफी कुछ सुधार देखने को मिला है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें इस सदन में रखी हैं, जो मैं यहां रिपीट नहीं करना चाहूंगा, मैं भी उनकी भावनाओं से सहमत हूं। प्रतिपक्ष की तरफ से माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं उनकी भावनाओं में अपने आपको सम्मिलित करता हूं कि उन्होंने जो विचार रखे, काफी हद तक 60 प्रतिशत विचार उनके थे, वह बहुत सही थे। सभापति महोदय, पुलिस को मर्जी आये तब हम कोसते हैं। आजकल जुर्म करने का जो तरीका है, जुर्म करने वाले भी आधुनिक तरीके से जुर्म करने लग गये हैं। बहुत बारीकी से, सभापति महोदय, आप अध्ययन करोगे तो हमारे बागड़ी में कहावत है - 'पाडते न सीडतो घटे सी नावडसी' यानि हमारे पास इतने उपकरण नहीं है, इतनी सुविधा नहीं है, हमारे पास इतनी पुलिस उपलब्ध नहीं है, उपकरण नहीं हैं और फिर बीच में मानवाधिकार वाली बात, जो माननीय सदस्य कह रहे थे, काफी हद तक सही है। सभापति महोदय, अगर किसी हत्यारे को, किसी चोर को आप हाथ जोड़कर यह पूछो कि आपने हत्या की है, शायद वह कबूल नहीं करेगा। वह कबूल किस तरीके से करेगा या तो भय से करेगा या आपके पास कोई यंत्र हो जिनसे पता लगाया जा सके । मौके पर जैसे प्रयोगशाला की बात है, सब जगह प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं हो सकती, जयपुर में है। मौके का नक्शा, घटनाक्रम 24 घंटे बाद वहां पर वह निशान भी नहीं मिलते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य पुलिस में किया है, परन्तु अभी और सुधार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, उदाहरण के तौर पर बताऊं। मेरे से पूर्व वक्ता अंग्रेजों के जमाने का जो कानून बना हुआ है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। सभापति महोदय, यह कौनसा कानून है एक आदमी को लाठी से जगह-जगह तोड़ दिया जाये तो धारा लगेगी 24 और 25, और वह जिन्दगी भर अपाहिज हो जायेगा, उसकी जमानत कहां होगी, थाने में, क्योंकि यह नियम है 23, 24,

(श्री रामप्रताप कासनिया)

25 तक थाने में जमानत करवाने का नियम बना हुआ है। नियम सौ वर्ष पहले बना हुआ है। सभापति महोदय, वहीं अगर किसी आदमी के पैर में एक धारदार हथियार से खाली फैक्चर हो जाये तो वह तो एक हफ्ते में सही हो सकता है, परन्तु उसकी जमानत नहीं होगी, क्योंकि वह धारदार हथियार से कट गया। नुकसान चाहे कितना ही हो, धारदार हथियार है और लाठी से पूरे शरीर को तोड़कर रख दिया तो थाने में जमानत होगी। यह कौन से कानून हैं, यह कौन से नियम हैं, इनको बदलने की आवश्यकता है। एक चोर तीन बार चोरी कर ले, उसकी जमानत मुंसिफ ले लेगा, क्योंकि नियम में प्रावधान है, यह ऐसे कानून काम के नहीं हैं। जो आदमी जिंदगी भर अपाहिज हो, उसकी थाने में जमानत हो और पैर कटा हुआ है, हड्डी के थोड़ा फैक्चर हो, 326 हो तो उसकी जमानत नहीं होती है तो इस तरह के जो कानून हैं, इनको बदलने की बहुत ही निहायत आवश्यकता है।

सभापति महोदय, पुलिस के ऊपर लांछन लगाना तो बहुत आसान है, परन्तु पुलिस में सब अधिकारी एक जैसे नहीं हैं। पुलिस में काफी अधिकारी ईमानदार हैं और जो ईमानदार हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, उनकी पीठ थपथपानी चाहिये, ताकि अच्छा कार्य करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी हो तो उसका हौंसला बढ़े कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं इसलिए मेरी प्रशंसा हो रही है। परन्तु सभापति महोदय, सबको एक ही लाठी से हांका नहीं जाना चाहिये। कोई न कोई चिन्ह उनके ऊपर भी हमें लिखना पड़ेगा, उनकी भी पहचान हमें करनी पड़ेगी। इस तरह के लोगों को हम प्रोत्साहित करेंगे, अच्छी पोस्टिंग देंगे तब जाकर उनका मनोबल बढ़ेगा।

सभापति महोदय, अगर मैं इसमें लगा रहा तो मैं मेरी मूल बात से चूक जाऊंगा और आपका हाथ घंटी पर है शायद। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के अंदर (व्यवधान) पीलीबंगा, मांगीराम कोई चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं, वह एक सिपाही है और मैं जानकारी दे दूं चार सालों में सिपाही बदलाया भी नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पीलीबंगा के थाने का डी.एस.पी. कार्यालय हनुमानगढ़ से 30 कि.मी. आगे संगरिया है, देखो व्यवस्था, मैं यहां इंगित कर रहा हूं जो पुलिस की कार्यशैली है।

सिर्फ एक दिमाग लगाने की आवश्यकता थी कि पीलीबंगा को संगरिया में हनुमानगढ़ से आगे 30 किलोमीटर जाकर के उसका डीवाई.एस.पी.

(श्री रामप्रताप कासनिया)

आफिस संगरिया और गोलूवाला का हनुमानगढ़ में तो दोनों को ही हनुमानगढ़ में कर देते। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पीलीबंगा कांस्टीट्युएंसी है, तहसील हैडक्वार्टर है और दो थाने, पीलीबंगा तहसील के हैं और तीसरा मिलाने की आवश्यकता है तो रावतसर को मिलाया जा सकता है तो पीलीबंगा के अन्दर डीवाई.एस.पी. कार्यालय बहुत ही जरूरी है, प्रशासनिक दृष्टि से, हर दृष्टि से वहां पर डीवाई.एस.पी. कार्यालय होना बहुत ही जरूरी है। सभापति महोदय, अभी सरकार ने कुछ डीवाई.एस.पी. कार्यालयों की घोषणा की है तो मैं किसी के कहीं खुल गया उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं पर मैं यह सुझाव जरूर देना चाहता हूं कि रावतसर पीलीबंगा गोलूवाला, तीनों को मिला करके अगर पीलीबंगा बीच में हैडक्वार्टर हो जाता तो सरकार के इसी खर्चे से काम चल सकता था, अलग से कोई खोलने की जरूरत नहीं थी। यह बहुत ही न्यायिक सुझाव है, वाजिब सुझाव है, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, कम से कम मैं मेरे जिला हैडक्वार्टर और गंगानगर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि एक कोई हथियार प्रकरण हुआ था, उनमें कोई धांधली हो गयी, गड़बड़ी हो गयी, मैं इस बात में नहीं जाना चाहूंगा पर, सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति अपनी बंदूक की लाइसेंस फीस जमा करवाने के लिए जाए और पुलिस के पास चार-चार महीने तक वह मामला पेंडिंग रहे, 100 रुपये फीस होती है और चार-चार महीने चक्कर लगा कर फीस जमा करवाने के लिए उसके लाइसेंस की जो बंदूक है उसकी कीमत के बराबर किराया लग जाता है तो ऐसे फीस जमा करवाने में तो जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम हो, जो व्यक्ति सही हो, जिसका लाइसेंस सही हो उसको आप एक निश्चित तिथि तय करें कि सात दिन और दस दिन के अन्दर उसको वापस, अगर सही है उसकी रिपोर्ट होकर के ए.डी.एम. के पास जानी है तो ए.डी.एम. के पास जाए और एस.डी.एम. के पास जानी है तो एस.डी.एम. के पास जाए। टोपीदार बंदूक, सभापति महोदय, पाँच-पाँच महीने सिर्फ इतनी बात कह कर कि वह गंगानगर वाला प्रकरण है न उसको ध्यान करना पड़ता है, गंगानगर कोई चोर पकड़ा गया इसका मतलब यह नहीं है कि सेंट परसेंट लाइसेंसधारी चोर हैं। यह

(श्री रामप्रताप कासनिया)

बात कह करके पीछा छुड़ाना कोई अच्छे प्रशासन की नीयत नहीं है, यह संकेत सही नहीं है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मोटे रूप से पुलिस के लिए हमें जो कुछ करना चाहिए, हमारे जो वित्तीय साधन हैं, मांग करना तो बहुत आसान है, मैं भी कह दूंगा कि हायर तकनीक लाओ, तरह-तरह की प्रयोगशाला लाओ पर हमारे राजस्थान का जो ढांचा है, जो वित्तीय प्रबन्ध है उसकी व्यवस्था कैसे हो, पुलिस के अन्दर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने की आज के दिन आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। आवश्यकता को देखते हुए पुलिस का जो बजट है वह बहुत ही कम है। यह कहने में मैं कोई संकोच नहीं करूंगा और यह भी कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि इस सरकार ने शासन में आने के बाद पुलिस के अन्दर जो भर्तियां की हैं, नयी-नयी प्रयोगशाला, चाहे महिला पुलिस की बात हो, नयी भर्ती चाहे थानेदार हो, चाहे सी.आई. हो, चाहे हैड-कांस्टेबल हो, अपनी वित्तीय व्यवस्था के अनुसार पिछली सरकार की तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो बहुत ही सुधार हुआ है, यह भी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है क्योंकि जो बात धरातल पर है, जो सही है वो नहीं कहेंगे तो काम करने वाले का भी मनोबल नहीं बढ़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं, इसको आप आलोचना की दृष्टि में न लें, मेरे दोनों ही थाने गोलूवाला और पीलीबंगा आई.एस.ओ. हैं, मैं पढ़ा-लिखा कम हूं, हो सकता है कोई गलती हो जाए पर नाम शायद उनका आई.एस.ओ. है। तो वो दो थाने आई.एस.ओ. हैं तो फिर मुझे कुछ भी नहीं कहना आई.एस.ओ. के बारे में।

दूसरा, मैं यह कह दूं कि यहां पर यह भी चर्चा होती है कि राजनीतिक इन्टरफियरेंस होने के कारण से पुलिस अधिकारी काम नहीं कर सकते। में यह बात कह सकता हूं कि मैंने चार वर्ष में सूरतगढ़, पीलीबंगा, गोलूवाला में, आप रिकार्ड उठा कर देख लो, एक सिपाही नहीं बदलवाया फिर वहां के परिणाम तो अच्छे होने चाहिए थे। वहां पर जो अधिकारी लगने चाहिए थे, वो तो प्रशासनिक सूझ-बूझ से उच्च अधिकारी जो बैठे हैं और, सभापति महोदय, मुझे कहना नहीं चाहिए, एक वर्ग विशेष, मेरी जाति के लोगों को लगाया, मुझे यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है पर मैं यह कहना चाहूंगा कि वो जिम्मे मेरे लग रहे हैं। यानी मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वह एक

(श्री रामप्रताप कासनिया)
वर्ग विशेष का जो मैने नाम लिया वो जिम्मे भी मेरे लग रहे हैं पर मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह दो आई.एस.ओ. जो थाने हैं उनकी तरफ विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं पर मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आई.एस.ओ. का यही स्तर है तो फिर ठीक बात नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। यह घंटी मेरे लिए बजाये रखा करो आप।

श्री सभापतिः माननीय रणवीर सिंहजी गुढा। पांच से सात मिनट में आपको अपने रचनात्मक सुझाव देने हैं। (व्यवधान) यह मेरे विद्यार्थी रहे हैं इसलिए इनको कह सकता हूं मैं। बोलिये, बोलने दीजिए आप लोग, प्लीज।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 16 और 17 के ऊपर मुझे जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। पुलिस के बारे में बहुत ही अच्छे-अच्छे सुझाव सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा आये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि पुलिस के द्वारा जो व्यवस्था दी जा रही है, चाहे वो राजधानी में हो चाहे वो जिलों में हो लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में, पिछले दिनों में पहले भी मैंने दो-तीन साल में बार-बार अवगत करवाया, कोई कार्यवाही नहीं हुई लेकिन उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरे थाने को लाइन हाजिर किया क्योंकि वहां खुल करके रंगे हाथों पुलिस के सिपाहियों को, अधिकारियों को पकड़ा गया लेकिन इस प्रकार से पकड़ करके लाइन हाजिर करने मात्र से क्या पुलिस में सुधार हो सकता है? क्या कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि पूरे प्रदेश में कितने पुलिस के अधिकारी हैं जिनके ऊपर जांच चल रही है और जिनको अच्छी जगह पोस्टिंग मिली हुई है।

पिछले दिनों में टोंक के अन्दर भी एक मामला आया कि एक दलित हैण्डपम्प पर पानी पीने के लिए गया वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, उसको पानी नहीं पीने दिया गया और उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर कर दिये। जब वह थाने में गया तो रात भर उसको थाने में बैठा दिया और उसके बाद में कुछ सामाजिक सगठनों ने और दलित संगठनों ने वहां पर आवाज उठायी तब जाकर के उसकी तरफ से एफ.आई.आर. लोज की गयी और उसके बाद में एस.पी. ने

(श्री रणवीर सिंह गुढ़ा)

एडीशनल एस.पी. को जांच दी और एडीशनल एस.पी. ने थानेदार को दोषी पाया उसके बावजूद वो एस.एच.ओ. अच्छी जगह पोस्टिंग लेकर बैठे हैं और राज्य सभा के सदस्य वाल्मीकि जब वहां गये तो उस एस.एच.ओ. का आप नखरा देखो, उस एस.एच.ओ. ने वाल्मीकि से मिलने से इन्कार कर दिया।

सभापति महोदय, दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं ठीक है कि पुलिस का हमको ध्यान रखना चाहिए, पुलिस की तनख्वाह भी बढ़ानी चाहिए लेकिन जो जेल के सिपाही हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी तनख्वाह पुलिस से भी कम है।

दूसरा, सभापति महोदय, जयपुर में अब तो फिर भी थोड़ा माहौल ठीक हुआ है आइसक्रीम की दुकान को, दूसरी किराने की शॉप को ग्यारह बजे से, शायद नौ बजे ही बंद करवा दिया जाता है लेकिन शराब का ठेका तो रात को बारह बजे भी खुला रहता है और उस शराब के ठेके को भी आठ बजे बंद करवा दिया जाए, क्या ऐसी कोई व्यवस्था है? तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अपराधी हैं उनको शह दी जाती है और जितनी भी प्रदेश में लाइसेंस की जो दुकान होती है, हरेक थाने के जो थानेदार हैं एक दुकान के बीच में दस-दस बिना लाइसेंस की दुकानें खुलवा करके दे रहे हैं और सब जगह, व्यापारी जगत में जाकर के पता करवा लिया जाए, सब जगह वो लोग थानेदारों को बंधी देते हैं और इसके साथ-साथ में एक नयी व्यवस्था और शुरू हुई है, सभापति महोदय, एजेंट तैयार हो गये।

असत्य मुकदमे आपने स्वीकार किया है कि दर्ज हो रहे हैं और सच्चे मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। मुकदमा दर्ज करवाने के लिए एजेण्ट, नाम लिखवाने के लिए एजेण्ट, नाम कटवाने के लिए एजेण्ट तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी छात्र राजनीति के अन्दर केसेज लगते हैं या तो वह किसी का ही नहीं हटाया जाय, केवल सत्ता पक्ष के कुछ संगठनों के विद्यार्थी परिषद के जो छात्र नेता हैं उनके तो सारे मुकदमे हटा दिये गये उसके अलावा दूसरे जितने भी छात्र नेता हैं उनके सबके मुकदमे एज इट इज रह गये। तो मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि सभापति महोदय, आप भी शिक्षक रहे हैं लेकिन जितने भी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्टूडैंट लाइफ के अन्दर राजस्थान के अन्दर अपने को जो भी छात्र राजनीति के दौरान, स्टूडैंट

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

लाइफ के दौरान, हास्टल लाइफ के दौरान जो भी मुकदमा दर्ज होता है, उनके भविष्य को देखते हुए कितने सारे छात्रों का एक साथ एफ आई आर दर्ज करवा दिया जाता है। कोई आता है कोई नहीं आता है, कोई मिलता है कोई नहीं मिलता है। दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल में उनके मुकदमों का सुलटारा नहीं होता है। अगर हम लगा सकते हैं तो उनकी नौकरी लगाएं, मुकदमे लगा-लगा कर उन काफी सारे सैकड़ों नौजवान नवयुवकों की जिंदगी बर्बाद होती जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन के अन्दर पुलिस की जो विश्वसनीयता, आदर्श थाना तो आपने बता दिया शिप्रा पथ लेकिन शिप्रा पथ थाने की बिल्डिंग ठीक करने से, चार कम्प्यूटर रख देने से आदर्श थाना नहीं हो जाता है। सबसे ज्यादा क्राइम मानसरोवर में हो रहा है। जो आदर्श थाना दुनिया के अन्दर आप नम्बर वन बता रहे हो उसमें अगर आप पता लगायेंगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अपराध वहां पर हो रहे हैं। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि श्रीमान गृह मंत्री महोदय, थाने के अन्दर जो मुकदमे दर्ज होने चाहिए वह मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं । रोज अख़बार में हम देखते हैं पुलिस के जवान हैं वह हेलमेट नहीं लगाते और पुलिस के जवान बैल्ट भी नहीं लगाते, वह कानून का उल्लंघन करना अपनी शान समझते हैं। कई जगह जाकर के आप देखोगे तो पुलिस के अधिकारियों को दादागिरी करते हुए पाओगे। तो रक्षक ही पुलिस ही इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाई जाएगी तो निश्चित रूप से समाज के आम लोगों का उनके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा।

रही बात शराब की, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप थानों में जाकर पता कर लीजिएगा। मेरे उदयपुरवाटी थाने में और गुढा थाने में शराब ही नहीं वहां पर सट्टा खेला जाता है। मैंने बार बार एस पी को अवगत करा दिया कि वहां पर सट्टा खेला जाता है, सटोरियों को वहां पर पूरा संरक्षण प्राप्त होता है केवल गुढा थाने को तो आपने लाइन हाजिर कर दिया लेकिन उदयपुर वाटी थाने के ऊपर भी ध्यान दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो पुलिस के द्वारा अपराध हो रहा है उसकी जांच का हमारे पास में

(श्री रणवीर सिंह गुढ़ा)

क्या मापदण्ड है? एंटी करप्शन में भी करप्शन है। जो डिपार्टमैंट हमने करप्शन को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए बनाया है उसमें किसी अच्छे ईमानदार अधिकारी को लगाया जाय और ए.सी.डी. के अन्दर आपके जो अधिकारी हैं आप पता करवा लीजिएगा उन्होंने खनन आबंटन में बहुत सारी जगह के अन्दर चाहे अपने गलत तरीके से उन्होंने अपने धंधे सैट करने में अपना टाइम लगाया है न कि करप्शन के ऊपर काबू पाने में अपना ध्यान लगाया है।

इसलिए मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि जो भी करप्शन हो रहा है और जो भी केस दर्ज होता है प्रभावशाली लोग लेकर के उसको सी.आई.डी. में पटकवा देते हैं। सी.आई.डी. में पटकने का मतलब है ठंडे बस्ते में पटक दिया और सी आई डी का रिजल्ट कभी आता ही नहीं है दो-दो साल में, चार-चार साल में, पाँच पाँच साल के अन्दर। पिछले दिनों जोधपुर में सुरेश शर्मा हत्याकांड हुआ था, एडवोकेट सुरेश शर्मा हत्याकांड में बड़े-बड़े लोग शामिल थे ईवन कि आपके सरकार के मंत्री के परिवार के लोग भी शामिल थे । लेकिन उसकी जांच सी.बी.आई. के द्वारा होनी चाहिए। जो भी मुकदमा, जो भी क्राइम ...

एक माननीय सदस्य: कोर्ट में फैसला हो गया।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा): माननीय सभापति महोदय, सही बात बोलते ही हो गया, आप लोगों की बड़ाई करें तब तो बोलते रहो, सही बात बोलते ही हो गया। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आप अगर सच्चाई के हिसाब से चलोगे, आप बोलते तो बहुत अच्छी बात हो कि पुलिस की तनख्वाह बढ़ा दी जाय, बनाओ कानून, ले के आओ प्रस्ताव कौन रोकने वाला है, आपके पास भी दो तिहाई बहुमत है। पुलिस के जो नौजवान हैं उनकी भी तनख्वाह बढ़ाओ।

जेलों के अन्दर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जेल के अन्दर आपको पता है कैसी-कैसी घटनाएं हमारे सामने आयी हैं तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आप सत्ता में हो, आप भाषण मत करो, भाषण से कुछ नहीं होगा। अभी माननीय सदस्य बहुत अच्छी बात बोलकर के गये थे कि पुलिस के बच्चों का, पुलिस की तनख्वाह का, पुलिस की सुरक्षा का और पुलिस को अवार्ड दिया जाय, उसमें भी ध्यान रखना चाहिए तो रखो ना कौन आपका हाथ पकड़ने वाला है। उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए जेल के जो कर्मचारी हैं उनकी भी तनख्वाह पुलिस के बराबर करो और सबके लिए जो भी आपको कानून लाना है कानून लाओ, प्रस्ताव रखना है प्रस्ताव रखो, कौन विरोध कर रहा है। आप कांग्रेस में

(श्री रणवीर सिंह गुढा)
बुराई निकाल रहे हो, कांग्रेस कह रही है आप ठीक नहीं कर रहे हो। आपस में यह नूरा कुश्ती के अन्दर पूरा समय हमारे सदन का खराब होता है तो हम यह चाहते हैं कि जो करना चाहते हो ...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): वाह क्या बात है, क्या बात है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): जो भी आपको पुलिस के लिए, जो भी भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए आपको करना है ...(व्यवधान) गृह मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह सुनकर के टालमटोल करके इन बातों को नजरंदाज नहीं करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार सबसे पहले आज पानी पिलाने का काम भी पुलिस कर रही है, सोहेला में पानी मांगा, गोली मार दी, अब कोई पानी नहीं मांगेगा आपसे, न कोई किसी प्रकार की समस्या की मांग करेगा। यहां पर दूषित जल के लिए लोग पानी की व्यवस्था की मांग कर रहे थे उनको गोली मार दी, मुकदमा लगा दिया और तरह-तरह से उनको कुचलने का प्रयास किया गया। तो आप सारी समस्याओं का समाधान केवल मात्र पुलिस से करना चाहते हैं यह नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि झुन्झुनूं में जो पत्रकार थे उन्होंने वहां पर जो घोटालों को उजागर करने का प्रयास किया गया उनके ऊपर पुलिस ने लाठियां बरसाईं, +++ इस प्रकार नैतिकता को ताक पर रखकर आपके सदस्यों के द्वारा, आपके अधिकारियों के द्वारा, आपके मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार का जो काम किया जा रहा है जनता उसका समय आने पर आपको जवाब दे देगी।

सभापति महोदय, मैं लास्ट में दो मिनट लेना चाहूंगा। इतना ही कहना चाहता हूं कि आप तो इतना करवा दीजिए कि प्रदेश में जो पुलिस के अधिकारी हैं किन किन पुलिस के अधिकारियों के ऊपर जांच चल रही है, किन-किन अधिकारियों को अच्छी जगह पोस्टिंग मिल गयी। सभापति महोदय, मेरे वहां पर बी डी ओ जिसके खिलाफ कार्यवाही हुई थी उसको ...(व्यवधान)

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री राजेन्द्र राठौड़, सार्वजनिक निर्माण मंत्री का स्पष्टीकरण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मेरी अनुपस्थिति में गुढा से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर मेरे पर आरोप लगाया कि +++ यह तथ्यों से परे है, असत्य है, भ्रामक है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): आप जांच करवा लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह बात यह पहले भी कह चुके हैं अगर इनके पास कोई प्रमाण हो तो प्रमाण सामने रखें ये। मतलब बिना कोई जानकारी के, बिना कोई तथ्य के हर कोई बात कह दें यह, इसलिए एक्सपंज करवाइये, सभापति महोदय मेरा निवेदन है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय सभापति महोदय, इसकी जांच करवा लें आप जो भी दोषी है अगर हमारे बात गलत निकल जाय तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे अगर आपकी बात गलत हो जाय तो आप छोड़ देना ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वह तो अपने आप ही छूट जाएगी।

श्री अमराराम (धोद): ऐसे धमकाते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जिस एजेंसी से चाहें उस एजेंसी से जांच हो जाए पर यह मामला एक बार पहले भी उठा चुके हैं यह बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के कोई भी बात कह सकते हैं । अगर इनको मेरे पर आरोप लगाना था तो 273 में मेरे को नोटिस देते, 273 में मेरे को नोटिस देकर फिर मेरे पर आरोप लगाते। मगर यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी हर किसी मांग पर, हर कोई बात पर हर कोई बात कह दें, मैं समझता हूं यह सदन की परम्परा नहीं रही है।

श्री अमराराम (धोद): सरकार कोई जांच करानी, सी.बी.आई. से जांच कराने के लिए रिकमंड करो आप।

श्री सभापति: इस प्रकरण को हटा दिया जाय यहां से जो मंत्रीजी पर आरोप लगाया है। खतम ...

श्री अमराराम (धोद): आरोप क्या है धमकी दी है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपको एक जिम्मेदारी के पद पर बैठे ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, जब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह तैयार हैं फिर आरोप लगा रहे हैं तो सरकार को जांच करवाने में क्या आपत्ति है, आप करवा लीजिए जांच।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): नोटिस देकर आयेंगे ना पहले।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जांच करवा लीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): नोटिस देकर आ जाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जांच का कोई सवाल इसलिए नहीं उठता कि पहले तो उन्होंने आरोप लगाया उन्होंने खंडन कर दिया, आरोप लगाया बिना किसी सूचना के ऐसे में ऐसे आरोप जो अपराधिक प्रकृति के हों अंकित नहीं होने चाहिए।

श्री सभापति: हां, मैंने मना कर दिया है अंकित नहीं होगा। आगे बोलिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां ठीक है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, सुमेरपुर से आने वाले सदस्य ने मैं तो अनुशासित व्यक्ति होने के नाते चुप बैठा था, उन्होंने कहा भरतपुर के लोग जो हैं ...(व्यवधान) अब क्या परेशानी हो रही है आपके, हंसने की क्या बात है इसमें, +++ खूब कहा मैं तो सुनता रहा, मैंने सोचा आप तो अपने आप ही उसको कार्यवाही से निकाल देंगे।

श्री सभापति: इसको भी कार्यवाही से हटा देना। बोलिये आप।

मांग संख्या-16 एवं 17 पर अग्रेत्तर विचार

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाह रहा हूं कि जो जो भी कानून का उल्लंघन किया गया है अधिकारियों के द्वारा, पुलिस के अधिकारियों द्वारा ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, अपने यहां पर पुराना, वापस री-ओपन, वह नहीं है और वह तो क्योंकि अख़बार में जा चुका है, कार्यवाही छप चुकी है इसलिये उस समय बोलना चाहिये यदि आब्जेक्शन था तो। अब मेरा ख्याल है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आइन्दा आप ध्यान रखें उस समय बोलें आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह नहीं कहा कि... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वह तब ही कह दिया था इशारे से इसलिये आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है।

श्री सभापति: देखो गुढा से आने वाले माननीय सदस्य नये हैं, उनको बोलने का अवसर दें। बीच-बीच में टोके नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो बिराजो और मेरे हैं तो क्या छपे हैं वह सब जानते हैं आपकी ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माहिर आजाद को सब जानते हैं कि आप क्या हो।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): झुंझुनूं में पत्रकारों ने आन्दोलन किया। माननीय सभापति महोदय, पत्रकारों को, भास्कर के पत्रकार को पकड़ कर डी.एस.पी. ने पिटाई की। इसके बाद में उनको धमकी दी और आफिस में जाकर मार-पीट की। उसके बावजूद हमने एस.पी. को कहा, ऊपर के अधिकारियों तक बात पहुंचायी लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से अगर कानून का उल्लंघन करने वालों को बचाया जायेगा तो कानून का उल्लंघन करने वालों का हौंसला बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं मेरी बात, मेरा कहीं इंटेंशन यह नहीं है लेकिन जिन लोगों ने भी एक जिम्मेदारी के ऊपर रहकर अपनी बात को दादागिरी के बल के ऊपर मनवाने का प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से हमको सबको विरोध करना चाहिये। हमने यह भी कहा माननीय सभापति महोदय, कि सी आई डी में माननीय गृह मंत्रीजी गये। इन्होंने उस जोधपुर हत्याकांड, सुरेश शर्मा हत्याकांड को सी आई डी में दिया था। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से उसमें प्रभावशाली लोग थे। संगठित अपराध जिन्होंने जयपुर में किया, जोधपुर में किया और हजारों करोड़ों...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त कीजिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): रुपयों की जमीन लेकर जो संगठित अपराध हुआ था, जो हत्या हुई थी सुरेश शर्मा की, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं चार साल हो गये उस पूरे मामले को सी आई डी में, गृह मंत्रीजी जवाब दें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य भरत सिंहजी।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में मेरी बात खतम करना चाहता हूं।

पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि सी आई डी क्या कर रही है ? या तो आप ... (व्यवधान)

श्री सभापति: बिलकुल भी अंकित नहीं होगा। बैठिये आप। आपको मैंने पर्याप्त समय दे दिया।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम है बृजकिशोर शर्मा।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): XXX

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): क्या हो रहा है यह कितने दिनों से माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये आप। माननीय सदस्य खड़े हो गये हैं, बैठिये आप।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): माननीय सभापति महोदय, तो मेरे बारे में क्या ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका भी सूची में नाम है। क्रम से आता है नाम, मेरी मर्जी से नहीं आता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): तो मेरे वाला ही सबसे नीचे क्यों चला जाता है और बाद में खतम हो जाती है कार्यवाही ... (व्यवधान)

श्री सभापति: व्यवस्था से चलता है। सूची में नाम है उसी हिसाब से नाम आयेगा आपका ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम है बृजकिशोर शर्मा ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): कमाल हो गया। पहले लोगों के नाम जो थे वह तो पहले आ रहे हैं और मेरा लास्ट में जाकर फिर जब समय समाप्त हो जायेगा ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आयेगा, आपको भी समय देंगे। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, बृजकिशोर शर्मा का नाम है पहले।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): वह वहां सूची उथल-पुथल हो रही है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज मांग संख्या 16 और 17 पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया जाता है मांग पारित होने तक।

गुढा से आने वाले माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम है बृजकिशोर शर्मा।

श्री सभापति: बिलकुल आपका नाम है। मुझे ध्यान है। आपकी, मेरी एक ही राशि है। माननीय भरत सिंहजी।

मांग संख्या-16 एवं 17 पर विचार

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 17 और 16 पर सदन में चर्चा हो रही है मैं बिलकुल संक्षिप्त में अपने विचार रखूंगा।

यह बात सही है कि राजस्थान आज देश के अन्य राज्यों की तुलना में एक शांति प्रिय प्रदेश माना जाता है और है भी सही। मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि जब यह देश आजाद हुआ था 1947 में उस समय भी राजस्थान के अन्दर अन्य क्षेत्रों में हम काफी पिछड़े रहे होंगे मगर एक क्षेत्र में उस समय भी राजस्थान देश में अग्रणी था और वह यह था कि यह एक बहुत अनुशासित प्रदेश था। आज 60 साल बाद भी हम उस अनुशासित प्रदेश, वह जो फिक्स डिपाजिट हमारे पास इसमें जो अधिकारी आते हैं, राजस्थान के अन्दर जो आई पी एस में सलेक्शन होता है अधिकारियों का उनकी प्राथमिकता आज भी अधिकांश की राजस्थान है क्योंकि इसको गवर्न करने की दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से यह एक शांत प्रदेश है मगर इन 60 साल के अन्दर आज राजस्थान की जो गुडविल थी वह धीरे-धीरे, शनैः-शनैः कम हो रही है और उसके अनेक कारण हैं। उसके ऊपर हमें चिन्तन करना पड़ेगा।

मैं इतना निवेदन करूंगा कि सबसे बड़ी जो परेशानी है आज पुलिस के सामने अनेक कमियों के बावजूद वह है पालिटिकल इंटरफियरेंस। मैं माननीय गृह मंत्रीजी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि इनका प्रयत्न रहा, इनका प्रयास रहा कि यह गृह मंत्री के रूप में संभागीय मुख्यालय पर

(श्री भरत सिंह)

जायें और पुलिस के अधिकारी और जन प्रतिनिधियों से कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। यह इनकी बड़ी उपलब्धि है।

मगर साथ ही माननीय गृह मंत्रीजी मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब-जब भी पधारे, आपके आने के ऊपर जिले के सर्वोच्च अधिकारी, एस पीज और जन प्रतिनिधि इकट्ठे हुए, मगर आप दो साल तक नहीं आए तो आपकी बात से किसी ने प्रेरणा नहीं ली कि अपने आई जी खुद भी इस प्रणाली को चालू करे और दो महीने, तीन महीने के अन्दर लोगों की चर्चा करें और विभागीय व्यवस्था सुधारें। जो चीज आप दिखाना चाहते हो वह इन्होंने ग्रहण नहीं करी।

आज पुलिस का 80 प्रतिशत तो आपका सिपाही का काडर है। उसके ऊपर आपके अधिकारी हैं। सिपाही के सामने, कांस्टेबल के सामने जो उसकी कमियां हैं, जिस परिस्थितियों में वह समाज में कर रहा है क्योंकि पुलिस भी जो गंगा है वह गंगा स्वयं दूषित हो रही है। इस प्रकार से एक लोटा भरा हुआ पानी वह पुलिस का है। पुलिस के आदमी अलग नहीं है। समाज में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसी में से पुलिस का आदमी काम कर रहा है। जो कांस्टेबल से काम करना पड़ रहा है वह देख रहा है एक राजनीतिक व्यवस्था को देख रहा है तो आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राजनीतिक दखलंदाजी और यह जो भी पार्टी सत्ता में है चाहे हम रहे हो, चाहे आप हो, यह कोशिश रही है कि जो चुना हुआ जन प्रतिनिधि है वह तो आई.ए.एस., कोई आई.पी.एस. का इम्तहान देकर नहीं आया है। उसकी हर पांच साल में परीक्षा होती है और जो आदमी उसको वोटिंग तक ले जाकर उसको जितवाता है उसकी मजबूरी है या उसकी यह व्यवस्था है कि उसका वह ध्यान रखता है और जब खुद उसमें उसके साथी या लोग-बाग़ उलझ जाते हैं तो पुलिस के अन्दर दखलंदाजी होती है। उस वजह से सारी पुलिस व्यवस्था की सबके सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है।

मैं इस प्रकार लम्बी बात नहीं कह कर मैं मेरे जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, मैंने बहुत सोच समझकर और उस पर चिन्तन करके कटौती प्रस्ताव दिये थे उनके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा ताकि पाइंटेड उसके ऊपर आप व्यवस्था में अगर कुछ कार्य करेंगे तो सुधार हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, जो अपराध के आंकड़े होते हैं, आप देखेंगे जो चालान करते हैं हम उनमें से बहुत कम लोगों को सज़ा मिल पाती है। तो

(श्री भरत सिंह)

सज़ा का जो प्रतिशत है बहुत कम होता है। पहले तो अपराध को पकड़ना, उसको चालान करना, चालान करने के बाद अदालत से प्रोसेस में सज़ा होना और सज़ा होने के बाद जाता कहां है वह ? वह कारागार, जेल में जाता है। वहां जेल में जाने के बाद वह दुरुस्त नहीं हो, उसको जेल का भय मिट जाए और जेल के अन्दर हर प्रकार के अपराध होने लगे और अपराध होने के बाद जेल में मारपीट हो, उसका मुकदमा हो, उसका कहां से चालान होगा और वह कौनसी जेल में जायेगा ? वहां पर भी हुड़दंग हो रहा है। पेशी पर जा रहे हैं तो वहां से गायब हो रहे हैं। पैरोल पर जा रहे हैं तो वहां से गायब हो रहे हैं। एन.डी.पी.एस. एक्ट के मुलजिम अगर कोई जेल के अन्दर बंद है, सब एक जगह हैं, योजनाएं बनाते हैं और बारां, निम्बाहेड़ा से फरार होकर और अमूमन यह घटनाएं घटित हो रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले भवानी मंडी में हुई। एक जेल नहीं बचा जहां पर सुधार होना है, जो आदमी कानून से, कानून से तो सही आदमी डर रहा है जिसको भय है कि किसी अपराध में फंस नहीं जाऊं। जो आदमी गलती से कोई अपराध कर दिया और जेल में चला गया उसका तो जीना हराम है। मगर जो आदमी आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसको व्यवस्थित करके जेल को ठीक करना है उसके लिए तो वह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। इनकी सेमीनार होती है डाक्टर्स की। कभी आप स्टेशन पर उतरेंगे झंडे लगाकर कि आज यहां पर डाक्टर्स की सेमीनार है। आज इंजीनियर्स का हो रहा है। यह जेलों का सेमीनार है गुंडों का। जेल वहां पर एक दूसरे से तरीके सीखते हैं और निकलने के बाद अपराध करते हैं। एक आदमी निकलने के दस दिन बाद अपराध कर रहा है। जब तक हम जेल के अन्दर उस व्यवस्था के अन्दर सुधार नहीं करेंगे तब तक हम यह चीज नहीं करेंगे।

फिर आपने आपकी जो पुलिस की उपलब्धियां बतायी हैं मैं उन पर ध्यान दिलवाना चाहूंगा। आपने उपलब्धियां कौनसी, राजस्थान की पुलिस की जो चुनौतियां और उपलब्धियां हैं वह क्राइम जो इस प्रदेश में ज्यादा हो रहा है। एन डी पी एस एक्ट के तहत आपने जो मुकदमे पकड़े हैं उनको आपने उपलब्धियां बताया है। मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा इस अफीम के ऊपर ही है। मैं इस सदन के अंदर 131 के तहत यह प्रस्ताव भी लाया हूं कि अफीम की खेती बंद की जाये। राजनीति है, लोग-बाग़ इधर के कहने लगे कि इससे किसानों का यह हो जायेगा और दूसरा यह है कि यह तो किसानों का यह करना चाहते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस प्रदेश के अंदर जिस संभाग से मैं आता हूं,

(श्री भरत सिंह)

जिस सम्भाग से माननीय मुख्य मंत्रीजी भी आती हैं, कोटा का झालावाड़ और बारां जिला, हमारे सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां अफीम का राजनीतिकरण हो चुका है। लोग-बाग़ अफीम के माध्यम से राजनीति में घुस चुके हैं और उनको संरक्षण दिया जा रहा है और मैं मिसाल के साथ में आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि एक दिल्ली की पार्टी आयी, दिल्ली से आये लोग-बाग़ और उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मान लिया जाये, यह नहीं कि मैं कांग्रेस से खड़ा हूं तो सत्ता पक्ष के विरोध में खड़ा हूं। मैं तो कह रहा हूं इस बात को कि जो चीज गलत हो रही है उसको रोकेगा कौन और सदन में अगर गलती से प्रश्न, मेरी तो उसमें कोई गलती नहीं है, एक प्रश्न मैंने लगाया, इस सदन में पहले ही दिन, पहला ही क्वेश्चन आया और वह एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित था। मेरी मजबूरी यह है कि मैं पहले भी कह चुका हूं, उस बात को दुबारा कहकर के मैं सदन का समय बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आदमी कुर्सी पर बैठे हैं और आप जैसे आदमी अगर सेंसेटिव नहीं होंगे, एनडीपीएस एक्ट है और उसको सोशल प्रथा के रूप में, लोग-बागों में जो प्रथाएं चल रही हैं इस प्रदेश में उनको कौन रोकेगा।

सभापति महोदय, आप कहते हैं कि आखा तीज के ऊपर बच्चों की शादियां नहीं होनी चाहिंए। अफीम के भी जो दुष्परिणाम हैं, जिस तरह से यह पिलायी जाती है पश्चिमी राजस्थान में, एक चीज कि जो लोग एग्जाम्पलरी हैं, चाहे वह मंत्रिमंडल के सदस्य ही क्यों नहीं है, वह मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं। मैं भी जानता हूं और यह आप भी जानते हैं कि उसको दफना दिया जायेगा, इस पर एक्ट नहीं होगा। इसका क्या परिणाम होता है।

सभापति महोदय, भवानीमंडी में आज भी नगर पालिका का चेयरमैन है, वह दिल्ली पुलिस का वारंटेड है, राजस्थान पुलिस को वह चेयरमैन नहीं दिख रहा है। थानेदार के बगल में वह फंक्शनों में घूमता है। इस प्रकार के असंख्य केसेज हैं, 450 से 500 आदमी कोटा और झालावाड़ की जेलों में एनडीपीएस एक्ट के अंदर बंद हैं। 35 हजार नवयुवक इस प्रदेश में इस अफीम की लत में हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, राज्य सभा के सदस्य जो नारकोटिक्स पर काम कर रहे हैं और नशा मुक्ति पर काम कर रहे हैं माणिकलाव साहब, उनके आंकड़े हैं। क्यों नहीं हम इस अफीम की खेती को इसमें एक प्रस्ताव

(श्री भरत सिंह)

लाकर के गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजें, इसलिए नहीं भेजना चाहती राज्य सरकार की, मैं थोड़ा हटकर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप डोडा-पोस्त के चूरे की बात करते हैं, स्मैक की बात करते हैं।

सभापति महोदय, कोटा के अंदर यह हकीकत है मैं खुद भुक्तभोगी हूं, कोई आदमी मेरे से मिलने आया, वह थोड़ी देर के बाद गया तो वापिस आया, मैंने कहा कि क्या हुआ तो कहा कि मेरी कोई साइकिल ले गया। मैं गुमानपुरा मेन सेंटर बाजार में रह रहा हूं। अब उसको मैं क्या सलाह दूं। वह जानता है कि पुलिस में जाऊंगा तो पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज करेगी। अंकित नहीं हो रहा है, अंकित ही नहीं हो रहा है। वहां पर पुलिस वालों के पास में उसकी जाने की हिम्मत ही नहीं है। वह जाकर के क्या करेगा, उसको मालूम है कि समय की बर्बादी और होगी। सैकड़ों लोग-बाग़ दिन में पूरी लोहे की रेलिंग काटकर ले गये तालाब से, म्युनिसिपैलिटी ने कोई रेलिंग लगायी है, अब उसको वह हटा रहे हैं। आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है और अपराधियों पर अंकुश नहीं हो रहा है। उनकी समस्या पर हम पूछते हैं कि क्या हो रहा है तो अब उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, समझाने की बात कर रहे हैं, नशा मुक्ति शिविर लग रहे हैं। इसमें अलग-अलग संस्थाएं संलग्न हो गयी जो इसके ऊपर अपनी रोजी-रोटी कमा रही हैं। इस प्रकार की जो गम्भीर समस्याएं हैं नारकोटिक्स से सम्बन्धित उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप विचार करें जो मुलजिम फरार हैं और दुनिया को दिख रहे हैं, यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि जिसके वारंट हैं थाने में और अगर वह राजनीतिक आदमी है तो पुलिस की यह मजबूरी हो गयी है कि उसका अता-पता ही नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता मगर जब वह अदालत में पेश होता है कि इतने वारंट के बाद आया तो मालाओं से लदा हुआ जैसे हीरो आ रहा है। उससे प्रशासन को, पुलिस विभाग को नीचा देखना पड़ता है। इस प्रकार की व्यवस्था राजनीति में अगर लागू हो और कम से कम सत्ता पक्ष सेंसेटिव हो कि अगर उनका कोई सदस्य है तो उस पर कार्यवाही पहले करें ताकि दूसरों को यह नहीं लगे कि राजनीतिक द्वेषता से यह हो रहा है, इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान देवें।

सभापति महोदय, मैं जेलों की बात कर रहा हूं, जेलों में जिस प्रकार से मनोरंजन के साधन, इसमें जितना कहा जाये उतनी पीड़ा होती है। जेल के अंदर लोगों के पास मोबाइल हैं, टेलीविजन हैं, झालावाड़ में जेलों के बारे में

(श्री भरत सिंह)

पिछले साल एक बार आया था कि वहां पर वह मीट का सेवन ही नहीं कर रहा था, बल्कि मीट भी विशेष प्रकार का, वह तीतर खा रहा था। यह जब अखबारों में छपा तो इससे जितनी ज्यादा पुलिस की बदनामी इन प्रकरणों में होती है मैं समझता हूं वह और बातों से नहीं हो सकती है।

सभापति महोदय, एक बात और विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पुलिस की जब भर्ती होती है और आज प्रदेश में अनुशासन का जिम्मा और समाज को अनुशासित करने का पुलिस का दायित्व होता है। जब पुलिस की भर्ती होती है, उस पुलिस को देखकर के पीड़ा होती है कि जो आदमी इसमें भर्ती होकर के अनुशासित करेगा दूसरों को वह स्वयं ही इतना अनुशासनहीन है। जिस शहर के अंदर, कस्बे के अंदर पुलिस की भर्ती होगी उसमें दो दिन या तीन दिन तक जब पुलिस का भर्ती मेला लगता है उसमें आम आदमी को अत्यन्त कठिनाई होती है। वहां बहुत ही अनुशासनहीनता का परिचय देखने को मिलता है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप भर्ती में, मैंने कटौती प्रस्ताव में दिया है कि जो युवकों को अनुशासित करने का एनसीसी का कोर्स है, जो लोग-बाग़ एनसीसी करते हैं उनको अगर आप थोड़ी प्राथमिकता देंगे तो जो लोग भर्ती हो रहे हैं उनमें अनुशासन आयेगा। यहां मैं यह भी महसूस करता हूं कि यह आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, एजुकेशन विभाग से सम्बन्धित है। आज एनसीसी जैसा स्टूडेंट्स को अनुशासित, ट्रेंड करने की विंग है उस पर सरकार उतना पैसा खर्च नहीं कर रही है जितना की खर्च करना चाहिए। जो पुलिस की भर्ती और इस प्रकार की चीजें हैं उसमें एनसीसी पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि मैंने स्कूल के अंदर, उस टाइम तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एनसीसी कम्प्लसरी था, मगर एक अनुशासन की भावना निश्चित रूप से दो साल की उस ट्रेनिंग में नवयुवकों में आती है इसलिए एनसीसी के जो ट्रेनी हैं उनको अगर आप प्राथमिकता देंगे तो इससे लोग-बाग़ प्रेरित भी होंगे एनसीसी में जाने के लिए और एक अनुशासित युवक भी आपको मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं कुछ बातें कोटा सम्भाग से सम्बन्धित भी आपको निवेदन करूंगा, दीगोद विधान सभा क्षेत्र में सी.ओ. की पोस्ट नहीं है। हमारा इटावा के अधिनस्थ आता है, सी.ओ. इटावा में बैठता है और दीगोद विधान सभा क्षेत्र में सुलतानपुर में जब आप पधारे थे, जिले के अधिकारियों

(श्री भरत सिंह)

की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी यह बातें सामने आयी थी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि यह सम्भव हो तो सुलतानपुर जो वहां का बड़ा कस्बा है और सेन्टर में है इटावा वहां से 40 किलोमीटर पड़ता है, आप वहां पर सी.ओ. का ऑफिस कायम करें।

सभापति महोदय, दूसरी जो चीज है, कई माननीय सदस्यों ने बहुत कहा है कि पुलिस के एक्ट को जो मंजूरी दी है उसमें राजस्थान तीन स्टेटों में से है। मैंने उल्लेख किया था कि उसके ऊपर बिना विचार किये आपने सदन में पास कर दिया। अच्छा होता कि उस पर विचार होना चाहिए था। मगर जो बातें उसमें सामने आयीं, उनमें जो बातें आयीं उसमें एक मोटी बात यह आयी थी कि एक अधिकारी के तबादले जल्दी-जल्दी नहीं किये जायें। उसमें यह था कि कंटीन्युइटी आफ सर्विसेज, उसमें अधिकारी को एक जगह पर, स्पेशियली एस.पी. लेवल के अधिकारी अगर उसे दो-तीन साल तक के लिए काम करने नहीं देंगे, अगर उसके काम के सम्बन्ध में कोई विशेष ईर्रेगुलेरिटी होती हो तो ठीक है, लेकिन उस रिपोर्ट में यह भी था कि अधिकारियों का पालिटिकल ग्राउंडस पर ट्रांसफर नहीं किया जाये, मुझे पीड़ा इस बात की है कि कोटा के अंदर, मैं उदाहरण देकर के कह सकता हूं और मैं किसी अधिकारी के गुणगान करने या आलोचना करने की दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूं। मैं इसकी जो मूल भावना है, उसका जो अनादर हुआ, उसका जिक्र कर रहा हूं। मुख्य मंत्री जी ने जो आजकल अलग-अलग जिलों में जाकर के, 26 जनवरी को समारोह पर भाग ले रही है तो वह कोटा भी पधारी थी और अन्य कार्यक्रमों के साथ जो बात हुई, एक बात जो निकलकर के आयी वह यह थी कि उनको मोटे तौर पर शिकायत की गयी कि यहां पर आपके कलक्टर और एस.पी. ठीक काम नहीं कर रहे हैं। यह मूल्यांकन करने का सबको अधिकार है, मगर मैं आपको कह सकता हूं कि जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं और एक दिशा और डायरेक्शन स्टेट के हित में, देश के हित में अपना काम करके प्रदान कर रहे हैं। उनको सिर्फ इसलिए कि पालिटिकल इन्टरफियरेंस से वह किसी आदमी को राहत प्रदान नहीं करें और अधिकारियों को पलटा दिया जाए तो हम कुछ भी बात कर लें, हम कितना भी कर लें, आपकी कितना भी प्रशंसा कर लूं, मैं कहूं कि कटारिया साहब, आप बहुत अच्छे गृह मंत्री हैं और बहुत ईमानदारी से प्रयास किया और आप कर रहे हैं मगर आपका एक एक्शन वह पूरा उसको धो देता है। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब एक आदमी जिसकी जनता प्रशंसा कर

(श्री भरत सिंह)

रही है, असली सर्टिफिकेट न तो आप देते हैं और न हम देते हैं, वह क्षेत्र की जो जनता है किसी आदमी को अगर किसी को यह कहे कि अच्छा काम कर रहा है, वही सही सर्टिफिकेट है। मैं आपको एक चीज और निवेदन कर दूं कि किसी आदमी को आप कहीं पोस्ट करते हैं, वह तो बाद में पहुंचता है पर उसकी रेप्यूटेशन बिजली से भी पहले वहां पहुंच जाती है कि वह कैसा आ रहा है, लोग-बाग़ कहेंगे कि अच्छा आदमी आ रहा है और बदमाश है तो कहेंगे कि चोर आ रहा है, लोग-बाग़ तक उसकी रेप्यूटेशन पहले पहुंचती है।

एक थानेदार कोटा के अंदर एक्जम्प्लरी वर्क कर रहा था और जो आदमी एक्जम्प्लरी वर्क करता है वह आदमी एक जगह ही नहीं करेगा, उसको दूसरी जगह लाएंगे तो वहां भी वह एक्जम्प्लरी वर्क करेगा। उसको अगर आपकी पार्टी का सांसद धरने पर बैठकर हटवाए और वह हटता है तो क्या मैसेज जाएगा पुलिस का, मुझे इतना ही निवेदन करना है कि जितना हो सके यह पालिटिकल इन्टरफियरेंस कम करें।

मैं आपको यह भी बता दूं कि पुलिस दो आदमियों के पीछे रहती है, राजनेता के आगे चलती है और चोर के पीछे चलती है। यहां पर मैं देखता हूं कि मैं रेल से उतरता हूं कोटा जाने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि हम इतने असुरक्षित हैं, मगर पीड़ा होती है कि पुलिस के आदमी नेताओं के लिए हाज़री में खड़े हुए हैं इसलिए जिनको कोई आवश्यकता ही नहीं है पुलिस की उसको तो जहां चोरियां हो रही हैं वहां जाने की जरूरत पड़ती है, अगर यह हमारा ईगो इतना बड़ा है कि यह चलने नहीं दे, इस ईगो को भी आप रोकें। बहुत से एम एल एज को इस बात की तकलीफ है कि गन मैन हटा लिया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय प्रदान किया, आपने घंटी बजाई, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री जालम सिंहजी।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 एवं 17, गृह और कारागार विभाग पर आज सदन में चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान के एक ऐसे राजनीतिक शख्श को, ऐसे महानुभाव को गृह मंत्री के पद पर बैठाया जिनकी प्रशंसा राजस्थान के हर कोने में होती

(डा. जालम सिंह रावलोत)

है। माननीय सभापति महोदय, जिस संस्था, जिस विभाग का मुखिया जितना योग्य और ईमानदार होगा उसी के अनुरूप वह संस्था चलेगी। आज सुबह से ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने तो गृह विभाग के कामों की तारीफ की और प्रतिपक्ष के सदस्यों ने हमारी पुलिस व्यवस्था के मामले में सकारात्मक सुझाव दिए, प्रशंसा की। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे सवा साल के पीरियड में माननीय मुख्य मंत्रीजी के मार्गदर्शन में और माननीय गृह मंत्रीजी की सक्रिय सहभागिता से जो काम हुए हैं वह निश्चित रूप से बहुत ही शानदार हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज पुलिस के बारे में जो एक कल्पना थी कुछ वर्ष पहले कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पुलिस में होता है और पुलिस में नीचे से ऊपर तक पैसे जाते हैं, वह व्यवस्था अब करीब-करीब बंद हो चुकी है। रेंज आई जी और अधिकांश एस पी ईमानदार अफसर हैं, नीचे से व्यवस्था सुधारने के लिए हमारे गृह विभाग और हमारे पुलिस विभाग के अधिकारीगण शानदार काम कर रहे हैं।

(समय : 17.14 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय गृह मंत्रीजी की पहल पर सम्भाग स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठकें हुई थी उसके परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश लगा है, जिसका परिणाम है कि हमारी सरकार के चार साल के कार्यकाल और विगत सरकार के चार साल के कार्यकाल का तुलनात्मक विवरण मैं आपके समक्ष रख रहा हूं।

वर्ष 2002 से 2003 तक और 2004 से 2007 तक, डकैती की घटनाएं 242 दर्ज हुई उनके समय में और हमारे चार साल के पीरियड में 207, उनके चार साल के पीरियड में हत्या के दर्ज हुए मुकदमे 5310 और इधर हमारे चार साल में 5012, इसी तरह लूट के 3299 उनके समय में और वर्तमान सरकार के समय में 2672, बलात्कार की घटनाएं 4392 हुई तो इस सरकार के कार्यकाल में 4354, बलवा की घटनाएं 3813 उस समय में और इस सरकार के समय में बहुत ही कम हुई हैं, 8784, इसी तरह नकबजनी और चोरी की घटनाएं 94816 उस सरकार के समय में चार साल के पीरियड में और वर्तमान सरकार के चार साल के पीरियड में 9536 और कुल मिलाकर जो

(डा. जालम सिंह रावलोत)

एस.सी. और एस.टी. के मुकदमे दर्ज हुए हैं वह कांग्रेस सरकार के समय में 23300 और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 20210, यह आंकड़े यह बताते हैं कि जिस तरीके से जो स्थिति सामने आ रही है उसका परिणाम...(व्यवधान) आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके समय में बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं, मैं किसी को टोकता नहीं, मुझे टोकेंगे तो यह सहन नहीं होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय सदस्य, आपने यह नहीं बताया कि पुलिस की गोली से कितने लोग मरे।

श्री सभापति: It disturbs the flow of expression.

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): पुलिस की गोली से कितने लोग मरे राजस्थान में केवल इतना नहीं बताया इन्होंने, यह रह गया था थोड़ा सा।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): उसमें कितने कांग्रेस के और कितने कामरेड थे, यह भी बताएं।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अपहरण के जो काण्ड हुए, मैं हमारे पुलिस विभाग को साधुवाद देना चाहूंगा कि अपहरण के सारे काण्डों को खोलकर एक शानदार काम करके पुलिस का गौरव ऊंचा किया है, राजस्थान सरकार का गौरव ऊंचा किया है। एक वह समय था, पूरे पांच साल के पीरियड में किसी भी विभाग में कोई नियुक्ति नहीं हुई। बात जब पुलिस विभाग की आती है, एक भी पुलिस वाले की भर्ती पांच साल के पीरियड में नहीं हुई और हमारी सरकार ने जब काम सम्भाला तो पुलिस के सिपाही के अधिकांश पद खाली थे। पुलिस के पास व्हीकल्स नहीं थे, हथियार नहीं थे, आधुनिक उपकरण नहीं थे, हमारी सरकार ने यह तय किया कि हम पुलिस वालों की भर्ती करेंगे तो लगभग 7200 पुलिस वाले भर्ती हो चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, 4500 और पुलिसकर्मी भर्ती का उल्लेख माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में किया है, उसमें 30 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती पहली बार हुई है और होने वाली है। सरकार ने हथियार, उपकरण और वाहनों के बारे में एक नीति निर्धारित की है कि उनको समय-समय पर बदला जाएगा। उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा और किसी प्रकार की हथियारों की या उपकरणों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस का जो

(डा. जालम सिंह रावलोत)

80 प्रतिशत भाग है कांस्टेबल्स का उनको पुरस्कृत किया जाए और उनको सम्मानित किया जाए इस दिशा में वर्ष 2007 को कांस्टेबल वर्ष के रूप में घोषित किया गया था और 150 इस स्तर के, उस श्रेणी के जिन्होंने विशेष काम किया और उन सब 150 कांस्टेबल्स को सम्मानित किया गया जिसके फलस्वरूप कांस्टेबल वर्ग में शानदार काम करने का एक भाव बढ़ा है।

पुलिस विभाग के सभी थानों में कम्प्यूटरीकरण का जो काम किया गया है वह निश्चित रूप से शानदार काम है। आज का जमाना कम्प्यूटरीकरण का है और उसके माध्यम से हमारे पुलिस विभाग का जो पुराना रिकार्ड था 10 साल पुराना, लगभग सभी थानों में उसका कम्प्यूटरीकरण हो चुका है और उसके माध्यम से पुलिस का जो काम है, सेवा का जो काम है और अपराधों को रोकने के लिए इससे उल्लेखनीय सफलता मिलती रहेगी।

आदर्श थानों की जो स्कीम थी उसमें हर वृत्त में, हर सी.ओ. के नीचे एक थाने को आदर्श थाने के रूप में चयनित करने का काम किया गया, यह भी इस सरकार की शानदार उपलब्धि रही है और आदर्श पुलिस थानों में जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, मुकदमा दर्ज कराने जो लोग आते हैं उनकी बात ढंग से सुनी जाती है, बैठने की व्यवस्था होती है, उनका मुकदमा हाथों हाथ दर्ज करके उनको प्रतिलिपि दी जाती है और उनकी बात ढंग से सुनी जाती है। मेरा सुझाव है कि आदर्श थाना सिस्टम को आगे से सभी थानों में लागू किया जाए ताकि हमारी लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था को सुधारा जा सके।

एक और बड़ा काम जो इन चार सालों में हुआ है, पुलिस के प्रति आम जनता में जो एक झिझक थी, वह कम हुई है। माननीय सभापति महोदय, आज आम जनता पुलिस से सहयोग मांगने लगी है और आम जनता पुलिस को सहयोग देने भी लगी है। यह हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है जो हमने पिछले चार सालों में राजस्थान के लिए हासिल की है।

केस आफिसर स्कीम, यह एक ऐसा काम हमारे गृह विभाग ने चालू किया है जिसकी पूरे देश भर में प्रशंसा हुई है। जिसके तहत कोई भी अपराधी अब बच नहीं पाएगा, अपराधी जिसने अपराध किया है वह नहीं बचे, गवाह अपना पक्ष प्रस्तुत करे, किसी प्रकार के चक्कर में नहीं आए, इस हेतु बहुत सफलता मिली है जिसके कारण जो बड़े-बड़े संगीन अपराध हुए हैं, हत्या के और बलात्कार के उन सभी में सज़ा की दर है वह भी बढ़ी है, निश्चित रूप से यह प्रशंसा का काम हमारी सरकार के इस पीरियड में हुआ है। माननीय

(डा. जालम सिंह रावलोत)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि एक माननीय सदस्य ने पहले सुझाव दिया और कांस्टेबल है उनकी स्थिति बड़ी आकवर्ड है। उनको 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है और उनमें से अधिकांश की स्थिति ऐसी होती है कि वे अपना सामाजिक दायित्व और अपनी ड्यूटी का दायित्व निभा नहीं पाते हैं। उनका व्यवहार इस प्रकार का हो जाता है उसे निश्चित रूप से सुधारने की जरूरत है। इस हेतु उनके वेतन-भत्ते, उनके ड्यूटी ऑवर्स फिक्स करने की जरूरत है ताकि उनका सम्मान बढ़े। अन्य जो उस स्तर के कर्मचारी हैं, एक अध्यापक थोड़े से टाइम ड्यूटी करता है उसको तनख्वाह ज्यादा मिलती है, लेकिन पुलिस वाला 24 घंटे ड्यूटी करता है तो उसको बहुत कम तनख्वाह मिलती है। जेलकर्मियों की स्थिति तो इससे भी ज्यादा बुरी है, उनके वेतन-भत्ते पुलिस वालों के समकक्ष हो, पुलिस वालों के भी बढ़ने चाहिए और इनके भी बढ़ने चाहिए।

सभापति महोदय, मैं जैसलमेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से बिलांग करता हूं। बाड़मेर और जैसलमेर दोनों सीमावर्ती जिले हैं, मेरा विधान सभा क्षेत्र दोनों में आता है। एक समय था जब तारबंदी नहीं थी, फेंसिंग नहीं थी उस समय तस्करी की, घुसपैठ की बहुत घटनाएं होती थीं। मैं उस समय के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सीमा जन कल्याण समिति को साधुवाद देना चाहूंगा और इस अवसर पर मैं तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी राजीव गांधीजी को भी याद करूंगा। हम सबने जब उनके समक्ष जैसलमेर यात्रा के समय यह बात रखी थी कि बॉर्डर पर जिस तरीके की घुसपैठ हो रही है, तारबंदी होनी चाहिए। उस समय प्रधान मंत्रीजी ने हमारी बात को मानकर तारबंदी की जिसके फलस्वरूप आज राजस्थान अपने आपको सुरक्षित समझ रहा है और राजस्थान सुरक्षित है तो राजस्थान के माध्यम से पूरा देश सुरक्षित है। लेकिन 32 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र बचा है सागड़ बैल्ट जहां पर ऐसे धोरे हैं जिसमें सामान्य तारबंदी नहीं हो सकती, शिफ्टिंग सेंड ड्यून्स, उनकी तारबंदी के बारे में इजरायली सिस्टम को लागू किया जाए, ऐसे प्रयत्न कर रहे हैं वो काम जल्दी हो ताकि थोड़ी-बहुत घटनाएं घुसपैठ की कभी-कभार होती हैं, बहुत कम होती हैं उनको रोका जा सके।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी को इस बात के लिए हार्दिक साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बार्डर का भी ट्यूर किया और जैसलमेर बार्डर के तनोट

(डा. जालम सिंह रावलोत)

माता के मंदिर की ओर अंतिम छोर में भी गये तो मोडावास के उस छोर में भी गये। साथ में विधायक दल की कमेटी को ले गये। उस समय हम लोगों ने माननीय गृह मंत्रीजी के समक्ष जो सुझाव रखे थे उनमें से अधिकांश का क्रियान्वयन हुआ। लेकिन एक चीज के लिए उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसलमेर हमारे साम्प्रदायिक सद्‌भाव का बहुत बड़ा केन्द्र रहा है। पिछली बार कुछ लोगों ने ऐसी घटनाएं घटित कीं, जैसे गायों को भगाया गया, गायों के पीछे ट्रैक्टर चलाये गये जिसके फलस्वरूप 27 गाय मरी थीं लोगों ने साम्प्रदायिक वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान के गृह मंत्रीजी ने पुलिस के अधिकारियों को, प्रभारी मंत्रियों को, सबको भेजकर जिन लोगों ने कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयत्न किया उस इलाके और पूरे जैसलमेर जिले ने मिलकर साम्प्रदायिक सद्‌भाव का परिचय दिया और वो काम जिन लोगों ने किया है वे जैसलमेर के लोकल लोगों ने कम किया, बाहर के तत्वों ने जो तबलिग प्रवृति के लोग हैं जो गुजरात से आते हैं, यूपी से आते हैं जो हमारे जैसलमेर, बाड़मेर के शानदार साम्प्रदायिक सद्‌भाव को बिगाड़ना चाहते हैं उनको रोकने के लिए माननीय गृह मंत्रीजी को हम कई बार कहते रहे हैं, गृह मंत्रीजी ने एक व्यवस्था जमायी है कि गुजरात से कौन आता है, यूपी से कौन आता है, हर थाने में उनकी एंट्री होती है उस व्यवस्था को जरा ठीक करेंगे तो इन दोनों जिलों में साम्प्रदायिक सद्‌भाव का एक शानदार काम है, वहां हिन्दू और मुसलमानों में बहुत अच्छा भाव है वह बढ़े, तबलिग प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे, यह भी मैं सुझाव देना चाहता हूं।

मेरा अंतिम सुझाव है हमारे बाड़मेर जिले में सीओ आफिस है, बाड़मेर सीओ का आफिस है वह 300 किलोमीटर लम्बा है, पाकिस्तान बार्डर का स्थान सूंदड़ा से लेकर सांचौर तक का क्षेत्र है वह बाड़मेर सीओ के अण्डर में आता है। लगभग 250-300 किलोमीटर की दूरी है उसमें शिव सीओ आफिस के रूप में हो सकता है जिसकी मांग होती रही है जिसको आपका विभाग भी स्वीकार करता है। इसी क्रम में जैसलमेर जिले में फतेहगढ़ ..(व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद में बोलें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं आपकी ही बात कह रहा हूं। जयपुर में जो तबलिगी जमात का इस्तिमा हुआ था उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी और यातायात मंत्रीजी दोनों गये थे। वहां जाकर उनसे मिलकर आये, उनकी सुव्यवस्था और स्वागत किया ...(व्यवधान

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। तबलिगी प्रवृत्ति के लोग देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, साम्प्रदायिक सद्‌भाव के लिए घातक हैं, इस प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगनी चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं आपकी इस भावना से सहमत हूं कि सीमावर्ती बाड़मेर और जैसलमेर का साम्प्रदायिक सद्भाव रहे, लेकिन आप केवल एक वर्ग पर नहीं वहां दोनों पक्षों में कोई भी अगर दूसरे प्रदेशों से आते हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए, उनका इन्द्राज होना चाहिए। अकेले एक आदमी का नहीं।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): दूसरे पक्ष की तरफ से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, न होने वाली है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उससे भी नहीं होगी। (व्यवधान) पैरवी कर रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी खुद जाकर आयी हैं। कहो गलत काम किया फिर ..(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): सभापति महोदय, मैं अपनी बात कह रहा हूं ..(व्यवधान)..

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अभी जयपुर में 16, 17, 18 को जो बड़ा इस्तिमा हुआ जिसमें पांच लाख लोग आये राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान के यातायात मंत्री महोदय वहां जाकर आये और उनकी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं उसकी जानकारी लेकर आये। दोनों चीजें नहीं चल सकतीं। तबलिग के लोग या तो धरती के नीचे की बात करते हैं या आकाश के ऊपर की, उनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं होता।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): नगर से आने वाले माननीय सदस्य, जैसलमेर और बाड़मेर का साम्प्रदायिक सद्‌भाव है उसको आप नहीं समझ सकते। इसलिए आप उस सद्‌भाव को तोड़ने के लिए ..(व्यवधान) आपके बोलने से वहां का सद्‌भाव टूटने वाला नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हम बार्डर नहीं बेच रहे हैं।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): वहां का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आपके साथ नहीं है, आपकी पार्टी के साथ में नहीं हैं। आपकी पार्टी के सांसद को तीन लाख वोटों से हारना पड़ा। वहां का मुसलमान हमारे साथ में है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं यह बात ही नहीं कर रहा हूं।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं तबलिग प्रवृत्ति के लोग जो जैसलमेर, बाड़मेर के नहीं हैं वे वहां के साम्प्रदायिक सद्‌भाव को बिगाड़ने में लगे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद(नगर): आप जानते ही नहीं हो तबलिग क्या होती है। सभापति महोदय, ये जानते ही नहीं हैं वो कौन होते हैं, क्या होते हैं, क्या करते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है। इसलिए ऐसे किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): जिले के प्रभारी मंत्री जैसलमेर आये थे इन्होंने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भाषण देकर साम्प्रदायिक सद्‌भाव बढ़ाने का काम किया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ये लोग होते हैं वे या तो जमीन के नीचे कब्र में जाएंगे ..(व्यवधान) कैसे कर्म किये, कैसे अमल किया और आकाश के ऊपर खुदा है जो सबका हिसाब लेगा उसकी बात करते हैं। उनको दुनियादारी से या राजनीति से या सियासत से कोई मतलब ही नहीं होता है। कहीं कोई मतलब नहीं होता।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): मेरा तो अनुभव है तबलिग प्रवृत्ति के लोग बाड़मेर जैसलमेर को तबाह करना चाहते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ऐसा नहीं है, आपका विचार गलत है।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): आप अपने भाषण में बोल देना, मैं अपनी बात कह रहा हूं, जो मैंने अनुभव किया है वह बोल रहा हूं, लेकिन वहां का आम मुसलमान उनको जवाब दे रहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, आज जो पुलिस एवं कारागार की मांगों के बारे में चर्चा हुई मैं तो इतना ही सार रूप में कहना चाहता हूं कि जिस तरह का काम सवा चार सालों में गृह विभाग ने किया वह निश्चित रूप से इतना शानदार है जिससे राजस्थान का गौरव ऊंचा हुआ है, सब प्रकार के अपराधों में कमी आयी है, अपहरण जैसी घटनाओं को मुंह की खानी पड़ी है। इन सबके माध्यम से जो हमारा पुलिस विभाग है जिनके लिए जो सुविधाएं और जो चीजें मिलनी चाहिए वे पर्याप्त मात्रा में पुलिस विभाग को मिले खासकर जो नीचे वाला स्टाफ है पुलिस का और जेलकर्मी का उनको वेतन-भत्ते और उनकी सुविधाएं

(डा. जालम सिंह रावलोत)

पर्याप्त मिले ताकि ये अपना काम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कर सकें, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलालजी शर्मा (अनुपस्थित)। श्री बंशीलालजी खटीक।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमंद): परम सम्माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री महोदया और हमारे प्रदेश के माननीय गृह मंत्रीजी ने जो इस प्रदेश को सुरक्षा प्रदान की है, हर नागरिक सुखी रहे, आराम से रहे इस प्रकार की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने, माननीय गृह मंत्रीजी ने व्यवस्था दी है आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज हमारे प्रदेश की जनता जो पूर्ववर्ती सरकारों में परेशान रहती थी और वर्तमान सरकार में अपने आपको सुरक्षित पाकर इस प्रदेश की सरकार को जो धन्यवाद दिया है वो आप सबके समक्ष है। माननीय गृह मंत्रीजी का मैं एक श्लोक से सम्मान करना चाहूंगा-

''अन्याय सहकर चुप रहना महा दुष्कर्म है,
न्यायार्थ अपने बंधु को दण्ड देना धर्म है।''

इस प्रकार का जो लक्ष्य और सिद्धांत माननीय गृह मंत्रीजी का इस प्रदेश में रहा है, वास्तव में काबिले तारीफ है। पूर्व की सरकार में जिस प्रकार दंगे फसाद, अशांति, प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित रहता था और कांग्रेस के लोगों की जो उत्पत्ति फूट डालो और राज करो, इनको जन्म घुट्टी में यह मिला और उसी के ऊपर यह आज दिन तक राज करते आए। भाई-भाई को लड़ाना और एक दूसरे को एक अलग-अलग काज के समझाना और वाहवाही ले लेना, यह कांग्रेस का परम कर्तव्य बना रहा। पर मैं उन कांग्रेस के माननीय बंधुओं को कहना चाहता हूं कि वह समय गया भाई-भाई लड़े भले ही टूट सका क्या नाता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। अब वह समय गया, कांग्रेस की चालों को समझने लग गया हर नागरिक। जिस कांग्रेस की उत्पत्ति 1885 में एक अंग्रेज अफसर ने की थी, ए ओ ह्यूम ने, उसने साथ में यह संदेश दिया कि फूट डालो और राज करो। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने कई सालों साल राज किया पर अब जनता जान चुकी है, आपके मंसूबों को जान, सुरक्षित रहना चाहती है, अब आपके झांसापट्टी में आने वाली नहीं है। आप लोगों ने इस भोली भाली जनता को चुनावों में जो गुमराह करके उनके

(श्री बंशीलाल खटीक)

वोट बटोरे, उनको शराब पिला कर गुमराह करके रात भर में उनके मंसूबे आपने बदले, भोली भाली जनता का आपने जो शोषण किया है, वह समय गया। यह भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के ऊपर प्रदेश के हर नागरिक आकर्षण बढ़ रहा है, आकर्षित हो रहा है। आप सबके मंसूबों को अब आने वाले समय में भी प्रदेश में सरकार हमारी जो चल रही है उससे हर नागरिक यह इच्छा कर रहा है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और हमें जो सुरक्षा और सुरक्षित करने का जो लक्ष्य चुना है इसीलिए हर नागरिक चाह रहा है कि आप जितनी संख्या में अभी बैठे हो, इससे भी कम रह जाओगे। ऐसा प्रयास प्रदेश की जनता कर चुकी है, प्रदेश की जनता हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष थी उस समय, परिवर्तन यात्रा के समय में, गांव-गांव और ढाणी-ढाणी और मजरे-मजरे में जाकर के उस दीन दुःखी की ...(व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): अभी बैठे हैं उससे कम आएंगे, ये थे उसमें। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमंद): मैं रहूं या न रहूं पर मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): कैसे बनेगी ? जब आप आओगे ही नहीं तो कैसे बनेगी? (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ऐसे दानी हैं हमारे पास में। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मेरे जैसे बहुत हैं उदारवादी। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): वैसे मेरा आना, न आना कोई विशेष बात नहीं है पर मेरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जरूर आएगी।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): फिर तो नहीं आएंगे, आप नहीं आओगे तो। (व्यवधान)...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आप बैठिए, आप मेरी व्यक्तिगत बात न करें। मैं तो एक व्यक्ति हूं, व्यक्ति किसी प्रकार का कुछ कर नहीं सकता। संगठन की छाया में रहकर संगठन ही सब कुछ सर्वोपरि और भारतीय जनता पार्टी के उन दो महामनाओं ने माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित

(श्री बंशीलाल खटीक)

दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशों में चलने वाली हमारी यह पार्टी राष्ट्र को समर्पण की भावना में रहकर काम करती है न कि देश के लोगों को लड़ा लड़ा कर राज करने की कांग्रेस की नीति रही है। माननीय सभापति महोदय, पूर्व में कांग्रेस सरकार थी और हमारे प्रदेश का जन-जन बहुत परेशान था, आज वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और आज किसी प्रकार के कोई दंगे, किसी प्रकार की कोई घटना इनसे आप बराबरी कर लीजिए, मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता हूं, इन माननीय सदस्यों ने आंकड़ों सहित इन सबको बता दिया कि हर मामले में हत्या हो, डकैती हो, इतने इनके ग्राफ बढ़े हुए थे, उनमें हमारा ग्राफ घटा है, हत्याओं में, डकैती में, बलात्कार में अन्य घटनाओं में घटा है न कि बढ़ा है।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं मेरे पूर्व के माननीय सदस्यों ने जो एक मांग रखी है, उस मांग में मेरी बात भी सम्मिलित करना चाहता हूं कि जो जेल के कर्मचारी होते हैं उनकी वास्तव में दयनीय स्थिति है, दूसरे कर्मचारियों की बनिस्बत उनकी तनख्वाह बहुत कम है, उनको भी पुलिस की तरह जेल के प्रहरियों को भी तनख्वाह दी जाए और हमारी जो पुलिस लाइन हैं, वैसे माननीय गृह मंत्रीजी की और माननीय मुख्य मंत्रीजी की बहुत अच्छी भावना है कि हमारी पुलिस लाइन में भी कई क्वार्टर्स बन रहे हैं पर उन क्वार्टर्स की राशि में से यदि उस पुलिस लाइन की बाउण्डरी वॉल बन जाए तो उसको विकसित करने के लिए हमें उसमें राशि मिल जाएगी। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

साथ ही, नेशनल हाई-वे 8 पर हमारा केलवा ग्राम स्थिति है और मार्बल क्षेत्र का केन्द्र है और वहां पुलिस चौकी केलवा है उसको थाने में परिवर्तित कर दिया जाए तो जो कई आए दिन घटना दुर्घटना होती रहती हैं उसमें थाना यदि स्वीकृत हो जाता है तो वहां के क्षेत्र की जनता को हम अच्छी राहत दे पाएंगे। स्टेट हाईवे भीलवाड़ा राजसमंद पर एक अस्थाई चौकी पहले से बनी हुई है उसको स्थाई करने के लिए कुरत चौराहा, बनेड़ा चौकी और गजपुर घाटा इस केलवाड़ा मार्ग के ऊपर गजपुर घाटा एक चौकी है वह दूरी पर है, उठोल चौराहे पर यदि चौकी बन जाती है तो हम हमारे क्षेत्र को अच्छी राहत दे पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आंकड़ों में न जाकर एक जो कदम सराहनीय उठाया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं वीर चक्र, शौर्य चक्र

(श्री बंशीलाल खटीक)

इनमें जो पहले से 70 हजार थे आपने एक लाख रुपये किया, शौर्य चक्र में 50 हजार थे, आपने 75 हजार किया, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई पर साथ ही मैं उसके लिए और जोरदार बधाई देना चाहता हूं जिनमें कोई राशि का प्रावधान नहीं था। राष्ट्रपति पुलिस एवं यहां पर सर्विसेज के लिए आपने 75 हजार किया, फायर सर्विसेज के लिए, राष्ट्रपति फायर सर्विसेज पदक के लिए आपने 50 हजार किया, राष्ट्रपति होम गार्ड एवं सिविल के लिए आपने 50 हजार किया, फायर सर्विसेज के लिए आपने 30 हजार किया, होम गार्ड एवं सिविल डिफेंस पदक पर आपने 30 हजार किया। वास्तव में आपने इनका हौसला बढ़ाया है। इसी तरह ईमानदार अफसरों का हौसला बढ़ा है और यदि कोई ऐसी गड़बड़ कर देता है तो उसको चेतावनी जरूर दें ताकि हमारी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चलती रहें।

मैं एक बात के साथ में इन सबको एक बात कहना चाहता हूं कि यह हर समय सकारात्मक बात न कह कर खाली आलोचनाएं ही करते हैं । इसके लिए एक बात कह कर मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा। "हर समस्या सुलझेगी पर आप उलझना छोड़ दें, हर राह मिलेगी पर आप उलझना छोड़ दें, आप भटकना छोड़ दें।" जय हिन्द, वंदे मातरम्।

श्री सभापतिः श्री सुरेन्द्र सिंहजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): सभापति महोदय, हमारा नम्बर कब आयेगा यह कुछ पता ही नहीं है1

श्री सभापतिः नैक्स्ट वाली में आयेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत ही धन्यवाद दे रहा हूं कि आज पुलिस विभाग के सम्बन्ध में हो रही बहस में पहली बार बोलने का आपने मुझे समय दिया। इसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। अब मेरे ख्याल से भूतड़ाजी शायद चले गये और कुछ अन्य साथी भी चले गये जो बोले कि बाद में आप बोलें तब हम जवाब देंगे।

मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि हमारे पक्ष के साथियों ने बहुत ही जोरदार ढंग से ऐसी व्याख्या की है कि पुलिस ने जैसे रामराज्य की स्थापना कर दी हो। (व्यवधान) वो ही बता रहा हूं न, आप बात सुनते जाओ। नि:सन्देह हमारे प्रदेश के गृह मंत्रीजी एक बहुत ही ईमानदार आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन इसके साथ ही नितांत कमजोर साबित होने वाले गृह

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर)

मंत्री भी हैं। क्योंकि अधिकारी इनको जिस प्रकार से मिस-गाइड करते हैं या जो भी जानकारी अपनी सुविधानुसार दे दें, तो है तो यह अधिकारियों की गलती पर नहीं सुननी चाहिए। केवल उनकी ही आवाज नहीं सुननी चाहिए, खुद के विवेक से भी चलना चाहिए।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजनीति से प्रभावित होकर के कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। आज के अख़बार में या कल के अख़बार में ही पढ़ा है कि एस.ओ.जी. डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही ऐसे गिरोह, भू-माफिया गिरोह को पकड़ा है और जिसमें आगे से आगे ऐसी कलइयां खुलने वाली थीं कि जो राजनीति के बहुत ही निकट के आदमियों के गले तक पहुंचने वाली थी। आज तक कभी भी ऐसा समाचार या ऐसी बात नहीं आई कि किसी भी आई.ओ., इन्वेस्टीगेशन आफिसर को इस आधार पर हटा लिया जाए कि कोई बात ही नहीं हो। न तो जो मुल्जिम पक्ष हैं उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी कि इससे हमारा केस हटा लिया जाए और न ही पक्ष ने दी तो फिर उस अनुसंधानकर्ता से फाइल कैसे चली गई और उसका तबादला भी वहां से कैसे हो गया, यह जरूर थोड़ा बहुत हम सबको एक ऐसी स्थिति में पहुंचाता है कि जो बात समझ में नहीं आ रही है।

दूसरा, वैसे तो पहले मैं मेरे क्षेत्र की एक लड़की की व्यथा सुनाऊंगा कि जो इतनी तंग और परेशान हो गई कि यहां तक कि उसने सुसाइड करने तक का भी मानस बना लिया था लेकिन लोगों की समझाइश से वह लड़की बच गई। जब वो लड़की माननीय गृह मंत्रीजी के पास आई तो इन्होंने लिख भी दिया कि फलां के खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर के कार्यवाही हो। परन्तु उसके बावजूद आज तक न मुकदमा दर्ज हुआ है और न कोई कार्यवाही हुई है। उसके बाद में एक जांच हुई, जांच में शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर उस कॉलेज की जांच करवाई और उस जांच में जो कालेज का प्रबन्धन था वह पूरी तरह से दोषी पाया गया लेकिन उस प्रबन्धन के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। पूरे आंकड़े मेरे पास हैं, कहें तो मैं टेबल भी कर सकता हूं। साथ ही वहां शाहपुरा का जो पुलिस उप अधीक्षक है, माननीय सभापति महोदय, शायद आपके ही विधान सभा क्षेत्र का है, केस तो वहीं का है, पास में एक गांव केसवाना है, केसवाना कोटपूतली का है। यहां पर मेरे क्षेत्र की यानि अनूपगढ़ की एक लड़की का एडमिशन हो गया और उसको उसके कालेज के प्राचार्य और लेक्चरर्स ने दोस्ती करने के लिए बाध्य किया। उस लड़की ने

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर)

विरोध किया और विरोधस्वरूप जब उसके वहां के लोकल गार्जियंस थे वो साथ गये और उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं तो उसने एकदम सटाक से जवाब दिया कि मैं डीवाई एस.पी. को बुलाकर के अभी तुम्हें अन्दर करवा दूंगा। साथ ही यह साबित भी हो चुका है क्योंकि डीवाई एस.पी. ने जो उसके लोकल गार्जियंस थे उन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी बनाया और उस लड़की को भी बहुत आतंकित किया। माननीय गृह मंत्री महोदय, मैं आसन की तरफ से आपको निवेदन कर रहा हूं कि इस डीवाई एस.पी. के खिलाफ जो जांच हुई है उसकी भी आपके पास रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हो रही। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपा करके जो ओमेन्द्र सिंह डीवाई एस.पी. है इसके खिलाफ आप कार्यवाही करवाने का आसन को आश्वासन दें।

साथ ही मैं मेरे खुद के साथ जो घटित हुआ वह बता रहा हूं। लगभग सवा साल से मैं आपके यहां फरियाद कर रहा हूं, आप बार-बार कहते हैं, आपका खुद का बयान है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कोई भी फरियादी जाएगा तो उसकी एफ.आई.आर. दर्ज होगी। बाद में अगर निर्दोष पाया जाता है तो उसको निर्दोष घोषित किया जाएगा वरना एफ.आई.आर. जरूर दर्ज होगी। तो आम साधारण के साथ तो क्या हो रहा होगा वो तो एक आंकड़ा मैं आपको दे ही चुका और बाकी पता नहीं कि क्या हो रहा होगा लेकिन मेरे साथ जो घटना हुई उसमें थोड़ा बहुत मैं पीछे से बता दूं। कांग्रेस राज में गंगानगर में पंचमुखी बालाजी हनुमान मन्दिर में एक 10-12 साल की बच्ची के साथ मंदिर में जब आरती हो रही थी तब बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद में जब भांडा फूटा तो हम लोगों ने उसका प्रतिरोध किया। गिरफ्तार करवाने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ा और उस आंदोलन के स्वरूप आमने-सामने झगड़े भी हो गये। कलक्टर, एस.पी., सब वहां मौके पर पहुंचे और उसमें हमारे भी कई कार्यकताओं के चोटें लगीं। उस समय मैं बी.जे.पी. में ही था। उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भी थोड़ी बहुत चोटें लगीं। उसमें मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। उसमें आपने स्वयं ने गृह मंत्री बनते ही इसके बारे में लिख दिया था कि यह मुकदमा वापस लिया जाए क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस के मंत्री राधेश्यामजी ने वो झूंठा मुकदमा बनवाया था। जबकि मैं वहां पर था ही नहीं, मेरे टाँग में फ्रेक्चर था, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं, कैसे वह मुकदमा मेरा तो वापस नहीं हुआ और मुकदमा वापस नहीं हुआ, खैर

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर)

उसकी चिंता नहीं। मैं अदालत में दो-तीन पेशियों में हाजिर नहीं हो सका, उसमें मेरी बेल जब्त हो गई। आपके भवानी सिंह राजावत, आपके राजेन्द्र सिंह राठौड़ और आपके कई अन्य जिनकी बेल जब्त होती नहीं है और सालों-सालों तक फरार रहे हैं, कभी किसी ने नहीं किया, हमने भी नहीं किया किसी को लेकिन आम तौर पर यह रवैया रहता है पुलिस का कि सूचित कर देते हैं कि आपकी बेल जब्त हो गई है और आप जाकर जमानत करवा लीजिये लेकिन मेरे साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया पुलिस वालों ने। मैं घर पर बैठा था, कार्यकर्त्ताओं से मिल रहा था। दो ट्रकों में फोर्स आई और स्टेनगनें और पता नहीं, कौन-कौनसी एस.एल.आर. और एसाल्ट्स राइफलें ले-लेकर चारों तरफ से पूरा एरिया सील-पैक कर लिया और घर के अन्दर घुस आये और अन्दर घुसकर मुझे बोले कि आपको अरैस्ट करना है। मैंने कहा, किस मामले में? तो बोले कि आपकी बेल जब्त हो गई। मैंने कहा कि तारीख कब की है? तो बोले कि तारीख तो एक महीने बाद की है तो मैंने कहा कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें तो स्पष्ट आदेश है, डी.जी.पी. के आदेश हैं, सी.एम. हाउस के आदेश हैं, आपको अरैस्ट करना है। मैंने कहा चलो, कोई बात नहीं, चलते हैं लेकिन उसके पहले ही बाहर मेरे भतीजे के साथ मारपीट शुरू कर दी और कभी किसी के साथ और मैं ज्योंही पूरे कपड़े पहनकर आया, क्योंकि मैं लूंगी और वैसे ही शर्ट में बैठा था, कपड़े पहनकर मैंने कहा कि चलो। गाड़ी में बैठकर चलने लगा तो पीछे एक पिस्टल पड़ा था। उस पिस्टल को उठा लिया और बोले कि साहब, मिल गया मिल गया। मैंने सोचा कि क्या मिल गया पता नहीं इनको कि साहब 9 एम.एम. का पिस्टल मिला है और अब वह 9 एम.एम. का पिस्टल, जो मेरा गनमैन था, उसका पिस्टल और वह उसी कमरे में रहता था, मैं तो वैसे ही बैठ गया आकर, उसको उठाकर कहने लगे। यह गलती मेरे से जरूर रह गई या उस गनमैन से रह गई कि वह जल्दी बोल पड़ा कि साहब, यह तो मेरी है। नहीं तो उठाकर उन्होंने आर्म्स एक्ट में केस मेरे ऊपर बना देना था और बाद में उनको नानी भी याद आती।

एक माननीय सदस्य: यह बीजेपी छोड़ने के बाद की बात है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): नहीं, पहले की है। तो मेरे कहने का यह आशय है कि उसके बाद में सभापति महोदय, दूसरे दिन कम से कम

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर)

5,000 लोगों का जुलूस गया थाने में और जाकर उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए क्योंकि बिना किसी सर्च-वारंट के उन्होंने घर में ऐसी तलाशी ली कि बिलकुल सारे के सारे कपड़े-वपड़े, सारा उखाड़कर बाहर फेंक दिया और कोई किस जल्दबाजी में किया, इस प्रकार से किया कि जैसे किसी डकैत या कोई आतंकवादी के साथ व्यवहार किया जाता है तो इसलिए मैं गृह मंत्रीजी से आज भी अनुरोध करता हूं कि आप एक तरफ दुहाई दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कह रहे हैं कि हम मुकदमा किसी का नहीं रोकेंगे। कृपया मेरे वाले मामले में आप वक्तव्य जरूर दें इन दोनों मामलों में कि क्या मुकदमा आप दर्ज करवायेंगे अथवा नहीं करवायेंगे? नहीं तो जो दूसरे आल्टरनेट हैं, फिर आगे मैं भी कार्यवाही करूंगा। कृपया आप वक्तव्य तो दिलवाइये साहब। भाई साहब देओ तो सही। (व्यवधान) धन्यवाद साहब।

श्री सभापति: आप बिराजें। श्री बृजकिशोरजी शर्मा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापतिजी, मांग संख्या 16 एवं 17 पर, पुलिस और कारागार की मांग पर बोलने के लिए जो आपने समय दिया, उसके लिए मैं आभार प्रदर्शित करता हूं।

सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान राजस्थान में बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था पर दिलाना चाहूंगा। माननीय सभापतिजी, यह राज कैसे चल रहा है, इस बारे में मैं कुछ निवेदन करूंगा।

बहुत-बहुत बधाई गृह मंत्रीजी और गृह सचिवजी और पुलिस के महानिदेशक की तिकड़ी को कि एक और तमगा, राजधानी में दिन-दहाड़े स्कूली बालक का अपहरण हो गया। डकैती की घटनाएं पिछले सालों से दुगुनी बढ़ गई। अपहरण के मामलों में 14 प्रतिशत और बलात्कार के प्रकरणों में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। हत्या के मामले भी आठ प्रतिशत बढ़ गये और अपराधों की दृष्टि से जयपुर ने पटना और लखनऊ को भी पीछे छोड़ दिया यानी एक के बाद एक तमगा पुलिस और गृह विभाग के नेतृत्व के निकम्मेपन का यूं ही चलता आ रहा है तो बहुत ही जल्द बिहार और यू.पी. को पछाड़कर राजस्थान अपराधों के मामलों में सरताज बन जायेगा।

उदयपुर में पर्यटक महिला के साथ बलात्कार हो गया। इससे पहले भी पर्यटक युवतियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुईं। राज्य की पर्यटन मंत्रीजी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि पर्यटक अपनी रक्षा स्वयं करें। आदतन अपराधियों ने जेल से छूटते ही एक रात में सरिया मारकर 14 लोगों को घायल

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

कर दिया, जो कि यह साबित करता है कि जयपुर में पुलिस का नहीं, अपराधियों का राज है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को और गृह मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि राह चलती महिलाओं के पर्स और चैन छीनना तो इस तरह से हो गया है कि जैसे खेत में से गाजर-मूली को तोड़ा जाता है। युवतियों को सरे आम बाजार से उठा लिया जाता है। चोरी की वारदात...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापतिजी, यह आप देखिये, ये पांच-पांच लोग, यह कोई गप्प का सेंटर है? थोड़ी तो गम्भीरता लाइये सरकार के मंत्रिमण्डल में बैठे हुए लोगों में।

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य की बात पर आप जरा ध्यान दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): चोरी की वारदातों की गिनती ही नहीं। मंदिर से मूर्तियां, छत्र, मुकुट और चढ़ावे इत्यादि चुरा लिये जाते हैं।

माननीय सभापतिजी, दुकानें नौ बजे बन्द हो जाती हैं लेकिन शराब की दुकानें आधी रात तक खुली रहती हैं। हर चौराहे पर दो-तीन दुकानें और उसमें भी नि:शुल्क बार चलता रहता है और यही कारण है कि जयपुर और राजस्थान के अन्दर अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

साधन-सुविधाओं का रोना पुलिस अधिकारी रोते रहते हैं और सुविधा सम्मान सम्पन्न थानों को दिया जाता है। कहीं कमी नहीं रखते। कई थानों का वैभव देखकर दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है। आई.एस.ओ. थाना बनाने के नाम से हुई चंदा वसूली की चमक कई थानों में दिखाई देती है। कई जगह पुलिस अधिकारी भू-माफियाओं के साथ गलबइयां करते नजर आते हैं। चोरियां बढ़ती हैं तो पुलिस अधिकारियों के मुंह से जनता के नाम उनके कर्त्तव्यों के उपदेश देने की घटनाएं सामने आती हैं। अगर सब कुछ जनता को ही करना है तो इतना बड़ा, लम्बा-चौड़ा पुलिस विभाग किसलिए है। अपराधियों में कहीं पुलिस का खौफ नहीं, जनता में जरूर है गृह मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये क्या पढ़ रहे हैं सभापति महोदय। यहां सदन के अन्दर समाचार पत्र को पढ़कर कुछ कहना हो...

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मैं समाचार-पत्र नहीं पढ़ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं नहीं, यह न तो हमारी परम्परा है, न नियमों में है। ये रेफरेंस के लिए कोई बात कह सकते हैं। इन्होंने तो पढ़ना चालू कर दिया। (व्यवधान) आपने तो पूरा अख़बार पढ़ लिया। नहीं नहीं, सदन में कई अध्यक्षीय व्यवस्था है इस सन्दर्भ में कि सदन के अन्दर समाचार-पत्र का उद्धरण नहीं किया जा सकता है। अगर कोई रेफरेंस के लिए बात करे तो दूसरी बात है। इन्होंने तो पढ़ना ही प्रारम्भ कर दिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इन्होंने नाम लिया क्या किसी अख़बार का? नाम लिया?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): किसी ने लिखकर दिया, वह पढ़ रहे हैं वह।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किसी अख़बार का नाम लिया क्या? फिर क्यों आपको परेशानी हो रही है।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): नहीं, वह किसी ने लिखकर के दिया हुआ पढ़ रहे हैं वह।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप इतनी अच्छी बात को कह रहे हैं, सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): इन्होंने उनको लिखकर दे दिया उसको पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उसको पहले रेफर किया जाता है, क्या पढ़ रहे हैं वह।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो अभी तो आये हो, पूरे दिन के अंदर थे नहीं..

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): हां, अभी आया हूं मैं। मैंने अभी सुना है, जो पढ़ना होता है उसको रेफर किया जाता है पहले कि मैं यह पढ़ रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब आप सुनिये। सभापति महोदय, माननीय सदस्य, जरूरी तो नहीं है जो यह बात चाहें वह बोलें, वह अपने हिसाब से बोल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, आपको क्या दिक्कत आ रही है।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री) लेकिन पढ़कर बोलने का सदन के अंदर...

एक माननीय सदस्य: पढ़ कर नहीं बोल रहे हैं ।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): यह पढ़कर क्या कर रहे हैं वह।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पढ़ नहीं रहे वह, वह आपको पढ़ा रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, सारे रूल्स देख लीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वह पढ़ नहीं रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। आप पढ़िये। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं भी पढ़ ही रहा हूं.. (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, आप लोग सदस्य, आप सभी लोग बिराज जायें। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सभी सरकार के गुणगान का बखान कर रहे हैं और यह सरकार कितनी गम्भीर है, आप देख सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, आप लोग सब बिराज जायें। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था फेल हो गई, आपकी सरकार चारों तरफ बदनाम है, यह आपके गुणगान का बखान कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सम्माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आन ए प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति: कि रेफरेंसेज आप अगर वहां से लेना चाहें तो ले लें बट आप अपने डेलिबरेशन को अपने वर्डस में आप कहें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ठीक बात है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 269 की ओर आकृष्ट करूंगा, माननीय सहकारिता मंत्रीजी सदन में पान खा रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री) : कौन खा रहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह चैक करवाइये आप। दो दिन पहले ही व्यवस्था दी है, आज फिर यह पान खा रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): नहीं-नहीं, क्या लग रहा है। आपको पान खाता लग रहा हूं? पान खाता लग रहा हूं क्या अभी?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिलकुल। आप चैक करवाइये माननीय सभापतिजी। यह लगातार दो दिन से...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री) बाहर मैं कुछ भी खाता रहूंगा, हाउस के अंदर, हाउस में नहीं खा सकते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनका आचरण सदन के नियमों के अनुकूल नहीं है। यह आसन की सदाशयता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं इसलिए मैं आग्रह करूंगा आप इनको निर्देश दें। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): पान नहीं खा रहे हैं, कांग्रेसियों की जान खा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप दोनों कृपा करके बिराज जायें, जो उन्होंने बात कही, वह मैंने सुन ली, अब आप बिराज जायें।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): नहीं, मैं अभी आपको पान खाता हुआ नजर आ रहा हूं क्या। आपको पान खाता हुआ नजर आ रहा हूं क्या। यह रोज भांग की गोली खाकर आते हैं और यहां खड़े होकर बोलना शुरू कर देते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, कुदरत ने इनको ललाई दी है, इनके चेहरे पर जो लालिमा है, कुदरत ने दी है, इससे कोई जले तो जले। देख लीजिये, चेहरे पर कहीं हो तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ऐसा नहीं सभापति महोदय, लाल मुंह होना खराब नहीं है, लाल मुंह वालों की पूजा भी होती है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह मंत्रिमण्डल के सदस्यों की अपनी आपसी कलह को इस सदन में क्यों लाया जा रहा है।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): यह कलह नहीं है, यह दोस्ती का सबूत है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वाह-वाह, बहुत बढ़िया दोस्ती है, अभी आगे-आगे देखना आप।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापतिजी, राजस्थान के अंदर जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसका

(श्री बृजकिशोर शर्मा)
कुछ मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं..(व्यवधान) फिर वही...

श्री सभापति: मेरे ख्याल से आप बिराज जायें, उसमें धीरे-धीरे सुधार हो जायेगा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह जो राजस्थान के अंदर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, राजस्थान इस देश के अंदर प्रथम स्थान पर आ गया है और जो मैं बात निवेदन कर रहा था, मेरे ही प्रश्न संख्या 384 के अंदर माननीय मंत्री महोदय ने यह बात स्वीकार की है कि हां, राजस्थान के अंदर अपराधों की संख्या बराबर बढ़ रही है। यहां पर राजस्थान में रोज दो लूट, तीन हत्याएं और तीन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। हत्या के मामले में, मैं यह जो बात बता रहा हूं, वह इनके रिकार्ड के मुताबिक ही बता रहा हूं, हत्या प्रतिमाह 101, प्रतिदिन 3, हत्या का प्रयास 141, प्रतिदिन 5, डकैती 3, अपहरण 164, प्रतिदिन 5, बलात्कार 90, प्रतिदिन 3, लूट 53, प्रतिदिन 2, नकबजनी 423, प्रतिदिन 14, चोरी 1490 प्रतिदिन 49, और अन्य मामलों में 9273 प्रतिदिन 305 रोज हो रही हैं। प्रतिमाह इस तरीके से 11832 अपराध हो रहे हैं और 389 आपराधिक प्रति दिन प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। (व्यवधान) जहां तक राजस्थान का सवाल है, आपको अभी मैं बता देना चाहता हूं कि 2006-07 के मामले में अगर रिकार्ड से कम्पेयर किया जाय तो हत्या 2006 में 933 जब कि 2007 सितम्बर तक 1010, हत्या का प्रयास 1310 जब कि सितम्बर 2007 तक 1370, डकैती के मामले 2006 में 30 जबकि 2007 में 59, लूट के मामले 2006 में 513 जब कि 2 सितम्बर तक 623, अपहरण के मामले 1565, सितम्बर 2007 तक 1792, बलात्कार के मामले 860 जब कि 2007 सितम्बर तक 1014, इस तरीके से 2006 में कुल प्रकरण हुए 1 लाख 9 हजार 978 और सितम्बर तक 1 लाख 16 हजार 306 प्रकरण इस तरीके से अब तक हो चुके हैं। बहुत से मेरे साथी बार-बार कह रहे थे कि पुलिस ने बहुत अपनी कारगुजारियां की हैं, बहुत अच्छा काम किया है, मुझे कोई वह नहीं है लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, मैंने आपको तुलनात्मक फीगर अभी दिये। और तो और, इससे ज्यादा क्या बड़ी बात होगी कि पीएचक्यू, इनके पुलिस का जहां पर हैडक्वार्टर है, वहां से सिर्फ पचास मीटर पर जयपुर में चोरियां होती हैं और पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। भगवान के घर से

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

मूर्तियां चोरी हो जाती है। उनके जेवर चोरी हो जाते हैं। यह जैन मंदिर से मूर्तियों की चोरी हो रही है। डकैतियां...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप कहां-कहां गये इनमें से।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): जहां आप थे वहीं मैं था। +++ और अब आप यहां पर सफाई दे रहे हो क्या। बिराज जाओ आप। आपके समझ की बात नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, आप एमएलए हो, आपका धर्म है कि कम से कम वहां जाकर देखना चाहिए, कहां क्या हुआ, यह बात केवल अख़बार पढ़ कर यहां बोलना, आप जानते हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं। आप अच्छे मेरे मित्र हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मान लिया, मुख्य सचेतकजी। अगर कोई नहीं हुई है तो माननीय मंत्रीजी जवाब दे देंगे, आपको क्या परेशानी हो रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं आप, मैं तो आप हमारे मित्र हो इसलिए ठीक प्रकार से बोलें...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इन्होंने कहा कि +++ यह तो डिलीट करवाइये सभापति महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): +++ किसने +++ (व्यवधान)

श्री सभापति: इसमें अगर सीधा आरोप है तो डिलीट कर दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): जिस तरीके से...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, क्या कहा आपने, मुझे आपने कहा था कि मूर्तियां ले जाओ, क्या? क्या कहा आपने अभी?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): जो आपने कहा वह मैंने आपको कह दिया। अब आप बिराज जायें, बस, मेरे को पहले बोलने दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, क्या कहा वह। नहीं, यह कह रहे हैं कि बृजकिशोरजी ने यह कहा कि आपने कहा इसीलिए मैं मूर्ति ले गया, मूर्ति ले जाओ, मैंने कहा और आप...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप ले गये क्या मूर्ति? आप ले गये न मूर्ति?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं ले गया?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): और क्या, हां।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अच्छा। यानि इतनी सी भी आपको वह नहीं है, क्या बोलना चाहिए, शायद आपको यह होश भी नहीं रहा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कोई +++ करके थोड़े ही ले गये...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अब आप बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कौन सी मूर्ति ले गये, किस मंदिर से ले गये, किस जिले से ले गये, किस गांव से ले गये...

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह इनसे पूछो। यह इनसे पूछो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह बताओ न आप। आप आरोप लगा रहे हैं, पहले नोटिस देते आप, यह गैर जिम्मेदार बात करेंगे आप...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बाजार से प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए ले गये होंगे। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप तो इनसे पूछो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह राजस्थान का सदन है, यह राजस्थान की विधान सभा है, जिम्मेदारी से बात करिये, करना है तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह +++ जो संरक्षण है न, वह बृजकिशोरजी शर्मा के द्वारा है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): चलो, ठीक है। आप अब बिराज जाओ। अब आप बिराज जाओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह जो +++ है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप बिराज जाओ, चलो ठीक है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, किस-किसकी मूर्तियां ले गये, यह भी बता दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): विदेशी महिलाओं के साथ जिस तरीके से...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप दो मिनट में कनक्लूड कर दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): दो मिनट में कन्क्लूड करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मेरी एक प्रार्थना है...

श्री सभापति: एक मिनट बिराजें आप, बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुख्य सचेतक महोदय के लिए जो कुछ इन्होंने कहा, चाहे चलते-चलते रिमार्क किया, इसको एक्सपंज कराइये।

श्री सभापति: जो व्यक्तिगत अगर टिप्पणी हुई है तो आप इसको एक्सपंज कर दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, बोलते हुए बीच में टोकते क्यों हैं फिर।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, टोका नहीं है।

श्री सभापति: अब आप सब बिराज जायं ताकि अपना वक्तव्य...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, मानता हूं मैं, यह गलत था, जो इन्होंने कहा, मैं उसका कोई पक्ष नहीं ले रहा लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि कोई मेम्बर बोल रहा है और फिर उसको आप इंट्रप्ट करके उसके फ्लो को तोड़ोगे तो फिर जो उसकी इच्छा होगी जो बोलेगा फिर वह। अगर आप नहीं रोकते हैं तो कोई नहीं कहता है कुछ।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके लिए भी यह कहा जा सकता है न।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सबके लिए करें न आप, कहां दिक्कत आ गई इसमें। एकतरफा नहीं चलेगी।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): विदेशी महिलाओं के साथ जो बदसलूकी होती है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। उदयपुर में ब्रिटिश महिला पत्रकार के साथ जो ज्यादती हुई वह सबको मालूम है। पुष्कर में अमेरिकन महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ हुई वह सबको मालूम है। जोधपुर, 2005 में जर्मन युवती के साथ में जो बलात्कार हुआ वह सबको मालूम है। उड़ीसा के डीजीपी के पुत्र द्वारा 2006 में ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): लेखक कौन है?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब वह कह देंगे लेखक आप हो तो फिर आप कहोगे मेरे पर इल्जाम लगा दिया तो आप छेड़ क्यों रहे हो? दो मिनट आसन ने कहा है, उनको कनक्लूड करने दो।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, छेड़ने का प्रश्न नहीं है यह परम्परा रही है जो अख़बार का उद्वेलित जिस प्रकार से वर्ड बाई वर्ड पढ़ रहे हैं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा आपके मैम्बर पूरे कागज पलटते हैं जो आप दे देते हैं मंत्रिमण्डल के सदस्य उसको यहां पढ़ते रहते हैं तब कुछ नहीं होता है?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कागज पलटे उसको हिम्मत चाहिए, अख़बार अलाऊ नहीं है, अख़बार पढ़ना रोक है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वह अखबार भी कपड़े पर नहीं छपा हुआ है, वह भी कागज है, वह कपड़े पर नहीं छपा हुआ है।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): रखवा दो, अभी टेबल करवा दो, अभी पता लग जाएगा अख़बार नहीं है, जबरदस्ती बात बना रहे हो?

श्री सभापति: अब आप विराज जाइए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पूरी नालेज है उनको ...(व्यवधान) ये नियम और कायदे कानून हमको भी पता है।

एक माननीय सदस्य: माननीय सभापति महोदय, यह माननीय सदस्य के बीच में क्यों उठ खड़े हो रहे हैं?

श्री सभापति: आप लोग विराज जाइए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति: एक मिनट विराजें आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि नियम 272 के तहत बोलते समय ...(व्यवधान) नियम में नियम 9 में लिखा है ''अपना भाषण नहीं पढ़ेगा पर अपनी स्मृति को टिप्पणियों से अभिनव कर सकेगा'' केवल अपनी टिप्पणी और अपने उससे केवल इशारा से

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मात्र जो है देख सकेगा पर अपना भाषण नहीं पढ़ेगा यह अपने नियम 272 के 9 कालम में मेंडेटिरी प्रोविजन है। इसमें माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, जो भी कुछ मैं कह रहा हूं मेरे आंकड़ों के आधार पर जो मैंने लिखा है वह मैं पढ़ रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आंकड़े तो लिखकर ही पढ़ेंगे, कोई जुबानी याद रखता है क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आंकड़े तो बोलो, कोई भी माननीय सदस्य जो भी बोलेंगे अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर, कोई भी माननीय सदस्य यहां जो बोलेंगे वह ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वह अपराधों में कितनी वृद्धि हुई, इस महीने में कितनी वृद्धि हुई, बीते हुए महीने में कितनी, हर साल में कितने हुए? यही तो देख रहे हैं बाकी और सारी बातें थोड़े ही पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब तो यह होता है आदमी लेकर के पढ़ना शुरू कर दे, बस उसी को पढ़ता रहे, ऐसा थोड़े ही होता है कोई।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई भी माननीय सदस्य जो भी बोलेंगे वह अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बोलेंगे?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय मुख्य सचेतकजी यह कोई चार-पांच बार नहीं आ गये, यह भी है जब कोई ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह उस परिवार से हैं जो काफी अनुभव है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब परिवार से है, अब परिवार पर आ जाओ आप फिर खानदान पर आ जाना, क्या सारी अव्यवस्था तो आप फैलाते हो?

श्री सभापति: मेरा आप सब लोगों से सबसे अनुरोध है कि जो सज्जन बोल रहे हैं कृपा करके उनको व्यवधान न डाले, उनको अपनी बात को कनक्लूड करने दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, पार्लर की आड़ में जिस तरीके से जयपुर में वेश्यावृत्ति बढ़ रही है वह भी देखा

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय जौहरी बाजार में नेशनल हैण्डलूम में जो तीन हत्याएं हुई उसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला। न्यायालय अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, खण्ड-3 जयपुर शहर, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 166/2007 में कुछ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुए तथा एक अन्य प्रकरण में प्रकरण संख्या 261/2005 में कुछ अधिकारियों के विरुद्ध उक्त न्यायालय द्वारा पांच हजार के ज़मानती वारंट जारी किये गये लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कुछ नहीं हुआ। प्रकरण संख्या 437/05 में किन-किन संदिग्ध व्यक्तियों का नारको टैस्ट करवाया गया? उसका क्या परिणाम रहा?

श्री सभापति: कृपया आपस में बात नहीं करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): क्या उससे पुलिस को अनुसंधान में नई दिशा मिली है तो पुलिस आज तक क्यों नहीं पकड़ पाई? कृपया मंत्रीजी अपने ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कालूलालजी गुर्जर सम्मेलन से आये न, उसकी पूछ रहे होंगे कि क्या हुआ? बाद में ही पूछ लेना कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ?

श्री सभापति: मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप भी बीच-बीच में व्यवधान न डालें तो उचित रहेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, यानी प्रद्युम्नसिंह हमारे वरिष्ठ मंत्री को बुलाकर पूछ लें वह तो कोई आपत्ति नहीं है और मैं कालूलालजी को पूछ लूं तो यह आपत्ति है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप गए, इन्होंने बुलाया इनकी ताकत देखो, इन्होंने आपके मंत्री को बुलाया और आप दोनों गए वहां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप बुलाओ मैं आ जाऊंगा..

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कप्तान साहब की ताकत देखो..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ताकत तो आपकी भी मान ली, आप बुलाकर देखो ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब तो मेरे से ...(व्यवधान) है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, माहिर आजाद साहब के प्रयास के बावजूद भी इनके इलाक़े से कोई गुर्जर रैली में नहीं आया, इसका इसलिए यहां क्यों एतराज कर रहे हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरे इलाक़े का एक भी गुर्जर आपके चक्कर में आने वाला नहीं है, चिंता मत करो, मगर आप अपनी सीट से बोलो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके तो एक भी नहीं आया।

श्री सभापति: अब आप कनक्लूड कीजिए प्लीज।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, मेरे बगल में व्यवधान हो रहा है, इसको ठीक करवायें आप, सारे इकट्ठे हो गये हैं यहां, तीनों की जगह नहीं है यहां पर, संसदीय मंत्री समझाइए इनको ...(व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय सभापति उधर देखें।

श्री सभापति: आप लोग आपस में स्थान ग्रहण करें तो यह भी उचित रहेगा। आप कनक्लूड करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ऐसा लगता है दोनों सदस्यों ने हमारी सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैं अंत में इतनी बात कह कर अपना उदबोधन समाप्त करुंगा कि माननीय मंत्रीजी जब अपना जवाब दें तो जिस तरह से एनडीपीएस एक्ट में जो मामला दर्ज हुआ था उसमें क्या प्रगति है? क्या उन लोगों के खिलाफ चालान पेश कर रहे हैं? धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 16 पुलिस एवं मांग संख्या 17 कारागार के कटौती प्रस्ताव पर मैं विचार प्रकट करती हूं। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा राज्य की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से पुलिस विभाग में हज़ारों नई नियुक्तियां दी गई। इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से राजस्थान की मुख्य मंत्री, सदन की नेता एवं होम मिनिस्टर साहब को बहुत-बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहूंगी। उपकरण और हथियार की उपलब्धता बढ़ाई गई है। पुलिस प्रशासन को मजबूत करने के लिए नए पुलिस अधीक्षक कार्यालयों, नए पुलिस सर्किल, पुलिस थानों और नई पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। चौबीस घंटे सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों के लिए हमारे यहां गृहमंत्री महोदय ने अपराधियों में डर, जनता में विश्वास का नारा बुलंद किया है। माननीय सभापति महोदय, जब पुलिस विभाग चौबीस घंटे अपनी सेवा देने वाला है उसके लिए तो सामने वालों ने बैठकर कभी विचार नहीं किया और दुनियाभर की इधर-उधर की बात करके टाइम वेस्ट किया है। हर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

साल पुलिस वालों का उपयोग लेना चाहते हैं, कोई फंक्शन हुआ तो पुलिस वाला आना चाहिए, कोई जलसा हुआ तो पुलिस वाला आना चाहिए, नहीं आये तो क्या अरे पुलिस नहीं आई क्या करें भाई? पुलिस वालों को काम भी लेना चाहते हो और उनकी नुकता-चीनी भी करना चाहते हो। सभापति महोदय, मैं एक पुलिस आफिसर की बेटी हूं और मेरे को बड़ा भारी गर्व है उस समय किस तरीके से पुलिस का रुतबा था, एक थानेदार निकलता हुआ वह एसपी के बराबर होता था। यह सरकार में आने के बाद पुलिस प्रशासन का स्तर गिरा है, बढ़ा नहीं है, आज वह किस मुंह से बोल रहे हैं? मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगी, मगर मैं यह जरूर कहना चाहूंगी माननीय सभापति महोदय, मेरी विशेष रुचि रही है, यह बात सही है कि मैं मेरे स्वर्गीय पिताजी जब कभी भी यहां भैंरूसिंहजी पुलिस के ऊपर बोलते तो मेरे स्वर्गीय पिताजी उनको चौसरा पहराने जाते, उनको धन्यवाद लैटर देते क्योंकि वह खुद ही इसके अंदर थे। रियासत काल के अंदर थाने बने हुए थे माननीय सभापति महोदय, मैं बिलकुल सही बात और स्पष्ट कह रही हूं इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है? सभापति महोदय थानों की वह स्थिति थी मेरे पिताजी यह कहते हैं क्या तू राजमाता विजयाराजे सिंधिया को हास्पिटल दिखाया है? तू थाने दिखाती तो तेरे को पता लगता, मैंने उस बात को ध्यान में रखकर अभी तीन साल, दो साल पहले अभी एमएलए बनने के बाद मैंने कहा थाना देखने चलो क्योंकि मैं कई थानों में जोधपुर के थानों में, बाहर भी सब जगह रही हूं, मैंने कहा चलो आज थाना देखने चलें, माननीय सभापति महोदय, मैं गई थी सीडी पुलिस थाना और वहां पर ए और बी दो थाने हैं माननीय सभापति महोदय, पुलिस के कांस्टिबल मेरे को कहते हुए शर्म आती है कि किस तरीके से वह सो रहे थे? मैं समझती हूं कि कुत्ता भी अगर सोता है तो सफाई करके सोता है। सरकार में सबसे ज्यादा राज इन लोगों ने किया है मगर इनके बारे में इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था क्योंकि रियासत काल में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बना दी थी, बडे-बड़े थाने बना दिये मगर उसकी देखभाल कौन करे। आज तक किसी ने भी नहीं की। यह बिलकुल सही है और इस तरीके से वो सो रहे थे कि मेरे को ऐसा लगा कि यह सरकार अपने को इतना पैसा दे रही है और ये अपने जो रक्षक हैं ये किस तरीके से सो रहे हैं, मेरे को बड़ा अजीब-सा लगा एकदम मैंने घर आकर के मेरे परिवार मतलब मेरे जो सहयोगी होते हैं उनसे भी मैंने और आज मेरे हस्बेंड इस दुनिया में नहीं हैं मैंने उनसे बात की कि मैं आज वहां

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

थाने जाकर आयी और ये स्थिति देखी तो मेरे पतिदेव ने भी कहा कि अपना पैसा थानों में लगाओ क्या हो गया।

माननीय सभापति महोदय, मैंने उन भवनों को देख करके मेरे विधायक कोष से करीब इकसठ लाख रुपये की राशि लगायी है और थानों को सुधारने का काम किया है। आज वो गोदरेज की आलमारी में नहीं पड़े हैं वो हैं आप जाकर कोई भी उसका मुआयना कर सकता है और हाउस कमेटी आयी थी भ्रमण करते-करते उन्होंने भी जाकर के इसको देखा था। इसी तरीके से मैंने नगर सुधार न्यास के चेयरमैन साहब श्री राजेन्द्रजी गहलोत हैं उनको भी इस बारे में जानकारी दी तो उन्होंने भी मेरे को इसके अन्दर काफी सहयोग दिया और करीब छत्तीस लाख रुपये की उन्होंने भी स्वीकृति दे दी और वो सारी पुलिस चौकियां, थाने वगैरह सारे करीब-करीब सभी चीजें सुधर गई हैं और आज जाकर देखें तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी स्थितियों के अन्दर है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहूंगी कि जोधपुर शहर देश का सबसे शांत इलाका माना जाता है। देर रात तक गहने पहनी औरतें, गहनों से सजी-लदी महिलाएं अकेली भी घूमें तो कोई डर नहीं है परन्तु जनसंख्या वृद्धि, आवागमन के साधनों में तीव्र विकास, टीवी कार्यक्रमों में प्रेषित होने से और शार्टकट से सफलता पाने की लालसा के कारण अपराध बढ़े हैं। ऐसी अवस्था में जोधपुर शहर में पुलिस नफरी बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। सबसे पहली मेरी बात ये है वर्तमान में पुलिसकर्मियों की संख्या पर्याप्त नहीं है इसे बढ़ायी जाए, इन्हें नये वाहन उपलब्ध कराये जाएं। भीतरी शहर की तंग गलियों को देख कर मोटरसाइकिलों की संख्या बढ़ाई जाए। माननीय सभापति महोदय, इसी कड़ी में मेरा निवेदन है कि मेरा जोधपुर शहर तंग गलियों का शहर है जहां बड़े दिल वाले लोग रहते हैं यातायात के साधनों में वृद्धि हो रही है । हर एक घर में दो-दो, तीन-तीन वाहन सामान्य सी बात हो रही है। कारों का प्रचलन भी बढ़ा है। ऐसे में जोधपुर शहर में वाहनों का दबाव बढ़ने से अधिकांश समय यातायात जाम की स्थिति रहती है। माननीय सभापति महोदय, कई तो ऐसी जगह हैं कि जहां का मैं क्या बताऊं लोगों का होस्पिटल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए एक विशेष यातायात योजना बनायी जाए जैसे भीतरी शहर में लोडिंग वाहनों की आवाजाही का समय निर्धारित कर दिया

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जाए और उसका सख्ती से पालन किया जाए। मुख्य-मुख्य स्थानों पर यातायातकर्मी की उपस्थिति बढ़ायी जाए। मुख्य मार्गों के साथ वाली वैकल्पिक सड़कों का प्रयोग बढ़ाया जाए जैसे जालोरी गेट से कलेक्ट्रेट वाया बाईजी का तालाब मार्ग आरम्भ किया जाए। तिरई से सोजती गेट के बीच सिटी बसें रुके नहीं इसकी व्यवस्था की जाए। भीतरी शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश में सम्मिलित करने के लिए मुख्य चौराहों पर पार्किंग व्यवस्था सख्त की जाए जैसे सोजत, जालोरी गेट आदि। मेरा माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि पुलिसकर्मियों को चालान के टारगेट के साथ ही यातायात व्यवस्था बनाये रखने की महत्ता के प्रति सजगता बढ़ायें।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मांग संख्या 17 पर बोलना चाहूंगी। जोधपुर सेन्ट्रल जेल देश की सबसे बड़ी सुरक्षित जेलों में से गिनी जाती है जहां कई खुंखार आतंकवादियों को भी रखा जाता है। मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि जोधपुर केन्द्रीय कारागार के लिए विशेष बजट राशि का प्रावधान करें ताकि जेल भवन को आधुनिक सुरक्षा के मापदंडों के अनुरूप बनाया जाए। आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे क्षेत्र की कुछ बात कहना चाहूंगी। मेरा माननीय गृह मंत्री महोदय एवं राजस्थान की मुख्य मंत्री एवं सदन की नेता से निवेदन है कि जोधपुर शहर के अन्दर जब भैरोंसिंहजी चीफ मिनिस्टर थे तब मैंने मांग की थी तो उन्होंने रूरल में एसपी की स्वीकृति प्रदान की थी। पहले एक ही एसपी लगता था और अब मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि एक ट्रैफिक एसपी की व्यवस्था की जाए ताकि जोधपुर की सुरक्षा में चार चांद लग जाएं। इसी तरीके से मैं यह चाहूंगी कि जैसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसके लिए अलग से थाने की स्थापना की जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और लोग अपनी बात रख सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत तकलीफ से कह रही हूं और बहुत दुःख हो रहा है कि जोधपुर शहर के तीन-तीन मुख्य मंत्री रहे मगर जोधपुर का कोई उद्धार नहीं किया जबकि जयपुर से दूसरा नम्बर जोधपुर है मगर जोधपुर के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री सदन की नेता को बहुत-बहुत बधाई दे रही हूं कि उनकी सोच, राजस्थान के गृह मंत्री की सोच जोधपुर के प्रति इन्होंने रखी है इसलिए मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बधाई देती हूं कि इन्होंने यह सोच रखा। मैं चाहूंगी कि इसी तरीके से जोधपुर में आप एक

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

थाने की स्थापना करें और एक ट्रैफिक एसपी की स्थापना करें और हमारे जोधपुर में क्योंकि मैं जोधपुर की हूं तो मैं जोधपुर की ही बात करूंगी, जोधपुर को अलग रख दें तो मेरे से यह बर्दाश्त होगा नहीं तो मैं यह चाहूंगी माननीय गृह मंत्रीजी कि आप इसके ऊपर जरूर विचार करें। आप अपना वक्तव्य दें तो इस बात को जरूर रखें क्योंकि जितने ऑफिसर्स बैठे हैं अभी निकल गये हैं करीब ये सारे जोधपुर में एसपी रह कर आये हैं, प्रमोशन ले आये हैं और मैं चाहूंगी कि वो भी अपनी बात बतायें मंत्री महोदय को और मैं एक खास बात कहना भूल जाती तो जोधपुर में औरतें मेरे पीछे पड़ जाती। सभापति महोदय, मैं मेरे हस्बेंड की डैथ होने के बाद थोड़ा मंदिर वगैरह कम जाती हूं अभी एक रोज मेरे को बुलाने आ गये तो मैं वहां गयी तो कम से कम दस-पन्द्रह औरतें मेरे पीछे पड़ गई। मैंने सोचा कि ये पानी की शिकायत करेंगी या सड़कों की करेंगी तो उन्होंने ये तो नहीं कहा उन्होंने कहा कि सड़कें तो हमारी बहुत अच्छी बनी हैं मगर हमें एक तकलीफ है आप आपके जो आफिसर हैं वो ये तो नहीं कहती कि मुख्य मंत्रीजी, वो कहती हैं कि आपकी जो आफिसर हैं उनको यह कहना कि इन पुलिस वालों का कुछ कल्याण करें। मैंने पूछा कि क्या

(समय : 18.28 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कल्याण करे तो बोलीं कि देखो ये चौबीस घंटे ड्यूटी देते हैं जब बुलायें तब आते हैं तो कम से कम इनकी तरक्की वगैरह तो करें क्योंकि इंक्रीमेंट वगैरह तो कहती नहीं वो तो ये कहती हैं कि इनकी तरक्की करें, इनको प्रमोशन देवें तो मैं यह चाहूंगी कि इसी तरीके से जो कांस्टेबल वगैरह हैं और जो अच्छा काम करने वाले चाहे सीआई हो, चाहे सीओ हो, कोई भी हो उनके ऊपर भी राजस्थान के मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगी, सदन की नेता से कि विचार करें। ऐसे जो अच्छा काम पुलिस आफिसर करते हैं उनकी पदोन्नति करें या उनको इंक्रीमेंट दें, उनकी तरक्की करें और जो मेरे को जोधपुर की महिलाओं ने कहा वो अपना नाम भी भेजेंगी मुख्य मंत्री के पास और चिट्ठी भी भेजेंगी मगर मैं यह सदन को बताना चाहूंगी कि लोगों में कितनी जागृति है पुलिस वालों के प्रति। आप क्या बात करते हैं जहां राजस्थान की मुख्य मंत्री ने सदन की नेता ने और गृह मंत्री जी ने जो किया है उससे जोधपुर में जरूर सुधार होगा मैं इसी कामना के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को बोलने का मौका दिया इसके

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं और सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपको कि मेरे को किसी ने टोका नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सांगसिंह भाटी। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि थोड़ा शोर्ट में ही पांच-छह मिनट के अन्दर समाप्त करने की कोशिश करें, मेरा आपसे निवेदन है क्योंकि साढ़े सात-आठ बजे गृह मंत्रीजी जवाब देंगे उससे पहले-पहले अपने को एडजस्ट करना है ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज मांग संख्या 16 और मांग संख्या 17 के सम्बन्ध में मेरी तरफ से भी विचार रखना चाहता हूं।

मैं सबसे पहले तो राजस्थान के हमारे अनुभवी गृह मंत्री महोदय को राजस्थान में ईमानदार छवि के लिये बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद दे रहा हूं । हकीकत में पूरे राजस्थान में चार साल के कार्यकाल में शांति व्यवस्था रही, न कोई साम्प्रदायिक दंगा हुआ, न कोई अपराधों में वृद्धि हुई इसके लिये राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद दे रहा हूं । चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे पदोन्नति हो इस सम्बन्ध में आपने जो कदम उठाया है वह भी एक सराहनीय कदम है और जिस ढंग से आधारभूत सुविधा जेलों में, हमारे गृह राज्य मंत्रीजी अमरारामजी ने जैसलमेर जैसे सीमांत जिले की जेलों में जाकर व्यवस्था देखी, उपाध्यक्ष महोदय, हकीकत में अपराधी कई प्रवृत्ति के होते हैं । एक तो होता है आदतन अपराधी, एक अपराधी होता है भूलवश अपराध करने वाला । जो आदतन होता है वह छूटने के बाद फिर अपराध करके जेल में आता है और जिस किसी ने एक दफा भूलवश अपराध कर दिया और वह हमेशा यही सोचता है कि हे परमात्मा मेरे कौन से पुण्य के कारण यह अपराध किया हैं । मैं मेरे इष्ट की कसम खा कर कहता हूं आइंदा कभी भी अपराध नहीं करूंगा, ऐसे अपराधी अगर जेलों में हैं तो उनकी व्यवस्था हो ताकि वह आइंदा से अपराध नहीं करे और ऐसे अपराधी छूट कर वापस भी आये । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस विषय पर आप विचार कर सकें तो मेरे ख्याल से न्याय प्रिय रहेगा ।

इसके साथ-साथ में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हकीकत में जैसलमेर जिला एक सीमांत जिला है और पर्यटन नगरी है । बहुत दूर दराज तक बिखरा हुआ जिला है ऐसे जिलों में अलग से एक व्यवस्था हो। बेरोजगारी

(श्री सांगसिंह भाटी)

बढ़ रही है, बेरोजगारी के कारण, पर्यटन नगरी होने के कारण जैसलमेर जैसे जिलों में थोड़ी सी व्यवस्था और ढंग से हो तो मेरा आपको यह सुझाव है कि जैसलमेर में सोर्स आफ इनकम सिर्फ पर्यटन है और उस जगह अगर कोई इस ढंग की छोटी मोटी घटनाएं घट जायें तो उसमें त्रुटि आती है । गृह मंत्री महोदय आजादी के 50 साल बाद में जैसलमेर जिले में पहली बार एक घटना घटी आज से 10 दिन पहले । सरे आम, दिन के समय एक औरत के गले से डोरा छीन कर ले गये । पूरे जिले में सन्नाटा छा गया कि यह घटना पहली बार हुई है । इस ढंग के अपराधों में थोडी सी आप सख्ती बरतें। इसके साथ-साथ मेरा सुझाव है कि जैसलमेर जिला सीमा का जिला है, बहुत बड़ा जिला है इसमें पुलिस अधीक्षक भी अनुभवी होना चाहिये और वह थोड़ा सजग हो ताकि सीमा पर किसी तरह की घटना नहीं घटे यह मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूं इस पर थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान देवें ।

इसके साथ-साथ मेरे जिले के लिये मैं आपसे मांग कर रहा हूं हमारी तीन चौकियां हैं । एक थाने से दूसरे थाने की दूरी सौ सवा सौ किलोमीटर है और पुलिस के पास में भी इतने साधन नहीं है कि घटना घटने के तुरन्त प्रभाव से वह वहां पहुंच जाये। एक तो ऐसे थानों को नये वाहन दिये जायें ताकि कोई भी घटना घटित होने पर तुरन्त प्रभाव से पुलिस वहां पहुंच जाये । एक हमारी चौकी है नहरी विभाग जो नया आबाद हुआ है, नई आबादी बसी है वह कम से कम बीकानेर से लेकर बोर्डर तक शाहगढ़ घोटाडु तक है, 113 आरडी पुलिस चौकी को थाना बनाने की आप कृपा करावें। दूसरी है नेहडाई चौकी यह भी नहरी बैल्ट में है, पुरानी चौकी है । उसके लिये भी मैं थाने की मांग कर रहा हूं । एक लाठी है जो हाइवे रोड पर है, हमेशा पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है, जोधपुर जैसलमेर हाई वे रोड पर यह लाठी चौकी आई हुई है । इन तीनों की मांग करते हुए मेरा आपसे एक निवेदन है कि इन बातों को मानें और इन थानों की घोषणा करावें इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल ।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर चल रही चर्चा में आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। इसके लिये आपका धन्यवाद । राज्य में गत समय में कानून व्यवस्था और पुलिस ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने के क्रम में काफी कुछ कार्य हुए हैं । आधुनिकीकरण

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

की दिशा में बहुत कुछ किया गया और सबसे ज्यादा प्रशंसनीय कार्य है राज्य विधि विज्ञान निदेशालय के अन्तर्गत विभिन्न जिला मुख्यालयों पर फोरेंसिक यूनिट की स्थापना होना । जब कभी भी मुकदमों की बात आती है और मुकदमों में भी कहीं पर भी जब जांच की बात आती थी तो मैंने देखा है सालों तक एक से दूसरी प्रयोगशाला में वह फिंगर एक्सपर्ट के पास में रिपोर्ट मांगने के लिये मुकदमों को इधर से उधर भेजा जाता रहता था और सालों तक पीड़ित पक्ष न्याय के लिये घूमता रहता था । दूसरा पक्ष जो एक और इन मुकदमों में इन्वाल्व होता था मुख्यतः ऐसे मुकदमे ज्यादातर सम्पत्ति से लेकर हुआ करते थे जिनमें सामने वाले पक्ष को उलझाये रखने के लिये अपना जोड़ तोड़ करके इधर से उधर उन मुकदमों को स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया में ही लगे रहते थे । इतना बड़ा हमारा राज्य है और अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित है इसके चलते हमें पुलिस को अभी आधुनिक रूप देने के लिये हमें बहुत से और कार्य करने आज के समय में अनिवार्य है । क्राइम का भी टाइप बदल गया है। साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है । जो क्रिमिनल है वह भी नई-नई टैक्नोलोजी का इस्तेमाल करते हैं और उनको पकड़ पाना एक मुश्किल सा कार्य होता है। स्थान-स्थान पर इसके सम्बन्ध्ा में अनेकों मुकदमें भी दर्ज हुए हैं और बहुत से ऐसे मुकदमे हैं जो आज दिन तक अनसुलझे हैं । मैं इसी क्रम में निवेदन करना चाहूंगा कि आज पुलिस आधुनिकीकरण के साथ-साथ जो अधिकारी और उनके मातहत कर्मचारी हैं उनको भी इस आधुनिक रूप में समय-समय पर इस प्रकार के कोर्सेज कराये जाने चाहिये जिन कोर्सेज के चलते वह अपना बौद्धिक विकास भी करे और साथ में अपना मानसिक संतुलन भी बना कर रखे क्योंकि यह देखने में आता है अंडर प्रेशर होने के कारण अधिकारी अपनी डीलिंग में कहीं न कहीं डगमगा जाते हैं और सही चित्रण नहीं हो पाने के कारण पुलिस की छवि धूमिल होती है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी क्रम में एक उदाहरण दूंगा कि कुछ स्थान विशेष में सीआरपीसी की धारा 151 का जो इस्तेमाल किया जाता है एक ओर पीड़ि़ित पक्षकार जिसके साथ अत्याचार हुआ है वह अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिये सम्बन्धित थाने में पहुंचता है, थाने का अधिकारी उसको बैठा लेता है और जिस व्यक्ति ने उसके साथ घटना की है उस व्यक्ति को भी बुला लिया जाता है और उसको भी बैठा दिया जाता है और दोनों को रात को एक ही कारागार में बंद कर दिया जाता है थाने में । बंद करने का कारण अगर कहीं कागज में दर्ज किया जाता है तो यह किया जाता

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

है कि वो व्यक्ति आवेश में आ गया और उसको आवेश में आने के कारण 151 में बंद कर दिया गया। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पिट करके आया है, जो व्यक्ति एक व्यक्ति के अत्याचार का शिकार होकर के आया है वो थाने में आकर के आवेश में आ जाए, यह बात तो समझ से बाहर है। इसका सीधा-सादा एक ही कारण है कि जो दबाव है आज के समय में पुलिस की कार्यशैली के ऊपर कि कम से कम मुदकमे दर्ज हों, यह उसी का प्रभाव नजर आता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आप स्थान-स्थान पर थानों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आई.एस.ओ. प्रमाणित कर रहे हैं यह शायद उसका कोई एक दूरग्रामी परिणाम है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप समय-समय पर दौरे भी करते रहे हैं, सम्भागीय मुख्यालयों पर आपने दौरे करे हैं, आप इस चीज पर भी एक विशेष रूप से ध्यान दें कि 151 में मुदकमे ज्यादा दर्ज होने के क्या कारण हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसे अनसुलझे मुकदमे जो गम्भीर प्रवृत्ति के हैं वो क्यों नहीं सुलझे और अगर नहीं सुलझे तो हम बहुत पारदर्शिता के साथ में उन मुकदमों का भी स्थानान्तरण क्यों नहीं अन्य एजेंसी को कर देते हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के साथ में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे ही विधान सभा क्षेत्र का थाना पूगल में 2005 में एक एफ.आई.आर. संख्या 19 दर्ज हुई और वह एफ.आई.आर. जो दर्ज हुई वो एक हत्या के प्रकरण की थी। एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, नौजवान अल्प आयु में ही चला जाता है, परिवारजन आज दिन तक न्याय पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं और एक व्यक्ति कहीं छुपा हुआ बैठा है या कहीं अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहा है और वो व्यक्ति वो है जिसने किसी की हत्या करी है।

मुकदमे जांच आपने अनेकों बार करायी लेकिन जांच जब कभी भी की जाती है, जिन व्यक्तियों पर शक है उनको पूर्व सूचना के साथ में जब बुलाया जाता है तो उनके चार तरीके के दबाव भी आ जाते हैं और मानसिक रूप से वो तैयार भी होता है कि हमको वहां पर ले जाया जायेगा तो उसका येन-केन-प्रकारेण वो कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसा मुकदमा जिसमें साफ-साफ पता है कि हत्या हुई है, हम अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो क्यों नहीं हम उस मुकदमे को सिविल पुलिस से हटा करके उसका

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

इन्वेस्टीगेशन सी.आई.डी. के माध्यम से कराते और अगर हम यह मानते हैं कि वहां से भी नहीं हो पाता तो क्यों नहीं हम सी.बी.आई. को ऐसे मुकदमों को प्रेषित करते हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। जिला बीकानेर में ही एक विचित्र प्रकार की घटना और हुई नापासर में और मुकदमा संख्या है 79, रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है एक व्यक्ति द्वारा कि उनके पुत्र का अपहरण कर लिया गया, अपहरण करने के पश्चात् फिरौती की राशि की मांग की गयी और उस फिरौती को अदा करने के बाद में उन्होंने अपने पुत्र को छुड़ाया। उस घटना में कुछ लोगों का नाम दर्ज किया गया था। उन नामजद के साथ-साथ षड्यंत्र में शामिल अन्य कई व्यक्तियों के भी मोबाइल से बात करने पर रिकार्ड उपलब्ध हो जाते हैं लेकिन हमारे जिले के आला अफसर अपनी मित्रता का परिचय देते हुए वो व्यक्ति जो कि षड्यंत्र में शामिल हैं, जिनकी बातचीत रिकार्ड है, जिनके नम्बर रिकार्ड हैं उनको उस मुकदमे में शामिल नहीं करने की अपनी दोस्ती को निभाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे राज्य में कानून-व्यवस्था बनी रहे इसके लिए माननीय मंत्री महोदय जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। पारदर्शिता का परिचय देते हुए कार्य किया जा रहा है, संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कार्य किया जा रहा है और ऐसी बड़ी घटना होने के बावजूद उस घटना पर रिएक्ट नहीं करके हम आने वाले समय में राज्य में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ें, इसकी छूट दे रहे हैं। घटना भी कोई साधारण नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई चलते हुए 200-500 रुपये का भी लेन-देन नहीं दस लाख रुपये के लेन-देन का इसके अन्दर सीधा-सीधा मामला होता है। पुलिस दबाव बनाती है, राशि लेकर के व्यक्ति विशेष आता भी है लेकिन रास्ते से ही लापता हो जाता है, यह साबित करता है कि हमारा रिकार्ड की राशि का लेन-देन हुआ, व्यक्ति विशेष को पकड़ा जाता है, वो राशि लेने की बात कमिट भी करता है, साथ में यह भी कह देता है कि मैं तो पैसा नहीं दूंगा। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे गम्भीर मसलों के अन्दर हम उसमें महज खाना-पूर्ति अगर करना चाहेंगे तो हमारे राज्य के हालात बहुत विकट हो जायेंगे। मेरा यह निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है, यह विभाग कार्य कर रहा है, कुछ बहुत अच्छे कार्य किये और इस विभाग द्वारा कार्यों को करने के लिए जो नियत बजट है उसमें एक जो हमने गुप्त सेवा व्यय के नाम से एक राशि का प्रावधान कर रखा है, आज का रूप

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

बहुत बदल गया है, एक भ्रष्टाचारी को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत तरीके इसके लिए अपनाये जाते रहे होंगे विभाग के, मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहता और ना मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा जानता हूं लेकिन इतना जरूर मैं जान पाया हूं कि जो व्यय करने की राशि का प्रावधान किया गया है यह लगातार दो वर्षों से जितना है उसके अन्दर बढ़ोतरी नहीं की गयी है अगर इसमें बढ़ोतरी की जाए तो हो सकता है आप कुछ भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए जो प्रयास करना चाहते हैं उसके अन्दर बजट की कमी-कभी हमारे सामने नहीं आये। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज भ्रष्टाचार चारों ओर फैला हुआ है। यह बात खुलेआम सभी के द्वारा कही जाती है, समाचार पत्रों में भी आती है और देखते ही देखते किन्हीं व्यक्तियों का जीवन स्तर में जो बदलाव आ रहा है वो उसमें साफ-साफ दृष्टिगत भी करता है लेकिन फिर भी यह विभाग अपने द्वारा दर्ज किये मुकदमों की संख्या सैकड़ों से आगे नहीं बढ़ा पाया है और ऐसे व्यक्ति जो खुलेआम करीब का शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। तो मैं निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय मंत्री महोदय चिह्नित करेंगे कुछ ऐसे थानों को जिनके अन्दर अस्पताल प्रमुख रूप से हैं, जहां पर मरीज को जाने से पहले डाक्टर के घर पर भेंट चढ़ानी पड़ती है, इलाज कराने के लिए भेंट चढ़ानी पड़ती है, आज राजस्व विभाग की बात करें तो एक पैमाईश तक ऊपर से लेकर के हजारों की राशि एक-एक पटवारी को देनी पड़ती है, अगर कोई वसीयत का इंतकाल कराने की बात करें तब तो हम अगर उस राशि को 50-60 से एक लाख तक भी पहुंचा दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह आज के हालात हैं।

तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है इसकी जिम्मेदारी को भी और ज्यादा स्पष्टता के साथ में इनको कुछ इस प्रकार की जिम्मेदारी दी जाए, यह अपने मुकदमों के अन्दर कुछ ऐसी प्रभावी कार्यवाही करें जिससे हमारे यहां पर कुछ शांति व्यवस्था बने, कुछ गरीबों का शोषण बंद हो और आम व्यक्ति अपना काम कराना चाहे तो बड़े बेखौफ होकर किसी भी कार्यालय में जाकर के अपने काम को करा सके न कि वो यह देखे कि मेरी जेब में कितना पैसा है और मैं उसको कहां पर भेंट चढ़ाऊं तब मेरा कार्य हो पायेगा।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं दो बात और कहना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक आज क्योंकि हमारा क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विस्तार कर रहा है, राज्य के अन्दर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और विदेशी पर्यटक बहुत ज्यादा हैं लेकिन पर्यटन पुलिस को जितना आधुनिक हमें करना चाहिए वो अभी हम नहीं कर पाये हैं और उसका परिणाम हम जो देख रहे हैं, आये दिन विदेशी पर्यटकों के साथ बदसलूकी की घटनाएं हमारे यहां दर्ज हो रही हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आज हमारे राष्ट्र की हमारी धरोहर को देखने के लिए इस राष्ट्र के अन्दर जो विदेशी पर्यटक आता है तो मान-सम्मान के साथ में बेखौफ होकर के यहां पर अपनी यात्रा को पूर्ण करे और सुकून के साथ में अपनी यात्रा करके यहां से निकले इसके लिए हम प्रभावी रूप से कुछ कदम उठायें, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज शहर बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं, शहरों के अन्दर यातायात का भी बहुत ज्यादा दबाव है। इस यातायात के दबाव को दूर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं अभी परिपूर्ण नहीं है। ओवर लोडेड बसेज चल रही हैं, बसेज के अन्दर कामर्शियल गुड्स लद रहे हैं, चौराहों के ऊपर कांस्टेबल की नजर रहती है तो केवल इस बात पर रहती है कि किसी ने बैल्ट लगायी कि नहीं लगायी, मैं दौड़ करके उसको पकड़ लूं, कोई मोबाइल पर बात कर रहा हो तो में उसको पकड़ लूं और उसके पर्ची काट दूं, कारण कि उनको टारगेट दिये हुए हैं कि आप मिनिमम इतने रुपये के चालान तो करेंगे ही करेंगे। और इन सब के चलते इसके साथ-साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि उन दुर्घटनाओं की जांच अगर दी जाती है तो कांस्टेबल से लेकर के हैड-कांस्टेबल तक स्तर के व्यक्ति को दी जाती है और उनका बौद्धिक स्तर हम समझ सकते हैं क्या है, उनका व्यवहार हम समझ सकते हैं क्या है। वो छोटे-मोटे लालच के चलते मुकदमों के अन्दर एफ.आर. लगाने के लिए भी कहीं हिचकते नहीं हैं और जो व्यक्ति घटना के अन्दर इन्वाल्व होता है, जो वाहन इन्वाल्व होता है उसको रिलीफ देने के लिए यह व्यक्ति कार्य करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस आधुनिकीकरण की बात की जा रही है तो इसके साथ-साथ में यह भी किया जाए कि जो भी जांच के कार्य हैं वो ए.एस.आई. स्तर के अधिकारियों द्वारा ही किया जाएं। आज हैड-कांस्टेबल

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

जांच करेगा तो उस जांच का क्या हस्त्र होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम स्वयं समझ सकते हैं।

मैं स्वंय दो-चार हुआ हूं एक घटना से। यहीं जयपुर शहर की घटना है। उस घटना में एक हैड-कांस्टेबल ने अपनी , यह कह लीजिए इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए कि मैं तो उसको रिलिफ दूंगा ही दूंगा घटना करने वाले ट्रक ड्राइवर को, एक मुकदमे में एफआर लगा दी। उसको लेकर मैंने स्वयं ने पुलिस के आला अधिकारियों को एप्रोच करी तो यहां पर एसपी स्तर की महिला है जिनके व्यवहार का आलम यह था कि वह इस प्रकार की बात करना, मुझे तो यह और महसूस हुआ कि वह क्या कोई पढ़ी लिखी महिला है, यहां पर पदस्थापित है, या कोई बिलकुल ही इनका भौतिक स्तर नीचे गिरा हुआ है वह यहां कार्यरत है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य कनक्लूड कीजिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): इस कारण मैं कहना चाहता हूं कि साल में एक बार कम से कम इनका साइक्लोजिकल टैस्ट करा लें कि इनका भौतिक स्तर उतना है कि नहीं, यह उस पद पर रहने के लायक है कि नहीं मैं यह निवेदन और करना चाहूंगा।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज कारागार की स्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन तो लाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन अकुशल और कुशल श्रमिकों को जो पारिश्रमिक दिया जा रहा है इसमें बढ़ोतरी की जाए। हमारे बीकानेर में पूर्व में जेल में कारपेट बनाने का काम था, वूल के और बहुत काम किये जाते थे इन कामों को भी वापिस नये सिरे से जगाया जाए। दरी बनाने का कार्य भी कराया जाए। खुले बंदी गृहों की संख्या बढ़ाई जाए । पुलिस को अत्याधुनिक साधन उपलब्ध कराये जाएं और चोरियों की जो घटनाएं हो रही हैं, एक ही दिन में लूणकरणसर कस्बे के अंदर लगातार सात दुकानों के ताले टूट गए यह दृष्टिगत करता है इस बात को कि वहां पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था प्रोपर नहीं है। मैं क्योंकि समय कम है, उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसका धन्यवाद करते हुए यही कहना चाहूंगा की आज जमीनों के हस्तान्तरण को लेकर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उसकी गम्भीरता को समझा जाए कि गरीब आदमी अपने गांव में बैठा है और उसकी जमीन फर्जी मुख्तियारनामे के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा हस्तान्तरण कर दी जाती है ऐसे प्रकरणों की गम्भीरता को देखते हुए वह लम्बित न हो एक समय सीमा

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

में उनका निस्तारण हो और व्यक्ति को न्याय मिल सके यह भी इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा और आशा करूंगा कि जिस प्रकार से इल्लिगल माइनिंग के काम हो रहे हैं गत वर्षों में आपने इसके ऊपर त्वरित कार्यवाही करते हुए, माननीय गृह मंत्री महोदय कुछ अधिकारियों को हटाया भी था, इस बात पर पुनः ध्यान दिया जाए क्योंकि यह इल्लिगल माइनिंग के काम से कुछ लोग रातों रात धनपति बन रहे हैं और उस पैसे की बदौलत वह अधिकारियों द्वारा जो कार्य किया जाना चाहिए उसे नजरअंदाज कराने में कामयाब हो रहे हैं। अवैध वनों,पेड़ों की कटाई हो रही है जो कि हमारा प्राकृतिक संतुलन है उसको बिगाड़ रहा है। मैं आशा करता हूं इन सब पर ध्यान देते हुए कुछ कार्यवाही की जाएगी। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर सुरेश चौधरी।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय उपाध्यक्षजी, मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 17 कारागार पर मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री उपाध्यक्ष: पांच मिनिट में समाप्त करने की कोशिश करें माननीय सदस्य।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): जी, पिछले चार साल में जिस तरह से पुलिस विभाग की कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। बदलाव आया है और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी इस डिमांड पर अपनी बातचीत रखते हुए यह माना माननीय गृह मंत्री की संवेदनशीलता, माननीय गृह मंत्री की सदाशयता को, तो निश्चित रूप से यह बात तो कही जा सकती है अगर आंकड़ों के जाल में न फंसे तो भी कि एक इंसानियत को आगे रख जो टारगेट बनाये, जो कार्यशैली रखी और जिस तरह से क्राइम पर कन्ट्रोल हुआ निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। अगर दो-चार वाक्यों को देख लें कानून व्यवस्था के बारे में, जिसमें प्रतिपक्ष के काफी माननीय सदस्यों ने पहले भी इस हाउस में कई बार उत्तेजना का वातावरण पैदा हुआ, चाहे वह घड़साना रावला की बात हो, चाहे सोहेला की बात हो सिर्फ मौके की नजाकत को देखते हुए और राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रतिपक्ष के लोगों ने राजनीतिक हिसाब किताब से राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए, साक्षी हूं मैं घड़साना रावला का। वहां देखा कि पंचायत चुनाव आ रहे हैं और काश्तकारों को सिर्फ एक इस बात पर उलझाकर, इस बात पर

(डा. सुरेश चौधरी)

बहकाकर कि अगर हम सड़कों पर नहीं आयेंगे, अगर हमने आंदोलन नहीं किया और हमने अगर हम ज्यादा से जयादा संख्या में खड़े होकर थाने का, उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड कार्यालय का घेराव नहीं किया तो जो पानी आ रहा है वह बंद हो जाएगा। भोले भाले काश्तकार थे, अनपढ़ काश्तकार थे, बातों में आ गए और उन भोले भाले काश्तकारों के बीच में किस तरह सुनियोजित तरीके से प्लान किया, मैं घड़साना रावला की बात बता रहा हूं माननीय उपाध्यक्षजी आपको। 200-200, 400-400 की संख्या में शराब के नशे में टुन्ने लोगों को मण्डी साइड, मण्डी प्रांगण में कहीं बैठक हो रही है दो को यहां बिठा दिया, दो को वहां बिठा दिया, दो को कहीं बिठा दिया, दो को स्टेज के पास बिठा दिया, इस तरह छितराये हुए बैठाकर प्लान करके जिस तरीके से एक उत्तेजनात्मक नारेबाजी से माहौल उत्तेजना का आया। वहां एक पुलिस आफिसर के जो सुबह-सुबह घर पर बैठा हो, अख़बार पढ़ रहा हो और उसके ऊपर इस तरह प्लान बनाकर कि उसको पीछे से जाकर घेरकर वहीं मार दो, वो तो बाई दवे, उस पुलिस आफिसर को पता चल गया, उस एसएचओ को पता चल गया और वह अपनी जान बचाकर घर से, अकेला था, थाने भाग गया। थाने जाकर पुलिस फोर्स को कहा कि इस तरह से आ रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए, अपना प्रोटेक्शन करने के लिए कौन सामने वाले को नहीं रोकेगा। सोहेला में क्या हुआ, एक बंदा बाहर से आया, अच्छा खासा पैसा कमा लाया। घड़साना रावला का टैस्ट लगा और कहा कि इस बांध का पानी इस बांध में ला दो। वो ही की वो स्थिति वहां भी, नशे में धुत, उन लोगों को प्लांड़, एक सुनियोजित तरीके से प्लांन करके वहां वह किया। इन दो घटनाओं के अलावा घड़ ़साना रावला और सोहेला के अलावा इन सवा चार साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कहीं भी किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति में बिगड़ाव आया हो ता बता दीजिए। आपके शासन काल में..(व्यवधान) आप कह रहे हैं कि 17 बार गोलियां चलीं। जब हथियार लेकर, हथियारों से लैस होकर..(व्यवधान) मेरी बात सुनिये, हथियारों से लैस होकर, शराब के नशे में और कानून व्यवस्था को कायम...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मामले में जो रिपोर्ट आई है, टोंक के मामले में प्रशासन को दोषी माना है। (व्यवधान) बहुत से मामलों में प्रशासन को दोषी माना है (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): भादरा से आने वाले माननीय सदस्य घड़साना रावला, सोहेला का कह रहे हैं (व्यवधान) जब आंदोलन घड़साना, रावला, का चला इन्होंने (व्यवधान) दर्शन भी किये हैं क्या (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): सोहेला मेरा विधान सभा क्षेत्र (व्यवधान) आपको क्या मालूम, कांग्रेसी वहां मौजूद थे सोहेला का उन्होंने करवाया। (व्यवधान) हुडदंग गुण्डागर्दी करवाई।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): सवा चार साल में कोई हुआ क्या ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री हीरालाल (निवाई): सोहेला तो मेरा क्षेत्र...(व्यवधान) आपको क्या मालूम सोहेला तो मेरा क्षेत्र है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): असली तस्वीर पेश हो रही है। वास्तविकता क्या है वह सुनाई जा रही है। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय सदस्य, अपनी शक्ल तो दिखाए घड़साना में जाकर...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): माननीय सदस्य रोजाना जाते हैं, पर हम सबको पता लगा के (व्यवधान) वास्तविकता क्या है यह पता लग रहा है। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय सदस्य, शक्ल दिखाने की बात नहीं है मैं वहां जाकर भी आया हूं। आप लोग भी वहां गये थे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो टोंक की आ गई ना रिपोर्ट (व्यवधान) जांच रिपोर्ट आ गई ना टोंक की कि टोंक में क्या हुआ।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): इसी तरह का वातावरण आप लोगों ने बनाया। मान लो 17 बार गोलियां चलाई मरा कौन कोई कम्युनिस्ट, कोई कांग्रेसी, कोई कांग्रेस का नेता, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता, गया कौन भोला भाला किसान। बगरलाया किसने, आप लोगों ने एक उत्तेजना का माहौल बनाकर। आंदोलन करने के तरीके होते हैं। मैं भी आंदोलनकारी रहा हूं, मैंने आंदोलन किये, खूब आंदोलन किये। छात्र जीवन से आंदोलन करता रहा हूं। आंदोलन का तरीका होता है अहिंसात्मक, आंदोलन का तरीका होता है गांधीवादी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): आप कंधों पर बंदूक ले लें, आप कंधों पर हल ले लें, आप कंधों पर तिरपाडी ले लें और सामने चलता जाये, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की जिम्मेदारी जिनकी है उनकी तरफ चलकर उनके ऊपर डींग मारे वह आपको खड़ा देखते आपकी आरती उतारेंगे, गोली नहीं चलाएगा, क्या करेंगे वह ? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): इनके कारनामें बता रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): बिलकुल इसी तरह से आप लोगों ने एंटी सोशियल एलीमेंट्स को, असामाजिक तत्वों को काश्तकारों के बीच प्लान करके अगर किसी तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की तो माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से चाहे 15 बार गोलियां चलानी पड़ें असामाजिक तत्वों को किसी भी हालत में, इस प्रदेश की शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): उनको भड़का दिया, मरवा दिया किसानों को... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): बार-बार मैं यह चीजें कहकर भूत, भूत देखा है किसी ने।

बच्चों को डराते हैं कि भूत आ जाएगा बेटा, सो जाओ, बार-बार कांग्रेस ने, 1947 से, मैं रहा हूं कांग्रेस में, मैं जानता हूं, मैं तो अन्दर का आदमी हूं। सारी चीजें पता हैं आप लोगों की।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, 1947 से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी नहीं था जिसने देश के लिये कुर्बानी दी हो। (व्यवधान) आप कहां थे। एक भी नहीं थे कुर्बानी देने वाले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजिये। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): आप सुन तो लें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं था, आप कहां थे कुर्बानी देने वालों में। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ये तो आपकी पार्टी के हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में एक नेता भी नहीं था जिसने...(व्यवधान) देश के लिये बलिदान दिया हो, एक भी नहीं था। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): कुर्बानी देने वालों का नाम पता है क्या?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उस समय तो उपाध्यक्ष महोदय, सोनिया गांधी थीं कुर्बानी देने के लिये, और कोई नहीं था। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पंडित जवाहर लाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, इन्दिरा गांधी थीं। आप कहां थे, डाक्टर साहब। (व्यवधान) अता-पता ही नहीं था। (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): पार्टी वही थी। (व्यवधान) उस टाइम वही पार्टी थी, कांग्रेस, जिसमें हमारे लोग काम कर रहे थे, हम काम कर रहे थे। (व्यवधान) आर.एस.एस. वाले कांग्रेस में थे उस टाइम। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): हमने तो ऐसे-ऐसे यहां भेज रखे हैं जो यहां की खबर हमको देते हैं। ये हमारे ही आदमी हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): झगड़ा कांग्रेस ने पैदा किया हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूं और बात आती है पंडित जवाहर लाल नेहरूजी की। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया। (व्यवधान) वह तो इन्दिरा गांधी थी, जिन्होंने पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया। (व्यवधान) आप लोगों का कोई... (व्यवधान) किसी का कोई लेना-देना नहीं है। आप तो उस आजादी के ऐश करो। (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): एक-एक बच्चे ने, हर समाज ने, समाज की आजादी के लिये कुर्बानी दी है। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आजादी की बात कर रहे हैं, आजादी गांधीजी ने दिलाई थी। गांधीजी ने अन्तिम क्षणों में कहा था, हे राम। उस राम को भूल गये। गांधीजी का शब्द है, वह कहीं घूम रहा है और गांधीजी का

(श्री तगाराम चौधरी)

परिवार कहीं घूम रहा है। गांधी के नाम से कमाकर खाने वाले, राज करने वाले, जरा सोचो तो सही, अब हिन्दुस्तान ...(व्यवधान) निकल रहा है।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): नाम पर कमा कर खा रहे हैं। (व्यवधान) और कांग्रेस ने क्या किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): दिन-प्रति-दिन निकल रहा है कांग्रेस से हिन्दुस्तान। (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): +++-(व्यवधान) आप मरे हुओं के नाम से वोट लेते हैं। यह है आप का वोट लेने का तरीका। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): सब आपने किया। अपने कांग्रेस के +++ (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): आप किसी को +++ वोट लेने के लिये, काम के लिये वोट नहीं मांगोगे आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, बीच में नहीं। माननीय सदस्य को कनक्लूड करने दीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य को कनक्लूड करने दीजिये। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं कह रहा था कि भूत देखा नहीं है किसी ने। बच्चों को कहकर कि बेटा सो जा, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा। 1947 से, 1959 से जब से चुनाव होने लगे, कांग्रेस लगातार यह कहती रही, मुसलमानों को, अगर बी.जे.पी. को वोट दे दिया, अगर जनसंघ के हिसाब से चल दिये, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो मुसलमानों को काट कर हिन्द महासागर में फेंक देंगे। लगातार डराते-डराते स्थिति यह कर दी, आज वह सारी चीज, चाहे अनुसूचित जाति का भाई हो, अनुसूचित जन-जाति का भाई हो, चाहे माइनोरिटी का भाई हो, आज सारी चीज समझ गये और यही कारण है कि आप इस तरफ 156 से 56 पर आ गये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): हो सकता है, वापस आना पड़ जाए। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): कभी नहीं, कतई नहीं। (व्यवधान) मैंने देखा है और मैं तो, आज इस शासन काल की कानून-व्यवस्था पर, गृह विभाग

(डा. सुरेश चौधरी)

और पुलिस पर बातचीत चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक जन-आंदोलन चलाया था, भादरा में, 2000 में, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी मेरी हालत देखकर आये थे और उस समय मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था। अशोकजी गहलोत की सरकार थी और मेरे साथ क्या-क्या नहीं हुआ वहां। मेरे को तो मार-मार कर मुसलमान बनाया आप लोगों ने ही, मैं था थोड़े ही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपका हाथ तोड़ा। हाथ तोड़ा, हाथ तोड़ा आपका। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अन्दर की बात पूरी जानते हैं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): मेरे शरीर पर एक इंच जगह, एक इंच जगह ऐसी नहीं छोड़ी, जहां पर... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वापस धर्म-परिवर्तन करने में अब कोई बाधा नहीं आने देंगे। इनको धर्म परिवर्तन करने दो ना। ये ओरिजिनल जगह आना चाहते हैं, और आप लोग कानून के माध्यम से इनको रोकना चाहते हो। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): और मुझे, उस समय एनकाउण्टर करने की कोशिश की गई। मैं उस समय कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता था। कांग्रेस का ब्लाक अध्यक्ष था। (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): सुरेश चौधरीजी को राणा सांगा बना दिया। (व्यवधान) अच्छा है (व्यवधान) अब नटवरसिंहजी आ गये हमारे पास में। यह है आपका कारनामा। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह दो बार, तीन बार, जो कानून-व्यवस्था की स्थिति, बार-बार आप सवा चार साल से उठा रहे हो, वह तो तब हुआ है जब शराब के नशे में और कोई हथियार लेकर कानून-व्यवस्था को मेन्टेन करने वालों को चुनौती देता हुआ, उनके ऊपर हमला कर दे, तब हुआ है। (व्यवधान) हम तो न्याय मांगने गये थे थाने के आगे और वहां गोलियां चला दीं। (व्यवधान) क्या बात कर रहे हो आप, आठ साल हो गये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): टोंक के किसान क्या मांगने गये थे। (व्यवधान) वह क्या सत्ता में बैठने के लिये गये थे क्या। वहां गोलियां चला दीं। और आप तारीफ कर रहे हो। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): उन टोंक के किसानों...(व्यवधान) एक मिनट, उन टोंक के किसानों के बीच में प्लान किये हुए असामाजिक तत्व जो थे, सुनियोजित था वह। आप किसी भी दृष्टि से यह चाहते थे कि यह सरकार बदनाम हो। आज सवा चार साल हो गये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। आप हमेशा भूत दिखाते रहे भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इस सवा चार साल में एक भी कोई साम्प्रदायिक दंगा हुआ हो तो बता दें। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): +++ तो सारे आ गये। +++ तो सारे यहां आकर बैठ गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप कनक्लूड करें। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): यहां दंगा भी आपने किया। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, एक मिनट, थोड़ी बात कहना चाहता हूं। जैसा आप बता रहे हैं कि घड़साना का जो केस हुआ उसके तीन दिन बाद मैं कोटा गया था। मैं वहां पर मीटिंग लेने गया था, महिला एवं बाल विकास की। वहां के सभी युवा कांग्रेस के नेता, मेरी गाड़ी का झण्डा तोड़ करके फेंक दिया और फिर मेरी कार तोड़ दी। इतना बड़ा भाटा मारा, केस दर्ज हुए। यह इस प्रकार की घटना तो उस समय जो कर रहे थे, बहुत ही गलत और अब यह ऐसे बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वर्तमान सरकार के मंत्रियों के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज थे, आप उसकी काउंटिंग तो देखो। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं तो महिला एवं बाल विकास विभाग की मीटिंग के लिये गया था और बीच में मीटिंग करके वहां धरना दे रहे थे, पूरी गाड़ी पर पथराव कर दिया, आक्रमण कर दिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय मंत्रीजी, एक चीज और बता दो कि वह लालसोट में किरोड़ीलालजी मीणा और वीरेन्द्र मीणा, दोनों लड़े, उनमें कौन कांग्रेसी था और कौन बी.जे.पी. था। वह दोनों क्यों लड़े, वह भी बता दो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कोई नहीं लड़ा, कोई नहीं लड़ा। (व्यवधान) वह तो आपके दफ्तर में हमला हुआ, वह देखो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप अपनी झेंप को मिटा रहे हो। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): यह तो माहिर आजादजी, वीरेन्द्र मीणाजी और उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया। इसमें भी कांग्रेस वालों की चाल थी। आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ उनमें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा, अच्छा, उनमें कांग्रेस कर रही है। (व्यवधान) नहीं तो, कांग्रेस उसमें भर रही है, उसे ही भूत कहते हैं। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): उनमें कोई झगड़ा नहीं हुआ। (व्यवधान) लड़ाई-झगड़ा नहीं हुआ। कोई झगड़ा नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): भारतीय जनता पार्टी मीणाओं को लड़ाने का, नुकसान पहुंचाने का काम करती है। तिवाड़ी साहब, आप सम्भलो, मीणा तो आपके समर्थक हैं। आप उनका ध्यान रखो। (व्यवधान) बाकी यह मंत्री तो...

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): मीणा समर्थक हैं और समर्थक रहेंगे। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): पार्टी के जिला प्रमुख को थप्पड़ किसने मारा। (व्यवधान) थप्पड़ नहीं मारा था क्या। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय उपाध्यक्षजी, सिर्फ आलोचना करने के नाम पर कोई आलोचना की जाए उस हिसाब से पुलिस की आलोचना करते रहें, ठीक है, कोई दो-चार आदमी अपने स्वार्थवश या किसी वजह से गलत लाइन पर चलने वाले निकल जाएं तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो 96 प्रतिशत हैं, वह भी खराब हैं। आज भी राजस्थान पुलिस के आदमी वही हैं और राजस्थान पुलिस के अधिकारी वही रहे हैं जिनकी वजह से राजस्थान का थाना विश्व में एक नम्बर पर आता है। सुनील पूनिया, वह भी राजस्थान पुलिस का ही अधिकारी है। वहां जो कांस्टेबल, हैड-कांस्टेबल, एस.आई., ए.एस.आई. थे, वह भी राजस्थान पुलिस के थे। और जिन लोगों ने, अभी मिहिर अपहरण कांड हुआ, सफलता पूर्वक, बड़ी मुस्तैदी से उसको अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकाल लिया, वह भी राजस्थान पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी थे। लेकिन सिर्फ एक पहलू देखकर, नकारात्मक पहलू, जो

(डा. सुरेश चौधरी)

मात्र 4-5 प्रतिशत का है, उसको देखकर 95-96 प्रतिशत का जो पक्ष है उसके ऊपर भी अंगुली उठाना, यह कतई उचित नहीं है। लेकिन मैं पुलिस विभाग की मांग पर इतना जरुर कहना चाहूंगा कि आज के वक्त जब इन्फोर्मेशन टेक्नालाजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई, साइबर क्राइम आ गये, क्राइम के नये-नये तरीके आ गये, क्रिमिनल्स ने नये-नये हथियार और नये-नये तरीके अपना लिये, उसकी तुलना में अगर देखें तो राजस्थान पुलिस के पास जो सुविधाएं हैं, जो संसाधन हैं, वह पर्याप्त नहीं हैं। आज अपराधियों के पास, मैं चूंकि उस जिले से और उस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जिसकी आधे से ज्यादा सीमा हरियाणा और पंजाब प्रान्त से लगती है। अपराधी ने अपराध किया, हरियाणा में निकल गया। मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है उसके उपखण्ड मुख्यालय से। अपराधियों के पास में है स्कार्पियो, नई-नई गाड़ियां, जो 120 और 140 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से चलती हैं और हमारे पास हैं डी.आई.जी. जीपें, मेजर जीपें, जो 70 और 80 से ऊपर नहीं चल पाती हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि राजस्थान की पुलिस को, राजस्थान के थानों को और खास तौर से जो अन्तरराज्यीय या अन्तरराष्ट्रीय सीमा से लगते हुए थाने हैं, वहां पर एक रेगुलर गार्ड की जगह बार्डर पेट्रोलिंग के लिये एक दूसरी अच्छी कण्डीशन की गाड़ी और अच्छे हथियारों से लैस स्टाफ वहां भेजा जाए। थानों में नफरी बढ़ाई जाए और जो वर्क लोड, जितना ज्यादा आज पुलिसकर्मी पर है, उस वर्क लोड को कम करने के उपाय करने के लिये नई और, और ज्यादा भर्तियां की जाएं। दूसरा, इसमें मेरा एक और कहना है कि होम-गार्ड, जो गृह रक्षा दल है, राजस्थान में करीब 35-40 हजार से ऊपर गृह रक्षा दल का ट्रेंड हमारे पास स्टाफ है। तो बिजली का महकमा है, सिंचाई का महकमा है, वन विभाग का महकमा है, उसमें उन ट्रेंड स्टाफ को स्थाई किया जा सकता है जो इतनी बड़ी संख्या में है और इतने सालों से इस तरह की ड्यूटी दे रहे हैं कि रेगुलर उनकी ड्यूटी लगती है, साल में 100 दिन और उसमें भी अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसके लिए किसी भी तरह के मुआवजे का प्रावधान नहीं है। हमारे हनुमानगढ़ में एक होमगार्ड का जवान था। ड्यूटी करते-करते उसकी स्थिति यह हो गयी कि दोनों पांव टूट गये और उसको कुछ नहीं मिला तो मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह से यातायात में 750 होमगार्ड के नौजवानों को

(डा. सुरेश चौधरी)

माननीय गृह मंत्रीजी, आपने पिछली साल मेहरबानी की और उनका भत्ता भी बढ़ा है, 75 से 110, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से अनुरोध है कि उसमें उनको स्थाई करने की तरफ क्योंकि कई राज्यों में उधर पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उधर होमगार्ड को स्थाई कर रखा है तो राजस्थान में भी क्यों नहीं इनको, होमगार्ड को स्थाई करके और इनके ऊपर आप आज जब अपना वक्तव्य दें तो मैं उम्मीद करूंगा कि उसमें कुछ करें। कारागार पर। एक है जो बुजुर्गों पर है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। सुरेशजी, धन्यवाद। श्री जगसीराम कोली। माननीय सदस्य।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): कारा-गृह पर आज स्थिति यह है, कई कैदियों से, जेल में जाने का काफी बार, कैदियों की स्थिति देखने का मौका मिलता है। कई कैदी इस तरह के हैं जो आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे हैं लेकिन उनकी उम्र 75 और 80 साल से ऊपर है और उनका इतना अब इस तरह का कतई नहीं है कि उनको अगर छोड़ दिया जाए, उनको असहाय की श्रेणी में लेकर उनको घर भेज दिया जाए तो वह कानून व्यवस्था के लिए गलत स्थिति पैदा करेंगे। मेरी कांस्टीट्यूएंसी का एक चंदूराम आजीवन कारावास भुगत रहा है। 85 साल से 90 साल के बीच में उसकी उम्र है और उस जेल में भी, हनुमानगढ़ जेल में भी उसको दो जनें उठाकर लघु शंका के लिए ले जाते हैं और वापस लेकर आते हैं। गोद में उसको लेकर नहलाते हैं तो इस तरह के कैदी जो असहाय हैं और उम्रदराज हैं, उनके ऊपर मतलब, समय से पहले उनकी रिहाई के लिए नियमों में शिथिलता प्रदान की जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगसीराम कोली।

श्री जगसीराम कोली (रेवदर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आज गृह विभाग की मांग संख्या-16 और 17, मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की मुख्य मंत्री और माननीय गृह मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि राजस्थान में पुलिस विभाग में व्यवस्था की है, ताजी-ताजी जो सिरोही जिले के हमारे माननीय सदस्य जो, और अन्य माननीय सदस्यों ने सुबह जो बताया, वह रेवदर विधान सभा क्षेत्र का ही जो मैटर था, गमनी प्रकरण, उसमें कई

(श्री जगसीराम कोली)

प्रकार के ऐसे जो बिन्दु उठे कि गमनी का अपहरण हुआ, यह बलि है, वह है, कई प्रकार के ऐसे प्रकरण लेकिन गमनी को जो 12 बजे वहां से महिला लेकर गयी, उसके ठीक एक घंटे के बाद में मुझे भी जानकारी मिली और प्रशासन को मिली। मैंने तुरन्त बाद गृह विभाग को और सिरोही जिले के एस.पी. साहब के नोटिस में यह बात दी। पूरे जिले का प्रशासन, पूरे जिले भर में टीम के साथ में, उसी दिन गृह मंत्रीजी ने जयपुर की जो एस.ओ.जी. की टीम है, उसी दिन शाम को वहां से रवाना की। दूसरे दिन वहां पर पहुंची और शाम को दूसरी जो बच्ची वहां पर मिली। गमनी जो सही-सलामत में मिली, उसमें पूरा-पूरा पुलिस का और वहां की जनता को श्रेय जाता है और मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो गमनी को उनके परिजनों को सही सलामत में सुपुर्द की।

मैं विशेष तौर से आज गृह विभाग के बारे में कुछ मेरी ओर से कहना चाहूंगा कि सम्भाग वाइज, गृह विभाग द्वारा एक अधिकारी और जन-प्रतिनिधियों के द्वारा जो सामूहिक तौर पर बैठकें जो आयोजित की और थानों के अन्दर सी.एल.जी. की बैठकों के माध्यम से जो जिस तरह से यह आम जन तक बात पहुंचायी, इनसे आम पब्लिक में अच्छा संदेश गया। मैं विशेष तौर से मेरे क्षेत्र की बात करना चाहूंगा कि जो रेवदर विधान सभा क्षेत्र है, गुजरात सीमा से दोनों तरफ से लगता हुआ है, मण्डार और मावर। वहां पर कई बार यहां से गौ-तस्करी होती है, मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर इनसे भी अच्छी पुलिस की व्यवस्था की जाए ताकि गौ-तस्करी पर रोक लगी रहे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले के अन्दर चोरियां जो हुई, लम्बे चार-पांच वर्षो से जो प्रकरण नहीं खुल रहे थे, इस सरकार के आने के बाद में पूरे सिरोही जिले की जितनी भी बड़े-बड़े मंदिरों की जो चोरियां हुई थीं, सारी चोरियां खुली और इसके बाद में यह भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि सिरोही जिले के अन्दर डाग-स्क्वाड जो लगाया, उन्होंने ऐसे प्रकरण खोले, गुलाब गंज और इसके आस-पास एक पैट्रोल पम्प पास में था वहां पर दो आपसी गुटों के अन्दर रिवाल्वर से जो फायरिंग हुई थी, उस समय में आबू की झाड़ियों में जाकर वह अपने हथियार डालकर चला गया तो उस समय में डाग-स्क्वाड द्वारा उन्होंने वहां से वह हथियार को बरामद किया और अपराधी को तुरन्त उसके माध्यम से पकड़ा गया।

(श्री जगसीराम कोली)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ यहां क्षेत्र की मांगें रखना चाहूंगा कि जो भटना चौकी खोली है, मैं इस अवसर पर तो इसके लिए माननीय गृह मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वहां पर बहुत अति-आवश्यक थी यह चौकी। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर शिलान्यास हुआ है, भवन के लिए राशि जल्दी उपलब्ध करायें ताकि वहां पर पुलिसकर्मियों के रहने में सुविधा रहे। साथ ही आबू पर्वत है और नीचे आबू रोड जो आया हुआ है। आबू रोड और आबू पर्वत वहां पर सी.ओ. कार्यालय ऊपर है और आबू रोड पंचायत समिति और नगरपालिका सारा जो एरिया है वह नीचे है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सी.ओ. कार्यालय आबू रोड में नीचे खोला जाए। यहां पर एडिशनल एस.पी. कार्यालय आबू रोड में खोला जाए ताकि नीचे की सारी जनता जो है उनको आबू पर्वत जाने से वंचित रहे और नीचे उनको सीधा-सीधा जल्दी से फायदा मिले। मैं इस अवसर पर ज्यादा नहीं कह कर पुलिस विभाग ने जो भी सारे कदम, जो आयाम उठाये हैं, माननीय गृह मंत्रीजी ने आम जन तक जो गरीब और अमीर के लिए, सीधा-सीधा, पुलिस थानों के अन्दर जो जाते हैं, उनकी अच्छी तरह से सुनते हैं और कार्यवाही होती है और कार्यवाही के साथ-साथ में उनको दंडित भी किया जाता है। जो अपराधी है जो भी गलती करता है उनके लिए तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही की जाती है।

मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्रीजी का और पुलिस विभाग का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इसी तरह व्यवस्था बनी रहे। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री खुशवीर सिंह जोजावर।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया। मांग संख्या 16 और 17 पर आज सवेरे से ही सार्थक बहस हो रही है पुलिस और कारागार पर। मैं मात्र मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में ही निवेदन करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी पुलिस के बारे में पक्ष और विपक्ष में चर्चा की जाए कम है। हम प्रतिपक्ष में हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम पुलिस की कमियों को ही उजागर करें और पुलिस ने जो सराहनीय कार्य किये हैं उनको हम नजरअन्दाज कर दें। यह कभी सम्भव नहीं हो सकता।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

उपाध्यक्ष महोदय, यह जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के मूल में अगर हम जाएं तो वहां आकर हमें सोचना होगा उस बिन्दु पर और वह है पुलिस का खुफिया विभाग। उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी घटनाएं चाहे साम्प्रदायिक हो, राजनैतिक हो और चाहे आन्दोलन की हो, इन सभी घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं खुफिया विभाग की कमजोरी रही है। अभी बात चल रही थी रावला-घड़साना की चर्चा, सोहेला की चर्चा, गुर्जर आन्दोलन की चर्चा, मैं किसी सरकार को या प्रतिपक्ष में होने के नाते आरोप-प्रत्यारोप करूं, यह कतई उचित नहीं है। लेकिन हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा कि यह सब घटनाएं क्यों हुई? मैं यह नहीं कहता कि देश की आजादी से पूर्व जब देश की आजादी के लिए कांग्रेस के लोगों ने आन्दोलन किये और अंग्रेजी हुकूमत ने उस आन्दोलन को कुचलने के लिए हमारे लाखों कांग्रेसी भाइयों को गोली से उड़ा दिया। जब देश आजाद हुआ तब हमने एक सपना सोचा था कि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार जो हमारी रक्षा करेगी, हमारी मांगों को पूरा करेगी, अगर मांगें नहीं होती हैं तो आन्दोलन निश्चित रूप से स्वाभाविक है होना और जब अंग्रेजी हुकूमत ने आजादी के बदले गोली दी और आज हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार ने हमें पानी के बदले गोली दी, इससे ज्यादा और दुर्भाग्य नहीं हो सकता। निश्चित रूप से कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं ने कुर्बानियां दी हैं। आज उसी कुर्बानी की बदौलत आप और हम इस सदन के अंदर हैं अन्यथा यह सदन नहीं होता, आप और हम कहीं और होते। (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): जे.सी. साहब कौन थे, जय प्रकाश नारायण कौन थे? हम नहीं थे क्या आजादी में साथ-साथ? (व्यवधान) आपने जयप्रकाशजी को जेल में डाला है। जनता पार्टी जयप्रकाशजी की देन है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): शहीद भगत सिंह कांग्रेसी थे क्या? (व्यवधान) सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेसी थे क्या? (व्यवधान) उन शहीदों में कोई था क्या कांग्रेसी? (व्यवधान) कांग्रेस ने देश आजाद कराया। सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेसी थे? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय बहस का मुद्दा नहीं है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): चन्द्रशेखर आजाद कांग्रेसी थे (व्यवधान) और जिन्होंने बाद में राज किया, वह कांग्रेसी थे क्या? (व्यवधान)

(श्री धर्मपाल चौधरी)

उन्होंने आजादी में कहीं हिस्सा लिया? (व्यवधान) आजादी की बात कर रहे हैं, देश आजाद कराया है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है स्वतन्त्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही किसने दी और वह कौन व्यक्ति ऐसे थे (व्यवधान) इसलिए आप शांत रहिये, देश आजाद हुआ है। (व्यवधान) तिरंगे के साथ देश आजाद हुआ है, स्वीकार कर लीजिये। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): सन् 1952 से राज करने लगे हैं और भ्रष्टाचार में देश को डुबोकर रख दिया। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): वह आग वाले कौन थे ...(व्यवधान) वह आग में ..(व्यवधान) उपाध्यक्षजी, बराक सौदे में गिरफ्तारियां हुई हैं दिल्ली में... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): 120 दंगे करवाये पिछले पांच साल के कार्यकाल में कांग्रेसियों ने (व्यवधान) रिकार्ड उठाकर देख लो, हिन्दू-मुस्लिम के झगड़े कराकर। अपने वोट के लिए समाज को बांटने का सबसे बड़ा काम किया है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): (व्यवधान) के खिलाफ गवाही दी है बी.जे.पी. वालों ने । (व्यवधान)

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): उस समय आजादी का आन्दोलन चलाने में पूरे राष्ट्र के लोगों का साथ था और (व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़): आपको याद नहीं है जीव-जंतुओं की सी बात कर रहे हैं, आपको याद है किसने फांसी खाई और कौन गया? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इनको तो जीव-जंतुओं की बात याद है सांप मर गया कि कौन मर गया। इनको क्या पता? (व्यवधान)

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): और उस संघर्ष में कम्पनी का नाम कांग्रेस था। गांधीजी ने बाद में मना किया कि अब देश आजाद हो गया है और कांग्रेस के संगठन को खतम कर दो, लेकिन आपके पूर्व नेताओं ने उसका लाभ उठाने के लिए इसको कायम रखा, यह बात है असली। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): धन्यवाद, आपके सुझावों के लिए। (व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़): ऐसा है माननीय सदस्य, आपको जीव-जंतुओं की बात याद थी। आप कहां फंस गये पुरानी कांग्रेस में? आपको पता नहीं भगत सिंह कौनसी कांग्रेस में थे? सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेस में थे (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपसे कौन कह रहा है, आप तो कांग्रेसी हो आज भी। आप तो आप भी मन से कांग्रेसी हो सुंदरलाल जी। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अपने दिल पर हाथ रखकर कह दें कि आप कांग्रेसी नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): कांग्रेस में रहे हुए हैं इसलिए कांग्रेस की बात को जानते हैं। कांग्रेस तो, आज तक किसी आन्दोलन में कांग्रेसियों ने भाग नहीं लिया। आपने तो राज का मजा लिया हुआ है। राज का मजा लेने वाला वह भिड़ाकर काम कर सकता है। (व्यवधान) आपने तो हिन्दू-मुस्लिम को लड़ाकर और एस.सी., एस.टी. को, कि हमने देश को आजाद करके यह दिया। आपने इन बातों को खाया। अब जनता समझ गयी कि आज.. (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 67 वर्षों तक कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी। (व्यवधान) आपका कहीं अता पता नहीं था। (व्यवधान) 67 वर्षों तक आजादी की लड़ाई लड़ी, क्या कांग्रेस ने आन्दोलन नहीं किया? (व्यवधान) इस देश के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेसी थे क्या? शहीद भगत सिंह कांग्रेसी थे? चन्द्रशेखर आजाद कांग्रेसी थे? (व्यवधान) शहीद भगत सिंह थे क्या? (व्यवधान) माल खाना आजादी का (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप कहां थे उस वक्त? अता-पता नहीं था आपका। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): कांग्रेसियों ने माल खाया आजादी का। (व्यवधान) सरदार पटेल को इस देश का प्रधान मंत्री होना चाहिये था। (व्यवधान) सरदार पटेल को प्रधान मंत्री होना चाहिये था। उनको छोड़कर बना दिया (व्यवधान) चाटुकार जो आज ...(व्यवधान)..

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप क्या बात करते हैं..(व्यवधान) आजादी के लिए कुर्बानियां दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बहुत से सदस्य बोलने बाकी हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): कांग्रेसियों ने विदेशी महिला को (व्यवधान) आपने तो राज किया...(व्यवधान) संघर्ष करना तो जानते ही नहीं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक आन्दोलन नहीं किया आपने। . (व्यवधान) 67 वर्ष तक आजादी की लड़ाई लड़ी। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): सवा चार साल में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सके। (व्यवधान) एक आन्दोलन हुआ इन सवा चार साल में।...(व्यवधान).. इन सवा चार साल में एक बार भी जनता में नहीं गये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक फ्रीडम फाइटर बता दो अपने यहां। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): उस समय भारत कोई आजाद नहीं था। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक आजादी का सेनानी आपकी पार्टी में नहीं और आप आन्दोलन की बात करते हो। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय कल्लाजी, उस समय विभिन्न पार्टियों में बंटकर हिन्दुस्तान से नहीं निकाला जा सकता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत आजाद नहीं था। अंग्रेजों को बंटकर हिन्दुस्तान से नहीं निकाला जा सकता था, इसलिए कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी वहां। यह भी नहीं कहा जा सकता कि आजादी के लिए जिन दीवानों ने अपनी जान दी, वह सब कांग्रेसी थे। (व्यवधान) चन्द्रशेखर आजाद कांग्रेसी नहीं थे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप कांग्रेस की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): सुभाष चन्द्र बोस के जबरदस्त मतभेद थे गांधीजी से। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप तो हमेशा विदेशियों के इशारे पर चले हो। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? (व्यवधान) कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आप हमेशा विदेशियों के इशारे पर चले हो। अभी कांग्रेस की अध्यक्षा कौन है? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): राजीव गांधीजी की पत्नी। .. (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अब कांग्रेस अध्यक्षा कौन हैं? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): राजीव गांधीजी की पत्नी और इस देश की बहू। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप तो नाचते रहो, नाचते रहो। (व्यवधान) अभी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बाबा अम्बेडकर कांग्रेसी थे क्या? (व्यवधान) बाबा अम्बेडकर साहब कांग्रेसी थे क्या? (व्यवधान) बाबा अम्बेडकर...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आप सीधा नाम नहीं बोल सकते सोनियाजी का, शर्म आ रही है क्या? (व्यवधान) आपको पूछा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? आपने कहा राजीव गांधीजी की पत्नी। आपको सोनियाजी का नाम लेने में शर्म आती है क्या? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इन्होंने विदेशी कहा था (व्यवधान) वह देश की बहू हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): राजीवजी का नाम नहीं पूछा है। आपको श्रीमती सोनिया गांधी कहते हुए शर्म आती है क्या? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं कह रहा हूं सोनिया गांधीजी अध्यक्ष हैं हमारी। ...(व्यवधान) सोनिया गांधीजी अध्यक्ष हैं और वह देश की नागरिक हैं। (व्यवधान) इस देश की नागरिक हैं।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इनके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी विदेशी और संस्थापक भी विदेशी। आप तो विदेशियों की कठपुतली बने हुए हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (इशारे से मना किया)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री हीरालाल (बामनवास):×××

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम):×××

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री हीरालाल (निवाई):×××

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, बैठिये, माननीय सदस्य बैठिये।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री):×××

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि समय जो है वह करीब साढ़े सात बज चुके हैं आठ बजे गृह मंत्रीजी जवाब देंगे ...(व्यवधान) माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप बीच में टोका-टाकी नहीं करें और माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि इनके बीच में नहीं बोल कर के समय के अनुसार समाप्त करने दीजिए। आठ बजे मंत्रीजी जवाब देंगे इस बीच में समय जाया मत कीजिए।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप इनको बोलने दीजिए माननीय सदस्य।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप, कोई अंकित नहीं होगा।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप छोड़िये इस बात को, कोई अंकित नहीं होगा। माननीय खुशवीर सिंहजी।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में नहीं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: किस विवाद में पड़ गये आप बिना मतलब। खुशवीर सिंहजी।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए आप, यह बहस का विषय नहीं है माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में काहे के कमेंट करते हो? कहने दीजिए।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य को कनक्लूड करने दीजिए। माननीय सदस्य, नहीं बीच में नहीं, अंकित नहीं होगा आपका।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा आपका, फिर दो सौ आदमी और बोलेंगे।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, आपका कुछ अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य आप कनक्लूड कीजिए। माननीय सदस्य, निवेदन है बीच में टोका-टाकी नहीं करें, समय बहुत कम है और आप लोगों को ही बोलने का कम मौका मिलेगा अगर आप इस तरह से करेंगे तो।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो आप सभी ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी लेकिन मैं आपके किसी के बीच में खड़ा होकर नहीं बोला। उपाध्यक्ष महोदय, जिस आजादी से हमने एक सपना संजोया था और उस आजादी की जंग में न जाने कितने हमारे कांग्रेसी भाई बहनों ने कुर्बानी दी है। जलियावाला बाग़ ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कहने दीजिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, उस अंग्रेजी हुकूमत ने हमें आजादी के बदले ...

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय मंत्री महोदय, आप जब भी बोले हैं हम कभी बीच में खड़े नहीं हुए हैं। आपका बहुत सम्मान करते हैं हम ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नो कमेंट्स बीच में माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के लिए गोली मिली हमें और हमारे द्वारा चुनी हुई हमारी सरकार जिसके लिए हमने एक बहुत ख्वाब देखा था कि देश आजाद होगा और हम भी आजादी से हमारी मांग रखेंगे लेकिन दुर्भाग्य है कि अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर जिस सरकार ने पानी के बदले गोली दी, हमने तो कहीं इतिहास में नहीं पढ़ा है कि अंग्रेजी हुकूमत ने पानी के बदले लोगों को मारा था। उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की गहराई में और मूल में जाना होगा कि ऐसी समस्याएं क्यों पैदा होती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, जब मैं छोटा था उस वक्त हमारे यहां गांव में एक बार चोरी हो गयी थी, गृह मंत्री महोदय आप इस पर गौर फरमाएं। उपाध्यक्ष महोदय, ज्योंहि चोरी हुई मुझे याद है अच्छी तरह से पुलिस विभाग ने उस वक्त के पुराने जो रियासतकाल की चौकीदारी प्रथा थी तो खुफिया विभाग था एक तरह से, उन लोगों को बुलाया पुलिस ने और मौका ए वारदात देखने के बाद जो बुजुर्ग दो व्यक्ति थे उन्होंने तुरंत पुलिस को इस बात से अवगत करा दिया कि यह फलां व्यक्ति फलां दिशा से आए हैं और फलां एरिया के व्यक्ति हैं और इस तरह की वारदात जो होती है वह ऐसे लोग करते हैं और तुरंत पुलिस वहां पहुंची और उनको पकड़ लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा खुफिया विभाग, रावला, घड़साना का एक रात में आंदोलन नहीं हुआ है, समस्या एक रात में पैदा नहीं हुई, सोहेला की समस्या एक रात में पैदा नहीं हुई है, गुर्जर आंदोलन प्रारम्भ ही नहीं हुआ और उससे पहले गोली चल गयी, सवेरे साढ़े सात बजे गोली चल गयी। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा कि हमारा खुफिया विभाग क्या कर रहा है, सारी जिम्मेदारी इस खुफिया विभाग पर है, खुफिया विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है और उसी की बदौलत आज यह जितने भी गोली कांड हुए हैं। मैं पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को ही कहना चाहता हूं उसमें कहीं न कहीं गलती इस खुफिया विभाग की रही है। आज गंगानगर के अन्दर इस तरह से एल एम जी के लाइसेस मिल गये, स्टेनगन के, मशीनगन के लाइसेस मिल गये, थर्टी कार्बाइन के लाइसैंस मिल गये और यह खुफिया विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और उसका दण्ड पूरे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज कांड तो हुआ गंगानगर के अन्दर, उन्होंने स्टेनगन के लाइसेस दे दिये, उन्होंने थर्टी कार्बाइन के लाइसेस दे दिये जो सेमी आटोमेटिक और आटोमेटिक मशीनगन हैं, उनके उन्होंने लाइसेंस दे दिये। उन अधिकारियों के विरुद्ध तो हमारी सरकार ...

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): कोई लाइसेंस नहीं दिये हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): थर्टी कार्बाइन के लाइसेंस मिले हैं माननीय गृह राज्य मंत्रीजी और थर्टी कार्बाइन सेमी आटोमेटिक राइफल है। मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है इस बारे में इसलिए मैं आपको कहता हूं थर्टी कार्बाइन के लाइसेंस उपलब्ध करवाये, सेमी आटोमेटिक राइफल के लाइसेंस उपलब्ध करवाये।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थर्टी कार्बन का गंगानगर जिले में किसी भी व्यक्ति के पास न ही कोई बाहर से लाइसेंस बनाकर ...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): थर्टी कार्बन के नहीं, कार्बाइन के, मैं कार्बाइन की बात कर रहा हूं कार्बन की बात नहीं कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सेमी आटोमेटिक राइफल्स के लाइसेंस गंगानगर जिले के अन्दर उपलब्ध करवाये गये गलत तरीके से। उन अधिकारियों के विरुद्ध तो कुछ कार्यवाही नहीं हुई और उसका हर्जाना पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ा आज जितने भी अपराध होते हैं वह अपराध अनलाइसेंसधारी लोगों के द्वारा होते हैं । लाइसेंसधारियों द्वारा एक भी अपराध नहीं है। मैंने एक प्रश्न किया था पिछले वर्ष माननीय गृह मंत्रीजी ने हमें लिखित में उत्तर दिया है कि लाइसेंस होल्डरों से मात्र दो अपराध हुए हैं और वह भी हत्याओं के नहीं और जितने भी दूसरे अन्य अपराध हुए हैं वह अपराध अनलाइसेंसधारी लोगों से हुए हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं थे। वह तो कट्टा कहीं से खरीद करके घटना करके कट्टा फेंक कर चले जाते हैं और तो और गृह मंत्रीजी जयपुर के अन्दर तोपों का निर्माण हो रहा है इससे ज्यादा और तो क्या हो सकता है।

इसलिए माननीय गृह मंत्री महोदय, आप जैसे व्यक्तित्व से व्यक्ति से नहीं व्यक्तित्व से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं के लिए जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे कोई भी किसी भी स्तर का कोई कार्मिक क्यों नहीं है, आप उनके विरुद्ध ....

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्षजी, गम्भीरता कायम करवाओ। कहां-कहां बैठे हैं और क्या गपशप मार रहे हैं, गम्भीरता तो कायम करवाओ कम से कम। यह मंत्री लोग अपनी जगह छोड़कर गपशप मार रहे हैं। यह इनका क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष: सब बात नोट हो रही है आपकी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): यह मंत्रियों के समझ से परे की बात है गृह मंत्रीजी सुन रहे हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है। इनको बैठाओ अपनी-अपनी जगह बैठाओ।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आपको क्या तकलीफ हो रही है?

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मैं आपको ख में ही देखना चाहता हूं और मुझे आपको ख में बैठाना है, आप गलत जगह जाकर बैठते हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): ऐसा है आपकी सीरियसनैस इसी से नजर आ रही है आपके पन्द्रह मैम्बर नहीं हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इनके इधर प्रतिपक्ष में जो लोग बैठे हैं ये वो ही हैं जो अभी तक बोले नहीं हैं। इनमें जो जो बोलता जाएगा वह पीछे के दरवाजे से निकलता जाएगा। यह तो इनका यहां पर डिसिप्लीन है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ऐसा है कि ग्यारह मैम्बर बैठे हैं विपक्ष के।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जल्दी से इसलिए कि इनका नम्बर आए।

श्री उपाध्यक्ष: खुशवीर सिंहजी कनक्लूड कीजिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, शुरु भी नहीं किया और आप कनक्लूड का कह रहे हैं। प्लीज कृपा करके मुझे दस मिनट का समय तो दें । बीच में सभी माननीय सदस्य बोल रहे हैं मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया।

श्री उपाध्यक्ष: आपने मुद्दे की बात तो कह दी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा बोलने वालों में नाम नहीं है फिर भी मैं बैठा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने मुद्दे की बात तो कह दी ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): यह देखो आप मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप देखते हैं जल्दी बोलें तो रवाना होंवे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा तो है ही नहीं, नम्बर ही नहीं है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप सब इसी ताक में बैठे हो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, नहीं मेरा नम्बर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आपने कह दी मुद्दे की बात तो।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि गंगानगर जिले का ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में कोई खड़े हो जाते हैं ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले की जो घटना हुई है उसके लिये आपने लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए इतनी जटिलताएं पैदा कर दी हैं उससे आम लाइसेंस होल्डर परेशान हैं। बदमाश और जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं उनके तो कोई समस्या नहीं है लेकिन जो एक अच्छा इंसान लाइसेंस लेकर अपनी आत्मरक्षा के लिये शस्त्र रखना चाहता है उनके लिये बहुत ही ज्यादा समस्याएं हो गयी हैं। मैं माननीय गृह मंत्रीजी, उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा आपसे कि आप इस जटिल समस्या का समाधान करें। आप गंगानगर का दण्ड पूरे प्रदेश को न दें। दण्ड आपको देना ही है तो उन अधिकारियों के विरुद्ध, उनके विरुद्ध दण्ड करें जिन्होंने इस तरह की घटनाएं की हैं। उनको पारितोषिक किया गया न कि उनको दंडित किया गया इसलिये मेरा आपके माध्यम से जो मज़ल लोडर के लाइसेंस है वह पहले तहसील में रिन्यु होते थे, नवीनीकरण। अब उन मज़ल लोडर को जाना पड़ता है जिला हैड क्वार्टर पर और अब नया एक आदेश निकाला है कि एस डी एम हैड क्वार्टर पर जाकर करें तो उसके लिये भी मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पहले की भांति आप तहसील स्तर पर ही इसको रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अन्यथा और परेशानी रहेगी और इस तरह की घटनाओं से हमें सही रास्ते पर चलने वाले लोगों को समस्याएं पैदा होंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो एक विंग और है पुलिस का वह है एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट। इसके बारे में भी सार्थक चर्चा होनी चाहिये हाउस में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट जो है 836 अभियोजन विचाराधीन हैं और इन्होंने यह लिखा है वर्ष 2007 के प्रारम्भ में। इन्होंने यह नहीं लिखा पिछले कितने वर्षों से, उसका कोई आंकड़ा नहीं दिया है। सरकार के पास विचाराधीन क्यों है, क्यों लम्बित है सरकार के पास में ?

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट में जितने भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों की सम्पत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत होना चाहिये। उनकी सम्पत्ति की जांच होनी चाहिये। आज स्थिति यह है कि यह अपना टार्गेट एचीव करने के लिये प्रायोजित करके 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये के रंगे हाथ केस पकड़वाते हैं और वह भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसके ? चपरासी, एल डी सी, पटवारी और निम्न स्तर के कार्मिकों के। इन्होंने कभी बड़े हाथी पर हाथ नहीं डाला। जुर्रत भी नहीं कर सकते। जिनके दस-दस करोड़ की कोठियां हैं ऐसे बड़े नौकरशाहों पर वह सोच भी नहीं सकते हैं कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करें। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा गृह मंत्रीजी से कि आप इस एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट को सशक्त करें और उनमें जितने भी अधिकारी हैं नामी हों, बेनामी हों, सम्पत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत होना चाहिये विभाग में आने से पहले। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से चौथ वसूली करते हैं। जिस विभाग से वह आते हैं उस विभाग से भी वह नहीं चूकते चौथ वसूली में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है। आज बार्डर पर लाखों बीघा जमीन बिक गयी। कहां गयी? हमारा खुफिया विभाग क्या कर रहा था ? हम तो यह सोच रहे थे कि हमारा राजस्व बढ़ रहा है रजिस्ट्री के माध्यम से। जिस देश की आजादी के लिये पता नहीं कितने लोगों ने कुर्बानियां दी और उस आजादी को भी ताक में रख दिया। एक राजस्व बढ़ाने के चक्कर में लाखों बीघा बार्डर की जमीन बिक गयी। उनके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की और आपके खुफिया विभाग ने क्या गृह मंत्रीजी अवगत कराया सरकार को कि इस तरह की जमीनें बिक रही हैं बार्डर पर और इससे देश की आजादी को खतरा हो सकता है ? खुफिया विभाग भी हाथ पर हाथ देकर बैठा रहा। इस मामले में भी मैं चाहूंगा कि इसकी जांच हो और जो दोषी व्यक्ति हैं, दोषी अधिकारी हैं चाहे कोई भी दोषी हो उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की बातें रह गयी हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आ गयी। करीब-करीब बात तो सब आ गयी माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): बिलकुल। मैं कनक्लूड कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में ... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंट्रप्ट नहीं करता हूं लेकिन जो भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, समय निर्धारित नहीं करेंगे तो रात भर बोलते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: समय तो निर्धारित कर रखा है। बीच में व्यवधान करके ... (व्यवधान) माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): बीच में डिस्टर्बेंस हो गया मैं क्या करूं ? मैं कनक्लूड कर रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में नहीं, अब आ जाओ आप अपने पर ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बांता गांव है वहां पर पुलिस चौकी बहुत पुरानी है और स्टेशन पर बनी हुई है जबकि रेलवे स्टेशन नाम मात्र का है। वहां पैसेंजर ट्रेन को बाइपास करने के लिये बना हुआ है मालगाड़ी को रोकने के लिये। वहां पर बहुत दूर है गांव से जो मैं चाहूंगा कि उस पुलिस स्टेशन को गांव में स्थापित किया जाए चौकी को जिससे लोगों को और पुलिस को भी सुविधा हो सके। गांव से बहुत दूर है। वहां कोई लेना देना नहीं है।

दूसरे मेरे विधान सभा क्षेत्र में धल्ला, भीमाड़िया में भी एक चौकी की स्थापना की जाए और साथ ही मारवाड़ जंक्शन थाने को जिसमें सी ई ओ कार्यालय की स्थापना की जाए। जोजावर में भी एक थाना खोला जाए मंत्री महोदय।

जिन थानों में मंत्री महोदय, मुलजिमों को रखते हैं उन मुलजिमों को वहीं खाना खिलाया जाता है थाने में ही। हमेशा एक-दो, एक-दो मुलजिम आते रहते हैं प्रत्येक थाने में। कभी ज्यादा भी आ जाते हैं तो उन मुलजिमों के भोजन की व्यवस्था मेरे ख्याल से 1.50 रुपये डाइट के हिसाब से बहुत पुरानी रेट फिक्स की हुई है। पूरा का पूरा खर्चा मैस का थाने वाले पुलिसकर्मियों पर ही पड़ता है तो उसके बारे में भी आप थोड़ा गौर फरमाएं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। जब गृह मंत्री महोदय बोलें ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): कारागार के बारे में एक सुझाव है मंत्री महोदय को कि हमारे बाली में जो कारागृह है, जेल है वहां एक बहुत ही ऐतिहासिक दुर्ग है, चौहानों का दुर्ग है और उस दुर्ग में आपकी जेल है। पिछली बार भी मैंने अनुरोध किया था तो मैं चाहूंगा उस कारागृह को अन्यत्र

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

स्थापित करके उस ऐतिहासिक दुर्ग को खाली करवाएं और वहां पर म्यूजियम या इस तरह की स्थापना करवाएं जिससे हमारी विरासत बची रहे।

आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल रैगर।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट कटौती प्रस्ताव में मांग संख्या 16 और 17 में मैं अपने आपको शामिल करता हूं। मैं ज्यादा आलोचना-समालोचना में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया।

गृह विभाग में जो माननीय गृह मंत्रीजी हैं और राज्य मंत्रीजी हैं यह दोनों ही ईमानदार हैं। हमारी मुख्य मंत्रीजी का यह एक सलेक्शन है जो ऐसे ईमानदार लोगों को गृह विभाग दिया है तो निश्चित इस विभाग में अपराधों में भी कमी आयी है और दिनोंदन सुधार हुआ है। 2004 से 2007 तक 11,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है। 451 करोड़ रुपये की लागत से दस हजार आवास निर्माणाधीन हैं। राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 जो वर्षों से, 1861 से चल रहा था वह आपके इस कार्यकाल में नया पुलिस अधिनियम लागू हुआ जो सराहनीय है। प्रत्येक थाने का कम्प्यूटराइजेशन, समस्त पदों की पदोन्नतियां पूर्ण। वर्ष 2007 में अमरीका, सिंगापुर में दो अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित और मान सरोवर के शिप्रा पथ थाने को विश्व का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त कारागार भवन निर्माण में भी नवीनीकरण किया जा रहा है। गत चार वर्षों में 4271 लाख रुपयों की लागत से दस स्थानों पर नये जेल भवन का निर्माण कराया जा रहा है। महिला जेल जोधपुर में प्रारम्भ की जा चुकी है। जेलों के आधुनिकीकरण के लिये चार वर्षों में 48.29 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। राजस्थान में नया पुलिस अधिनियम लागू हो गया है जो बहुत सराहनीय है। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी और राज्य मंत्री बधाई के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में 24 गांव पूर्णतया अपराध मुक्त घोषित किये गये हैं। यह जो सांसी, कंजर आदि जयथमपेशा कौमें हैं उनको प्रशिक्षण के माध्यम से इन अपराधों से दूर किया जा रहा है। साथ ही जो आंकड़े हैं वह बता रहे हैं कि चार साल में डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार, बलवा, नकबजनी, चोरी सब में कमी आयी है। यह भी

(श्री हीरालाल)

भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में इन चार वर्षो में कमी आयी है जो एक तरह से ऐतिहासिक कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस महकमे में जो कर्मचारी हैं उनको मजबूत करना जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण है पुलिस का सिपाही। पुलिस महकमे में अगर सिपाही को हम सुविधाएं देंगे और उसको मजबूत कर देंगे तो ऊपर का अमला तो वैसे ही मजबूत हो जायेगा। हमारा जो सिपाही है जो कि रात-दिन डयूटी करता है, मेहनत करता है, 24 घंटे में जब उसको कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस के कांस्टेबल को मजबूत किया जाये। अगर कांस्टेबल मजबूत हो जायेगा तो हमारा पुलिस अमला पूरा मजबूत हो जायेगा। मेरा पुरजोर निवेदन है कांस्टेबल के लिये कि उनकी तनख्वाह, वेतन-भत्ते, वर्दी और जो मैस भत्ता है उसको बढ़ाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही आज अपराध बढ़ रहे हैं वह बिलकुल सही है लेकिन जनसंख्या के साथ में अपराधों में कमी आयी है। आज जनसंख्या बढ़ रही है तो अपराध बढ़ रहे हैं लेकिन जनसंख्या के रेश्यो में अपराध कम ही हैं। आज अपराधों के लिए भी दूरदर्शन और जो निकृष्ट साहित्य है, आज उसको पढ़कर नयी-नयी तकनीकें अपराध की आज का युवा, आज का अपराधी उनसे सीख रहा है तो इसके लिए दूरदर्शन के जो चैनल हैं वह दोषी हैं और ऐसा निकृष्ट साहित्य है वह भी दोषी है। मेरी गृह मंत्रीजी से पुरजोर मांग है कि ऐसे चैनल जिनमें अपराध करने की नयी-नयी तकनीकें बताते हैं इन पर कुछ कंट्रोल किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए भी माननीय गृह मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि राहौली और जामडौली हमारे दो ऐसे दूरस्थ स्थान हैं जहां कोई थाने नहीं हैं तो दो थाने यहां बनाये जायें ताकि हमारे इन क्षेत्रों में जो दुर्घटनाएं होती हैं, कई तरह के अपराध होते हैं तो दूरस्थ होने से अपराधी अपराध करके दूसरे जिलों में पहुंच जाते हैं। साथ ही सोहेला मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, वहां पर एक चौकी कायम की जाये। एक चौकी झिलाई में, झिलाई की आबादी आठ हजार और वह मेरे विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा है। वहां भी मैं चौकी की मांग करता हूं। साथ ही निवाई में यह भी मांग करता हूं कि एक उप कारागृह खोला जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल राजपुरोहित। राजपुरोहितजी, आपकी तरफ से शार्ट करें।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): नहीं, शॉर्ट नहीं, आज तो पूरा बोलूंगा। गई दफे एग्रीकल्चर के मामले में, मेरा सब्जेक्ट था, उसमें मुझे बोलने नहीं दिया उस दिन से बड़ा कुंठित हूं इस बात से ...(व्यवधान) घंटा भर नहीं, मैं शोर्ट में कहूंगा तथा सही कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह पुलिस शब्द जो है, यह पुलिस शब्द 1861 में शुरू हुआ और अंग्रेजों की शुरूआत है। अंग्रेजों ने अपनी रक्षा के लिए यह अधिनियम बनाया। चलते-चलते देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद लोकप्रिय सरकार बनी, पुलिस तो सिर्फ पहले उनकी रक्षा के लिए थी, उनका जो ढर्रा था वह उसी से सम्बन्धित था।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आज हम जो देख रहे हैं, हमारे राजस्थान में पहले सिर्फ एक आई.जी. हुआ करता था और आज बढ़ते-बढ़ते किसी सदस्य को पता होगा, यह अगर पढ़ा होगा तो, आज डी.जी. तो 3 हैं, अतिरिक्त डी.जी. 11 हैं, आई.जी. 27 हैं, डी.आई.जी. 16 हैं और पुलिस अधीक्षकों का ढेर 158 है, एडिशनल एस.पी. 137 हैं, डिप्टी एस.पी. 448 हैं, सी.आई. 921 हैं और एस.आई. 3469 हैं और ए.एस.आई. 5366 और कांस्टेबलों का अमला इस सरकार में पांच हजार बढ़ाकर 54 हजार, 55 हजार पर आ गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात यूं कहना चाहता हूं कि यह इतना अमला हो गया, इतना अमला बढ़ गया और हम कहें कि क्राइम क्यों नहीं रूक रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अपराध मानव की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है और यह प्रवृत्ति किसी का समय हो, कोई काल हो, यह बढ़ी है। यथा राजा तथा प्रजा वाली बात है, मैं आपको सही बात कहता हूं जिसका राजा ठीक था, ईमानदार था, कर्मठ था, उसके शासन में ईमानदारी रही और इसका कारण यह है कि आज हम आंकड़े बताते हैं कि फलानें साल में यूं था और इतने बलात्कार कम हो गये, इतनी नकबजनी कम हो गयी, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। यह प्रवृत्ति मुख्य कारण हैं और इस प्रवृत्ति का कोई उदाहरण देगा तो चाहे वह राजस्थान है, चाहे पूरा देश है, यह प्रवृत्ति चाहे आप बता रहे हैं, अगर वह कम नहीं होगी तो ठीक है, सरकारें चलती रहेंगी, यह आंकड़ें कम, बेसी होते रहेंगे और इस पर जिस सरकार ने कंट्रोल कर लिया

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

उसमें यह प्रवृत्ति कम होगी तो शर्तिया अपराध कम होंगे। आपकी बढ़ती हुई आबादी यह कौन रोकेगा, वह सरकार स्थिर होगी नम्बर एक, औद्योगिकीकरण नम्बर दो, आपकी बढ़ती हुई बेकारी नम्बर तीन, बढ़ती हुई गरीबी और अमीरी का फर्क और यह बढ़ता हुआ शराब का जो ढर्रा है और यह नारकोटिक्स की बढ़ती हुई चीज और यह टी.वी. का चलन और मोबाइल और यह आपका जुआं और सटोरिया, इसको सरकार बंद करे वह शर्तिया इस क्राइम को कम कर देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सही कह रहा हूं इसमें हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधराजी को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूं। मेरी यथा राजा तथा प्रजा की बात सही है और हाउस में इस बात को सबने स्वीकार किया है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं, वह व्यक्तित्व के धनी हैं जिसके नीचे यह सारा अमला है पुलिस है, जो यह कार्यवाही करती है, कंट्रोल का काम करती है, वह ईमानदार तो हैं सो हैं यह अणुवृति व्यक्ति हैं। आपको कम पता होगा अणुवृति व्यक्ति हैं यानि गृह मंत्री तो बहुत हो सकते हैं लेकिन अणुवृति का मतलब यह होता है कि गृह मंत्री शराब नहीं पीये, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि वह शराब को रोकेगा और जो खुद क्राइम करेगा, चाहे उसको किसी कारणवश गृह मंत्री बना दिया जाये लेकिन प्रवृत्ति से यदि वह जनता का सेवक नहीं है, प्रवृत्ति से यदि वह क्राइम को रोकना चाहते हैं तो वह सार्थक होगा। आज यह जो आंकड़े हैं, आप सही कहते हैं आज जब क्राइम रूक रहा है, आज चाहे कितना ही कम क्राइम देखते हैं, यह रूक तो सिर्फ गृह मंत्री के प्रशासन की वजह से रूके हैं। आज डी.जी. को कोई नहीं कह सकता है कि आज का डी.जी. ईमानदार नहीं है। आज का एस.पी., आज का आई.जी., यहां तक का तो मुझे पता है कि ईमानदार हैं, आगे का मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि क्या हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। यह स्पष्ट बात है, बताने की जरूरत नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब यह साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जायेगा, पीछे जो कुछ हो रहा है ना उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए लोग उंगली उठाने लग गये हैं। मैं आपको सही कहता हूं कि मैं इसका भुगतभोगी हूं और आप भी जानते हैं। आज जिस किसी की सिफारिश नहीं है, जिसके ऊपर डी.जी., आई.जी. किसी कारण से नाराज हैं, उसको सी.आई.डी. में भेजते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, फिर आप

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

सी.आई.डी. से तफ्तीश करना चाहते हैं। यदि आप उसको नाकारा समझते हैं फिर सी.आई.डी. में तफ्तीश क्यों भेजते हैं। होना यह चाहिए कि सी.आई.डी. में वह अफसर होना चाहिए यदि कोई क्राइम का केस सी.आई.डी. में जाये तो क्रिमिनल को धूजना चाहिए कि उसका केस सी.आई.डी. में चला गया और हो क्या रहा है कि सी.आई.डी. में भेज दो, तीन साल पड़ा रहेगा। हमें यह प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी। मैं गृह मंत्रीजी को कहना चाहता हूं, कि आप सी.आई.डी. को ऐसा मत बनायें, सी.आई.डी. में ऐसे अफसरों को भेजिये जो कर्मठ हों, ईमानदार हो, तगड़ा हो, उसको भेजिये ताकि क्रिमिनल को डर लगे कि उसका केस कहीं सी.आई.डी. में नहीं चला जाये, यह मेरा सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि पुलिस को संवेदनशील बनाना पड़ेगा और पुलिस को प्रशासन की रक्षा के लिए संवेदनशील और ईमानदार भी बनाना होगा और ईमानदार बनना पड़ेगा और निष्पक्ष बनना पड़ेगा। इसका प्रयास हमारे गृह मंत्रीजी ने सी एल जी नाम की जो चीज बनाई है, गांवों के थानों में जो शांति समितियां बनाई हैं, एस पी और डीवाई एस पी, थानेदारों को कहा है कि आप गांवों में जाओ और जब से इनके कहने के बाद में गांवों में ये लोग जाने लगे हैं तो इनमें जो एक सुपीरियरिटी काम्पलेक्स था, यह मोटे-मोटे ताले लगाकर डराते थे, जब इनके आदेश के बाद ये गांवों में जाने लगे तो जनता को यह महसूस हुआ कि यह तो हमारे नौकर हैं। नहीं तो यह समझते थे कि जैसे भगवान हैं। यह यूं समझते थे न जाने हम क्या हैं, उसके बाद इनका सुपीरियरिटी काम्पलेक्स गृह मंत्रीजी के कहने के बाद एस पी गांवों में नाइट हाल्ट करने लगे, जाने लगे तो यह बिलकुल इसका जो फर्ज था यह जो सुपीरियरिटी काम्पलेक्स कम हुआ है, इससे उत्साहवर्धन हुआ है जनता का और कई क्रिमीनल्स को पकड़ने का मौका मिला, जनता कहने लगी कि यह फलां क्रिमीनल है दिल से तो इससे संवाद बढ़ा इसलिए मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस सरकार की जो उपलब्धियां हैं, चाहे विपक्ष कुछ भी कहे, बात की बात कहो, करो, सही बात कहने में आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए और कामना आप यह करो कि आपका भी राज हो तो आप यह काम करना, मैं बताऊं जो।

जहां तक फोरेंसिक लेबोरेट्री की बात है, आपको किसने मना किया था कि इन सारे के सारे केसेज की हैदराबाद लेबोरेट्री में ले जाकर जांच हुआ करती

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

थी। यदि आपमें अफरमेशन होता, आपमें डिटरमेनशन होता, आप संवेदनशील होते जनता के प्रति तो आप फोरेंसिक लेबोरेट्री यहां राजस्थान में रखते। अब आप देखिए, बड़े से बड़े केस इस फोरेंसिक लेबोरेट्री में चाहे करप्शन के हों, चाहे, चोरी के हों, चाहे डकैती के हों, चाहे मर्डर के हों, चाहे और किसी के, पकड़े जाते हैं और हमारी सरकार संवेदनशील नहीं है क्या कि आज डिस्ट्रिक्टवाइज इन्होंने लेबोरेट्री स्थापित कर दी है, एफ एस एल की लेबोरेट्री स्थापित कर दी है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

आज आपके थानों में क्या आपको पता नहीं इस बात का कि थाने ऐसे लगते हैं जैसे कोई म्यूजियम की तरह हो, और आप अपने शरीर पर हाथ रखकर कहिए और सोचिए तो सही कि आपके थाने भी क्या ऐसे ही थे? थानों में क्या था, दो-दो कमरे और उनमें भी पानी चू रहा है। आज थानों की जो सुन्दरता ऐसी है कि देखो तो देखते रह जाओ। यह पैसा कहां से आया? आप नहीं लाए, आपको लाना चाहिए था, हमारी सरकार लाई, यह हमारी उपलब्धि है।

आप देखिए, क्राइम की बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बात कह रहा हूं। इनके टाइम में सरकार में जो केसेज चलते थे इनका यह पीछा नहीं करते थे और क्रिमीनल क्या करते थे पी पी से मिल जाते थे तो कंविक्शन रेट कम हो गई थी1 हमारी सरकार ने इसको बड़ा सीरियस समझा और एक हिदायत दे दी कि मिस्टर, पी पी, यह चालान जो सौ प्रतिशत है, इसमें 90 प्रतिशत, 95 प्रतिशत कंविक्शन होना चाहिए, आप देख लीजिए इसका रिजल्ट आ रहा है, आजकल तो उससे क्या होगा कि क्रिमीनल पकड़े जाएंगे, उनको सज़ा होगी तो क्राइम करने वाला है उसमें दहशत पैदा हो गई है कि अब सज़ा होने लग गई है, यदि केस का चालान हो जाएगा तो सज़ा हो जाएगी तो आपके फोरेंसिक लेबोरेट्री से करीब-करीब यह हो गया कि आजकल यह जमाना ऐसा ही है कि लोग पक्षद्रोही हो जाते हैं, विटनेस को खींच लेते हैं, फिर मजिस्ट्रेट को भी निर्देश हैं कि फोरेंसिक लेबोरेट्री से जो रिजल्ट आते हैं उसको देखकर सरकमस्टांसेज एविडेंस से कंविक्शन हो जाता है, इसलिए आज की लेबोरेट्री से हमको सबसे बड़ा फायदा हुआ कि जो क्रिमीनल थे वह आराम से पकड़े जाते हैं और उनके कंविक्शन की रेट बढ़ गई है, यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। हम माफ नहीं करते हैं किसी क्रिमीनल को और यह तो स्पष्ट है कि आपके टाइम में जो ढर्रा चला था एक सिपाही से गश्त करायें,

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

कोई तामील करायें, क्या करायें, हमारी सरकार ने इस बात को बहुत सीरियस लिया, इतनी जनसंख्या पर इतने सिपाही होने चाहिए तो भी मैं कहता हूं कि सरकार ने अभी जो सिपाही दिए हैं वह अभी भी कम हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा गश्त की जाएगी पुलिस इस बात को जानती है कि उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अच्छे सिपाही रात को गश्त करेंगे तो क्राइम घटेगा इसलिए पुलिस का बल बढ़ाना चाहिए, यह मेरा सुझाव है और यह सरकार ने करके दिखाया है इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह सब कहता हूं कि उपलब्धियां तो बहुत हैं लेकिन यह मुख्य उपलब्धियां हैं।

मेरी दो छोटी सी मांग भी हैं। मेरा मकराना नागौर जिले का सबसे बड़ा टाउन है, टाउन की वजह से वहां पर केसेज भी ज्यादा हैं, तो वहां जितने केसेज हैं और हमारे कुचामन के केसेज हैं, हमारे विधायक नावां भी बैठे हैं, यदि यहां सारे आदमियों का कंविक्शन होता है या केसेज में एक्यूज्ड होते हैं उनको परबतसर 25 किलोमीटर दूर भेजा जाता है तो मेरा कारागार मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां सब जेल बनवाएं मकराना में जिससे मकराना के एक्यूज्ड और कंविक्टेड एक्यूज्ड हैं, कुचामन के एक्यूज्ड हैं वह वहां परबतसर न जाकर के सब जेल यदि बनाई जाएगी तो पुलिस को भी कम रिस्क रहेगी, क्योंकि 25 किलोमीटर की यात्रा करते वक्त पुलिसकर्मी संकट में आ सकते हैं तो यह।

दूसरा मेरे बोरावड़ जो मकराना का सबसे बड़ा टाउन है, वहां अभी सरकार ने और आपके पुलिस विभाग ने भी उसको रिकमंड किया थाने के लिए क्योंकि नागौर का सबसे बड़ा थाना है और वहां सबसे ज्यादा क्राइम है इसलिए इन्होंने भी रिकमंड किया है, मैं भी प्रस्ताव करता हूं कि बोरावड़ में एक पुलिस स्टेशन खोला जाए। पिछले साल इन्होंने सब चौकी खोली है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां भी थाना बनाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): पुलिस महकमा बहुत महत्वपूर्ण महकमा है। समाज को इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब परिवार में घनिष्ट लोगों में भी आपस में कोई गड़बड़ होती है तो भी पुलिस का सहारा लिया जाता है। पुलिस हर मौके पर हमारी मदद करती है। जब भी कोई संकट पैदा होता है तो पुलिस की बात करते हैं। पुलिस की मदद मांगते हैं, लेकिन पुलिस पर आरोप-प्रत्यारोप भी बराबर चलते रहते हैं। पुलिस एफ आई आर

(श्री रामचन्द्र सराधना)

दर्ज नहीं करे तो शिकायत और दर्ज कर ले तो भी शिकायत। पुलिस के मनोबल में इन दिनों में गिरावट आई है। मनोबल की गिरावट की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्रीजी ने भी गृह मंत्रालय सम्भालते ही कहा था कि वह पुलिस थानों को सेवा मंदिर माने, इससे पहले एक डी जी महोदय ने भी कहा था कि सेवा मंदिर मानकर पुलिस थानों को चलाएंगे, आने वालों को बड़े सम्मान से बैठाकर, कुर्सी देकर, ठण्डा पानी का गिलास देकर, पुलिस का मनोबल इसलिए गिर गया कि यह सेवा मंदिर, मंदिर में तो भेंट चढ़ाकर काम चल जाया करता है तो थानों में कैसे काम चलेगा और जब अपराधी लोग आएंगे तो उनको उसी तरह उनके साथ सलूक किया जाएगा तो अपराधियों में डर रहेगा अन्यथा अपराधी में डर नहीं रहेगा पुलिस का।

सी एल जी की जो बात कर रहे हैं, मैं सबकी तो नहीं कहता लेकिन बहुत सारे अपराधी लोग उस सी एल जी में आ जाते हैं और पुलिस पर कण्ट्रोल करते हैं, पुलिस को दबा कर रखते हैं वह लोग जिसके कारण से पुलिस का मनोबल गिरता है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का मनोबल गिराने में हम राजनेताओं का बहुत बड़ा योगदान है, राजनेता जिस तरह का होता है उससे वह उसी तरह की बात करता है, पुलिस पर लगातार दबाव बनाए रखता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जिस अपराधी के पीछे तीन-चार साल तक पुलिस लगी रही कि कैसे उसको गिरफ्तार करें, कब इसको बंद करें, यदि वह सौभाग्य से और दुर्भाग्य से चुनकर एम एल ए बनकर सदन में आ गया तो वही पुलिस उसकी रखवाली करने लग जाती है, हमारे लिए भी बड़े अचम्भे की बात होती है पुलिस के लिए भी बड़ा असमंजस की स्थिति आ जाती है जब वही आदमी उसको बताता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए, यह पुलिस में ज्यों-ज्यों राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है पुलिस के मनोबल में गिरावट आई है और पुलिस के मनोबल में गिरावट आने से समाज को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम पुलिस से तो उम्मीद करते हैं कि पुलिस को ऐसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, यह होना चाहिए, वह होना चाहिए लेकिन हम यह नहीं देखते कि हम करने वाले, हमारा जो रिफ्लेक्शन आता है, सरकार की नीतियों का रिफ्लेक्शन प्रशासन पर आता है और पुलिस उससे अछूती नहीं रहती है तो पुलिस को जो हम बार-बार कहते हैं कि पुलिस गलत काम करती

(श्री रामचन्द्र सराधना)

है, पुलिस गलत काम करती है तो हमारे करवाने से ही करती है। एफ आई आर दर्ज कराने की बात या चोरी में पकड़े जाने के बाद पुलिस को राजनेता ही टेलीफोन करते हैं कि यह तो सात पीढ़ी से ईमानदार आदमी है, गृह मंत्रीजी क्या करवा रहे हो, हमारे आदमी को छुड़वाने की कोशिश करो। मैं गृह मंत्रीजी, आपकी कोई बुराई नहीं करना चाहता पुलिस और गृह मंत्री का एक बहुत बड़ा जोड़ा है पर गृह मंत्रीजी तो बड़े सज्जन आदमी हैं, यह बात दूसरी है कि उनका कहना कोई नहीं माने, यह इनका कोई दोष नहीं है, यह तो कहते रहते हैं करते रहते हैं।

मेरे पास दो-तीन बातें ऐसी हैं, एक तो अभी गंगानगर से आने वाले सुरेन्द्रजी राठौड़ साहब ने मुद्दा उठाया था, मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। गृह मंत्री महोदय, आपके पास भी आए थे, एस पी, डीवाई एस पी और आई जी के पास भी वह लड़की चली गई थी। एक छात्रा मुकदमा दर्ज करवाना चाहती थी, उनके पास में उनके निर्देशों के खिलाफ जब आपके पास आई तो आपने भी एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश दिए, आपके निर्देश नहीं चले, अखबारों ने छापा, पुलिस नहीं मानती है गृह मंत्री के आदेश, इसके बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास गई और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी उनको आर्डर किया, उन्होंने आदेश किया, नम्बर है 68201, दिनांक 23.11.2007, कि एफ आई आर दर्ज की जाए। एफ आई आर आज तक दर्ज नहीं हुई। जो पीड़ित पक्ष था वह हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने डाइरेक्शन दिया जांच के लिए। शिक्षा विभाग को कहा, शिक्षा विभाग के डी ई ओ जाकर के जांच कर रहे हैं और वही अपराधी आदमी जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाना था वही आदमी कहता है कि आप चुपचाप चले जाओ नहीं तो मैं सी ओ से बात करा दूंगा। कोटपूतली सीओ से बात कराके उनको डरा दिया कि यह लड़की को समझाओ कि यह मुकदमा वापस ले ले। ऐसे हालात में क्या स्थिति बन सकती है पुलिस क्या करे, पुलिस पर बराबर दबाव है राजनेताओं का कि आप यह मुकदमा दर्ज नहीं करें और इन डीवाई एस पी और एस पी के खिलाफ जो प्रसंज्ञान लिया गया है उस पर भी हम कार्यवाही कर रहे हैं, यही हालत आंधी थाने में है, 22 दिन से एक लड़की लापता है। नामजद एफआईआर दर्ज की हुई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद आज तक थानेदार से मैंने सम्पर्क किया कि यह लड़की गयी हुई है उसकी क्या स्थिति है तो कहा कि लड़की कोई मेरे पास नहीं है। मैंने कहा जिन लोगों के नाम दिये

(श्री रामचन्द्र सराधना)

गये हैं उन लोगों को बुलाकर बात करें। थानेदारजी कहते हैं उन लड़कों को पूछ लिया, उनके पास कुछ भी नहीं है। जबकि उनकी कॉल डिटेल मिल रही है, पुलिस वाले कह रहे हैं उनकी कॉल डिटेल आपस में मिल रही है, बातचीत हो रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एफआईआर दर्ज करना बहुत जरूरी होता है। उसकी जांच हो और जांच में क्या निर्णय आये यह अलग बात है लेकिन जांच ही नहीं होने दे रहे, एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहे। जो गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे वही मैं बताना चाहता हूं, वह लड़की आत्महत्या करने पर उतारू थी, गृह मंत्रीजी ने बड़ी संवेदना से ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य और दो लोग और मिल जाएं मैं सारे कागज और जो कुछ भी अब तक इस पर घटनाक्रम चला है वह आप स्वयं देख लें और उसके बाद मुझे कह देना कि इसमें क्या कार्यवाही करनी है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मेरे पास जो उपलब्ध है वह मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और माननीय गृह मंत्रीजी, मैं यह भी कहना चाहता हूं उस छात्रा ने मुझे भी आकर बताया है कि गृह मंत्रीजी ने बड़े तरीके से मेरी बात सुनी, मुझे वहां बड़ी दिलासा दिलायी, बड़ा भरोसा दिलवाया, लेकिन फिर भी आज तक आपकी मंशा के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने के क्या कारण रहे, यह समझ में नहीं आ रहा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंधी की बात मैंने बतायी है वह लड़की अब तक उपलब्ध नहीं हुई है, अब तक वो अपराधी भी गिरफ्तार नहीं किये गये हैं। ऐसी हालत में आपको उसमें एक्शन लेना चाहिए।

मैं एक और निवेदन करना चाह रहा था। जो लोग दलित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं वह एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसकी कार्यवाही भी हो जाती है, लेकिन जब दलित ही दलित को मारता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती वह इधर-उधर भागता रहता है। इसका भी कोई न कोई उपाय सोचना चाहिए कि दलित के साथ में यदि दलित कोई अपराध करता है उसके साथ भी कोई कार्यवाही हो और उसकी सुनवाई यहां होनी चाहिए ताकि उसको लाभ मिले।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, एक निवेदन और करना चाहता हूं। मुझे एक शेर याद है। (व्यवधान) यह तो मेरे सुनाने से पहले के हाल हैं। तिवाड़ीजी, मैं आपको समर्पित करता हूं-

(श्री रामचन्द्र सराधना)

''जो नाचीज थी वो चीज बन गई,
जो बेशऊर था उसको शऊर आ गया,
सलाम तेरी सीढियों को, हे सदन,
क्योंकि यहां चढ़ते ही दूध का नहाया हो गया।''

हम खड़े होकर ऐसे भाषण ठोक रहे हैं पुलिस ऐसे करती है, हमारा भी देखा, हम क्या हैं, हमारा बैकग्राउण्ड को देखा कभी आपने? हम क्या-क्या करके आते हैं यहां पर? इसलिए मेरा निवेदन है गृह मंत्री महोदय, आप इन बातों पर गौर करें और इस लड़की के बारे में जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है इसकी आप एफआईआर दर्ज कराएं, उसकी जांच कराएं और उसके खिलाफ कार्यवाही करें। मैं आपको गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय सराधनाजी, आपने कहा कि दलित को दलित मारपीट करता है उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता है। ऐसा है कि 323 का होगा, उसकी रपट लगी होगी, आपको ध्यान नहीं है। अगर कोई गम्भीर अपराध है तो उसका अपराध दर्ज होता ही है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आपकी जेल में आने के बाद तो सब काम ठीक हो जाता है।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): लेकिन 323 में आपको मालूम होना चाहिए वह रपट लगती है, रोजनामचे में रपट लगती है। उसको अदालत जाकर इस्तगासा करना चाहिए।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): गृह मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, अविश्वास पैदा हो जाता है तो समाज में अफरातफरी मच जाया करती है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के तहत आपने, आपके मुख्य मंत्रीजी ने, बीच के लोगों ने बहुत सारी बातें कीं कि जिन पर मुकदमे दर्ज हो गये उनके मुकदमे वापस लिये जाएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया उन्होंने। समाप्त कर दिया था उन्होंने। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ऐसा है आपके कहने से ही डाइरेक्शन होता है। आसन आज फैसला कर लेगा तब तो बहुत बढ़िया हो

(श्री रामचन्द्र सराधना)

गया। हम यह कहना चाह रहे थे सरकार ने बराबर वादा किया था मुकदमे वापस लेंगे, कभी आप कहते हैं लेंगे, कभी कहते हैं नहीं लेंगे, अखबारों में भी रोजाना आता है, कभी लेंगे, कभी नहीं लेंगे। ऐसे-ऐसे मुकदमे हैं माननीय गृह मंत्रीजी, 151 में जिस लड़के को बंद कर दिया और दूसरे दिन उस पर गम्भीर आरोप लगाकर दूसरी धाराओं में बंद कर दिया। जब 151 में पहले ही बंद हो गया तो दूसरी धाराओं में वह अपराध करके कब गया? यह हालत है और बैराठ में दो लड़के ऐसे बंद रहे जो कोर्ट से बरी होकर आये कि इनका एफआईआर में नाम नहीं था, ये अपराधी ही नहीं है। ऐसा अन्याय हमारे साथ हुआ है। उन लोगों के लिए भी आपको विचार करना चाहिए और इनके मुकदमे वापस लेने की बात है तो आज साफ करनी चाहिए और नहीं लेने की बात है तो वह साफ करनी चाहिए ताकि लोग लटके नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री धर्मेन्द्र मोची।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 16 पर बोलने का मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं माननीय गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने पुलिस तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया। नये पुलिस कर्मचारियों की भर्ती करना, पुलिस थानों को क्रमोन्नत करना, जर्जर पुलिस थानों के भवनों का पुनर्निर्माण कराना, नये डीएसपी कार्यालयों की स्थापना करना, पुलिस कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण कराना, पुलिस भवनों का सुधार माडल के रूप में, पुलिस का व्यवहार एवं अच्छी सफाई व्यवस्था, रिकार्ड के रख-रखाव इत्यादि व्यवस्था कराना, मेरे विधान सभा क्षेत्र के टीबी व रावतसर थानों को क्रमोन्नत करना, रावतसर में नये डीएसपी कार्यालय की स्थापना की घोषणा होना, ये बहुत ही सराहनीय कार्य किये हैं।

आज हम थानों में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर में आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी माकूल व्यवस्था पहले हमने कभी नहीं देखी थी जो इन चार सालों में हुआ है। (व्यवधान) पुजारी नहीं हूं, चमचागिरी भी नहीं है, किसी भी थाने में जाकर देखिए जर्जर अवस्था में थे, क्या हालत थी बैठने के लिए, जगह नहीं होती थी, आज वहां अच्छा रिसेप्शन देखने को मिल रहा है, अच्छा उत्तर, अच्छी व्यवस्था है। फिर भी आप कह रहे हो आपने कुछ किया ही नहीं। (व्यवधान)

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव धनासर में जो अस्थायी चौकी है उस पुलिस चौकी को स्थायी करने की मांग करता हूं। गांव थालड़का, जो हरियाणा सीमा के पास में है वहां नवीन चौकी बनाने की मांग करता हूं। इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला हरियाणा, पंजाब की सीमा से सटा हुआ है। जो अपराधी आजकल ज्यादा आते हैं वे हरियाणा, पंजाब सीमा से आते हैं और अपराध करके वापस चले जाते हैं। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि पुलिस का हर चीज में सुधार हुआ है, परन्तु आज तक हमारे यहां गाड़ियों में कोई सुधार नहीं हुआ है। जो अपराधी आते हैं उनके पास आधुनिक तरीके की गाड़ियां होती हैं। हमारे पास जो गाड़ियां हैं वे आपके सामने हैं और जब वे गढ़ासर पहुंचते हैं उससे पहले वे हरियाणा, पंजाब में पहुंच जाते हैं और कोई वारदात खुलने की सम्भावना कम रहती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सीमावर्ती एरिया में अच्छी गाड़ियों की व्यवस्था करायी जाए।

इसके साथ-साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैंने पूर्व में भी पिछले वर्ष निवेदन किया था कि पर्ची सट्टा एक सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई से अपराध भी बढ़ रहे हैं। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि जिस परिवार से मैं आया हूं उस परिवार की स्थिति के सम्बन्ध में आपको बताना चाहता हूं कि पर्ची सट्टा एक गरीब तबके का व्यक्ति ज्यादा लगाता है और जो व्यक्ति 100 रुपये या 50 रुपये की मजदूरी करता है वह 50 रुपये की शराब पी लेता है और 50 रुपया सट्टे में लगा देता है। शाम को घर जाकर खाना मांगता है खाने के लिए। उसने पैसे दिये ही नहीं तो अपनी पत्नी और बच्चों को पीटना शुरू कर देता है जिसके कारण से वह बच्चा स्कूल की बजाय अपराध की तरफ बढ़ जाता है। हम अपराध जगत की बात करते हैं अपराध सबसे पहले पर्ची सट्टे से उत्पन्न होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पर्ची सट्टे को यदि सामाजिक बुराई मानते हैं तो इसको सामाजिक अपराध में क्यों नहीं लिया जाता और इस पर्ची सट्टे के सम्बन्ध में बता देना चाहता हूं कि इसमें कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। मात्र 100 या 50 रुपये के जुर्माने के बाद वही आदमी वापस पर्ची सट्टा करना शुरू कर देता है और वही गरीब व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसमें कठोर सज़ा का प्रावधान लाया जाए ताकि पर्ची सट्टा बंद हो, गरीब का बच्चा पढ़ सके, भर

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

पेट भोजन कर सके, गरीब का चूल्हा जल सके, इसी उम्मीद के साथ मुझे विश्वास है कि इस बुराई पर आप जरूर ध्यान देंगे, सज़ा का प्रावधान करेंगे ताकि पर्ची सट्टा पर अंकुश लगे, रोक लगे। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री महीपाल मदेरणा।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 16, 17 पर मुझे समय दिया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज ऐसे विभाग के विषय पर चर्चा हो रही है जिसका जनता से सीधा सम्बन्ध है, सबसे ज्यादा सरोकार है। जनता जिस विभाग के सम्बन्ध में भली प्रकार और सबसे ज्यादा जानती है। साथ ही साथ इसकी जन छवि और पब्लिक इमेज सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है और बदनाम है। यह मैं नहीं कह रहा ऐसा कई समाजशास्त्री और वैज्ञानिक अध्ययनों के द्वारा यह बात सामने आयी है कि पोलिटिशियन की छवि भी पुलिस के बराबर है। पुलिस की जब बात आती है तो मीडिया, अख़बार सब आलोचना पर आलोचना करते हैं, आरोप लगाते हैं, पुलिस के विरोध में जोश में आ जाते हैं। बिलकुल मेरा ऐसा विचार नहीं है, मेरा रूख कुछ अलग है, मैं क्रिटिकल की बात करूंगा परन्तु उसके साथ मैं कंस्ट्रक्टिव की बात, मैं सुझाव आपको दूंगा। मेरी बात आलोचना में नहीं लेकर एक विश्लेषण के तौर पर ली जानी चाहिए। पुलिस के कार्य को जरा देखिए, सोचिए, कितनी मुश्किल से, मेहनत से, मशक्कत से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वह नौकरी करते हैं और यह भी नहीं वह 24 घंटे तैयार रहते हैं, कानून तोड़ने वाले अपराधी से उनका पाला पड़ता है, समाज में छिपी हुई नंगी हकीकत को पुलिस जानती है और पुलिस के कार्य की स्थिति उनके अन्दर कितनी मुश्किलों से वह उनको देखते हैं और सुविधाएं बहुत कम हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं एक बहुत बड़ा परिवर्तन जब आप कह रहे हैं कि राजस्थान के अन्दर पुलिस के अन्दर हमने बहुत आधुनिकताएं लाये हैं। मैं पुलिस की तुलना प्रशासन से करना चाहूंगा, जहां अन्य अधिकारियों से करना चाहूंगा, आईपीएस की तुलना आईएएस से, आरपीएस की तुलना आरएएस से करना चाहूंगा। मैं पुलिस वाले को अधिक योग्य काम वाला मानता हूं क्योंकि पुलिस वाले जितने काम में दक्ष हो जाते हैं, वैसे प्रशासन वाले नहीं होते। जहां आईएएस, आरएएस वाले कई एक

(श्री महीपाल मदेरणा)

विभाग से कई दूसरे विभाग के पद पर 'Jack of all trades master of none' बन जाते हैं। पुलिस वाले अपने ही कार्य से अधिक योग्यकर्मी के रूप में उभरे हैं। यह बात सच्चाई है, यह बात केन्द्र सरकार ने भी मानी है कि वर्षों से व्यवस्था बनी आ रही है, सोचा जा रहा है आईएएस की ट्रेनिंग के लिए समय-समय पर दो विषय से विभागों पर दक्ष और विशेषज्ञ बनाये जाने चाहिए। पूर्व सेवा काल में उनसे कोई काम नहीं करवाया जाकर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं विपक्ष का हूं बल्कि बात कह रहा हूं कि इस सरकार को वह ऐसा कर सके तो मुझे खुशी होगी। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि प्रशासन के लिए पुलिस वालों के लिए अब जो दौर आया है, वह समय हाई टेक दौर का है, विशेषज्ञता का है, दक्षता का दौर होना चाहिए, बेहतर प्रशासन प्रबंधन की जरूरत है, अपराध कोई नया रूप ले सकता है, ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं। अब समाज में अपराधीकरण भी बहुत बढ़ गया है। आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के कारण पुलिस विभाग में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और इसका विकास करने में आपको बहुत आधुनिक योजनाएं बनानी चाहिए। तभी इस विभाग को अपन और गतिशील और ज्यादा अच्छा बना सकेंगे। इस विभाग में ज्यादा ठीक ढंग से कार्य करने की जरूरत है। पुलिस विभाग अभी भी उस पुराने ढर्रे पर अधिक काम कर रहा है। पुलिस के संसाधनों की इतनी कमी है, भ्रष्टाचार के तौर तरीकों पर पुलिस जोर जबरदस्ती काम करती रहेगी और कराती रहेगी। आज पुलिस थाने देखिए, चौकी देखिए, भाषा देखिए, उनकी भूषा देखिए, उनके औजार देखिए, हथियार देखिए कितनी अजीब और दयनीय स्थिति में काम करते हैं। इस पुलिस के पास एफआईआर के लिए कागज तक नहीं हैं, खाली हाथ मुंह से क्या खाएगी ? ऐसी स्थिति में पुलिस को आधुनिक और विशेषज्ञ बनाना बहुत आवश्यक है, जरूरी साधन देने होंगे, इसके लिए प्रभावकारी योजनाएं आपको बनानी होंगी।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके कार्मिक विभाग में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जितनी स्वीकृत पद पुलिस फोर्स में है वह बहुत कम हैं। नई भर्तियां और इतनी नियुक्तियां होनी चाहिए पुलिस संख्या अगले दो-तीन साल की अवधि में दो-तीन गुना बढ़ाई जानी चाहिए। जहां वेकेंसीज बनाये रखने और पदों में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए नहीं तो आपका काम नहीं चलेगा। ऐसा अन्य विभागों में जैसे हो रहा है, वैसे नहीं होना चाहिए, पुलिस में

(श्री महीपाल मदेरणा)

यह नहीं चल सकता, बात नियुक्ति की होती है तो इस प्रसंग में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का चलन दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है । आप एक-एक लाख लोगों की भर्ती का नाटक करवाते हैं, आपको इसको बांटना चाहिए कि इस तरीके से भर्ती है तो उनकी नियुक्ति के लिए कम लोगों को बुलाया जाए, कम बुला कर जो वाकई आप समझते हैं, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। पुलिस फोर्स की मानसिकता को भी देखना चाहिए। जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह निष्पक्ष और पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए। अधिकारियों की तथा पहुंच वाले पैसों के सहारे यह नौकरियां नहीं पाई जानी चाहिए। मेरा यहां सुझाव है कि नौकरियों की योग्यता को ग्रेजुएट करो अब आप और मैं यह भी चाहता हूं कि सैकण्डरी योग्यता रखने का जमाना चला गया है, आरक्षण वाले भी ग्रेजुएट्स बहुत सक्षम युवक अपने पास बहुत हैं, नौकरी के लिए सैकड़ों की तादाद लगेगी और पुलिस का स्तर बढ़ेगा, अच्छे बदलाव की बात आएगी, पुलिस सेवा के चयनित सब नीचे स्तर के पुलिस वालों का प्रशिक्षण जो हो रहा है वह भी पुराने ढंग से हो रहा है। इस प्रशिक्षण के विषय को बढ़ाने और बेहतर बनाने का भी काम आपको करना चाहिए। उनको आई टी की नालेज होनी चाहिए, कम्प्यूटर की नालेज होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र आदि सब का समावेश करना चाहिए तब आपका प्रशिक्षण अगर ठीक है तो मैं समझता हूं कि उसके साथ-साथ पुलिस वालों को सेना के साथ में दो-तीन महीने का अनुभव कराना चाहिए। सेना से जो अनुभव होगा, उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और जब कालेज में एन.सी.सी. के अन्दर सेना की हम टुकड़ियां रख सकते हैं, उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं तो आखिर प्रशिक्षण दो-तीन महीने कराने में आपके बहुत अच्छे परिणम आएंगे। मैंने देखा है कई बड़े सरकारी भवनों, राज भवनों, मंत्रियों के घरों में वीआईपीज के लिए अन्य सुरक्षा की दृष्टि से सुविधा मुहैया करा रहे हैं, उसकी सुरक्षा पुलिस कर रही है, कहीं पर आरएसी कर रही है, तो कहीं लाइन फोर्स से हो रहा है, समय के साथ-साथ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ रही है। इसके लिए अलग से फोर्स का गठन होना चाहिए। जैसे आपने विद्युत विभाग में किया है, वन विभाग में किया है, पर्यटन विभाग में किया है। इनके काम करने की सुरक्षा में कमी नहीं रहनी चाहिए। आवश्यकता आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि अभी तक एक अलग फोर्स का गठन करने का कार्य आपको शीघ्र करना चाहिए। (व्यवधान) सुन लीजिए। राजनीति का दुरुपयोग पुलिस में

(श्री महीपाल मदेरणा)

ज्यादा हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। हालात बदलने होंगे, ऐसा मजबूरी में और दबाव में काम करने से बचना होगा। पुलिस बेहतर तरीके से काम कर सके, उसकी अच्छी इमेज बन सके, मैं समझता हूं कि आप इसका प्रयास करेंगे, जनता का विश्वास जीत पाएंगे। पुलिस को राजनीतिक हिस्सों की स्थिति नहीं है। एक थाने के पद में कितना पैसा लगता है, वहां से जुड़ें, अब जरूरत है ऐसे भ्रष्टाचार पुलिस विभाग को बचाना भ्रष्टाचार विभाग कैसे काम कर रहा है। इसके लिए इसको कैसे क्रियाशील बनाना है, आपको जरूर पता है। एंटी करप्शन विभाग में किस प्रकार का कार्य हुआ इसमें सुधार की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है निष्पक्ष एजेंसी का कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन करेंगे, यह आशा और मैं विश्वास रखता हूं।

मैं इसके साथ-साथ लास्ट आपको एक बात कहना चाहूंगा। दिल्ली के पुलिस चीफ और बाद में गवर्नर बनाये गये पुलिस अधिकारी वैद मरवाह का, उसने कहा था कि जब पुलिस के विषय में कोई बात हो रही हो तो उसको बहुत संवेदनशीलता से लिया जाना चाहिए। "Don't judge the Police by its few failures but also judge it by its many good things, timely action and achievements." उपाध्यक्ष महोदय, I have great respect for the present Home Minister. In today's political scenario, he does really have a respectable place in Rajasthan. He also possesses high values and good qualities which others do not. For his values and qualities, he is known in the entire Rajasthan. इसके साथ-साथ, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा। हाल ही में जोधपुर सिटी के एक थाने के अन्दर ठेकेदारों ने एक कर्से की गरीब बच्ची का अपहरण कर लिया, मैंने एसपी से बात की और मैंने कहा कि मंडोर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए जाएं कि कर्से की बच्ची का अपहरण कर लिया गया है परन्तु मुझे जानकर यह अफसोस हुआ कि वह ठेकेदार इतना हावी है कि उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। आप अपने स्तर पर उस गरीब कर्से के लिए, गरीब गांव के लिए जिसकी बच्ची को और वह भी माइनर बच्ची का अपहरण हुआ है उसके लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमराराम धोद। अमराराजजी, जरा शॉर्ट में ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पुलिस एवं कारागार पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस का काम है वह कानून की सुरक्षा करना और कानून तोड़ने

(श्री अमराराम)

वालों को न्यायालय के हवाले करना लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से राजस्थान में पिछले चार साल में 46 दफे फायरिंग करके दर्जनों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है और राजस्थान की सरकार ने जनता की भावनाएं और मुद्दे हैं उनको केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा समझकर के सरकार की मानसिकता का परिचय दिया है। जनता की भावनाओं को केवल कानून व्यवस्था की समस्या समझकर उसको लाठी और गोली से दबाने का काम किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्रीजी ने हर जगह थानों में लिखा रखा है कि 'आम-जन में विश्वास, अपराधियों में भय', लेकिन यह कितना सफल हो पाया है यह तो गृह मंत्रीजी अपने दिल से बता दें। आम-जन जिसका कोई राजनीतिक संरक्षणकर्ता नहीं हो, उसके साथ कानून तोड़ने के बाद क्या वह पुलिस थाने में जाने की हिम्मत जुटा सकता है? आमजन की हालत तो यह है कि वो पुलिस से भयभीत है और अपराधी पुलिस में भयमुक्त है, यह हालत पुलिस की हो रही है। कानून के रक्षक हैं वो कानून के भक्षक हो रहे हैं। मैं नहीं समझता कि राजस्थान की पुलिस की सी.आई.डी. कहां तक सक्षम है कि राजधानी के अन्दर सी आई एस एफ की भर्ती होती है और इतना भी अनुमान राजधानी में नहीं लगा सकते कि जहां 71 पदों की भर्ती है वहां पर 80 हजार लोग आये और भगदड़ में एक नौजवान अपने प्राण गंवा दे और पुलिस उसको कंट्रोल करने जाए तो पुलिस की गाड़ी से विदेशी पर्यटक कुचल कर मारा जाए। जहां सरकार है, जहां गृह मंत्रीजी हैं, उनके सामने ही यह हो रहा है तो बाकी राजस्थान का तो आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का जो व्यवहार है, मैं नहीं कहना चाहता कि जिस तरह की आज हालत है, अभी सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाने में एफ.आई.आर. नम्बर 51 जो खूड़ी गांव के रहने वाले ने दर्ज कराई है उसमें कोई नामजद नहीं है और 379 की एफ.आई.आर. दर्ज करवाई। लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने उसी गांव के लोगों को मुलजिम ठहराकर 7 दिन तक अवैध रूप से थाने में रखकर के जिस तरह से उनके कपड़े उतारकर पिटाई की, मैं समझता हूं कि अगर मुलजिम उसी गांव के थे तो बाई-नेम एफ.आई.आर. दर्ज कराते। 379 में दर्ज कराई मारपीट की और सब लोगों के जाने के बाद भी कुछ भी आज तक बरामद नहीं हुआ। तो जिस तरह से कानून के रक्षक ही कानून तोड़ते हैं, कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बनते हैं तो मैं समझता हूं कि यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी विभाग की है।

(श्री अमराराम)

इसी तरह से कुछ लोगों के इशारों पर जो पुलिस काम कर रही है कि परबतसर में अभी चार दिन पहले जिस तरह का कृत्य किया है कि दो लोगों के बीच में आपसी जमीन को लेकर के विवाद था, आपस में कब्जे काश्त हैं लेकिन खातेदारी अलग-अलग है। उसमें एक पार्टी का जिस तरह से पक्ष लेकर के एक ही परिवार के 17 लोगों को नाजायज तरीके से 151 में बन्द करके 75 साल के लोगों को पीटा गया। सैकड़ों लोग जब थाने पर आये तो वहां पुलिस के आला अफसरों को माफी मांगनी पड़ी। इस बात के लिए खेद व्यक्त करना पड़ा कि गैर कानूनी काम हमारे थानेदार ने किया है और 7 दिन के अन्दर हम यहां से हटा देंगे। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग न केवल आमजन कानून तोड़ते हैं बल्कि पुलिस में बैठे हुए लोग तोड़ते हैं। मैं नहीं कहता कि सब के सब ऐसे हैं लेकिन जो कोई भी कानून तोड़ता है उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सोहेला में गोली चली है उसकी राज्य सरकार ने न्यायिक जांच करवाई। जांच रिपोर्ट आ गई और न्यायिक जांच में बाकायदा अभिशंसा कर दी कि वहां के अधिकारियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही रही है। जहां टोंक में कलक्टर और एस.पी. बैठे हैं वहां से सोहेला मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां जाकर के जिस तरह की गोलियां चलानी पड़ी और 5 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। तो मैं तो माननीय मंत्री महोदय से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि उस न्यायिक जांच में जो रिकमंडेशन की गई है, जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण 5 निर्दोष लोगों की जान गई है, पूरे राजस्थान की छवि खराब हुई है, उन अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप से आज तक रिकमंडेशन आने के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की है यह बतायें। निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने जो चुनाव के वक्त वायदे करके वोट लेने का काम किया और उन वायदों को पूरा कराने के लिए राजस्थान की जनता ने जहां भी अपनी आवाज उठाने का काम किया है, राजस्थान की सरकार ने उसे ला एण्ड आर्डर का मुद्दा समझकर के लाठी और गोली से दबाने का काम किया है। मैं समझता हूं कि इसमें पुलिस का कम दोष है और राजस्थान की सरकार का सबसे बड़ा दोष है। इस दोष को दुरुस्त करेंगे, मैं समझता हूं कि राजनैतिक हस्तक्षेप कम से कम करेंगे तो पुलिस निश्चित रूप से कानून के अनुसार काम कर पायेगी और जो भी कोई कानून तोड़ने का काम करता है उसके साथ वही बर्ताव होना

(श्री अमराराम)

चाहिए चाहे वह पुलिस का कितना ही बड़ा अधिकारी और कर्मचारी हो। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री जीतमलजी खांट। जीतमलजी, पाँच मिनट में।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): 5 मिनट नहीं, दो मिनट में।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। पूर्व वक्ता ने जो कुछ भी कहा, बहुत अच्छा लगा जनता की आवाज के लिए लेकिन जिनकी सरकारें पश्चिम बंगाल और केरल के अन्दर हैं और वहां जो हालात हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि उनका भाषण अगर वहां करवाया जाए तो कितना अच्छा हो। या इनके भाषण को वहां भेजा जाए तो और भी अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। बीच में नहीं। यह छोड़ो। उसको छोड़ो।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): वहां क्या हालत है जनता की। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): टीकमचन्द जी हालत यह है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि गंगानगर में हथियार कांड में राजस्थान के जितने भी हिस्ट्रीशीटर हैं...... (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परबतसर के सी.आई. के खिलाफ गलत टिप्पणी की है। परबतसर सी.आई. के खिलाफ गलत टिप्पणी की है इन्होंने। उन्होंने सही काम किया है। वहां पर ला एण्ड आर्डर को तोड़ा गया है। वहां पर ला एण्ड आर्डर तोड़ने के बाद भी उन्होंने सही काम किया है। इन्होंने गलत टिप्पणी की है परबतसर के एस. एच. ओ. के खिलाफ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री अमराराम (धोद): ...... और जहां तक नंदीग्राम की बात कर रहे हो, नंदीग्राम में तो एक दफे गोलियां चली हैं लेकिन आपके तो 4 साल में 46 दफा गोलियां चली हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अमरारामजी, छोड़ो। अंकित नहीं। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। बैठो-बैठो। आप बीच में नहीं बोलें। बैठिये। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आप बाद में बात कर लेना, हम तो सुझाव देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पुलिस एवं कारागार पर वाद-विवाद में माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस सदन में रखे हैं। मैं भी इसमें अपने सुझावों को सम्मिलित करते हुए सबसे पहले गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके जीवन में सबसे बड़ी खूबी सच्चाई को स्वीकार करना है। आपके जीवन का यह अभिन्न अंग है और आप जिस सच्चाई के साथ में चाहे वह किसी भी पार्टी, किसी भी दल का आदमी हो, सही बात को आप स्वीकार करते हैं। इसी बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके समय में राजस्थान में चार साल की जो पुलिस की उपब्धियां हैं, जो कार्यशैली पर आपने नियंत्रण रखा है और आपके नेतृत्व में पूरे राजस्थान में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कानून और व्यवस्था के बारे में बिहार के सन्दर्भ में कुछ बात कहना चाहूंगा। जब बिहार के अन्दर चीफ मिनिस्टर का तख्ता वहां पर जनता ने पलटा और लालूजी का जैसे ही तख्ता पलटा तब हमारा अकस्मात किन्हीं कारणों से बिहार में जाना हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, वहां के हालात, ताजा-ताजा वहां राजनीतिक समीकरण बदला था, लालू जी चुनाव हारे थे और जैसे ही हम बिहार जाते हैं उस पटना शहर के अन्दर हम जब पूछते हैं शाम को छह बजे, पूरे पटना के उस बाजार में कोई भी महिला वहां पर हमें किसी मोटरसाइकिल, साइकिल या किसी रिक्शा में देखने को नहीं मिलती है। जब हमने वहां पर कुछ साथियों से सवाल किया कि क्या वजह है कि सारे पटना शहर में शाम को छह बजे हैं और केवल पुरुष ही पुरुष देखने को मिलते हैं, कोई किसी मोटरसाइकिल, किसी कोई विक्की पर या किसी कोई रिक्शे में कहीं महिला देखने को नहीं मिलती है, इसकी क्या वजह है? हमारे कुछ साथियों ने कहा कि शाम होते ही इस तरीके से अनहोनी घटना होती है, आम जनता में भय है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है और हम यह सुनकर बड़े अपने आपमें अचम्भित रह गये। जिस बिहार के अन्दर, उस हालत के

(श्री जीतमल खांट)

अन्दर शाम के 5-6 बजे के अन्दर महिला अपना घर सम्भाल लेती है। आम चौराहे पर, किसी रास्ते में जा नहीं सकती है। उस वजह से हम राजस्थान की अगर उससे कम्पेरिजन करते हैं तो हम लोग दर्जनों अच्छे हैं। मैं इस बात के लिए भी गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि कोई भी महिला रात को 10 बजे या 11 बजे या आठ बजे घूम सकती है, अपने घर जा सकती है और सबसे बड़ा लोकतंत्र यही है कि आदमी निर्भीक होकर किसी स्थान पर चला जाये और निर्भीक होकर अपने घर लौट आये, यह सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में माननीय गृह मंत्रीजी के नेतृत्व में आम जनता में एक विश्वास कायम हुआ है। मैं निश्चित रूप से इनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाना चाहूंगा लेकिन माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करवाना चाहूंगा। उदयपुर हमारा सम्पूर्ण रूप से ट्राइबल सब-प्लान क्षेत्र में आता है। वहां पर प्रमुख रूप से आदिवासी समाज की एक मोहताना नाम की बहुत बड़ी हमारी समस्या है। माननीय गृह मंत्रीजी, आप मोहताना के ऊपर, यह हमारे समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी, दोनों के लिए चुनौती बनती है और कभी-कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि उस मोहताना के नाम को लेकर आमने-सामने दोनों पार्टियां मरने-मारने के लिए उतारू हो जाती हैं और प्रशासन को उस समय सारी व्यवस्था सम्भालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप स्पेशली इसको नोट करें और इस पर चर्चा करें कि इसके लिए आखिर उस पूरे क्षेत्र के लिए क्या ऐसी व्यवस्था की जाये।

दूसरा, एक निवेदन और करना चाहूंगा। वहां पर हमारे उस आदिवासी बैल्ट में दहेज प्रथा नहीं होती है। हम हमारी लड़की की अगर शादी करते हैं तो उल्टा उस लड़की को बाप उसको गिफ्ट में देता है। हम हमारी लड़की अगर किसी को वहां देते हैं तो उसको हम गिफ्ट में देते हैं हमारे से जो भी बन सके। हम दहेज लेते नहीं है लेकिन आज कहीं भी छोटे-मोटे ऐसे कोई पति पत्नी में झगड़ा हो जाये, अगर कोई इस तरह से वर-वधू के बीच में प्रकरण पैदा हो जाये और मां-बाप यह चाहते हैं कि उसको छोरी को नहीं भेजनी है तो यह दहेज प्रथा वहां लगा दी जाती है और दहेज प्रथा में हम लोगों को इस तरीके से पीसा जाता है। माननीय गृह मंत्रीजी, इस पूरे बैल्ट की मैं बात कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस बात पर आप विचार करें।

(श्री जीतमल खांट)

तीसरा, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे पूरे उदयपुर इलाके में चाहे बांसवाड़ा हो चाहे डूंगरपुर हो चाहे प्रतापगढ़ हो चाहे सिरोही का इलाका हो, मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं। स्पेशली हम उदयपुर जोन के लिए कह रहे हैं बलात्कार की घटनाओं में सच्चाई के तौर पर 100 में से पांच प्रतिशत हो सकती है, 95 प्रतिशत हमारे यहां बलात्कार की जो घटनाएं हैं, वे झूठ का पुलिंदा साबित होती हैं। एक आदमी दूसरे आदमी पर अपना गुस्सा निकालने के लिए और विशेष रूप से हमारे आदिवासी समाज में कोई कभी झगड़ा होगा, हमारे खेत-खलिहान का, कहीं मेड़ का, कहीं पेड़ का तो हम लोग बालिग या अबला को आगे करके बलात्कार के रूप में इस तरीके से खड़ा कर देते हैं और वहां पर अधिकारी यह कहते हैं कि बलात्कार के मामले में वह सामने बयान कर रही है और कई सारी अबलाएं ऐसी हैं जो बयान देने में इतनी पारंगत होती हैं कि सामने वाले आदमी के पसीने छूट जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, इस बलात्कार के प्रकरण में पूरे उदयपुर डिवीजन में जो भी दर्ज हो रहे हैं, उनके ऊपर भी आप विचार करें और कोई न कोई आप नीति बनायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। सभी माननीय सदस्यों ने भत्ते, वेतन वृद्धि के अन्दर विसंगतियां, नफरी बढ़ाने इत्यादि-इत्यादि पर अपने काफी सारे सुझाव यहां पर सदन में दिये हैं। मैं निश्चित रूप से इस बारे में तो कहना चाहूंगा कि 24 घंटे जो आदमी लॉ एण्ड आर्डर, कानून-व्यवस्था में सुधार करने के लिए अपने हर तरीके से कठोर परिश्रम के साथ में ड्यूटी निभाता है। मेरा सुझाव है कि गुजरात के पैटर्न पर कम से कम उसको साप्ताहिक छुट्टी देने का प्रावधान है तो क्यों नहीं इस राजस्थान में आप इसका एक्सपेरिमेंट करें कि यह कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है लेकिन सप्ताह में इसको किस ढंग से रोटेशन के तौर पर एक साप्ताहिक अवकाश का कोई न कोई ऐसा प्रावधान हो ताकि आठ घंटे की ड्यूटी तो हो लेकिन कम से कम सप्ताह में एक दिन उसको रैस्ट मिले या किस तरीके से हो, आप उस पर विचार करें और यह व्यवस्था गुजरात पैटर्न पर चल रही है।

मैं इस मौके पर यह भी कह देना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारे प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य यहां पर अपने वाद-विवाद में कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे थे लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह

(श्री जीतमल खांट)

हमारा जहां हैडक्वार्टर है, जहां जिले का एस.पी. बैठता है, जहां हमारे जिला कलक्टर बैठता है। भाभोर नाम का गांव है। वर्ष 2002 के अन्दर एक परिवार के तीन लोगों की हत्या हुई थी। आज दिन तक उसका राज नहीं खुला है और उस समय मैं नहीं कहना चाहता हूं कि भगवान के घर सिधारे हुए हमारे पूर्व गृह मंत्रीजी शक्तावत साहब थे, उनके नोटिस में डाला लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि आदिवासी परिवार के तीन लोगों की एक साथ हत्या हुई और उसको आज दिन तक न्याय नहीं मिला। वह सी.आई.डी. सी.बी. में भी गया। आखिर आज वह कहां तक किस प्रगति पर है। आप निश्चित रूप से अपनी डायरी में नोट करें और सदन में बताने का श्रम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में एक ही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा और पूरे सदन से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी, मैं बड़े विनम्र शब्दों में आपसे आग्रह करना चाहूंगा, यह घटना है, 21.7.2007 की, अब्बास उम्र चार वर्ष, निवासी नई आबादी बांसवाड़ा। उसकी माता श्रीमती फरीदा निवासी नई आबादी बांसवाड़ा। पुलिस कोतवाली से मात्र 500 मीटर की दूरी पर यह पुलिस से फरियाद करती है कि मेरा बालक सायंकाल में खेलने गया हुआ था। वहां से वह साढ़े सात बजे गायब हो जाता है और गायब हो जाने के बाद में सारी रात भर सिटी बांसवाड़ा और रिश्तेदारों के वहां तलाश की जाती है। उसके पश्चात् होता यह है कि 22.7.2007 को यानी अगले सबेरे तलाशी के दौरान इदरीस पुत्र फखरूद्दीन निवासी मुस्लिम कालोनी, अब्बास अली पुत्र तैयब अली छींस वाले, निवासी नई आबादी, बांसवाड़ा टेलीफोन पर सूचना देते हैं कि अब्बास की लाश रतलाम रोड के किनारे कागदी बैक वाटर की झाड़ियों में जहां पेड़ व ब्ल्यू नैकर दिखाई दे रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण को लेकर पूरे बांसवाड़ा जिले के अन्दर चाहे वह किसी भी समाज का आदमी हो, लेकिन एक तरीके से आन्दोलन खड़ा कर दिया और वहां पर गृह मंत्रीजी के और मुख्य मंत्रीजी के पुतले जलाने का काम हुआ और उस बालक के हत्यारे का, जो चार वर्ष का बालक है, वहां से उठाकर ले जाता है कोई आदमी, अपराधी और चार साल के उस बालक के साथ में इस तरीके से घिनौना काम किया और उसको मार कर के झाडियों में फेंक दिया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि इस तरह के अपहरण की घटना पूरे राजस्थान में होती है लेकिन क्या इस बांसवाड़ा जिले के हमारे जिला कलक्टर

(श्री जीतमल खांट)

महोदय, क्या वहां के एसपी महोदय क्या वहां के थाने के कोतवाली इंचार्ज महोदय उस चार साल के बच्चे की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई और आज इतना समय बीत जाने के बाद में भी उस हत्या के हत्यारे तक नहीं पहुंच पाये, मुझे यह कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है पूरे सदन को कि चार साल के बच्चे को, कौन सी जात का था, कौन से धर्म का, किस मजहब का था, यह मुझे नहीं कहना है, लेकिन कम से कम उस चार साल के बालक को जिस ढंग से कत्ल किया वहां जाकर के, आप और हम सबको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि इतने बड़े संवेदनशील मुद्दे पर, उस अपराधी ने किस तरह से वहां पर कंट्रोल किया और वहां पर ऐसा दवाब बनाया और पुलिस कहती है कि वह तो घर में ही कोई आदमी है लेकिन उसका खुलासा वह खुद नहीं चाह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई घर का आदमी किसी आदमी की अगर हत्या कर दे तो वह धारा 302 में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वहां के थाना वृत्त कोतवाली का सी.आई. है, वहां का स्टाफ है, इनकी नजरों में है और इतना बड़ा काण्ड होने के बावजूद भी उस सी.आई. ने आज दिन तक, मैं चार्ज लगाना चाहता हूं, पूरे पुलिस प्रशासन ने उस पर पर्दा डालने का प्रयास किया। आज उस चार साल के बालक को, मैं यह नहीं कहता, उसके साथ में जो होना था हो गया लेकिन उसका कत्ल करने वाला जो अपराधी है वह अगर शिकंजे में जायेगा तो भगवान उसका कहीं न कहीं न्याय सुनेगा, कोई न्याय देगा उसको और मैं चाहूंगा, आप जैसे प्रखर वक्ता, स्पष्टवादी गृह मंत्री हों और आज बांसवाड़ा के अंदर सारे समाज के लोगों ने इस बात को लेकर बहुत बड़ा आन्दोलन खड़ा कर दिया और इसके बावजूद भी उसके हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जाय...

श्री सभापति: आ गया, माननीय सदस्य ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी, आप अपनी कोई न कोई इस पर सदन में इस बात को रखें और स्पष्ट करें कि आखिर में ऐसे हत्यारे, चार साल के बच्चे की जो हत्या करने वाला है, ऐसे हत्यारे को गिरफ्तार होना चाहिए तो भगवान के साथ में आप और हम न्याय करेंगे। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आदरणीय उपाध्यक्षजी, आज पुलिस की..

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: छोड़ो, फिर दे देंगे मौका। पूछ लेना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मांग संख्या 16 और 17 के बारे में माननीय 72 सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव जो 183 हैं वह दिये हैं, इसके साथ ही लगभग 27 लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किये हैं। जो भी बात कटमोशन के माध्यम से, यहां सदन की डिबेट के माध्यम से आपने उठाई है, जिनका उत्तर इस समय सम्भव होगा इस समय दूंगा, नहीं तो पन्द्रह दिन में प्रत्येक घटना में जो कुछ भी हम कर पाये हैं या जो कुछ भी हम कर सकेंगे, उसके बारे में लिखित जवाब मैं अपनी तरफ से निश्चित रूप से भेजूंगा और वह केसेज जिसके बारे में आपने यहां चर्चा की हो, चाहे वह बांसवाड़ा का हो और चाहे वह और किसी जगह का हो, उन केसेज को, जिनको आपने आज यहां नोट कराया है, मैं अपने पास जो भी क्षमता है उनको लगाकर एक बार फिर से उन केसेज को दिखवाऊंगा और उसमें से अगर अभियुक्त पकड़े जायेंगे तो यह हमारे लिए भी प्रसन्नता होगी, मेरे विभाग के लिए भी एक संतोष का विषय होगा, इसको छिपाना या इसको कोई रफा-दफा करना न मेरी मंशा है, न मेरे विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी की इच्छा है। कहीं न कहीं कोई कमजोरी रही, या वहां तक पहुंचने में कोई ढिलाई रही तो हम उससे ऊपर के स्तर के लोगों को लगाकर उन केसेज को एक बार फिर से दिखायेंगे और वह चाहे केस कितना ही पुराना मर्डर क्यों न हो, उसको खोलने में जरूर जो प्रयत्न हमसे हो सकते हैं वह हम जरूर करेंगे। सामान्यत: जिस विषय पर डिबेट चला है कि अपराध बढ़ गये हैं, घट गये हैं, यह बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, अगर इसकी संख्या के आधार पर किसी को अपन आरोपित करने का प्रयास करेंगे तो मेरे पास वह सारे आंकड़े हैं, पिछली सरकार की पूरे पाँच साल की जन्मपत्री मेरे पास है और मैं उस जन्मपत्री को पढ़ूंगा तो एक भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें पिछली सरकार से हमारे अपराध कोई ज्यादा हों। लेकिन इसको आधार बनाकर अपने काम को अच्छा बताने का, यह दुष्प्रयास मैं नहीं करूंगा कम से कम। मैं यह जरूर चाहूंगा कि अपराध घटित होना, यह सम्भव है, ऐसा कोई युग आ जायेगा जब अपराध ही नहीं होंगे तो वह तो स्वर्णिम काल होगा जो आपके और मेरे, दोनों के लिए अच्छा होगा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अब तक तो भगवान राम से लेकर यहां तक चले आये, अभी तक तो इसमें सफलता किसी को मिली नहीं, लेकिन अपराधी को दण्डित करना, उसकी छानबीन करना, सच्चाई तक पहुंचना और उसके आधार पर निर्णय करना, यह मेरा और मेरे विभाग के सारे अधिकारियों का कर्तव्य है जिसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। कमियां-खामियां रह सकती हैं, मेरे विभाग में भी सारे ही लोग इतने सक्षम होंगे, इतना अभिमान भी मैं नहीं कर सकता हूं पर इतना भी मन कमजोर नहीं है कि मेरे अधिकारियों में कोई क्षमता नहीं है क्योंकि राजस्थान के हमारे पुलिस विभाग ने जो-जो केस खोले हैं उसको हमने नहीं, दुनिया के लोगों ने हमारे को सराहा है, हमारा सम्मान किया है। कमियां भी रही हैं, निश्चित रूप से कुछ केसेज में हमारी कमियां रही होंगी, ढिलाई रही होगी या कोई हमारे मन में और कोई बेइमानी रही होगी, उसके कारण से जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था वहां हम नहीं पहुंच पाये होंगे लेकिन मन में किसी प्रकार का यह नहीं है कि इसको कोई बचाना है या इसको कोई संरक्षण देना है। अपराधी न किसी पार्टी का होता है, न किसी जात का होता है, अपराधी अपराधी होता है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उस अपराधी को निश्चित रूप से दण्डित करें और मैं, माननीय सदस्य ने वास्तव में जो कुछ लोगों ने उठाया, सच में अगर हमारी यह जो टीम, जो जन-प्रतिनिधियों की टीम आती है, यह ईमानदारी से अपने मन में एक संकल्प कर लें कि कम से कम इस डिपार्टमेंट में सच को झूठ बनाने के लिए प्रयास और दुराग्रह नहीं करें, अगर सच्चाई का पता लग जाय तो बैक हो जायें, उसको कहा होगा, कह सकते हैं हम, हम जन-प्रतिनिधि हैं, जो भी हमारे पास आयेगा उसके बारे में हम निश्चित रूप से कहते हैं, मैं भी कहता हूं, दूसरे भी कहते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है लेकिन सच्चाई की जानकारी मिलने के बाद भी जिद्द करके उस विषय को निर्णय तक नहीं पहुंचने देना, यह लोकतंत्र का भी मजाक होगा और हमारे मन को भी इसकी पीड़ा होगी। मैं इसके लिए यह नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कहें, आप जरूर कहें, क्योंकि हम हैं ही जन प्रतिनिधि, हमारे पास जो भी आयेगा, चाहे वह अपराधी आ गया तो भी आयेगा और चाहे वह दुःखी है तो वह भी हमारे पास आ गया तो हम उसे कहते, लेकिन कहने के बाद अगर सच्चाई तक पुलिस पहुंच रही है और वह आपको जानकारी दे रही है तो फिर उसमें सहयोग करना चाहिए, यह मैं केवल आपसे प्रार्थना कर सकता हूं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विषय बहुत लम्बा है और दिन भर आप लोग भी चले, लेकिन मैं कुछ मोटी-मोटी बातें हैं इस विभाग की, जो कुछ अब तक हम लोग कर पाये हैं, उसके बारे में मैं जरूर आपके सामने अपने विषय को रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला जो विषय है किसी भी सरकार का, वह है उसका बजट और उसका खर्च। मैं सोचता हूं कि इसका विश्लेषण आप में से किसी ने करने की कोशिश नहीं की कि पिछली सरकार में और इस सरकार में आधारभूत अंतर है और इस अंतर को हम समझने का अगर प्रयास करेंगे, 99 से जब पुलिस का बजट 660 करोड़ का था, आज की तारीख में इस बजट में उसका बजट बढ़ करके आपका 1321 करोड़ का हुआ। जो काम पचास साल में बजिस रेंज तक हम आये थे उस रेंज तक इन पिछले, जिसमें आपके पांच साल का कार्यकाल भी है, एकदम यह बजट 1321 करोड़ पर आया है, इसका मतलब निश्चित रूप से पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी सरकार की क्षमता थी और जो भी साधन उसके पास उपलब्ध थे वह साधन देकर के इसको स्ट्रेंथन देने का प्रयास किया है। अगर इसकी और भी गहराई में जायें तो पिछली सरकार को जितना पैसा मिला, जितना बजट हर साल मिला उतना जितना खर्च करना था, केवल एक साल ऐसा है 1999-2000 का जिसमें आपको 660 करोड़ मिला था उसकी जगह 703 करोड़ खर्च किया, 43 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च किया, यह आपकी विशेषता रही है। उसके बाद के सालों में अगर आप चलो, 2000-01 में 760 करोड़ मिला, 721 खर्च हुआ, माइनस 38 करोड़ रुपये। उसके बाद नैक्स्ट साल में माइनस 57 करोड़, उसके बाद 2002-03 में फिर 51 करोड़ माइनस, फिर 2003-04 में फिर 10 करोड़ माइनस। अर्थात् जितना जो कुछ भी बजट इस विभाग के पास था उसमें से भी 115 करोड़ रुपये आप खर्च नहीं कर पाये। पहले तो इस विभाग को मिलता ही कम है और जो कुछ मिला उसको भी समय पर खर्च नहीं करने से एक तरह से पुलिस को स्ट्रेंथन करने में हमें कहीं न कहीं कमी रह गयी है लेकिन इसके बाद के जो साल हैं, मैंने ये फीगर कोई अपने मन से नहीं बनाये, मैंने जो फीगर लिये वो आपके इस सारे रिकार्ड से ही लिये हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि 2004-05 में हमको 914 करोड़ रुपये मिले 916 खर्च किया प्लस 2, उसके अगले साल 955 करोड़ मिला हमने खर्च किया 970, 15 करोड़ प्लस, उसके बाद मिला 107 करोड़ हमने खर्च किया 130, 23 करोड़ प्लस। ऐसे मिला करके ये तीन साल का है इस साल का तो अकाउंट अभी हमारे पास आया नहीं है उसके कारण से उसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

फीगर कितने कम ज्यादा हैं, तो हमने इस पीरियड में चालीस करोड़ रुपये एक्स्ट्रा खर्च किये माइनस नहीं किया। हमने बजट का पूरा उपयोग करने का प्रयास किया जो भी हमको मिला है हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही आप अगर देखेंगे कि हमने जो बजट घोषणाएं की हैं उसकी सेंट परसेंट पालना की है । एक भी ऐसी जो मुख्य मंत्री जी ने की या हमारे द्वारा हुई जो भी हमने कहा उसको हमने पूरा किया। केवल एक में हमें थोड़ा विलम्ब हुआ वह है दस हजार क्वाटर्स जो 2005-06 के बजट में था उसको अब जाकर के क्रियान्विति करके काम को प्रारम्भ कर पाए। इसमें जरूर विलम्ब हुआ बाकी किसी भी काम में कोई विलम्ब नहीं और आपको यह संतोष होगा हमने पिछले बजट में यह कहा था कि हम 5200 नये कांस्टेबल भर्ती करेंगे तेरह सौ-तेरह सौ के हिसाब से, हमने दो फेज उसके तेरह सौ-तेरह सौ के पूरे कर लिये। दूसरे फेज के लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक में या दस पन्द्रह तारीख तक अपनी ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। दो फेज अभी बाकी हैं और इसमें भी तीसरा फेज करते समय जब हमारे ध्यान में आया कि कुछ लड़के गलत तरीके से क्योंकि फोटो का मिलान एक जगह किया एक जगह नहीं किया, फोटो के मिलान करते समय में जब लगा कि ये जो दौड़ में आया लड़का इसका फोटो इससे मैच नहीं कर रहा है यह क्या मामला है तब हमने इसकी छानबीन की और उसमें चालीस लड़कों को हमने गिरफ्तार किया। इस प्रकार से हमको किसी दूसरे ने नहीं बताया कि इसमें कोई गड़बड़ हो गई। हमने और हमारे विभाग के मन की थी कि ये गलती कैसे हो गयी और उसके कारण से हमने छानबीन करके उनको दंडित करने का प्रयास किया।

इसी तरह से आपने देखा होगा हमने कहा था कि सभी उपखंड मुख्यालयों पर सीआई की पोस्ट बन जाएगी। 53 पोस्टें थीं 53 की 53 बन गई। कुछ जगह पोस्टिंग करना अभी भी बाकी रहा, बाकी सेंट परसेंट, डेढ़ सौ चौकियां हमने सृजित करने की बात कही थी, डेढ़ सौ चौकियां हमने प्रारंभ कर दी। हमने कहा कि सात सौ पचास होमगार्ड को हम ट्रेफिक में लगायेंगे तो सात सौ पचास होमगार्ड को हमने ट्रैफिक में लगा दिया। तीस प्रतिशत महिलाओं की भर्ती हम करेंगे इस बात की घोषणा हमने की और इस साल के जो अभी हमारे दो बैच हुए उनमें एक पूरा हो गया एक में तीन सौ अठारह हो गईं। पिछली बार भी हमने इसकी पूर्ति करने की कोशिश की लेकिन पिछली बार जितनी महिलाएं हमारे हिसाब से आनी चाहिए थी उतनी सलेक्ट नहीं हुई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और इसलिए हमने जितनी भर्ती की उसके अगेंस्ट में सोलह सौ महिलाओं को आपको सुनकर के प्रसन्नता होगी कि राजस्थान में जब से राजस्थान बना है तब से लेकर के ये जो शुरूआत हुई महिलाओं की तब तक सारी स्ट्रेंथ कांस्टेबल से लेकर हाईयेस्ट रैंक तक में एक हजार हमारे पास महिलाएं थीं और अभी हमने इस सलेक्शन से सोलह सौ पहले की, तीन सौ अभी की और बाकी एक पूरी की पूरी अभी आपको लगेगा कि हमने हाड़ी रानी बटालियन जो केन्द्र से हमको थोड़ी विलम्ब से स्वीकृति मिली उसमें नौ सौ महिलाओं की और स्वीकृति होकर मैं सोचता हूं कि देश में पहला राज्य होगा जिसने इस प्रकार की आरएसी बटालियन और महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या की पूर्ति करने का प्रयास किया और उसमें हमको सफलता भी मिली है।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि हमने विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए तीस मोबाइल यूनिट की पिछले बजट में कही थी। सेंट परसेंट हमने वो सारी की सारी यूनिट जो हैं हमारी हैं । इसी तरह से हमने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि अगले वर्ष में सेंट परसेंट थाने हमारे कम्प्यूटराइज्ड हो जाएं। मैं आज विधायकों को और विशेष करके और जोधपुर से आने वाली विधायक बहन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों की मदद से और आप सब लोगों के सहयोग से हम आज इस स्थिति में पहुंच गये कि लगभग राजस्थान का में हो सकता है कहीं कोई पहुंचने में या देने में या उसके कारण से न पहुंचा हो बाकी सेंट परसेंट थाने जो हैं वो कम्प्यूटराइज्ड हो गये हैं आज की तारीख में और उसमें से भी आपने देखा होगा कि सीपा के प्रोजेक्ट से हमको चार सौ बानवे कम्प्यूटर मिले, पुलिस विभाग से 264, विधायक और सांसदों से हमको 213 कम्प्यूटर हमको मिले हैं, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग से 209 कम्प्यूटर मिले, जनता ने भी और बाकी एजेंसियों ने भी हमको सहयोग किया उन्होंने भी और 289 इतने सब मिला करके 1467 कम्प्यूटर थाने में भी, डीवाईएसपी और बाकी जहां-जहां भी विभाग में हैं उसमें आज हमने लगभग सेंट परसेंट पूर्ति की है। तो मैं सोचता हूं कि जो घोषणा की उस घोषणा को हमने पूरा करने का प्रयास किया।

अब जहां तक हम राजस्थान और उसके पुलिस बल के बारे में विचार करते हैं यह बात सही है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला प्रदेश है हमारा। लगभग 1040 किलोमीटर की इतनी लम्बी अन्तरराष्ट्रीय सीमा किसी की नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है हमारी है। सैंतीस वर्ष में 1971 की जनगणना के आधार से लें तो 2.5 करोड़ जो जनसंख्या थी वो आज 6.6 पहुंच गई। क्राइम जो हमारा 38 हजार था वो आज 1.5 लाख मतलब डेढ़ लाख पर पहुंच गया। पुलिस बल में भी इन सालों के फीगर को मिला करके लगभग अब हम दुगुने के आसपास पहुंचे हैं पहले जो छत्तीस हजार हमारी स्ट्रेंथ थी वो लगभग बहत्तर हजार के आसपास पहुंच गयी है तो लगभग दुगुने हुए हैं। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से आकें तो 961 लोगों पर राजस्थान में एक पुलिस है और हिन्दुस्तान की दृष्टि से अगर मानें हम अगर लाख की जनसंख्या के आधार से तो सबसे नीचे में उड़ीसा है और उसके ऊपर हम हैं 27वां स्थान है हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से जो कुछ भी प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से है राजस्थान की पुलिस की मतलब इतनी पुलिस कम, इतना एरिया लम्बा चौड़ा, इतने अपराध उसके बाद भी जो कुछ भी उपलब्धियां आंकड़ों में हैं वो वास्तव में प्रशंसनीय हैं। हम सब लोगों ने, आज मैंने हाउस की जो मंशा देखी कि आपने पुलिस के काम को, उसकी कमी थी तो उसको बताने की कोशिश की और उसकी मदद के लिए भी अपने विचारों को रख करके एक तरह से काम में आगे बढ़ाने के लिए जो आपका बल मिला वो निश्चित रूप से अपने काम में सुधार करेगा। अगर इसको ग्रामीण क्षेत्र में लें तो लगभग 2420 पर एक पुलिसमैन आता है। अगर इसको किलोमीटर के हिसाब से लें तो लगभग 4.8 किलोमीटर पर एक पुलिस की प्रजेंस आती है । इतनी कम संख्या है लेकिन आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा अगर हिन्दुस्तान में चौकियां किसी ने स्थापित करने का प्रयास किया, हमने एक यह नया बनाया शायद हम थाना नहीं बनायेंगे तो कोई बात नहीं हम चौकियां अधिक से अधिक बढ़ायें और चौकियां भी हमने एक मिनी थाने का रूप दिया था 1 एसआई और 6 कांस्टेबल केवल पहरा लगाने वाला आदमी नहीं होगा, रिकार्ड का नहीं होगा बाकी चीजें नहीं होंगी वो एक मिनी थाने के रूप में ही रहेगा और वो भी मैं सोचता हूं कि हिन्दुस्तान में केवल गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जिसके पास पुलिस चौकियां हमसे ज्यादा हैं बाकी राजस्थान के पास जो अभी 139 और घोषित हुई हैं अगर इनको जोड़ लें तो हमारे पास 1085 चौकियां हो जाएंगी जो अपने आपमें राजस्थान को सुरक्षा की दृष्टि से कवर करने की दृष्टि से कुछ हो रहा है।

जब मैंने आपके इन सारे कटौती प्रस्तावों को देखा तो लगभग 68 कटौती प्रस्ताव तो इसी बात के थे कि थाना खुलना चाहिए, चौकी बननी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चाहिए, हमारा डीवाईएसपी आफिस बनना चाहिए, सीओ सर्किल की जगह एडिशनल एसपी बनना चाहिए 68 प्रस्ताव तो इसी के हैं। अब मैं इस समय एक-एक के प्रस्ताव का जवाब तो नहीं देता हूं कि कहां खुलेगा लेकिन जो मुझे मिला है आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, क्राइम को ध्यान में रखते हुए जो भी उचित होगा पच्चीस थाने मिले हैं, ये पहली बार इसमें मतलब अभी हमारे सारे मिला करके 716 थाने हो जाएंगे, 1095 हमारी चौकियां बन जाएंगी । पुलिस का जो संख्या बल बढ़ा है ये भी इन पांच सालों का एक रिकार्ड रहेगा कभी कोई अगर इसको इतिहास में पढ़ेगा तो इन पांच सालों में अभी 14200 पुलिस तो इन तीन हजार को जोड़ते हुए बन रहा है। पिछली सरकार ने सात हजार कांस्टेबल्स की भर्ती की। अभी हमको ये जो हाड़ी रानी बटालियन जो मिलेगी इसकी नौ सौ को अगर हम और जोड़ते हैं तो लगभग मैं सोचता हूं कि 15000 कांस्टेबल्स की भर्ती होना शायद एक चमत्कार ही कह सकता हूं माननीय मुख्य मंत्री का। यद्यपि हमने उनको बार-बार परेशान किया आप सब लोगों की भावनाओं को लेकर के बार बार जाते रहे लेकिन उन्होंने भी दिल खोल करके 15000 कांस्टेबल्स की नयी भर्ती इन पाँच सालों में करना एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर के पुलिस को स्ट्रेंथन करने का जो उन्होंने मन बनाया उसके लिए उनका भी बहुत-बहुत आभार। कितनी नियुक्तियां हुईं वो मैंने आपको अभी सब बताई हैं लेकिन इसके साथ ही आपने देखा कि हमने चौकी जो बताई वो भी सब इंस्पेक्टर की 302 सब इंस्पेक्टर की पोस्टें नयी इसके कारण से क्रियेट हुई हैं।

अगर सारी चौकियों को जो पिछली सरकार ने खोली उनको और इस सरकार की अगर हम आंकलन करें तो पिछली सरकार ने 9 तो थाने खोले पाँच साल में और 19 चौकियां खोली और इस सरकार ने अभी 7 थाने पहले खोल चुके, 25 अभी सैंक्शन दी, टोटल हो जाएंगे 32 थाने और इसके साथ ही 157 चौकियां, 150 तो वो दी पहले सात चौकियां हमको एक्स्ट्रा दी थी बीच के इस समय में उनको मिलाकर 139 और....

श्री अमराराम (धोद): ...(व्यवधान) वह और जोड़ दो इसमें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): वह जोड़ेंगे इसमें, अभी नहीं जुड़े हुए हैं...

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): नंदीग्राम के थाने भी जोड़ दो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसी तरह से आपने देखा कि हमने इमरजेंसी रेस्पोंस टीम अलग से बनाई, उसमें मुख्यालय है ही सम्भागीय उसके अलावा गंगानगर और अलवर इसमें 306 पुलिस कर्मी और दिए। मैं सोचता हूं कि यह पहली बार एक सोच आया कि जो थाने की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना चाहिए और हमने जो 12 के थाने हैं, वह अब सब के सब 12 के थाने जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनकी संख्या 15 की है, यह 199 थाने हैं जिनकी संख्या 12 से हमने 15 की है, 15 से 18 की जो उप-नगरीय हैं या छोटे शहर हैं उनमें जो संख्या 15 की स्ट्रेंथ थी उनको हमने 18 की और शहरी क्षेत्र के जो थाने 18 के थे उनको हमने 20 की है। यही नहीं आप अगर इन फिगर्स को देखेंगे तो वास्तव में पाच वर्षों में कुछ किया है, कुछ हुआ है अगर आप देखेंगे कि नए पद कितने सृजित हुए? पिछली सरकार के समय में सीआई के 53 हुए हमने किए 97, पिछली सरकार ने एसआई के 151 हमने किए 397, पिछली सरकार ने एएसआई के 349 हमने किए 1545, हैड कांस्टिेबल के पिछली सरकार ने किए 218, हमारे इस समय हुए 308, कांस्टिेबल के नए पद भर्ती तो आपने भी सात हजार की लेकिन वह सारी पुरानी उसके साथ में एडजेस्ट हुई उसमें हुई 399 नए पद जो लिए एक्स्ट्रा और हमने अभी 3884 तो यह और 900 उनको जोड़ेंगे तो इतने पद नए सृजित किए हैं।

अब पुलिस आधुनिकीकरण का जो पैसा मिला यानी बिना प्रयत्न किए, बिना विभाग के सारे अधिकारियों के लगे यानी सच में आप सब लोग मेरी तारीफ करें, सच में यह तारीफ नहीं है मेरे साथ काम करने वाले जो मेरे डीजी हैं या मेरा सेक्रेटरी या जो स्टाफ है इनकी मेहनत के परिणाम से यह परिणाम आए। वास्तव में उन लोगों को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए, अगर वह मेहनत नहीं करते तो मैं अकेला भी क्या करता? मैं उसमें कौनसा करिश्मा कर लेता, उनकी मदद के बिना उस किसी भी काम को क्रियान्वित नहीं कर सकता। मुझे आज इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जितना हमको मॉर्डनाइजेशन में पैसा मिला, पिछली सरकार को भी मिला उसने उनका क्या उपयोग किया? मैं आपको बताता हूं पिछली सरकार में उपकरण खरीदने के लिए 92 करोड़ रुपया मिला था, प्राप्त राशि हुई थी पिछली सरकार को 2000 से लेकर 2004 तक 92 करोड़, खर्च हुआ था 69 करोड़, 23 प्रतिशत खर्चा हुआ और हमने उपकरण के लिए हमें पैसा कितना मिला नया तो केवल 62 करोड़ ही मिला लेकिन जो आपका बचा हुआ 23 करोड़ था वह साथ मिला 85 करोड़ हमको कुल मिला, उसमें से हमने 82 करोड़ रूपए खर्च कर दिया मात्र 3

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करोड़ रुपये के उपकरण खरीदने में अभी हमको यूज करना बाकी है। बाकी सेंट परसेंट। इसी तरह से भवन निर्माण में पिछली सरकार को मार्डनाइजेशन में 73 करोड़ मिला, उस 73 करोड़ के अगेंस्ट में खर्च कितना किया 9 करोड़, केवल 12 प्रतिशत पैसा मिला, हमने कोई नहीं, पैसा मिला लेकिन खर्च नहीं कर पाये, केवल 12 प्रतिशत, हमको 71 नया मिला और दरअसल जो इनका बचा हुआ था वह हमको मिला ऐसा करके 134 करोड़ मिला, हम 100 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं, 34 करोड़ रुपये का अभी काम प्रोसेस में चल रहा है जो 74 प्रतिशत हमको मिला है उसको हमने खर्च किया है।

मैं सोचता हूं कि हमने खर्चा करके भी जिस प्रकार के साधनों की आवश्यकता है, उसको हमने उसमें खर्च करने का प्रयास किया। नये पुलिस थाने हमने इसमें 80 बनाए, बैरक 60 बनाई, चौकियां 44 बनाई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय या उसके निवास का 37 बनाई, पुलिसकर्मियों के लिए आवास 159 बनाई, एक हमने डीएनए विधि विज्ञान प्रयोगशाला की लैबोरेट्री बनाई और दो क्षेत्रीय एक उदयपुर की, एक कोटा की यह बनाई और 13 बॉर्डर इंटेलीजेंस की जो पोस्ट है वह हमने क्रिएट की। यही नहीं व्हीकल खरीदने की दृष्टि से भी इस बात की हमेशा मांग उठती है कि पुलिस को सेंसर करिए, यह बात सच है कि आज भी उस कमी की पूर्ति तो हम नहीं कर पाये। माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी चौकी पर भी आप फोर-व्हीलर दे, जैसे भीम से आने वाले सदस्य अभी हमारी स्थिति इतनी नहीं बनी, अभी हमारे कई थाने ऐसे हैं जिनमें भी पुरानी गाड़ी से हम अपना काम चला रहे हैं, हम पर्याप्त कोशिश कर रहे हैं, अगर हमको साधन मिलेंगे, मोटर साइकिल हमने खरीदी है 913, फोर-व्हीलर खरीदे हैं 848, मध्यम वाहन खरीदे 15, भारी वाहन 16, एम्बुलेंस 7 मतलब 1799 अर्थात 1800 व्हीकल इस समय में खरीद करके पुलिस को हमने सेंसर करने का प्रयास किया है कि हमारी पुलिस की आवश्यकता की पूर्ति हो। मैं सोचता हूं कि इस पुलिस विभाग के जीवन में इससे बड़ा सुनहरा अवसर कोई नहीं होगा कि दस हजार मकान बनाने की एक साथ स्वीकृति देकर उसका काम प्रारंभ कराया। मैं थोड़ा सा आपको पुराने फिगर्स ले जाना चाहता हूं कि वास्तव में इस पुलिस की आवश्यकता क्या थी और क्या हमने अब तक पूरा कर पाया? मतलब 99 तक जिसमें 99 में आपकी शुरूआत थी, पुलिस चाहिए था एएसआई और ऊपर वाले जो हैं उसमें 7628 मकानों की जरूरत थी, 1464 की हम पूर्ति कर पाये केवल 19 प्रतिशत,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से जो लोअर है अर्थात कानिस्टेबल और हैड कानिस्टेबल उसमें हमने 61 हजार 82 हमारी स्ट्रेंथ है उसमें से हम केवल 9 हजार क्वाटर्स बना सके, केवल हम 15 प्रतिशत उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर पाये। उसके बाद 1999 से लेकर हमने 2007 तक उसमें हम भी सम्मिलित है, आप भी सम्मिलित है यानी आवश्यकता थी हमको लोअर सब-ओर्डिनेट की 61749 और उसके अगेंस्ट में हम बना पाये थे 23300 उसमें आपका शासन भी था, हमारा भी था जो लगभग 37 प्रतिशत उसकी आवश्यकता की पूर्ति हुई और अपर वाले में हमने 8987 की आवश्यकता थी उसमें हम केवल जो है 1900 बना पाये और लगभग 19 प्रतिशत थी इस बार इस पूर्ति के कारण से यह भी सेंट परसेंट हमारी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति तो नहीं होगी लेकिन उसके बाद भी लगभग हमको अभी जो शोर्टेज रहेगी यह मिलाकर के अपर सब-ओर्डिनेट में हमको 32 प्रतिशत की इतनी आवश्यकता की पूर्ति कर पाएंगे और कानिस्टेबल और हैड कानिस्टेबल में 61 प्रतिशत जो उनकी आवश्यकता है, उनको हम पूरी कर पाएंगे। मैं सोचता हूं कि इतना बड़ा दस हजार मकान बनाना, यह केवल बनाना ही नहीं है हमने केवल यही नहीं इसकी मानिटरिंग भी की कि कौनसी एजेंसी बनाएगी? पीडब्लूडी बनाएगी 4327, आरएसआरडीसी बनाएगी 3735 और आवास विकास बनाएगी 1938, इसमें से भी काम कितना शुरू हुआ? हमने इस बात को भी नहीं कि खाली इसमें डाल दिया जो काम निर्माण का चल रहा है इस समय में वह 1439 चल रहा है। जिनकी निविदाएं पूरी होकर के जिनकी सेंक्शन निकल गई काम के लिए वह 5125 है, अभी 1981 ऐसी हैं जिनकी निविदाएं प्रोसेस में है, वापस री-टेंडर करना पड़ा, 261 क्वाटर्स ऐसे हैं जिनकी जमीन का आज भी विवाद है उस विवाद के कारण से और जिनकी निविदाएं हमको निकालनी हैं 1094 ऐसे मिलाकर के हमने इस बात की भी कोशिश की कि इतना बड़ा पैसा जो हमको मिला है इसका लाभ भी उस कांस्टेबल को, नीचे के स्तर के उस व्यक्ति को मिले इस बात की चिंता करके हमने इसको पूरा करने का प्रयास किया है।

नवाचार की दृष्टि से आप देखेंगे कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है लेकिन मैं यह कहता हूं सीएलजी के माध्यम से पुलिस और जनता के बीच में नजदीकियां आई यह बात जरूर है माननीय सराधना जी ने कहा था कि पुलिस के बहुत नजदीक आने से भय नहीं रहेगा। यह बात ठीक है भय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रहना चाहिए। किसी अपराधी को, सर्व-साधारण जनता को भय रहे यह वो कोई अँग्रेज़ों का जमाना भले ही हो सकता है, लोकतांत्रिक देश में तो यह नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कुछ कमियां भी होगी तो सुधारेंगे इसमें लेकिन जनता के सहयोग के बिना हम अपनी छोटी सी फोर्स से सारी कानून व्यवस्था ठीक कर लेंगे यह सम्भव नहीं है और इसलिए आश्चर्यजनक आपको लगेगा हमने 1-2 सीएलजी नहीं बना रखी है, पंचायत तो हैडक्वाटर हमारा सीएलजी का है ही लेकिन उसमें छोटे-छोटे गांव तक भी सीएलजी की कमेटी कहीं 7 की, कहीं 5, कहीं 11 की बनाई है और 52161 सीएलजी का गठन किया और उसमें 2 लाख 35 हजार लोगों को नामजद करके पुलिस के साथ जोड़ा है। एक जो शंका आपने जाहिर की है कि सीएलजी के मैम्बर कुछ अपराधी बनते हैं । हमने बार बार इंस्ट्रेक्शन दिये हैं कि जिस पर एक भी केस हो उसको सीएलजी का मैम्बर नहीं रहना है । फिर भी अगर कहीं गलती से रह गया है तो मैं आज सदन के माध्यम से लगातार अपने विभाग के सारे लोगों से आग्रह कर रहा हूं चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा हो वह सीएलजी का मैम्बर नहीं रह सकता । दूसरा सीएलजी मैम्बर हर दो साल के बाद 1/3 चेंज होने ही हैं । जैसे ही उसको दो साल होंगे उसके बाद वह चेंज होगा और राजनीतिक पार्टी का जो बिलकुल आफिसबियरर है, पदाधिकारी है वह सीएलजी का मैम्बर नहीं होगा । पार्टी का पुराना कार्यकर्ता जो आज एक्टिव नहीं है और उसका लाभ पुलिस को मिल सकता है तो वह उसका मैम्बर जरूर रह सकता है । लेकिन किसी पोस्ट को होल्ड करता हुआ कोई भी व्यक्ति सीएलजी का मैम्बर नहीं रहेगा । उसके पीछे भावना यह है कि बिना पक्षपात के जिसको न्याय चाहिये उसको न्याय मिल सके । यह जो केस आफिसर स्कीम है हिन्दुस्तान में केवल राजस्थान राज्य है जिसमें केस आफिसर स्कीम के माध्यम से हमने कुछ संगीन केस उस थाने के छांट कर जिसमें मर्डर भी हो सकते हैं, रेप भी हो सकता है कुछ इस प्रकार के अपराधी हैं उनके केस में चाहे हमारा एएसआई हो उसको हमने केस आफिसर के नाम से पुकारा है और उसे कहा है कि इस केस का तब तक पीछा करो जब तक इसमें कोर्ट का फैसला होकर सज़ा नहीं मिलती है। इसलिए वह लगातार उसके पीछे पडे रहे । अब तक हमने 4679 केस केस आफिसर स्कीम में डाले हैं । उसमें से 2607 केसों का निस्तारण हुआ है, सज़ा का प्रतिशत 73 प्रतिशत

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पहुंचा है जो आज दिन तक कहीं भी किसी भी जगह सम्भव नहीं हुआ । उसमें और संगीन केस भी हम डालेंगे, यह जो आदतन अपराधी हैं इन आदतन अपराधियों को भी उसमें डालकर उनको भी कोई न कोई सज़ा का रास्ता निकले, 150 सर्टिफिकेट की दृष्टि से 41 को मिला 165 अभी प्रोसेस में है । हार्डकोर क्रिमिनल 1571 चयनित किये हैं । इस वर्ष को हमने कांस्टेबल वर्ष के रूप में लिया है क्योंकि हमारी जो रीढ़ है वह कांस्टेबल है । जब तक कांस्टेबल को मजबूती नहीं करेंगे और आज आपका सुझाव भी आया, मैं आपके सुझाव के आधार पर जो प्रयास हो सकते हैं वह करूंगा । सबसे नीचे वाले तबके की तनख्वाह और बाकी सब सुविधाएं निश्चित रूप से उसे मिलनी चाहिये । 16-18 घंटे काम करता है, सोने की जगह भी तय नहीं, खाने की जगह तय नहीं, बच्चा कहां पढता है, पत्नी कहां गांव में रहती है और वह कहां नौकरी करता है ऐसी कठिन परिस्थिति में काम करता है इसलिए उसकी सुविधा कैसे ज्यादा से ज्यादा जुटे इस बात को ध्यान में रख कर प्रयास करें इसलिए 150 कांस्टेबलों को गैलेन्ट्री प्रमोशन का यह वर्ष है जो हम उन सब लोगों को देंगे ।

एसओजी के माध्यम से हमने एक नई यूनिट बनाई है । सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता, आप विषय ध्यान में लाये बहुत अच्छी बात है । आपके विषय ध्यान में लाने से हमने यहां के एसओजी टीम को भेजा । मैंने कहा था उस बच्ची का मर्डर हो सकता है यह आपके लिये नहीं मेरे विभाग और मेरे लिये भी एक चुनौती का विषय है कि इस प्रकार से कोई बच्ची चली जाये, उसकी हत्या हो जाये और उसका हम अभियुक्त भी नहीं ढूंढ सके और वह भी घंटे, डेढ घंटे के अंतर में । डेढ घंटे में वह पैदल चलने वाली बच्ची कहां जायेगी, हमने एसओजी टीम को भेजा और हमने सर्किल बनाया कि पांच किलोमीटर से अधिक वह जा नहीं सकती । एक-एक घर में जो भी बच्चा हो उसको तलाशने के लिये उसके घर वालों को लेकर निकले । एक-एक घर को तलाशते-तलाशते जब गये तो यह बच्ची जिस घर में थी जो लेकर गई थी उस महिला को भी पहचान लिया और उस बच्ची को भी पहचान लिया । वास्तव में एसओजी और वहां की टीम ने मेहनत की है । यह बात सच है कि विषय आप ध्यान में लाये इसको मैं नकार नहीं सकता । आपके विषय ध्यान में लाने के कारण हमने एसओजी टीम को वहां भेजा। मैं आज सबकी तरफ से उस टीम को और वहां की लोकल टीम ने जो अपराध ढूंढ निकाला और बच्ची को सुरक्षित उसके मां बाप के पास

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पहुंचा दिया उसके लिये धन्यवाद देना चाहूंगा । जो महिला बच्ची को ले गई थी उसकी बच्ची मर गई थी उसने बच्ची को फेंक दिया और उसकी जगह उसके मन में यह ममता आई कि मुझे कोई न कोई लड़की मिले इस इच्छा से वह उसको उठा कर ले गई । उसको भी हमने पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया है । वन्य जीवों की जो तस्करी करने वाले गिरोह हैं उनको पकड़ने का एसओजी ने अपना एक कीर्तिमान बनाया है जिसके आधार पर हमको राष्ट्रीय नहीं अन्तरराष्ट्रीय अवार्ड मिला है । इसी तरह से फर्जी नोट के जितने मामले हैं उनको पकड़ा है । क्रेडिट कार्ड के आधार पर जो टोनिंग करने वाली टीम है जिसने लगभग ढाई करोड रुपये निकाला उनको हमने पकड़ने का काम किया और मिहिर अपहरण कांड जिसने आप और हम सबको हिला कर रख दिया कि सब की आँख के सामने बच्चे को घसीट कर ले जा रहे हैं और उसके बाद भी सफल नहीं हुआ । लेकिन पुलिस ने जिस मुस्तैदी से काम किया, एसओजी, उसकी सारी टीम और वहां के लोकल लोग लगे जिसके कारण से हमको सफलता मिली । मनीष जौहरी हत्या कांड में हमको सफलता मिली, कबूतरबाजी में हमको सफलता मिली, पैट्रोल में मिलावट करने वाले लोगों की गेंग को एसओजी ने पकड़ा । इसी तरह से हमने चौकसी के लिये 14 चौकियां बनाई हैं । अवार्ड के बारे में मैं आगे बताऊंगा । इस वर्ष की घोषणा में जैसा मैंने उस दिन प्रश्न के उत्तर में कहा था आज की तारीख में चोरी में सबसे ज्यादा चोरी वाहन चोरी है । इतने वाहन किसी न किसी थाने से रोज उठते हैं कि सारे को मिलाकर मोनिटरिंग कोई नहीं करता है कि यह व्हीकल यहां से उठ कर जाते कहां है । इसके लिये स्पेशल टास्क फोर्स केवल इसीलिये बनायेंगे जो केवल व्हिकल चोरी के लिये होगी । जहां भी केस दर्ज होगा तुरन्त इसके साथ ही उसका पीछा करेगा और पास के जो राज्य हैं उनसे भी सम्पर्क करके वहां जाकर किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है इसके बारे में मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि इसका अलग से गठन किया जायेगा । जिससे हम ज्यादा से ज्यादा वाहन चोरी को पकड़ सकें।

अभी वैसे तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है राजस्थान को यह सौभाग्य मिला कि अपना नया पुलिस एक्ट 2007 हमने बनाया और बनाकर उसको प्रोसेस में दिया है । ला डिपार्टमेंट को उसके जितने रूल हैं उनको वह वेट कर रहे हैं उसके बाद पूर्ण रूप से वह लागू होगा । इसमें मैं पक्ष और विपक्ष और जो भी सलेक्ट कमेटी के लोग थे मैं सोचता हूं कि शायद यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पहला कानून बना होगा जो लगभग 50 घंटे बैठ कर एक-एक कोमा, फुलस्टाप को भी करेक्ट करने का प्रयास किया है । उसके बाद भी हो सकता है कानून है कई कमियां रही होगी तो आगे जो भी लोग इसको काम में लेंगे अगर उसमें कोई कमी आयेगी तो उसके हिसाब से देखेंगे । इसमें हमने पुलिस आयोग बनाया है । पुलिस आयोग पुलिस के कार्यों का मूल्यांकन भी करेगा, उसका विश्लेषण भी करेगा और उसको प्रशिक्षण की दृष्टि से क्या करे इसका सुझाव देगा । पुलिस स्थापना बोर्ड बनाया है जो ट्रांसफर और पदोन्नति के बारे में अपना निर्णय करेगा । उसमें इन बातों में दखलन्दाजी कम से कम हो इसको ध्यान में रख कर किया है । जो वृद्ध हैं, महिला है, कमजोर वर्ग है उनके लिये भी हमने एक्ट में धारा 30 में डाला है । पुलिस की यह भी जिम्मेदारी होगी उनके क्षेत्र में रहने वाले जो ऐसे लोग हैं उनकी सुरक्षा का भी वह ध्यान रखे । एफआईआर दर्ज करना बाध्यकारी है, कानूनी प्रावधान डाला है । अगर हमारे मन में होता कि केस ज्यादा लिखेंगे तो लोग हमारी आलोचना करेंगे, हम आलोचना से नहीं डरने वाले हैं । अगर कोई पीड़ित पक्ष आता है तो उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिये और इसलिए हमने धारा 31 में एफआईआर मस्ट कर दी है चाहे हमारे केस की संख्या बढ़े या और कुछ भी हो, अगर वह गलत है तो एफआर लग जायेगी । अपराध अंकेक्षण यूनिट हमने बनाई है जिसमें एक नया जो कंसेप्ट है वह है ग्राम रक्षक । पुराने जमाने में गांव में होता था इसी प्रकार का लेकिन उसमें कौन से लोग लगेंगे कोशिश की है कि राजकीय सर्वेंट जो भी वहां उपलब्ध है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रहे । सीएलजी को पंचायत स्तर पर इस सैक्शन में डाला है जवाबदेही समितियां । अगर कोई व्यक्ति पुलिस के बारे में शिकायत करना चाहे तो जिला लेवल पर भी कमेटी है और राज्य लेवल पर भी एक कमेटी है । वह उस जिला लेवल की कमेटी में जा सकता है । जैसे आपके और मेरे पास आता है वैसे उनके पास जाकर पुलिस की वर्किंग में अगर कहीं कोई दोष हो और उसको शिकायत है तो वहां करेगा । आवश्यकता पड़ेगी तो जिला कमेटी, अगर वहां का एसपी उस कमेटी की राय से इत्मियान नहीं रखता है या दोनों में कोई विरोधाभास होता है तो वह स्टेट कमेटी में जाकर अपने केस को प्रजेन्ट करेगा और वहां से उसको न्याय दिलाने के लिये कानूनी प्रावधान रखते हुए हमने उसको डालने की कोशिश की है । किरायेदार और जितने लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करने के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिये भी धारा 45 में हमने डाला है । धारा 61 में यह जो पुलिस की वर्दी है यह पुलिस की वर्दी कोई भी पहन कर सड़क पर खड़ा हो जाता है । इस वर्दी के बारे में हमने इसलिए ध्यान दिया क्योंकि किसी को भी खाकी वर्दी पहना दो कोई भी सड़क पर खड़ा हो जाये और चाहे जिस गाड़ी को चैक कर रहा है, चाहे किसी को कुछ कर रहा है इसके बारे में भी हमने बिलकुल कानूनी अपराध में इसको डाला है और सज़ा का प्रावधान डाला है । थानाधिकारी की हमने कम से कम दो साल की न्यूनतम अवधि रखी है लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर उसकी शिकायत होगी और कुछ होगा तो कारण बताते हुए उसको समय से पहले भी हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है हार्ड एण्ड फास्ट हो गया कि दो साल तक वह मर्जी चाहे जो करेगा वह नहीं है । लेकिन कोई न कोई लोजिकल कारण के आधार पर उसको हटा सकेंगे इसका प्रावधान भी किया है । इसी तरीके से आप देखें 2006 में एक समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 यहां से पास किया था । लम्बे समय तक केन्द्र सरकार के पास यह रहा था । अभी हमको वहां से उसकी स्वीकृति मिल गई और वह नोटिफिकेशन के लिये गजट के लिये गया हुआ है । इसके कारण से जो समाज कंटक हैं, जो सम्पत्ति अपराध करते हैं, जो भू-माफिया हैं, जो तस्कर हैं, जो ड्रग्स माफिया हैं और आदतन हैं, उन आदतन लोगों को एक वर्ष तक राज्य सरकार या जिला कलक्टर के आदेश से उनको एक साल तक बिना कोई रीजन बताये जेल में डाला जा सकता है ताकि इस प्रकार के अपराधियों पर एक अंकुश कसेगा और लोगों को भय लगेगा कि वास्तव में इस प्रकार का व्यवहार करना जीवन में ठीक नहीं रहेगा। यही नहीं.. (व्यवधान) बिलकुल दुरूपयोग नहीं होगा क्योंकि इसमें डाला है आदतन अपराधी। किसी की एक बार घटना हो जाने से नहीं। वह बार-बार रिपिट करता है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार लगातार कई अपराध करता है वह ही इस सीमा में आयेगा। एक बार पहली बार गलती करने वाले को इस सीमा में कानून में कोई भी नहीं ला सकेगा, सैक्शन तीन में, इसको बहुत स्पष्ट करके किया है। मंशा यह है कि इस प्रकार के निरन्तर अपराध में शरीक रहते हैं और जाकर कोर्ट में जमानत करा लेते हैं, तीसरे दिन फिर छूटकर आ जाते हैं, फिर वही काम शुरू करते हैं। वेश्यावृति को भी इसमें डालने की कोशिश की है हमने। बाकी कुछ चीजें भी इसमें डाली हैं जिसके कारण से इसमें कुछ कठोरता है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से प्रशिक्षण, आपके बारे में हमेशा आता है जब तक पुलिस शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से परिपूर्ण नहीं रहेगी वह अपने काम में एफिशियंसी नहीं ला सकेगी। मैंने पिछली बार की विधान सभा में कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम दो साल में एक बार तो ट्रेनिंग में हर व्यक्ति चला जाए। आज आपको बहुत संतोष होगा इस बात का कि पिछली सरकार के पांच वर्ष में 20600 लोगों की ट्रेनिंग हुई, हमने इन चार वर्षों में 79445 लोगों का प्रशिक्षण कराया। प्रशिक्षण भी सभी प्रकार से, हमने उनको स्ट्रेन्थन करने का प्रयास किया है हमने कमांडो, एसटीएफ, क्राइम इन्वेस्टीगेशन अलग-अलग तरह की ट्रेनिंग देकर, कम्प्यूटर के बारे में, ड्रग्स के बारे में, बैंक के जितने भी आर्थिक अपराध होते हैं उनके बारे में, इन सबको हमने ट्रेनिंग देकर तैयार करने का प्रयास किया है। हमने एक इमरजेंसी रेस्पोंस टीम भी बनाई है जिसमें 104 लोग अभी ट्रेनिंग में हैं, बाकी 100 लोग उसके बाद वाले में हैं। इसमें 50 महिलाओं को भी हमने कमांडो ट्रेनिंग देकर ताकि कहीं कोई विशेष घटना क्रम हो तो उस घटना क्रम में अपनी डयूटी को ठीक प्रकार से अंजाम दे सके।

पुलिस का मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से मैं सोचता हूं कि जितनी डीपीसी सम्भव थी, आज मैं कह सकता हूं संतोष के साथ कि आज की तारीख में कोई डीपीसी पेंडिंग नहीं है। 2007 की अगर कोई यह कहे तो, सी आई से डीवाईएसपी बनने वाली डीपीसी अभी है, मैं सोचता हूं राजस्थान के लिए कितना सुखद होगा कि सारे लिटिगेशन को समाप्त करते हुए 41 लोगों को हमने आरपीएस बनाया। 41 लोगों को, जो अब तक का शायद रिकार्ड होगा। गारंटी प्रमोशन देने की दृष्टि से जिनका काम अच्छा था उनको हमने गांरटी प्रमोशन दिया है। पिछली सरकार ने भी दिया, मैं नहीं नकारता हूं कि पिछली सरकार ने नहीं किया। पिछली सरकार ने भी किया लेकिन जो भी लिटिगेशन थे उन सबको हमने निपटाकर, आज आपके लिए, मेरे लिए कितनी प्रसन्नता होगी कि शायद पुलिस की स्थापना के बाद पहला ऐसा वर्ष होगा जो इतने अवार्ड हमको एक साथ मिले। यह पुलिस की मेहनत और उसके काम के कारण से सम्भव हुआ है। यह कोई मैंने उनका सलेक्शन नहीं किया। यह जो आल्टस ग्लोबल एलाइंस्ड है नीदरलैण्ड की, इसने यह सारा का सारा किया। पहले एशिया में हम फर्स्ट आए थे बाद में वर्ल्ड में भी हमारा शिप्रा पथ थाना, उसको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस तरह से आपने देखा होगा कि वन्य

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जीव सरंक्षण एनीमल वेलफेयर इंस्टीटयूट अमेरिका द्वारा जानवरों के बारे में जो भी इनकी खालों के, बाकी के, इनका जो गिरोह था उस गिरोह को पकड़ा और उसका 2007 का अमेरिका ने भी हमको अवार्ड दिया है।

इसी तरह से सिंगापुर ने हमको यह क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग का काम एसओजी और उसकी टीम ने किया उसके कारण से वहां से 2007 में अवार्ड मिला। इसी तरह से इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का हमें मिला। अभी कुछ दिन पहले ही ऑल इंडिया बैंड कम्पीटीशन में भी राजस्थान के बैंड को प्रथम स्थान मिला। इसके साथ ही हमने अब की बार (व्यवधान) इस बार हमने महाराणा मेवाड से भी, इस बारे में किया है कि आप महाराणा मेवाड फाउण्डेशन से देश के इतने बड़े-बड़े लोगों को, अन्तरराष्ट्रीय स्तर के लोगों को सम्मानित करते हैं, हम यह चाहते हैं कि राजस्थान का भी, जो भी बैस्ट थाना हो उस बैस्ट थाने का चयन करके आप उसको भी प्राइज दें। अब की बार इसी दो फरवरी के दिन मण्डावा कोटा ग्रामीण का थाना पहली बार महाराणा मेवाड फाउण्डेशन के द्वारा सम्मानित हुआ, बैस्ट थाना ऑफ राजस्थान।

अभी इसमें आपने जो आंकड़ों के आधार पर यह तय करने की कोशिश की बहुत अपराध बढ़ गए, मैंने कहा बढ़ सकते हैं। मैं इसको यह कहकर कि अपराध बढ़ गये इसलिए कोई गुनाह हो गया और कम हो गये तो हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, यह कोई मापदण्ड नहीं है। चूंकि आपने विषय बार-बार उठा लिया और उसके कारण से मैं सोचता हूं कि राजस्थान की स्थिति जो आपने अपने चार्ट से पढ़ी, मेरे पास है यह चार्ट, इस सारे का अभी वर्णन करने की जरूरत नहीं है। मैं सोचता हूं कि आरपीसी अपराधों दृष्टि से राजस्थान देश में पहला स्थान है, क्राइम रिपोर्ट 2005 में भी, 2006 में भी और शायद 2007 अगर आयेगा क्राइम रिपोर्ट जिस दिन, उस दिन क्योंकि इस बार हमारा जो पैंडिग परसेंटेज है वह 2.8 है जब कि पिछली बार हमारा 3.79 था, तो क्राइम की जो पेंडेंसी है उसको हमने निश्चित रूप से घटाया है। मैं सोचता हूं कि चालानी प्रतिशत में भी हमने अपना परसेंटेज बढ़ाया है और 2006 का जो क्राइम रिपोर्ट है उसमें 82 परसेंट है जब कि नेशनल एवरेज 80 है। सजायाहाफ्ता का परसेंटेज भी राजस्थान ने काफी इम्प्रूव किया है। जिन मापदण्डों से पुलिस के काम को जाना जा सकता है, कमियां रही, गलतियां रही होगी, किसी केस में हमें सफलता नहीं मिली, कोई हमने ऐसी कमी रख

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दी होगी यह अलग बात है लेकिन कामयाबी परसेंटेज की दृष्टि से जो हमारा सज़ा का परसेंटेज है वह 59.3 हैं जो हिन्दुस्तान के नम्बर सातवें पर, ऊपर से, हम सातवें स्थान पर स्टैण्ड कर रहे हैं सज़ा के परसेंटेज, हमारे से नीचे 21 राज्य हैं। हम उनसे इतना ऊपर हैं। राष्ट्रीय एवरेज 82.9 का है, हमारा एवरेज 59.3 है। सम्पत्ति अपराध में भी हमने राष्ट्रीय एवरेज से, हमने इन वर्षों में धीरे-धीरे कभी डेढ़ परसेंट, कभी दो परसेंट में इम्प्रूव हुआ, एकदम नहीं हुआ। राष्ट्रीय औसत सम्पत्ति अपराध की बरामदगी का 25.3 है और राजस्थान का 56.5 है।

अब इसमें क्योंकि अपराध में कमी, ज्यादा होती रहती है, मैंने जैसा कहा लेकिन आंकड़े आपने बहुत ज्यादा उसको उग्रता देकर कहा कि हम बिल्कुल ही बेकार हैं, हमारी पुलिस बेकार है, इसलिए मैंने आपके लिए ढूंढ कर रखा था कि कोई न कोई जवाब इनको देना पड़ेगा और इसलिए दे रहा हूं। आपके पिछले पांच वर्षों का जो मैंने औसत निकाला है अब उन्होंने एक गणित की है मतलब इतना इन्टू, तीन का भाग दो, औसत दो आदमी मर रहे हैं, दो बलात्कार हो रहे हैं, चार यह हो रहे हैं। अगर गणित वह यह कर सकते हैं तो इस गणित को भी कर लें। अपने राज का भी तो समझ में आ जाएगा कि दो है चार हैं। केवल कहकर इस बात को, अख़बार में जो आ गया कि तीन रोज बलात्कार हो रहे हैं, चार हो रहे हैं, यह तो होंगे इसको न तो आप रोक सकते हैं न मैं रोक सकता हूं। बलात्कार हो जाने के बाद बलात्कारी को सज़ा कितने दिनों में दिलाते हैं और कैसी दिलाते हैं यह हमारी और हमारी पुलिस की वर्किंग की है काबलियत लेकिन आपने गिना दिया डकैती आपके समय में एवरेज पाँच साल की मैंने निकाली हैं 70 हैं हमारे चार साल की 57 है। हत्या आपके 1366 थी हमारे 1253 है। लूट आपकी 902 हैं हमारी 668 है। बलात्कार आपका 1118 था, हमारा 1079 है। बलवा आपके टाइम में 10946 हैं हमारे टाइम में 2196 है। नकबजनी 7411 थी और 5347 हैं। एक और मामले में आपसे भी आगे बढ़े हैं और वह है चोरी का प्रकरण। चोरी में, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है, निश्चित रूप से व्हीकल चोरी इतनी जबरदस्त है, हमारे यहां 6000 तो केवल व्हीकल चोरी है सालाना, सबसे ज्यादा जो फीगर जा रहा है वह व्हीकल चोरी का जा रहा है और उसके कारण से गत एवरेज 16853 आया, हमारा 18494 आया। कोई चीज छिपाने की जरूरत नहीं है, अगर है तो है। चूंकि आपने उसको गुणा भाग करके तीन रोज मरते हैं, दो रोज बलात्कार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करते हैं जैसे कोई मैं ही कर रहा हूंगा बलात्कार। (व्यवधान) पता नहीं क्या बात, इसको कहने से क्या, कोई मतलब नहीं है, इन छोटी-छोटी बातों को लेकर इस तरह से एक दूसरे पर प्रहार करना...(व्यवधान) आपने केवल यही नहीं, अपराध हुआ अपराध का चालान का परसेंटेज बढ़ना चाहिए, सज़ा का परसेंटेज, मैंने आपका 2006 का जो आपका चालानी परसेंटेज था हत्या का वह 89 था हमारा 91 है। हत्या के प्रयास में आपका 96 था हमारा 97.6 है। डकैती का आपका चालानी परसेंटेज 84 था हमारा 94 है। लूट का परसेंट आपका 66 था हमारा 63 है, हम आपसे दो पाइंट नीचे हैं और इसी तरह से बलात्कार में आपका 98 परसेंटेज था हमारा 99.75 है। नकबजनी में आपका 28.29 था, हमारा 33.93 है। चारी का आपका चालान प्रतिशत 25.32 था, हमारा 28 है। तो ऐसा नहीं कि हम इन चीजों का बिना विश्लेषण किये हुए ही कोई हमारे डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। महिला अत्याचार निश्चित रूप से बढ़ा है, फिगर की दृष्टि से भी बढ़ा है, राजस्थान का स्थान देश के अन्दर भी महिला अत्याचार की दृष्टि से अधिक है। लेकिन इसमें से अगर 498 निकाल दें तो एकदम गिर जाएगा। यह जो इन पिछले वर्षों में हम लोगों ने जो प्रयास किया, महिलाओं में जिस प्रकार से जाग्रति लाने के लिये प्रयास हुआ, एक तो तुरन्त एफ.आई.आर. और अनुसंधान होना शुरू हुआ, उसके लिये आदेश दिया। बलात्कार प्रकरणों में तुरन्त चालान पेश करने के लिये आग्रह किया, उसके कारण से है। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में महिला सहायता समिति बनाई, इसलिये उससे बढ़ा। स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से 13 सलाह और सुरक्षा केद्र बनाये। उसके बाद पुनर्स्थापना हेतु 7 महिला संघों के सुरक्षा केन्द्रों की स्थापना की। 14 महिला पुलिस थाने और 22 प्रकोष्ठ बनाये तो उसके कारण से भी बढ़ा। राज्य के सभी थानों में महिला डेस्क की स्थापना, जैसी हमने घोषणा की वैसी हमने बनाई। दहेज हत्या के प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक जो है वह जांच करेगा, इसके लिये है और जितने भी कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम की शिकायतों के लिये कमेटियों का गठन किया, 20 पारिवारिक परामर्श केन्द्रों की स्थापना की तो महिलाओं को अपने पर होने वाले अपराध के लिये इन विभिन्न तरीकों से हमने उनको आगे लाने का प्रयास किया और निश्चित रूप से उसके कारण से महिला का जो फिगर है, 10 प्रतिशत बढ़ा, स्वतः ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसमें से मोटे रूप में अगर देखें तो महिला उत्पीड़न जो 498-ए का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपके समय 1999 से लेकर 5425 था, वह लास्ट में आपने 5733 पर छोड़ा 2003 में, हमारे समय में 8170 है, एक ही है ऐसा, अब है। लेकिन अगर कोई महिला यह कहती है कि मुझे तकलीफ है तो जैसे एक तरफ तो आप कहते हो एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करते हैं, बे-ईमानी करते हो। करते हैं, तो संख्या बढ़ जाती है तो कहते हो कि आपका काम ठीक नही है। अब दोनों चीजों का जोड़ नहीं हो सकता है। तो वास्तव में इसी तरह से जनजाति के बारे में भी आपने कहा लेकिन जनजाति के फिगर को देखने के बाद कोई ऐसे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन सामान्य बढ़ोतरी इसमें भी है। अगर पिछले सालों से आपकी तुलना करें तो हम बहुत कम हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस के समय में, अगर एवरेज निकालें अपन तो 6028 मुकदमे आपके आते हैं, हमारे 5053 आते हैं, एवरेज के हिसाब से। अब यह जो घोड़ी पर से दूल्हा उतार लिया, यह कर लिया, बहुत भाषण देते थे। हम भी आपका खूब विरोध करते थे। लेकिन इनमें भी गिरावट आई है क्योंकि धीरे-धीरे जाग्रति भी बढ़ रही है और लोग इस बारे में समझ भी रहे हैं। निश्चित रूप से केवल इसलिये नहीं कि मुकदमे दो कम हमारे टाइम पर दर्ज हो गये इसका मतलब यह कोई सामाजिक बुराई खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें कमी जरुर आई है और उसका कारण यह है कि निश्चित रूप से आपके समय में 39 घटनाएं हुई थीं, उसमें 38 में चालान हुआ। हमारे समय में 25 घटनाएं हुई, 3 में चालान नहीं हुआ, एफ.आर. लगी और 22 में चालान हुआ।

साम्प्रदायिक घटना, जिसके कारण से हम लोगों को आपने जिन्दगी भर गालियां दीं। हमें भी सुनते-सुनते, हमारे कान पक गये वास्तव में जब भी वहां बैठते थे, तो ऐसा नहीं है। सच में साम्प्रदायिक घटनाओं की दृष्टि से राजस्थान में इन वर्षों में जो स्थिति सौहार्द की रही, कोशिश की, इस सी.एल.जी. के माध्यम से, घटनाएं हुईं, उनको तुरन्त समझाने का प्रयास किया ताकि घटनाएं किसी विकराल रूप में न जा सकें। उसके कारण है, वह किसी न किसी तरह से नियंत्रण में आ गई। अब मैं आपके साम्प्रदायिक दंगे, जो हैं आपकी गवर्नमेंट में 2001 में एक हुआ, 2003 में एक हुआ, ये दो हुए। हमारे टाइम में एक भी नहीं हुआ। इसी तरह साम्प्रदायिक घटना, आपके टाइम पर 35 हुईं, हमारे टाइम पर केवल 9 हुईं। साम्प्रदायिक तनाव के आपके 241 प्रकरण हुए, हमारे 68 प्रकरण हुए। एक तरह से हमने कण्ट्रोल करने का प्रयास किया और इस तरह से जितना सम्भव हो सकता है, सबके सहयोग से।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अब यह जो आपने बताया कि पुलिस फायरिंग से इतने मर गये, इतने मर गये। मैं सोचता हूं कि जब मजबूरी आ जाती है, पुलिस फायरिंग करने में कोई हम ज्यादा बड़े अपने-आप में शहंशाह बन गये क्या। हम किसी को गोली मारकर के अपने आपको कोई बहादुर बताने के लिये नहीं कर रहे हैं। लेकिन कई बार जब ऐसी मजबूरी आ जाती है, किसी बड़े हित के लिये और कोई रास्ता जब नहीं बचता है तो पुलिस को करना पड़ता है। दुखी मन से भी करते होंगे। अब इनकी भी, बंगाल की भी जन्म पत्री लेकर मैं आया हूं। ऐसा नहीं है कि यह दूसरी जगह नहीं होती है। यह हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यह... (व्यवधान) मैंने सभी राज्यों में, मैं सोचता हूं कि मैंने जिन राज्यों का लिया है इसमें से 21 घटनाएं बंगाल में हुई हैं। 21 घटनाएं हुई, हमारे 23 हुई, दो ही तो बढ़ी, 2006, तो ज्यादा नहीं है। बंगाल में फायरिंग की घटना 2006 की बता रहा हूं, 2007 का तो अभी नंदीग्राम निकाल दो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आपने 23 बार गोलियां चलाई हैं, बंगाल की भी बता दो, कितनी बार चलाई।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): 64 बार चलाई हैं, बंगाल ने 64 बार चलाई।

श्री अमराराम (धोद): आपने ही उत्तर दिया है। आपने ही उत्तर दिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): नहीं, मैं आपको दे रहा हूं ना।

श्री अमराराम (धोद): आपने ही उत्तर दिया है। मैं नहीं गिनता, आपका ही उत्तर बता रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): हां तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सोचता हूं कि गोली और मरने का काम, आन्ध्र प्रदेश में 79 बार गोली चली और 72 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 74 बार चली और 37 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 58 बार गोलियां चली, 2006 की बता रहा हूं और 9 लोगों... गुजरात में 54 बार गोलियां चलीं, 16 लोग मरे। झारखण्ड में 39 बार चलीं, 14 लोग मरे। राजस्थान में 23 बार गोलियां चलीं 9 लोग मरे, और कर्नाटक में 21 बार चली, 8 मरे। यह जो आप जिसका कह रहे हो, ऐसा नहीं है कि... (व्यवधान) 21 बार चली हैं। यह रहा आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2006 की क्राइम रिपोर्ट के हिसाब से, 2007 की क्राइम रिपोर्ट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं आई हमारे पास, 21 बार चली, 4 लोग मरे, 12 घायल हुए। अब यह मर सकते हैं। तो ऐसा है, इसकी संख्या, इसको कम या ज्यादा मरे, इससे तुलना कोई नहीं है। गोलियां चलानी पड़ती हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): नंदीग्राम में 19 मरे और 44 घायल हुए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कोई बात नहीं।

श्री अमराराम (धोद): आप इनसे कहलवाओ, इनसे कहलवाओ तो। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं बोल रहा हूं ना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): देखो, पुलिस के लिये ऐसी मजबूरी आती है तभी गोलियां चलती हैं। गोली चलाकर के, हमने कोई तोहफा देने के लिये नहीं चलाई। हमने बाकी लोगों के हित रक्षा के लिये कई बार मजबूरी आती है, चलानी पड़ती है और दुखी मन से चलाते हैं। जब होती है घटना तो हमको खुशी नही होती है कि हमारे लोग मर गये। आखिर वह भी तो इसी प्रदेश के लोग हैं। उनको मारकर के कोई हमें भी आनन्द नहीं मिलता है। लेकिन जब कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये हमको मजबूरी आ जाती है, यह जो आपको 23 तो मैंने पहले बताई थी, उसके बाद 9 बार यह 2007 में गोलियां चली हैं। जिसमें 18 लोग तो इस आन्दोलन के और 4, कपासन, ऋषभदेव, एक बारां में और एक इकलेरा में, 4 ये हैं तो 22 लोगों की डेथ इसमें हुई है। निश्चित रूप से हम इसको नकार नहीं रहे हैं कि यह नहीं हुआ।

इसी तरह से आपने, हिरासत में मौत को लेकर कई बार ज्यादा चलता है। हमने कोशिश की। हिरासत मे मौत होगी तो थाना पूरा का पूरा सस्पेंड होगा। और इसको कठोरता से किया भी है। जहां भी हुआ, वहां पूरा का पूरा हटाया। पिछली सरकार के टाइम में जो कस्टडी डेथ थी, वह 22 थी 5 साल की। हमारे 4 साल की 11 हैं। घटी है, वह घटी केवल इस कारण से कि क्योंकि सारा थाना सस्पेंड होगा तो निश्चित रूप से इस पर कण्ट्रोल आया है। मुझे एक बात का वास्तव में तो फिगर देखकर के मुझे भी बहुत दु:ख है कि यह जो यातायात, एक्सीडेंटल डेथ है, वह राजस्थान में कण्ट्रोल नहीं हो रही हैं। हमने यद्यपि कलक्टर, एस.पी. की उस मीटिंग में अपने विभाग से कहा कि हम 20 प्रतिशत अब की बार इसको घटाएंगे पर हम इसमें सफल नहीं हुए।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एक्सीडेंट और एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की संख्या वास्तव में बहुत ही दु:खद है। आज की तारीख में 2007 में 8145 लोग हैं। अब यह वास्तव में बड़ी चौंकाने वाली, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। और इसके लिये हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ भी मीटिंग की। हमारे कानून को ही बदलना पड़ेगा। जो एक्सीडेंट करता है और जिसके कारण एक्सीडेंटल नेग्लीजेंस से डेथ हुई, उसका लाइसेंस निश्चित रूप से 3 साल के लिये सस्पेंड हो जाना चाहिए ताकि वह 3 साल तक गाड़ी पर दुबारा नहीं बैठ सके। तब जाकर के कहीं हम इसको कण्ट्रोल कर पाएंगे। लाइसेंस को देने का, हमने जो कैम्प लगाकर के देना शुरू किया, हमने इसको रोका है कि नहीं, कैम्प लगाकर के लाइसेंस नहीं दिये जाएं। उसके कारण से हम इस डेथ को कम नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभियोजन पक्ष ने भी अपना काम किया है। भारतीय दण्ड संहिता के अन्दर आपके समय में जो संख्या प्रतिशत था, वह था 38.5, हम इसको 42.4 प्रतिशत पर ले गये हैं, जो 3.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हमने हर विषय की मोनिटरिंग की कोशिश की। हो सकता है कि हम कहीं घट भी गये होंगे, कहीं हम बढ़ भी गये होंगे। लेकिन इसी तरह से समग्र अपराध में जो सजा प्रतिशत था, यह है, हमारे जो सेशन जज से नीचे वाले कोर्ट हैं, उसका है, 52.9 प्रतिशत था, 1999 से 2003 तक का एवरेज और हमारा इन चार सालों का है 60 प्रतिशत। 52 से हमने 60.6 प्रतिशत, इसमें भी बढ़ाने का प्रयास किया। यही नहीं, हमने जो लघु प्रकृति के मुकदमे हैं, जो कई वर्षों से चल रहे हैं। अब दो बोतल शराब, अब वह केस बन गया अब वह आदिवासी रोज पेशी पर जा रहा है। 323 का झगड़ा हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट का कोई केस बन गया, वर्षों से उसकी पेशियां चल रही हैं। हमने इसका पूरा अभियान चलाया और अभियान चलाने के साथ ही हमने कमेटी को भी, पहले क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज इस कमेटी का चेयरमैन होता था, कलक्टर इसका मेम्बर होता था। कई बार उसकी अनुपस्थिति के कारण से मीटिंग होना सम्भव नहीं होता। इसके कारण से तो हमने इसमें बदल कर ए.डी.जे. को इसका चेयरमैन बना दिया और ए.डी.एम. को इसका सदस्य बनाकर हमारा एडिशनल एस.पी. और बाकी लोगों को बनाया ताकि कमेटी निरन्तर बैठ सके और आपको जो आपके पाँच साल में है वह 403 ऐसे छोटे केस जो हैं वह हटे हैं। हमने प्रयत्न करके 11142 केस, यह लघु प्रकृति के, हर साल में मोनेटरिंग की, पहले साल में हमारा भी 2004 में 125 केस ही हटा सकें, बाद में हमने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इस सिस्टम को चेंज किया और उसके कारण से यही नहीं, मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की थी उस आदिवासी क्षेत्र में कि लघु प्रकृति के, विशेषकर जो शराब के हैं और ऐसे केसेज हैं, इनको भी हटाएंगे। लगभग इनमें हमने 11000 तो आई.पी.सी. के, 11726 केस तो इसमें हटाये और 3553 केस इस प्रकार की छोटी किस्म के थे, उनको हटाया है।

मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अगर आप लोग यद्यपि, यह जरूर है कि आप लोगों के पास हमारी एफ.एस.एल. की जो प्रगति रिपोर्ट है, आज सवेरे पहुंची है लेकिन अगर आप इस एफ.एस.एल. की पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो कुछ केस ऐसे हैं जिसमें हमारा गवाह बदल गया, जिसके आधार पर हमने केस को आगे बढ़ाया वह सारे के सारे चेंज हो गये लेकिन एफ.एस.एल. की इतनी सॉलिड जो उसमें एविडेंस बन गयी कि उनको मृत्यु दंड तक मिला है, फाँसी की सज़ा तक मिली है, आजीवन कारावास मिला है तो वास्तव में इस वैज्ञानिक पद्धति से अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन हो और पुलिस तुरन्त उसका लाभ लेकर अगर उसका एविडेंस कलेक्ट करे तो निश्चित रूप से हम इस त्रुटि से, अब जयपुर में हमारी जो प्रयोगशाला है वह डी.एन.ए. परीक्षण के लिए लैब उसकी तैयार है। ध्वनि परीक्षण का काम हो गया। वन्य जीव के बारे में हो गया। ऑडियो-वीडियो टेप हो गया। रिकार्डिंग वैरिफिकेशन और कम्प्यूटर साइबर के जितने भी अपराध हैं, उन सबके लिए हमारी लैब आज की तारीख में बिलकुल तैयार हुई है और मैं सोचता हूं कि जिसके लिए हमको बैंगलोर जाना पड़ता था, उसकी जगह अब राजस्थान में ही इसके सारे के सारे, जिसके लिए हमने लगभग 13 करोड़ रुपये, जितने इंस्ट्रूमैंट्स हो सकते हैं, वह हमने दिये हैं। स्टाफ हमने दिया है इन सबको। कोटा की यूनिट बन गयी। जोधपुर पहले से ही बन गयी थी। उदयपुर बन गयी और बीकानेर, इस बार मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में उसकी स्वीकृति के लिए किया है। अब केवल हमारे पास अजमेर और भरतपुर दो रह जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी और जैसा हमने 30 मोबाइल यूनिट, लगभग 30 मोबाइल यूनिट हमारी सब जगह काम कर रही हैं, आज की तारीख में। चार जिले केवल हमारे पास ऐसे बचे हैं, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़ और बारां, इन चार जिलों में अभी हमारे पास मोबाइल यूनिट नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि यहां भी जल्दी से जल्दी स्थापना हो और इसके कारण से जो पेंडेंसी है केस की उसमें बहुत बड़ी गिरावट आयी है। जिस समय हमने काम लिया लगभग 18 हजार पेंडेंसी थी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

केस की। आज की तारीख में 10 हजार पेंडेंसी है और हम कोशिश कर रहे हैं, अभियान चलाकर कि 10 हजार पेंडेंसी को भी खतम करें ताकि तुरन्त एविडेंस के आधार पर सज़ा दिलाने में, कई बार इसलिए रिलीफ दे देता है कोर्ट कि आपकी एफ.एस.एल. की रिपोर्ट नहीं आयी, डिले हो रही है, आप जान-बूझकर कर रहे हो और इसलिए कई बार हमारे खिलाफ वह फैसला कर देते हैं।

मैं सोचता हूं कि होमगार्ड की दृष्टि से भी, आपने देखा होगा राजस्थान का होमगार्ड जो है, 90 हजार, नहीं, मतलब 9 हजार जो हमारे बार्डर के जो होमगार्ड हैं, वह पहली बार विभिन्न स्थानों के जितने चुनाव हुए राज्यों में, वहां गये और अच्छा प्रशस्ति पत्र लेकर आये हैं अपने काम के बारे में। यातायात की दृष्टि से हमने 750 होमगार्ड को लगाया है। दैनिक भत्तों में अगर मैं यह विश्लेषण करूं तो 20 रुपया पहले था। बीच में भैरोंसिंहजी के आने के टाइम पर हम 60 पर लाये, आप लोगों के राज में यह 15 रुपया और बढ़कर 75 पर लाये, हमने 75 से बढ़ाकर 110 किया और आज मुख्य मंत्रीजी ने जो अपनी स्वीकृति दी, उसमें और बढ़ाकर 120 रुपया किया है। मैं सोचता हूं कि हमने निरन्तर इसको बढ़ाने का प्रयास किया है ताकि जेल में भी हमने दिया है ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 10 रुपया कम है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): तो मैं सोचता हूं कि होमगार्ड की दृष्टि से भी, कुछ विषय आपने खड़े किये थे, जिसमें विशेषकर के मैं भी कोटा की मीटिंग में दो बार गया। दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य और वहां के सभी लोगों की यह वास्तव में एक पीड़ा है कि वहां एक कोटेज इंडस्ट्रीज की तरह से यह जो कुर्कियां होती हैं, वह इस तरह बिकती है, कोटेज इण्डस्ट्रीज, यद्यपि, हमने पिछले इस महीने में, उस मीटिंग करने के बाद एक अभियान चलाकर काफी केस बनाये हैं लेकिन अभी तक भी हम उस सोर्स पर नहीं जा पा रहे हैं जहां से इसका ओरिजन है। हम छोटे-मोटे केस पकड़कर अपनी खानापूर्ति भले ही कर लें, मन का संतोष नहीं होगा जब तक इसका ओरिजन कहां से होता है। यह कहां से बनती है, उसको जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम इस बीमारी को नहीं रोक पाएंगे तो हम निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं। मैं पूरी संख्या लेकर आया हूं कि कितने मुकदमे पिछले सालों में बने हैं। इसी तरह से आबकारी अधिनियम के तहत भी जितने मुकदमे हम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बना सकते थे, वह मुकदमे हमने बनाये हैं। अनुकम्पा नियुक्ति के बारे में भी है। आबकारी के बारे में और इसी तरह से मादक पदार्थों के बारे में, गुमशुदा बच्चों के बारे में भी लेकर आये हैं।

मैं सोचता हूं कि जो विषय आपने उठाये हैं, उसमें एक तो भर्ती के बारे में आपने एक विषय उठाया। यह बात सच है कि हमने वह दोनों वैकेंसी जो आर.पी.एस.सी. से होनी थी, पुलिस की होती है आर.पी.एस.सी. से और जो हमारा दूरसंचार का है, उसकी नियुक्ति करता है डी.जी. अपनी तरफ से बोर्ड बनाता है और वह बोर्ड नियुक्ति करता है, उसमें दोनों जुड़कर वैकेंसी चली गयी। यह सच बात है और लेकिन दोनों की वैकेंसी अलग-अलग थी फाइल पर लेकिन जब वह फाइनेंस में गयी तो जोड़कर चली गयी। इतनी जरूर कमी कह सकते हैं। गलती समझ सकते हैं। कुछ भी समझ सकते हैं लेकिन इसमें कोई भावना किसी की नहीं कि इसको इसमें से नौकरी देना था या इसमें से इसको निकलाना था।

आज सवेरे रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्वनि प्रदूषण के बारे में, मैं निश्चित रूप से स्वयं भी इस पक्ष का हूं कि यह रात को जिस प्रकार से माइक शादियों के अन्दर चलता है और जिस प्रकार से पड़ोसी और बच्चों को परेशानी होती है, कानून बना हुआ है, 11.00 बजे से 5.00 बजे के लिए, उसके बाद हाई कोर्ट ने भी अपने डाइरेक्शन दे रखे हैं कि 10.00 बजे के बाद यह नहीं चलना चाहिए तो मैं निश्चित रूप से, मेरे जो अधिकारी यहां पर बैठे हैं वह भी और बाकी सारे नीचे को भी कि 10.00 बजे के बाद यह जो जितना भी स्पीकर लगाकर यह होते हैं इनको निश्चित रूप से रोकना चाहिए।

आपने रेवदर वाला विषय कहा, यह मैंने कह दिया आपको पहले ही। इसी तरह से एन.डी.पी.एस. एक्ट के बारे में, छोड़ने के बारे में निश्चित रूप से इसमें जिस व्यक्ति का यह जो गम्भीरमल जो आया था, यह 2004 में एक केस आया था हमारे पास और 4.4.2000 में इसको 10 वर्ष की सज़ा हुई। फिर इसके बाद 1.11.2004 को इसकी उम्र 77 साल से अधिक होने के कारण से, अस्वस्थ होने के कारण से नीचे से रिपोर्ट आयी और वह हमारे यहां से गया। चूंकि, राज्यपाल महोदय को अपनी शक्तियां हैं और उस शक्ति के तहत, 161 के तहत उन्होंने इसको रिलीफ दिया। इसके बाद फिर जब यह दुबारा फाइल मेरे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पास, स्वयं के पास ही आयी थी, इस तरह से घूमती हुई तो मैंने कहा, यह क्या मामला है, एक अभी गया और यह फिर दूसरा कहां से आया तो लगा कि इसमें कुछ न कुछ मामला गड़बड़ होना चाहिए। हमने उसको पूरा देखने की कोशिश की और लगा कि एन.डी.पी.एस. एक्ट में कोई भी रिलीफ नहीं दे सकता है और उसके बाद हमने, मेरे स्वयं की फाइल पर लिखी हुई नोटिंग के आधार पर, आप में से कोई भी चाहे तो पढ़ लें, हमारा कोई इंटेशन खराब नहीं था। हमने पहले यह सोचकर कि इसकी वृद्धावस्था के कारण से केस बनकर आया और हमारे यहां से लिखा और राज्यपाल की उसे स्वीकृति मिली। यह बात जरूरी है, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। वायरलैस के सलेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया।

मैं सोचता हूं कि पुलिस को जो भी मुख्य मंत्रीजी ने स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से जो स्वीकृति दी, यानी, पुलिस होमगार्ड कारागार कार्मिक का मैस भत्ता, सबका ही वह हमने 675 से 700 रुपये किया है। राजस्थान पुलिस फोर्स के लिए 10 लाख रुपया दिया है, राजस्थान पुलिस उत्सव फंड के लिए 10 लाख रुपया, राजस्थान पुलिस हितकारी निधि के लिए 20 लाख रुपया, राजस्थान पुलिस कल्याण निधि के लिए 25 लाख रुपया और यह पहली बार जैसी आपकी भावना है, मैं भी उतना ही उसके बारे में सोचता हूं कि मेरे कम से कम और कुछ न हो तो पुलिस के इस कांस्टेबल और नौकरी छोटी करने वाले, इसकी बच्ची की अच्छी तरह से एजुकेशन हो जाए। अगर यह पढ़ जाएगा तो इसका परिवार तर जाएगा। इस बात को लेकर मैंने बार-बार मुख्य मंत्रीजी से आग्रह किया और मैं आज यह कहने की स्थिति में हूं कि डेढ़ करोड़ रुपया उन्होंने इन छात्रावासों के निर्माण के लिए, जो मुझे बनाना है, तीन हम पहले बना चुके हैं और जो बाकी चार सम्भाग के अन्दर बचे हैं, मैं इस डेढ़ करोड़ में चारों को बनाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि अगले सत्र में प्रत्येक में 50-50 बच्चों को और उसमें भी मैरिट के आधार पर, पर पहला हक कांस्टेबल के बच्चे को होगा, उसके बाद पद खाली होगा तो उसके ऊपर की रैंक का बैठेगा ताकि हम उसके बच्चे को पढ़ाये भी सही, कोचिंग भी करें और उसके बच्चे का भविष्य सुधारने का प्रयास करें, उसके लिए प्रयास है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैंने आपको चोरी के अलग से बनाने के लिए कह दिया। बंदी कल्याण कोष जेल के लिए पांच लाख रुपया, कारागार कर्मचारी कल्याण कोष के लिए पांच लाख रुपया, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में एक छोटा सा उनकी जितनी चौकियां हैं, उन चौकियों पर गैस कनेक्शन नहीं है, इस पर 81000, होमगार्ड, कुछ होमगार्ड के और हमारी पुलिस में डिस्पेराइटी रह गयी भत्तों में और उसमें, उसको हमने बराबर करने का कोशिश की है। होमगार्ड विभाग के आरक्षी, वाहन चालकों को वर्दी धुलाई भत्ते के लिए जैसा पुलिस को 50 रुपया मिलता है, वैसा इसको भी मिलेगा।

होमगार्ड विभाग के बिगुल भत्ते में बढ़ोतरी, जैसे पुलिस वालों को 150 मिलता है, उसको 85 मिलता है, उसको भी 150 की स्वीकृति इसमें दी है। अग्निशमन सेवा के कर्मचारी की वर्दी धुलाई भत्ते की स्वीकृति जैसे पुलिस विभाग में थी, उसी तरह से होमगार्ड को भी समान मिलेगी। अग्निशमन सेवा कर्मचारियों को भी हार्ड ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी जो 40 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 100 रुपया किया है। नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के आरक्षी वाहन चालकों को हार्ड ड्यूटी भत्ते में 100 रुपये प्रतिमाह नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा के स्वयं सेवकों की ड्यूटी भत्ते में जैसा मैंने कहा था, 110 से बढ़ाकर 120 रुपया कर दिया। इसी तरह से होमगार्ड विभाग के पार्ट टाइम लांगरी उनको 1000 ही मिल रहा था, पुलिस में 1500 रुपये मिल रहे थे, उनको भी हमने 1500 रुपये पर लाकर बराबर करने का प्रयास किया है। शहरी क्षेत्र में गृह रक्षा न्याय सेवकों के परिवहन भत्ते के लिए जो 6 रुपये मिलता था, उनको 8 रुपये हमने किया है। ऐसे मिलाकर 5 करोड़ 19 लाख रुपये का यह अतिरिक्त जो भी हम पुलिस को दे सकते थे, वह मुख्य मंत्रीजी ने हमें दिया है, मैं उनका स्वागत करता हूं और विशेषकर दो कामों के लिए जो छात्रावास जिस भावना से दिया कि कम से कम पुलिस के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देकर उनको तैयार कर सकें, उसके लिए मैं आप सबको अपनी ओर से धन्यवाद और किसी के मन में यह न रहे कि कोई चीज मैं चूक गया। आपने जितनी बातें की, मैं पूरी रिपोर्टिंग मंगाकर उसमें से जो भी कार्यवाही मेरे से सम्भव हो सकती हो, जितनी मेरी क्षमता है, जितना मैं कर सकता हूं, मैं और मेरे विभाग के सारे अधिकारी मिलकर आपकी भावना का सम्मान करके उसको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद मंत्री महोदय। प्रश्न यह है कि (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: अमरारामजी बोलेंगे अभी तो ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैस भत्ते बहुत कम बढ़ाया है। 25 रुपये बढ़ाया है, यह तो बहुत कम है। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): उपाध्यक्षजी, आज कानून व्यवस्था जैसे इतने गम्भीर, सीरियस मामले के ऊपर कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता नहीं, उप नेता नहीं और आठ की संख्या में यह लोग बैठे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपकी मुख्य मंत्रीजी तो हमेशा ही अनुपस्थित रहती हैं। (व्यवधान) कभी नहीं आती सदन में। सदन का अपमान है यह। मुख्य मंत्रीजी कभी नहीं आती सदन में। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): यहां कितने लोग बैठे हैं गिन लो। (व्यवधान) यह संख्या गिनो इधर की।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कांग्रेस के मुख्य मंत्रीजी बैठते थे। (व्यवधान) क्या बात करते हो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अमरारामजी।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारागार विभाग के लिए 48 माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव पेश किये और करीब 85 कटौती प्रस्ताव आये हैं, मैं उन सब सदस्यों को अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका आभारी हूं। कारागार विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। मैंने राजस्थान के अलावा गुजरात की साबरमती जेल, जगन्नाथपुरी की जेल और अन्य कई जेलों को देखा, अण्डमान निकोबार सेल्यूलर जेल, वह भी मैंने देखी, लेकिन अपने राजस्थान की जो जेल है और खास तौर से ओपन जेल, आपके समय में करीब 8 ओपन जेलें थीं, उनको बढ़ाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा 12 जेलें कर दी गयी हैं और करीब 500 से अधिक जो कैदी हैं, वह हमारी ओपन जेलों के अंदर काम कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। राजस्थान की ओपन जेलों का उदाहरण पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर है। आज हमारी इन जेलों में कई प्रकार की व्यवस्था की गई हैं। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, वह अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और परिवार के साथ रहकर अपना जीवन-यापन आराम से कर सकते हैं, यह एक उदाहरण है। उड़ीसा में भी इस प्रकार का एक प्रयोग किया था। उन्होंने तीन करोड़ रुपये की लागत से इस प्रकार के भवन का निर्माण किया और उनको अलग से ओपन जेलों में रखने का प्रयास किया गया, लेकिन वह सफल नहीं हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तिहाड़ जेल में एक

(श्री अमराराम चौधरी)

महिला डी.जी. को लगाया था उससे पहले क्या हालात थे और उसके बाद में जो उसने सुधार किया, आज हमारे इस प्रकार की जेल-कारागृह हैं, वह एक सुधार गृह के रूप में सामने आ रहे हैं। मैं तो यहां तक कहूं कि यदि अपने विचारों को बदलकर और इस प्रकार अच्छी तरह से काम करे तो यह कृष्ण मंदिर भी हो सकते हैं और इसमें रहने वाले व्यक्ति की सोच बदल सकती है। जो उनकी आपराधिक प्रवृत्ति है, वह कम हो सकती है और इसी उद्देश्य से हमारे न्यायिक अभिरक्षा में जो लोग आते हैं, राजस्थान में हमारे इस विभाग के अंदर अधिकारी लगे हुए हैं, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि राजस्थान के अंदर जो हमारे कारागृह हैं, उनकी व्यवस्था, रख-रखाव दूसरे जो कारागृह हैं दूसरे प्रान्तों में, उनसे अच्छे हैं। आज कई प्रकार के हमारे कटौती प्रस्ताव में माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है। उनकी सबसे ज्यादा चिन्ता यह थी कि हमारे जो सिपाही हैं, उनकी तनख्वाह कम है। खास तौर से हमारे बहुत से माननीय विधायकों ने कहा हमारे उप खण्ड स्तर पर जेल होनी चाहिये, सब जेल होनी चाहिये और खास तौर पर अधिकांश माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव दिये कि जेल के अंदर जो अवैध रूप से सामान जा रहा है, उसके बारे में चिन्ता जाहिर की है। आज करीब सात माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने विचार प्रकट किये लेकिन किसी ने इस बारे में यहां पर कोई भी बात नहीं की कि जेलों के अंदर अवैध रूप से जो सामान जा रहा है, मोबाइल मिल रहे हैं। आपको मालूम है कि कुछ दिनों पहले बहुत अखबारबाजी हुई और हमारी जेलों को भी बदनाम करने का प्रयास किया गया। हाई कोर्ट ने एक कमेटी नियुक्त की। मैं हाई कोर्ट का सम्मान करता हूं और आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं जो भी उस कमेटी द्वारा हाई कोर्ट जो भी निर्देश देगा, हम उनकी पूरी पूरी पालना करेंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन जेलों के आधुनिकीकरण के लिए जो काम और धन हमें आबंटित किया, यह बहुत चंद दिनों के अंदर हम इस प्रकार के उपकरण जेलों में लगा देंगे जिससे मोबाइल बिलकुल ही काम नहीं करेगा। इसके अलावा हम इस प्रकार के डोर मैटल डिटेक्टर लगायेंगे, कोई भी वस्तु जाने से पहले उसका पता लग जायेगा। इस प्रकार का जो कार्य हुआ है वह बहुत सराहनीय कार्य होगा और इसके लिए हमने कार्यवाही करना प्रारम्भ कर दिया। वीडियो कान्फ्रेसिंग के बारे में 2005 के अंदर हमारे जोधपुर में यह किया गया और उसके बाद में 2006 के अंदर जयपुर में भी इसका कार्य प्रारम्भ हुआ और इसके अच्छे परिणाम आये हैं।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने इन चार सालों के अंदर 10 नई जेलों का निर्माण किया है और उससे पहले उसका पूरा उपयोग किया गया है और इन 10 जेलों के सिवाय हमारे मंत्रिमण्डल ने (व्यवधान) पांच पूरी हो चुकी हैं और पांच का कार्य प्रगति पर है। ऐसी बात नहीं है। पांच जेलों के नवीनीकरण के लिए, उनकी मरम्मत और उनमें पानी की व्यवस्था के लिए, शौचालय की व्यवस्था के लिए यह सारा जो कार्यक्रम है हमारे इन चार सालों के अन्दर हमारी सरकार ने किया है ...(व्यवधान) आपको यह कहते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि हमने भारत सरकार द्वारा जो जेलों के आधुनिकीकरण के लिए हमें 75 परसेंट जो पैसा मिलता है और 25 परसेंट जो हमारा है, हमने यह 65 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि जो स्वीकृत की थी उसका उपयोग इन दस नवीन जेलों के निर्माण में किया है । इसके अलावा हमारे कारागृह करौली, अनूपगढ़, जैतारण व सांभर का निर्माण कार्य है वह प्रगति पर है। हमारे मंत्रिमण्डल ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक निर्णय लिया कि जो हमारे जेल केन्द्रीय कारागार हों या और भी जेल हों वह शहरों के बीच में आ गये हैं।

जैसे हमारे निम्बाहेडा से आने वाले माननीय विधायक ने अपना कटौती प्रस्ताव दिया। मैं स्वयं निम्बाहेड़ा गया था और आज से ढाई साल पहले मैंने यह बात अपनी रिपोर्ट में लिखी थी कि यह पुरानी जेल है और इसकी सुरक्षा के लिए इसको दूसरी जगह करना बहुत जरुरी है क्योंकि इनकी सबकी मांग थी आज उसी के कारण हमारे जो कैदी फरार हुए थे और उन कैदियों में से जितने भी कैदी फरार हुए 326 कैदी ऐसे हैं जो शेष रह गये हैं बाकी सब मिल गये हैं ...(व्यवधान) केन्द्रीय कारागृह जयपुर जो हम दूसरी जगह ले जा रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी(संसदीय सचिव): आराम से सुनोगे तो पांच मिनट में पूरा हो जाएगा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): एक तो जसौल वालों के लिए ... (व्यवधान) बनायेंगे, घोषणा कर दो खतम करो बात।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): केन्द्रीय कारागृह अजमेर को भी हम दूसरी जगह ले जा रहे हैं, केन्द्रीय कारागृह उदयपुर इसको भी हम

(श्री अमराराम चौधरी)

शहर के बीच से अन्य जगह ले जा रहे हैं। केन्द्रीय कारागार कोटा और जिला कारागार भीलवाड़ा यह पांच जो हमारे कारागृह हैं इनका हम स्थान बहुत जल्दी इसके लिए प्रक्रिया और बाकी के लिए चरणबद्ध तरीके से हम उनको बदलते जायेंगे दूसरी जगह ।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात भूल गया था जो इस पुलिस विभाग में एक चमत्कारी काम आगे आने वाले वर्षो में होगा, प्रत्येक तीन महीने में सम्भाग स्तर पर एक बैस्ट थाने का चयन, ऐसे आठ रेंज में पूरे साल में बत्तीस थानों का चयन जो अपने काम की दृष्टि से वह भी नम्बर देकर कि किसने किसमें कितने नम्बर उसके होंगे वह स्वयं कैलकुलेट कर ले। जो बैस्ट बत्तीस थाने आयेंगे उसको राज्य स्तर पर सम्मानित करने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने एक लाख साठ हजार रुपया प्रतिवर्ष के लिए दिया, जिसको मैं बताना भूल गया। मांग पारित की जाय।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आप खड़े ही हो गये तो इन्सपैक्टर की डी पी सी कब होगी, यह भी फरमा दें ...(व्यवधान) इन्सपैक्टर की डी पी सी कब करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य योजना में वर्तमान सरकार के शासनकाल में जेलों के निर्माण के लिए पूर्व सरकार के पांच वर्षो के शासन में स्वीकृत राशि ...(व्यवधान) एक करोड़ तेइस लाख के मुकाबले में हमने चार वर्षो में 959.26 ...(व्यवधान) स्वीकृत किये ।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, मंत्री महोदय, धन्यवाद।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्रीजी, आप रोक क्यों रहे हो इनको, पढ़ने दो जवाब देने दो, आप क्यों रोक रहे हो इनको, हम सुनना चाहते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी(संसदीय सचिव): सुनना चाहते हो ना सुनवा दें फिर।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): जेल के अन्दर हमारे जो भी कैदी आ जाते हैं, हमने उन जेलों के अन्दर इस नवीनीकरण के जरिये और

(श्री अमराराम चौधरी)

उसके अलावा उनके कैदियों के विचारों में बदलाव लाने के लिए समय-समय पर सन्तों को बुलाकर उनके प्रवचन कराकर और उनको वापस समाज की धारा से जोड़ने के लिए हमारे जितने भी अधिकारी हैं वह इस काम में लगे हुए हैं। जितने भी हमारे जो भी कैदी हैं उनको वहां बराबर काम देना और उनको प्रशिक्षित करना उद्योग धंधे के अन्दर प्रशिक्षित करना, कोई अनपढ़ है तो उसको पढ़ाई कराना और बैंड, हमारे यहां एक जेल का बैंड है वह अलग-अलग केन्द्रीय जेलों के अन्दर आज पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा बैंड है और जो बैंड से आय होती है ...

श्री अमराराम (धोद): आप वाला फर्स्ट आया या इनका आया? बैंड फर्स्ट इनका आया कि आपका ...(व्यवधान) कटारियाजी का बैंड फर्स्ट आया या आपका?

एक माननीय सदस्य: यह बैंड तो अभी आपका बजा देंगे बारह बजे तक का।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): बाकी मैं यहां आज हमारे यहां पर 200 भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए हमने एडवरटाइजमैंट निकाला था उसमें 48 हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वह सिपाही के तौर पर संविदा के आधार पर लगाये गये हैं और बाकी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके प्रार्थना पत्र नहीं आ रहे हैं तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि उनके प्रार्थना पत्र आने पर यह 200 की पूर्ति जो नहीं हुई है यह पूरी कर देंगे ताकि जेल के अन्दर जो सिपाहियों की कमी है वह पूरी की जा सके। वैसे वर्तमान समय के अन्दर हमारे करीब छह सौ से अधिक सिपाही कम हैं। हमारे जो भी सिपाही हैं, हमारे जो भी अधिकारी हैं उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि जेलों का रख-रखाव जेलों का प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, यह श्रेय उनको है क्योंकि कम स्टाफ होने के बावजूद भी एकजुट होकर के जेल में कार्य को नियमित रूप से देख रहे हैं और उसी के कारण आज हमारी जेलें, खुली जेलें और जो हमारी केन्द्रीय जेल हैं वह सुचारू रूप से चल रही हैं। बराबर उनको भोजन मिल रहा है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने उनके भोजन के बारे में चिन्ता की। भोजन, जो एक साधारण परिवार को भोजन मिलता है उससे भी बढ़िया भोजन हमारे कैदियों को मिल रहा है और मैं आशा करता हूं एक दिन आप देखेंगे कि ...(व्यवधान) अपराध हो गया लेकिन अब जब हमने यह विचार ही कर लिया है कि इनमें सीमित साधनों के बावजूद यह जो हमारे .....

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आप कौन-कौनसी जेलों में कब कब रहे मंत्रीजी? माननीय मंत्री जी, आप बताएं कौन-कौनसी जेलों में कब-कब निरीक्षण किया, यह तो बताएं? रोटी अच्छी नहीं मिल रही है, खाना बहुत खराब मिल रहा है।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): पूरा प्रयास किया गया है और मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन यही करूंगा कि मांग संख्या-17 को पारित कर दिया जाय।

अनुदान की मांगों का पारण

मांग संख्या 16-पुलिस

श्री उपाध्यक्ष: 'प्रश्न यह है कि मांग संख्या – 16 – पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,72,87,56,000/- (बारह अरब बहत्तर करोड़ सतासी लाख छप्पन हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-17- कारागार

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या – 17 – कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,40,37,000/- (पैंतालीस करोड़ चालीस लाख सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2008 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.21 बजे मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2008 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

बारां जिले में माडा योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग

195. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) **:** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला बारां में माडा योजना में विगत 2 वर्षों में प्राप्त राशि का उपयोग कहां-कहां पर कितना-कितना किया गया?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा माडा योजना में प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया? यदि हां, तो कितना व्यय किया गया व कितना शेष रहा? उक्त राशि के व्यय नहीं होने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा बारां जिले में माडा योजना में विगत दो वर्षों में प्राप्त राशि का उपयोग किया गया इसका विवरण परिशिष्ट अ, ब, स पर उपलब्ध है।

(2) हां। यह सही है कि माडा योजना में प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है। खर्च व शेष का विवरण इस प्रकार है :-

वर्ष	मद	माडा क्षेत्र		
		आबंटन	व्यय	बचत
2005-06	वि.के.स.	41.87	24.41	17.46
	महाराष्ट्र पेर्टन	8.42	6.15	2.27
2006-07	वि.के.स.	16.22	11.22	5.00
	महाराष्ट्र पेर्टन	21.94	17.94	4.00
	275(1)	**6.00**	**6.00**	—

व्यक्तिगत लाभकारी योजना में पात्र एवं बी.पी.एल. धारी परिवारों के नहीं होने के कारण लाभान्वित नहीं कराया जा सका। थ्रेसर, स्प्रंकलरसेट, डी.पी.एस. इत्यादि के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये है क्योंकि बी.पी.एल. परिवारों के पास पर्याप्त भूमि नहीं होती है। एनीकट निर्माण के कार्य माह मार्च, 2008 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष राशि वर्ष 2005-06						योग	शेष राशि	व्यय राशि वर्ष 2006-07						योग	शेष राशि
		प्राप्त राशि	बारां	अन्ता	अटरू	छबडा	छीपा बड़ौद			प्राप्त राशि	बारां	अन्ता	अटरू	छबडा	छीपा बड़ौद		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	पावर थ्रेसर	0.70							0.70								0.00
2.	जनजाति कृषकों हेतु भूमि सुधार	0.00															
3.	समूह में ट्यूबवैल	2.50							2.50	2.50			2.50			2.50	0.00
4.	जनजाति महिलाओं की परिवार की आय वृद्धि	0.57							0.57								0.00
5.	फलदार पोधों पर अनुदान (बायक)	9.86			5.43		4.43	9.86									
6.	एनिकट निर्माण	10.00	4.99		4.98			9.97	0.03	10.00				2.50	2.50	5.00	5.00
7.	कृषि कुओं में ब्लास्टिंग	1.20					1.20	1.20	0.00								
8.	स्प्रिंकलर सेट	3.00					0.04	0.40	2.60								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.	हेण्डपम्प	0.00															
10.	समूह स्वरोजगार योजना	7.54					0.68	0.68	6.86	3.72				1.10	2.62	3.72	
11.	डीपीएस/ईपीएस	3.00				0.20	0.60	0.80	2.20								
12.	खाद बीज अनुदान	2.00						0.00	2.00								
13.	दुधारू पशु	1.50	0.75			0.75		1.50									
14.	**योग**	**41.87**	**5.74**		**10.410**	**0.95**	**7.31**	**24.41**	**17.46**	**16.22**			**2.50**	**3.60**	**5.12**	**11.22**	**5.00**

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष राशि वर्ष 2005-06						योग	शेष राशि	व्यय राशि वर्ष 2006-07						योग	शेष राशि
		प्राप्त राशि	बारां	अन्ता	अटरू	छबडा	छीपा बड़ौद			प्राप्त राशि	बारां	अन्ता	अटरू	छबडा	छीपा बड़ौद		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1.	अंश पूजी अनुदान	1.00	0.73366					0.734	0.27								
2.	प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति	0.210		0.210				0.210		0.21		0.105			0.105	0.21	
3.	छात्राओं का उच्च शिक्षा प्रत्सोहन	0.210	0.140		0.07			0.210		0.21	0.07	0.07			0.07	0.21	
4.	कृषि कुओं में उर्जिकरण																
5.	हैण्डपम्प स्थापना	2.00							2.00	1.50		0.50	0.50	0.50		1.50	
6.	सड़क कार्य	5.00	5.00					5.00		20.02			8.52		7.50	16.02	4.00
	योग	**8.42**	**5.87366**	**0.21**	**0.07**			**6.154**	**2.27**	**21.94**	**0.07**	**0.675**	**9.02**	**0.50**	**7.675**	**17.940**	**4.00**

परिशिष्ट "स"

क्र. सं.	योजना का नाम	व्यय राशि वर्ष 2005-06						योग	शेष राशि	व्यय राशि वर्ष 2006-07						योग	शेष राशि
		प्राप्त राशि	बारां	अन्ता	अटरू	छबडा	छीपा बड़ौद			प्राप्त राशि	बारां	अन्ता	अटरू	छबडा	छीपा बड़ौद		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	सड़क निर्माण 1. जी रोड 3.00 लाख, 2. नरसिंहपुरा रोड 3.00 लाख	0	0	0	0	0	0	0	0	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके

तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका क्षेत्र दौसा के स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना में व्याप्त अनियमितताएं

197. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा) **:** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र दौसा में वार्ड संख्या 1 से 28 तक प्रथम फेज में एवं वार्ड संख्या 29 से 35 तक द्वितीय फेज में आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो स्वीकृति आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि द्वितीय फेज के आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये थे, लेकिन इन स्वीकृत वार्डों में आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोलकर पूर्व के प्रथम फेज के स्वीकृत वार्डों में दो-दो केन्द्र खोल दिये गये? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2005-06 में नगर पालिका क्षेत्र दौसा के विभिन्न वार्डों में कुल 28 आंगनबाड़ी केन्द्र विभाग के आदेश क्रमांक 100532 दिनांक 15.12.2005 द्वारा स्वीकृत किये गये। स्वीकृति आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2007-08 में दौसा शहर नवीन परियोजना स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप नगर पालिका क्षेत्र दौसा के वार्ड संख्या 31, 32 एवं 33 में 2 आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये। स्वीकृति आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार शहरी क्षेत्र में कच्ची बस्तियों/अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में प्राथमिकता से केन्द्र खोला जाता है। नगर पालिका क्षेत्र दौसा के वार्ड संख्या 34 व 35 में चिन्हित कच्ची बस्ती नहीं है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं बी.पी.एल. की संख्या भी कम है।

वार्ड संख्या 7 व 26 में अल्प संख्यक समुदाय तथा अनु. जाति/जनजाति, बाहुल्य बस्तियां होने के कारण केन्द्र खोले गये। ये केन्द्र निर्धारित मानदण्डों के अनुसार खोले गये हैं। अत: कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

फुलेरा क्षेत्र की मिसिंग लिंक सड़कें

198. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कितनी सड़कें बनाना शेष है? सरकार इन सड़कों को कब तक बनवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में मिसिंग लिंक सड़कें बनाना शेष है? क्या सरकार इन सड़कों को बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत 4 वर्षों में कौन-कौनसी सड़कें किस-किस योजना में बनाई गई तथा कौन-कौनसी सड़कें बनाना शेष है? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दूदू में मरूक्षेत्र मानकर 250 की आबादी के गांवों को पी.एम.जी.एस.वाई. योजनान्तर्गत रोड बनाने की केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो इससे कौन-कौनसे गांव लाभान्वित किये जा रहे हैं?

(5) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा भी दूदू क्षेत्र के समान ही मरू एवं पिछड़ा क्षेत्र है? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा को भी अत्यधिक पिछड़ा एवं मरूक्षेत्र मानकर 250 की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 2001 की जनगणना के अनुसार 500 तक की आबादी के गांवों को डामर सड़क से जोड़ दिया गया है। शेष सड़कें बनवाना राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

राज्य सरकार ने अपने स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया है कि सामान्य क्षेत्रों में 250 से 499 तक की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़े जाने का कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में मिसिंग लिंक के कुल पांच कार्य 10 कि.मी. की लम्बाई में राशि 150.00 लाख के राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा करवाये जा रहे हैं। परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत 4 वर्षों में विभिन्न योजनाओं में 51 सड़कों का निर्माण किया गया। विस्तृत विवरण योजनावार तथा पंचायतवार परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) जी हां। 250 से 499 तक की आबादी के लाभान्वित गांवों की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे गये)

तारांकित प्रश्न संख्या-199

(स्थगित)

शूटिंग रेंज, जगतपुरा (जयपुर) के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया

200. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) **:** क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगतपुरा में शूटिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त शूटिंग रेंज के निर्माण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक कुल कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई?

(2) क्या यह सही है कि शूटिंग रेंज हेतु उपकरण राइफलें इत्यादि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्रय की गई हैं? यदि हां, तो किस फर्म से एवं प्रक्रिया क्या रही? यदि नहीं, तो उक्त साजो सामान किसके द्वारा क्रय किया जा रहा है एवं भुगतान किसके द्वारा किया जा रहा है?

(3) शूटिंग रेंज में विभिन्न निर्माण कार्य जो करवाये जा रहे हैं क्या उक्त सभी कार्य टेण्डर कर आबंटित किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) शूटिंग रेंज के कार्यों एवं उपकरणों व राइफलों बाबत क्या एन.आर.ए.आई. को जयपुर विकास प्राधिकरण ने धनराशि उपलब्ध करवाई है? यदि हां, तो कब-कब व कितनी राशि एवं किस कार्य हेतु? क्या इस हेतु एन.आर.ए.आई. से कोई एग्रीमेंट किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों एवं किसके आदेशों से कितनी राशि एन.आर.ए.आई. को दी गई?

(5) क्या शूटिंग रेंज का विकास का जिम्मा एवं प्रतियोगिता आयोजित करवाने का जिम्मा जयपुर विकास प्राधिकरण का है? यदि नहीं, तो वहां पर होने वाली प्रतियोगिताओं का खर्चा कौन सी संस्थान वहन करेगी?

(6) क्या यह सही है कि शूटिंग रेंज हेतु सलाहकार भी नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो कौन? सलाहकार को जयपुर विकास प्राधिकरण से क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गई एवं उक्त पर प्रतिमाह कितनी-कितनी राशि व्यय की जा रही है? सलाहकार की नियुक्ति किस आधार व नियम पर की गई?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगतपुरा में शूटिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है। उक्त शूटिंग रेंज के निर्माण में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.2.2008 तक रुपये 1425.44 लाख व्यय किये जा चुके हैं। मदवार व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राइफलें क्रय नहीं की गयी हैं, परन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा केवल ट्रेप एण्ड स्कीट स्पर्धा हेतु आवश्यक उपकरण ही क्रय किये गये हैं। यह खरीद फ्रांस की फर्म मैसर्स लापोर्ट बाल ट्रेप से की गई है, यह खरीद सीधे उत्पादकर्ता से भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (NRAI) एवं विशेषज्ञ की अनुशंषा पर तमिलनाडू में आर्मी के लिए खरीदी गई की दरों से तुलना करने के उपरान्त प्राप्त दरों की औचित्यता के आधार पर सक्षम स्वीकृति के उपरान्त की गई हैं। इसी प्रकार 10 मी., 25 मी. एवं 50 मी. प्रतियोगिता/अभ्यास के लिए आवश्यक उपकरण (टारगेट्स) राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ एवं विशेषज्ञ सलाहकार की अनुशंषा पर (रीको कम्पनी के उपकरण, रीका कम्पनी से) मार्फत उच्चाधिकार समिति के निर्णय अनुसार खरीद की प्रक्रिया में हैं, भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

(3) शूटिंग रेंज में अधिकांश निर्माण कार्य निविदा प्रक्रिया अपना कर ही करवाये जा रहे हैं। परन्तु विशेष परिस्थितियों में कुछ कार्य उत्पादनकर्ता/उत्पादकर्ता के प्रतिनिधि/कार्य का अनुभव रखने वालों से बिना निविदा के प्राप्त दरों की औचित्यता की जांच के उपरान्त सक्षम स्वीकृति प्राप्त करके किये जा रहे हैं।

(4) शूटिंग रेंज के कार्यों तथा राइफल बाबत भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। परन्तु भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को दिनांक 11.1.2008 को रुपये 48,39,791/- 10 मी., 25 मी. व 50 मी. रेंज के टारगेट उपकरण हेतु उपलब्ध करवायी गयी है। जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ से एग्रीमेन्ट किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को रुपये 48, 39, 791/- की राशि सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् उपलब्ध करवायी गयी है।

(5) जी हां। राज्य में निशानेबाजी, तीरदाजी एवं घुड़सवारी के खेलों को प्रोत्साहित करने तथा खेल प्रतिभाओं को तराशने की दृष्टि से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शूटिंग रेंज का निर्माण करवाया जा रहा है इससे खेल पर्यटन को प्रोत्साहन होगा एवं जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में इस हेतु आधारभूत सुविधा उपलब्ध होगी। जहां तक प्रतियोगिता आयोजित करवाने के जिम्मे का सवाल है चूंकि शूटिंग रेंज का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है एवं इसका

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

स्वामित्व भी जयपुर विकास प्राधिकरण का है इसलिए प्रतियोगिता जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। अब तक निम्न दो प्रतियोगितायें आयोजित करवाई गई : 1. सरदार सज्जन सिंह सेठी मास्टर शूटिंग प्रतियोगिता वर्ष 2007 का आयोजन युवा एवं खेलकूद विभाग, पर्यटन विभाग, राजस्थान तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। 2. एशियन क्ले शूटिंग चैम्पियनशिप 2008 का आयोजन फरवरी, 2008 में किया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया गया है लेकिन खर्चे के लिए प्रायोजक की व्यवस्था की गई है। शूटिंग रेंज से सम्बन्धित रुपये 1,48,30,500/- रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड एवं रुपये 10,92,077/- अन्य मद में इस प्रकार कुल राशि रुपये 1,59,22,577/- प्राप्त हुए हैं तथा राशि 56,17,213/- अब तक व्यय हुए हैं।

(6) जी हां। जयपुर में शूटिंग रेंज विकसित करने के उद्देश्य से श्री सुशील चौधरी, अध्यक्ष, राजस्थान राइफल एसोसियेशन को आदेश दिनांक 22.12.2005 से रुपये 20,000/- प्रतिमाह मानदेय पर सलाहकार नियुक्त किया गया है। श्री सुशील चौधरी, सलाहकार शूटिंग रेंज की नियुक्ति उनके शूटिंग क्षेत्र में विषय विशेषज्ञ होने के आधार पर की गई है। इन्हें अति. आयुक्त स्तर की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश है। इन्हें वाहन तथा फोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। वाहन सुविधा के रूप में वर्तमान में आदेश दिनांक 12.4.2007 से इन्हें रुपये 15,500/- वाहन संधारण आदि के खर्चे के रूप में दिया जा रहा है तथा आदेश 22.12.2005 के अनुसार 20,000/- रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।

परिशिष्ट 'अ'

शूटिंग रेन्ज परिसर में कराये जा रहे निर्माण कार्यों में व्यय की गई राशि का मदवार विवरण :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	व्यय 15.02.2008 (राशि लाखों में)
1	शूटिंग रेन्ज भवन, तीरंदाजी एवम् घुड़सवारी के स्थान का विकास एवं निर्माण कार्य	
(i)	शूटिंग रेन्ज के भवन एवं स्थान का विकास कार्य	938.09
(ii)	शूटिंग रेन्ज में विभिन्न प्रकार के घाना टीक एव पाइन लकडी की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य।	4.10

1	2	3
(iii)	शूटिंग रेन्ज में लापोटो पोलिश, विट्रीफाइड टाइल की आपूर्ति एवम लगाने का कार्य।	48.32
(iv)	शूटिंग रेन्ज रेस्टोरेन्ट में ग्लास ब्रिक की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य।	1.74
(v)	शूटिंग रेन्ज में ट्रेप एवम स्कीट उपकरण एवम इलेक्ट्रोनिक स्कोर बोर्ड की आपूर्ति एवम लगाने का कार्य।	224.75
(vi)	शूटिंग रेन्ज में 10 मीटर, 25 मीटर एवं 50 मीटर रेन्ज के उपकरण की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य।	48.40
(vii)	शूटिंग रेन्ज विश्राम गृहों में ग्लास मोजेक टाइल आपूर्ति का कार्य।	1.14
2.	शूटिंग रेन्ज में सड़क एवं फुटपाथ निर्माण कार्य।	69.63
3.	शूटिंग रेन्ज पर सम्पादित विभिन्न विद्युत कार्य	81.21
4.	शूटिंग रेन्ज में वृक्षारोपण का कार्य	8.06
	कुल	1425.44

Zonal Engineer (Project)
Jaipur Development Authority,
JAIPUR

वन संवर्द्धन/संरक्षण हेतु वन कार्मिकों की भर्ती

201. श्री भरत सिंह (दीगोद) **:** क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में फोरेस्ट गार्ड व कैटल गार्ड व रेंजर स्तर के कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत व कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कैटल गार्ड व फोरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रदेश में कितने वर्षों से नहीं हुई है तथा कर्मचारी की वर्तमान में औसत उम्र क्या है?

(3) क्या यह सही है कि रिक्त पदों को भरने हेतु सेना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वन विभाग में अस्थाई भर्ती करने हेतु सरकार द्वारा प्रयास किये गये थे? यदि हां, तो कितने सेवानिवृत्त सैनिक नियुक्त करने का लक्ष्य था व वास्तव में कितने पद भरे जा सके? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वनों को नष्ट होने से बचाने हेतु नियमित रूप से वन कर्मियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) फोरेस्ट गार्ड एवं रेंजर के स्वीकृत व रिक्त पदों की संख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

वर्तमान में विभाग में 3432 केटलगार्ड कार्यरत हैं। इनकी वनमण्डलवार सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। केटलगार्ड वर्कचार्ज सम्वर्ग में आते हैं तथा वर्कचार्ज सम्वर्ग में पद रिक्त होने पर स्वत: ही समाप्त हो जाते हैं।

(2) वन विभाग में फोरेस्ट गार्ड की भर्ती 1985 के पश्चात् नहीं हुई है। केटलगार्ड की नई भर्ती पर 28.02.1994 से पूर्णत: प्रतिबन्ध है।

वर्तमान में फोरेस्ट गार्ड की औसत आयु लगभग 50 वर्ष तथा केटलगार्ड की औसत आयु लगभग 48 वर्ष है।

(3) वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार ने विभाग को 1000 भूतपूर्व सैनिकों को एक वर्ष के अनुबन्ध पर रखने की अनुमति दी थी। वर्तमान में 597 भूतपूर्व सैनिक अनुबन्ध पर रखे जा चुके हैं। तथा 403 भूतपूर्व सैनिकों को चयनित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(4) क्षेत्रीय वन अधिकारी के सीधी भर्ती के पद रिक्त नहीं है। वनपाल एवं फोरेस्ट गार्ड के रिक्त पदों पर मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दी जा रही है। फोरेस्ट गार्ड के रिक्त पदों के विरूद्ध 1000 भूतपूर्व सैनिकों को अनुबन्ध पर रखे जाने की स्वीकृति दी गई है। फोरेस्ट गार्ड की नियमित भर्ती के प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

टाडा-माडा योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों के विकास हेतु व्यय राशि

202. श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) **:** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने टाडा-माडा चयनित गांव हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन टाडा-माडा चयनित गांवों के सर्वांगीण विकास के लिये सरकार द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत बजट आबंटित किया गया? यदि हां, तो वर्ष 2004 से अब तक योजनावार आबंटित बजट, कार्यों की पूर्णता, अपूर्णता बाबत संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कुल 4535 ग्राम टाडा में तथा कुल 3606 ग्राम माडा में चयनित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि टाडा-माडा चयनित ग्रामों में सर्वांगीण विकास के लिये सरकार द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत बजट आबंटित किया जाता है। वर्ष 2004 से अब तक आवंटित बजट निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

वर्ष	टाडा में आबंटित बजट	माडा में आबंटित बजट
2004-05	6691.57	1675.93
2005-06	8585.15	1595.62
2006-07	9819.19	2389.51
2007-08	9965.37	1521.00

योजनावार आबंटित बजट की सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

योजनावार आबंटित बजट अनुसार वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक आबंटित लक्ष्य के विरूद्ध अर्जित भौतिक उपलब्धि की सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

कार्यों की पूर्णता अपूर्णता बाबत योजनावार संख्या परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) की वृहद् ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पुनर्गठन

203. श्री बाबू सिंह राठौड़ (शेरगढ़) **:** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार तहसील क्षेत्र शेरगढ़ में बड़ी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पुनर्गठन कर ग्राम पंचायतवार ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस स्तर एवं कब तक?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा प्रेषित विघटन/पुनर्गठन के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुये एवं लम्बित हैं? यदि हां, तो कितने प्रस्ताव कब से लम्बित हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के विघटन-पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव वर्तमान में लम्बित नहीं हैं।

अतिकुपोषित बच्चों के पुनर्वास हेतु कार्य-योजना

204. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) **:** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बच्चों में कुपोषण की गम्भीर समस्या है? यदि हां, तो इस सम्सया के निदान के लिये सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 से 2006-07 में क्या-क्या उपाय किये गये? यह योजना किन-किन जिलों में प्रभावी रूप से लागू है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अतिकुपोषित बच्चों के पुनर्वास की भी सरकार की योजना है? यदि हां, तो क्या और इस योजना के तहत अतिकुपोषित बच्चों के लिये क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं और किये जाने हैं?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान किये गये उपायों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

कुपोषण की रोकथाम हेतु आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

(2) जी हां। अतिकुपोषित बच्चों के विशेष उपचार करने हेतु राज्य के 7 जिलों यथा अलवर में 2 केन्द्र, बारां में 2 केन्द्र, धौलपुर, राजसमन्द, जोधपुर, झालावाड़ एवं टोंक में एक-एक कुल 9 कुपोषण उपचार केन्द्र संचालित हैं, जिसमें अति कुपोषित बच्चों को भर्ती कर दवाएं, उनकी जांच व इलाज नि:शुल्क किया जा रहा है।

एन.आर.एच.एम. के तहत राज्य सरकार द्वारा सत्र 2007-08 से प्रत्येक जिला अस्पतालों तथा मेडिकल कालेज के अस्पतालों में कुपोषण उपचार केन्द्र की स्थापना की जा रही है ताकि अति कुपोषित बच्चों का इलाज प्रभावी ढंग से हो सके।

परिशिष्ट "अ"

- आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित लाभान्वित वर्ग विशेष रूप से 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिला को परिवार स्तर पर पोषण एवं पोषण सहायक सेवाएं तथा सलाह उपलब्ध करवाने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जननी योजनान्तर्गत एक अतिरिक्त महिला सहयोगिनी को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लगाना।
- वर्तमान में कार्यरत महिला सहयोगिनियों की संख्या 35 हजार।

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर माह के निश्चित दिवस को मातृशिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का ए.एन.एम. की उपस्थिति में आयोजन किया जाना।
- उक्त दिवस को बच्चों एवं गर्भवती माताओं की स्वास्थ्य जांच व टीकाकरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाना।
- अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य लाभ के लिए राज्य के 7 जिलों (यथा अलवर, टोंक, जोधपुर, राजसमन्द, धौलपुर, झालावाड एवं बारां) में 9 कुपोषण प्रबंधन केन्द्र स्थापित किया जाना।
- राज्य में मिशन आधारित न्यूट्रीशन परियोजना प्रारम्भ किया जाना।
- उक्त परियोजना के प्रथम चरण में जनजाति बाहुल्य जिले सहित कुल 13 जिलों (यथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, सवाई माधोपुर, जोधपुर, बारां, राजसमन्द, अलवर, धौलपुर, टोंक एवं झालावाड़) में परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना।
- राज्य के 10 जिलों (यथा उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, अलवर, कोटा, जोधपुर एवं जयपुर) के शहरी क्षेत्रों में सुराज योजनान्तर्गत स्थानीय निकायों के वित्तीय सहयोग से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था किया जाना।
- विभागीय कार्मिकों के लिए कुपोषण निवारण के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण की कार्य योजना का निर्धारण किया जाना।
- 0 से 3 वर्ष के बच्चों को माइक्रो न्यूट्रेन्टस युक्त पोषाहार दिया जाना तथा 3 से 6 वर्ष बच्चों के लिए गरम पोषाहार में स्प्रिंकलर रूप से माइको न्यूट्रेन्टस दिया जाना।
- आयोडीन की कमी दूर करने के लिए आंगनबाडी केन्द्रों पर नमक परीक्षण की सुविधा प्रदान किया जाना।

उपखण्ड केकड़ी में जिला मुख्यालय की स्थापना

205. श्री गोपाल लाल धोबी (केकड़ी) **:** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय केकड़ी को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राज्य में नवीन जिलों के गठन/पुनर्गठन के प्रस्तावों पर विस्तृत परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष राजस्व मण्डल, अजमेर की अध्यक्षता में दिनांक 18.3.2006 को एक समिति का गठन किया गया है। समिति के समक्ष प्रस्तुत विचारणीय सूची में केकड़ी का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

कोटपूतली क्षेत्र में प्रस्तावित सड़कें

206. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में दिसम्बर, 2003 के पश्चात् कौन-कौनसी सड़कें किस-किस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई? राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कौन-कौनसी सड़कें स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं? प्रस्तावित सड़कों को सरकार कब तक स्वीकृति देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में दिसम्बर, 2003 के पश्चात् स्वीकृत सड़कों का वर्षवार (योजना एवं राशि सहित) विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में वर्तमान में कोई सड़क स्वीकृति की प्रक्रिया में नहीं है।

राज्य सरकार ने अपने स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया है कि सामान्य क्षेत्रों में 250 से 499 तक की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़े जाने का कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले के लम्बित कृषि कनेक्शन

207. श्री जुबेर खान (रामगढ़) **:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि कनेक्शन आवेदकों द्वारा समय पर डिमाण्ड नोटिस की राशि नहीं जमा कराने के कारण उनकी फाइलें निरस्त कर दी गई हैं? यदि हां, तो जिला अलवर में ऐसे कितने आवेदक हैं, जिनके द्वारा निर्धारित समय सीमा में यह राशि जमा नहीं कराई गई? विवरण पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(श्री जुबेर खान)

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त आवेदकों में से कुछ आवेदकों द्वारा मांग राशि जमा कराने हेतु सहायक अभियन्ताओं के कार्यालयों में आवेदन किये गये हैं? यदि हां, तो अलवर में कितने आवेदक हैं?

(3) उक्त आवेदकों को क्या सरकार अब मांग राशि जमा कर कृषि कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले में कृषि आवेदकों द्वारा समय पर डिमाण्ड राशि जमा नहीं कराने के कारण 1540 पत्रावलियों को निरस्त कर दिया गया। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उपरोक्त आवेदकों में से पत्रावलियों को पुनर्जीवित कराने हेतु अलवर जिले के सहायक अभियन्ता कार्यालयों में 12 आवेदन प्राप्त हुए।

(3) जी नहीं। उपरोक्त आवेदकों को मांग पत्र जमा कराने का समुचित समय देने के बावजूद राशि जमा नहीं कराने के कारण इनके आवेदन रद्द कर दिये गये हैं।

परिशिष्ट "अ"

ऊर्जा के सम्बन्ध में निरस्त की गई पत्रावलियों का पंचायत समितिवार विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति	निरस्त पत्रावलियों की संख्या
1	2	3
1.	तिजारा	99
2.	रामगढ़	68
3.	उमरैण	49
4.	थानागाजी	3
5.	बहरोड	220
6.	नीमराणा	190
7.	मुण्डावर	302
8.	बानसूर	185
9.	कठूमर	85

1	2	3
10.	लक्ष्मणगढ़	32
11.	राजगढ़	171
12.	रैणी	94
13.	किशनगढ़ बास	37
14.	कोटकासिम	5
	योग	**1540**

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की पेरोफेरी सीमा में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्रों में भू-संपरिवर्तन के अधिकार

208. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) **:** क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2005 से अब तक जयपुर के चारों तरफ किन-किन तहसीलों के कौन कौनसे गांवों और नगरपालिका क्षेत्रों को जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया एवं कौन से गांव अभी विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विचाराधीन गांवों में आवासीय पट्टा देने भू-संपरिवर्तन, नियमन और भू-आबंटन करने के कार्य तहसील और ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है या उस पर रोक है? यदि रोक है तो उक्त कार्य कौन कर रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण के विचाराधीन गांवों के क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी किसकी है?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के विस्तारित क्षेत्र के चरागाह, नदी-नालों और तालाबी भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने रिकार्ड में लेने से पूर्व ग्राम पंचायतों से सहमति ली जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.10.2007 को अधिसूचना जारी कर 247 ग्रामों को जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में सम्मिलित किया है। अधिसूचना दिनांक 1.10.2007 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त अन्य गांवों को जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार में विचाराधीन नहीं है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नये गांव सम्मिलित किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत: कोई रोक नहीं है।

(3) चूंकि वर्तमान में कोई गांव जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु विचाराधीन नहीं है। अत: जयपुर विकास प्राधिकरण रीजन के बाहर के गांवों के विकास की जिम्मेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण की नहीं है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण विस्तारित क्षेत्र के चरागाह, नदी-नालों और तालाबों की भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने रिकार्ड में लाने से पूर्व ग्राम पंचायतों से सहमति लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर संभाग में वृहद् उद्योगों से व्याप्त प्रदूषण की रोकथाम

209. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) **:** क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के अजमेर संभाग में स्थित वृहद् उद्योगों से वायु एवं जल प्रदूषण हो रहा है? यदि हां, तो किस-किस उद्योग से? संभाग में स्थित समस्त उद्योगों की सूची सहित प्रदूषण सम्बन्धी विवरण उद्योगवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस उद्योग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिये वांछित समस्त उपाय कर रखे हैं तथा क्या ई.एस.पी. लगाया हुआ है? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या यह सही है कि उद्योग द्वारा ई.एस.पी. को अधिकांश समय तक चालू नहीं रखा जाता है? यदि नहीं, तो इसकी जांच की क्या व्यवस्था है?

(4) प्रदूषण के कारण किस-किस उद्योग के विरुद्ध वर्ष 2000 से अब तक की अवधि में क्या कार्यवाही की गई है?

(5) प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम के लिये सरकार द्वारा अब क्या कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर संभाग के जिन वृहद् उद्योगों के नवीनतम निरीक्षण एवं मोनिटरिंग के दौरान, निस्त्रावित प्रदूषक तत्वों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गई उनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। अजमेर संभाग में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा चिन्हित 47 वृहद् उद्योगों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

(2) सभी उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि सभी उद्योग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर रखी हैं। उद्योगों द्वारा स्थापित किये गये प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों एवं ई.एस.पी. का विवरण मय स्थापित वर्ष के परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। ई.एस.पी. को चालू रखने की जांच हेतु उद्योगों द्वारा ई.एस.पी. के साथ आवर मीटर लगाए हुए हैं। जिसकी जांच राज्य मण्डल द्वारा समय-समय पर की जाती है।

(4) उद्योग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण समुचित रूप से नहीं चलाने या सम्मति की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण मण्डल द्वारा उद्योगों के विरूद्ध वर्ष 2000 से अब तक की अवधि में की गई कार्यवाही, यथा जल अधिनियम की धारा 33(ए) एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा 31(ए) के अन्तर्गत उद्योग बन्द करने या जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत न्यायालय में वाद दायर करने का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उद्योगों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है एवं निरीक्षण के दौरान जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कमियां पाये जाने पर अथवा प्रदूषकों का उत्सर्जन/निस्तारण निर्धारित मानकों से अधिक पाये जाने पर उद्योगों के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती रहेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या-210 एवं 211

(स्थगित)

रतनजोत की खेती हेतु आबंटित भूमि

212. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा राज्य में रतन जोत की खेती हेतु संस्थाओं और कम्पनियों को कितनी भूमि आबंटित की गई? संस्था, भूमि का रकबा एवं किस ग्राम में आबंटित की गई, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त को भूमि किन शर्तों पर तथा कितने समय के लिए आबंटित की गई?

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व (जैविक ईंधन वृक्षारोपण एवं जैविक ईंधन आधारित उद्योग एवं संवर्धन इकाई के लिये बंजड भूमि का आबंटन) नियम, 2007 के अन्तर्गत संस्थाओं/कम्पनियों को आबंटित भूमि की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (जैविक ईंधन वृक्षारोपण एवं जैविक ईंधन आधारित उद्योग एवं संवर्धन इकाई के लिये बंजड़ भूमि का आबंटन) नियम, 2007 में आबंटन की शर्तों एवं समयावधि का उल्लेख है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में संभागवार सड़क मरम्मत हेतु आबंटित राशि

213. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर सहित सभी संभागीय मुख्यालयों की सड़कों की दुर्दशा के कारण आवागमन में कठिनाइयां हो रही हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) गत चार वर्षों में सरकार द्वारा किन-किन संभागीय मुख्यालयों की सड़कों हेतु वर्षवार एवं संभागवार कितनी-कितनी राशि मरम्मत एवं री-कार्पेट हेतु उपलब्ध करवाई गई?

(3) राज्य के संभागीय मुख्यालयों को विधान सभा क्षेत्रवार गत चार वर्षों में कितनी-कितनी राशि सड़कों की मरम्मत, रखरखाव एवं री-कार्पेट हेतु उपलब्ध करवाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सिर्फ जहां-जहां पर पानी के निकास की समुचित व्यवस्था नहीं है, सड़क क्षतिग्रस्त है। इन स्थानों पर मरम्मत कार्य राज्य के उपलब्ध संसाधनों व प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) संभागीय मुख्यालयों की सड़कों हेतु वर्षवार एवं सम्भागवार मरम्मत एवं री-कार्पेट हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) संभागीय मुख्यालयों की विधान सभा क्षेत्रवार गत चार वर्षों में सड़कों पर वर्षवार मरम्मत एवं री-कार्पेट हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

संभागीय मुख्यालयों की सड़कों की मरम्मत/री-कार्पेट हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्षवार उपलब्ध राशि का विवरण

राशि लाखों में

क्र. सं.	संभागीय मुख्यालय का नाम	वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07	
		मरम्मत	री-कार्पेट	मरम्मत	री-कार्पेट	मरम्मत	री-कार्पेट	मरम्मत	री-कार्पेट
1.	अजमेर	9.50	0.00	10.50	42.00	14.92	182.79	24.00	338.68
2.	भरतपुर	0.94	0.00	0.75	8.95	0.00	3.28	3.63	0.00
3.	जोधपुर	97.00	499.46	47.32	0.00	85.90	131.39	98.01	688.50
4.	कोटा	12.39	23.80	33.49	16.73	19.85	0.57	53.03	27.65
5.	उदयपुर	17.38	436.24	22.29	30.29	44.28	0.00	103.21	0.00
6.	बीकानेर	21.42	78.32	20.32	34.14	23.92	14.31	58.46	97.35
7.	जयपुर	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट-ब

संभागीय मुख्यालयों की सड़कों की मरम्मत/री-कार्पेट हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्षवार/विधान सभा क्षेत्रवार उपलब्ध राशि का विवरण

राशि लाखों में

क्र. सं.	संभागीय मुख्यालय का नाम	विधान सभा क्षेत्र	वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07	
			मरम्मत	री-कार्पेट	मरम्मत	री-कार्पेट	मरम्मत	री-कार्पेट	मरम्मत	री-कार्पेट
1.	अजमेर (पश्चिम)	अजमेर (पूर्व)	4.75	0.00	5.25	42.00	7.46	181.22	12.00	77.00
		अजमेर	4.75	0.00	5.25	0.00	7.46	1.57	12.00	261.68
		योग :-	**9.50**	**0.00**	**10.50**	**42.00**	**14.92**	**182.79**	**24.00**	**338.68**
2.	भरतपुर	भरतपुर	0.94	0.00	0.75	8.95	0.00	3.28	3.63	0.00
		योग :-	**0.94**	**0.00**	**0.75**	**8.95**	**0.00**	**3.28**	**3.63**	**0.00**
3.	जोधपुर	जोधपुर शहर	6.30	162.37	3.07	0.00	5.27	0.00	6.37	17.01
		सूरसागर	27.65	35.63	13.49	0.00	27.93	131.39	27.93	187.88
		सरदारपुरा	63.05	301.46	30.76	0.00	52.70	0.00	63.71	483.61
		योग :-	**97.00**	**499.46**	**47.32**	**0.00**	**85.90**	**131.39**	**98.01**	**688.50**

क्र. सं.	संभागीय मुख्यालय का नाम	विधान सभा क्षेत्र	वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07	
			मरम्मत	**री-कार्पेट**	**मरम्मत**	**री-कार्पेट**	**मरम्मत**	**री-कार्पेट**	**मरम्मत**	**री-कार्पेट**
4.	कोटा	कोटा शहर	7.01	18.80	18.96	0.00	11.24	0.00	30.01	7.00
		लाडपुरा	5.38	5.00	14.53	16.73	8.61	0.57	23.02	20.65
		योग :-	**12.39**	**23.80**	**33.49**	**16.73**	**19.85**	**0.57**	**53.03**	**27.65**
5.	उदयपुर	उदयपुर शहर	17.38	436.24	22.29	30.29	44.28	0.00	103.21	0.00
		योग :-	**17.38**	**436.24**	**22.29**	**30.29**	**44.28**	**0.00**	**103.21**	**0.00**
6.	बीकानेर	बीकानेर	12.40	24.78	15.05	11.12	22.01	0.00	46.16	0.00
		कोलायत	9.02	53.54	5.27	23.02	1.91	14.31	12.30	97.35
		योग	**21.42**	**78.32**	**20.32**	**34.14**	**23.92**	**14.31**	**58.46**	**97.35**
7.	जयपुर	बनीपार्क	—	—	—	—	—	—	—	—
		हवामहल	—	—	—	—	—	—	—	—
		जौहरी बाजार	—	—	—	—	—	—	—	—
		किशनपोल	—	—	—	—	—	—	—	—

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मैदा व सूजी के उत्पादन पर "वैट" की समाप्ति

334. श्री जीतराम (मालपुरा) **:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में उत्पादित होने वाले खाद्य पदार्थों यथा; मैदा व सूजी पर 4 प्रतिशत "वैट" लागू है?

(2) क्या यह भी सही है कि अन्य राज्यों में मैदा व सूजी पर कोई "वैट" या अन्य टैक्स नहीं होने के कारण उक्त पदार्थ अन्य राज्यों से राजस्थान में लाकर बेचे जा रहे हैं जिससे यहां की स्थानीय उत्पादन इकाइयां बन्द हो रही हैं एवं प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है?

(3) क्या सरकार प्रदेश में कार्यरत इकाइयां बन्द ना हो और बेरोजगारी ना बढ़े इसके लिए यहां पर लागू 4 प्रतिशत "वैट" को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में मैदा व सूजी की बिक्री पर 4 प्रतिशत कर देय है।

(2) राज्य में उत्पादित अथवा राज्य के बाहर से लाकर बिक्री की जाने वाली मैदा व सूजी, दोनों पर ही वैट 4 प्रतिशत देय है।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

बिक्री कर/वैट में वृद्धि से प्राप्त राजस्व

335. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) **:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत चार वर्षों में राज्य सरकार ने बिक्री कर अथवा वैट में कितनी-कितनी वृद्धि की तथा इससे प्रतिवर्ष कितना-कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ?

(2) राज्य की जनता पर प्रतिवर्ष वैट से कितने करोड़ रुपयों का अतिरिक्त भार बढ़ा?

(3) राज्य में खनिज रायल्टी तथा रजिस्ट्री पर कितनी धनराशि पिछले चार वर्षों में बढ़ाई गई? इससे प्रतिवर्ष राज्य को कितनी राशि का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में बिक्री कर अथवा वैट में की गई वृद्धि की वस्तुवार सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(वित्त मंत्री)

गत चार वर्षों में प्राप्त राजस्व एवं राजस्व वृद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि रु. करोड़ में)

वर्ष	उपलब्धि	प्राप्त राजस्व वृद्धि (गत वर्ष से)	वृद्धि दर
2003-04	3985.43	547.53	15.93
2004-05	4797.53	812.10	20.38
2005-06	5593.64	796.11	16.59
2006-07	6720.71	1127.07	20.15

(2) वर्ष 2005-06 में प्राप्त राजस्व आय का वर्गीकरण निम्न प्रकार है :-

(राशि करोड़ों में)

ए.	वैट आइटम पर राजस्व	2970.36
बी.	नान-वैट आइटम पर राजस्व	2085.43
सी.	केन्द्रीय बिक्री कर + सेस	537.85
	योग	**5593.64**

वर्ष 1999-2000 से 2004-05 तक उत्तरोत्तर वृद्धि दर की गणना करने पर सर्वोत्तम वृद्धि वाले तीन वर्षों को आधार मानकर गणना करने पर औसत वार्षिक वृद्धि दर 15.16 प्रतिशत आती है। अत: यदि वर्ष 2006-07 में रेट लागू नहीं होता तो वर्ष 2005-06 में राजस्व राशि पर निम्न प्रकार प्राप्त होती :-

ए.	वैट आइटम पर राजस्व	3415.91
बी.	नान-वैट आइटम पर राजस्व	2398.24
सी.	केन्द्रीय बिक्री कर + सेस	616.38
	योग	**6433.53**

(वित्त मंत्री)

वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्राप्त राजस्व आय का विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि करोड़ों में)

ए.	वैट आइटम पर राजस्व	3625.76
बी.	नान-वैट आइटम पर राजस्व	2453.90
सी.	केन्द्रीय बिक्री कर + सेस	641.05
	योग	**6720.71**

इस प्रकार वैट लागू होने के पश्चात् वैट आइटम पर राजस्व में वर्ष 2005-06 की औसत वार्षिक वृद्धि के आधार पर अनुमानित राजस्व से रुपये 209.85 की वृद्धि होती है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि करोड़ों में)

अनुमानित आय (2006-07)	3415.91
वास्तविक आय (2006-07)	3625.76
वृद्धि	209.85

वैट प्रणाली के लागू होने से कर की अनुपालना बढ़ती है। इसलिये वास्तविक राजस्व आय अनुमानित राजस्व आय से बढ़ी है। अत: जनता पर वैट लागू होने से करभार 209.85 करोड़ रुपये से कम ही हुआ है।

(3) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 18(1)(सी) के अन्तर्गत 3 वर्ष पश्चात् खनिजों की रायल्टी में वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। शासन की अधिसूचना क्रमांक प.15(5)खान/ग्रुप-2/96 पार्ट-1 दिनांक 19.5.2004 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 11.6.2004 के द्वारा वृद्धि की गई, इसके पश्चात् शासन की अधिसूचना दिनांक 6.9.2007 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 15.9.2007 तथा 27.12.2007 से वृद्धि की गई।

खनिज विभाग को पिछले 4 वर्षों में निम्नानुसार राजस्व प्राप्त हुआ :-

वर्ष	खनिजों से राजस्व प्राप्ति (राशि लाखों में)
2003-04	51372.01
2004-05	64534.63
2005-06	81408.42
2006-07	119652.34

(वित्त मंत्री)

रजिस्ट्री में पिछले 4 वर्षों में प्राप्त राजस्व की सूचना का विवरण एवं रजिस्ट्री (कन्वेंस के दस्तावेज) पर पिछले 4 वर्षों में मुद्रांक शुल्क की दर घटायी गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	**आय**	**आय में गत वर्ष से वास्तविक वृद्धि**
2003-04	611.73	96.02
2004-05	817.75	206.02
2005-06	1031.53	213.78
2006-07	1293.58	262.05
2007-08 (जन. 08 तक)	1223.33	181.94

मुद्रांक कर देय का विवरण

क्र. सं.	**अवधि**	**मुद्रांक शुल्क की दर**
1.	14.01.04 से 31.03.04	11%
2.	01.04.04 से 31.03.06	8%
3.	01.04.06 से लगातार	6.5%

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

पदोन्नत कनिष्ठ लेखाकारों का स्थानान्तरण/पदस्थापन

336. श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) **:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोष एवं लेखा विभाग के कितने ऐसे कनिष्ठ लेखाकार एवं लेखाकार हैं, जो गत आठ वर्षों से एक ही विभाग में पदस्थापित हैं? कर्मचारी का नाम, पदस्थापन की दिनांक एवं विभाग के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामरतन बैरवा)

(2) इनमें से कितने कनिष्ठ लेखाकार पदोन्नति के पश्चात् भी उसी विभाग में पदस्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इतनी लम्बी अवधि के दौरान उन्हें एक ही विभाग में पदस्थापित रखने के क्या कारण हैं?

(4) क्या सरकार लम्बी अवधि से एक ही विभाग में पदस्थापित कनिष्ठ लेखाकार एवं लेखाकारों को तत्काल अन्यत्र पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोष एवं लेखा विभाग के नियंत्रणाधीन आठ वर्ष से अधिक एक ही विभाग में पदस्थापित कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकारों की सूची परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

(2) कनिष्ठ लेखाकार पद पर पदोन्नति नहीं होती। कनिष्ठ लेखाकार पद सीधी भर्ती के पद हैं। कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार पद पर पदोन्नति के पश्चात् भी उसी विभाग में पदस्थापित लेखाकारों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में लगभग 6400 कार्मिक सेवारत हैं। इस सेवा में काफी संख्या में पद रिक्त होने के कारण स्थानान्तरण की छूट की अवधि सभी मामलों की स्थानान्तरण नीति के अनुसार समीक्षा कर स्थानान्तरण किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। आगामी सत्र में ऐसे प्रकरणों पर विचार किया जायेगा।

(4) जी हां। स्थानान्तरण प्रतिबन्ध हटने के पश्चात् सामान्य स्थानान्तरणों के समय प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ऐसे लेखाकारों/कनिष्ठ लेखाकारों के स्थानान्तरण की कार्यवाही यथा समय की जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

वर्ष 2004 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों हेतु चिकित्सा परिचर्या

337. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) **:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान पेंशनर मेडीकल रिलीफ फण्ड (आर.पी.एम.एफ) में राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि का सहयोग दिया जाता है?

(2) क्या यह सही है कि आर.पी.एम.एफ. का वित्तीय प्रबन्ध राज्य सरकार के कर्मचारियों के सहयोग से होता है एवं क्या आर.पी.एम.एफ. की मासिक किश्त मंहगाई भत्ता बढ़ने पर बढ़ाई जाती है?

(डा. सुरेश चौधरी)

(3) क्या दिनांक 1 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों से आर.पी.एम.एफ. में अंशदान लिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार दिनांक 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त समस्त राज्य कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को चिकित्सा सुविधा यथावत् उपलब्ध कराती रहेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) राजस्थान पेंशनर मेडीकल रिलीफ फण्ड (आर.पी.एम.एफ.) योजना का अस्तित्व कब तक कायम रहेगा?

उत्तर

(1) आर.पी.एम.एफ. बिना राज्य सरकार के सहयोग लिये, सेवारत कर्मचारियों, पेंशन डायरी शुल्क आदि से स्वयं वित्त पोषित योजना है। गत वर्षों में चिकित्सा व्यय के भुगतान और फण्ड की आय में असन्तुलन के कारण राज्य सरकार द्वारा 6906.65 लाख रुपये का अनुदान व 3550.00 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। दिनांक 1.1.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों से आर.पी.एम.एफ. में अंशदान नहीं लिया जा रहा है। दिनांक 1.1.2004 से पूर्व नियुक्त राज्य कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को वर्तमान में चिकित्सा सुविधाऐं राजस्थान असैनिक सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1970 के अनुसार देय है।

(4) आर.पी.एम.एफ. योजना वर्तमान में बिना किसी अन्तिम वर्ष की सीमा के प्रभावी है।

जयपुर शहर में स्टाम्प विक्रय के लाइसेन्स प्राप्ति हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण

338. श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) **:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर हेतु जून, 2007 से जनवरी, 2008 तक स्टाम्प विक्रय हेतु किस-किस के आवेदन कब-कब, किस-किस स्थान हेतु प्राप्त हुये? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में किसी को अभी तक स्टाम्प विक्रय हेतु स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो किन-किन को व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि मुख्यालय स्टाम्प, अजमेर द्वारा जयपुर शहर के

(श्री मदन मोहन सिंघल)

स्टाम्प विक्रेताओं की सूची चाही गई है? यदि हां, तो कब? क्या वह सूची मुख्यालय, अजमेर को उपलब्ध करवा दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) इतनी लम्बी अवधि तक सूची उपलब्ध नहीं कराने के क्या कारण रहे? क्या सरकार इसमें लिप्त दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

(5) अब सरकार स्टाम्प विक्रय हेतु बेरोजगार आवेदकों को कब तक लाइसेन्स जारी कर देगी व नहीं, तो क्यों? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर हेतु जून, 2007 से जनवरी, 2008 तक स्टाम्प विक्रय के लिये किसका, कब तथा किस स्थान हेतु प्राप्त आवेदन का नाम सहित ब्यौरा परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जयपुर शहर में स्टाम्प विक्रेता पर्याप्त संख्या में होने के कारण उक्त अवधि में स्टाम्प विक्रय हेतु स्वीकृति जारी नहीं की गई।

(3) जी नहीं।

(4) विभाग द्वारा उक्त सूची की मांग नहीं की गई। राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 21 के अन्तर्गत स्टाम्प वैण्डरों की संख्या के निर्धारण, महानिरीक्षक की सहमति से, जिला कलक्टर द्वारा किये जाने के प्रावधान हैं, जो विचाराधीन होने के कारण, आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(5) स्टाम्प विक्रेताओं की संख्या शीघ्र निर्धारित करवाकर आवश्यकता अनुसार अनुज्ञा पत्र जारी किये जावेंगे।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

"कर भवन" राजस्थान अजमेर

क्र. सं.	प्रार्थी का नाम एवं पता	प्रार्थना पत्र की दिनांक	प्रार्थना पत्र में अंकित विक्रय स्थल
1.	आशीष गुप्ता 15 डी, गोपाल नगर, गोपालपुरा बाई पास, जयपुर	17.8.2007	जे.डी.ए. परिसर
2.	पंकज कुमार गुप्ता पुत्र श्री विष्णु गुप्ता 16 गंगाराम नगर, गोपालपुरा बाई पास, जयपुर	17.8.2007	जे.डी.ए. परिसर
3.	धोण्याराम योगी पुत्र श्री मंगतुराम 206, गौतम नगर, टोंक रोड, जयपुर	11.9.2007	आर.टी.ओ.
4.	इन्द्र किशन आहुजा 192 गुरूनानक पुरा राजापार्क, जयपुर	26.10.2007	गुरूनानक पुरा राजापार्क
5.	सुरेश सैनी पुत्र श्री रामसहाय सैनी 802 शिवाजी नगर सिविल लाइन्स जयपुर	5.11.2007	जे.डी.ए. परिसर
6.	राजेश कुमार चौधरी पुत्र भैरूराम चौधरी गांव बिन्दायका जयपुर	4.12.2007	बिंदायका
7.	कृष्ण गोपाल गौड, 6/193 एस.एफ.एस. मानसरोवर जयपुर	10.1.2008	मानसरोवर एस.एफ.एस.
8.	राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र भानु कुमार जैन, ए-35 कीर्ति नगर, टोंक रोड, जयपुर	16.1.2008	कीर्ति नगर टोंक रोड,
9.	दुर्गेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय भांकरोटा, जयपुर	3.1.2008	कहीं भी

नावां शहर की नजूल सम्पत्ति का निस्तारण

339. श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) **:** क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नावां शहर में नजूल सम्पत्ति कस्टम चौकी भवन की सात दुकानों के निस्तारण का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

(2) इस नजूल सम्पत्ति पर काबिज दुकानदार कौन-कौन हैं तथा वे क्या व्यवसाय करते हैं?

(3) क्या यह सही है कि इस सम्पत्ति पर सात दुकानदार वर्ष 1974 से काबिज हैं तथा इन दुकानों को 99 वर्षीय लीज पर लेने को तैयार हैं व इसके लिये नेगोसियेशन करवाया जाकर रिपोर्ट सरकार को भिजवाई जा चुकी है? यदि हां, तो निस्तारण में विलम्ब के कारण क्या हैं?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि नावां शहर की नजूल सम्पत्ति कस्टम चौकी भवन की सात दुकानों के निस्तारण का प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष 25.5.2006 से विचाराधीन है।

(2) इस नजूल सम्पत्ति पर वर्तमान में काबिज व्यक्ति एवं उनका व्यवसाय निम्नानुसार है :-

दुकान संख्या	काबिज व्यक्ति का नाम	व्यवसाय का नाम
1.	श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री लादूराम सोनी	एस.टी.डी. व गैस चूल्हा की दुकान
2.	श्री बाबूलाल/कन्हैया लाल	सब्जी का व्यवसाय
3.	श्री नवलाराम/रूघाराम	मिठाई का व्यवसाय
4.	श्री गोपाल/कानाराम	जनरल स्टोर का व्यवसाय
5.	श्री रसीद/रमजान	मणिहारी व्यवसाय
6.	श्री निशार/बशीर मोहम्मद	एस.टी.डी. व मणिहारी व्यवसाय
7.	श्री अब्दुल सत्तार	मणिहारी व्यवसाय

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(3) यह सही है कि इस सम्पत्ति पर उपरोक्त सात दुकानदार वर्ष 1974 से काबिज हैं एवं 99 वर्ष की लीज पर दुकानें लेने को तैयार है परन्तु प्रकरण सम्बन्धित दुकानदारों के कब्जे व समय-समय पर संशोधित किराया अदा करने के सत्यापन की प्रक्रिया में है अत: विलम्ब हुआ है।

इन्दिरा वर्मा कालोनी शास्त्री नगर, जयपुर के सर्वेधारियों का नियमन

340. श्री जुबेर खान (रामगढ़) **:** क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा वर्मा कालोनी, शास्त्री नगर, जयपुर की कच्ची बस्ती में थाना सर्किल के पास रिजर्व लैण्ड में लोगों ने कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो यहां पर कितने परिवार कब से रह रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यहां रह रहे परिवारों में कोई सर्वेधारी भी है? यदि हां, तो कितने और कौन-कौन? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन सर्वेधारियों का नियमन कर उन्हें पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इन्दिरा वर्मा कालोनी, शास्त्री नगर, जयपुर की रिजर्व लैण्ड पर 62 परिवार बसे हुए हैं। ये परिवार वर्ष 1981 व इसके बाद के विभिन्न वर्षों से रह रहे हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। इसमें 26 सर्वेधारी हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(3) स्थानीय निकाय, न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण की किसी योजना अथवा मास्टर प्लान में किसी विशेष कार्य के लिए आरक्षित भूमि तथा व्यावसायिक/ संस्थागत उपयोग आरक्षित भूमि नियमन योग्य नहीं होती है।

परिशिष्ट "अ"

इन्दिरा वर्मा कालोनी की रिजर्व लैण्ड पर बसे परिवारों की सूची

क्र. सं.	सर्वे नं./ वर्ष	सर्वेधारी का नाम/पिता का नाम
1	2	3
1.	57/2004, 104/2004	श्री राधेश्याम/ गिरधारी लाल
2.	एस-5/1981105/2004	श्रीमती/ जीवनलता/ गिरधारी लाल
3.	--	श्री शशी कुमार/ गिरधारी लाल
4.	--	श्री लक्ष्मीकान्त/ गिरधारी लाल
5.	--	श्री किशोरी लाल/ रोशन लाल
6.	--	श्री अशोक कुमार/ बिहारी लाल
7.	107/2004	श्री रामअवतार/ कन्हैया लाल
8.	108/2004	श्री हुकम सिंह/ करण सिंह
9.	--	श्री पाटेश्वर सिंह/ हुकम सिंह
10.	--	श्री लोकेन्द्र सिंह/ हुकम सिंह
11.	--	श्री सुरेन्द्र सिंह/ हुकम सिंह
12.	--	श्री नरेन्द्र सिंह/ हुकम सिंह
13.	109/2004	श्री जटाशंकर/ चन्दालाल
14.	--	श्री किशन लाल/ जटाशंकर
15.	--	श्री भगवान सहाय/ जटाशंकर
16.	--	श्री दीनदयाल/ जटाशंकर
17.	--	श्री रामसहाय/ रामनाथ
18.	290/2004	श्री प्रहलाद/ रामसहाय
19.	--	श्री लक्ष्मीनारायण/ रामसहाय

1	2	3
20.	110/2004	श्री गोविन्द सैनी/ रामसहाय
21.	--	श्री श्रवण लाल/ नाथूलाल
22.	97/2004	श्री गोपाल/ नाथूलाल
23.	98/2004	श्रीमती गुलाब देवी/ नाथूलाल
24.	--	श्री पारश कुमार/ किशन लाल
25.	--	श्री धन्ना लाल/ रामनारायण
26.	--	श्री चौथमल/ धन्नालाल
27.	370/2004	श्री उत्तम/ रेवड़राम
28.	--	श्री भगवान सहाय/
29.	410/2004	श्री सोहन लाल/ घासीराम
30.	411/2004	श्री लालचन्द/ घासीराम
31.	--	श्री अशोक/ घासीराम
32.	415/2004	श्री गजानन्द/ छीतरमल
33.	418/2004	श्री निरन्जन/ बंशीजी
34.	416/2004	श्री लड्डू गोपाल/ हरिनारायण
35.	370/2004	श्रीमती सुगन कंवर/ दौलत सिंह
36.	414/2004	श्री आनन्दी लाल/ छीतर
37.	--	श्री कजोड़मल/ जयनारायण
38.	--	श्री नारायण लाल/ मोराराम
39.	--	श्री पोखरराम/ भैंरूराम

1	2	3
40.	--	श्री रामनिवास/ कालूराम कुमावत
41.	--	श्री रमेश चन्द/ कालूराम कुमावत
42.	257/2004	श्री विजय सिंह/ रिछपाल सिंह
43.	--	श्री रिछपाल सिंह/ नरसिंह
44.	--	श्री गोरधन सिंह/ मालसिंह
45.	44/1998, 361/2004	श्री वीरेन्द्र सिंह/ रिछपाल सिंह
46.	45/1981, 260/2004	श्री वीरसिंह/मालसिंह
47.	--	श्री घनश्याम/ सीताराम
48.	--	श्रीमती गीता देवी/ घनश्याम
49.	103/2004	श्री एच.एन. हैनरी/ श्री रायमन हैनरी
50.	--	श्री सत्यनारायण/ रामप्रताप
51.	44/1998	श्री रामगोपाल/ रामनारायण
52.	30/1998	श्री छोटीलाल/ रामनाथ
53.	31/1998, 382/2004	श्री घनश्याम/ छोटीलाल
54.	38/1998, 104/2004	श्री राधेश्याम/ रामनारायण
55.	225/1998	श्री जगदीश शर्मा/ रामनारायण
56.	--	श्री सीताराम/ बद्री शर्मा
57.	--	श्री रामेश्वर/ बद्रीनारायण
58.	--	श्री लल्लू/रामेश्वर
59.	--	श्री लालचन्द/
60.	--	श्री बाबूलाल/ गोपीराम
61.	--	श्री प्रहलाद/ गोपीराम
62.	--	श्री कृष्ण कुमार/गोपीराम

आयुक्त
विधाधर नगर जोन
जयपुर नगर निगम

परिशिष्ट "ब"

इन्दिरा वर्मा कालोनी की रिर्जव लैण्ड पर बसे सर्वेधारियों की सूची

क्र. सं.	सर्वे नं./ वर्ष	सर्वेधारी का नाम/पिता का नाम
1	2	3
1.	57/2004, 104/2004	श्री राधेश्याम/ गिरधारी लाल
2.	एस-5/1981 105/2004	श्रीमती/ जीवनलता/ गिरधारी लाल
3.	107/2004	श्री रामअवतार/ कन्हैया लाल
4.	108/2004	श्री हुकम सिंह/ करण सिंह
5.	109/2004	श्री जटाशंकर/ चन्दालाल
6.	290/2004	श्री प्रहलाद/ राम सहाय
7.	110/2004	श्री गोविन्द सैनी/ राम सहाय
8.	97/2004	श्री गोपाल/ नाथूलाल
9.	98/2004	श्रीमती गुलाब देवी/ नाथूलाल
10.	370/2004	श्री उत्तम/ रेवड़राम
11.	410/2004	श्री सोहन लाल/ घासीराम
12.	411/2004	श्री लालचन्द/ घासीराम
13.	415/2004	श्री गजानन्द/ छीतरमल
14.	418/2004	श्री निरन्जन/ बंशीजी
15.	416/2004	श्री लड्डू गोपाल/ हरिनारायण
16.	370/2004	श्रीमती सुगन कंवर/ दौलत सिंह
17.	414/2004	श्री आनन्दी लाल/ छीतर
18.	257/2004	श्री विजय सिंह/ रिछपाल सिंह
19.	44/1998, 361/2004	श्री वीरेन्द्र सिंह/ रिछपाल सिंह

1	2	3
20.	45/1981, 260/2004	श्री वीरसिंह/मालसिंह
21.	103/2004	श्री एच.एन. हैनरी/ श्री रायमन हैनरी
22.	44/1998	श्री रामगोपाल/ रामनारायण
23.	30/1998	श्री छोटीलाल/ रामनाथ
24.	31/1998, 382/2004	श्री घनश्याम/ छोटीलाल
25.	38/1998, 104/2004	श्री राधेश्याम/ रामनारायण
26.	225/1998	श्री जगदीश शर्मा/ रामनारायण

आयुक्त
विधाधर नगर जोन
जयपुर नगर निगम

नगर परिषद् पाली द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति हेतु निर्धारित शुल्क

341. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

नगर परिषद् पाली द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व कौन-कौनसी राशि आवेदनकर्ता से वसूल की जाती है?

उत्तर

नगर परिषद् पाली द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व निम्नानुसार राशि वसूल की जाती है :-

क्र. सं.	**मद**	**राशि रुपयों में**
1	2	3
1.	इजाजत शुल्क	101.00
2.	मलवा शुल्क	80.00 प्रतिमाह (न्यूनतम 2 माह अधिकतम 1 वर्ष)

(राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन)

1	2	3
3.	फ्लश ताहरत व भवन पूर्णत: प्रमाण पत्र हेतु अग्रिम	1000.00 प्रति पत्रावली
4.	वर्षाजल संग्रहण हेतु टांका निर्माण के लिये अमानत राशि	5000.00 (200 से 300 वर्ग गज तक के भूखण्ड के लिये) 10,000.00 (300 से 500 वर्गगज तक के भूखण्ड के लिये) 20,000.00 (500 वर्ग गज से अधिक भूखण्ड के लिये)

नगरपालिका क्षेत्र चौमूं में रियायत कालीन पट्टों की तरमीम

342. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) **:** क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या चौमूं रेलवे स्टेशन के पास वार्ड नम्बर 4 व 5 में जयपुर विकास प्राइज़ की भूमि उपलब्ध है? यदि हां, तो खसरा अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि के कुछ भूखण्डों के पट्टे 60 वर्ष पूर्व ठिकाणें के जारी किए हुए हैं, जिन पर नगरपालिका चौमूं ने भी निर्माण की स्वीकृति जारी की है?

(3) क्या उपरोक्त भूमि का इन्द्राज (जयपुर विकास प्राधिकरण) के रिकार्ड में गलत दर्ज है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि की तरमीम दुरस्ती करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। चौमूं रेलवे स्टेशन के पास वार्ड 4 व 5 में जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि निम्न प्रकार है :- खसरा नं.4121/7774 रकबा 0.02 है, खसरा नं. 4122/7775 रकबा 0.07 है, खसरा नं. 4137 रकबा 0.09 है, खसरा नं. 4138 रकबा 0.01 है, खसरा नं. 4139 रकबा 0.38 है, खसरा नं. 4140 रकबा 0.10 है, खसरा नं. 4143 रकबा 0.04 है, खसरा नं. 4144 रकबा 0.01 है, खसरा नं. 4145 रकबा 0.04 है, खसरा नं. 4149 रकबा 0.52 हैं, खसरा नं. 4150 रकबा 0.83 हैं, खसरा नं. 4152 रकबा 0.28 है, खसरा नं. 4899 रकबा 0.43 है, खसरा नं. 4900 रकबा 0.62 हैं, खसरा नं. 4904 रकबा 0.56 है, खसरा नं. 4905 रकबा 0.05 है, खसरा नं. 4906 रकबा 0.02 है, खसरा नं. 4907 रकबा 0.36 है, खसरा नं. 4908 रकबा 0.07 है, खसरा नं. 4909 रकबा 0.12 है, खसरा नं.

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

4910 रकबा 0.29 है, खसरा नं. 4911 रकबा 0.06 है, कुल किता 22 रकबा 4.97 हैक्टेयर।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। इन्द्राज सही है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के काश्तकारों की भूमि पर टाउनशिप आवासीय योजनाएं

343. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) **:** क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले में दिनांक 01 जनवरी, 2004 के पश्चात् ऐसे कितने मामले हैं जिनमें निजी खातेदारी व निजी टाउनशिप योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के काश्तकारों की भूमि को 90-बी के जरिये अन्य वर्गों के व्यक्तियों अथवा कम्पनियों को पट्टे जारी किये गये हैं? सूची एवं विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी दिनांक 19 नवम्बर, 2005 के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् अनुसूचित जाति एवं जनजाति के काश्तकारों की भूमि को 90-बी के जरिये (पश्चात्) अन्य वर्गों के व्यक्तियों व कम्पनियों को जारी किये गये पट्टों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा रोड, बारां शहर की हरित पट्टी क्षेत्र में निर्माण कार्य

344. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) **:** क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां शहर में कोटा रोड पर जिला कलक्टर कार्यालय तक की भू-पट्टी किस आदेश से ग्रीन बेल्ट घोषित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रीन बेल्ट भू-पट्टी किस-किस खसरा नम्बर में कितनी-कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ग्रीन बेल्ट भू-पट्टी क्या वर्तमान में भी प्रभावी है या इससे समाप्त कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन ''भाया')

(4) उक्त ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में किस-किस व्यक्ति द्वारा क्या-क्या निर्माण कार्य ग्रीन बेल्ट घोषित होने के बाद किस-किस अधिकारी की स्वीकृति से कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां मास्टर प्लान में कोटा रोड पर 3 किमी. स्टोन से जिला कलक्टर कार्यालय तक सड़क के मार्गाधिकार को छोड़कर दोनों ओर 100-100 फीट तक की भूमि को ग्रीन बेल्ट नहीं दर्शाकर पर्यावरण वृक्षारोपण पट्टी के रूप में दर्शाया गया। उक्त मास्टर प्लान राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 10(3)नविवि/86 दिनांक 7.9.1993 द्वारा अनुमोदित है।

(2) मास्टर प्लान राजस्व खसरा नक्शों के आधार पर नहीं बनाया जाकर कस्बे के भौतिक सर्वेक्षण के पश्चात् बेस मेप तैयार कर उसको आधार मानकर बनाया जाता है।

(3) जी नहीं। ग्रीन बेल्ट न होकर पर्यावरण वृक्षारोपण पट्टी वर्तमान में भी प्रभावी है।

(4) उक्त क्षेत्र में राज फिलिंग स्टेशन (पेट्रोल पम्प) का निर्माण हुआ है जिसके प्रो. श्री रमेश अदलक्खा पुत्र श्री होवनाराम हैं। यह स्वीकृति राज्यस्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक क्रमांक 29/2004 दिनांक 19-20.02.2004 में भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत होने के पश्चात् पालिका के तत्कालीन आयुक्त श्रीरामनिवास शर्मा द्वारा निर्माण स्वीकृति दी गई।

सीवरेज फार्म सोडाला, जयपुर की सड़कों का डामरीकरण

345. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) **:** क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीवरेज फार्म, सोडाला, जयपुर में स्थित कितनी एकड़ राजकीय भूमि है एवं उक्त राजकीय भूमि के वर्तमान अनुमोदित मानचित्र के तहत किस-किस प्राधिकरण संस्था द्वारा कौन-कौन सी योजनाऐं अब तक विकसित की गई एवं कौन-कौनसी योजनाऐं शेष हैं? शेष योजनाओं का क्रियान्वयन कब तक किया जावेगा? वर्तमान अनुमोदित मानचित्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ज्योति-बा-फूले महिला महाविद्यालय, जयपुर के पश्चिम की ओर 30 फुट के रोड का एलाइनमेंट अनुमोदित मानचित्र (वर्ष 2003) में किया हुआ है? यदि हां, तो अब तक उक्त 30 फुट रोड का डामरीकरण क्यों नहीं किया गया? क्या वर्ष 2008-09 में इस ग्रेवल सड़क को पक्का कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

(3) क्या सीवरेज फार्म के समीप स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण की वर्ष 2002 की अनुमोदित आवासीय योजना "रामनगर-एफ" के सभी रोडों का डामरीकरण वर्ष 2008-09 में कर दिया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्व रिकार्ड अनुसार सीवरेज फार्म में जमाबन्दी संवत् 2062 से 65 अनुसार किता 13 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा जयपुर विकास प्राधिकरण के खाते में दर्ज है व जमाबन्दी संवत् 2058 से 61 अनुसार किता 29 रकबा 55 बीघा 4 बिस्वा म्यूनसीपल बोर्ड के खाते में दर्ज है। जिसमें से जयपुर विकास प्राधिकरण में दर्ज 13 बीघा 12 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ता व नाला की है। शेष 55 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण व जयपुर नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से सीवरेज फार्म विकास योजना बनाये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसका अनुमोदन जयपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6.10.2000 में किया गया। सीवरेज फार्म योजना में शेष कोई राजकीय भूमि नहीं है, जिससे कोई अन्य योजना का क्रियान्वयन शेष नहीं है। सीवरेज फार्म विकास योजना के अनुमोदित मानचित्र की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। अनुमोदित सड़क योजना "राम नगर-एफ" का हिस्सा है, जिसमें (डब्ल्यू.बी.एम.) की सड़कें बनाई जा चुकी हैं तथा वर्ष 2008-09 में इस सड़क को डामरीकरण कर पक्का कर दिया जायेगा।

(3) जी हां।

(मानचित्र की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर शहर के सामुदायिक भवनों/पार्कों की भूमि पर अतिक्रमण

346. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) **:** क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर में आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं में सामुदायिक भवन एवं पार्क के लिए कहां-कहां स्थान निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन पार्कों एवं सामुदायिक भवनों पर विभिन्न व्यक्त‍ियों एवं संस्थाओं द्वारा अतिक्रमण किये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर में आवासन मण्डल की योजनाओं में पार्कों एवं सामुदायिक भवनों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "1")

(2) पार्कों की वर्तमान स्थिति एवं अतिक्रमण का प्रकार संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(3) जिन पार्कों में अतिक्रमण किया हुआ है उनको नियमानुसार हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में "गांधी कुटीर" योजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति

347. श्री समर्थ लाल (राजगढ़) **:** क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा वर्ष 2004 में प्रताप नगर (सांगानेर) जयपुर में गांधी कुटीर योजना के अन्तर्गत ई.डब्ल्यू.एस. (बी) केटेगरी में गरीबों को मकान आबंटित किये गये थे? यदि हां, तो सैक्टर 262 में आबंटित व्यक्तियों के नाम व पतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	आवास संख्या	आबंटी का नाम/पता
1	2	3
1.	262/18	भूरा मल अग्रवाल E 175 झालाना डूंगरी फेज III जयपुर।
2.	262/19	ममता शर्मा सी 68 बापू नगर शिवाड़ एरिया जयपुर।
3.	262/20	राजकुमार मार्फत बाला 64/458 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर।
4.	262/21	किशोर कुमार टेकवानी बी 430 मुरलीपुरा स्कीम जयपुर।
5.	262/22	गिर्राज सिंह चौधरी 2/258 मालवीय नगर जयपुर।

1	2	3
6.	262/23	राजेश कुमार बैरवा बी 79 /प्रगति पथ बजाज नगर जयपुर।
7.	262/24	विरेन्द्र कुमार शर्मा 31/256 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।
8.	262/26	दीपक गुप्ता 5/195, शांति नगर, प्रकाश पब्लिक स्कूल के सामने, अजमेर रोड जयपुर।
9.	262/27	हेमसिंह मकान नं. 136 सुन्दर पथ बडोदिया बान्ती स्टेशन रोड जयपुर।
10.	262/28	श्री प्रकाश चन्द, मुकाम पोस्ट नायावास तह. नदबई, जिला भरतपुर राजस्थान
11.	262/29	श्री अजित सिंह मकान नं. 4 बी शिवपुरी सत्य नारायण रोड लाली भाई धानकुआ झोटवाडा जयपुर।
12.	262/30	श्री भीमसिंह मकान नं. 5 प्रताप नगर II नजदीक बरकत नगर टोंक फाटक, जयपुर।
13.	262/31	डेजी कुमार 4 क 24, शास्त्री नगर, जयपुर
14.	262/32	श्री हनुमान प्रसाद मीणा रेलवे कॉलोनी, निवाई, जिला टोंक, राजस्थान
15.	262/33	योगेश कुमार, 114/105 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।
16.	262/34	श्री अखैराम C/o माइको मोटर इण्ड्रस्ट्री कम्पनी लिमिटेड सीतापुरा 236 जयपुर
17.	262/34 A	श्री सपन पुरोहित सी 124 बजाज नगर जयपुर।
18.	262/34 B	श्री मोहन लाल अलदासानी म.नं. 21, शिवा कालोनी II रामनगर, न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर।
19.	262/34 C	श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल 1/1171 मालवीय नगर, जयपुर 1
20.	262/34 D	श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल C/o श्री द्वारका लाल गुप्ता बी 36 महेश नगर, टोंक फाटक जयपुर।
21.	262/34 E	श्री रविकान्त सिंह 114/105 प्रताप नगर, जयपुर।
22.	262/34 F	श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव ग्राम बिछपुरी तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान
23.	262/34 G	श्री अनिल कुमार चौधरी 6 शिव नगर,चौधरी पेट्रोल पम्प के पास टोंक रोड जयपुर।
24.	262/292	श्री तुलसी राम गोयल बीच का पाड़ा नदबई भरतपुर राजस्थान
25.	262/293	श्री दारासिंह कुशवाल माइक्रो लिमिटेड सीतापुरा 663 रिका इण्डस्ट्रीयल एरिया सीतापुरा जयपुर।

1	2	3
26.	262/294	श्री दिनेश कुमार राव अपेक्त हास्पिटल सीतापुरा 6 मालवीय नगर, जयपुर।
27.	262/295	श्री नन्दाराम कुमावत C/o महेश चन्द्र शर्मा मकान नं. 22. पुरूषार्थ नगर सी जगतपुरा जयपुर।
28.	262/296	श्री गिरधारी लाल मकान नं. 147 शिवराम कालोनी जगतपुरा जयपुर।
29.	262/297	श्री जगदीश प्रसाद मोटर इण्ड्रस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड सीतापुरा 263 रिको इण्डस्ट्री एरिया सीतापुरा जयपुर।
30.	262/298	श्री मीना शर्मा C/o महेश चन्द्र शर्मा मकान नं. 22 पुरूषार्थ नगर, सी जगतपुरा जयपुर।
31.	262/299	श्री सुनीता चौधरी 61/168 प्रताप नगर, जयपुर।
32.	262/300	श्रीमती इन्दू बाला 3/347 मालवीय नगर जयपुर।
33.	262/301	श्री ललती राम मीणा C/o एच एस साहू मकान नं. 75 नन्द विहार कालोनी श्योपुर सांगानेर जयपुर।
34.	262/302	श्री लक्ष्मी देवी सी 263 मुरलीपुरा स्कीम मुरलीपुरा जयपुर।
35.	262/303	श्री योगेश कुमार शर्मा विल्वेश्वर महादवे मन्दिर, विक्रम सक्रिल जी अन्दर पानी की टंकी शास्त्री नगर, जयपुर।
36.	262/304	श्रीमती लीला देवी सैन ग्राम गैटोर जगतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
37.	262/305	श्रीमती तुलसी बेन राव 32 शिव कालोनी सैक्टर 8 के सामने विद्याधर नगर, जयपुर।
38.	262/306	श्रीमती ममता परमार, 51 एकता मार्ग, घाटगेट रोड सीमा छोटल के पास जयपुर।
39.	262/307	श्री नन्द किशोर 262/307 प्रताप नगर योजना सांगानेर जयपुर
40.	262/307 A	श्री गोविन्द राम बी 79 प्रगति पथ, बजाज नगर, जयपुर।
41.	262/307 B	श्री भगवान सहाय खटीक 635 श्मशान घाट घीसामनी झालाना कच्ची बस्ती जयपुर।
42.	262/307 C	श्री गोपाल सिंह 114/113 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर।
43.	262/307 D	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता बी.एल. इलैक्ट्रीकल्स एण्ड जनरल स्टोर 815/30 खेडा नाम नं. 2 बाईजी की कोठी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
44.	262/307 E	श्री दशरथ सिंह 136 सुन्दर पथ, बडोदिया बस्ती, जयपुर।
45.	262/307 F	श्री कौशल्या बी 164 साकेत कालोनी, आदर्श नगर, जयपुर।

टिब्बी विधान सभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम का निर्माण

348. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) **:** क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में कितने खेल स्टेडियम कहां-कहां विद्यमान हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार एस.डी.एम. मुख्यालय पर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो रावतसर एवं टिब्बी में कब तक स्टेडियम बना दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) टिब्बी विधान सभा क्षेत्र में कोई खेलकूद स्टेडियम नहीं है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा समग्र स्टेडियम विकास नीति के अन्तर्गत रावतसर एवं टिब्बी के प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण एवं वित्तीय संसाधनों के अनुरूप स्टेडियम निर्माण किया जा सकेगा।

सम्भागीय आयुक्त, कोटा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही

349. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) **:** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2004 से अब तक कोटा सम्भागीय आयुक्त को किन-किन मामलों की जांच सौंपी गई? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सम्भागीय आयुक्त कोटा ने उक्त अवधि में किन-किन मामलों की जांच रिपोर्ट कब-कब राज्य सरकार को सौंपी? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें व उक्त रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? प्रत्येक रिपोर्ट की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किन-किन मामलों की जांच रिपोर्ट अब तक सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 2004 से 31.12.2007 की अवधि में कोई जांच नहीं सौंपी गई है।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र की राजस्व ग्राम योग्य ढाणियां

350. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) **:** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में 250 या उससे अधिक आबादी की कितनी ढाणियां ऐसी हैं, जिन्हें राजस्व गांव घोषित नहीं किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ढाणियों को राजस्व गांव घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में 250 से अधिक आबादी की 17 ढाणियां हैं जिन्हें राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) उक्त ढाणियों के प्रस्ताव का परीक्षण तहसील व जिला स्तर पर किया जा रहा है। प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

परिशिष्ट "क"

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी की 17 ढाणियों की सूची जिन्हें राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है

क्र. सं.	नाम तहसील	ढाणियों के नाम
1	2	3
1.	कोटपूतली	राजगढ़
2.		राजगढ़ कलां
3.		गंगूपुरा
4.		हीर की बावड़ी
5.		झीडागढ़
6.		बागोरी
7.		रूपादासवाली
8.		सेडूसिंहकाबास
9.		पारोड़ा

1	2	3
10.	कोटपूतली	चक श्यामपुरा
11.		धोलोड़ा
12.		जोशीवाली
13.		कीतपुरा
14.		काकरिया
15.		ढाणी बालकान
16.		प्रेमनगर
17.		सुन्दरावाली

पालड़ी ग्राम (जयपुर) की मन्दिर माफी भूमि का दुरुस्तिकरण

351. श्री निर्भय लाल (रूपवास) **:** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मन्दिर माफी की जमीनों की खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2027 में कालम 5 "नाम कृषक" के कालम में काश्तकार का नाम अंकित है? यदि हां, तो क्या वह जमीन काश्तकार की खातेदारी हक में मानी जावेगी? यदि हां, तो राजस्व नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-8) विभाग का परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज./6/2007/14 दिनांक 24 मई, 2007 के बिन्दु संख्या 5 में यह स्पष्ट अंकित है कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी, उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त हैं, ऐसी भूमियों को पुन: मन्दिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नहीं है? यदि हां, तो क्या राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा?

(3) क्या पालड़ी, तहसील विराटनगर जिला जयपुर में स्थित जमीन साबिक खसरा नम्बर 337 एवं 341 से लगातार 346 एवं हाल खसरा नम्बर 306 से लगायत 309 की जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2027 में कृषक के खाने में सेढु वल्द लक्ष्मीनारायण

(श्री निर्भय लाल)

जाति ब्राह्मण के नाम अंकित है तो इस जमीन की जमाबन्दी सम्वत् 2060-2063 में काश्तकार के खाने में माफी मन्दिर श्री नृसिंहजी खातेदार किन नियमों के अन्तर्गत दर्ज की गई है?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त काश्तकार एवं इसके वारिसान को बिगर सुनवाई का अवसर दिये खातेदारी जमीन को माफी मन्दिर श्री नृसिंहजी खातेदार अंकित करना विधि सम्मत है? यदि नहीं, तो राजस्व नियमों की अवहेलना किस आधार पर की गई?

(5) क्या सरकार (अब) इस गलत इन्द्राज को दुरूरत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या सरकार गलत कार्यवाही करने वाले राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। परिपत्र दिनांक 24.5.2007 की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) ग्राम पालड़ी तह. विराटनगर जिला जयपुर की खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2012 से 2027 के कालम नं. 4 में माफी मन्दिर श्री नृसिंहजी अहतनाम पुजारी सेडूराम वल्द लक्ष्मीनारायण अंकित है इस प्रकार सेडूराम का नाम पुजारी के रूप में अंकित है न कि खातेदार के रूप में। अत: यह प्रकरण राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या 3(2) राज.6/07/14 जयपुर दि. 24.5.2007 के अन्तर्गत नहीं आता है।

(4) यह है कि भूमि मन्दिर के नाम पूर्ववत अंकित है राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के क्रम में केवल पुजारी का नाम विलोपित किया गया है।

(5) गलत इन्द्राज ही नहीं है। अत: दुरूस्त करने का प्रश्न नहीं है।

(6) कार्यवाही गलत नहीं होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प. क्र.-3(2)राज-6/2007/14   जयपुर, दिनांक 24.5.2007

परिपत्र

1. राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि मन्दिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क है। अत: इसकी खातेदारी

भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। बलदेव बनाम मूर्ति मन्दिर श्री कृष्णजी महाराज आर.आर.डी. 1994 में निर्णित किया गया है कि मन्दिर में पुजारी कौन होगा व उसके उत्तराधिकार के सम्बन्ध में विवाद दीवानी न्यायालयों द्वारा ही तय किया जा सकता है। मन्दिर मूर्ति के खाते में पुजारी या सेवारत का नाम जमाबन्दी में दर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका काफी दुरूपयोग होता है। राजस्व रिकार्ड में पुजारी अथवा सेवारत का नाम दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। मूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा देवमूर्ति की भूमि के सम्बन्ध में अनावश्यक मुकदमें बाजी को रोकने के लिए परिपत्र दिनांक 13.12.1991 में निम्न निर्देश दिये गये थे :-

(i) भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सिवायत का नाम नहीं लिखा जावे।

(ii) प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मन्दिर के पुजारियों के सम्बन्ध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मो में अलग से रखा जावे जिसमें जिन मन्दिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे।

(iii) जो जमाबन्दी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावें तथा ऊपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावें। इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबन्दी के रिमार्क के कालम में अंकित किया जावे।

2. जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मन्दिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी। उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मन्दिर मूर्ति निरन्तर अवयस्क है। वह किसी न किसी व्यक्ति के माध्सम से जैसे पुजारी, सेवादार आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे प्रकरणों जिनमें मन्दिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे।

3. मन्दिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में भी दी गयी थी तथा राज. भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ-साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के

प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये हैं। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मन्दिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है।

4. ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो मन्दिर माफी की थी के सम्बन्ध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। धारा 9 निम्न प्रकार है :-

"जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार-जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।

5. जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त हैं। ऐसी भूमियों को पुन: मन्दिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।

6. वर्तमान में इस विषय में क्रम संख्या 5 पर अंकित प्रकरणों में जहां विभिन्न राजस्व न्यायालयों में जो प्रकरण लम्बित है तथा राजस्व बोर्ड के समक्ष जो सन्दर्भ (reference) लम्बित है। उन प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकृत अधिकारी उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप विधिक स्थिति से अवगत कराते हुए उन प्रकरणों/सदर्भों को निस्तारण करायेंगे।

आज्ञा से

ह./-

शासन उप सचिव

अतारांकित प्रश्न संख्या-352

(स्थगित)

लोहरवाड़ा ग्राम (चौमूं) की मन्दिर माफी भूमि का राजस्व रिकार्ड

353. श्री हीरालाल (बामनवास) **:** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मन्दिर श्री सीतारामजी विराजमान ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर की मन्दिर माफी की भूमि खसरा नम्बर 861 व 862 की खातेदारी वापस मन्दिर माफी बाल रूप भगवान श्री सीतारामजी के नाम दर्ज कर दी गई है? यदि हां, तो कब? उक्त खसरा नम्बरों से सम्बन्धित रिकार्ड की प्रति विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर कब से कौन काबिज काश्त है और वर्तमान में क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम में मन्दिर माफी की भूमि खसरा नम्बर 861 व 862 का कब्जा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत सम्बन्धित सेवायतन को दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जमाबन्दी सम्वत् 2064-2067 की प्रति संलग्न है।

(2) ग्राम लोहरवाड़ा के उक्त खसरा नं. 861 व 862 मौके पर पड़त है।

(3) जी नहीं। भूमि मन्दिर के नाम दर्ज है तथा मौके पर पड़त है।

मण्डा-भीण्डा, तहसील आमेर की कृषि भूमि पर काबिज काश्तकार

354. श्री बन्ने सिंह राठौड़ (औसियां) **:** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम मण्डा-भीण्डा, तहसील आमेर, सब-तहसील गोविन्दगढ़ की खसरा नम्बर 90 से 99 तक कितने-कितने रकबे पर कौन-कौन कब्जे काश्त हैं? सूची मय नामान्तरण/जमाबन्दी सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त खसरा नम्बरों पर स्थित कृषि भूमि कब-कब, किन-किन व्यक्तियों को बेचान की गई? सूची मय खसरा नम्बर/रकबा/खातेदार का नाम/ जमाबंदी/रजिस्ट्री की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम मण्डा-भीण्डा, तहसील आमेर, सब-तहसील

(श्री बन्ने सिंह राठौड़)

गोविन्दगढ़, जिला जयपुर की खसरा नम्बर 91 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा चाही व खसरा नम्बर 92 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन चाही व खसरा नम्बर 93 रकबा 10 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर 94 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा चाही व खसरा नम्बर 95 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा बारानी कुल पांच किता रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा स्थित भूमि काश्तकार श्री अमरसिंह पुत्र रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डूंगरी तहसील फूलेरा जिला-जयपुर द्वारा श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री कानसिंहजी राजपूत व हनुमान पुत्र नारायण दरोगा निवासी मण्डा-भीण्डा को विक्रय की गई थी? यदि हां, तो विक्रय की रजिस्ट्री मय नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में उपरोक्त खसरा नम्बरों पर कौन काबिज हैं व वास्तविक स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम मण्डा-भीण्डा तहसील चौमूं जिला जयपुर के ख.नं. 90 से 99 जिसके हाल ख.नं. 267, 266, 164, 258, 270, 269, 156, 157, 158, 159, 162 एवं 163 बने हैं, पर काबिज व्यक्तियों की रकबेवार एवं जमाबन्दी सहित सूची परिशिष्ट-क संलग्न है।

(2) उपरोक्त खसरा नम्बरों में से गत खसरा नम्बर 91 लगायत 95 किता 5 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नम्बर 266, 264, 164 हैं, का बेचान दिनांक 5.9.1966 को अमरसिंह पुत्र रघुनाथ सिंह द्वारा सुमेर सिंह पुत्र कानसिंह राजपूत व हनुमान पुत्र नारायण दरोगा को किया गया था, परन्तु विक्रय पत्र का नामान्तरकरण क्रेताओं के पक्ष में नहीं हुआ।

इसके पश्चात् हाल खसरा नम्बर 157, 158, 159, 162, 163, 268, 270 किता-7 रकबा 4.48 हैक्टर में मेवा पुत्र राजू का हिस्सा 1/4 व रामकिशोर, रामस्वरूप, लालचन्द, सीताराम पि. चुन्नीलाल का हि. 1/4 का बेचान क्रमश: श्रीमती धापा देवी पत्नी लक्ष्मीचन्द को हि. 1/4 तथा मनी देवी पत्नी बालूराम को हि. 1/4 हुआ है। खसरा नम्बर, रकबा, खातेदार का नाम, जमाबन्दी एवं विक्रय पत्रों की प्रति परिशिष्ट-ख संलग्न है।

(3) जी हां। प्रश्नगत भूमि का बेचान विक्रय पत्र के जरिये किया गया है। विक्रय पत्र परिशिष्ट-ख व नक्शे की प्रति परिशिष्ट-ग संलग्न है।

(4) प्रश्नगत खसरा नम्बरों पर कौन काबिज है, का निर्धारण न्यायिक

प्रक्रिया द्वारा तय किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

इन्दरगढ़ ग्राम (जमवारामगढ़) की भूमि का सर्वे

355. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) **:** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम इन्दरगढ़ तहसील जमवारामगढ़ जयपुर के पुराने खसरा नम्बर 5/1 व हाल खसरा नम्बर 8 रकबा 379 व खसरा नम्बर 5/2 रकबा 15 बीघा भूमि का सर्वे कर तरमीम की जा चुकी है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि डेढ़ वर्ष पूर्व भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्बन्धित खातेदारों को पर्चा भी तस्दीक हो चुका है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नम्बर 5/1 हाल खसरा नम्बर 8 रकबा 379 का सर्वे होने के उपरान्त भी भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा रिकार्ड तहसील स्तर पर नहीं पहुंचाया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की तहसील जमवारामगढ़ का सर्वे हो चुका है? यदि हां, तो कब एवं किस-किस ग्राम पंचायत का?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। पर्चा तस्दीक की प्रति परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(3) भू-प्रबन्ध संक्रियाएं बन्द घोषित किये जाने की विधिवत अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

(4) तहसील के 239 ग्रामों का सर्वे/तरमीम कार्य जनवरी, 2008 तक पूर्ण किया जा चुका है। 2 ग्राम क्रमश: वीरकानडियावास एवं रामजीपुरा का पूर्व नक्शा व रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले के वन क्षेत्र में काबिज अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भू-नियमन

356. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) **:** क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड के मुताबिक वन क्षेत्र

(श्री केसर देव बाबर)

में कब्जा कर मकानात बने हुए हैं? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी वन भूमि पर कब्जा किया हुआ है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त काबिज व्यक्तियों में से अधिकतर अनुसूचित जाति के हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनके कब्ज युक्त पक्के मकानों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वन क्षेत्र जिनमें मकानात बने हुए हैं, की विधान सभा क्षेत्रवार एवं ग्रामवार सूची मय अतिक्रमित क्षेत्रफल के परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उपरोक्त काबिज व्यक्तियों में से अधिकतर व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं। वन भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण कब्जेयुक्त पक्के मकानों के नियमन की कार्यवाही के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की

क्र. सं.	नाम विधान सभा क्षेत्र	नाम ग्राम	अतिक्रमित क्षेत्रफल (है. में)
1	2	3	4
1.	फतेहपुर	1. दाइून्दा	1.08
		2. दीनवा लाडखानी	0.27
		3. मरहाटू बड़ी	2.18
		4. कारंगा बड़ा	3.79
		5. ताखलसर	3.98
		6. बीबीपुर छोटा	0.55
		7. दीनारपुरा	0.83
		योग	**12.68**

1	2	3	4
2.	लक्ष्मणगढ़	1. भूमा छोटा	3.12
		2. राजास	9.64
		3. रोरू बड़ी	19.39
		4. बलारां	0.55
		5. पालड़ी	1.45
		6. नेछवा	0.63
		7. लक्ष्मणगढ़	3.90
		8. दन्तुजला	0.34
		योग	**39.02**
3.	सीकर	1. देवीपुरा	28.35
		योग	**28.35**
4.	खण्डेला	1. रामपुरा	0.55
		2. सेवली	0.04
		3. सुखपुरा (गुरारा)	0.25
		4. कोटड़ी लुहारवास	1.98
		5. खण्डेल	2.46
		योग	**5.28**
5.	नीमकाथाना	1. श्यामपुरा	1.00
		2. दरीबा	0.42
		योग	**1.42**
		महायोग	**173.5**

जायेगी।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्रवार एवं ग्रामवार कब्जाशुदा वन भूमि का विवरण

वन्य जीव तस्करी के दर्ज प्रकरणों का निस्तारण

357. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) **:** क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वन्य जीवों से तस्करी से सम्बन्धित प्रकरणों में अब तक कितने अपराधियों को पकड़ा गया और किन-किन वन्य जीवों के अवशेष कितनी-कितनी मात्रा में बरामद किये गये?

(2) उक्त प्रकरणों में लिप्त कितने अपराधियों को सजा दी गई व कितने प्रकरण विचाराधीन हैं?

उत्तर

(1) वन विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में वन्य जीवों की तस्करी से सम्बन्धित 23 प्रकरणों में 51 अपराधियों को पकड़ा गया है। बरामद किये गये वन्य जीवों के अवशेषों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) खण्ड-1 में वर्णित अपराध में लिप्त 2 अपराधियों को सजा दी गयी है एवं 19

क्र. सं.	बरामद अवशेषों का विवरण	मात्रा
1.	पेन्थर का शव	2
2.	पेन्थर के नाखून	—
3.	बाघ के शावक की खाल	1
4.	पेन्थर की हडिड्यां	13
5.	पेन्थर के दांत के टुकड़े	7
6.	बाघ की मूंछ के बाल	1
7.	बाघ का टूटा हुआ कैनाइन दांत	4
8.	तीतर (जीवित)	256
9.	पेन्थर की खाल	2
10.	मगर की खाल	1
11.	हायना का मीट सूखा हुआ	20 ग्राम

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा 2 प्रकरणों में विभाग द्वारा तफ्तीश की जा रही है।

परिशिष्ट "क"

बरामद किये गये वन्य जीवों के अवशेषों का विवरण

झाझड़-धोलाखेड़ा (नवलगढ़) सड़क मार्ग की मरम्मत

358. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के झाझड़-धोलाखेड़ा रोड पर ग्राम परसरामपुरा के पास नदी क्षेत्र में सड़क काफी समय पूर्व से टूटी हुई है?

(2) क्या यह भी सही है कि कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के पत्रांक 127 दिनांक 8 जून, 2007 द्वारा उक्त सड़क की मरम्मत हेतु राशि रुपये 10.00 लाख स्वीकृत की गई थी? किन्तु निर्माण अभी तक भी शुरू नहीं हुआ है? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार अब उक्त सड़क झाझड़ से धोलाखेड़ा में परसरामपुरा के पास नदी में सड़क मरम्मत कार्य कब तक करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के झाझड़ धोलाखेड़ा में ग्राम परसरामपुरा के पास नदी क्षेत्र में आज तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। अत: सड़क टूटने की कोई सम्भावना नहीं है।

(2) जी हां। कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 127 दिनांक 8.6.2007 द्वारा नदी क्षेत्र में 10.00 लाख की राशि विशेष मरम्मत प्रोग्राम में अप्रोच सड़क एवं फ्लश काजवे बनाने हेतु स्वीकृत की गई थी परन्तु बजट की कमी के कारण स्वीकृति निरस्त की जा चुकी है। अत: उक्त कार्य हेतु वर्तमान में कोई स्वीकृति उपलब्ध नहीं है।

(3) कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य

359. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से 31 जनवरी, 2008 तक कौन-कौनसी योजनाओं में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कराये गये?

विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाओं में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 1.4.2003 से 31.1.2008 तक विभिन्न योजनाओं में 2562.54 लाख रुपये के 142 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। 27 कार्य प्रगति पर है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्तमान में कोई कार्य करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

राज्य सरकार ने अपने स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया है कि सामान्य क्षेत्रों में 250 से 499 तक की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़े जाने का कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य

360. श्री सुरेश मीणा (करौली) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से 31 जनवरी, 2008 तक की अवधि में कौन-कौनसी योजनाओं में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य सम्पन्न कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाओं में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में दिनांक 1.4.2003 से 31.1.2008 तक की अवधि में विभिन्न योजनाओं में रुपये 3518.52 लाख के 142 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। 37 कार्य प्रगति पर हैं। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र करौली में केन्द्रीय सड़क निधि योजना में राशि रुपये 524.00 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया गया है। विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया है

कि सामान्य क्षेत्रों में 250 से 499 तक की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़े जाने का कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य राजमार्ग संख्या 26 के जहाजपुर क्षेत्र का रखरखाव

361. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य राजमार्ग संख्या 26 के किलोमीटर 90/0 से 99/0 तक का मार्ग जहाजपुर क्षेत्र से निकलता है? उक्त का निर्माण किसके द्वारा कब करवाया गया? क्या सरकार उक्त राज्य राजमार्ग के इस भाग को सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपखण्ड कार्यालय जहाजपुर को हस्तान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग जहाजपुर उपखण्ड कार्यालय के कार्यक्षेत्र में नहीं होने से इसकी देखरेख, रख-रखाव एवं नवीनीकरण नहीं होने से इसकी स्थिति मानदण्डानुसार नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इसका नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त सड़क का निर्माण कार्य, सा.नि.वि. खण्ड-टोंक द्वारा वर्ष 1996-97 में करवाया गया। उक्त राज्य राजमार्ग के इस भाग को उपखण्ड कार्यालय-जहाजपुर, खण्ड-शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा को हस्तानान्तरित किया जा चुका है।

(2) जी नहीं। उक्त सड़क भाग के कि.मी. 90/0 से 96/250 (6.25 कि.मी.) का नवीनीकरण कार्य आर.यू.पी.-II योजना के तहत वर्ष 2003 व कि.मी. 96/250 से 99/0 (2.75 कि.मी.) का नवीनीकरण कार्य आर.यू.पी.-I योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002 में करवाया गया है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में सड़क का पैच/साधारण मरम्मत का कार्य आवश्यकतानुसार करवाया जा चुका है। वर्तमान में सड़क की स्थिति सन्तोषजनक है।

ब्यावर छावनी मार्ग पर ओवर ब्रिज का निर्माण

362. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डेगाना से ब्यावर छावनी मार्ग पर ब्यावर शहर के मध्य रेलवे क्रासिंग स्थित है इसकी वजह से रेलवे फाटक अधिकांश समय बन्द रहता

है?

(2) क्या सरकार छावनी मार्ग पर ओवर ब्रिज या अण्डर ब्रिज का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, क्यों?

उत्तर

(1) छावनी मार्ग पर ब्यावर शहर के मध्य रेलवे क्रोसिंग से प्रतिदिन 20 यात्री गाड़ी व 30 मालगाड़ी गुजरती हैं। प्रत्येक गाड़ी पर रेलवे क्रोसिंग 8 मिनट तक बन्द रहता है। इस रेलवे क्रोसिंग पर टी.वी.यू. 2/05-06 के अनुसार 54305 है।

(2) कार्य की स्वीकृति (अण्डर ब्रिज का निर्माण कार्य) राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों, कार्य की पारस्परिक प्राथमिकता एवं रेलवे से तकनीकी राय व अनापत्ति प्रमाण पत्र पर निर्भर करेगी।

कादेड़ा-कादोलाई (केकड़ी) सड़क मार्ग का डामरीकरण

363. श्री गोपाल लाल धोबी (केकड़ी) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्राम कादेड़ा से कादोलाई कच्ची सड़क कितने ग्रामों की सम्पर्क सड़क से जुड़ी हुई है? क्या सरकार उक्त सड़क को पक्की सड़क में निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्राम कादेडा से कादोलाई कच्ची सड़क 3 ग्राम (कादेड़ा, कादोलाई, भीमडावास) से सम्पर्क करती हुई जुड़ती है। ये तीनों गांव अलग-अलग सड़कों से डामर सड़कों से पूर्व में जुड़े हुए हैं।

कादेड़ा से कादोलाई सड़क का डामरीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता व वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक का निर्माण कार्य

364. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहौर) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक में बरामदा, पोर्च, डब्ल्यू.सी. ब्लाक निर्माण हेतु कितनी राशि का कार्य आदेश दिया गया तथा बाद में कितनी राशि का कार्य करने हेतु रेस्ट्रक्टेड़ किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग टोंक द्वारा पत्र संख्या 10153-54 दिनांक 13 अक्टूबर, 2000 जारी किया गया था? यदि

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

हां, तो क्यों? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक में उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु दिनांक 13 दिसम्बर, 2000 तक अवधि बढाई जाने एवं कार्य प्रगति पर होने के बावजूद भी संवेदक को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से अधिशासी अभियन्ता ने पत्र क्रमांक 11632-34 दिनांक 24 नवम्बर, 2000 द्वारा नोटिस जारी करके 10 प्रतिशत पेनेल्टी लगाकर कार्य रिसेन्ट कर लिया? यदि हां, तो दिये गये समय से पूर्व पेनेल्टी लगाने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कार्य रिसेन्ट होने के पश्चात् भी 11 माह तक पूर्ण नहीं होने के कारण प्राचार्य द्वारा अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, टोंक को पत्र प्रेषित कर आवागमन में असुविधा तथा दुर्घटना होने की सम्भावना व्यक्त की गई थी? यदि हां, तो 11 माह बाद भी कार्य में विलम्ब होने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उक्त बकाया कार्य उसी संवेदक से करवाया गया तथा कार्य को पूर्ण करने की अवधि 25 नवम्बर, 2001 रखी गई तथा उससे सहमति पत्र लिया गया? यदि हां, तो क्यों? सहमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, टोंक ने पत्रांक 5802 दिनांक 23 अक्टूबर, 2001, पत्रांक 8791 दिनांक 31 अक्टूबर, 2001 पत्रांक 14138 दिनांक 26 मार्च, 2002 अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित किये गये थे? यदि हां, तो क्यों? उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सहित पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त बकाया कार्य संवेदक द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2001 को पूर्ण करने के पश्चात् अन्तिम बिल भुगतान करते समय अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 10153-54 दिनांक 13 अक्टूबर, 2000 पत्रांक 11336-39 दिनांक 16 नवम्बर, 2000 पत्रांक 5802 दिनांक 23 अक्टूबर, 2001, पत्रांक 8791 दिनांक 31 अक्टूबर, 2001 तथा पत्रांक 14138 दिनांक 26 मार्च, 2002 तथा प्राचार्य के पत्रों का अवलोकन किये बिना संवेदक से 10 प्रतिशत पेनेल्टी वसूल क्यों की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि संवेदक पर रेस्ट्रेक्टेड की गई राशि 5.00 लाख रुपये पर पेनेल्टी नहीं लगाकर कार्य आदेश 6,81,270 रुपये पर लगा दी गई? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक रेस्ट्रेक्टेड की गई राशि पर संकेतात्मक पेनेल्टी लगा दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

(1) कार्यादेश राशि रुपये 6,81,270/- का दिया गया एवं सांसद क्षेत्रीय विकास मद में स्वीकृति रु. 5.00 लाख तक रेस्ट्रिक्टेड किया गया। (परिशिष्ट-I)

(2) जी हां। उक्त पत्र द्वारा अन्त:कालीन समयावृद्धि की स्वीकृति की गई थी। (परिशिष्ट-II)

(3) संवेदक को छह माह के निर्धारित समय में दिनांक 28.1.1999 से 17.6.2000 तक कार्य पूर्ण किया जाना था परन्तु दिनांक 17.6.2000 तक कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर दिनांक 13.12.2000 तक अन्त:कालीन समयावृद्धि दी गई थी परन्तु कार्य की प्रगति नहीं होने के कारण अनुबन्ध की शर्त 2 के तहत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति आरोपित करने की कार्यवाही की गई। अत: अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(4) संवेदक के द्वारा अण्डरटेकिंग देकर कार्य दिनांक 8.1.2001 को पुन: शुरू करने पर तथा संवेदक द्वारा शटरिंग को किये हुए 15 दिन होने के कारण प्राचार्य द्वारा छात्राओं पर बल्लियां पड़ने का अंदेशा व्यक्त किया गया। जिसके लिये संवेदक दोषी था। कार्य में विलम्ब के लिए कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं था। इस कारण कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

(5) जी हां। संवेदक के द्वारा अण्डरटेकिंग देने के पश्चात् बकाया कार्य उसी संवेदक द्वारा करवाया गया। अण्डरटेकिंग की प्रति (परिशिष्ट-III) संलग्न है।

(6) जी हां। अधीक्षण अभियन्ता, टोंक को प्रेषित किये गये पत्रों के कारणों का विवरण परिशिष्ट-IV, V व VI में अंकित है तथा इन पत्रों पर अधीक्षण अभियन्ता, टोंक द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-VII, VIII व IX पर उपलब्ध है।

(7) संवेदक द्वारा उक्त बकाया कार्य दिनांक 25.11.2001 को नहीं बल्कि दिनांक 25.12.2001 को पूर्ण किया गया था जिसके अन्तिम समयावधि प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर द्वारा गुणदोष के आधार पर 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति लगाई गई, जिसकी वसूली की गई। (परिशिष्ट-X)

(8) संवेदक पर अनुबन्ध की शर्त 2 के अनुसार गुणदोष के आधार पर कार्यादेश राशि रुपये 6,81,270/- पर 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि रुपये 68127/- लगाई गई। रेस्ट्रिक्टेड राशि पर क्षतिपूर्ति वर्तमान में विचारणीय नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

गिलूण्ड ग्राम (राजसमन्द) की खुदाई में प्राप्त पुरा-अवशेषों का

(श्री शांतिलाल चपलोत)

संरक्षण/संग्रहण

365. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) **:** क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गिलूण्ड तह. रेलमगरा जिला, राजसमन्द में खुदाई में बनास नदी सभ्यता के 5-6 हजार वर्ष पूर्व के व मोहन जोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने अवशेष मिले हैं?

(2) क्या सरकार पुरातत्व महत्व की वस्तुओं को संग्रहीत कर वहां कोई संग्रहालय बनाने या और कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिला राजसमन्द का गिलूण्ड पुरास्थल भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। यहां के उत्खनन से प्राप्त पुरा सामग्री उन्हीं के पास है। वर्तमान में पुरातत्व विभाग राज. सरकार में इस सामग्री को प्रदर्शित करने हेतु कोई संग्रहालय बनाने या अन्य कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अविद्युतिकृत मजरे एवं ढाणियां

366. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) **:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत कितने ढाणी एवं मजरे कब-कब स्वीकृत हुए एवं उनमें कब-कब कार्यादेश जारी किए गये? कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की क्या तिथि थी? किन-किन मजरों एवं ढाणियों में विद्युत आपूर्ति चालू हो गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वंचित ढाणी एवं मजरों में कब तक विद्युतिकरण हो जायेंगे? क्या यह सही है कि स्वीकृति के अलावा भी कई ढाणी एवं मजरे विद्युतीकृत नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार शेष रहे ढाणी एवं मजरों को भी विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना दिनांक 31 अगस्त, 2005 को स्वीकृत हुई एवं संशोधित स्वीकृति दिनांक 24.4.2006 को जारी की

(ऊर्जा मंत्री)

गई। दिनांक 14.9.2005 को अजमेर डिस्काम एवं पावर ग्रिड के मध्य भीलवाड़ा जिले की उक्त योजना हेतु एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति सहाड़ा के 37 तथा पंचायत समिति रायपुर की 18 ढाणियों/मजरों को विद्युतिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिनमें से पंचायत समिति सहाड़ा के 22 एवं पंचायत समिति रायपुर के सात मजरों/ढाणियों को विद्युतिकृत किया जा चुका है जिनकी सूची मय कार्य पूर्ण होने की दिनांक परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत पंचायत समिति सहाडा एवं रायपुर के विद्युतीकरण से शेष रहे मजरे/ढाणी का माह मार्च, 2008 तक विद्युतिकृत करना प्रस्तावित है। उक्त पंचायत समितियों में स्वीकृति के अतिरिक्त शेष रहे ढाणी/मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण

क्र. सं.	गांव का नाम	ढाणी एवं मजरे का नाम	विद्युतीकरण दिनांक
1	2	3	4
1.	कोशीथल	1. केसरपुरा 2. इन्द्रा कालोनी 3. मोहनखेड़ा 4. नायकों का खेडा	30.11.2007
2.	उम्मेदपुरा	मेदा का खेड़ा	30.11.2007
3.	ठेकला	डांग का जोड़	31.12.2007
4.	भूतेला	भीलों का खेड़ा	31.12.2007
5.	उल्लाई	तराई खेड़ा	31.12.2007
6.	सालेरा	बणजारों का खेड़ा	31.12.2007
7.	नेनडिया का खेड़ा	भैरू खेड़ा	31.12.2007
8.	खाकला	भैरो का खेड़ा	31.12.2007
9.	ढेकला (ग्रामीण)	1. टीपूनाड़ी 2. काला भाटा 3. हेमाखेड़ा	31.12.2007

1	2	3	4
10.	नानसा (खालसा)	भील खेड़ा	31.12.2007
11.	अडसीपुरा	मोहम्मदपुरा	31.12.2007
12.	आमली	मोतीखेड़ा	31.12.2007
13.	शिवरती	1. भीलचोड़ा 2. रामपुरिया	31.1.2008
14.	कागंनी	1. जंगली बस्ती 2. माडिया मगरी	31.1.2008
15.	चावड़िया	चावड़िया का खेड़ा	31.1.2008
	योग	22	

पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा

क्र. सं.	गांव का नाम	ढाणी एवं मजरे का नाम	विद्युतीकरण दिनांक
1.	आसूणा	भीलों का खेड़ा	20.12.2007
2.	बाडियाखुर्द	कुमावतों का खेड़त्रा	24.12.2007
3.	आशाहोली	तोलास का खेड़ा	24.12.2007
4.	गलवा	सज्जनपुरा	24.12.2007
5.	पिथा का खेड़ा	भीलों का खेड़ा	24.12.2007
6.	लड़की	भाणुजा	14.2.2008
7.	खाखरमाला	कोलीखेड़ा	14.2.2008
	योग	7	

योजना के द्वितीय चरण में करना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "अ"

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतिकृत ढाणी एवं मजरों की सूची

पंचायत समिति सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

भरतपुर जिले के कृषकों को ट्रेक्टर क्रय हेतु ऋण/अनुदान

(श्री निर्भय लाल)

367. श्री निर्भय लाल (रूपवास) **:** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक द्वारा भूमि/फसली ऋण दिया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2003 से अब तक जिला भरतपुर में किस-किस किसान द्वारा ट्रेक्टर हेतु ऋण लिया गया व क्या सरकार द्वारा ब्याज में सब्सीडी दी गई है? यदि हां, तो किस-किसको व कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अकाल एवं ओलावृष्टि से किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जिन किसानों ने ऋण लिया है सरकार उनके ब्याज को माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भरतपुर जिले में भरतपुर सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा सन् 2003 से 31.1.2008 तक 140 किसानों को 414.09 लाख रु. के ऋण ट्रेक्टर क्रय करने हेतु वितरित किये गये हैं। सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। ट्रेक्टर ऋण लेने वाले किसानों को सरकार की तरफ से ब्याज में सब्सिडी नहीं दी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा जिन 4309 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है उन गांवों में किसानों की राजस्व वसूली स्थगित की जाकर उन गांवों में ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को ऋणों को निर्धारित योजनानुसार अल्पकालीन से मध्यकालीन में परिवर्तित किया गया है एवं दीर्घकालीन ऋणों को आगामी तीन वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। ऐसे सहकारी ऋणों को स्थगित किया गया है तथा यह ऋण माफी अथवा ब्याज माफी की संज्ञा में नहीं आते हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सहरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालाडेरा (जयपुर) की प्रबन्धकारिणी के चुनाव

368. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) **:** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि एस.पी.आर. सहरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय कालाडेरा जिला जयपुर की प्रबन्धकारिणी के चुनाव विधिपूर्वक सम्पन्न नहीं हुए हैं?

(2) क्या यह सही है कि कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक फासविरा/रजि/मिस/जयपुर 94/पार्ट-4 दिनांक 23 जून, 2005 के द्वारा प्रबन्ध कार्यकारिणी भंग करने के निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो आदेश की प्रति

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त आदेशों की पालना कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार द्वारा आदेशों की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) अब उक्त कार्यकारिणी को कब तक भंग कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक प.11(18) शिक्षा-5/2001 दिनांक 21.7.2004 एवं 1.12.2004 द्वारा श्री एस.पी.आर. सहरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालाडेरा में प्रशासक नियुक्त किया जाकर संस्था की प्रबन्धकारिणी के निर्वाचन करवाने जाने के निर्देश जारी किये गये थे। अत: राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा उक्त विद्यालय की कार्यकारिणी के सम्पन्न करवाये गये निर्वाचन को विधिपूर्ण नहीं माना गया था।

(2) विभागीय पत्रांक फा.सविरा/रजि/मिस/जयपुर/95 पार्ट-4 पत्र दिनांक 23.6.2005 द्वारा एस.पी.आर. सहरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालाडेरा में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक की देखरेख में हुए निर्वाचनों से भिन्न किसी प्रबन्धकारिणी का प्रमाणीकरण विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे। निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त निर्देशों दिनांक 23.6.2005 राज्य सरकार (सहकारिता विभाग) के आदेश क्रमांक प.3(75) सह/2005 दिनांक 25.7.2005 के द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण उनकी पालना नहीं की गई।

(4) निर्देश दिनांक 23.6.2005 राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दिये जाने से किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही।

(5) उक्त कारणों से इस स्तर पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट-1

कार्यालय-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक फा.सविरा/रजि./मिस./जयपुर/94 पार्ट-4 दिनांक 23.6.2005

रजिस्ट्रार संस्थाएं

जयपुर

विषय :- एस.पी.आर. सहरिया एज्यूकेशनल सोसाइटी, कालाडेरा, जयपुर में अनियमित ढंग से प्रबन्ध समिति के गठन के क्रम में।

विषयान्तर्गत एस.पी.आर. सहरिया एज्यूकेशनल सोसाइटी, कालाडेरा, जयपुर की प्रबन्धकारिणी के गठन के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता कर्नल विक्रम सिंह के माननीय सहकारिता मंत्री महोदय को प्रस्तुत ज्ञापन के साथ संलग्न पत्रादि एवं आपके पत्रांक 1099 दिनांक 23.4.2005 एवं 1257 दिनांक 10.5.1995 द्वारा भिजवाई गई वस्तुस्थिति की रिपोर्ट में उल्लेखनीय तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संस्था में राज्य सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त है, और प्रशासक एवं जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, खण्ड द्वितीय, जयपुर को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के पत्र दिनांक 13.4.2005 द्वारा संस्था के निर्वाचन सम्पादित करने के निर्देश हैं। प्रशासक के पत्र दिनांक 2.6.2005 से स्पष्ट है कि प्रशासक द्वारा संस्था के निर्वाचन नहीं कराए गये हैं। अत: राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक की देखरेख में हुए निर्वाचनों से भिन्न किसी प्रबन्धकारिणी का प्रमाणीकरण विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: निर्देश दिये जाते हैं कि आप द्वारा दिनांक 17.3.2005 को किये गये कथित प्रबन्धकारिणी के प्रमाणिकरण को अविलम्ब निरस्त कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।

ह.

(राजेश्वर सिंह)

रजिस्ट्रार

सहकारी संस्थाओं का निजीकरण

369. श्री जालम सिंह रावलोत (शिव) **:** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राज्य सरकार सहकारिता को निजी हाथों में देने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या होगा? क्या सहकारी बैंकों को भी निजी क्षेत्र में सौंपने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

बेगूं विधान सभा क्षेत्र के नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र

370. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में विगत चार वर्षों में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र नये खुले व कितने भवन बने? लागत व गांव के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बेगूं के अन्तर्गत पंचायत समिति, बेगूं में 31 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 21 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पंचायत समिति, भैसरोडगढ़ में 39 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 19 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र विगत 4 वर्षों में नये खोले गये हैं। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र में कुल 70 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 40 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये। खोले गये केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में विगत 4 वर्षों में कुल 46 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करवाये गये हैं। इनमें से पंचायत समिति, बेगूं में 4 एवं भैसरोड़गढ़ में 42 भवन बने हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या-371

(स्थगित)

चूरू एवं धौलपुर जिले में किशोर शक्ति योजनान्तर्गत लाभान्वित बालिकाएं

372. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2007 से अब तक किशोरी शक्ति योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से राज्य को अनुदान की कितनी किस्तें कब-कब प्राप्त हुई और उनके विरुद्ध कितनी राशि व्यय कर कितनी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अनुदानित राशि का पूर्ण सदुपयोग नहीं किया गया? यदि हां, तो शेष राशि का विवरण मय कारणों के सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2004 से अब तक जिला चूरू व धौलपुर में कितने गांवों का चयन कर कितनी बालिकाओं को विभिन्न सम्बन्धित विषयों से जोड़ कितनी राशि व्यय कर लाभान्वित किया गया? वर्षवार व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

उत्तर

(1) जनवरी, 2007 से अब तक किशोरी शक्ति योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से कोई राशि अनुदान के रूप में विभाग को प्राप्त नहीं हुई। पूर्व के अवशेषों से ही यह योजना संचालित की जा रही है।

इस योजनान्तर्गत व्यय राशि का विवरण व लाभान्वित बालिकाओं का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। किशोरी शक्ति योजना में वित्तीय वर्ष 2007-08 में कुल 301.41 लाख रुपये का प्रावधान था किन्तु भारत सरकार द्वारा इस हेतु कोई राशि प्रदान नहीं की। गत वर्ष की अवशेष राशि रुपये 250.91 लाख के व्यय करने की सहमति दिनांक 24.7.2007 को जारी की गई, जिसके आधार पर समस्त 32 जिलों को कुल 177.75 लाख रुपये की राशि हस्तान्तरित की गई तथा 37 शहरी परियोजनाओं को

क्र. सं.	**जिला**	**चयनित गांवों की संख्या**	**लाभान्वित बालिकाओं की संख्या**	**व्यय राशि**
1.	धौलपुर	355	8754	629393
2.	चुरू	178	3600	152416

27.5 लाख रुपये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

जिलों में योजना के अनुसार उपलब्ध राशि का समयबद्ध सदुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है।

(3) इस योजनान्तर्गत वर्ष 2004 से अब तक जिला चूरू व धौलपुर में चयनित गांव व लाभान्वित बालिकाओं तथा व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्षवार व ग्रामवार विवरण परिशिष्ट "स" एवं "द" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

प्री-मेडिकल टैस्ट में तहसील शाहबाद एवं किशनगंज के युवक-युवतियों हेतु आरक्षण

373. श्री जयराम जाटव (खैरथल) **:** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शाहबाद एवं किशनगंज तहसील में निवास करने

(श्री जयराम जाटव)

वाले सहरिया व कथौड़ी जाति के परिवारों को भी बी.पी.एल. परिवार की श्रेणी में माना गया है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रों के परिवारों के लिये सरकारी नौकरी में स्केल 1-6 तक की श्रेणी में 25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने के तहत युवक-युवतियों को राजकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान की गई है? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रों में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय/ महाविद्यालयों में भी क्षेत्रीय युवक-युवतियों के प्रवेश का आरक्षण है? यदि हां, तो कितना?

(4) क्या जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भी प्री-मेडिकल टेस्ट के लिये 12 प्रतिशत आरक्षण के तहत सीटों का आरक्षण किया गया है? यदि हां, तो कब से व कितनी सीटों के लिये?

उत्तर

(1) राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (बी.पी.एल. परिवारों) को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं को कथौड़ी जनजाति एवं बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील में निवास करने वाले सहरिया परिवारों के व्यक्तियों को भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है

नाम कार्यालय	नियुक्तियों की संख्या
जिला पुलिस अधीक्षक, बारां	63
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां	01

(आदेश एफ. 5(4)(1)सहरिया/टीएडी/2002 दिनांक 25.11.2004)

(2) जी हां। यह सही है कि कार्मिक विभाग की आज्ञा दिनांक 11.3.1999 द्वारा सहरिया परिवारों को 25 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण का प्रावधान था। जिसके तहत निम्न कार्यालयों में उनके नाम के सामने अंकित संख्या में कार्मिकों की नियुक्ति की गई है :-

शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में निवासित सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए वर्तमान में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान आदेश दिनांक 12.9.2007 से राज्य सेवाओं को छोड़कर समस्त पदों में किया गया है।

(3) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में निवासित जनजाति अभ्यर्थियों हेतु बारां

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

जिले में 25 प्रतिशत सीटें शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के निवासित सहरिया जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण उप शासन सचिव प्रारम्भिक शिक्षा के आदेश क्रमांक एफ.12(4) शिक्षा-1/प्रा.शि./05 दिनांक 2.9.2005 द्वारा किया गया है।

जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) बारां में कुल 50 सीटों में से 12 सीटें अर्थात् 25 प्रतिशत सीटें सहरिया जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

इन 12 स्थानों में से 7 स्थान छात्रों हेतु एवं 5 स्थान छात्राओं हेतु आरक्षित हैं। सत्र 2007-08 में 7 छात्रों को प्रवेश देकर लाभान्वित किया गया है। छात्राओं द्वारा प्रवेश नहीं लिये जाने से स्थान रिक्त हैं।

(4) जी हां। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए प्री-मेडिकल टेस्ट में अनुसूचित जनजाति हेतु 12 प्रतिशत आरक्षण में से 45 प्रतिशत आरक्षण सीटों के आरक्षण की व्यवस्था वर्ष 2002 से की हुई है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-374

(स्थगित)

उदयपुर सम्भाग के आवासीय विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पद

375. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) **:** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर में संचालित बालक/बालिका छात्रावासों में स्वीकृत अधीक्षक/कोच/अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) आवासीय विद्यालयों में विभिन्न विषय अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों/आश्रम छात्रावासों में कार्यरत अधीक्षक/कोच/अध्यापकगण शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पदों का स्वयं का कैडर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर में संचालित बालक/बालिका छात्रावासों में स्वीकृत अधीक्षक/कोच के 320 पद स्वीकृत एवं 67 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति से भरा जाता है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त अध्यापकों एवं विद्यार्थी मित्र योजना के तहत भरने के लिये सरकार आवश्यकतानुसार निरन्तर प्रयासरत है।

(2) आवासीय विद्यालय में विभिन्न विषय अध्यापकों के कुल 152 पद स्वीकृत एवं 15 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को विद्यार्थी मित्र योजना के अन्तर्गत भरे जाने का प्रावधान है जिसके लिये आवश्यकतानुसार समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। यह सही है कि विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय एवं आश्रम छात्रावासों में कार्यरत अधीक्षक/कोच/अध्यापकगण शिक्षा विभाग से प्रति नियुक्ति पर लिये जाते हैं। शिक्षा विभाग से अध्यापक नहीं मिलने की स्थिति में रिक्त पदों को विद्यार्थी मित्र योजना के अन्तर्गत भी भरे जाते हैं। अधीक्षक, कोच एवं विषय अध्यापकों के लिये विभाग के स्वयं का कोई कैडर नहीं है। सरकार इस ओर प्रयासरत है।

नैनवां विधान सभा क्षेत्र में माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत अपूर्ण पेयजल योजनाएं

376. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) **:** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नैनवां (बूंदी) में माडा योजनान्तर्गत वर्ष 2000 से अब तक की अवधि में ट्यूबवैल/टंकी निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो किस-किस ग्राम के लिए तथा स्वीकृत राशि से क्या-क्या कार्य करवाये गये हैं? स्वीकृति आदेश सहित कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त में से किसी भी कार्य से ग्रामवासी लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं तथा व्यय की गई राशि का निष्फल व्यय हुआ है? यदि हां, तो उक्त कार्यों को सही किये जाने तथा उनसे पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

(3) क्या उक्त कार्यों को पूर्ण करने, सही स्थान पर जल स्रोत विकसित करने तथा योजना को संचालित करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है? यदि हां, तो किस कार्य के लिए कितनी-कितनी तथा उसकी स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(4) उक्त कार्यों को अब कब तक पूर्ण कर पेयजल उपलब्ध करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नैनवां में माडा योजना अन्तर्गत वर्ष 2000 से अब तक ट्यूबवैल/टंकी निर्माण (पेयजल हेतु 4 पम्प एण्ड टैंक निर्माण) के लिये राशि स्वीकृत की गई। स्वीकृत पम्प एण्ड टैंक के स्थान, वर्ष, राशि एवं कार्य की स्थिति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

स्वीकृति आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त जलप्रदाय योजनाओं में से जलप्रदाय योजना खासपुरिया असफल होने से ग्रामवासी लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इस योजना में स्वीकृत राशि 5.76 लाख के विरुद्ध राशि 0.73 लाख व्यय हुआ है जो कि दो बार की ड्रिलिंग पर व्यय हुआ है। जो कि आवश्यक था। अतः ड्रिलिंग पर व्यय की गई राशि को निष्फल व्यय नहीं कहा जा सकता है।

इस पेयजल योजना को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने की कार्यवाही प्रस्तावित है। कार्य का पुनः मूल्यांकन जलदाय विभाग से करवाया जाना प्रस्तावित है।

(3) इस योजना को पूर्ण करने, सही स्थान पर जल स्रोत विकसित कर योजना का संचालन प्रारम्भ करने हेतु स्वीकृत राशि में से राशि 5.03 लाख उपलब्ध है।

संशोधित तकमीना जलदाय विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। अब और कितनी राशि की आवश्यकता होगी, संशोधित तकमीना प्राप्त होने पर बताया जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-193 का विवरण)

परिशिष्ट-क

विभिन्न फर्मों को वर्षवार किये गये भुगतान के विवरण की सूचना

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	पैकेज सं.	कार्य का विवरण	ठेकेदार फर्म	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	योग
1.	बी/जल/04	40 MLD क्षमता का फिलटर प्लान्ट	मै. ड्रिपलेक्स, वाटर इंजिनियरिंग लि. नई दिल्ली	0	0	108.75	275.55	50.92	32.67	467.89
2.	बी/जल/05	1100 MM व्यास की PSCC पाइप लाइन	मै. एक्वा प्रीस्ट्रेस प्रोडेक्टस प्रा. लि. पूना	0	0	130.99	121.20	62.05	16.70	330.94
3.	बी/जल/06	1500 एम.एल. क्षमता का आर. डब्ल्यू. आर.	मै. आर.एस.बी. प्रोजेक्ट्स लि. नई दिल्ली	0	210.63	436.91	12.88	0	0	660.42
4.	बी/जल/07	2 नं. पम्पिंग स्टेशन	मै. डब्ल्यू.पी.आई.एल. लि. गाजियाबाद	0	19.14	447.14	200.19	41.79	23.05	731.31
5.	बी/जल/12	डी.आई. राईजिंग मेन	मै. ई.पी.आई.एल. नई दिल्ली	0	0	521.69	356.12	68.42	56.45	1002.68

परिशिष्ट-ख

बीकानेर शहर में आरयूआईडीपी द्वारा निर्मित 13 उच्च जलाशयों व 2 भू-तल जलाशयों का विवरण

क्र. सं.	उच्च जलाशय/भू-तल जलाशय का नाम	लागत (रु. लाखों में)	लाभान्वित जोन
1.	तिलक नगर	53.00	कांता खतुरिया, जे.एन.बी. कालोनी सेक्टर 6 व 7, तिलक नगर
2.	रामपुरा	61.00	रामपुरा बस्ती
3.	नागणेचीजी	48.00	पटेल नगर, पवनपुरी, गांधी कालोनी, करणी नगर
4.	इन्डस्ट्रीयल एरिया	38.00	रानी बाजार इन्डस्ट्रीयल एरिया
5.	एम.पी. सेक्टर 14	48.00	एम.पी. सेक्टर 14
6.	श्रीरामसर	38.00	करमीसर, श्रीरामसर
7.	सुजानदेसर	33.00	सुजानदेसर
8.	गंगाशहर	58.00	गंगाशहर
9.	खारिया	38.00	गंगाशहर, नोखा रोड
10.	भीनासर	38.00	भीनासर, किसमीदेसर
11.	चौधरी कालोनी	53.00	चौधरी कालोनी
12.	नत्थूसर	45.00	नत्थूसर
13.	लक्ष्मीनाथजी	60.00	लक्ष्मीनाथजी क्षेत्र
14.	जे.एन.वी. कालोनी भू-तल जलाशय	45.00	जे.एन.वी. कालोनी
15.	स्टेडियम भू-तल जलाशय	24.00	स्टेडियम जोन

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं
जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

पुलिस विभाग, सीकर में कार्मिकों की नियुक्ति बाबत

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये पुलिस विभाग, सीकर में कार्मिकों की नियुक्ति की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी।

विगत कई दिनों से सीकर जिले में कानून व्यवस्था ठप्प सी हो गई है जिले में काफी दिनों तक पुलिस अधीक्षक का पद रिक्त पड़ा रहा तत्पश्चात् अपराधों में काफी बढ़ोतरी हुई है। पुलिस अधीक्षक का पद तो भर गया परन्तु यहां पर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुये पुलिस जाप्ता काफी कम नजर आता है। शहर हो या गांव दिन पर प्रतिदिन चोरी डकैती व अन्य अपराधों में लगातार बढोतरी हो रही है। पुलिस कर्मियों की संख्या कम है अपराधों की संख्या अधिक है जिसकी वजह से पुलिस अपराध के समय पर नहीं पहुंच पाती है।

मैं आपका ध्यान इस ओर विशेष रूप से दिलाना चाहूंगी कि कर्मचारी की सेवानिवृति से रिक्त होने वालों पदों पर भर्ती समय पर नहीं होने से वह पद रिक्त होता-होता समाप्त ही हो जाता है। सरकार को इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिये कि रिक्त होने वाले पदों को शीघ्र भरा जावे। सीकर शहर की आबादी विगत वर्षों में लगातार बढ़ती चली जा रही है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं तथा प्रोटोकाल जैसी अनेक ड्यूटी में भी पुलिस बल भेजा जाता है। विशेष अवसरों जैसे दीपावली, होली, ईद, गणगौर, तीज, ताजिये पर पुलिसकर्मियों का पर्याप्त संख्या बल में होना आवश्यक है। पुलिस बल पर्याप्त नहीं होगा तो जिले में विशेष अवसरों पर भय की स्थिति बनी रहेगी अर्थात कानून व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं चल पायेगी। ऐसे में पुलिस बल का पर्याप्त संख्या होना अति आवश्यक है।

अत: मैं पुरजोर शब्दों में माननीया अध्यक्ष महोदया के द्वारा माननीया मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगी कि वह सीकर शहर में पुलिस कांस्टेबलों एवं अन्य कर्मचारियों की घटती संख्या को दृष्टिगत रखते हुये यहां पर अन्य कार्मिकों की नियुक्ति करने की कृपा करें ताकि शहर में बढ़ते अपराधों पर रोक लग सके।

धन्यवाद। जय भारत।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा

(सीकर)

शहीद स्मारक सांसद/विधायक कोष से निर्मित कराये जाने विषयक

विषयान्तर्गत राजस्थान की सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में भूतपूर्व/वर्तमान सैनिकों, शहीदों के आश्रितों एवं युद्ध विधवाओं को समय-समय पर विभिन्न पैकेजों के माध्यम से दी गई राहत के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री का आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं।

इसी सन्दर्भ में अनुरोध करना चाहूंगा कि विभिन्न युद्ध/आतंकवादी गतिविधियों में हुये शहीदों के स्मारक उनके आश्रितों द्वारा पारिवारिक एवं सामाजिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुये बनाया जाता है। जिससे शहीद के परिवार पर एक बड़ी राशि का व्यय अनावश्यक भार पड़ता है। राज्य सरकार ने शहीद स्मारक निर्माण के लिये अलग से किसी योजना में निर्माण कराने का प्रावधान नहीं किया हुआ है।

मैं चाहता हूं कि जिस परिवार का एक मुखिया देश की सेवा करते हुये देश की आन बान और शान के लिये मर मिटता है, ऐसे सैनिकों का शहीद स्मारक सांसद/विधायक कोष से निर्माण करवाये जाने का प्रावधान किया जावे ताकि शहीद के परिवार पर अनावश्यक व्यय भार न हो तथा आश्रितों की भावनाओं के अनुरूप शहीद का स्मारक भी तैयार हो सके।

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर

(महुआ)

तिजारा (अलवर) पर फायर स्टेशन न होने से उत्पन्न स्थिति

महोदय,

अलवर जिले की तहसील तिजारा मुख्यालय पर नगरपालिका है, तहसील है, उपखण्ड कार्यालय है। इन सबके बावजूद यहां फायर स्टेशन नहीं है। यहां कस्बे एवं गांवों में आगजनी होने पर अलवर या भिवाड़ी से फायर बिग्रेड बुलानी पड़ती है। जो कि काफी दूर पड़ता है। तब तक आगजनी किसानों के झोपड़े व फसलें व पूरे गांव को ही चपेट में ले लेती है। जन-धन-पशुधन की भी भारी हानि होती है। कस्बे की स्थिति तो ओर भी विकट है। काफी तंग व छोटी गलियां है। अलवर या भिवाड़ी से आने वाली फायर बिग्रेड की बड़ी गाडियां जा ही नहीं पाती हैं। कस्बे की दुकानें व उनका माल सब आगजनी की भेंट चढ़ जाता है।

अत: विशेष उल्लेख की सूचना के जरिये तहसील तिजारा मुख्यालय पर फायर बिग्रेड कार्यालय खोलने व फायर बिग्रेड इंजिन गाड़ियों जिनमें छोटी गाड़ियों के साथ व उचित साधनों व कर्मचारियों के साथ शीघ्र कार्यालय चालू कर स्थानीय जनता को राहत देने हेतु राज्य सरकार को निर्देश देने का निवेदन है।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान

(तिजारा)

पालीथीन पर पूर्ण प्रतिबन्ध बाबत

महादया जी,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अत्यन्त ज्वलन्त विषय की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। हम सभी का यह सामान्य अनुभव है कि हमारे आस-पास का वातावरण अत्यन्त तेजी से दूषित हो रहा है, सांसों में धुआं धुल रहा है जिससे अस्थमा जैसे कई रोग बढ़ रहे हैं। कई बार शहरों से निकलते समय काले धुएं के कारण आंखों में तीव्र जलन का अनुभव होता है, ध्वनि प्रदूषण तीव्र से तीव्र होता जा रहा है। बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण के कारण कभी हिमालय के ग्लेशियरों के तीव्र गति से पिघलने के कारण भारी बाढ़ तो कभी मां गंगा का अस्तित्व ही खतरे में बताया जाता है। कई बार दुनिया में कुछ स्थानों पर तेजाबी वर्षा की खबरें आती हैं, तो कभी सुनामी कहर बरपाती है, कभी भूकम्प से गुजरात तो कभी शिव काशी कहराती है, समुद्र तटीय इलाकों के डूबने की आंशका जताई जाती है, मरूस्थल बढ़ रहा है, ध्रुव पिघल रहे हैं। मां प्रकृति की सबसे योग्य संतान मानव ने अपनी ही मां तो छलनी करने में कोई कौर-कसर नहीं छोड़ी है। परिस्थितियां अत्यन्त चिन्ताजनक है, एकबार ठहर कर विचार करने की आवश्यकता है और अधिकतम सम्भव उपाय करने की आवश्यकता है।

मुझे याद है कुछ वर्षो पूर्व तक घर से निकलते वक्त कंधे पर गमछा और थैला एक सामान्य सी परम्परा थी परन्तु एक चमत्कार के रूप में आई बला सी पालीथिन ने हमारा आलस्य ऐसा बढ़ा दिया है कि यही चमत्कारी पालीथीन अभिशाप बन गई है। घर से हाथ लटकाते आलस्य में निकले हम हर सामान पालिथीन में ही लाने के प्रति आश्वस्त होते हैं। और यही पालिथीन कारण बनती है गायों एवं अन्य पशुओं के मरने का, सीवरेज की नालियों के ब्लाकेज का, सुन्दर पर्यटक स्थलों पर गन्दगी का, नदियों-तालाबों के अटने का, पर्यावरणीय हानि का। जनता से सीधे जुडे हम सभी सदस्य इससे सुपरिचित ही हैं। पालिथीन प्रकृति की सहज प्रक्रिया द्वारा नष्ट होकर प्रकृति में नहीं मिलता इस कारण यह एक निरन्तर बढ़ते रहना वाला पर्यावरणीय खतरा बन रहा है। हमारे पास इसके विकल्प के रूप में परम्परागत रूप से उपलब्ध कागज एवं कपड़े की थैलियां उपलब्ध हैं।

अत: इस स्वत: समझी जा सकने वाली ज्वलंत समस्या के समाधान के लिए मेरा राज्य सरकार से विशेष आग्रह है कि पालिथीन पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाकर इस पर्यावरण खतरे को समाप्त किया जाये। साथ ही डिस्पोजेबल ग्लासेज और अन्य डिस्पोजेबल आइटम्स में भी प्लास्टिक का प्रयोग प्रतिबन्धित किया जाये। यह सच्चे अर्थो में पर्यावरण संरक्षण का ठोस कदम होगा। मुझे आशा है कि मेरी इस चिंता में पूरा सदन सम्मिलित होता हुआ समवेत स्वर में इस प्रतिबन्ध की मांग का समर्थन एवं स्वागत करेगा।

सादर।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास

(जोधपुर)

खेतड़ी के ग्राम चुन्दाड़ा में खनन पट्टे निरस्त करने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम चुन्दाड़ा में देवस्थान विभाग की पहाड़ी में खनन बाबत् 14 पट्टे जिनकी क्र.सं. एम.एल.-342/06 से एम.एल.-355/06 तक खनिज विभाग द्वारा आबंटित कर दिये गये। ये सभी खनन पट्टे एक ही परिवार से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम एक नवयुग निर्माण कम्पनी बनाकर खनन पट्टे लिये गये हैं। ग्रामीणों की आस्था के प्रतीक 4-5 मन्दिर बने हुए हैं तथा दोनों समय पूजा अर्चना की जाती है तथा पहाड़ी के पास ही विद्यालय भी स्थित है। इनके संरक्षण हेतु समस्त ग्रामवासी एकजुट हैं जब-जब भी लीज होल्डर खनन कार्य हेतु धनबल एवं बाहुबल के आधार पर बाहरी व्यक्तियों को लेकर जाता है तो ग्रामीण एवं लीज होल्डर के बीच 3-4 बार विवाद एवं दंगा हो चुका है। जिससे गांव की व क्षेत्र की शांति भंग हुई है। हाल ही दिनांक 21.2.2008 को लीज होल्डर एवं ग्रामीणों के बीच झगड़ा हुआ जिससे 3-4 ग्रामीण घायल हुये हैं। ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमण्डल मुझसे भी मिला। गांव में शांति बहाल रहे तथा खनन पट्टे निरस्त किये जाने की मांग रखी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान आकर्षण कर निवेदन है कि तीन-चार बार गांव में लोयन आर्डर जैसी स्थिति बन चुकी है अत: ऐसी स्थिति पुन: न बने। सरकार का ध्यान आकर्षण कर निवेदन है कि सभी खनन पट्टे निरस्त कर दिये जावें। जिससे गांव में शांति बनी रहें।

धन्यवाद।

दाताराम गुर्जर
(खेतड़ी)

परबतसर में नवीन सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा परबतसर की शुरूआत अजमेर जिले की सीमा से होती है और अजमेर के पुष्कर, किशनगढ़ शहरों से सीमायें लगती हैं। नागौर जिले में विश्व विख्यात मार्बल मण्डी मकराना और बिदीयाद के लिये भी परबतसर से ही गुजरना पड़ता है। लेकिन विधान सभा क्षेत्र की इन मुख्य रास्तों की हालत वर्तमान में इतनी खराब हो रखी है कि इन पर भरी हुयी गाड़ियां तो दूर खाली गाड़ियां भी नहीं चल सकती हैं। जिसके कारण यहां के लोगों को इन रास्तों को छोड़कर मजबूरी में दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं।

इसलिये इन सड़क मार्गो पर डामर की पेवर सड़कों का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है। इस हेतु अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा परबतसर विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित मार्गों पर निम्नानुसार सड़क निर्माण के लिये तकमीने बनवाकर विभाग को भिजवाये गये थे :-

1. परबतसर से नडवा खिदरपुरा किनसरिया औद्योगिक क्षेत्र बिदीयाद तक 15 किमी 225 लाख रुपये।
2. हरनावां-ततारपुरा-गिंगालिया-इटावालाखा के लिये 15 किमी सड़क के लिये 225 लाख रुपये।
3. रानाबाई मन्दिर हरनावां से त्रिमूर्ति बालाजी मन्दिर बडू तक 5 किमी सड़क 96 लाख रुपये।
4. मेगा हाइवे से खोखर-घाट का बालाजी-मकराना तक 9 किमी के लिये 130 लाख रुपये।
5. गिंगालिया से इटावालाखा तक 7 किमी के लिये 86 लाख रुपये।
6. परबतसर से मालास गुसाइयां तक 4 किलोमीटर सड़क के लिये 60 लाख रुपये।
7. कालेटडा से मण्डोवरी तक 3 किमी सड़क के लिये 45 लाख रुपये।

लेकिन आज दिन तक इन सड़कों की स्वीकृति जारी नहीं हो पायी है।

अत: इस सदन के माध्यम से मै निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की उपरोक्त सभी सड़कों की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में जारी करवाने की कृपा करावें।

राकेश मेघवाल

(परबतसर)

पुलिस थाना काछोला के अव्यावहारिक क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करवाने हेतु

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा अत्यन्त लोक महत्व का विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सम्मिलित कोटडी पंचायत समिति की 13 ग्राम पंचायतों में से 2 ग्राम पंचायतें क्रमश: कोठाज एवं कांटी के सभी गांव तथा ग्राम पंचायत छापरेल के 2 गांव मोडियाखेडा व बेलवा वर्तमान में पुलिस थाना काछोला के क्षेत्राधिकार में किया गया है। इसी प्रकार शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत

ककरोलियाघांटी को भी पुलिस थाना काछोला सम्मिलित किया हुआ है। जो कि भोगोलिक दृष्टि से सर्वथा अव्यावहारिक है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र से निकलने वाली बनास नदी के एक तरफ उक्त गांव बसे हुए हैं तथा नदी के दूसरी तरफ काफी दूर पुलिस थाना काछोला स्थित है तथा इन गांवों के आसपास बनास नदी पर पुलिया भी नहीं बनी हुई है। इस प्रकार उक्त पंचायतों की आम जनता को साधारण पुलिस सहायता के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है तथा वर्षा ऋतु में तो आपातकालीन पुलिस सहायता के लिए कम से कम 4-5 घन्टे लग जाते हैं, जो कि सभी के लिए विचारणीय बिन्दु है।

अत: मेरा सरकार से विनम्र शब्दों में आग्रह है कि मेरे क्षेत्र की तहसील कोटड़ी की अव्यावहारिक रूप से पुलिस थाना काछोला में सम्मिलित ग्राम पंचायत कोठाज एवं कांटी तथा छापडेल पंचायत के ग्राम मोडियाखेड़ा व बेलवा तथा ग्राम पंचायत ककरोलियाघांटी के ग्रामों के पुलिस क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करवाकर पुलिस थाना कोटड़ी में सम्मिलित कराने की व्यवस्था करावें।

शिवजीराम मीणा

(जहाजपुर)

अजमेर नगर परिषद् के विज्ञापन बायलोज संशोधन बाबत

महोदय,

निवेदन है कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत मैं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी की नगर परिषद् अजमेर में विज्ञापन बायलोज बने हुए हैं जिनके तहत विज्ञापन हेतु होरडिंग बोर्ड लगाने हेतु स्थानों की नीलामी खुली बोली द्वारा की जाती है। उक्त विज्ञापन बायलोज का उल्लंघन करते हुये नगर परिषद द्वारा बी.ओ.टी. बेसिस पर गेन्ट्री, साईनेज, युनिपोल आदि के ठेके 15 वर्ष के लिए डी.एल.बी. से स्वीकृति प्राप्त कर दिये हैं। डी.एल.बी. द्वारा प्रकरण को नगर परिषद् अजमेर की साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कर दिये जाने के उपरान्त ही कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिये थे। जबकि परिषद् प्रशासन द्वारा बगैर नगर परिषद् की साधारण सभा से अनुमोदन कराये ही कार्यादेश जारी किया जा चुका है। इस कार्यादेश द्वारा ठेकेदार को एक सप्ताह के अन्दर ही ठेका राशि जमा करानी थी एवं साथ ही परिषद् द्वारा निर्धारित स्थान पर सहायक अभियन्ता की अनुमति से ही साईड पर कार्य किया जाना था। परन्तु आश्चर्य का विषय है कि लगभग 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी ठेकेदार द्वारा अब तक कोई राशि परिषद् में जमा नहीं कराई गई है एवं स्वयं की मर्जी से ही इच्छित स्थानों पर गेन्ट्रियां लगाई जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त ठेके से परिषद् को प्राप्त होने वाली आय भी काल्पनिक है

क्योंकि निविदा शर्तो में उल्लेखित किया गया है कि स्वीकृत साईडों पर ठेकेदार द्वारा जब-जब गेन्ट्री लगाई जायेगी तब-तब ही उसे राशि जमा करानी होगी यदि वह कोई गेन्ट्री नहीं लगायेगा तो परिषद् को आय भी नहीं होगी। इससे नगर परिषद् को प्रतिवर्ष होने वाले हॉडिंग ठेकों से होने वाली आय से भी हाथ धोना पड़ा है।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि समय की आवश्यकता अनुसार नगर परिषद् के पुराने बने हुए विज्ञापन बायलोज को संशोधित करायें जिससे परिषद् को आय हो और शहरों का सौन्दर्यीकरण करने में भी यह विज्ञापन सहायक बने।

धन्यवाद।

अनिता भदेल
(अजमेर पूर्व)

सिरोही चिकित्सालय में ट्रोमा सेन्टर खोलने बाबत

महोदय

निवेदन है कि सम्पूर्ण सिरोही जिला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग अहमदाबाद कांडला एवं शिवपुरी सिरोही जिले में से होकर गुजरते हैं। वाहनों का भारी संख्या में आवागमन रहता है। जिससे दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। ट्रोमा सेन्टर सिरोही में न होने के कारण अधिकांश घायलों को जान गवानी पड़ती है।

मेरा आपसे निवेदन है कि सिरोही के जिला चिकित्सालय में ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत करने का कष्ट करें, जिससे कि न्यूरो, अस्थि रोग, व निश्चेतन, वरिष्ठ विशेषज्ञों की जिले में सुविधा प्राप्त हो सकेगी और अनेक लोगों की जिन्दगी बचाई जा सकेगी। इसके साथ ही सीटी स्केन की भी माननीय चिकित्सा मंत्री व्यवस्था कर सके तो बड़ी कृपा होगी।

अभी जोधपुर, उदयपुर अथवा गुजरात घायल को ले जाना पड़ता है और वह रास्ते में दम तोड़ता है माननीय चिकित्सा मंत्री ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत करें तो जिले की आम जनता आभारी रहेगी।

संयम लोढ़ा
(सिरोही)

कीर की चौकी से खेरवाड़ा तक की सड़क को राज्य मार्ग घोषित करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जयपुर व कोटा से अहमदाबाद जाने के लिए वर्तमान में राष्ट्रीय राज्य मार्ग 76 पर चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर होकर जाना होता है। परन्तु पिछले वर्ष कीर की चौकी से भीण्डर बम्बोरा होकर सलूम्बर जाने वाली सड़क को राज्य मार्ग घोषित किया गया है। यह मार्ग अगर सलूम्बर से खेरवाड़ा तक बढ़ा दिया जाए तो अहमदाबाद और आगे मुम्बई की ओर जाने के लिए न केवल 25-

30 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा बल्कि उदयपुर में यातायात के दबाव को भी कम किया जा सकेगा व समय की भी बचत होगी। कीर की चौकी से भीण्डर होकर बम्बोरा तक की सड़क को सीआरएफ के सहयोग से ठीक कर दिया गया है व बम्बोरा से सलूम्बर तक भी रोड अच्छी है। सलूम्बर से इन्टाली खेड़ा होकर, कल्याणपुर, ढेलाना व घोड़ी होकर यह सड़क अगर खेरवाड़ा जोड़ दी जाती है तो यह इस क्षेत्र की एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी व मेरा सरकार से अनुरोध है कि कीर की चौकी से खेरवाड़ा तक की सड़क को राज्य मार्ग घोषित कराकर इस क्षेत्र के लोगों को व अहमदाबाद मुम्बई वगैरह की ओर जाने वालों की सुविधा के लिए यह कार्य शीघ्र करावें।

अत: मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से इस सदन में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि सरकार कीर की चौकी से खेरवाड़ा तक की सड़क को अविलम्ब राज्य मार्ग घोषित करे ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर

(वल्लभनगर)

शिवाजी कालोनी (निवाई) की भूमि को आबंटी भूमि में बदलने बाबत

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई में निवाई नगरपालिका क्षेत्र में विकसित शिवाजी कालोनी चरागाह भूमि में खसरा नम्बर 1889, 2053, 1753 में 78 बीघा में सन् 1974 से बसी हुई है। मैं इस मामले को अनेक माध्यम से विधान सभा में उठा चुका हूं। राजस्व विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर की इस भूमि का चरागाह से आबादी में किस्म परिवर्तन कर नियमन के लिए 2 करोड़ 53 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश नगरपालिका को दिया गया है।

नगरपालिका, निवाई की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि वह इतनी बड़ी राशि का इंतजाम कर सके। नगरपालिका के पास आय के भी कोई विशेष स्रोत नहीं हैं। जनसहयोग से भी इतनी राशि जुटाना सम्भव नहीं है। इस बाबत् मेरे द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदया को उक्त 2 करोड़ 53 लाख रुपये की राशि माफ कराने हेतु लिखित में निवेदन किया जा चुका है।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे उक्त कालोनी में निवास करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं गरीब लोगों के हित में उक्त

राशि को माफ करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को प्रस्ताव भिजवाएं तथा शीघ्र ही इस कालोनी का नियमन करें।

श्री हीरालाल

(निवाई)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंशकालीन कार्यकर्त्ता वार्ड बाय/धोबी/कुक/स्वीपर को स्थायी कर नियमान्तर्गत वेतन देने बाबत

राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2) राजस्थान, जयपुर के आदेश एफ 11(91) एफ.पी.एच./90/ग्रुप-2 दिनांक 15.9.1990 के द्वारा अंशकालीन कार्यकर्त्ता वार्ड बाय/धोबी/कुक/स्वीपर के रूप में मात्र 200/- रु. के मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की गई।

इसी प्रक्रिया के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र के सिणधरी निवासी मदनलाल पुत्र श्री लक्ष्मणराम को वार्ड बाय के पद पर नाहटा चिकित्सालय बालोतरा के पद पर नियुक्त किया गया। जिसके तहत 1.3.1993 को उक्त पद पर कार्यग्रहण किया। दिनांक 31.5.1993 को उसे सेवा से मुक्त कर दिया गया।

सेवा समाप्ति के विरुद्ध में माननीय श्रम न्यायालय, जोधपुर में वाद संख्या 9/98 पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 22.7.2002 को हुआ जिसके तहत सेवाओं को निरन्तर मानते हुए सेवा में पुन: लिया गया। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार की अपील 902/03 को दिनांक 27.7.2002 को खारिज की गयी।

उक्त कर्मचारी दिनांक 16.8.2004 से नियमित रूप से मात्र 200/- रु. प्रतिमाह मानदेय पर 8 से 10 घण्टों के लिये प्रतिदिन कार्यरत रहता है। विभाग द्वारा रिक्त पद होने के कारण उन रिक्त पदों पर प्रार्थी एवं समकक्ष को समायोजित करने की अनुमति भी मांगी गई है।

मात्र दो सौ रुपये में वर्तमान में महंगाई के इस युग में परिवार का तो क्या एक व्यक्ति का भी भरण पोषण सम्भव नहीं है। एक ओर तो हम न्यूनतम मजदूरी 70 रु. देने की बात कर रहे हैं तथा दी भी जा रहा है लेकिन इस व्यवस्था में ऐसे व्यक्तियों का सरासर शोषण हो रहा है जो अमानवीय है।

अत: इस प्रकार से कार्यरत कार्मिकों को रिक्त पद के विरुद्ध समायोजन कर 13 वर्षों से सेवारत अनुबन्धित अंशकालीन कार्यकर्त्ता वार्ड बाय/धोबी/कुक/स्वीपरों को नियमित करने के आदेशों में शिथिलता प्रदान कर या नियमों में संशोधन कर इन्हें नियमित करने हेतु सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार कर निर्णय लेकर न्याय प्रदान करना चाहिये।

श्री टीकम चन्द कान्त

(सिवाना)

परिशिष्ट-3

अनुदान की मांग संख्या-17 कारागार पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

1. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में नवीन उप कारागृह भवन के निर्माण की स्वीकृति करने पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

2. प्रदेश के कारागारों में आधुनिक तकनीक न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

3. प्रदेश के कारागृहों में बन्द अपराधियों द्वारा जेल से भागने एवं पुलिस से मिली-भगत कर पेशी से भागने की घटनाओं में हो रही वृद्धि पर विभाग द्वारा नियंत्रण न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. प्रदेश के कारागृहों में बढ़ते अपराधों को रोकने में विभाग के असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. विभाग द्वारा प्रदेश के कारागारों में अपराधियों के पास नियम विरुद्ध सुविधाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

6. विभाग द्वारा प्रदेश में कारागारों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

7. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के जिला कारागार में मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

8. विभाग द्वारा जिला कारागार-अलवर को सेन्ट्रल कारागार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री जुबेर खान)

9. विभाग द्वारा अलवर कारागार में उम्र कैद प्राप्त कैदियों को रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

10. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सीकर में कारागारों में बन्द कैदियों को उनके व्यवहार के आधार पर पृथक बैरक में रखने एवं उनके आध्यात्मिक सुधार हेतु प्रेरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

11. प्रदेश में कारागृहों में व्याप्त अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. विभाग द्वारा प्रदेश के कारागारों में आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

13. विभाग द्वारा प्रदेश के कारागारों में बन्दियों में व्याप्त गुंडागर्दी एवं जबरन चन्दा वसूली को रोकने एवं कारागारों में सेवानिवृत्त फौजियों की भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

14. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में कारागार निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

15. प्रदेश में कारागारों की व्यवस्था में अधिक सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

16. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र परबतसर में निर्मित नवीन उप कारागृह में पुराने कारागृह के कैदियों व कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

17. विभाग द्वारा प्रदेश के कारागृहों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

18. विभाग द्वारा नवीन उप कारागार परबतसर में पेयजल आपूर्ति के लिये जेल परिसर में ही ट्यूबवैल खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विभाग द्वारा प्रदेश में परिस्थितिवश किये गये अपराध में सजा पा रहे कैदियों के लिये अलग से कारागार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल (चौमूं) :

20. विभाग द्वारा प्रदेश की जेलों के प्रभावी सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

21. बारां जिला कारागार में कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

22. विभाग द्वारा राज्य की जेलों में सुधार कार्यक्रम प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

23. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बेगूं के रावतभाटा कस्बे में कारागार बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. प्रदेश की जेलों में बन्द कैदियों के हितार्थ कल्याण हेतु लघु उद्योग कार्यक्रम प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

25. विभाग द्वारा राज्य में जेल कर्मियों के वेतन भत्तों में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

26. विभाग द्वारा प्रदेश के कारागारों में बन्दियों के मनोरंजन हेतु टी.वी. उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विभाग द्वारा उपखण्ड मुख्यालय गंगरार में उप कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

28. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर उप कारागार खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

29. विभाग द्वारा प्रदेश की जेलों की स्थिति में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

30. प्रदेश की जेलों में पदस्थापित प्रहरियों को उनके गृह जिलों में स्थानान्तरित नहीं किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(श्री जीतमल खांट)

31. विभाग द्वारा जिला बांसवाड़ा की जेल के बन्द श्री मनीया पुत्र कालीया निवासी हथोलियां की जेल में मृत्यु होने के पश्चात् नियमानुसार मुआवजा राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) :

32. विभाग द्वारा प्रदेश के कारागार में बन्द कैदियों के खुराक भत्ते में वृद्धि किये जाने एवं कारागार कर्मियों को पुलिस कर्मियों की भांति वेतन भत्ते दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. जिला धौलपुर के कारागार में बन्दियों से मिलने वाले व्यक्तियों से मिलाने के नाम पर की जा रही लूट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. विभाग द्वारा प्रदेश के कारागारों में व्याप्त अव्यवस्था, भ्रष्टाचार रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. प्रदेश की जेलों में कर्मचारियों की मिलीभगत से कैदियों द्वारा सेलफोन, शराब, भांग, गांजा, स्मेक आदि का उपयोग किये जाने को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

36. प्रदेश की सभी जेलों में पुराने सजायाफ्ता कैदियों द्वारा अन्डर ट्राइल कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

37. विभाग द्वारा केकड़ी जिला अजमेर में कारागार भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) (नागौर) :

38. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के कारागार में नियमानुसार खान-पान व चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) :

39. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उप कारागार को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

40. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन में बंदियों को पुस्तकालय एवं खेलकूद की सुविधा उपलब्ध कराने एवं उनके साप्ताहिक भोजन का मीनू निर्धारित करने पर चर्चा के लिये।

(श्री बद्रीलाल जाट)

41. विभाग द्वारा राज्य की जेलों में कैदियों में चारित्रिक एवं मानसिक विकास हेतु उचित शिक्षा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

42. विभाग द्वारा प्रदेश के कारागृहों में बन्दियों द्वारा अनाधिकृत सुविधाओं यथा मोबाइल व अन्य सामग्री के उपयोग पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. प्रदेश में सुरक्षा प्रहरियों के रिक्त पदों पर भर्ती नहीं करने से जेलों की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा के लिये।

44. प्रदेश की जेलों में अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण कैदियों के फरार हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

45. विभाग द्वारा बाड़मेर कारागार के भवन का विस्तार कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

46. विभाग द्वारा उप कारागार किशनगढ़ बास जिला अलवर में कैदी आवास हेतु एक नया भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विभाग द्वारा उप कारागृह किशनगढ़ बास जिला अलवर की चार दिवारी की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

48. किशनगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर उप कारागृह एवं खुली जेल की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

49. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में मुन्सिफ कोर्ट के पास मुल्जिमों के ठहरने हेतु बैरक बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) :

50. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना के भारबरड़ा बैल्ट (पहाड़ी क्षेत्र) में ओपन जेल (खुला कारागार) निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

51. विभाग द्वारा अजमेर में खुला कारागृह स्थापित करने व जेल में आजादी के

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

संघर्ष का म्यूजियम तथा आजादी के इतिहास का लाइट एण्ड साउन्ड कार्यक्रम की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

52. विभाग द्वारा बून्दी जिला मुख्यालय पर स्थित कारागार क्षेत्र में नवीन राजकीय चिकित्सालय खोले जाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नैनवां में कारागृह भवन तथा स्टाफ क्वाटर्स के विस्तार एवं नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. बून्दी जिला मुख्यालय पर किशोर सुधार गृह नहीं होने से उत्पन्न समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. विभाग द्वारा राज्य की विभिन्न जेलों में रिक्त पदों की भर्ती की जाने में बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :

56. प्रदेश के कारागारों की स्थिति में सुधार एवं सुरक्षा कर्मियों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) :

57. प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के साथ हो रहे अनाचार की न्यायिक जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

58. विभाग द्वारा बारां जिले के अंता मुख्यालय पर उप कारागार खोलने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर) :

59. विभाग द्वारा उप कारागृह, लक्ष्मणगढ़ व उपखण्ड मुख्यालय कठूमर में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :

60. विभाग द्वारा रायपुर या बर (पाली) में कारागार की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

61. विभाग द्वारा संवेदनशील मामलों में विचाराधीन बंदियों की रिमाण्ड अवधि बढ़ाये जाने के लिये केन्द्रीय कारागार अजमेर को वीडियों कान्फ्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से न्यायालयों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती अनिता भदेल)

62. विभाग द्वारा केन्द्रीय कारागार अजमेर को शहर के मध्य से हटाकर शहर से बाहर स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विभाग द्वारा केन्द्रीय कारागारों में बन्द महिला बंदियों के साथ क्रेच में रहने वाले उनके बच्चों की उचित देखभाल एवं उनकी शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विभाग द्वारा केन्द्रीय कारागारों में बंदियों के पास मादक पदार्थ पाये जाने के बावजूद भी दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. विभाग द्वारा राज्य में जेल कर्मियों के आवास, वर्दी, एवं भत्तों में सुधार तथा जेल प्रहरियों की कम संख्या के कारण नई भर्ती करने के साथ-साथ अत्याधुनिक सुरक्षा साधनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

66. विभाग द्वारा राज्य में खुले बंदी शिविरों की संख्या बढ़ाये जाने, बंदियों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विभाग द्वारा जेल में सजा काट रहे कैदियों द्वारा कुशल/अकुशल श्रम में नियोजन के पारिश्रमिक को बदला जाकर गलीचा, दरी कार्य को पूर्व की भांति प्रारम्भ करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

68. राज्य में असहाय बंदी जो आजीवन कारावास से दण्डित है की समय पूर्व रिहाई पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

69. राज्य में जेलों में प्रहरियों की भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विभाग द्वारा राज्य की जेलों में बंदियों के आचरण सुधारने के लिये मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. राज्य में बन्दियों को समय पर न्यायालय में पेश नहीं किये जाने से मुकदमों के निस्तारण में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये।

72. राज्य की जेलों में बंदियों के पास मोबाइल आदि बरामद होने एवं जेलों से बंदियों द्वारा धमकी दिये जाने की बढ़ रही घटनाओं पर चर्चा के लिये।

73. राज्य की जेलों में मादक पदार्थों की बढ़ रही घटनाओं पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

74. विभाग द्वारा केन्द्रीय कारागार जोधपुर के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

75. विभाग द्वारा राजगढ़ (चूरू) कारागृह की अधूरी सड़क को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विभाग द्वारा राजगढ़ (चूरू) के कारागार में सफाई कर्मचारी का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विभाग द्वारा राजगढ़ (चूरू) कारागार में प्रहरियों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

78. विभाग द्वारा कारागार कर्मियों का पुलिस के समान वेतनमान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

79. राज्य के कारागारों में रह रहे बन्दियों को पर्याप्त सुविधायें मुहैया नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. विभाग द्वारा राज्य में खुले बन्दी शिविरों की संख्या में बढोत्तरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. राज्य की जेलों में अपराधियों का आधिपत्य होना एवं कैदियों से मिलाने के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. कारागार की व्यवस्थाओं, पर्यवेक्षण, पैरोल आदि के लिये गठित सलाहकार समितियों की नियमित बैठकें आयोजित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. राज्य की जेलों में रह रहे बंदियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को विक्रय हेतु पर्याप्त बाजार उपलब्ध नहीं होने व प्रचार-प्रसार नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) :

84. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जेल का नया भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की स्थिति में सब जेल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) :

1. राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) (सीकर) :

2. राज्य में पुलिसकर्मियों के व्यवहार में सुधार तथा हाइवे पर चलने वाली गाड़ियों में बैल्ट अनिवार्य करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

3. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में जलोदा जागीर तहसील छोटी सादड़ी व ढोरिया व मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा में नई पुलिस चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में पुलिस थाना परिसर, कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा की चार दीवारी निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. निम्बाहेड़ा में ग्रामीण पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. निम्बाहेड़ा में पुलिसकर्मियों के आवास के लिये आवासीय क्वार्टर निर्माण की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

7. राज्य में पुलिस थानों पर जवानों की कम संख्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

8. कोटा जिले के सांगोद उपखण्ड के गांव कुन्दनपुर में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. कोटा सम्भाग के झालावाड़ व बारां जिलों में एनडीपीएस अपराध की बढ़ती संख्या तथा राजनैतिक व्यक्तियों की भागीदारी से पुलिस कार्यवाही में बाधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
10. विभाग द्वारा पुलिस भर्ती में अनुशासन लाने हेतु एनसीसी ट्रेनिंग प्राप्त छात्रों को भर्ती में प्राथमिकता प्रदान करने के सम्बन्ध में।
11. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपकरणों की बड़ी संख्या में हो रही चोरियों की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री भरत सिंह)

12. कोटा सम्भाग में स्मैक की लत से चोरियां करने वालों से आम नागरिक की परेशानी तथा असंख्य प्रकरण होने पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

13. विभाग द्वारा मावली उपखण्ड जिला उदयपुर में उप-अधीक्षक कार्यालय पुलिस खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

14. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पंचायत चित्रावास मुख्यालय तहसील गोगुन्दा में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने तथा जमीन आबंटन होने पर भवन निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

15. विधान सभा क्षेत्र पाली की जेतपुर एवं मंडिया रोड में नई पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

16. राज्य में पुलिस व्यवस्था में सुधार एवं पुलिस बल को सुविधायें मुहैया करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

17. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के केलवा एवं कांकरोली के तैयार भवनों में थाना स्थापित करने एवं जिला पुलिस को एम्बुलेंस स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

18. विभाग द्वारा जिला अलवर के उपखण्ड रामगढ़ में उप-अधीक्षक कार्यालय पुलिस स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

19. राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. राज्य में पुलिस बल का आधुनीकरण न होने तथा पुलिस बल की संख्या कम होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

21. विभाग द्वारा पुलिस वाहनों में पेट्रोल, डीजल की मात्रा बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

22. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र आहोर में आहोर क्षेत्र को सी.ओ. सर्किल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. विभाग द्वारा जयपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शीघ्र लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

24. विभाग द्वारा कांस्टेबल स्तर के कर्मचारियों को उनके गृह उप अधीक्षक सर्किल में लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

25. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के झाड़ोल में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के कोट पुलिस चौकी थाना रायपुर के भवन की बाउण्डरी वाल जीर्ण-शीर्ण व टूटी-फूटी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में गंगापुर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय व उनके क्वाटर्स की छतें टपकने एवं उनमें परिवर्तन/परिवर्धन कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

28. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सीकर में पुलिस थानों की संख्या बढ़ाने, महिला पुलिस थाना स्थापित करने एवं पुलिस बल की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

29. राज्य में पुलिस विभाग में बिगड़ती अनुशासनहीनता एवं राजस्थान में बढ़ते अपराधों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

30. विभाग द्वारा पाली जिले के ग्राम खौड़ व बूसी में पुलिस चौकी स्थापित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

31. विभाग द्वारा जोधपुर शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विभाग द्वारा जोधपुर शहर में पुलिस नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

33. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के दलपुरा में पुलिस चौकी स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

34. विभाग द्वारा राज्य में पुलिसकर्मियों के वेतन व अन्य सुविधाओं एवं सेवा नियमों में सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. विभाग द्वारा पुलिस थानों पर वाहनों के ईंधन की पर्याप्त व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. राज्य में पुलिस विभाग को आधुनिक तकनीक उपकरणों से सुसज्जित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

37. विभाग द्वारा विराट नगर (जयपुर) में पुलिस उप अधीक्षक, कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

38. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र परबतसर की पुलिस चौकी बडू को क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र परबतसर में परबतसर शहर व मंगलाना में नयी पुलिस चौकियां खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

40. राज्य में नये पुलिस कान्सटेबलों की भर्ती किये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र परबतसर के पुलिस थानों में नये आवासीय क्वार्टरों के निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र परबतसर में पुलिस थाने पीलवा, गच्छीपुरा व पुलिस चौकी बड़, बिदीयाद में नवीन भवन निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

43. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम खेजरोली व किशनमानपुरा में पुलिस चौकी खोलने एवं ग्राम कालाडेरा की चौकी को थाना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

44. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मकराना के बोरावड़ ग्राम मुख्यालय पर पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

45. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में पुलिस थाना श्री विजयनगर में पुलिस उपनिरीक्षक से पुलिस निरीक्षक क्रमोन्नत करने, जैतसर पुलिस चौकी को पुलिस थाना में क्रमोन्नत एवं पुलिस थाना पुरानी मण्डी घड़साना को नई मण्डी में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) :

46. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में पुलिस थाना गजसिंहपुर को उपखण्ड रायसिंहनगर के अन्तर्गत पुलिस उप अधीक्षक रायसिंहनगर के अधीनस्थ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

47. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज केसमरनिया चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने, कान्स्टेबलों की भर्ती पर्याप्त करने एवं राज्य में अवैध स्मैक, अफीम तस्करी पर रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. विभाग द्वारा बारां जिले में कार्यरत पुलिस स्टाफ की शिकायतों के निराकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

49. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में कस्बा थालड़का एवं कस्बा धन्नासर में पुलिस चौकी की स्थापना, पुलिस तन्त्र के आधुनिकीकरण एवं वाहन उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

50. राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण के तहत दर्ज प्रकरण में कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र दूदू के पुलिस थाना बगरू में नन्दलालपुरा चौकी में स्टाफ लगाने एवं नेशनल हाइवे का पुलिस थाना दूदू में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र दूदू में दलितों पर हो रहे अत्याचारों के मध्येनजर पुलिस थाना दूदू को आधुनिक थाना बनाने एवं आवश्यक सुविधा मुहैया करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. विभाग द्वारा पुलिस में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

54. विभाग द्वारा रावतभाटा और बेगूं थानों पर स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विभाग द्वारा गांवों में रात्रि को पुलिस गस्त देने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

56. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बेगूं के जावदा (नीमड़ी) में पुलिस थाना कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बेगूं में रावतभाटा पारसोली, भैंसरोड़गढ़, बेगूं, थानों में नये वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

58. विभाग द्वारा सुमेरपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विभाग द्वारा पाली जिले के थाना सुमेरपुर में पुलिस नफरी बढ़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :

60. राज्य में पुलिस के गिरते चरित्र पर एवं पुलिस में आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :

61. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में पुलिस थाना गोवर्धन विलास के अन्तर्गत श्रीमती जीवली के हत्यारों को नहीं पकड़ने एवं बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

62. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र चौरासी में उपखण्ड सीमलवाड़ा में पुलिस उप-अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कुआं एवं रामसागड़ा में नया थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र चौरासी में रास्ताणल एवं शिशोर में नई पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरि सिंह रावत (भीम) :

65. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र भीम में देवगढ़ पुलिस थाने को क्रमोन्नत करने, कामलीघाट पर स्थायी पुलिस चौकी एवं भीम उपखण्ड को उप-अधीक्षक से अपर अधीक्षक में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

66. विभाग द्वारा भीण्डर जिला उदयपुर में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

67. विभाग द्वारा राज्य में पुलिसकर्मियों के ड्यूटी के समय को निश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

68. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खानपुर में पनवाड़ में नया थाना खोलने एवं धानोदा कला पुलिस चौकी (थाना सारोलाकला) जिला झालावाड़ में स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगानगर) :

69. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगरार के राशमी थाने के लिए नये भवन एवं स्टाफ हेतु आवास निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगरार में मात्री कूण्डिया तीर्थस्थल पर पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगरार के बस्सी कस्बे में स्थित बस्सी चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

72. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के दो थानों के मध्य डी.वाई.एस.पी. कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

73. विधान सभा क्षेत्र निवाई में जामडोली एवं राहोली में पुलिस थाना तथा सोहला (पीपलू) एवं झिलाय में पुलिस चौकी कायम किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) :

74. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में वार्ड संख्या-1 में पुलिस चौकी स्थापित करने एवं वार्ड संख्या 8, 9, 10, 3, 70 में एक नया थाना और पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

75. विभाग द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजस्थान रोडवेज बसों में निश्चित राशि लेकर सफर करने की छूट दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

76. विभाग द्वारा राज्य में पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये समुचित आवास व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

77. राज्य में विदेशी पर्यटकों के साथ हो रही लूटपाट और बदसलूकी व अत्याचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. जयपुर शहर में बढ़ती हुई चोरी, हत्या, अपहरण, चैन तोड़ना आदि घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. जयपुर शहर में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. राज्य में देवस्थानों से मूर्तियों की चोरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

81. जयपुर शहर में बढ़ती वैश्यावृत्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

82. पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मियों हेतु साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

83. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा में अरथूना कस्बे में प्रस्तावित थाने की स्वीकृति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

84. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा में पुलिस चौकी अरथूना के ओड़ा-ओड़वा गांव की महिला के हत्यारे को आज दिन तक गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. राज्य में पुलिस विभाग में हवलदार से ऊपरी रैंक के अधिकारियों को मैस भत्ते में लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. राज्य में पुलिसकर्मियों के मैस भत्ते में बढ़ोतरी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) :

87. राज्य में मानव अधिकार आयोग की आड़ में पुलिस को पंगु बनाने से सुरक्षा पर विपरीत असर पड़ने, राज्य में पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार रोकने एवं पुलिसकर्मियों को व्यवहार कुशल बनाने तथा धौलपुर जिले में खान क्षेत्रों में डाकुओं के आतंक व पुलिस की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

88. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की पुलिस चौकी पचगांव को थाना बनाने तथा बाड़ी रोड के आठसे मील पर पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. धौलपुर जिले में पुलिस द्वारा अपराधियों, जुआ, सट्टा, कालाबाजारी को सह देने, धौलपुर शहर में चोरियों में वृद्धि पुलिस द्वारा कालोनियों में गश्त नहीं करना, पुलिस की निष्क्रियता तथा जिले में बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था से व्याप्त घोर असंतोष पर चर्चा के लिये।

90. धौलपुर जिले में हथियारों के लाइसेंसधारी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके वारिश को पात्र होने के बावजूद भी नवीन आर्म्स लाइसेंस प्रदान नहीं करने अनावश्यक रूप से सक्षम अधिकारी अपनी टिप्पणी देने में विलम्ब करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्र में मवेशी चोरियों में लगातार वृद्धि मवेशियों की चोरी द्वारा हथियारों का इस्तेमाल कर जबरदस्ती मवेशी चोरी करना और पुलिस द्वारा चोरों के खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

92. विभाग द्वारा जहाजपुर में पुलिस उप-अधीक्षक कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पुलिस थाना शक्करगढ़ के लिए आधुनिक भवन एवं पुलिसकर्मियों के लिए आवासगृहों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विभाग द्वारा नवसृजित पुलिस थाना हनुमानगढ़ के भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विभाग द्वारा तहसील कोटड़ी की चार पंचायतों को अव्यवहारिक रूप से सम्मिलित पुलिस थाना काछोला से हटाकर पुलिस थाना कोटड़ी में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. पुलिस थाना जहाजपुर के लिए आधुनिक भवन एवं पुलिसकर्मियों के लिये आवासगृह की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

97. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में नवसृजित पुलिस चौकियों महुड़िया चौराहा एवं धरोनिया के भवन निर्माण हेतु शीघ्र राशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

98. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के नगर पिड़ावा में स्वीकृत सी.आई. कार्यालय मय पोस्ट के शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में नवसृजित पुलिस चौकियां महुडिया-चौराहा व धरोनिया में स्वीकृत स्टाफ लगाकर चौकियों को विधिवत प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के थानों-सुनेल, पिड़ावा व रायपुर में नई जीपें आबंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) (नागौर) :

101. नागौर जिले में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में बढ़ते अपराधों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

103. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में जसनगर पुलिस चौकी के भवन निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

104. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन के पुलिस थाना व पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों/अधिकारियों के लिए आवास पुनरुद्धार एवं नये आवास निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन में मण्डफीया सांवरियाजी में सी.आई.डी. (सीबी) की विशेष पुलिस चौकी अथवा पुलिस थाना खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

106. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जालौर में पुलिस थाना बागरा के अन्तर्गत बाकरा रोड में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र जालौर में राजेन्द्र नगर से स्टेडियम तक आने वाले मार्ग एवं नाले पर पुलिस लाइन द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

108. विभाग द्वारा तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय सायला (जालौर) स्थित थाने को उपनिरीक्षक स्तर से निरीक्षक स्तर में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

109. विभाग द्वारा पुलिस थाना गुड़ा एन्दला (पाली) को निरीक्षक स्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विभाग द्वारा राजस्थान पुलिस को आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाने व पुलिस कार्य को जनसहयोगी बनाने हेतु आवश्यक पहल करने पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

111. विभाग द्वारा श्रीगंगानगर में अवैध हथियार लाइसेंस में लिप्त जिला कलक्टर के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

112. विभाग द्वारा राज्य में होमगार्ड के सदस्यों की ड्यूटी ट्रैफिक कन्ट्रोल एवं रात्री गस्त में स्थायी रूप से नहीं लगाने से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. राज्य में जन आन्दोलनों में पुलिस के दशनात्मक रवैये से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. राज्य में कानून-व्यवस्था की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

115. विभाग द्वारा बाड़मेर जिला मुख्यालय पर महिला पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में विशाला में पुलिस थाना स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

117. विभाग द्वारा पुलिस चौकी व भू-अभिलेख निरीक्षक मुख्यालय बाटाडू (बाड़मेर) में पुलिस थाना स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पटवार मण्डल मुख्यालय कानोड़, तहसील बायतु में पुलिस चौकी/निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पुलिस चौकी भाडखा तहसील बायतु में पुलिस थाना स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

120. विभाग द्वारा अलवर जिले में पुलिस सिपाहियों के लिये आवास भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विभाग द्वारा अलवर जिला सीमावर्ती होने के कारण गौ-तस्करी रोकने हेतु स्पेशल पुलिस फोर्स की स्थापना करने पर चर्चा के लिये।

(श्री जयराम जाटव)

122. विभाग द्वारा अलवर जिले में मेवात क्षेत्र की पुलिस चौकियों पर भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

123. विभाग द्वारा मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर) स्थित गांधीनगर पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. पुलिस थाना किशनगढ़ (अजमेर) में पर्याप्त पुलिस बल की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विभाग द्वारा मदनगंज-किशनगढ़ शहरी क्षेत्र में दो नई पुलिस चौकियां क्रमश: मैन चौराहा मदनगंज एवं तांगा स्टैण्ड किशनगढ़ शहर के नाम से खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विभाग द्वारा पुलिस थाना मदनगंज (अजमेर) में पर्याप्त पुलिस बल स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

127. विभाग द्वारा जिला प्रतापगढ़ तहसील पीपलखूंट के गांव केला-मेला में पुलिस चौकी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विभाग द्वारा जिला बांसवाड़ा तह. घाटोल के गांव मोरड़ी निचली में पुलिस चौकी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र घाटोल पुलिस चौकी में कांस्टेबलों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) :

130. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना कस्बे में पुराने पुलिस थाना स्थल पर पुलिस चौकी स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

131. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पादरू पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर पुलिस स्टेशन बनाने के विषय पर चर्चा के लिये।

132. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना में समदड़ी थानान्तर्गत पुलिस चौकी सावरडा को स्थाई करने के विषय पर चर्चा के लिये।

133. विभाग द्वारा सिवाना, समदड़ी, सिणधरी पुलिस थाना में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिणधरी थानान्तर्गत फलौदी-रामजी का गोला हाई-वे पर मूंका भगतसिंह या पायलाकल्ला में पुलिस चौकी स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

135. विभाग द्वारा पुष्कर थाने को क्रमोन्नत कर निरीक्षक स्तर का बनाने व पुष्कर में सी.ओ. कार्यालय स्थापित करने एवं गेगल थाने को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

136. राज्य में सिपाहियों की भर्ती में संविधान प्रदत आरक्षण मापदण्डों की हो रही खुली अवहेलना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

137. विभाग द्वारा बून्दी जिले के करवर (नैनवां) एवं खटकड़ (बूंदी) में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विभाग द्वारा उप अधीक्षक पुलिस मुख्यालय नैनवां (बूंदी) में पुलिसकर्मियों हेतु आवास निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विभाग द्वारा होमगार्डस की भर्ती करने में बूंदी जिले की अनदेखी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

140. विभाग द्वारा बूंदी जिले के पुलिस थाना देई एवं नैनवां को कम्प्यूटरमय आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :

141. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में पुलिस के नये थाने तथा नई चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर) :

142. विभाग द्वारा कस्बा कठूमर में पुलिस चौकी स्थापित व खेरली रोल चौकी रानी तालाब, भनासर में पुलिस चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कठूमर में थाना खेड़ली को निरीक्षक स्तर का बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :

144. पाली जिले में दिनों-दिन बिगड़ती कानून-व्यवस्था एवं जिले के पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) :

145. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव बछामदी में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

146. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव रोनीजा में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

147. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव अखैगढ़ में पुलिस चौकी निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

148. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नदबई की डहरा मोड़ पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

149. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव ऐचेरा में पुलिस चौकी निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

150. अजमेर जिले में दिन-प्रतिदिन बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए अजमेर पुलिस द्वारा बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये।

151. विभाग द्वारा अजमेर शहर में क्रिशचनगंज थाने की विस्तृत सीमा को दृष्टिगत रखते हुए गंज थाने एवं क्रिशचनगंज थाने की सीमाओं में तार्किक ढंग से सीमांकन करवाया जाये ताकि प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सके पर में चर्चा के लिये।

152. अजमेर शहर के दरगाह क्षेत्र में बांग्लादेशियों की बढ़ती संख्या व उनके कारण बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं से अजमेर के धार्मिक व सामाजिक सौहार्द में हो रही कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

153. अजमेर में बढ़ते यातायात और घटती यातायात पुलिस बल की संख्या से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये।

154. विभाग द्वारा अलवर गेट थाना क्षेत्र के नाका मदार व नगरा क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित करने व ब्लाक टावर के तोपदड़ा क्षेत्र शिक्षा परिसर में नई पुलिस चौकियों के स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

155. विभाग द्वारा जिला बीकानेर के पुलिस थाना लूणकरणसर महाजन, जायसर, जयनारायण व्यास कालोनी छतरगढ़ में निरीक्षक स्तर के अधिकारी को थानाधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विभाग द्वारा बीकानेर शहर के विभिन्न मुख्य मार्गो/चौराहों/सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल (लाइट) व्यवस्था लागू करने तथा लूणकरणसर एवं नापासर में ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाने पर चर्चा के लिये।

157. विभाग द्वारा जिला बीकानेर के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों का पुन: सीमांकन करने तथा पी.ओ.एल. मद में सभी थानों की राशि बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

158. विभाग द्वारा जिला बीकानेर के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के बढ़ते दबाव तथा पार्किंग स्थल चिन्हित/विकसित करने पर चर्चा के लिये।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

159. जिला बीकानेर में गत 6 माह में हुई चोरी एवं नकबजनी की घटनाओं तथा गत 3 वर्षों में हत्या के अनसुलझे मामलों पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

160. विभाग द्वारा राज्य के होमगार्डों को स्थाई करने तथा इनकी सेवायें बिजली, सिंचाई, वन विभाग में लेने पर चर्चा के लिये।

161. विभाग द्वारा राज्य के पुलिस तंत्र को सुदृढ़ करने एवं थानों, चौकियों में नफरी बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

162. विभाग द्वारा साइबर एवं आर्थिक अपराध रोकने के लिये विशेष प्रकोष्ठ बनाये जाने एवं जयपुर शहर में पाश्चात्य संस्कृति-रेस्टोरेंट, बारों के देर रात्रि तक खुलने पर ठोस रूप से पाबन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विभाग द्वारा पुलिस थानों में जब्त माल को सुव्यवस्थित रखने की व्यवस्था करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विभाग द्वारा जयपुर शहर में यातायात के सुव्यवस्थित संचालन के लिये यातायात पुलिसकर्मियों की नफरी बढ़ाने, उपकरण उपलब्ध करवाने, ट्रैफिक लाइट प्वाइंट की संख्या बढ़ाने एवं रामगंज बाजार, घाटगेट, चार दरवाजा आदि क्षेत्रों में वाहनों की नियमित चैकिंग करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. राज्य में पुलिस थानों में दर्ज प्रकरणों की संख्या एवं चालान प्रस्तुत करने की संख्या में भारी अन्तर होने पर चर्चा के लिये।

166. विभाग द्वारा पुलिस थानों में दर्ज महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों की तफ्तीश प्रभावी तरीके से किये जाने की विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

167. विभाग द्वारा पुलिस विभाग में कार्यरत योग्यताधारी कांस्टेबलों को परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति देने एवं पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर 50 प्रतिशत परीक्षा के माध्यम से तथा 50 प्रतिशत शारीरिक दक्षता के माध्यम से पदोन्नति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) :

168. विभाग द्वारा भीलवाड़ा शहर के उपनगर, पुर व सांगानेर में नये पुलिस थानों का गठन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

169. विभाग द्वारा पुलिस के सिपाहियों द्वारा परिवार को साथ रखने हेतु क्वार्टर का निर्माण या रिहायशी सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. तहसील राजगढ़ (चूरू) अन्तरराज्यीय सीमा होने पर शराब तस्करों द्वारा पुलिस पर हमला एवं फायरिंग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

171. विभाग द्वारा अन्तरराज्यीय सीमा पर माकरा धानोठी छोटी रामपुरा एवं गोठया बड़ी तहसील राजगढ़ (चूरू) में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

172. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के अन्तरराज्यीय सीमा के थाने सिद्धमुख, हमीरवास में पुलिस बल बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विभाग द्वारा पुलिस में कान्सटेबल का वेतनमान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

174. राज्य में पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

175. झुन्झुनूं में पुलिस द्वारा दलित एवं महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचार पर चर्चा के लिये।

176. झुन्झुनूं जिले में पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

177. राज्य में बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

178. पूर्वी राजस्थान में हरियाणा व उत्तर प्रदेश सीमापार से अपराधियों के प्रवेश व अपराध करने की घटनाओं में हो रही वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र नगर में पुलिस थाना नगर, सीकरी, गोपालगढ़, कामां व पहाड़ी तथा डीग व जुरहेड़ा में लम्बे समय से तैनात पुलिसकर्मियों के विरुद्ध व्याप्त जनआक्रोश पर चर्चा के लिये।

180. सी.ओ. पाली द्वारा पाली हज कमेटी के संयोजक (मोहम्मद रफीक गौरी) को अकारण परेशान करने तथा उनका हरेसमेन्ट करने की उच्च अधिकारियों को शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न हालात पर चर्चा के लिये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

181. एफ.एस.एल. के निदेशक की सेवानिवृत्ति के बावजूद अन्य वरिष्ठ अधिकारी को पदस्थापित नहीं करने से एफ.एस.एल. कर्मियों व लोगों में व्याप्त आक्रोश होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

182. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र हवामहल के थाना नाहरगढ़ हेतु नया भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) :

183. विभाग द्वारा तहसील शाहपुरा (जिला भीलवाड़ा) के ग्राम कोठिया एवं बच्छखेड़ा, तहनाल में नई पुलिस चौकी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।